कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ / खाजू / आवंटन / 2015 / दिनांक

—ःकार्यालय आदेशः—

प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती साकिन राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर का पृष्ठांकन तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के पत्रांक 147 दिनांक 23.03.2015 के अनुसार प्रार्थी खातेदारी सनद संख्या 124 / 49 दिनांक 24.12.2004 में चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105 / 17 में किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा के स्थान पर मु0नं0 105 / 17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है।

संलग्न खातेदारी सनद की प्रति अनुसार प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती निवासी राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर को चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 85 / 44 के किला नं0 1 ता 24 की 24.00 बीघा अ.क. एवं किला नं0 25 1.00 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 105 / 17 के किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि की खातेदारी सनद संख्या 124 / 49 दिनांक 24.12.2004 को जारी की गई है। हल्का पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105 / 17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम सेचक 3 बीवाईएम में खाता संख्या 91 पर मु0नं0 105 / 17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः खातेदारी सनद संख्या 124 / 49 दिनांक 24.12.2004 में चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105 / 17 में किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि के स्थान पर किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का संशोधन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। शेष खातेदारी सनद यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांकः—सम / 2015 / दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती साकिन राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः–एसडीओ/खाजू/रीडर/NAD/2018/ दिनांक

(अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी पुनमखाँ पुत्र ईसु खाँ जाति ढाढी सा0 चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे चक 1 एसएसएम का मु0नं0 108/50 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा क./अ.क. रकबा पु0आ0 हुआ जबकि अप्रार्थी श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू को चक 35 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 केल 15.00 बीघा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10,11 की कुल 60.00 बीघा, कुल तादादी 21.00 बीघा रकबा पु0आ0 हुआ था। तहसीलदार द्वारा आदेश क्र. 740/ 07.07.1983 से आपसी सहमति (विनिमय) से प्रार्थी व अप्रार्थी के रकबों का विनिमय हुआ जिससे प्रार्थी के नाम का आवंटित रकबा अप्रार्थी के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया किंतु प्रार्थी के नाम रिकॉर्ड में अप्रार्थी वाला पूर्व आवंटित रकबा नहीं आज दिनांक तक दर्ज नहीं हुआ। जिसे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में चक 35 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीधा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10 की 5.00 बीघा कुल 20.00 बीघा क./अ.क. रकबा श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी का कब्जाकाश्त है। इसीप्रकार चक 1 एसएसएम का मु0नं0 108/50 का किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा क./अ.क. वर्तातान में फूलाराम, सावरमल वगैरह के नाम है जो जरिये बैयनामा नामां.सं. 18/ 19.03.1993 श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू से खरीदशुदा रकबा है। नामां. सं. 06 से उपनिवेशन समय में पुनम खाँ पुत्र ईसु खाँ जाति ढाढी सा. चिताणा तह. नोखा से श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू के नाम अंकन हुआ। इन तथ्यों की पुष्टि तराले की विक्रय पंजिका से भी होती है। भूमि कीमत पेटै समस्त राशियां जमा है।

मूल आवंटन पत्रावलीयों की सत्यापित प्रतिलिपियों एवं राजस्व अभिलेखां से प्रार्थना पत्र अनुसार तथ्यों की पुष्टि होती है। मौके अनुसार प्रार्थी विनिमय में प्राप्त रकबे पर ही काबिल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में चक 25 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीघा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10 की 5.00 बीघा कुल 20.00 बीघा रकबे की जमाबंदी के खाता के अनुसार श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू पु.आ. की प्रविष्टि को विलोपित कर पुनम खाँ पुत्र ईसुखाँ जाति ढाढी सा. चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 77/2008

1. रामकुमार
2. रायसिंह खाजूवाला } पिसरान तिलोकाराम कौम जाट निवासी 25 बीडी तहसील
3. जगदीश जिला बीकानेर

..... वादीगण

बनाम

1. रहमत पत्नी अहमद अली जाति मुसलमान निवासी 25 बीडी, खाजूवाला।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री सीताराम खिचड़ प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट एवम् 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. एवम 136 एल.आर.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 25 बीडी के मु.न. 54/7 के कि.न. 2, 3, 8 ता, 17 ता 20 की 13.00 बीघा भूमि वादीगण ने दिनांक 03.12.1971 को जरिए बैयनामा खरीद की थी। जिसका इन्तकाल सं. 63 दिनांक 25.07.86 को दर्ज हो गया और बाद में इसी मुरब्बा का कि.न. 1 वादीगण ने स्मालपेच में आवंटन करवा लिया। इस प्रकार वादीगण ने कुल 14.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त शुरु कर दी एवं खरीद दिन से लेकर आज तक उक्त भूमि पर काबीज काश्त है तथा ढाणी व मकान बनाकर सपरिवार रहवास कर रहे हैं वादीगण ने जब उक्त खातेदारी भूमि खरीद की तब उक्त भूमि मे कही रास्ता दर्ज नहीं था इसके बाद सम्बत 2048 में प्रतिवादी सं. 3 ने खसरा गिरदावरी में रास्ता खेत दर्ज कर दिया। उक्त अंकन किस सक्षम अधिकारी के आदेश हुआ स्पष्ट नहीं है। मात्र पेन त्रुटि से उक्त रास्ता खेत दर्ज हुआ है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि खातेदारी भूमि में रास्ता बगैर खातेदार को सुने स्वीकृत नही किया जा सकता। चुंकि उक्त खेत मे दो तरफ रास्ता पहले से ही मौजूद हैं तो उक्त रास्ता की कहीं आवश्यकता नहीं है ना ही यह आम रास्ता है जिससे लोगो को फायदा पहूंचता हो। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी सं. 2 के साथ मिलकर राजनैतिक प्रभावो का इस्तेमाल कर पक्की सड़क को अपने मुरबा में से ले जाने पर आमादा है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपना मुरब्बा 34/64 मे पक्की सड़क ले जाना चाहता है ताकि वह मुरब्बा नम्बर 54/07 कि.न. 21 से अपने कि.न. 5 मे प्रवेश कर जाये और सड़क कि.न. 21, 20, 11, 10, 1 से मुरब्बा नं. 54/6 में बीएसएफ चौकी मे प्रवेश करे जबकि उक्त सड़क की कहीं कोई आवश्यकता नही है क्योंकि इसी मुरब्बा 54/7 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 3–3 बिस्वा रास्ता बीएसएफ मौके पर स्वीकृत है तथा पक्की सड़क प्रस्तावित है तथा बीएसएफ चौकी मु. न. 57/6 मे है जिसका मैन गेट सड़क पर मु.न. 54/7 के कि.न. 5 पर खुलता है। उससे आगे रास्ता की आवश्यकता ही नहीं है, इधर कि.न. 20 में वादीगण की 30 वर्ष पुरानी ढाणी बनी हुई है तथा इतने ही पुराने नीम व शीशम के पेड़ खड़े है तथा इसी

के चिपते मु.न. 34/63 की 10.00 बीघा भूमि वादीगण की है। यदि रास्ता मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 से निकलता है तो वादीगण की पुरानी ढाणी व पेड़ो को नष्ट करना होगा तथा वादीगण की जमीन दो फाड़ हो जायेगी। जिस पर तारबन्दी करना मुश्किल होगा और आवारा पशु खेत को नष्ट कर देंगे। अतः वादीगण के कब्जा काश्त शुदा खातेदारी भूमि चक 25 बीडी के मु.न. 54/7 क कि.न. 1, 10, 11, 20 में प्रत्ये कमे 2–2 बिस्वा जो रास्ता खेत दर्ज है को हटाकर विधिवत वादीगण के नाम खातेदार दर्ज किये जायें।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम खिचड़ ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 02 राज्य सरकार की कार्यकारी एजेन्सी के रुप में कार्य करता है जो कि जिला परिषद अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा स्वीकृत बजट राशि से राज्यहित के सार्वजनिक निर्माण कार्य करता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्माण करवायी जा रही खड़वंजा सड़क चक 20 बीडी से कोडेवाला तक अधुरी निर्माण की स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा. वि.प्र) बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक प–10(1) मुख्य/बीएडीपी/2008–09/57–64 दिनांक 06.04.2008 द्वारा स्वीकृत क्षेत्र विकास योजना में जारी की गई है। प्रतिवादी संख्या ने वादगत सड़क का निर्माण राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ता एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार चालु एवं स्वीकृत रास्ता के आधार पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। वादगत चालु रास्ता राष्ट्रीय सीमा की ओर जाता है इसलिए यह सड़क निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

पैरोकारराज ने अपने लिखित जवाब में कथन किया है कि चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा कुल 0.10 बीघा गैरमुमकिन रास्ता कटानशुदा दर्ज है। मौके पर उक्त रास्ते के रकबे पर रामसिंह पुत्र तिलोकराम तथा जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट के द्वारा काश्त किया जा रहा है तथा रास्ता पुर्णत बन्द है। अतः मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20 का शेष रकबा रामसिंह पुत्र तिलोकाराम तथा जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी 25 बीडी के नाम दर्ज तथा इन्हीं का कब्जा है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला के पत्रांक 4154 दिनांक 30. 11.2015 के अनुसार मौके पर उक्त रास्ता बन्द है।

प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/7 के कि. न. 5, 6, 15, 16, 25 में 3–3 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता कटानशुदा दर्ज रिकार्ड है जो मौके पर चालु है। इसी मुरब्बा का कि.न. 1, 10, 11, 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता भी कटानशुदा है जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते के रकबे पर रायसिंह व जगदीश के द्वारा काश्त की जा रही है तथा रास्ता पूर्णत बन्द हैं।

अतः चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20 में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजस्व उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज रिकार्ड करें।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 109/2012

पवन कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 16 बीडी तहसील खाजूवाला
..... वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद
2. राजेन्द्र कुमार } पिसरान सरदाराराम जाति कुम्हार निवासीगण 16 बीडी तहसील
3. ब्रहमा देवी } खाजूवाला
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री सुमेरमल स्वामी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी का मु.न. 115/45 की 24.10 बीघा भूमि में से वादी के नाम बहिस्सा 5/18 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 के नाम बहिस्सा 5/9 व प्रतिवादी नं. 3 के नाम बहिस्सा 1/6 सहकाश्तकार के रुप में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि सह खातेदार के रुप में अंकन है। उक्त खातेदारी भूमि वादी ने वादगत भूमि के पूर्व सहखातेदार शीलादेवी पुत्री सरदाराराम से जरिये बैयनामा खरीद की थी। वरवक्त बैयनामा शीलादेवी ने मु.न. 115/45 के कि.न 1 ता 4, 8 ता 10 की भूमि में बतौर पारिवारिक बंटवारा के सफल काश्त कर रखी थी तथा बैयनामा के समय भी शीला देवी ने कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 की भूमि का कब्जा वादी को सौंपा था जिसकी लिखापढी भी कि थी तथा वादी ने उक्त हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करने लगा जिससे सभी प्रतिवादीगण सहमत थे एवम मुताबिक घरेलू बंटवारा के वादी ने भूमि पर कड़ी मेहनत व काफी खर्चा कर भूमि को उपजाउ व समतल बनाया। रकबा संयुक्त खाता में होने के कारण वादी को सिंचाई पानी की बारी, लगान, आबियाना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि हेतू भारी परेशानी होती है तथा सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ वादी नहीं उठा पाता है। उक्त परेशानी दूर करने हेतू वादी ने पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार बंटवारा कर अलग–2 करने बाबत बार–बार प्रतिवादी नं. 1 ता 3 से कहा परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अतः वादी की भूमि वाके चक 16 बीडी के मु. न. 115/45 की कुल 24.10 बीघा भूमि में से वादी के कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 की कुल 6.03 बीघा भूमि तथा शेष भूमि प्रतिवादी नं. 1 ता 3 जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का घरेलू व पंचायती बंटवारा अनुसार लम्बे समय से कब्जा काश्त है,

का खाता विभाजन कर अलग से वादी के किलो का अंकन राजस्व रिकार्ड में करें तथा अलग–2 लगान वसूल करने की डिक्री फरमावें।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुमेरमल स्वामी अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र धारा 10 वा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के सलंग्न जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर का मु.न. 218/12 व 126/12 की प्रति प्रस्तुत की।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10 वा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि वादी ने मु.न. 115/45 के सह हिस्सेदार खातेदार श्रीमति शीलादेवी से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 01.08.2012 को प्रतिफल अदा कर खरीद किया था तथा कब्जा उक्त दिनांक को ही प्राप्त किया था उक्त बैयनामा व कब्जा हस्तान्तरण के अनुसार पवन कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज कर स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरण के बाद वादी (प्रतिवादी) ने एक कूटरचित इकरारनामा शीलादेवी के नाम का बीकानेर में तैयार किया जिसका मुकदमा शीलादेवी ने एफ.आई.आर. नम्बर 330/12 सदर थाना बीकानेर में दर्ज करवाया जिसका अनुसंधान कर एफ.एस.एल. रिर्पोट का इंतजार है। उक्त कूटरचित इकरारनामा के विर्निर्दिष्ट पालन का वाद वादी (प्रतिवादी) ने पेश किया है जिसका वादी (वादी) के खाता विभाजन के बाद से कोई लेना देना नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित मुकदमा नं. 218/12 तथा वादी के वाद का कॉज ऑफ एक्स अलग–2 है तथा दोनो वाद अलग–अलग विषय हेतु है। वादी (वादी) रिकोर्डेड खातेदार है जो सहखातेदार से अपना खाता विभाजन कि डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है जिसे प्रतिवादी के कूटरचित इकरारनामा के विनिर्दिष्ट पालना के बाद कि आड़ में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादी के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादी का हिस्सा चक 16 बीडी के मु. न. 115/45 कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 कुल 6.03 बीघा भूमि। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा की रिपोर्ट एक माह में पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 103/2013

1. रामगोपाल पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री विनोद भोभरिया अधिवक्ता अवादी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

26.04.2017

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) एवं सुखाधिकार अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी की चक 15 बीडी बी के मु.न. 114/22 के कि.न. 5 में 10 बिस्वा, 6 सालम, 7 में 10 बिस्वा, 13 में 10 बिस्वा, 14 सालम, 15 में 19 बिस्वा, 16 में 4 बिस्वा, 17 में 17 बिस्वा, 18 सालम, 19 में 13 बिस्वा, 20 में 12 बिस्वा, 21 सालम, 22 सालम, 23 में 15 बिस्वा, 24 में 2 बिस्वा कुल तादादी 10.12 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदार शुदा है जिस पर वादी खरीद से लेकर आज तक काबिज कास्त है। मौके पर ढाणी एव मकान बनाकर मयपशुधन रहवास कर रहा है। चक 15 बीडी के मु.न. 114/21 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता खेत पक्की सड़क से कटाण शुदा रास्ता है तथा वादी उक्त रास्ता से होकर मु.न. 114/22 के कि. न. 1, 10, 11, 20 से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षों से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता वादी के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 1–1 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है जिसका उपयोग उपभोग वादी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। मु.न. 114/22 के कि. न. 1, 10, 11, 20 की 8 बिस्वा अवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। जो अक्सर राजनीतिवश रास्ते को लेकर झगड़ा फसाद करता है। जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है

क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। इस कारण वादी के सुखाधिकारों का हनन होता है और अवादी पिछले पांच–सात रोज से रास्ता बंद करने की धमकी दे रहा है। यदि वो रास्ता बंद कर देगा तो वादी को अपनी भूमि एवं ढाणी में आने–जाने एवं कृषि यंत्र व वाहन ले जाने में बड़ी समस्या होगी व उसके हितों पर कुठाराघात होगा जबकि उक्त भूमि के काश्तकार एवं वादी लगभग 20–22 सालों से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे है और यही एकमात्र खेत में जाने का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः चक 15 बीडी के मु.न. 114/22 के कि.न. 1, 10, 11, 20 में उतर से दक्षिण 1–1 बिस्वा में रास्ता स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2015

1. बंशीलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी 3 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 9 डीडब्ल्यूडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

1. राजवीरसिंह पुत्र गमदूरसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.....05.2017

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी के नाम के कृषि भूमि वाके चक नं. 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/50 के कि.न. 1 ता 15 की 15.00 बीघा व मु.न. 69/43 के कि.न. 1 ता 4 व 7 ता 12 की 10.00 बीघा इस प्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 25.00 बीघा कृषि भूमि है। अवादी सं. 1 के नाम से चक 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/43 के कि.न. 5, 6, 13 ता 19 की 9.00 बीघा व मु.न. 69/51 के कि.न. 6, 8 की 2.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 11.00 बीघा कृषि भूमि है। वादी ने अपने रकबा मु.न. 69/43 की 10.00 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अवादी सं. 1 के कि.न. 5 में पूर्व से पश्चिम (उतर दिशा की तरफ) 2 बिस्वा भूमि में रास्ता है तथा उक्त रास्ता पिछले 20 वर्षों से निर्बाध रुप से चला आ रहा है तथा जिसे वादी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अवादी सं. 1 से वादी की अनबन हो गई तो अवादी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में

खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अवादी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ता रिकार्ड में राजवीरसिंह के नाम दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है तथा वादी डी.एल.सी. की दर से राजवीरसिंह को उक्त रास्ते की कीमत अदा करने को तैयार है, अगर न्यायालय कोर्ट में जमा करवाने के आदेश करता है तो वादी कोर्ट में जमा करवाने को तैयार है तथा वादी डी.एल.सी. रेट से मुताबिक अवादी सं. 1 को भूगतान करने को तैयार है। विकल्प रुप में वादी अपनी कृषि भूमि के कि.न. 7 में 2 बिस्वा भूमि अवादी सं. 1 को देने को तैयार है। अतः अवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/43 में कि.न. 5 में 2 बिस्वा पूर्व से पश्चिम (उतर दिशा में) भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अवादी सं. 2 को दिये जावे।

अवादी संख्या 01 राजवीरसिंह ने दिनांक 31.05.2016 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। मैं सोचकर बताउंगा। उक्त दिनांक 31.05.2016 के बाद अवादी राजवीरसिंह के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बंशीलाल को मु.न. 69/43 में आने–जाने के लिए कटानशुदा रास्ता नहीं है। वादी बंशीलाल को उक्त भूमि में आने–जाने के लिए इसी मु. न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है। अवादी दिनांक 31.05. 2016 को उपस्थित आने के बाद आदिनांक तक असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे जाहिर होता है कि वादी को उक्त प्रकरण का ध्यान होते हुए भी उपस्थित नहीं आया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 से इस न्यायालय में विचाराधिन है तथा वादी पक्ष इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण चाहता है क्योंकि उसे अवादी अपने धारण की मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। हमने नक्शे चक प्लान का अवलोकन किया तथा हम वादी के कथन से संतुष्ट है। वादी के द्वारा कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी चाही गई है। यदि वादी अवादी से चिपते हुए किसी किले में इस रास्ते के तुल्य क्षेत्र की अवादी को भूमि देता है तथा लिखित दस्तावेज निर्णय के 30 दिवस में पेश करता है तो भूमि गैर मुमकिन दर्ज नहीं की जावे।

यदि उभय पक्ष 30 दिवस में ऐसा लिखित समझौता प्रस्तुत नहीं करते है तो अवादी की भूमि में से चाहा गया रास्ता दो बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता इस शर्त पर दर्ज किया जावे कि वादी ने दो बिस्वा भूमि के डीएलसी मुल्य से दुगुनी कीमत राजकोष में अमानत मद में जमा करा दी है। यह कार्यवाही आदेश के 30 दिन पुरा होने के बाद प्रभावी होगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा यदि प्रथम भाग की पालना उभय पक्ष द्वारा नही की जाती है तो अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2017

मोहम्मद इसाक पुत्र हुसैनखां कौम मुसलमान साकिन 5 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
निर्णय दिनांक :– 05.2017

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला के पत्रांक 505 दिनांक 20.03.17 से पत्र प्राप्त होने पर अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी द्वारा वर्ष 2001 में जरिये बैयनामा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/52 में 19.00 बीघा व चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 की 17.08 बीघा अनकमांड खरीद कर नामान्तरकरण दर्ज करवाया गया था। चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/52 का ईन्तकाल मुताबिक बैयनामा मोहम्मद इसाक पुत्र श्री हुसैनखां के नाम से सही दर्ज है तथा चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 के 17.08 बीघा अनकमांड का ईन्तकाल गलती से मोहम्मद हुसैन पुत्र इसाकखां के नाम से दर्ज कर दिया गया है। वादी ई.स. 108 को बैयनामा के आधार पर दुरुस्त करवाना चाहता है। वादी ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न बैयनमाा की प्रति, जमाबन्दी की छायाप्रति, नामान्तरकरण की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

तहसीलदार खाजूवाला ने अपने पत्रांक 505 दिनांक 20.03.2017 में अंकित किया है कि चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. की वर्तमान जमाबन्दी में खाना संख्या 27 मु.न. 91/38 तादादी 17.08 बीघा अनकमांड भूमि में मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखां कौम मुसलमान साकिन 3 एमडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा आवेदन पत्र के सलंग्न उप पंजियक खाजूवाला से जारी रजिस्ट्री की छायाप्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम मोहम्मद ईसाक वल्द हुसेनखां जाति मुसलमान है। जबकि ना.स. 108

दिनांक 04.04.2001 में मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखां कौम मुसलमान दर्ज स्वीकृत है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के यह गलती सहवन से हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बेयनामा की प्रति अनुसार वादी मोहम्मद इसाक पुत्र श्री हुसैनखां ने चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 के 17.08 बीघा अनकमांड भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवाया था। सहवन से ना.स. 108 दिनांक 04.04.2001 में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र ईसाकखां दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 के 17.08 बीघा अनकमांड भूमि में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखा के स्थान पर मोहम्मद ईसाक पुत्र श्री हुसैनखां दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 67/2015

विमलादेवी पत्नी रुपाराम जाति मेघवाल साकिन चक 15 केवाईडी हाल चक 14 केएलडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीया

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र बिहारीलाल जाति धानक साकिन चक 14 केएलडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरजू बेवा नाथूराम
3. पप्पु
4. हणमान नांवा
5. मंगलाराम

पिसरान नाथूराम जाति मेघवाल साकिन पांचोता तहसील जिला नागौर।

6. रत्नीदेवी
7. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादीया की ओर से
2. श्री त्रिलोकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयां एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 की सयुंक्त खाते में चक 14 केएलडी ए के मु.न. 73/30 के कि. न. 1 ता 24 तादादी 23.12 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीया का

हिस्सा 11.10 बीघा और प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 07.08 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 4.14 बीघा हिस्सा है और वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने भौतिक और वाहमी बंटवारा कर लिया था जिसमें कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा वादीया के हिस्से में दी गई जिस पर वादीया तब से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनकार सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादीया के उपयोग–उपभोग में है। समय–समय पर समस्त लगान खजानाराज में जमा करवाती रही है। वादीया लम्बे अरसे से जो भूमि घरु बंटवारे में मिली उसी भूमि पर काबिज काश्त है जिसको सुधार पर लाखों रुपये खर्च कर खेती लायक बनाई हैं वादीया ने प्रतिवादीगण से काफी दफा तहसील चलकर खाता तकसीम करवाने हेतू निवेदन किया तो हमेशा बहाने बनाकर टालते गये और वादीया विश्वास कर इन्तजार करती रही। सुधारी हुई भूमि देखकर प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है और वो प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बरगलाकर समस्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 का कि.न. 12/0.16, 19 ता 22 तादादी 4.14 बीघा पर और बाकि 7.08 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जाकाश्त है। अतः खाता विभाजन डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि चक 14 केएलडी ए के मु.न. 73/30 में कि.न. 1 ता 24 तादादी 23. 12 बीघा कमाण्ड में से वादीया की घरु बंटवारे एवं कब्जाकाश्त अनुसार कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा का खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 7 को प्रदान कर अलग से लगान कायमी और रिकार्ड मैन्टेन करने के आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से श्री त्रिलोकसिंह अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा आदिनांक तक कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण पत्रावली पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादीया के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादी का हिस्सा चक 14 केएलडी ए के मु. न. 73/30 में कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा भूमि। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा की रिपोर्ट एक माह में पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 07/2014

शीशपालसिंह पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवासी चक 27 केएनडी तहसील खाजूवाला
..... अपीलांट

बनाम

1. रतनदास पुत्र माणकदास जाति साध निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला।
2. धर्मपाल पुत्र श्री घुड़नाथ जाति जोगी निवासी हमीरबास तहसील राजगढ जिला चुरु।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर
.... रेस्पोडेंट

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री मक्खनसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975

—: निर्णय :— दिनांक :— 2017

यह अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975 में प्रस्तुत की गई है। अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 27 केएनडी के मु.न. 132/32 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 की 20. 00 बीघा अनकमांड भूमि जो अपीलांट को दिनांक 25.03.1992 को जरिये एग्रीमेंट टू सैल विक्रय हुआ था। इकरारनामा सैल है तथा कब्जा इकरारनामा के दिन से अपीलांट को सुपुर्द कर दिया उसी दिन से आज तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का खातेदार रेस्पोडेंट सं. 2 है जिन्होंने बिना कब्जे के भूमि का स्थानान्तरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 18.06.2014 को कर दिया। दिनांक 18.06.

2014 के बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा बिना कब्जे की जांच किये इन्तकाल संख्या 196 स्वीकार किया गया। जैर इंतकाल नं. 196 विदआउट ज्यूरिडिक्शन, न्याय सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। बैयनामा का इंतकाल तहसीलदार रेस्पोडेन्ट नं. 3 द्वारा किया गया है बैयनामा का इंतकाल करने का क्षेत्राधिकार संबंधित पंचायत को ही है बैयनामा दिनांक 18.06.2014 को हुआ है इंतकाल स्वीकार दिनांक 23.06.2014 को हो गया जो ग्राम पंचायत का 45 दिन क्षेत्राधिकार रहता है इस कारण आदेश बिना क्षेत्राधिकार के रहने से काबिल निरस्त के है। इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व लैण्ड रिकार्ड रुल्स नियम 121 की पालना नहीं की गई है इस कारण आदेश काबिल निरस्त के है। मुताबिक लैण्ड रिकार्ड रुल्स व इंतकाल धारा 135 (1) राजस्थान भू अराजस्व के बैयनामा का इंतकाल करने के लिए पहले कब्जे की जांच की जाती है इसके बाद इंतकाल स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। कब्जे की बिना जांच के इंतकाल नं. 196 लैण्ड रिकार्ड रुल्स व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) इंतकाल नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त के है। इंतकाल संख्या 196 दिनांक 23.06.2014 को पटवारी ने भरा है उसी दिन राजस्व राजस्व निरीक्षण ने जांच की है उसी दिन तहसीलदार ने स्वीकार किया है। एक मिटिंग में हुआ इस कारण प्रथम दृष्टया ही इंतकाल नं. 196 काबिल निरस्त के है। पटवारी हल्का व गिरदावर दोनो को पता है कि विक्रेता का भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिए क्रेता को कब्जा नहीं दिया और ना ही दिया जा सकता है। इस तथ्य की जानकारी पटवारी व राजस्व दोनो को होते हुए जानबुझकर तथ्यों को छुपाते हुए इन्तकाल नं. 196 की रचना की जो फरोड की तारीफ में आता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील इंतकाल 196 निरस्त फरमाया जावे अन्य कोई रिलीफ जो न्योचित हो प्रदान की जावे।

पैरोकारराज ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि चक 27 केएनडी का मु.न. 132/32 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 की 20.00 बीघा अनकमांड भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रतनदास पुत्र माणकदास जाति साध निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा पर एडीजे ए बीकानेर के द्वारा स्थगन जारी किया गया है। मौके पर उक्त रकबा खाली है, किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं है। राज्य हित को ध्यान में रखकर निर्णय पारित किया जाए तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

बावजूद सम्मन तामिल के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट इकरारनामा के आधार पर इतंकाल की प्रविष्टि निरस्त करवाना चाहता है। इकरारानामा के आधार पर इंतकाल की प्रविष्टि निरस्त नहीं की जा सकती है। अपीलांट इकरारनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 94/2014

1. बसीया पत्नि स्व. गिरधारीराम
2. कमलादेवी पुत्री स्व. गिरधारीराम
3. प्रेमीदेवी पुत्री स्व. गिरधारीराम
4. किशना पुत्री स्व. गिरधारीराम
5. मुलाराम पुत्र स्व. गिरधारीराम
6. भंवराराम पुत्र स्व. गिरधारीराम

कौम मेघवाल साकिन चक 24 केवाईडी हाल चक 27 केएनडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान।

7. शिवकुमार पुत्र स्व. गिरधारीराम
8. फूलीदेवी पत्नि स्व. हुकमाराम
9. धनराज पुत्र स्व. हुकमाराम
10. भूपेन्द्र पुत्र स्व. हुकमाराम
11. पुजा पुत्री स्व. हुकमाराम

..... वादीगण

बनाम

1. नागरराम पुत्र कुरड़ाराम जाति भामी निवासी सांखू, तहसील राजगढ, जिला चुरु।
2. उप पंजियक, खाजूवाला

3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मक्खनसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी उपरोक्त 20 बीघा कमाण्ड/अनकमांड आवंटित कृषि भूमि का सौदा जरिये विक्रय इकरारनामा वादीगण के पति/पिता/दादा के साथ दिनांक 22.05.1986 को मुबलिग रुपये 60000/– अखरे साठ हजार रुपये में करके वरवक्त विक्रय इकरारनामा 60000/– अखरे साठ हजार रुपये प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के पति/पिता/दादा से बतौर प्रतिफल नगद प्राप्त कर लिए थे तथा शेष कुछ भी बकाया नहीं रहा था। उपरोक्त कृषि भूमि पर वास्तविक व भौतिक कब्जा विक्रय इकरार के समय प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के पति/पिता/दादा को दे दिया था। वादीगण के पति/पिता/दादा ने वादगत भूमि अपने व अपने परिवार के भरण पोषण व जीविकापार्जन के लिए खरीद की थी। वादीगत के पति/पिता/दादा ने उपरोक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से खरीदकर व मौके पर भौतिक कब्जा लेकर उक्त भूमि में आवासीय ढाणी बनाकर मय परिवार आबाद होकर व सुधार कर काश्त करने लगा। वादीगण आजीवन उक्त भूमि को अपने वास्तविक व भौतिक कब्जे में रखते हुए काश्त करते रहे हैं व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते रहे है। वादीगण के पास वादगत भूमि ही भरण पोषण व जीविकोपार्जन का साधन रही है। वादीगत के पति/पिता/दादा ने जरिये इकरारनामा दिनांक 22.05.1986 वाद में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि को खरीदकर इकरारनामा की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि की तमाम आवंटन की किश्तें राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग को आवंटी प्रतिवादी सं. 1 नागरराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से जमा करवाई व उपनिवेशन विभाग ने उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादीगण के खर्चे पर कर दी। किश्त अदायगी की रसीदें व खातेदारी सनद वादीगण के पास है। वादीगण के पति/पिता/दादा की मृत्यू दिनांक 12.03.2014 को हो चुकी है जिसके बाद वादीगण ही उनके जायज वारिस हैं व उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण के पति/पिता/दादा ने मृत्यु से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी लेने के पश्चात् बेयनामा अपने हक में करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा परन्तु बैयनामा करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बैयनामे को टालता रहा व वादीगण के पति/पिता/दादा व वादीगण को उक्त भूमि का बैयनामा कराने का पक्का आश्वासन देता रहा। दिनांक 20.09.2014 को जब वादी सं. 6 प्रतिवादी सं. 1 के पास उनके गांव सांखू गया और प्रतिवादी सं. 1 के इकरारनामे के अनुसार उपरोक्त भूमि का बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाने के लिए कहा तो अन्ततः प्रतिवादी सं. 1 ने वादी नं. 6 को मौतबीरान के रुबरु उपरोक्त भूमि का बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाने से स्पष्ट रुप से इन्कार हो गया। अतः प्रतिवादी सं. 1 वादगत चक 27 केएनडी, तहसील खाजूवाला के मु.न. 152/01 के कि.न. 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमांड/अनकमांड खातेदारीशुदा कृषि भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा न करें, न ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करे, न जबरन भूमि पर कब्जा करे, न किसी अन्य

को कब्जा करावें और न ही भूमि, ढाणी तथा वादी की फसल को खुर्द बुर्द करे, न ही ऐसा कोई अकृत्य या तर्क फेल करे जिससे वादीगण के हक हकूकों व कब्जे काश्त पर वितरीत असर पड़ता हो।

प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा न्यायालय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला का मु.न. 72/14 बसीयादेवी वगै. बनाम नागरराम वगै. की फोटोप्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण अपने पति/पिता/दादा के पक्ष में किये गये इकरारनामा के आधार पर अनुतोष प्राप्त करना चाहते है। वादीगण के पति/पिता/दादा की मृत्यू हो चुकी है। मृतक के पक्ष में किये गये इकरारनामा के आधार पर वादीगण को कोई भी अनुतोष इस न्यायालय से नहीं दिया जा सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। वादीगण इकरारनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 98/2015

लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
निर्णय दिनांक :– 05.2017

यह प्रार्थना पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी के नाम से चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि.न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि राजस्व

अभिलेख में अंकित है। भू–राजस्व अभिलेख में अंकन चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 की 22.04 बीघा में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर अंकित है जबकि वादी का सही नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति निवासी रावतसर है। राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की सलंग्न की है। वादी का नाम में भिन्नता रहने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। अतः चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 की 22.04 बीघा भूमि में लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर अंकन करने के आदेश पारित किये जाकर भू–राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की प्रति अनुसार वादी का नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर है। सहवन से राजस्व रिकार्ड में लूणकरण अंकित हो गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि. न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 53/2016

1. बीरबलराम पुत्र श्री रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ हाल आबाद चक 21 बीडी बी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ जिला बीकनेर।
2. भारुराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ जिला बीकनेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 2/3 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य हो चुका है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9. 06 बीघा भूमि है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एवं शेष भूमि से प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड भूमि है, जिस पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है। दिनांक 11.07.2016 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से अपनी भूमि को विधिक रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमउ क्त भूमि का खाता विभाजन नहीं करवायेगें व लगान भी अलग–अलग नहीं करने देंगे तथा तुम्हारे कब्जाकाश्त व बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड भूमि में से वाद के 1/3 हिस्सा की भूमी चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कमांड कुल तादादी 9.06 बीघा कमांड भूमि जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एंव शेष भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग–अलग दज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग–अलग किया जाये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार कर उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार सहमति दी तथा इसी अनुसार कब्जेकाश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 कानूनी रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा अंकित तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किये है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड में से वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.06 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 25/2017

1. पूरणाराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मोहनलाल जाति सुनार साकिन मिठड़ी तह. लाड़नू जिला नागौर हाल 16 डीडब्ल्यूडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 2/3 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य हो चुका है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9. 06 बीघा भूमि है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एवं शेष भूमि से प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड भूमि है, जिस पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है। दिनांक 11.07.2016 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से अपनी भूमि को विधिक रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमउ क्त भूमि का खाता विभाजन नहीं करवायेगें व लगान भी अलग–अलग नहीं करने देंगे तथा तुम्हारे कब्जाकाश्त व बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड भूमि में से वाद के 1/3 हिस्सा की भूमी चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कमांड कुल तादादी 9.06 बीघा कमांड भूमि जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एंव शेष भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग–अलग दज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग–अलग किया जाये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार कर उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार सहमति दी तथा इसी अनुसार कब्जेकाश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 कानूनी रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा अंकित तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किये है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड में से वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.06 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /2017

बेगराज पुत्र श्री अन्नाराम जाति जाट निवासी 13 क्यू बक्खताना तहसील व जिला गंगानगर हाल निवासी 19 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 2017

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से दिनांक 03.05.17 को अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी द्वारा दिनांक 19.05.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विलेख बैयनामा मनीराम पुत्र जयमलराम जाति मुसलमान ढाडी निवासी 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर से उसकी जमीन मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.16 बीघा कमाण्ड वाके चक 19 बी डी उपनिवेशन तहसील छतरगढ न. 2 हाल तहसील खाजूवाला को खरीद किया था। जिसका बैयनामा बाबत् स्टाम्प वादी ने अपने नाम बेगराज पुत्र अन्नाराम के नाम से खरीदकर बैयनामा निष्पादित किया। बैयनामा के समर्थन में अपने समस्त कागजात बेगराज के नाम से ही प्रस्तुत किये लेकिन बैयनामा टाईप करते समय टंकण मशीन द्वारा सहवन से लिपिकिय त्रुटि के चलते वादी का नाम बेगराज के स्थान पर बेधराज अंकन हो गया। वादी ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न बैयनमाा की प्रति, जमाबन्दी की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किये है। यह कि मुताबिक बैयनामा इन्काल सं. 71 में भी वादी का नाम बेगराज के स्थान पर बेधराज नाम से दर्ज हो गया उसी के मुताबिक जमाबन्दी, गिरदावरी में भी वादी का सही नाम बेगराज अंकित न होकर सहवन लिपिकीय त्रुटि के चलते मुताबिक बैयनामा बेधराज अंकित हो गया। जो कि सहवन लिपिकीय त्रुटि होने के कारण गलत है। वादी को दिनांक 02.05.2017 को इस बात की सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उसका सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सहवन गलती के कारण लिपिकीय त्रुटिवश वादी के सही नाम के स्थान पर गलत नाम बेधराज अंकित हो गया है। मौका पर वादी उक्त भूमि में कब्जा काश्त है लेकिन वादी अशिक्षित व कानूनी प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण राजस्व रिकार्ड के बारे में हमेशा अन्जान रहा। अतः वादी की अपनी स्वयं की उक्त कमाण्ड कृषि भूमि के रिकार्ड में सहवन गलतीवश लिखा गया बेधराज नाम के स्थान पर बेगराज पुत्र अन्नाराम का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, इन्तकाल, गिरदावरी आदि में दर्ज करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बेयनामा की प्रति अनुसार वादी बेगराज पुत्र अन्नाराम ने 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.16 बीघा कमाण्ड भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवाया था। लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, इन्तकाल सं. 71 , गिरदावरी आदि में वादी का नाम बेधराज पुत्र अन्नाराम दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.16 बीघा कमाण्ड भूमि में वादी का नाम बेधराज पुत्र अन्नाराम के स्थान पर बेगराज पुत्र अन्नाराम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/2015

पोलाराम पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला

जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तह. रतनगढ जिला चुरू।
2. करणीसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ जिला चुरू।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 2017

यह वाद पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 92ए, 177 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसका रकबा वाके चक 17 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 116/16 के किला न. 1 ता 17 सालम = 17.00 बीघा कृषि भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 26.06.1990 को बएवज 1,12,000/– रू. अखरे एक लाख बारह हजार रूपये में खरीद की थी, तथा उसी समय सौदा की साई पेटे राशि 97,000/– रूपये अखरे सतानवें हजार रू. प्रतिवादी सं. 1 को अदा कर दिये थे तथा उसी समय उक्त रकबा का कब्जा वादी ने मय पानी पर्ची के प्राप्त कर लिया था। तथा शेष राषि 15,000/– रू. वर–वक्त बैयनामा पर देना तय हुआ था। तथा उक्त रकबा की बकाया समस्त किश्तें वादी द्वारा अदा कर खातेदारी प्राप्त करना तय हुआ था। तथा उक्त रकबा का बैयनामा वादी के पक्ष में वादी की इच्छानुसार करवाने का इकरर हुआ था। उक्त भूमि का कब्जा मौका पर पानी पर्ची सहित इकरारनामा के रोज वादी को सुपुर्द कर दिया था। जिस पर ाज तक वादी का कब्जा काश्त चल रहा है। इकरारनामा की प्रति संलग्न वाद पत्र है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की प्रति अनुसार वादी का नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर है। सहवन से राजस्व रिकार्ड में लूणकरण अंकित हो गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि. न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2017

बलकरण सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. डालूराम, 2. रामनिवास, 3. नन्द किशोर, 4. गुमानी देवी — पुत्र पुत्रियां स्व. चन्द्राराम जाति लुहार साकिन डाबड़ी तह. डीडवाना जिला नागौर
5. उमा देवी, 6. पप्पु — पुत्र पत्नि पन्नाराम जाति लुहार साकिन डाबड़ी तह. डीडवाना जिला नागौर
7. उप–पंजीयक खाजूवाला।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2017

यह प्रार्थना पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। वादी बलकरण सिंह की कृषि भूमि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में 15 बीघा स्थित है जिसके समस्त मालिकाना, काबिजाना हक हकुक वादी को प्राप्त है। वादी के चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में वादी की खातेदारी भूमि के अलावा केवाईएम माईनर गुजरता है जिसका राजस्व रिकार्ड में मु.न. 18/57, 18/58, 18/59 में कटान नहीं है। केवाईएम माईनर व उसके दोनों तरफ वन विभाग के पेड़ लगे है जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन विधिवत होना चाहिये था उक्त माइनर का कटान होने के बाद मामूली भूमि बचती है जिसे वादी स्मालपेच श्रेणी में आंवटन करवाने का अधिकारी है। मु.न. 18/59 में चना, सरसों व गेहुं की फसल खड़ी है। वादी के चक 29 केवाईडी (ए) का मु.न. 18/58 व 18/59 की कोई भूमि अवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम कभी भी आंवटन नहीं की गई थी और ना हीं चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम लुहार की कोई भूमि कभी नहर में अवाप्त हुई है। उक्त चन्द्राराम को फर्जी भूमि अवाप्त होना बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना तहसीलदार के आदेश के मनमर्जी से बिना किसी गिरदावरी नोट के सम्वत 2054 में भूमि अराजीराज चन्द्राराम के नाम गिरदावरी में दर्ज कर दी व फर्जी आवंटन आदेश दिनांक 08.06.87 बताकर इतंकाल संख्या 87 भरकर दिनांक 26.12.95 को स्वीकृत करवा लिया जबकि चन्द्राराम की मृत्यु दिनांक 26.06.91 को हो चुकी थी तो बिना अधिकारिता के फर्जी भूमि अवाप्त बताकर मृत व्यक्ति को कब्जा देना बताकर दर्ज इंतकाल संख्या 87 निष्प्रभावी व फर्जी कूटरचित होना स्वतः स्पष्ट है। वर्तमान में वादी चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में ढाणी व पानी का कुण्ड बनाकर सन 1990 से रहवास व कब्जा काश्त है। लिहाजा सुविधा का सतुंलन वादी के पक्ष में है। यदि अवादीगण कूटरचित आवंटन व प्रविष्टियों के आधार पर वादी को बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अवादीगण की और से जबाब प्रस्तुत हुआ। अवादीगण का कथन है कि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अवादीगण के पिता चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम को आंवटित हुयी तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अवादीगण कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार अवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। वादी तंग और परेशान करने की नियत से स्थगन आदेश की आड़ में उक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है। एक पक्षीय स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाये।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। दस्तावेज के अनुसार अवादीगण के नाम से ही खसरा गिरदावरी मय चन्द्राराम द्वारा काश्त होना बताया गया है। इस प्रकार चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि की काश्त चन्द्राराम की होना खसरा गिरदावरी में अंकित है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी बलकरण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.03.17 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 50/2016

1. सुरजासराम पुत्र निरायणराम जाति सुथार निवासी कानोलाई हाल आबाद चक 6 डी के डी तह. पूगल जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति विशनोई निवासी चक 42 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मनीराम जाखड, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री भीमसिंह एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी

आदेश **दिनांक :– 01.09.2017**

प्रतिवादी ने कथन किया कि चक 42 केवाईडी क मु.न. 121/43 में 13 बीघा भूमि की अपील संख्या 679 व 680 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है। वादगत भूमि की विषयवस्तु पर अपील का निर्णय पारित नहीं हो तब तक वाद में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

वकील वादी ने धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र का

प्रतिवादीगण की और से जबाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण का कथन है कि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अवादीगण के पिता चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम को आंवटित हुयी तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अवादीगण कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में विधिवत प्रकिया के अनुसार अवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। वादी तंग और परेशान करने की नियत से स्थगन आदेश की आड़ में उक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है। एक पक्षीय स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाये।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। दस्तावेज के अनुसार अवादीगण के नाम से ही खसरा गिरदावरी मय चन्द्राराम द्वारा काश्त होना बताया गया

है। इस प्रकार चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि की काश्त चन्द्राराम की होना खसरा गिरदावरी में अंकित है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी बलकरण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.03.17 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2017

मोतीलाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी 3 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 09.2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये बैयनामा चक 1 पीडब्ल्यूएम (ए) के मु.न. 80/03 में 25.00 बीघा भूमि खरीद की जिसको राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के समय प्रार्थी का नाम मोतीलाल की जगह मोतीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो में मोतीलाल नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में पंचायत समिति खाजूवाला के वार्ड न. 12 के डायरेक्टर पूजा रानी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र की प्रतिलिपी प्रस्तुत की। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी मोतीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में मोतीलाल की बजाय मोतीराम अंकित हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2017

1. किशने खां पुत्र पेमे खां जाति ढाढी निवासी चिताणा तहसील नोखा हाल चक .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 09.2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण के नाम से चक 9 एस.एस.एम. के मु.न. 28/30 में 19.19 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय अजीत सिंह के स्थान पर दीपसिंह तथा अर्जून सिंह के स्थान पर अजयपाल सिंह दर्ज हो गया एवं गांव मामड़ोदा की जगह मानरोड़ हो गया। प्रार्थीगण के परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत मामड़ोदा पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किये।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण दीपसिंह व अजयपाल सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अकित होते समय अजीतसिंह का नाम दीपसिंह तथा अर्जून सिंह का नाम अजयपाल सिंह दर्ज हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 31/2017

रामप्यारी पत्नि धन्नाराम जाति जाट निवासी हरदास वाली हाल चक 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

....वादी

बनाम

1. पाना देवी पत्नि श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
2. भंवरलाल पुत्र श्री नरसीराम जाति मेघवाल निवासी 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
3. उपपंजियक खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला

.....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक :– 09.2017

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में वादीनी प्राप्त करने की अधिकारीणीं नहीं है। वादीनी को न्यायालय में वाद पत्र लाने के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्व कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। वादीनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत करवाया कि वाद–पत्र के पैरा न. 6 में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीनी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल हुआ है। जिसके आधार पर वादीनी का वाद न्यायालय में चलने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र में वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि चक 38 के वाई डी के मु.न. 161/21 के कि.न. 1 ता 20 की कुल 19.12 बीघा

कमाण्ड भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि के कि. न. 16 ता 20 की सींव को आगे खिसकाकर कब्जा करने की धमकी दी है जिसको वादीनी द्वारा कॉज ऑफ एक्शन का हक प्रतिवादीगण के विरूद्व हासिल होने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 5, 6, 7 जूलाई 2017 को भू–प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के आदेश क्रमांक 440–449 दिनांक 23.06.2017 की पालना में भू–प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के निरीक्षक चन्द्रभान सोनी एवं उसके द्वारा गठित कमेटी द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया गया जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे।

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि पक्षकारों की वादगत भूमि का सीमाज्ञान संबधित विभाग द्वारा हो चुका है तथा मौके पर निशान दिये जा चुके है। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिग्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक .....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 08/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. देवाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल चक 6 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अधिवक्त प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 2017**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय 06.06.2016 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 08/17 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 28.05.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.06.

2016 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। चूंकि राजपक्ष द्वारा अपने दिनांक 30.11.2011 से भेजे गये वादपत्र के दस्तावेज के अतिरिक्त समुचित रूप से प्रतिवादी को नोटिस तामिल करवाने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी नहीं की गई।

प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 493 दिनांक 17.03.2017 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 6 पीआरएम का मु.न. 56/5 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज दर्ज है मौके पर रकबा खाली है तथा कि.न. 4 ता 7, 13, 14, 19 ता 22 में जगह–जगह गड्ढे खुदे है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 08/17 सरकार बनाम देवाराम रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 6 पीआरएम के ना.स. 188 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 27/2017

1. किशने खां पुत्र पेमे खां जाति ढाढी निवासी चिताणा तहसील नोखा हाल चक 1 एस.एस.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री रोहिताश गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी की और से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
निर्णय दिनांक :– 2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी के नाम से बतौर भूमिहीन सन् 1975 में चक 1 एस.एस.एम. के मु.न. 108/18 में 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि लूम पुख्ता आंवटन हुई तब से लेकर आज तक प्रार्थी व उसका

परिवार उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा है, तथा प्रार्थी के ही कब्जा काश्त में है। प्रार्थी मूल रूप से चिताणा तहसील नोखा जिला बीकानेर का निवासी है एवं प्रार्थी के नाम से समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि किशनेखॉ पुत्र पेमे खां जाति ढाढी के बने हुए है तथा प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिताणा मतदाता सूची 2004 के वार्ड न. 8 के क्रम संख्या 325 पर किशनेखॉ पुत्र पेमे खां के नाम से अंकित है जो कि संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी का कथन है कि चक 1 एस.एस.एम. के मु.न. 108/18 में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र पेमाराम जाति ढाढी निवासी चिताणा दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ जाति ढाढी निवासी चिताणा हाल चक 1 एस.एस.एम. है।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ का नाम राजस्व रिकार्ड में अकित होते समय किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ के स्थान पर किशनाराम पुत्र पेमाराम दर्ज हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

दुलीचन्द पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी 6 एस.जे.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
निर्णय दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 6 एस.जे.एम. के मु.न. 58/13 की कृषि भूमि है। जो प्रार्थी को जरिये विरासतन् दर्ज हुई है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम दुलीचन्द है लेकिन सरपंच द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र में

प्रार्थी का नाम सहवन् से दुलीचन्द के स्थान पर दुलाराम अंकित हो गया, जो गलत है। प्रार्थी उक्त नाम को सही करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दुलाराम के स्थान पर दुलीचन्द करवाना चाहता है। प्रार्थी ने शपथ–पत्र, जायज वारिस प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संलग्न पत्रावली किये है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार योग्य त्रुटि की दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी का नाम दुलाराम की जगह दुलीचन्द दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला, राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

अमरसिंह पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी डाबड़ा छोटा तहसील तारानगर जिला चुरू हाल चक 3 एस.एल.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक वाके 3 एस.एल.एम. के मु.न. 235/61 के कि.न. 1 ता 21 की कुल 21.00 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटन शुदा है। प्रार्थी ने समय–समय पर भूमि की समस्त किश्तें जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 18.08.2017 को ऑनलाईन जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पन्नाराम की जगह पल्लाराम अंकित हैं, जो कि राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पिता के नाम की दुरूस्ती कर पल्लाराम के स्थान पर पन्नाराम की जाती है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

तारूराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी ने कथन किया है कि चक 39 केजेडी के मु.न. 48/16 में 21 बीघा पुख्ता आवंटित खातेदारी भूमि प्रार्थी तारूराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल के नाम से है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होते समय प्रार्थी के पिता का नाम तथा जाति का सही अंकन नहीं हुआ। जो काबिले दुरूस्तनीय हैं। प्रार्थी ने कथन किया है कि आवंटन आदेश, चालान में प्रार्थी की जाति मेघवाल दर्ज है जबकि खातेदारी सनद में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज कर दी गई है इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का सही नाम गेनाराम है जबकि आवंटन आदेश व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञानाराम दर्ज कर दिया गया है जो काबिले दुरूस्तनीय है। इस संबध में प्रार्थी ने नकल आवंटन आदेश, चालान, खातेदारी, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी कल्याणसर, राशन कार्ड व परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तारूराम के पिता के नाम व जाति की दुरूस्ती कर ज्ञानाराम के स्थान पर गेनाराम व जाति जाट के स्थान पर मेघवाल की जाती है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

क्लै सिंह पुत्र श्री दानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चुरू
.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक 21 केएलडी के मु.न. 57/11 में 14 बीघा अ.क. खातेदारी कृषि भूमि पुख्ता आंवटन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने कथन किया है कि सम्वत 2063 से पूर्व उपनिवेशन विभाग की गिरदावर में प्रार्थी का सही नाम क्लै सिंह ही दर्ज था। लेकिन सम्वत 2063 के बाद उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम फलेल सिंह दर्ज हो गया जो की गलत है प्रार्थी का सही नाम क्लै सिंह है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आंवटन आदेश की प्रतिलिपि, आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, शपथ–पत्र, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, एवं रिकार्ड होल्डर तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी नाम फलेल सिंह के स्थान पर क्लै सिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मिलखराज पुत्र श्री रावतराम जाति नायक निवासी 1 केजेडी(बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 1 केजेडी(बी) का मु.न. 100/6 के कुल 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने उक्त भूमि एमजीबी बैंक शाखा खाजूवाला के अधीन रहन पर रखी थी। एमजीबी बैंक शाखा खाजूवाला ने प्रार्थी को 24.07.12 को रहननामा 6(1) जारी कर दिया था। जिसका पंजीयक, उप पंजीयक खाजूवाला के यहां दिनांक 24.07.12 को पु. स. 1, जि.स. 111, पृ.स.77 क्र.स. 2012001877 को पंजीबद्व होने के पश्चात पटवारी हल्का को प्राप्त हुआ। जिसको पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 125 के अन्तर्गत उक्त रहननामा को दर्ज किया जो कि दर्ज करते समय सहवन से एमजीबी शाखा खाजूवाला के स्थान पर एसबीबीजे शाखा खाजूवाला दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थी की जमाबन्दी में भी एसबीबीजे शाखा खाजूवाला दर्ज हो गया जो कि गलत है। इस संबध में प्रार्थी ने एमजीबी शाखा खाजूवाला द्वारा जारी 6(1) व जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 1 केजेडी (बी) की 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का रहननामा एसबीबीजे शाखा खाजूवाला के स्थान पर एमजीबी शाखा खाजूवाला दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनीण हाल चक 13 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम बतौर भूमिहीन सन् 1982 में चक 13 केएलडी के मु.न. 75/33 के 02.16 बीघा, 75/25 के 01.18 बीघा व 75/34 के 22 बीघा कुल 26.14 बीघा कृषि भूमि का आवंटन हुआ है जिस पर प्रार्थी आज तक काबिज काश्त है। प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी के उक्त रकबा का राजस्व रिकार्ड में शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मानिवा तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक निवास स्थान भनीण तहसील तारानगर है जैसा कि सैल रजिस्टर में शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चुरू दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का वास्तविक निवास स्थान भनीण होने के कारण राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान में निवासी मनिवा की जगह भनीण तहसील तारानगर की दुरूस्ती करवाना चाहता है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आवंटन आदेश, आधार कार्ड, जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि चक 13 केएलडी के मु.न. 75/33 के 02.16 बीघा, 75/25 के 01.18 बीघा व 75/34 के 22 बीघा कुल 26.14 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी के निवास स्थान में मानिवा के स्थान पर भनीण करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/12.03.2018

अमनदीप सिंह, पवनदीप सिंह पुत्रगण नाजम सिंह जाति नाई सिख निवासी 10 के.वाई. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम चक 10 के.वाई.डी. (बी) के मु.न. 137/60 में 23.10 बीघा कृषि भूमि जरिये दादा की वसीयत से प्राप्त है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अमनदीप व पवनदीप पुत्रगण नाजम सिंह अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीगण का सही नाम अमनदीप सिंह व पवनदीप सिंह है। इस संबध में प्रार्थीगण ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की भूमि 10 के. वाई.डी. (बी) के मु.न. 137/60 में 23.10 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम अमनदीप के स्थान पर अमनदीप सिंह व पवनदीप के स्थान पर पवनदीप सिंह करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मीरा देवी पत्नि किशनाराम पुत्री बीरबलराम जाति जाट साकिन 33 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम चक 33 के.वाई.डी. (ए) के मु.न. 201/17 में 25.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी के पिता के नाम में बीरबलराम के स्थान पर बीरजाराम सिंह अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीनी के पिता का सही नाम बीरबलराम है। इस संबध में प्रार्थीनी ने आंवटन पट्टा की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीनी की भूमि वाके चक 33 के.वाई.डी. (ए) के मु.न. 201/17 में 25.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता का नाम बीरजाराम के स्थान पर बीरबलराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/18

मेघराज पुत्र हरीनन्द जाति अरोड़ा साकिन वार्ड न. 19 खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 21 बीडी (बी) के मु.न. 75/52 में 17.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में मेघराज के स्थान पर मेघाराम अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम मेघराज है। इस संबध में प्रार्थी ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत खाजूवाला की रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 21 बीडी (बी) के मु.न. 75/52 में 17.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मेघाराम के स्थान पर मेघराज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 33/2018

केदार प्रसाद पुत्र हजारीमल जाति ब्राहम्ण साकिन 41 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 41 केवाईडी (ए) के मु.न. 121/64 में 19.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में केदार प्रसाद के स्थान पर केदारनाथ अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम केदार प्रसाद है। इस संबध में प्रार्थी ने वोटर आईडी कार्ड व भूमि की जोत की पास–बुल की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 41 केवाईडी (ए) के मु.न. 121/64 में 19.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम केदारनाथ के स्थान पर केदार प्रसाद करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांकः—एसडीओ / खाजू / रीडर / 18 / दिनांकः—

संशोधन आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी रामलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साकिन देशनोक तहसील बीकानेर के नाम से चक 36 केवाईडी के मु.न. 182 / 9, 182 / 17, 182 / 25 में तादादी 39.09 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी ने एसबीआई खाजूवाला के पक्ष में बन्धक कर केसीसी का ऋण प्राप्त किया था जिसमें रहन का नामान्तरण भी तत्कालीक बैंक एसबीबीजे शाखा (वर्तमान एसबीआई) खाजूवाला के पक्ष में दर्ज है लेकिन सहवनवश जमाबन्दी में एसबीआई बैंक के स्थान पर एमजीबी ग्रामीण बैंक अंकित है जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है।

अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक जमाबन्दी में रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक के स्थान पर एसबीआई बैंक शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकः—सम / दिनांकः—

प्रतिलिपीः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रार्थी रामलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साकिन देशनोक तहसील बीकानेर।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 68/2017

रामूराम पुत्र तिलोकाराम जाति कुम्हार निवासी 5 पीबी, पहलवान का बेरा हाल चक 15 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 15 पी.बी. के मु.न. 229/59 में 20.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में रामूराम के स्थान पर रामचन्द्र अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम रामूराम है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास व ग्रांम पंचायत 2 एडीएम के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला के अनापति प्रमाण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 15 पी.बी. के मु.न. 229/59 में 20.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामूराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांकः—एसडीओ / खाजू / रीडर / 18 / दिनांकः—

संशोधन आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी इब्राहीम पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान साकिन सियासर चौगान तह. खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से चक 1 एएलएम के मु.न. 163 / 22 में तादादी 25.00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी खातेदारी सनद प्रार्थी को 04.01.2008 को जारी की गयी। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि का मु.न. 163 / 22 है जबकि प्रार्थी को जारी खातेदारी सनद में मु.न. 163 / 21 अंकित है। जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है।

अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक खातेदारी सनद मे अकित मु.न. 163 / 21 के स्थान पर 163 / 22 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकः—सम / दिनांकः—

प्रतिलिपीः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रार्थी इब्राहीम पुत्र करीमबक्श साकिन सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2018

कुम्भाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 3 एस.एस.एम. (ए) के मु.न. 217/3 में 08.15 बीघा कृषि भूमि क्रय की थी जिसका नामान्तरण संख्या 188 दर्ज किया गया था। जिसमें प्रार्थी खातेदार दर्ज है परन्तु सहवन से जमाबन्दी में खातेदार दर्ज नहीं हुआ। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम धारित कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 188 अनुसार जमाबन्दी में खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे। इस संबध में प्रार्थी ने जमाबन्दी, सीएडी रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 3 एस.एस.एम. (ए) के मु.न. 217/3 में 08.15 बीघा कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 188 अनुसार जमाबन्दी में खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 50/2018

1 रामलाल पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल साकिन 1 पीएचएम (बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 हीरालाल पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल साकिन 1 पीएचएम (बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 में 08.15 बीघा कृषि भूमि रामलाल माता गोरा पत्नि रतनाराम जाति मेघवाल तथा चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 मे 08.15 बीघा कृषि भूमि हीरालाल माता गोरा पत्नि रतनाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम के साथ प्रार्थीगण की माता गोरा का नाम अंकित है चूकिं प्रार्थीगण की माता का देहान्त 25.09.2012 को गया है अतः प्रार्थीगण उक्त रिकार्ड में अपने नाम के साथ अंकित माता गोरा का नाम हटवाना चाहते है। इस संबध में प्रार्थीगण ने जायज वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की भूमि वाके चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 में 17.10 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम के साथ अंकित माता गोरा के नाम को हटाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

भीमसैन गोदारा पुत्र श्री कृष्णलाल गोदारा जाति जाट साकिन 23 बी.डी. (बी) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 23 बी.डी. (बी) के मु.न. 74/15 में 07.16 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में भीम सैन गोदारा के स्थान पर भीम अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम भीम सैन गोदरा है। इस संबध में प्रार्थी ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला के अनापति प्रमाण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 23 बी.डी. (बी) के मु.न. 74/15 में 07.16 बीघा कृषि भूमि दर्ज में प्रार्थी का नाम भीम के स्थान पर भीम सैन गोदारा करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

सोहनराम पुत्र रामूराम जाति जाट साकिन खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चुरू।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 35 केजेडी (ए) के मु.न. 128/1 में 20 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र रामूराम साकिन खण्डवा पट्टा पीथीसर तह. व जिला चुरू अंकित है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र रामूराम साकिन सान्डवा पट्टा तह. व जिला चुरू अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल है तथा प्रार्थी के गांव का सही नाम खण्डवा पट्टा तह. व जिला चुरू है। इस संबध में प्रार्थी ने आंवटन आदेश की प्रति, समस्त जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 35 केजेडी (ए) के मु.न. 128/1 में 20 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोहनराम तथा प्रार्थी के गांव का नाम सान्डवा पट्टा के स्थान पर खण्डवा पट्टा, पीथीसर तह. व जिला चुरू करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

सोमारी देवी पत्नि मानाराम जाति मेघवाल साकिन 16 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के पति मानाराम का देहान्त दिनांक 05.2.2018 को होने के पश्चात ग्राम पंचायत आनन्दगढ द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया के पति के नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक 16 केएलडी के मु.न. 54/12, 54/20 की 13.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि का विरास्तन इन्तकाल ना.स. 62 दिनांक 20.08.18 में सोनारी देवी पत्नि मानाराम, बेबी, काली, रावलराम, भमली, विमला पुत्र–पुत्रीयां मानाराम जाति मेघवाल साकिन 16 केएलडी आनन्दगढ तह. खाजूवाला के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ। जिसमें सहवन से प्रार्थीया का नाम सोमारी देवी के स्थान सोनारी देवी अंकित हो गया जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीया का सही नाम सोमारी देवी है। इस संबध में प्रार्थीया ने ग्राम पचांयत आनन्दगढ द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड की प्रति व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की भूमि वाके चक 16 केएलडी के मु.न. 54/12, 54/20 की 13.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम सोनारी देवी के स्थान

पर सोमारी देवी करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मैना देवी पुत्री गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर जिला चुरू।

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के भाई श्रीराम की मृत्यु दिनांक 21.08.99 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति नायक साकिन तारागनर जिला चुरू के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति खटीक के स्थान पर नायक अंकित हो गयी जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्रार्थीया ने आवंटन आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रति तथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर की भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति में नायक के स्थान पर खटीक करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मैना देवी पुत्री गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर जिला चुरू।

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के भाई श्रीराम की मृत्यु दिनांक 21.08.99 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति नायक साकिन तारागनर जिला चुरू के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति खटीक के स्थान पर नायक अंकित हो गयी जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्रार्थीया ने आवंटन आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रति तथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर की भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति में नायक के स्थान पर खटीक करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक .....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

किशनलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति छिम्पा निवासी 1 एचडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 30.01.2019**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी किशनलाल पुत्र भागीरथ जाति छिम्पा के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 एचडब्ल्यूएम के मु.न. 225/61 के कि.न. 6 ता 15 की 10.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम किशनलाल के स्थान पर कृष्णलाल जाति छिम्पा अंकित हो गया जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्राथी ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी किशनलाल पुत्र भागीरथ जाति छिम्पा के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 एचडब्ल्यूएम के मु.न. 225/61 के कि.न. 6 ता 15 की 10.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कृष्णलाल के स्थान पर किशनलाल करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

50 / 17

रोशनी पुत्री बीरबलराम पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

वादी अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह उपस्थित।
प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजवूाला उपस्थित।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 22.02.2019

* वादीया द्वारा वाद पत्र जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि चक 1 पीएचएम–ए के मुरब्बा न. 177 / 14 के कि.न. 1 ता 25 की 24.00 बीघा भूमि खातेदारीशुदा है। वादीया का कथन है उसकी कृषि भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 22 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 21 में 4 बिस्वा कुल 01.00 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में दर्ज गैरमुमकिन रास्ता कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा मौके पर किसी प्रकार से काम में नहीं आ रही है ओर न ही इस रास्ते की आवश्यकता है व न ही रास्ते मौके पर चालू है। इसलिये कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ते को निरस्त किया जावे।

* वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को तलब किया गया व मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जमाबन्दी अनुसार आस–पास के मुरब्बों कीं किलावार कैफियत दर्शायी गयी है। वाद पत्र के खंडन में स्टेट द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ओर न ही वाद पत्र को पूर्णतः अस्वीकार किया गया। इसलिये वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद–पत्र को आदेश–12 नियम 6 सीपीसी के अनुसरण में इसी स्टेज पर निर्णय फरमाया जावे। वादीया के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार फरमाया गया।

* हमने रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

* उपनिवेशन क्षेत्र में नियमों में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) में रास्ते के सृजन के प्रावधान है। उक्त सृजन जन–सामान्य व सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता है। उपनिवेशन क्षेत्रों में चक प्लान अनुसार दो–दो मुरब्बे छोड़कर किला वाईज किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं 21 ता 25 में रास्ते कायम किये हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 251–ए में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्यनजर खातेदार की जोत में से होकर रास्ता देने के किमतन प्रावधान है।

* राज्य सरकार की अधिसूचना 3(ख)12 3(ख)12/राज./कोलो./13, दिनांक 08.11.1973 के अनुसरण में सम्बधित उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कॉलोनी कंडीशन्स 1955 की शर्त 8(2) के तहत रास्तों के सृजन के लिये अधिकृत है। दौलतराम बनाम राजस्थान राज्य, 1988 RDD 699 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी न केवल रास्ते के अधिकार का सृजन करने के लिये सक्षम है अपितु उसे परिवर्तित या निरस्त भी कर सकते है। इसी प्रकार रामरख बनाम दौलतराम, 1992 RDD 340 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि कायम रास्ता निरस्त किया जा सकता है तथापि उन काश्तकारों को जिनकी अभिधृति से होकर रास्ता जाता है ; सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जाए।

* हस्तगत प्रकरण में समस्त चिपते मुरब्बों जैसे 177/5, 177/6, 177/7, 177/13, 177/15, 177/22, 177/23, 177/21 आदि के काश्तकारों के लिये रास्ते पूर्व से ही कायम है। अतः इस प्रकरण में चिपते काश्तकारों को उनके रास्ते की कोई परेशानी को सुनना आवश्यक नहीं है।

* लिहाजा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके व रिकॉर्ड अनुसार कायम रास्ते की अनुपयोगिता के मध्यनजर चक 1 पीएचएम–ए के मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड रास्ते की प्रविष्टि को विलोपित कर रकबा राज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को एतद्द्वारा दिये जाते है।

* तहसीलदार राजस्व खाजूवाला उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेना सुनिश्चित करे। डिग्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

50 / 17

रोशनी पुत्री बीरबलराम पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

वादी अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह उपस्थित।
प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजवूाला उपस्थित।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 22.02.2019

* वादीया द्वारा वाद पत्र जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि चक 1 पीएचएम–ए के मुरब्बा न. 177 / 14 के कि.न. 1 ता 25 की 24.00 बीघा भूमि खातेदारीशुदा है। वादीया का कथन है उसकी कृषि भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 22 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 21 में 4 बिस्वा कुल 01.00 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में दर्ज गैरमुमकिन रास्ता कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा मौके पर किसी प्रकार से काम में नहीं आ रही है ओर न ही इस रास्ते की आवश्यकता है व न ही रास्ते मौके पर चालू है। इसलिये कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ते को निरस्त किया जावे।

* वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को तलब किया गया परन्तु वाद प्रस्तुत के 2 वर्ष हो गये लेकिन तहसीलदार खाजूवाला द्वारा आज तक उक्त वादपत्र में जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये प्रतिवादी स्टेट का जबाब बन्द किया जाता है तथा वादीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को वादपत्र के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिये वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद–पत्र को आदेश–6 नियम 12 सीपीसी के अनुसरण में इसी स्टेज पर निर्णय फरमाया जावे। वादीया के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार फरमाया गया।

* हमने रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

* उपनिवेशन क्षेत्र में नियमों में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) में रास्ते के सृजन के प्रावधान है। उक्त सृजन जन–सामान्य व सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता है। उपनिवेशन क्षेत्रों में चक प्लान अनुसार दो–दो मुरब्बे छोड़कर किला वाईज किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं 21 ता 25 में रास्ते कायम किये हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 251–ए में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्यनजर खातेदार की जोत में से होकर रास्ता देने के किमतन प्रावधान है।

* राज्य सरकार की अधिसूचना 3(ख)12 3(ख)12/राज./कोलो./13, दिनांक 08.11.1973 के अनुसरण में सम्बधित उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कॉलोनी कंडीशन्स 1955 की शर्त 8(2) के तहत रास्तों के सृजन के लिये अधिकृत है। दौलतराम बनाम राजस्थान राज्य, 1988 RDD 699 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी न केवल रास्ते के अधिकार का सृजन करने के लिये सक्षम है अपितु उसे परिवर्तित या निरस्त भी कर सकते है। इसी प्रकार रामरख बनाम दौलतराम, 1992 RDD 340 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि कायम रास्ता निरस्त किया जा सकता है तथापि उन काश्तकारों को जिनकी अभिधृति से होकर रास्ता जाता है ; सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जाए।

* हस्तगत प्रकरण में समस्त चिपते मुरब्बों जैसे 177/5, 177/6, 177/7, 177/13, 177/15, 177/22, 177/23, 177/21 आदि के काश्तकारों के लिये रास्ते पूर्व से ही कायम है। अतः इस प्रकरण में चिपते काश्तकारों को उनके रास्ते की कोई परेशानी को सुनना आवश्यक नहीं है।

* लिहाजा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके व रिकॉर्ड अनुसार कायम रास्ते की अनुपयोगिता के मध्यनजर चक 1 पीएचएम–ए के मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड रास्ते की प्रविष्टि को विलोपित कर रकबा राज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को एतद्द्वारा दिये जाते है।

* तहसीलदार राजस्व खाजूवाला उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेना सुनिश्चित करे। डिग्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

रोशनी बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

जबाब दावा

श्रीमान जी,

प्रतिवादी का जबाब निम्न प्रकार है–

1. वाद –पत्र का पैरा संख्या 1 स्वीकार है
2. वाद–पत्र का पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है
3. वाद–पत्र का पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है
4. वाद–पत्र का पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य वादगत मुरब्बा नम्बर 177/14 के कि.न. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू नहीं होने तक स्वीकार है बाकी तथ्य अस्वीकार है।
5. वाद–पत्र का पैरा संख्या 5 में वर्णित तथ्य मुरब्बा नम्बर 177/6, 22, 30, 38 में प्रत्येक के कि.न. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू नहीं होने तक स्वीकार है बाकी तथ्य अस्वीकार है।
6. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
7. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
8. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
9. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 9 में वर्णित तथ्य कानूनी है।

विशेष कथन

10. यह कि चक 1 पीएचएम ए का मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर चालु नहीं है। यदि राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो वादगत गैरमुमकिन रास्ते की भूमि को राज्य हितों को ध्यान में रखते हुये अराजीराज दर्ज किया जावे।

अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर श्रीमान जी से अर्ज है कि प्रतिवादी का जबाब स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी

तहसीलदार राजस्व
खाजूवाला।

सत्यापन

मै प्रतिवादी जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है जबाब दावा के पैरा संख्या 1 ता 10 में

वर्णित तमाम तथ्य रिकार्ड की जानकारी
से सही व सत्य होना सत्यापित करता हुं।
यह सत्यापन आज दिनांक
को बमुकाम खाजूवाला में किया है।

बअदालत उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

रोशनी बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

शपथ पत्र

मनके सुरजभान बिश्नोई पुत्र श्री जाति बिश्नोई वर्तमान में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर के पद पर कार्यरत हूं जो निम्नलिखित तथ्य शपथपूर्वक बयान करता हूं।

1. यह कि जबाब दावा की पैरा संख्या 1 ता 10 में वर्णित तथ्य अपनी जानकारी व ज्ञान से सही–सही लिखे है।
2. यह कि शपथ पत्र को जबाब दावा का अभिन्न अंग एंव भाग पढा तथा समझा जावे।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मैने अपनी निजी जानकारी व ज्ञान से सही–सही लिखा है कुछ भी घटाया अथवा बढाया नहीं है।

शपथग्रहिता

तहसीलदार राजस्व
खाजूवाला।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

चन्दूराम पुत्र कुशालराम जाति जाट साकिन शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी चन्दूराम पुत्र कुशालराम के नाम से चक 4 केएचएम के मु.न. 136/55 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन में आंवटित हुई थी। आंवटन आदेश चन्दू पुत्र कुशलाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का पूरा नाम चन्दूराम व पिता का नाम कुशालराम है। इस संबध में प्राथी ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रार्थी चन्दूराम पुत्र कुशालराम जाति जाट निवासी शेरपूरा तहसील लूणकरणसर के नाम से चक 4 केएचएम के मु.न. 136/55 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम चन्दू पुत्र कुशालाराम के स्थान पर चन्दूराम पुत्र कुशालराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

दर्शन सिंह पुत्र श्री बुड़ सिंह जाति जटसिख साकिन 19 केजडी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व उसके सहिस्सेदारों के नाम से चक 19 केजेडी 'बी' के मु.न. 24/63 के कि.न. 1 ता 3 व 6 ता 25 में कुल 23.00 बीघा क./अ.क. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 29.10.91 को निरजन सिंह, अजायब सिंह, सुच्चा सिंह, दर्शन सिंह पिसरान बुड़ सिंह जाति जटसिख सा. 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हुयी थी। जिसका नामा. स. 6 दिनांक 25.04.92 को स्वीकृतशुदा है जिसमे निरजन सिंह, अजायब सिंह, सुच्चा सिंह, दर्शन सिंह पिसरान बुड़ सिंह जाति जटसिख सा. 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। तदअनुसार प्रार्थी का नाम लगातार जब तक आधार जमाबन्दी बनी तब तक राजस्व रिकार्ड में चला परन्तु सम्वत 2063–66 से जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पिछे छुट गया जिससे वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी दर्शन सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का नाम उक्त खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस संबध में प्राथी ने पंजीयन की प्रतिलिपी व समस्त जमाबन्दी की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी दर्शन सिंह पुत्र बुड़ सिंह साकिन 15 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का नाम उक्त कृषि भूमि वाके चक 19 केजेडी 'बी' के मु.न. 24/63 के कि.न. 1 ता 3 व 6 ता 25 में कुल 23.00 बीघा क./अ.क. में बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मोकम खां पुत्र हाजी मोती खां जाति मुसलमान साकिन चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
आदेश दिनांक :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने दिनांक 17/05/1991 को चक 15 केवाईडी के मु.न. 117/58, 117/59, 117/51, 137/3 में कुल 25 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि जरिये बैयनाम अपनी पुत्रियों भाखा खातुन, जुले खां, जवाई खातुन, मरियम खातुन, फता खातुन, गावर खातुन के नाम से मांगीलाल पुत्र सुल्तान जाति छिम्पा से करवाई गई थी। लेकिन उस समय नाम उच्चारण में गलती रहने से उक्त सभी पुत्रियों के नाम में सहवन से गलती रह गई जिसमें भाखा खातुन के स्थान पर बाखा, जुलेखा खातुन के स्थान पर जुले खां, जवाई खातुन के स्थान पर अल्ला जवाई, मरियम खातुन के स्थान पर हुरमन खातुन, फता खातुन के स्थान पर पता खातुन, गावर खातुन के स्थान पर जनत खातुन दर्ज रिकार्ड हो गयी। जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है। इस संबध में प्राथी ने पंजीयन की प्रतिलिपी, जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की पुत्रियों के नाम में बाखा के स्थान पर भाखा खातुन, जुले खां के स्थान पर जुलेखा खातुन, अल्ला जवाई के स्थान पर जवाई खातुन, हुरमन खातुन के स्थान पर मरियम खातुन, पता खातुन के स्थान पर फता खातुन, जनत खातुन के स्थान पर गावर खातुन दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

भवानी सिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।

..... अपीलांट

बनाम

1. इन्द्र सिंह पुत्र अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ग्राम पंचायत सरपंच माधोडिग्गी खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975

—: निर्णय :— दिनांक :— 2019

अपीलांट भवानी सिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक जिला बीकानेर ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम से चक 20 पीकेडी के मु.न. 183/29 का कि.न. 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि कमाण्ड खातेदारी थी जिसमें से अपीलांट ने 12.05 बीघा भूमि का दान पत्र दिनांक 20.02.2017 को बड़े भाई इन्द्रसिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण निवासी देशनोक तह. व जिला बीकानेर के पक्ष में करवा दिया था। जिसका इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया। अपीलांट ने निवेदन किया है कि पटवारी द्वारा दर्ज इन्तकाल सं. 62 जो कि सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज रिकार्ड हो गया को दुरूस्त करवाना चाहता है। इस संबध में अपीलांट द्वारा दान—पत्र की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात दान—पत्र, इन्तकाल आदि का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा किये गये दान—पत्र का इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज हो गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा चक 20 पीकेडी के मु.न. 183/29 की कृषि का इन्तकाल संख्या 62 निरस्त किया जाकर दान—पत्र दिनांक 20.02.2017 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक .....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 30/2018

शीशपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द जाति जाट निवासी 6 सी. जेएनवी कॉलोनी बीकानेर हॉल आबाद चक 2 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ जिला चुरू।
2. बाबु सिंह } पुत्रगण मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 25 केवाईडी
3. मलकीत सिंह } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजियक खाजूवाला
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला

.....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक :– .....

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया गया है। चूंकि वादगत अभिवचन व अनुतोष ईकरारनामा से संबधित है तथा एक खातेदार के खिलाफ इस प्रकार का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं चल सकता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में लिखा कि उक्त विषयवस्तु बाबत पूर्व में भी माननीय न्यायालय में वाद खारिज हो चुका है तथा जिस इकरारनामा के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है उसके इकरारकर्ता हेमराज का वाद माननीय उच्चतम न्यायालय से खारिज हो चुका है। अतः उक्त करार का कोई औचित्य नहीं है। उक्त वाद सारहीन व महज परेशान की नियत से किया गया है जो कि खारिज योग्य है। जिसके आधार पर वादी का वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र में वादी के अधिवक्ता सीताराम खीचड़ ने बताया कि हेमराज पुत्र श्री हरचन्द ने जरिये इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 26.02.1991 को चक 2 केवाईएम के मु.न. 236/40 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि खरीद की थी ओर उससे वादी ने दिनांक 12.10.2018 को जरिये इकरारनामा खरीद की थी। चूकिं अब दिनांक 13.10.18 को उक्त वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण आये और बेदखल करने की धमकी दी तो वाद पेश कर वादी के नाम रेगुलाईज करने का अनुतोष मांगा गया। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न निर्णयों का अवलोकन किया गया। जिसमें हेमराज का सिविल वाद अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.02.2005 को खारिज किया गया उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2006 से दावा खारिज किया गया

ओर तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 27.09.2018 को हेमराज की अपील खारिज कर दी ओर उसके बाद बावजूद जानकारी हेमराज ने उक्त भूमि का करार वादी के साथ दिनांक 12.10.2018 को किया। जो कानूनन सही नहीं था।

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि उक्त वाद भूमि बेचान से संबधित है ओर इकरारनामा से अनुतोष लेने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति उक्त वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुये प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिग्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व सुखाधिकार अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है और चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है।

प्रार्थीगण का कथन है कि चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों स`चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर

ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है। इस प्रकार रास्ता कटान का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. प्रकरण संख्या 02/19 के साथ सुनवाई में लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थीगण के नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा साथ ही अप्रार्थीगण का लिखित करार भी पेश किया गया है। जिससे यह तो साफ ही जाहिर है कि रास्ते के लिये भूमि पर मालिकाना हक छोड़ दिया था। उक्त करार पर तत्कालीन सरपंच व मौजूद गवाहों के भी हस्ताक्षर है तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं दिनांक को मौका मुआयना किया तो पाया कि मौके पर रास्ता उपरोक्तानुसार चलायमान है। मु. न. 98/58 के कि.न. 5 में सरकारी विद्यालय भी बना हुआ है जिसका उक्त मुख्य द्वारा उक्त सड़क पर है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि उक्त रास्ता 20–25 वर्षों से चल रहा है जिससे आस–पास की ढाणियों के वासीन्दों व 2–3 चकों के काश्तकारों का मुख्य पक्की सड़क पर आने का एकमात्र यही रास्ता है। रास्ता मौके पर आवागमन के लिये चल रहा है इसकी जानकारी रहते हुये भी अप्रार्थी ने एक वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. (02/19) पेश किया तो प्रार्थीगण ने जबाब के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड

में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06. 2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 ता 4 व 6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 5 में घुमाव 4 बिस्वा रास्ता चालु खरंवजा सड़क पूर्व से पश्चिम व कि. न. 5, 6 में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन ओडकी हाल आबाद चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री भूपेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 98/58 के कि.न. 2 ता 9 सालम कि.न. 12 में 09 बिस्वा, कि.न. 13 ता 15, 17, 18 सालम, कि.न. 23 में 08 बिस्वा कुल 12.11 बीघा कमाण्उ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जिस पर प्रार्थी लम्बे अर्से से ढाणी बनाकर सपरिवार रह रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होने एक साथ मिलकर दिनांक 30.09.2018 को प्रार्थी के रकबा के कि.न. 2 ता 5 में अनाधिकृत प्रवेश कर, खड़ी फसल को नष्ट कर जेसीबी मशीन से भूमि में खड्डे कर मिट्टी डालने लग गये तथा जबरन रास्ता बनाने लगे। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत व चालु रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की तरफ से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है। जिसमें आने–जाने के लिये प्रार्थी व उसके भाई के खेत चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 से जाना पड़ता है जो पक्की सड़क के लगता है। जिस पर 30–35 वर्षो से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी ने 2001 में उक्त भूमि मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि. न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है तथा उस पर विद्यालय भी बना हुआ है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को संकरा कर दिया है। जबकि डामर सड़क 14–15 फिट मय बरम बन रही है। बेवजह प्रार्थी विवाद खड़ा कर रहा है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि तक की खातेदारी अधिकारों का अवसान 2001 में कर दिया था तथा प्रार्थी को कोई सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है। अप्रार्थीगण ने धारा 251 'क' का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि है जिसमें रास्ता कटान नहीं है। बिना रास्ता कटान मेरी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुरजोर विरोध किया और बताया कि चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है। चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों से चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है और प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही मौके पर कोई काश्त है। मौके पर रास्ता चल रहा है और सुविधा का सन्तुलन

व अपूर्तिनीय अप्रार्थीगण को है। चूकिं अपने खेत में आवागमन का केवल एकमात्र रास्ता है और निरन्तर 30–35 वर्षो से सुखाधिकार के रूप में प्रयोग ले रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06.2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही काश्त है। मौके पर जब रास्ता चल रहा है और प्रार्थी ने लम्बे अरसे बाद उक्त रास्ते को बन्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 2019**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय

रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 12/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. प्रकाश देवी पत्नि धर्मपाल जाति कुम्हार साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 2019**

यह वादपत्र माननीय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अन्तर्गतदिनांक 01.02.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण संख्या 12/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया द्वारा उसके नाम खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 के कि.न. 1 ता 14 में अवैध खनने करते पाया गया। इस प्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। यह कि आवंटी को भूमि का आंवटन कृषि कार्य के लिये किया गया था। अवैध रूप से जिप्सम खनन करने के लिये नहीं किया गया था। यह कि प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीया स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थीया खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

प्रतिवादीया की तरफ से जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.01.19 को जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया का कथन है कि प्रतिवादीया के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 की 1 ता 14 तादादी 14.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा एवं खातेदार है जो कि एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रतिवादीया का कथन है कि उसने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादीया एक अनपढ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर खरीद की थी जो तब से आज तक उसी स्वरूप में है। पूर्व खातेदार द्वारा सिचांई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण भूमि उबड़–खाबड़ हो गई। प्रतिवादीया का कथन है कि उक्त वाद–पत्र को बिना

किसी सत्यापन के पेश किया गया है ओर ना ही 80 सीपीसी का कोई हवाला दिया गया है। अतः वाद–पत्र में नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र क्रमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– सं
दीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

1. मदनलाल पुत्र श्री हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. भीमसेन पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी छापनबड़ी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:आदेश:– **दिनांक :– 2019**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक नं. 3 पीएचएम 'ए' के मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 की तादादी 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 13 केएलडी के मु.न. 179/25 के कि.न. 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपने रकबा मु.न. मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.न. 179/25 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता है जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अप्रार्थी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरी ढाणी में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है । अतः प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 13 केएलडी 'ए' का मु.न. 179/25 में कि.न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कृषि भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अप्रार्थी सं. 2 को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.07.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में वर्णित रकबा में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होना बताया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के तहत चालू रास्ते को स्वीकृत करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है जो कि धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधानों से सुसंगत नही है। धारा 251 'ए' में नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के ही प्रावधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता अंकन

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से चक 7 केएलडी प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक नं. 3 पीएचएम 'ए' के मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 की तादादी 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 13 केएलडी के मु.न. 179/25 के कि.न. 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपने रकबा मु.न. मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.न. 179/25 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता है जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अप्रार्थी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरी ढाणी में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है । अतः प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 13 केएलडी 'ए' का मु.न. 179/25 में कि.न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कृषि भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अप्रार्थी सं. 2 को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.07.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में वर्णित रकबा में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होना बताया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बंशीलाल को मु.न. 69/43 में आने–जाने के लिए

कटानशुदा रास्ता नहीं है। वादी बंशीलाल को उक्त भूमि में आने–जाने के लिए इसी मु. न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है। अवादी दिनांक 31.05. 2016 को उपस्थित आने के बाद आदिनांक तक असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे जाहिर होता है कि वादी को उक्त प्रकरण का ध्यान होते हुए भी उपस्थित नहीं आया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 से इस न्यायालय में विचाराधिन है तथा वादी पक्ष इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण चाहता है क्योंकि उसे अवादी अपने धारण की मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। हमने नक्शे चक प्लान का अवलोकन किया तथा हम वादी के कथन से संतुष्ट है। वादी के द्वारा कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी चाही गई है। यदि वादी अवादी से चिपते हुए किसी किले में इस रास्ते के तुल्य क्षेत्र की अवादी को भूमि देता है तथा लिखित दस्तावेज निर्णय के 30 दिवस में पेश करता है तो भूमि गैर मुमकिन दर्ज नहीं की जावे।

यदि उभय पक्ष 30 दिवस में ऐसा लिखित समझौता प्रस्तुत नहीं करते है तो अवादी की भूमि में से चाहा गया रास्ता दो बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता इस शर्त पर दर्ज किया जावे कि वादी ने दो बिस्वा भूमि के डीएलसी मुल्य से दुगुनी कीमत राजकोष में अमानत मद में जमा करा दी है। यह कार्यवाही आदेश के 30 दिन पुरा होने के बाद प्रभावी होगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा यदि प्रथम भाग की पालना उभय पक्ष द्वारा नही की जाती है तो अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 58/2019

ग्रांम पंचायत कुण्डल जरिये सरपंच ग्रांम पंचायत तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत कुण्उल के चक 7 केएलडी के मु.न. 17/10 व 17/11 में राजस्व आबादी 7 केएलडी बसी हुई है तथा इसी चक के मु.न. 17/02 व 17/03 में नर्सरी बनी हुई है। यह है कि चक 7 केएलडी के मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा सड़क चल रही है जो कि चक 7 केएलडी से ग्रांम पंचायत 5 केवाईडी, 8 केवाईडी, 22 केवाईडी तक सीधा जोड़ते हुये हर एक मुरब्बे में कटान चला आ रहा है। जबकि मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 में रास्ता तो पिछले 40 वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक राजस्व रिकार्ड में कटान दर्ज नहीं है। अगर इस रास्ता की 15 बिस्वा सड़क कटान दर्ज हो जाती है, तो श्रीगंगानगर से बीकानेर की 10 पंचायतों को जोड़ने वाला मार्ग बन जाएगा तथा यह ग्रांम आबादी चक 3 केएलडी, 5 केएलडी, 6 केएलडी, 6 एसजेएम, 5 एसजेएम के मध्यान्तर की राजस्व ग्रांम आबादी है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम आबादी 7 केएलडी के मु.न. 17/03 की 15 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की और से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत कुण्डल के चक 7 केएलडी के मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 में मौके पर चालू रास्ता एवं चक 6 केएलडी ए के मु.न. 237/59 में कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा डामर सड़क बनी हुई है। उक्त चालू शुदा रास्ता वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सिवाय चक नाकाबिल काश्त रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने पर न्यायालय का मत है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि ग्रांम पंचायत कुण्डल के चक 7 केएलडी के मु. न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 08/2019

1. जसविन्द्र कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 43 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेवकौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवीर कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि नाजम सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सतपाल सिंह
2. जसपाल सिंह
3. सुखपाल सिंह

पिसरान बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. वीरा कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि मिलावाराम जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक कच्ची थेडी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नी बलवीर सिंह, पत्नि बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक लम्बी ढाब तहसील मुक्तसर, पंजाब।
6. ग्रांम पंचायत 2 के.डब्ल्यू.एम. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 29.11.2019**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत किया। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। अपीलान्ट की माता के नाम चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 के कि.न. 6, 7, 15, 16, 23, 24 तादादी 06.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा थी। माता का देहान्त दिनांक 08.11.09 को हो गया। अपीलान्ट लगभग 11–12 सालो से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट अनपढ काश्तकार होने से राजस्व रिकार्ड की तरफ कभी ध्या नही नहीं दिया और जो कागजात पास में थे उनको ही अंतिम माना ओर खेती करते रहे। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपीलान्ट के घरेलु नाम के वारिस प्रमाण पत्र बनाकर इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम सही विरास्तन दर्ज करवा ली जबकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट संख्या 1 का नाम रिकार्ड में छिन्दौकौर, अपीलान्ट संख्या 2 का नाम इकबाल कौर, अपीलान्ट संख्या 3 का नाम छोटोकौर और

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का नाम वीरा कौर, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का नाम प्रीतोकौर जो बोलचाली का घरू नाम मुताबिक जैर अपील आदेश दर्ज करवा लिया जबकि सही नाम रिकार्ड मुताबिक शीर्षक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने जानबुझकर गलत नाम दर्ज करवा दिया और अपने नाम सही दर्ज करवा अपीलान्ट के हको पर कुठाराघात किया है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर न्यायालय का जैर अपील आदेश इ.स. 116 दिनांक 21.10.15 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम मुताबिक शीर्षक व दस्तावेज इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करे ताकि अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उपभपक्ष सुनी गयी। बहस उभयपक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन करने पर न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट के नाम घरू नाम के हिसाब से रिकार्ड में अंकित हो गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 का इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 21.10.15 निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 64/2015

पोलाराम पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. रिछपाल सिह पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
2. करणी सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
3. उप पंजियक खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक :– 29.11.19

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया गया है। वाद में वर्णित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116/16 के कि.न. 1 ता 17 की कुल 17.00 बीघा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसमें अप्रार्थी/वादी पोलाराम और अन्य का कोई भी सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी/वादी श्री जयवीर सिंह ने आदेश 7 नियम 11 में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है तथा वाद में वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा पोलाराम द्वारा खरीदशुदा है व विधिक रूप से काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, जबाब प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज का गहन अवलोकन व अध्ययन करने पर न्यायालय का मतहै कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल सिंह द्वारा धारित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116/16 के कि.न. 1 ता 17 की तादादी 17.00 बीघा भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। जिस पर अप्रार्थी/वादी को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 69/2013

1. सतपाल सिंह उम्र 12 वर्ष } पिसरान नोखा सिंह पौत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह
2. सन्दीप सिंह उम्र 10 वर्ष साकिन चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जरिये कुदरतीवली माता कर्मजीत पत्नि नोखा सिंह।

.....वादीगण

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह पुत्र सरदार सिंह } जाति मजबी सिक्ख निवासीगण
2. नोखा सिंह पुत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप पंजियक खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.01.2020

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पड़दादा कि भूमि व सम्पति को वादीगण के दादा ने संयुक्त परिवार के मुखिया के नाते विक्रय कर वादगत भूमि के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 के कि.न. 24,25 की कुल तादादी 25.10 बीघा भूमि चक 1 केजेडी (ए) में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का हक जन्म से निहित है। वादीगण की माता व पिता के मध्य विवाद चल रहा है जिसके संबध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग घड़साना में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स. जैरकार है। वादीगण के दादा ने मुताबिक पंचायती बंटवारा व समझौता के वादगत भूमि में से उनका हिस्सा पांति बांटकर दिया था जिसके अनुसार कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 व 20, 21 कुल 10.02 बीघा भूमि का कब्जा वादीगण को सौंप दिया था जिसमें वादीगण की 2 बुआ मंजीत कौर व कर्मजीत कौर का हिस्सा भी था। इन दोनों ने वादीगण के पक्ष में अपना–अपना हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें पूरे परिवार की रजामंदी व सहमति थी। यह कि उक्त बंटवारे के बाद वादीगण ने अपना हिस्सा पांति कि भूमि पर काबिज होकर कड़ी मेहनत व काफी रूपया खर्च कर भूमि सुधार कर भूमि को खेती योग्य बनाया था तथा वादीगण समय–समय पर लगान आदि राजकोष में जमा करवाते रहे है। यह कि वादीगण की माता व पिता दोनों अलग–अलग रहते है

जिस पर जिस कारण प्रतिवादी सं.1 ता 2 ने 3–4 के साथ षडयंत्र रचकर वादीगण की कब्जा काश्तशुदा भूमि येन–केन विक्रय करने पर आमादा है। जबकि बगैर खाता विभाजन उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि इस आशय की घोषणा की जावे कि वादीगण की कब्जेशुदा भूमि वाके चक 1 केजेडी (ए) के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 कि.न. 24, 25 की कुल तादादी 25.10 बीघा में से मु. न. 100/9 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 20, 21 कुल 10.02 बीघा का वादीगण को पारिवारिक समझोते/पंचायती एंव वाहमी बंटवारे अनुसार दादा कि उक्त सम्पति का पिता के हको तक अधिकारी खातेदारी घोषित कर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण को उचित अवसर प्रदान करने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। जिसमें वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार अनुतोष प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादीगण के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादीगण में से प्रत्येक को दादा की सम्पति में से 1/7 में से 1/3 हिस्सा निहित उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला को दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

1. वरीयम खां पुत्र नाजु खां जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. 2/1 कमालो बेवा नाजू खां व 2/2 जन्नत,
3. 2/3 मन्नत, 2/4 मुरादा, 2/5 वरीयम खां, 2/6 खानूखां, 2/7 बसीर, 2/8 बसीदा पुत्र/पुत्री नाजू खां जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1. करीम खातुन बेवा नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बकेखां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. गफार पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. मंजुरा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. सरवर पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. सलामत पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. जुबैदा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. सुभान खां पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. रहीमा पुत्री अमीर खां जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजेन्द्र कौर.....जसपाल सिंह जाति रामगढिया साकिन वार्ड नं0 3 दन्तौर तहसील जिला बीकानेर।
11. जम्मो बेवा फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. आशा खातुन पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
13. हसन खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
14. आशक खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
15. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की ओर से।
3. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उपरोक्त अनवान दावा वादीगण अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत ने अन्तर्गत धारा 188,88 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया है। वाद का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा अल्लाबक्स के नाम दन्तौर बारानी के खसरा नं0 105 में 51.17 बीघा, खसरा नं00 106 में 163.10 बीघा एवं खसरा नं0 212 में 118.18 बीघा कुल तादादी 334.18 बीघा भूमि अमीर खां, फैज मोहम्म्द , नूर मोहम्म्द व मिराज के दर्ज रही है। अल्लाबक्स व उसके पुत्र मिराज के फौत होने के बाद उक्त भूमि अमीर, फैजू, नूर मोहम्म्द पुत्र अल्लाबक्स व फरीदा, गुलामनबी , नाजू पुत्र मिराज के नाम दर्ज हो गई। बाद में गुलाम नबी नाबालिक फौत हो गया और फरीद लाऔलाद था जिसने वरीयम खां के नाम वसीयत कर दी। उक्त भूमि चक प्लान आने से खसरा सं0 105 व 106 की कुल 215.07 बीघा चक 13 केएचएम व 14 केएचएम तथा खसरा सं0 212 की 119.11 चक 6 केएचएम में फीट हुई। वादगत भूमि के खसरा सं0 105 व 106 की तादादी 215.07 बीघा से मुताबिक चक प्लान चक 13 केएचएम के मु0न0 19/48, 19/56, 19/40, 19/64, 20/41, 20/49, 20/33 में तादादी 87.10 बीघा व चक 14 केएचएम में मु0न0 19/32, 19/24, 20/17, 20/25, 19/16, 20/1, 20/2, 20/9 में तादादी 117.12 बीघा कुल तादादी 205.02 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात हुई तथा खसरा सं0 112 की तादादी 119.11 बीघा चक 6 केएचएम में फिट हुई। समस्त रिकार्ड की देखभाल नूरमोहम्मद व फैजूखां के जिम्मे थी ।

नाजू अनमढ था और पशु–पालन में ही ध्यान रहा चूंकि सन् 2000 तक वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार का हिस्सा रहे और पारिवारिक सहमति व समझौते से सन् 1980 से ही चारो भाईयों में प्रत्येक को 53.16 के हिसाब से वाहमी बंटवारा कर अपनी–अपनी भूमि पर काबिज रहे लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पिता नूरमोहम्मद ने उपनिवेशन विभाग में साठ–गांठ कर बिना मौका निरीक्षण, बिना वादीगण के नाम चक 13 केएचएम के मु0न0 19/40 में किला नं0 2 ता 25 की तादादी 23.10, 19/48 के किला नं0 1,10,11 तादादी 03.00 बीघा, 20/33 में किला नं0 1 ता 5, 10 तादादी 06.00 बीघा कुल तादादी 32.10 बीघा व चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 6,7,14 ता 17, 24 ता 25 तादादी 07.16 बीघा कुल तादादी 50.06 बीघा दर्ज हुई तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पिता नूरमोहम्मद के नाम चक 14 केएचएम के मु0न0 19/24 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 25 तादादी 17.10 बीघा, मु0न 19/32 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 तादादी 11.14 , मु0न0 20/17 के किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 1,10,11,20 तादादी 04.00 बीघा कुल तादादी 56.04 बीघा दर्ज हुयी जो उसके फौत बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम विरासतन दर्ज हो गयी तथ प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पिता अमीर खां के नाम चक 14 केएचएम के मु0न0 19/16 के किला नं0 6 ता 8,13 ता 18, 22 ता 25 तादादी 12.12 बीघा, मु0न0 19/24 किला नं0 10 ता 11 तादादी 02.00 बीघा, मु0न0 20/1 के किला नं0 16, 25 तादादी 02.00 बीघा, मु0न0 20/2 के किला नं0 5 ता 7 तादादी 03.00 बीघा, मु0न0 20/9 के किला नं0 2 ता 25 तादादी 24.00 बीघा कुल तादादी 43.12 बीघा दर्ज हुयी । इसमें मु0न0 20/10 की 07.00 बीघा भूमि को अमीरखां ने सहमति से अपना हिस्सा पहले बेचान कर दिया । उसके फौत बाद प्रतिवादी सं0 8 व 9 के नाम दर्ज हुयी जिसमें प्रतिवादी सं0 9 ने कुछ हिस्सा 10 को बैय कर दी। इसीप्रकार प्रतिवादी सं0 11 ता 14 के पिता फैजूखां के नाम चक 13 केएचएम के मु0न0 19/48 के किला न0 6 ता 9, 12 ता 25 तादादी 17.10 बीघा, मु0न0 19/56 के किला नं0 6 ता 25 तादादी 19.10 बीघा, मु0न0 19/64 के किला नं0 10 तादादी 01.00 बीघा, मु0न0 20/41 के किला नं0 2 ता 5 तादादी 03.12 बीघा, मु0न0 20/49 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 15 तादादी 12.00 कुला तादादी 55.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज कागजात हुई।

उक्त बंटवारा केवल कागजी रहा मौके पर स्थिति भिन्न रही जिसमें वादीगण चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 6,7,14 ता 17, 24 ता 25 तादादी 07.16 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 13 तादादी 10.00 बीघा तादादी 17.16 बीघा तो कब्जे में थी व आजदिनांक तक है जबकि वादीगण के कब्जे में वाहमी बंटवारा सन् 1980 से चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 तादादी 11.14, मु0न0 20/17 के किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 1,10,11,20 तादादी 04.00 बीघा तादादी 38.14 बीघा पर पर लगभग 38–39 सालो से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जबकि उक्त रकबा रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। वादीगण ने काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है सिंचाई सुविधा वादीगण को प्राप्त है पानी की पर्ची वादीगण के नाम है, मौके पर पक्की ढाणी व ट्यूबवैल (जिनके मौका फोटो संलग्न वाद है) बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहे है एवं समस्त भूमि वादीगण के उपयोग–उपभोग में है। वादीगण अनपढ काश्तकार होने से राजस्व रिकार्ड कि तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया और जो कागजात पास में थे उनको ही अंतिम माना और खेती करते रहे और रिकार्ड व मौका कब्जा में भिन्नता रही चूंकि जो रकबा चक 13 केएचएम का वादीगण के नाम था उस पर प्रतिवादी सं0 8 ता 9 काबिज है ओर प्रतिवादी 8 ता 9 का जो रकबा रिकार्ड में दर्ज है उसपर प्रतिवादी सं0 1 ता 7 काबिज काश्त है और उसी अनुरूप सभी ने खेत में ढाणी व मकान बना रखे है तथा निरन्तर लगभग 40 वर्षों से काबिज काश्त है तथा नूरमोहम्मद ने इकतरफा तोर जो खाता तक्सीम करवाया था वह बाई मिट्स एंड बाउण्ड नहीं था ओर ना ही कब्जा काश्त अनुसार व हिस्सों का निर्धारण भी गलत हुआ जिसमें एक खातेदार के 56.00 बीघा तो एक के 50.00 बीघा तो किसी के 55.00 बीघा रिकार्ड में दर्ज करवा दी जबकि प्रत्येक हिस्सेदार को 53.16 बीघा का खातेदारी अधिकार मिलना चाहिये था। इसी दौरान प्रतिवादी सं0 8 ता 9 ने कुछ रकबा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी सं0 10 को बेचान कर दिया तो जो कतई उचित नहीं था। चूंकि बिना कब्जा भूमि का बैयनामा नहीं हो सकता ।

बैचानशुदा भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 17 काबिज काश्त है और जब प्रतिवादी सं0 10 मौके पर कब्जा लेने आये तो विवाद बढा और प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने वादीगण को

धमकी दी की हमारी कब्जेशुदा जमीन बेचान हो गयी है हम भी हमारे रिकार्ड की भूमि का बेचान करेंगें। इसी धमकी से वादीगण के हक–हकुकों एवं कब्जा काश्त पर आक्रमण हुआ है और वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वो ऐसी स्थिति में वादगत भूमि की कब्जा काश्त अनुसार फिटिंग दुरस्ती करवा वादीगण अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है जिसके लिए जरिये वाद पत्र अनुतोष चाहा गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तलवी होने पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये और प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया और बताया कि उपरोक्त अनवान का एक प्रकरण 06–03–19 को न्यायालय में पेश किया गया था और बताया गया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण पूर्व में नाजू खां बनाम नूर मोहम्मद मु0सं0 14/95 एसीसी छतरगढ़ में पेश किया जो खारिज किया गया है तथा नूर मोहम्मद बनाम फैज मोहम्मद वगैरह का दावा माननीय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर वाद सं0 38/81 में निर्णय 09.11.1983 की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गई जो मियाद के बिन्दू पर निरस्त कर दी गई। वादी द्वारा एक ही जमीन पर उसी प्रतिवादीगण पर दुबारा दावा पेश किया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय से बाधित है खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र का जवाब देकर प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रा0 पत्र के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बताया कि वर्तमान वाद फिटिंग दुरस्ती एवं कब्जे के आधार पर घोषणा का है। चूंकि वादगत भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है तथा ढाणी बना रखी है। पानी पर्ची वादीगण के नाम है तथा वादगत प्रकरण पूर्व प्रकरण समान नहीं है। पक्षकार समान नहीं और अनुतोष व जैरकार रकबा भी भिन्न है। प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर दावा रेस ज्यूकेटा के तहत खारिज करने का निवेदन किया । साथ ही बताया कि रेवेन्यु बोर्ड में भी प्रकरण चल रहा है। अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान वाद एवं पूर्ववर्ती वाद का अनुतोष पक्षकार, एवं भूमि भिन्न है तथा विवादक भी भिन्न है और वादीगण का अनुतोष फिटिंग दुरस्ती का है तथा पहले का वाद सम्पूर्ण 334 बीघा खसरो से संबंधित था। वर्तमान वाद चक प्लान के केवल 38 बीघा से संबंधित है। वादी वरीयाम खां रिकार्ड में ही तब नहीं था तथा एक खातेदार अपने अधिकारों के लिए दावा कभी भी ला सकता है।

वादीगण कभी भी कही भी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है। और वादीगण ने बताया कि उसकी रिकार्डसुदा भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज तथा वादीगण जिस भूमि पर काबिज है। वह भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। ऐसे में

वादीगण को फिटिंग दुरस्ती का वाद लाना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मंथन किया । चूंकि उक्त वाद वादीगण द्वारा मुताबिक वास्तविक मौका कब्जा अनुसार घोषनात्मक फिटिंग दुरस्ती के अनुतोष के साथ पेश किया है। जिसमें पक्षकार वरीयाम खां वगै0 पुत्र नाजूखां है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 व 11 ता 14 भिन्न है तथा प्रतिवादीगण सं0 10 खरीददार पक्षकार है। जबकि पूर्व वाद में उपरोक्त पक्षकार व वादगत भूमि समान नहीं है। और ना ही अनुतोष समान है। चूंकि उक्त वाद में केवल वादीगण अपने कब्जाकाश्त की 38.14 बीघा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है। जिसे गुणावगुण पर ही सुना जाना विधिसमत है। क्योकि फिंटिग दुरस्ती में काबिज काश्तकार के हितो पर कुठाराघात ना हो। प्रथम दृष्टया वादीगण ने पानी पर्ची से कब्जा रिकार्डली बताया है। जिसे विवादक कायमकर सुना जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में वाद हैतुक पारिवारिक सदस्य से बाहर प्रतिवादी सं0 10 का कुछ रकबा बेहक करने से उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद पूर्ववर्ती वाद से काफी भिन्न है तथा उक्त प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी लागू नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

5. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

4. राधेश्याम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

2. श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व सुखाधिकार अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है और चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है।

प्रार्थीगण का कथन है कि चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों स`चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर

ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है। इस प्रकार रास्ता कटान का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. प्रकरण संख्या 02/19 के साथ सुनवाई में लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थीगण के नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा साथ ही अप्रार्थीगण का लिखित करार भी पेश किया गया है। जिससे यह तो साफ ही जाहिर है कि रास्ते के लिये भूमि पर मालिकाना हक छोड़ दिया था। उक्त करार पर तत्कालीन सरपंच व मौजूद गवाहों के भी हस्ताक्षर है तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं दिनांक को मौका मुआयना किया तो पाया कि मौके पर रास्ता उपरोक्तानुसार चलायमान है। मु. न. 98/58 के कि.न. 5 में सरकारी विद्यालय भी बना हुआ है जिसका उक्त मुख्य द्वारा उक्त सड़क पर है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि उक्त रास्ता 20–25 वर्षों से चल रहा है जिससे आस–पास की ढाणियों के वासीन्दों व 2–3 चकों के काश्तकारों का मुख्य पक्की सड़क पर आने का एकमात्र यही रास्ता है। रास्ता मौके पर आवागमन के लिये चल रहा है इसकी जानकारी रहते हुये भी अप्रार्थी ने एक वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. (02/19) पेश किया तो प्रार्थीगण ने जबाब के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

3. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
4. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06. 2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 ता 4 व 6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 5 में घुमाव 4 बिस्वा रास्ता चालु खरंवजा सड़क पूर्व से पश्चिम व कि. न. 5, 6 में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

जूवाला(बी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकःएसडीओ/रीडर/2014/ दिनांक

1. छगनाराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी कीलचू तहसील व जिला बीकानेर हाल आबाद चक 22 बी डी तहसील खाजूवाला

प्रार्थी

बनाम

1. कुंभाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी रतनसरा तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. उप पंजीयक खाजूवाला
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाल

अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपरोक्त प्रकरण में आरजीतौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके चक 22 बी डी का मु. नं. 73/54 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 12, 22 ता 25 की =13.00 बीघा कमाण्ड व 5 ता 7, 13 ता 15 की 6.00 बीघा अनकमाण्ड कुल=19.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि अप्रार्थीगण को कोई आपति हो तो जरिये वकालतन/असालतन आगामी पेशी दिनांक ..... को हाजिर अदालत होकर पेश करें।

आदेश आज दिनांक **20.3.2014** को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांकःसम/ दिनांक

प्रतिलिपिः—तहसीलदार खाजूवाला को तामील हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः— एसडीओ/खाजू/राजस्व /2016/ दिनांक :— 20.12.16

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत चक 20 के.एच.एम बी के मु.न. 199 / 18 के कि.न. 1,10,11,20 व 21 प्रत्येक किले मे 2—2 बिस्वा कुल 0.10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है । तदानुसार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला गैर मुमकिन रास्ते के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः— सम / 2016 /

दिनांकः— 20.12.16

1.तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

2.सरपंच ग्राम पंचायत 17 केएचएम

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. सम्पत सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रघुनाथ सिंह
4. डाल सिंह
5. उदय सिंह
6. भंवरी देवी
7. स्लोचना कंवर
8. संतोष कंवर

पुत्र / पुत्रींयान श्री रामचन्द्र सिंह चौहान
जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 10
रतननगर तह. व जिला चुरू

.....वादीगण

बनाम

1. विमला देवी बेवा मनीशंकर
2. कृष्ण कुमार
3. शुभकरण
4. बीरबल
5. देवीदत्त
6. गिरधारी
7. इमरती
8. मुन्नी
9. गीता
10. सुशीला

पुत्र/ पुत्रीयां मनीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा, जिला चुरू

11. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक .2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि उसके पिता रामचन्द्र सिंह ने जरिये इकरारनामा चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 में कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता मनीशंकर पुत्र रामकुमार ब्राहम्ण के नाम पुख्ता आंवटित थी, को जरिये इकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को खरीद किया और इसी रोज सौदा की राशि 21000 रूपये अखरे अदा कर इकरारनामा और मुक्तयारनामा लिखित कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया तथा भूमि का भौतिक कब्जा वादीगण के पिता को सौंप दिया। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एव हम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा सम्पूर्ण प्रतिबल अदा कर दिया गया है। तमाम किश्ते राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादीगण के पिता से सम्पर्क किया कि वह खातेदारी हेतु कार्यवाही करें तो प्रतिवादीगण के पिता ने जानबूझकर बईमानी से टाल–मटोल करते रहे। प्रतिवादीगण के पिता कानूनन वादीगण के पक्ष में बैयनामा निष्पादित करवाने हेतु बाध्य थे। दिनांक 05.07.2015 को रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया उसके पश्चात प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो गयी। प्रतिवादीगण ने वारिसान की हैसियत से अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया, अब प्रतिवादीगण अन्य पक्षकार को कृषि भूमि बेचकर वादीगण को बेदखल करना चाहते है।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादीगण बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वकील वादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 3 शुभकरण द्वारा दिनांक 07.07.

2017 को वादीगण द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 15 डी. डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/67 में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादीगण को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादीगण ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर. टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने जरिये ईकरारनामा वादीगत कृषि भूमि चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 के कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता से खरीद की है। खरीद करने का वाद–पत्र में अंकन है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद–पत्र श्रवणीय क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक .....2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 12/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

3. प्रकाश देवी पत्नि धर्मपाल जाति कुम्हार साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

2 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
4. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 2019**

यह वादपत्र माननीय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अन्तर्गतदिनांक 01.02.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण संख्या 12/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया द्वारा उसके नाम खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 के कि.न. 1 ता 14 में अवैध खनने करते पाया गया। इस प्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। यह कि आवंटी को भूमि का आंवटन कृषि कार्य के लिये किया गया था। अवैध रूप से जिप्सम खनन करने के लिये नहीं किया गया था। यह कि प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीया स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थीया खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

प्रतिवादीया की तरफ से जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.01.19 को जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया का कथन है कि प्रतिवादीया के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 की 1 ता 14 तादादी 14.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा एवं खातेदार है जो कि एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रतिवादीया का कथन है कि उसने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादीया एक अनपढ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर खरीद की थी जो तब से आज तक उसी स्वरूप में है। पूर्व खातेदार द्वारा सिचांई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण भूमि उबड़–खाबड़ हो गई। प्रतिवादीया का कथन है कि उक्त वाद–पत्र को बिना किसी सत्यापन के पेश किया गया है ओर ना ही 80 सीपीसी का कोई हवाला दिया गया है। अतः वाद–पत्र में नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील

न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

2. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन ओडकी हाल आबाद चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

6. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

9. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

4. श्री भूपेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
5. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
6. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 98/58 के कि.न. 2 ता 9 सालम कि.न. 12 में 09 बिस्वा, कि.न. 13 ता 15, 17, 18 सालम, कि.न. 23 में 08 बिस्वा कुल 12.11 बीघा कमाण्उ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जिस पर प्रार्थी लम्बे अर्से से ढाणी बनाकर सपरिवार रह रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होने एक साथ मिलकर दिनांक 30.09.2018 को प्रार्थी के रकबा के कि.न. 2 ता 5 में अनाधिकृत प्रवेश कर, खड़ी फसल को नष्ट कर जेसीबी मशीन से भूमि में खड्डे कर मिट्टी डालने लग गये तथा जबरन रास्ता बनाने लगे। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत व चालु रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की तरफ से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है। जिसमें आने–जाने के लिये प्रार्थी व उसके भाई के खेत चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 से जाना पड़ता है जो पक्की सड़क के लगता है। जिस पर 30–35 वर्षो से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी ने 2001 में उक्त भूमि मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि. न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है तथा उस

पर विद्यालय भी बना हुआ है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को संकरा कर दिया है। जबकि डामर सड़क 14–15 फिट मय बरम बन रही है। बेवजह प्रार्थी विवाद खड़ा कर रहा है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि तक की खातेदारी अधिकारों का अवसान 2001 में कर दिया था तथा प्रार्थी को कोई सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है। अप्रार्थीगण ने धारा 251 'क' का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि है जिसमें रास्ता कटान नहीं है। बिना रास्ता कटान मेरी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुरजोर विरोध किया और बताया कि चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है। चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों से चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है और प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही मौके पर कोई काश्त है। मौके पर रास्ता चल रहा है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय अप्रार्थीगण को है। चूकिं अपने खेत में आवागमन का केवल एकमात्र रास्ता है और निरन्तर 30–35 वर्षो से सुखाधिकार के रूप में प्रयोग ले रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से

विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06.2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही काश्त है। मौके पर जब रास्ता चल रहा है और प्रार्थी ने लम्बे अरसे बाद उक्त रास्ते को बन्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
4. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— **दिनांक :— .....**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है।

वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी देवाराम की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

OFFICE NOTE

विशय :– सीएडी तस्दीक अनुसारम मांग कायमी व रिकार्ड में अंकन की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग :– तहसीलदार (राज0) खाजूवाला का पत्रांक 04 दिनांक 03.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तगर्त निवेदन है कि प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को चक 19 केएलडी के मु.न. 55/6 की 24.10 बीघा कृषि भूमि कमाण्ड / अनकमाण्ड है, जो सीएडी रिपोर्ट स्कीम वर्ष 05.11.88 के अनुसार निम्नानुसार कमाण्ड/ अनकमाण्ड हो गया है ।

क्र.स.	चक	मु.न.	कमाण्ड कि.न.	अनकमाण्ड कि.न.	गैर मुमकिन
1.	19 केएलडी	55/6	1 ता 3, 9, 10 कुल 05.00 बीघा	4 ता 8, 11 ता 25 कुल 20.00 बीघा	–

अतः उपरोक्तानुसार मांग कायमी एव रिकार्ड में अकन करने की स्वीकृति प्रासांगिक पत्र तहसीलदार खाजूवाला द्वारा चाही गई है ।

आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

श्रीमान एसडीओ साहब

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांक :– एसडीओ/आवं/खाजू/ दिनांकः–

–: आदेश :–

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक पत्रांक 04 दिनांक 03.01.2019 एवं सीएडी रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 11.07.16 व सीएडी के स्कीम वर्ष 05.11.88 के अनुसार रकबा निम्नानुसार कमाण्ड/ अनकमाण्ड हो गया है ।

क्र. स.	चक	मु.न.	कमाण्ड कि.न.	अनकमाण्ड कि.न.	गैर मुमकिन
1.	19 केएलडी	55/6	1 ता 3, 9, 10 कुल 05.00 बीघा	4 ता 8, 11 ता 25 कुल 20.00 बीघा	–

अतः उपरोक्तानुसार प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को चक 19 केएलडी के नाम धारित भूमि (पटवारी रिपोर्ट अनुसार) की किस्म परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

(रमेश देव)

उपखण्ड

अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांक :– सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(रमेश देव)

उपखण्ड

अधिकारी

खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः— एसडीओ / खाजू / आवंटन / दिनांकः—

—: कार्यालय आदेश :—

इस कार्यालय में विचाराधीन आबादी भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो मे विचाराधीन है । तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 361 दिनांक 05.04.16 एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अनाधिवासित निम्नलिखित राजकीय भूमि को राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट (इंदिरा गांधी नहर क्षैत्र भूमि सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 6 के उपनियम 2 (।।) की शक्तियो का प्रयोग करते हुए सहपाठित भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानो में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट (आरक्षित) किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे ।

क्र.स.	नाम ग्राम पंचायत	चक	मु.न.	कि.न.	तदादी रकबा	आरक्षित बाबत
1.	17 के.एच. एम	21 के.एच. एम	160 / 64	1 ता 25	25.00	आबादी भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः— सम / 2014 / दिनांकः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकार्ड में अंकन करने बाबत
2. संरपंच ग्राम पंचायत 17 के एच एम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः— एसडीओ / खाजू / आवंटन / दिनांकः—

—: कार्यालय आदेश :—

इस कार्यालय में विचाराधीन भूमि आरक्षित शमशान भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो मे विचाराधीन है । तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 124 दिनांक 23.01.17 एवं ग्राम पंचांयत के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अनाधिवासित निम्नलिखित राजकीय भूमि को राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट (इंदिरा गांधी नहर क्षैत्र भूमि सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 6 के उपनियम 2 (।।) की शक्तियो का प्रयोग करते हुए सहपाठित भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानो में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट (आरक्षित) किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे ।

क्र.स.	नाम ग्राम पंचायत	चक	मु.न.	कि.न.	तादादी रकबा	आरक्षित बाबत
1.	17 के.एच. एम	26 बी.एल. डी.	178 / 20	14 ता 16 , 24, 25	5.00	शमशान भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः— सम / 2014 / दिनांकः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकार्ड में अंकन करने बाबत
2. संरपंच ग्राम पंचायत 17 के एच एम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. हसन खां पुत्र श्री दायम खां जाति मुसलमान साकिन 2 ए.एल.एम. (अलदीन) तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1 असलम
2 अकरम
3 याकुब
} पुत्र श्री नबीबक्श जाति मुसलमान साकिन 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान

4 उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

वद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक .2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला का मु.न. 164/8 के किन. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12 सालम, 13/1, 18/1, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/2 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 5 बी.जी.एम. के मु.न. 164/8 के कि.न. 3/2, 4 ता 7 सालम, 8/2, 13/2, 14 ता 17 सालम, 18/2, 23/3, 24/2, 25/1 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 28.07.2015 को कुल प्रतिफल 21 लाख 11 हजार रूपये में खरीद करने का सौदा किया। इस हेतु बतौर अग्रिम राशि 18 लाख 21 हजार रूपये अदा कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा मौके पर वादी को सम्भला दिया गया, बकाया राशि 3 लाख रूपये 31 दिसम्बर तक भुगतान किया जाना था तथा बैयनामा पंजीबद्व करवाना था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 18 दिसम्बर को बैयनामा वादी के हक में पंजीबद्व करवाने से मना कर दिया। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद हैतुक हासिल हुआ।

वादी का जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा उक्त वादगत भूमि पर भौतिक कब्जा है। प्रतिवादीगण जबरन वादगत भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वाद–पत्र जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। ईकरारनामा की अनुपालना के संबध में अनुतोष प्राप्त करने का वाद–पत्र केवल सिविल न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। यह वाद–पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः वाद–पत्र क्षेत्राधिकार के विधिक इश्यू आधार पर खारिज किया जावे।

दोनों पक्षो की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद–पत्र श्रवणाधिकार न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक .....2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. आदुराम पुत्र नानकराम कौम खाती साकिन खिलेरिया हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. मुलाराम पुत्र रिडमलराम कौम जाट साकिन शुभलाई हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
5. श्री मनीराम जाखड़ विद्वाान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
6. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के कि0न0 1 ता 14 तादादी 14 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसमें प्रवेश करने के लिए प्रार्थी मु0न0 160/38 के किला न0 21 ता 25 के कटानशुदा रास्ता से होकर अप्रार्थी के मु0न0 160/30 के कि0न0 25,16व 15 दक्षिण से उतर अपने खेत के किला0न0 6 में प्रवेश करता है और इसके अलावा खेत में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थी 2–2 बिस्वा भूमि बतौर रास्ता चाहता है।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया उभयपक्ष की बहस सुनी गई न्यायालय ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है । अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी परस्पर एकदूसरे को अपनी 2–2 बिस्वा भूमि देकर रास्ते का प्रकरण निपटाना चाहते है। चूंकि उक्त रास्ता केवल एक ही खातेदार के काम आने योग्य है तो क्यों न पारस्परिक स्थानान्तरण कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। हमारे मत में भी विचार है कि लोकअदालत की भावना से पक्षकारों में शांति से समझौता अनुरूप कार्य हो तो परस्पर मुकदमेबाजी कम होगी इसलिए विनम्र मत में और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, खाजूवाला को आदेश किये जाते है कि चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के किला न0 25 में 2 बिस्वा भूमि दक्षिण से उतर बतौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जावे तथा किला न0 16 व 15 में 2–2 बिस्वा मुरब्बा की सींव पर जो अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज है की जगह उक्त 2–2 बिस्वा प्रार्थी आदुराम पुत्र नानकराम के नाम दर्ज की जावे तथा प्रार्थी आदुराम के किला न0 14,13,12 की 2–2 बिस्वा मुलाराम के चिपते पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज की जावे। परस्पर दोनों के स्थानान्तरण भूमि खातेदार दर्ज कर किला न0 25 में 2 बिस्वा रास्ता दक्षिण से उतर रास्ता कायम कर चालू किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

4. राधादेवी पुत्री नन्दलाल पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी हाल बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर .....
अपीलांट

बनाम

16. दलीप कुमार पुत्र नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
17. सुरेन्द्र कुमार पुत्र नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
18. भगवती पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
19. सरोज पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
20. सुशीला पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
21. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

5. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
6. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1 ता 2 व 5 की ओर से।
7. रेसपोडेन्ट सं0 3 एकपक्षीय कार्यवाही।
7. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 4
8. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 2 पीएचम 'ए' के मु0न0 158/2 के किला नं0 1 ता 25 की 24. 10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता नंदलाल के नाम से खातेदारी भूमि थी। उनके स्वर्गवास पश्चात अपीलांट की माता स्वयं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के नाम बतौर विरासतन दर्ज हुई। जो माता के फौत होने के पश्चात इंतकाल सं0 141 दिः 20. 06.09 से उक्त भूमि अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के नाम से बहिस्सा बरोबर दर्ज हुई और बाद में सहिस्सेदार रेस्पो0 सं05 ने अपने 1/6 हिस्से की रिलीज डीड दिः 23.01.2013 को उपपंजीयक खाजूवाला के समक्ष तस्दीक करा दी।

जिससे उपरोक्त पैतृक अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल सं0 157 के द्वारा रेस्पो0 5 का हकत्याग करने के पश्चात इंतकाल रेस्पो0 1 व 2 के पक्ष में हस्तांतरण हुआ मानकर उक्त भूमि का जैर अपील आदेश 1/2 हिस्सा रेस्पो0 सं0 1

ता 2 व अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 व 4 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि एक सहिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग करने के पश्चात शेष बचे सभी सहिस्सेदारों के अंश स्वतः ही बढ़ जाते है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेश पारित करने में भारी भूल की है साथ ही भू0 अभि0 निरी0 की रिपोर्ट के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध होने के कारण इंतकाल निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

सर्वोतम अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को तलबी समन जारी किये जिस पर दिः 06.01.17 को रेस्पो0 सं0 1 ता 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल व रेस्पो0 सं0 4 की ओर अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर उपस्थित आये तथा रेस्पो0 सं0 3 के रजि0 ए0डी0 नोटिस भेजने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिः 09.02.17 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस में भी बताया कि सरकारी स्टाम्प ड्यूटी बचाने का प्रयास किया गया है। इसप्रकार रेस्पो0 सं0 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि भूमि 2 भाइयों को ही देना चाहती हूं तथा यदि स्टाम्प ड्यूटी की कमी है तो रेस्पो0 भरने को तैयार है और उक्त जैर अपील आदेश विधिक है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के कथनों व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों पर जैर अपील आदेश को ध्यानपुर्वक से अवलोकन किया गया एवं अपील मियाद पत्र पर भी अपीलांट को सुना गया अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन किया कि उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पेश किया है। अपीलांट ने विभाजन का वाद के जवाब हेतु रिकॉर्ड चाहा तो जानकारी हुई अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश की है। जो अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। जिसपर रेस्पो0 ने भी कोई काउन्टर शपथ पत्र व खण्डन पेश नहीं किया है। चूंकि अपील में सारभूत व गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है। इसलिए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

न्यायालय ने उभयपक्ष के कथनों व अपील के कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अपीलाधीन भूमि चक 2 पीएचम 'ए' के मु0न0 158/2 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 5 की संयुक्त खाते की पैतृक भूमि है। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 5 का 1/6 – 1/6 हिस्सा भूमि इन्तकाल सं0 141 दिः 20.06.2009 के द्वारा दर्ज रिकार्ड की गई थी। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि उक्त भूमि में से रेस्पो0 सं0 5 सुशीला देवी द्वारा दिः 23.01. 2013 को जरिये रिलीज डीड अपने 1/6 हिस्से की भूमि का परित्याग कर दिया गया था।

परन्तु रिलीज डीड में रेस्पो0 सं0 5 द्वारा अपने 1/6 हिस्से की अविभाजित भूमि को केवल अपने भाइयों रेस्पों0 सं0 1 व2 के पक्ष में छोड़ने का उल्लेख किया है जिसके

आधार पर अपीलाधीन आदेश इन्तकाल सं0 157 दिः 23.06.2014 दर्ज किया गया है लेकिन इन्तकाल दर्ज करते वक्त रेस्पो0 सं0 1 ता2 के नाम 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 3 ता 4 व अपीलांट के पक्ष में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया साथ ही आर0आई0 रिपोर्ट 31.01.2013 जिसमें आर0आई ने साफ लिखा की दस्तबरदारी 2 भाईयों के पक्ष में हुई है सभी सहिस्सेदारों के होनी चाहिए अतः काबिल खारिज है और उसके ठीक 1 वर्ष 5 माह पश्चात अचानक जैर अपील आदेश स्वीकृत किया जाता है। जो कानूनन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत AIR 2003/A.P. Page 498 पेश किया है। जिसमें साफ है कि रिलीज डीड के तहत हकत्याग किसी विशेष सहकाश्तकार के पक्ष में नहीं छोड़ सकता साथ ही R.R.T. 2014 (1) Page 509 Rev. Board कमलादेवी बनाम चंपालाल प्रकरण में खण्डपीठ ने प्रतिपादित किया है कि सहखातेदार उसका हिस्सा एक सहखातेदार के हक में अपना हकत्याग नहीं कर सकता तथा AIR 1987 S.C. Page 1775 का भी हवाला दिया इसप्रकार इस सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व आर0आई0 रिपोर्टो के विपरीत हिस्सा खोलते हुए जो जैर अपील आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश इन्तकाल सं0 157 दिः 24.06.2014 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(

कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. दीपाराम पुत्र हेमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....
   अपीलांट

बनाम

1. सल्ला खातून पत्नी सोने खां निवासी 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. नूर मोहम्मद पुत्र सोने खां जाति मुसलमान निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू. एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मोहम्मद सरीफ पुत्र सोने खां निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. हनीफ पुत्र सोने खां निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. शरीफा पत्नी करीम खां निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. नाजम अली पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. अल्ताफ पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
22. रूकसाना पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
23. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टान सं0 1 ता 8 एकपक्षीय कार्यवही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि बी.आर.डब्लू.एम. के मु0न0 101/45 के किला नं0 1 ता 19 व 21 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटित खातेदारी है एवं इसी भूमि के किला नं0 20 व 22 ता 25 की 5 बीधा अनकमाण्ड स्माल पैच योग्य भूमि है।

जिसको अपीलांट की दरख्वास्त के पेंडिग रहते एकतरफातोर पर दिः 07.11.1987 को रेस्पोडेन्ट के पिता सोने खां के नाम से स्माल पैच में आंवटन कर दी जानकारी होने पर अपीलांट ने अपील निगरानी व जोधपुर की डबल बैच में रीट सं0 1077/97 के

निर्णय दिः 12.03.2003 से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जिस पर न्यायालय हाजा में दिः 13.08.2004 को उक्त भूमि अपीलांट के नाम से आंवटन कर किस्तें जमा करवा कब्जा अपीलांट को देकर रिकार्ड में अंकन कर दिया। जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है। समस्त दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। रेस्पो0 ने दिः 13.08.2004 के निर्णय के विरूद्ध चारारोही की जो RAA बीकानेर व राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर RAA में जैरकार रही जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 2018/19 पेश किया गया है जो सुनवाई के लिए पेडिंग है। इसके बावजूद एकतरफातोर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित किया है। साथ ही खातेदारी दर्ज की है जबकि उक्त खातेदारी सनद सं0 44/40 दिः 21.05.1998 को इस न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 403 दिः 06.02.1999 को निरस्त किया जा चुका है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 107 दिः 12.02.1999 भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम आदेश व रिकार्ड के विपरीत जाकर एवं अपर न्यायालय में अपील जैरकार रहते पेंडेसी के दौरान जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 05.12.2019 को रेस्पो0 1 ता 8 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश इन्तकाल सं0 401 दिः 16.08.2019 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपील में वर्णित चक 1 बी. आर.डब्लू.एम. के मु0न0 101/45 के किला नं0 1 ता 19 व 21 की 20 बीघा भूमि उसकी पुख्ता आंवटित खातेदारी भूमि है तथा इसी मुरब्बे के किला नं0 20 व 22 ता 25 की 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट को स्माल पैच आंवटित की गई थी। जिसपर वह आंवटन के दिन से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। इन्तकाल सं0 401 के द्वारा उक्त 5 बीघा स्माल पैच आंवटित भूमि उपखण्उ अधिकारी कार्यालय खाजूवाला के आदेश दिः 04.02.2019 व RAA के निर्णय दिः 22.07.2019 के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 ता 9 के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि 22.07.2019 के RAA बीकानेरके निर्णय दिः 22.07.2019 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 18/2019 दीपाराम बनाम सल्ला खातून जैरकार होने के कारण RAA बीकानेर का निर्णय दिः 22.07.2019 अंतिम नहीं था बल्कि पेंडिग (लिस) होने के कारण गलत व नियमो के विपरीत है तथा उक्त भूमि जो अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 सं01 ता 9 के नाम में पुख्ता आंवटन को काटकर बतौर खातेदार दर्ज की है एवं इन्तकाल सं0 401 के कॉलम सं0 14 में नीचे सनद सं0 44 दिः 21.05.1998 उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला का अंकन किया है ।

वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है क्योकि उक्त खातेदारी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला द्वारा दिः 06.02.1999 को निरस्त कर दी गई थी जिसकी पालना

में इन्तकाल सं0 107 दिः 12.02.1999 भी दर्ज हो चुका था। इस संबंध में पत्रावली में RAA बीकानेर के रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 18/2019 दिः 13.08.2019 की आर्डरसीट की प्रति में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में RAA दिः 22.07.2019 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र जैरकार होने में प्रकरण लिस पेंडेसी था तथा साथ ही इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 403 दिः 06.02.1999 के द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी निरस्त कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 401 दिः 16.08.2019 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 16.08.2019 इन्तकाल सं0 401 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. रामगोपाल पुत्र लाभूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडीबी 'बी8 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

बनाम ....

प्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल
2. रोशनी पुत्री स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
3. राकेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
4. राजेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संघ शिविर में पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/22 के किला न0 5 ता 7 एवं 13 ता 24 तादादी 10.12 बीघा एवं मु0न0 114/23 के किला न0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 01.16 बीघा एवं मु0न0 114/30 के किला नं0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 2.5 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 14.13 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के कटानशुदा सड़क से सुविधाजनक रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 से होकर अपने किला नं0 21 में प्रवेश करता है। चूंकि मु0नं0 114/14 के किला नं0 1,10,11,20,21 में पक्की सड़क बनी हुई है एवं मु0नं0 114/14 अप्रार्थी कि पिता के नाम दर्ज है जो फौत हो चुके है इसलिए काबिज वारिसों को पक्षकार बनाया गया है न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 28.03.2019 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 31.10.2019 को प्रार्थी अधिवक्ता ने आपति जाहिर की लम्बे समय से अप्रार्थी जवाब नहीं दे रहे है। अतः जवाब बन्द करने का निवेदन किया । जिसपर

न्यायहित में अप्रार्थीगण को 05.11.2019 तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया लेकिन फिर भी जवाब अप्रार्थी नहीं आने पर बहस एकतरफा सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि 3 टुकड़ो में दर्ज कागजात है। और चारों तरफ से कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा किसी भी दिशा से रास्ता की दूरी तकरीबन 5 बीघा ही पड़ती है और पक्की सड़क पर आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चित 2–2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्म हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि मु0न0 114/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में भी कटानशुदा रास्ता है और उसके बाद मु0न0 114/22 के किला नं0 1 ता 5 व 7 ता 13 व 19 ता 20 तादादी 11.5 बीघा देवीलाल पुत्र लाभूराम के नाम दर्ज है। वहां से रास्ता प्राप्त करे तो उचित है। इसप्रकार प्रार्थी का कथन है कि देवीलाल ने अपने खेत की सींव पर बड़ी डिग्गी व मकान बना रखे है। तथा रास्ता कटान 5 बीघा लम्बा ही होना है। चाहे 114/21 से हो या 114/14 से दूरी दोनो की समान है। जिसमें 114/14 से रास्ता मिलता है तो प्रार्थी अपने मु0न0 114/23 व 114/30 में भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला कोा आदेश किया जाता है कि चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी

को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. लाल खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. फरीद खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. बाखां पत्नी खाना उर्फ खानू खां जाति मुसलमान निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।,
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

3. करीम खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. फातमा खातून पुत्री हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. हैदर खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रमजान खां पति श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. रहीमा खातून पुत्री श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. अलादिता पुत्र श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल रामावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1,3, 5 ता 8 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट की माता हसीना खातून पत्नि हाकम खां को चक 8 केएलडी के मु0न0 18/11 के किला नं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटन खातेदारी थी।

और इसी मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपैच आंवटन होकर खातेदारी हुई जो माता के स्वर्गवास पश्चात इतकाल सं0 240 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेट सं0 3 ता 8 के नाम से विधिवत दर्ज हुई। जिसमें इन्तकाल सं0 240 को दिनांक 06.06.2011 द्वारा पुश्त पर किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा कम करते हुए पुनः स्वीकृत किया और हवाला दिया की उक्त भूमि इन्तकाल सं0

237 से रेस्पोडेट सं0 1 के नाम दर्ज है जो जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को मु0आम द्वारा करवाया गया है। जो आधारहीन है बैयनामा वर्ष 1999 में हुआ और उसका जैरअपील आदेश 20.05.2011 को लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ जो एकतरफातोर पर किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है।

अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल पश्चात दिनांक 30.11.2011 को रेस्पोडेट सं0 1,3 5 ता 8 मय अधिवक्ता उपस्थित आये एवं 19. 11.2012 को रेस्पोडेट 4 व 7 ने लिखित कथन पेश किया पत्रावली वास्ते बहस जैरकार रही इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुंडल में दिनांक 15.06. 2016 को पारिवारिक समझौते अनुसार विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद दिनांक 14.07.2016 को रिव्यू किया गया रेस्पोडेट सं0 1 व 3, 5 ता 8 की ओर से लिखित बहस पेश हुई एवं दिनांक 31.10.2019 को अंतिम अवसर देकर बहस दिनांक 21.11. 2019 को स्वतः बहस सुनी समझी जाकर निर्णय हेतु रखी गई।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदेश का घ्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और दिनांक 27.06.2011 को रेस्पोडेट के द्वारा धमकी देने पर ही जानकारी हुई और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है वहीं रेस्पोडेट ने लिखित बहस पेश कर अपील निरस्त करने की इस्तदुवा की है और लिखित बहस में रेस्पोडेट ने बताया रेस्पोडेट सं0 1 ने दिनांक 26.06.1999 से जरिये बैयनामा जैरअपील भूमि खरीदकर कब्जा ले लिया था और जैरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये बैयनामा तस्दीक कर दिया।

जिसपर निरंतर रेस्पोडेट सं0 1 काबिज काश्त है तथा हसीना खातून के वारिस रेस्पोडेंट 3, 5 ता 8 ने भी उक्त बैयनामे पर सहमति दी है तथा रेस्पोडेंट ने R.R.T. 2003 (1) Page 647 व R.R.T. 2012 (1) Page 374 व R.R.T. 2001 (2) Page 1238 व R.R.T. 2003 (2) Page 1034 आदि न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है। इसप्रकार अपीलांट केवल इस आधार पर अनुतोष चाह रहे है कि जैरअपील आदेश लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ है तथा एकतरफातोर पर बिना अपीलांट को सुने बैयनामा के आधार पर जैरअपील आदेश गलत दर्ज हुआ है। जो कायम रखने योग्य नहीं है। पत्रावली में वर्णित कथनों व दोनों पक्षकारों के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपील

अपीलांट जैरअपील आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि लम्बी अवधि बाद बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल तस्दीक किया गया है, उचित नहीं है। जबकि नामान्तकरण सरसरी कार्यवाही है जबतक भूमि के क्रेता के अधिकार बने रहेगे तथा संक्षिप्त कार्यवाही से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को पेडिंग नहीं रखा जा सकता तथा उक्त जैरअपील आदेश बैयनामा दिनांक 26.06.1999 की पालना में दर्ज किया गया है। बैयनामा सही है या गलत उसकी विवेचना न्यायालय हाजा करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर प्रकरण सं0 9/14 द्वारा अपीलांट का सिविल वाद बैयनामा निरस्त करने का वाद दिनांक 19.09.2018 से खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में बैयनामा आजदिनांक तक कायम है। जैरअपील आदेश में सारभूत या कानूनी त्रुटि नजर नहीं आ रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इंतकाल सं0 237 दिनांक 20.05.2011 को कायम रखा जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. लाल खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. फरीद खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. बाखां पत्नी खाना उर्फ खानू खां जाति मुसलमान निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।,
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

3. करीम खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. फातमा खातून पुत्री हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. हैदर खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रमजान खां पति श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. रहीमा खातून पुत्री श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. अलादिता पुत्र श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल रामावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1,3, 5 ता 8 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट की माता हसीना खातून पत्नि हाकम खां को चक 8 केएलडी के मु0न0 18/11 के किला नं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटन खातेदारी थी।

और इसी मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपैच आंवटन होकर खातेदारी हुई जो माता के स्वर्गवास पश्चात इतकाल सं0 240 दिनांक 20.05. 2011 के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेट सं0 3 ता 8 के नाम से विधिवत दर्ज हुई। जिसमें इन्तकाल सं0 240 को दिनांक 06.06.2011 द्वारा पुश्त पर किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा कम करते हुए पुनः स्वीकृत किया और हवाला दिया की उक्त भूमि इन्तकाल सं0 237 से रेस्पोडेट सं0 1 के नाम दर्ज है जो जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को मु0आम द्वारा करवाया गया है। जो आधारहीन है बैयनामा वर्ष 1999 में हुआ और उसका जैरअपील आदेश 20.05.2011 को लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ जो एकतरफातोर पर किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। जैरअपील आदेश

इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 आमसभा मीटिंग में दिनांक 20.05.2011 को पेश किया गया जिसको पुनः पटवारी हल्का द्वारा पुश्त पर दिनांक 06.06.2011 को पुनः संशोधित कर स्वीकृत किया जो कानून में नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया है। जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है।

अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल पश्चात दिनांक 30.11.2011 को रेस्पोडेट सं0 1,3 5 ता 8 मय अधिवक्ता उपस्थित आये एवं 19. 11.2012 को रेस्पोडेट 4 व 7 ने लिखित कथन पेश किया पत्रावली वास्ते बहस जैरकार रही इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुंडल में दिनांक 15.06. 2016 को पारिवारिक समझौते अनुसार विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद दिनांक 14.07.2016 को रिव्यू किया गया रेस्पोडेट सं0 1 व 3, 5 ता 8 की ओर से लिखित बहस पेश हुई एवं दिनांक 31.10.2019 को अंतिम अवसर देकर बहस दिनांक 21.11. 2019 को स्वतः बहस सुनी समझी जाकर निर्णय हेतु रखी गई।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदेश का घ्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और दिनांक 27.06.2011 को रेस्पोडेट के द्वारा धमकी देने पर ही जानकारी हुई और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है वहीं रेस्पोडेट ने लिखित बहस पेश कर अपील निरस्त करने की इस्तदुवा की है और लिखित बहस में रेस्पोडेट ने बताया रेस्पोडेट सं0 1 ने दिनांक 26.06.1999 से जरिये बैयनामा जैरअपील भूमि खरीदकर कब्जा ले लिया था और इंतकाल सं0 237 अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये बैयनामा तस्दीक कर दिया।
जिसपर निरंतर रेस्पोडेट सं0 1 काबिज काश्त है तथा हसीना खातून के वारिस रेस्पोडेंट 3, 5 ता 8 ने भी उक्त बैयनामे पर सहमति दी है तथा रेस्पोडेंट ने R.R.T. 2003 (1) Page 647 व R.R.T. 2012 (1) Page 374 व R.R.T. 2001 (2) Page 1238 व R.R.T. 2003 (2) Page 1034 आदि न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है। इसप्रकार अपीलांट केवल इस आधार पर अनुतोष चाह रहे है कि जैरअपील आदेश लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ है तथा एकतरफातोर पर बिना अपीलांट को सुने कि जैर अपील आदेश दिनांक 20.05.2011 को पारित हो चुका है एवं विरासतन दर्ज हो गया तो पुनः दिनांक 06.06.2011 को दुरस्त कर स्वीकृत किया गया है वो उचित नहीं है एवं कायम रखने योग्य नहीं है। पत्रावली में वर्णित कथनों व दोनों पक्षकारों के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपील अपीलांट जैरअपील आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 आमसभा मीटिंग में दिनांक 20.05.2011 को पेश किया गया जिसको पुनः पटवारी हल्का द्वारा पुश्त पर दिनांक 06.06.2011 को पुनः संशोधित कर स्वीकृत किया जो कानून में नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया है। जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है। जबकि नामान्तकरण सरसरी कार्यवाही है जबतक रजिस्टर्ड बैयनामा कायम है तबतक भूमि के

क्रेता के अधिकार बने रहेगे तथा संक्षिप्त कार्यवाही से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को पेडिंग नहीं रखा जा सकता तथा उक्त जैरअपील आदेश बैयनामा दिनांक 26.06.1999 की पालना में इंतकाल सं0 237 दर्ज किया गया है। चूंकि जैर अपील आदेश इंतकाल सं0 240 पारित करते वक्त सहवन से किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा भूमि विरासतन दर्ज कर दी गई जबकि इससे पूर्व इंतकाल सं0 237 से उक्त भूमि जरिये बैयनामा के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसको उक्त जैरअपील आदेश से केवल दुरस्त किया गया है। किसी भी प्रकार से हक प्रभावित नहीं है। इसलिए इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। बैयनामा सही है या गलत उसकी विवेचना न्यायालय हाजा करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर प्रकरण सं0 9/14 द्वारा अपीलांट का सिविल वाद बैयनामा निरस्त करने का वाद दिनांक 19.09.2018 से खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में बैयनामा आजदिनांक तक कायम है। जैरअपील आदेश में सारभूत या कानूनी त्रुटि नजर नहीं आ रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 को कायम रखा जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई साकिन चक 1–2 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति मजहबी चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला जिला बीकानेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी की चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 2 ता 8 14 ता 16, 23 ता 25 तादादी 13 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। जो चक 29 केवाईडी 'ए' के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जो प्रार्थी के किला नं0 23 ता 25 के मध्य निकलता है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी मु0न0 17/6, 17/14 के किला नं0 21 ता 25 जहां 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज कागजात है से होकर मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से अपने किला नं0 23 में प्रवेश करता है। मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जो राजनीतिवश झगड़ा–फसाद करता है। प्रार्थी ने काफी बार रास्ता कटान व चालू करवाने का प्रार्थना पत्र राजस्व केम्पों में दिये। प्रार्थी किला नं0 21 ता 22 में रास्ता कटवाना चाहता है तथा नियमानुसार धारा 251 'क' की पालना में रास्ता चाहता है तथा प्रार्थी ने अपने किला नं0 23 ता 24 में भी 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करने की सहमति दी है।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं। तहसीलदार खाजूवाला से मौका

रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई चूंकि प्रकरण दिनांक 29.08.2016 से जैरकार है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पर बहस एकतरफा सुनी गई।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व तहसीलदार रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अपने मु0न0 17/22 में जाने के लिए मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से रास्ता चाहा है एवं साथ ही स्वंय ने भी अपने किला नं0 23 ता 24 में रास्ता कटान करने की स्वीकृति पत्र दिया है। चूंकि प्रार्थी की भूमि केवाईएम माईनर के दोनों तरफ है और रास्ता खेत की अहम आवश्यकता है ।

उक्त दशा में प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और आवश्यकता अत्यांतिक है । रिपोर्ट तहसीलदार व नक्शा से भी उक्त रास्ते की ताईद की है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र में राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) भी लिखा जो सार्वजनिक उपक्रम में है। प्रार्थी को केवल 251 क में भी उपचार उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 24 में पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज करें तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को किला नं0 21 ता 22 की 2–2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी से दुगुनी राशि एक माह में देकर रिकॉर्ड में अंकन करावें। गुजरने मियाद या राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर अमानत मद में तहसीलदार जमा कर रिकॉर्ड में गैरमुमकिन दर्ज कर रास्ता चालू करवावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 78/15

1. चुनीदेवी पत्नि हीराराम जाति जाट साकिन चक 23 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. चीमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट साकिन चक 23 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र पेमाराम जाति माली साकिन चोखा तहसील/जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थीगण की चक 23 केजेडी के मु0न0 5/27 के किला न0 1 ता 9, 13 ता 17, 25 तादादी 15 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के चक 23 केजेडी की सींव पर एच.डब्ल्यु.एम. माईनर निकलता है जो प्रार्थीगण अपने खेत के मु0न0 5/19, 5/11, 5/3 के प्रत्येक किला नं0 1ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ते से होकर एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225/59 के किला लं0 5 पर बनी पुली पूर्व से पश्चिम किला नं0 4,3,2,1 से पक्की सड़क बल्लर से खाजूवाला रोड चढ़ते है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मु0न0 225/59 के किला नं0 1 ता 5 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है रिकॉर्ड में कटान नहीं होने की वजह से अप्रार्थी तंग व परेशान करता है। जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है वह अपनी जोत में नहीं पहुॅच पाते। जिसे रिकॉर्ड में कटान कर चालू करवाने की इस्तदुवा की है।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिपोर्ट ली गई जो

शामिल पत्रावली की गई चूंकि प्रकरण दिनांक 02.09.2015 से जैरकार है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पर बहस एकतरफा सुनी गई।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व तहसीलदार रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अपने मु0न0 5/19, 5/11, 5/3 के प्रत्येक किला नं0 1ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ते से होकर एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225/59 के किला लं0 5 पर बनी पुली पूर्व से पश्चिम किला नं0 4,3,2,1 से पक्की सड़क बल्लर से खाजूवाला रोड चढ़ते है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मु0न0 225/59 के किला नं0 1 ता 5 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण को रास्ता खेत की अहम आवश्यकता है ।

उक्त दशा में प्रार्थीगण के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और आवश्यकता अत्यांतिक है । रिपोर्ट तहसीलदार व नक्शा से भी उक्त रास्ते की ताईद की है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र में राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) भी लिखा जो सार्वजनिक उपक्रम में है। प्रार्थी को केवल 251 'क' में भी उपचार उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1 एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225/59 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज करें तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 को किला नं0 1 ता 5 की 2–2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी से दुगुनी राशि एक माह में देकर रिकॉर्ड में अंकन करावें। गुजरने मियाद या राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर अमानत मद में तहसीलदार जमा कर रिकॉर्ड में गैरमुमकिन दर्ज कर रास्ता चालू करवावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. गोलाराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सोनाराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
3. श्रवणराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
4. बंशीलाल पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।

5. श्रीमती पारसी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
6. श्रीमती चोथी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी अणवाना डावरा तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
7. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री जवरीलाल जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
8. सरपंच ग्राम पंचायत सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री आर.एन. बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1 ता 7 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 09.04.2007 को खातेदार हड़मानराम पुत्र पोकरराम ने अपनी कृषि भूमि चक 10 केजेडी के मु0न0 142/46 व 142/54 की कुल 37 बीघा 5 बिस्वा की वसीयत की थी और वसीयतकर्ता हड़मानराम का देहान्त 03.10.2011 को हो गया। और प्रार्थी ने दिनांक 04.05.2012 को वसीयत का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 07.05.2012 को अखबार में आमसूचना दी गई।

जिसको नजरअंदाज कर दिनांक 20.05.2012 को इंतकाल सं0 177 कर दिया जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है जिसे निरस्त किया जाकर इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 31.08.2012 को रेस्पोडेन्ट 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत उपस्थित आये बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अंदरमियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील भूमि रेस्पोडेंट के पिता के नाम बतौर भूमिहीन पुख्ता आंवटन थी। जो दिनांक 26.02.2009 को पुस्तक सं0 221 क्रं0सं0 36 से खातेदारी सनद जारी होकर इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.05.2009 से खातेदार दर्ज हुई। जिसपर निरन्तर रेस्पोडेंट काबिज काश्त है। पिता के फौत पश्चात जैरअपील आदेश से विरासतन काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की थी व तथाकथित वसीयत जो पेश की गई है वह फर्जी व कुटरचित है जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेंट ने एफआईआर नं0 241/2012 थाना खाजूवाला में 420–467, 468–471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराई जिसमें एफ.आर. पेश होने पर माननीय एम.जे.एम. कोर्ट खाजूवाला से एफ.आर. 152/12 में प्रसंज्ञान

लेकर पुनः जांच हेतु थाना खाजूवाला को भेजी जो आजदिनांक तक जैरकार है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट द्वारा पेश की गई वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है जबकि उक्त भूमि दिनांक 26.02.2009 को खातेदारी हुई थी तो ऐसी स्थिति में गैर–खातेदार को वसीयत करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 से प्रतिबंधित है। जिसके पक्ष में एक दृष्टांत RRT 2008(2) के पेज 1117 RB पेश किया जिसमें एकदम साफ है कि गैरखातेदार भूमि की वसीयत या अन्तरण निषेध है। साथ ही उक्त भूमि ही भूमिहीन आंवटन है और भूमिहीन आंवटन भूमि पर पूरे परिवार का हक निहित है। यह स्वअर्जित सम्पति नहीं मानी जाती चूंकि परिवार के हर सदस्य की साझा आय से उक्त भूमि की कीमत चुकाई जाती है। यदि भूमिहीन आंवटी भूमि का अंतरण करता है तो वह अपने भूमिहीन आंवटी भूमि का अंरतण करता है तो वह अपने भूमिहीन परिवार को निराश्रित छोड़ देगा और भूमिहीन व्यक्ति/परिवार को भूमि आंवटन का प्रायोजन ही विफल हो जायेगा । इस संबंध में दृष्टांत RRT 2014(1) पेज 209 RB खण्डपीठ रामकिशन बनाम आईदान वगै0 पेश की साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट एकतरफा दिनांक 09.04.2007 की वसीयत पेशकर उपचार चाहता है और एकतरफा दिनांक 09.04.2007 का ही अपीलांट के नाम इकरारनामा दर्शाकर एक विर्निष्ट अनुतोष बाबत अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर में दावा कर मुताबिक इकारनामा अनुतोष चाहता है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वंय कन्फ्यूज है कि उसे उपचार वसीयत से लेना है। या इकाररानामा से चूंकि दोनो ही दस्तावेज एकदूसरे के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने अपील में बताया कि जैरअपील भूमि उसे दिनांक 09.04.2007 को नोटेरी रजिस्टर्ड इन्ट्री नं0 2728 से वसीयत दर्जकर उसके हक में हड़मानराम पुत्र पोकरराम ने दर्ज करवाई थी। और उसकी फौत पश्चात प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया था कि वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज किया जावे जबकि इसी दौरान उक्त जैरअपील आदेश विरासतन दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट ने यह कहीं नहीं साबित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्रा0प0 सामरदा को उक्त वसीयत की जानकारी दी या पंचायत प्रस्ताव में उक्त वसीयत को कहीं पेश किया साथी ही उक्त वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है। जबकि जैरअपील रकबा इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.09.2009 से खातेदार हुआ है। और खातेदारी सनद भी दिनांक 26.02.2009 को जारी हुई है तो ऐसी स्थिति में गैरखातेदारी की वसीयत राज0 काश्तकारी अधिनियम धारा 39 से निषेध है। साथ ही वसीयत प्रथमदृष्टया संदिगध है। चूंकि इसी भूमि का अपीलांट के नाम ही इसी दिनांक यानि 09.04.2007 का ही इकाररानामा होना संदिग्धता को बल देता है।

चूंकि वसीयत प्रेमभाव व बिना प्रतिफल मृतक की अंतिक ईच्छा का परिणाम है। जबकि ईकारारनामा स्पष्ट प्रतिफल आधारित है। साथ ही माननीय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 में इकरारनामा की पालना का सिविल वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उक्त भूमि स्वअर्जित नहीं है। चूंकि आंवटन भूमिहीन है। जिसपर समस्त परिवार का हक निहित है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश की गई नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. हनुमान बिश्नोई पुत्र श्री बालूराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं0 23 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. संदीप कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. भादरराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
4. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
6. उपपंजीयक खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बद्रीप्रसाद सिंवर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रिछपाल बिश्नोई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी. एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी के चक 1 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0न0 101/29 के किला नं0 1,2,9,10,11 में कुल 4.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। जिसमें आने जाने के लिए मुताबिक नक्शा 365 हेड रोड़ से इसी मुरब्बा के किलानं0 3 ता 4 पूर्व से पश्चिम 4–4 बिस्वा अर्थात 32 फीट चौड़े रास्ते से अपने खेत में जाता है। जो रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 के नाम दर्ज है। जिसे न्यायहित में कटान कर रिकॉर्ड में रास्ता खेत दर्ज किया जाकर चालू करवाने की इस्तदुवा की है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 मय अधिवक्ता उपस्थिति आये। जिन्होनें इकबालिया जवाब पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व नक्शा मौका का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिए किला नं0 3 ता 4 में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से समझौता भी हो चुका है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर अपनी खातेदारी किलानं0 3 ता 4 में 4–4 बिस्वा पूर्व से पश्चिम खेत की सींव पर देने की सहमति दी है। और अपने जवाब के पैरा सं0 5 में साफ जाहिर किया कि हमने बिना किसी दवाब उक्त रास्ता दिया है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 3 ता 4 में यदि 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है। तो प्रार्थी कोा एतराज नहीं है और ना ही कोई दावा क्लेम भविष्य में करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। तथा पक्षकारों में भी न्याय की मंशा है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1 बी.आर.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 101/29 के किला नं0 3 ता 4 में 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम मुरब्बे के सींव पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर मौके पर चालू करवावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. मुसेखां पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अमीरखां पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. अब्दूलहक पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. अमीराखातुन पुत्री इब्राहीम खां पत्नि सुलेमुहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सतारखां पुत्र लधेखां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. खानों पुत्री लधेखां पत्नि रहीमबक्स जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रिछपाल विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।

3. रेस्पोडन्ट सं0 2 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के नाना लधेखां पुत्र सोजल खां जाति मुसलमान निवासी समेवाला की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 केजेडी 'ए' तहसील खाजूवाला के मु0न0 102/22 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 15 बीघा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के नाना लधे खां की मृत्यु दिनांक 27.11.2009 को हो चुकी है।

अपीलांट की नानी साबो की मृत्यु दिनांक 04.10.2004 को हो चुकी है। अपीलांट के नाना–नानी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न अपील मीमो है तथा अपीलांट के नाना–नानी के फौत हो जाने के बाद लधेखां के जायज वारिसान मुताबिक कुर्सीनामा खानो खातुन, सतार खां, हंसो कुल तीन प्रथम पंक्ति के वारिस है तथा हंसो (पुत्री) की मृत्यु दिनांक 05.02.2007 को होने पर अपीलांट्स उसके जायज वारिसान है। उक्त कुर्सीनामा मुताबिक अपीलांट्स की माता हंसो लधे की जायज वारिस थी तथा मुताबिक उतराधिकार के अपीलांट्स के नाम उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा जरिये वारिसनामा के इन्तकाल सं0 307 दिनांक 06.09.2010 को दर्ज होना था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल के समय अपीलांट्स को भूमि से वंचित कर दिया। उक्त इंतकाल की अपील प्रस्तुत कर अपीलांट्स नामांतरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 बाबत् भूमि चक 8 केजेडी 'ए' मु0न0 102/22 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 15 बीघा बाबत् निरस्त कर अपीलांट्स का नाम लधे खां के वारिसान के तौर पर शामिल कर मुताबिक कुर्सीनामा पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 01.08.2017 को रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रिछपाल विश्नोई उपस्थित आये और रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 18.011.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अंदरमियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की माता हंसो पुत्री लधे खां जायज वारिस थी । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा सहवारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव

ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेशकर अपीलांट्स ने अपने नाना की कृषि भूमि का विरासतन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की माता हंसो पुत्री लधे खां जायज वारिस थी । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा सहवारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत कर दिया जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है तथा अपीलांट्स लधेखां की पुत्री हंसो के जायज वारिसान है जिनका नाम अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 में शामिल होने के विधिवत अधिकारी है ।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 चक 8 केजेडी 'ए' अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि लधे खां पुत्र सोजल खां के मु0न0 102/22 की 15 बीघा भूमि का जायज वारिसान को जांच कर विधि सम्मत विरासतन कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. रामचन्द्र पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थी

1. दौलतराम पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
3. उपपंजीयक खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 के किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी 8.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2–2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवेश करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में

कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में पश्यिम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 19.07.2019 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया । उभयपक्ष बहस सुनी गई।

जिसमें अधिवक्ता ने जवाब पेश किया और अप्रार्थी अधिवक्ता ने सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी रास्ता चाहता है तो उसे रास्ता के बदले चिपते अन्य किले से उसे 2–2 बिस्वा भूमि है। प्रार्थी यदि भूमि के बदले भूमि देना चाहता है तो अप्रार्थी सहमत है। अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी भूमि चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 कि किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी कुल 8 बीघा कमाण्ड दर्ज कागजात है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2–2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवेश करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में पश्यिम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट

संलग्न पत्रावली है।जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 1 एमटीएम के मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 पश्चिम से पूर्व 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.स. ..... सुखविन्द्रसिंह, स्वर्णसिंह बनाम सरकार प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12.09.2019	आज यह पत्रावली तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/20/1005 दिनांक 02.09.2019 के साथ प्रार्थना पत्र सुखविन्द्रसिंह, स्वर्णसिंह का बाबत चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करने प्राप्त होने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया है कि चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 की किला नं0 17/2 0.165 है किला नं0 18/2 0.101 है किला नं0 23/2 0.101 है किला नं0 24 0.253 है किला नं0 25 0.126 है कुल 0.746 है भूमि स्वर्णसिंह वल्द जंगीरसिंह कौम जटसिख सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो BOB शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है एवं मु0न0 11 की किला नं0 1 ता 12, 13/1, 18/1, 19 ता 22 व 23/1 की कुल 3.974 है. भूमि वरदेवसिंह जसदेवसिंह पि. जगरूपसिंह कौम जटसिख सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो OBC शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है। मौके पर चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 की दक्षिण सीमा पर रास्ता चल रहा है जिस पर वर्तमान में ईंटों का खुर्रा (खड़बंजा) बना हुआ है। मु0न0 11 के किला नं0 25 के पूर्व दिशा से रायसिंहनगर से करड़वाली दक्षिण कोने से 14 एन.पी. आबादी को जाने वाली पक्की सड़क लगती है। प्रार्थीगण द्वारा चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवदेन किया गया है, जिसमें से किला नं0 23/2, 24 व 25 प्रार्थी श्री स्वर्णसिंह की खातेदारी है जिसने प्रार्थना पत्र में रास्ता देने हेतु सहमति भी प्रदान की है। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण किला नं0 23/2, 24 ,25 में रास्ता देने को तैयार है। परन्तु किला नं0 21–22 के खातेदारो की सहमति के संबंध में कोई टिप्पणी तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं की हैं तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार चक 14 एन.पी. के मु0न0	

	11 किला नं0 21 ता 25 की दक्षिण सीमा पर रास्ता चल रहा हैं। जिस पर वर्तमान में ईंटों का खुर्रा/खड़वंजा बना हुआ हैं। लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के आधार पर चक 14 एन.पी. मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 में मौका पर चालू रास्ता का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में

हुक्म	प्र.स. ..... सीताराम कृष्णलाल बनाम सरकार प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति	जारी किए
12.09. 2019	आज यह पत्रावली तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/20/1006 दिनांक 02.09.2019 के साथ प्रार्थना पत्र सीताराम–कृष्णलाल का बाबत चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में पुराना चालू रास्ता स्वीकृत करने प्राप्त होने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया है कि चक करड़वाली के मु0न0 47/1 की 2.526 है बारानी भूमि सीताराम पुत्र नत्थूराम 1.263 है, कृष्णलाल पुत्र डूंगरराम 1.263 है, कौम कुम्हार सा.देह के नाम एवं 0.004 है, बारानी भूमि शिवनारायण पुत्र रूपाराम कौम कुम्हार सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है। चक करड़वाली के मु0न0 47/2 की 3.517 है, बारानी भूमि कालूराम, ताराचन्द, कृष्णलाल ओमप्रकाश पि. गिरधारी कौम कुम्हार सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो सिंडिकेट बैंक शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है। मौके पर दक्षिणी सीमा पर रास्ता चल रहा है। मु0न0 47/1 व 47/2 के पश्चिम दिशा में सड़क लगती है एवं पूर्व दिशा में मु0न0 46 व 45 में रास्ता स्वीकृत है व मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया गया है जिसमें से मु0न0 47/1 में प्रार्थी श्री सीताराम पुत्र नत्थुराम व कृष्णलाल पुत्र डुंगरराम की 2.526 है, बारानी भूमि खातेदारी है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई है। चक करड़वाली में मु0न0 का ही अंकन है किला नं0 का अंकन नहीं है। अतः रास्ता मु0न0 47/1 व 47/2 की दक्षिणी सीमा पर दर्शाया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवदेन किया गया है जिसमें मु0न0 47/1 में प्रार्थी श्री सीताराम पुत्र नत्थुराम व कृष्णलाल पुत्र डूंगरराम की 2.526 है, बारानी भूमि खातेदारी है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर तथा नजरिया नक्शा के अवलोकन के आधार पर चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47/1 व 47/2 में मौके पर दक्षिणी सीमा	

	पर चालू रास्ता का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. मदनलाल पुत्र खिराजराम जाति सुथार साकिन राजीव नगर, खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर। .....
   अपीलांट

बनाम

1. माशुक अली पुत्र श्री लखे खां जाति मुसलमान निवासी 2 बीआरडब्लूएम, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 7 पीएचएम।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेसपोडेन्ट सं0 1 एकपक्षीय कार्यवाही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक.....

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल राशि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 रेस्पोडन्ट सं0 3 के प्रतिनिधि हल्का पटवारी ने दर्जकर आर.आई. की जांच बाद रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने राजनीतिक रंजिशवश दिनांक 20. 04.2018 को मौके पर विवाद का नोट लगाकर निरस्त फरमा दिया गया। जो रंजिशवश किया गया है और रेस्पोडेन्ट सं0 2 को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील आदेश निरस्त किया जावे।

सर्वोतम अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलबी समन जारी कर तलब किया गया जिसपर रेस्पोडेन्ट सं0 1 उक्त नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट से तलबी हुई। अन्य रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के विरुद्ध दिनांक 16.12. 2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस में भी बताया कि उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद किया है और वरवक्त बैयनामा कब्जा ले लिया गया था। फिर भी राजनीतिक रंजिशवश बिना मौका मुआयना किये बिना प्रस्ताव एकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है।

अपीलांट की बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया। चूंकि अपीलांट ने जैर अपील भूमि में से 1/6 हिस्सा रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 08.06.2017 को खरीद किया है। जिसका जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 218 को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.04.2018 को भरा है तथा आई.आर. 6 पीएचएम ने उसको बैयनामा का रिकॉर्ड से मिलान होता है की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 को कर दी । उसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने दिनांक 30.04.2018 को उक्त जैरअपील आदेश से इंतकाल अस्वीकृत किया है। जो कतई न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचना बिना मौका मुआयना बिना प्रस्ताव लिए उक्त आदेश पारित किया है तथा यह आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है। जिसे कायम रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

अपील मियाद पत्र पर भी अपीलांट को सुना गया अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन किया कि उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पेश किया है। अपीलांट ने विभाजन का वाद के जवाब हेतु रिकॉर्ड चाहा तो जानकारी हुई अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश की है। जो अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। जिसपर रेस्पो0 ने भी कोई काउन्टर शपथ पत्र व खण्डन पेश नहीं किया है। चूंकि अपील में सारभूत व गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है। इसलिए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन भूमि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल राशि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 दिनांक 20.04.2018 आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व आर0आई0 रिपोर्टो के विपरीत जाकर जो जैर अपील आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश इन्तकाल सं0 218 दिः 20.04.2018 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि बैयनामा अनुसार इंतकाल स्वीकृत

किया जावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/19

1. रामेश्वरलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम ....प्रार्थी

1. गिरधारी लाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. जेठाराम पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
3. रामेश्वरलाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
4. फूसीदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
5. परूदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मखनसिंह राठौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भीमसिंह डूकिया विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 एकपक्षीय कार्यवाही।

4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक :– 2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225/16 में 6 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड , मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के मु0न0 226/33 में कुल 8.00 बीघा भूमि है।

और इसी मुरब्बे में ही अप्रार्थीगण की कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि है तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के किला नं0 23 ता 25 से होते हुवे प्रार्थी अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। जो अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 के किला नं0 25 के टच है। प्रार्थी किला नं0 23,24,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता कटान चाहता है। और न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर और अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 बावजूद नोटिस तलब होने पर उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 03.12.2019 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। और दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थी सं0 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र O7R11 CPC पेश किया। जिसपर प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया एवं जिसपर दिनांक 14.01.2020 बहस और प्रार्थना पत्र पर की विवेचना के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O7R11 CPC व 151CPC न्यायालय ने खारिज किया और अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 28.01.2020 को जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया और अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों के पैरा सं0 4 में अप्रार्थीगण की 11.00 बीघा भूमि अलाट होना स्वीकार की एवं शेष सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी की मु0न0 226/25 में से होकर रास्ता लगता है। अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता

बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225/16 में 6 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि के किला नं0 23 ता 25 से 1–1 बिस्वा रास्ता से होते हुवे अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी मु0न0 226/33 के किला नं0 23,24,25 में रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 1–1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि खातेदार किस्तुराराम के वारिसो (अप्रार्थीगण) को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक किस्तुराराम के वारिस वारिसनामा सहित उपस्थित नहीं होकर उक्त राशि नहीं लेते है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

3. सतार पुत्र श्री मोलाबक्श जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थी

बनाम

11. नगेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

..... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

7. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
8. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
9. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार कि प्रार्थी ने सन् 2015 में चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 के किला 1 ता 25 कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीद कर नामान्तरण सं0 43 से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली। प्रार्थी के मु0न0 58/21 में किला नं0 1 ता 25 में रास्ता/खाला नहीं है। और अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 के किला नं0

5,6,15,16,25 में खाला स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त खाला कच्ची साख द्वारा संचालित होता है। लेकिन ग्राम पंचायत उक्त स्वीकृतशुदा खाला को पक्का बनाना चाहती है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधियो से साठ–गाठ कर प्रार्थी के मु0न0 58/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में खाला बनाने पर उतारू है। अप्रार्थी द्वारा नाजायज रूप से पक्का खाला का निर्माण करने पर आमदा है। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत खाला ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होन पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.09.2017 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारीशुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्षा से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्षो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पेश किया है। जिसपर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदेश क्रमांक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदेश फरमाया गया है और चक 10 केएचएम के मु0न0 58/13 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा व मु0न0 58/12 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा अप्रार्थी सं0 1 स्वंय की है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाशन खण्ड खाजूवाला आदेशानुसार अपने स्वंय के रकबा के मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में अपनी सीमा में ही खाले का निर्माण किया है और प्रार्थी रजिशवंश व राजनैतिक द्वेष के कारण व अप्रार्थी सं0 1 के हितो पर कुठाराघात करने के उद्देश्य से उक्त साख के निर्माण में जानबुझकर पेरशानी पैदा कर रहा है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी शुद्धा कब्जा व काश्त की भूमि वाके चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बाबत् चिरनिषेधाज्ञा जारी हो और अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी की भूमि में से पक्का खाला का निर्माण न करें। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने पुरजोर

विरोध किया और प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारीशुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्षो से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्षो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पेश किया है।

जिसपर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदेश क्रमाक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदेश फरमाया गया है। साथ ही इस संबंध में प्रार्थी ने दावा व स्थगन माननीय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला मे पेश किया था जो प्रकरण संव 35/17 सतार बनाम अधिशाषी अभियन्ता के दिनांक 19/09/19 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नहीं है। अतः मुताबिक नक्शा मौको और संबंधित विभाग के आदेश जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थी को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा की गई मांग को उचित मानते हुए और कार्यालय अधिशांषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के आदेश क्रमांक/तकनीकी/875 दिनांक 04.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 10 केएचएम के मु0न0 58/12 को सिंचाई सुविधा देने हेतु मु0न0 58/13 में किला नं0 5,6,15,16,25 से कच्चा खाला व मु0न0 58/12 के किला नं0 25 में नक्का व कच्चा खाला स्वीकृति प्रदान की है । मौके पर जब खाला चल रहा है तथा खाला अप्रार्थी के मुरब्बे में ही है। तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार रहा है प्रार्थी को नाम–जोख में सन्देह है तो नियमानुसार सीमाज्ञान करवा सकता है । उक्त प्रार्थना पत्र से मुलभूत सुविधाऐ लेने में अप्रार्थी को रोका नहीं जा सकता प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अन्तरिम स्थगन दिनांक 18.07.17 निरस्त कर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/19

वरीयम खां वगै0 बनाम करीम खातुन वगै0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक.....

..

उपरोक्त अनवानी वाद में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया और बताया कि उपरोक्त अनवान का एक प्रकरण 06–03–19 को न्यायालय में पेश किया गया था और बताया गया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण पूर्व में नाजू खां बनाम नूर मोहम्मद मु0सं0 14/95 एसीसी छतरगढ़ में पेश किया जो खारिज किया गया है तथा नूर मोहम्मद बनाम फैज मोहम्मद वगैरह का दावा माननीय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर वाद सं0 38/81 में निर्णय 09.11.1983 की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गई जो मियाद के बिन्दू पर निरस्त कर दी गई। वादी द्वारा एक ही जमीन पर उसी प्रतिवादीगण पर दुबारा दावा पेश किया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय से बाधित है । अतः दावा भारी कॉस्ट पर खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र का जवाब देकर प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रा0 पत्र के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बताया कि वर्तमान वाद फिटिंग दुरस्ती एवं कब्जे के आधार पर घोषणा का है। चूंकि वादगत भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है तथा ढाणी बना रखी है। पानी पर्ची वादीगण के नाम है तथा वादगत प्रकरण पूर्व प्रकरण समान नहीं है। पक्षकार समान नहीं और अनुतोष व जैरकार रकबा भी भिन्न है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर दावा रेस ज्यूकेटा के तहत खारिज करने का निवेदन किया । साथ ही बताया कि रेवेन्यु बोर्ड में भी प्रकरण चल रहा है।

अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान वाद एवं पूर्ववर्ती वाद का अनुतोष पक्षकार, एवं भूमि भिन्न है तथा विवाधक भी भिन्न है और वादीगण का अनुतोष फिटिंग दुरस्ती का है तथा पहले का वाद सम्पूर्ण 334 बीघा खसरो से संबंधित था। वर्तमान वाद चक प्लान के केवल 38 बीघा से संबंधित है।

वादी वरीयाम खां रिकार्ड में ही तब नहीं था तथा एक खातेदार अपने अधिकारों के लिए दावा कभी भी ला सकता है। वादीगण कभी भी कही भी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है। और वादीगण ने बताया कि उसकी रिकार्डशुदा भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है तथा वादीगण जिस भूमि पर काबिज है, वह भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। ऐसे में वादीगण को फिटिंग दुरस्ती का वाद लाना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मंथन किया । चूंकि उक्त वाद वादीगण द्वारा मुताबिक वास्तविक मौका कब्जा अनुसार घोषणात्मक फिटिंग दुरस्ती के अनुतोष के साथ पेश किया है। जिसमें पक्षकार वरीयाम खां वगै0 पुत्र नाजूखां है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 व 11 ता 14 भिन्न है तथा प्रतिवादीगण सं0 10 खरीददार पक्षकार है। जबकि पूर्व वाद में उपरोक्त पक्षकार व वादगत भूमि समान नहीं है और ना ही अनुतोष समान है। चूंकि उक्त वाद में केवल वादीगण अपने कब्जाकाश्त की 38.14 बीघा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है। जिसे गुणावगुण पर ही सुना जाना विधिसमत है क्योकि फिंटिग दुरस्ती में काबिज काश्तकार के हितो पर कुठाराघात ना हो। प्रथम दृष्टया वादीगण ने पानी पर्ची से कब्जा रिकार्डली बताया है। जिसे विवाधक कायमकर सुना जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में वाद हैतुक पारिवारिक सदस्य से बाहर प्रतिवादी सं0 10 का कुछ रकबा बैय करने से उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद पूर्ववर्ती वाद से काफी भिन्न है तथा उक्त प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी लागू नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/19

1. बसाउराम पुत्र इमीलाल जाति मेघवाल निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थी

1. सजनादेवी पत्नि बृजलाल जाति कुम्हार निवासी पतरोड़ा तहसील अनुपगढ़ हाल चक 24 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. मरियादेवी पत्नि भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 17 भैरू मोहल्ला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. श्री जयवीरसिंह तंवर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :–** 17.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी सं0 1 ता 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । दिनांक 21.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल

मिशल की गई। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र का इकबालिया जवाब दिनांक 11.02.2020 को पेश किया।

अप्रार्थी सं0 1 का जवाब शामिल मिशल किया गया जिसमें उन्होनें बताया प्रार्थी का रकबा चक 8 के.जे.डी. (ए) का मु0नं0 102/12 के किला नं0 21 में 1.00 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें कटानशुदा रास्ता था। लेकिन प्रार्थी ने उक्त भूमि को आवासीय भूमि के रूप में बेचान कर समस्त राशि प्राप्त कर ली थी और प्रार्थी अप्रार्थी के खेत में न्यायालय को भ्रमित कर रास्ता लेना चाहता है और इसी चक के मु0नं0 102/18 के किला नं0 19 में 16 बिस्वा के चिपता रकबा किला नं. 19 की 4 बिस्वा भूमि हरपाल सिंह पुत्र श्री सन्तासिंह की नामान्तरण सं0 506 दिनांक 07.11.2019 से औधोगिक संपरिवर्तन स्वीकृत है। प्रार्थी के पास मात्र 16 बिस्वा भूमि है और उसके चिपती भूमि में मौका पर भवन बना हुआ है। जब भूमि का छोटा टुकड़ा वाणिज्यिक उपयोग हो तो प्रार्थी का रकबा कृषि उपयोग की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृति के लिए कृषि भूमि का कृषि उपयोग होना आवश्यक है। और अप्रार्थी सं01 ने निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड दर्ज कागजात है तथा कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा प्रार्थी को अपने खेत में आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्प हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि प्रार्थी के अपने रकबे में प्रवेश के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी मु0न0 102/18 के किला नं0 19 के नजदीकी किला नं0 20 में 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में 2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में बताया कि मेरा रकबा दक्षिण दिशा का है तथा बैयनामा पेश किया, जिसमें नोट लगा है और प्रार्थी किला की सींव पर रास्ता चाहता है जो नजरी नक्शा में प्रार्थी ने चाहा है। इसलिए अप्रार्थी सं02 को बेवजह पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 किला नं0 20 में जो अप्रार्थी सं0 1 के कब्जा काश्त में है तथा 4/5 हिस्सा दर्ज है में से किला की सींव पर पश्चित से पूर्व 2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी सं0 1 उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 13 केजेडी (बी) कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थीया

1. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कौहरी जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 सालम, 23 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 07.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपने रकबे में काश्तकार्य हेतु आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं01 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है इसी का उपयोग करती है और इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज है प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 09.09.2019 को अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2019 जवाब पेश किया और दिनांक 14.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई।

अप्रार्थीया अधिवक्ता ने जवाब में रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीया व अप्रार्थीया के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया को अपने खेत में आने–जाने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है। अधिवक्ता प्रार्थीया व अप्रार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया परस्पर एकदूसरे को अपनी 2–2 बिस्वा भूमि देकर रास्ते का प्रकरण निपटाना चाहते है। चूंकि उक्त रास्ता केवल एक ही खातेदार के काम आने योग्य है तो क्यों न पारस्परिक स्थानान्तरण कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। हमारे मत में भी विचार है कि लोकअदालत की भावना से पक्षकारों में शांति से समझौता अनुरूप कार्य हो तो परस्पर मुकदमेबाजी कम होगी इसलिए विनम्र मत में और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, खाजूवाला को आदेश किये जाते है

कि चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16 व 25 में 2–2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे तथा परस्पर तबादले स्वरूप प्रार्थी की खातेदारी किला नं0 7 में 6 बिस्वा अप्रार्थी के चिपते पासे अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावे । तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–12/20

1. रोशनी देवी पत्नि श्री किशोरी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. हाल चक 21 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह वाद–पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। वादीया के नाम से चक 21 बी.एल.डी. (ए) का मुरब्बा नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड व चक 20 बी.एल.डी. का मुरब्बा नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 38.10 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड रकबा खातेदारीशुदा है। वादीया का विवाह ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. तह–सूरतगढ़ से हुआ और ओमप्रकाश के वैवाहिक जीवन से वादीया की कोख से तीन सन्तान हुई। विवाह पश्चात वादीया के समस्त दस्तावेज रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से बने थे। उक्त रकबा वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.02.2015 को खरीद किया । बैयनामा के दिन वादीया को समस्त दस्तावेज ओमप्रकाश के नाम से होने उक्त रकबा का बैयनामा रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से पंजीबद्ध हुआ। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं0 160 दिनांक 05.09.2015 दर्ज हो गया था।

वादीया के पति ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार की मृत्यु दिनांक 20.08.2009 हो जाने कारण वादीया के तीन सन्तानों की शिक्षा देखरेख के लिए व सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार व परिवार के लोगो की सहमति से दिनांक 12.03.2012 को वादीया का अपने मृत पति ओमप्रकाश के छोटे सगे भाई किशोरीलाल पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी 2 के.एस.आर तह–सूरतगढ़ से विवाह कर दिया । किन्तु विवाह पश्चात भी अज्ञानता वश वादीया ने फोटो पहचान दस्तावेज मृत पति ओमप्रकाश के नाम से ही चलते रहे। और वर्तमान में वादीया के पूर्नविवाह होने से अपने समस्त फोटो पहचान के दस्तावेज व अन्य दस्तावेजो में अपने पति का नाम परिवर्तन करवाकर अपने समस्त दस्तावेज रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनी देवी पत्नी श्री किशोरीलाल से बनवा लिये है किन्तु वादीया के वादगत रकबा चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा

कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल करने की घोषणा की इस्तुदुवा चाही है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वाद–पत्र में वर्णित कथनों एवं पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया और वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, Hkkभामाशाह, विवाहप्रमाणपत्र में वादीया का नाम रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल दर्ज है और वादीया इन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपनी खातेदारी वादगत भूमि कि प्रविष्टि में अपने पति के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश के स्थान पर किशोरीलाल दुरूस्त करवाने की विधिक अधिकारी है। अतः वादीया का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल घोषित किया जाता है और तदानुसार डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–15/20

1. कृष्णलाल पुत्र राजाराम जाति सोनार निवासी चक 1–2 एसएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 02.03.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1–2 एसएलएम का मुरब्बा नं0 18/61 में कुल 25 बीघा भूमि विशेष आंवटन हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय सहवन से कृष्णलाल पुत्र राणाराम दर्ज हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम राणाराम की जगह राजाराम मुताबिक आंवटन आदेश के दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा पासबुक प्रति पेश की गई साथ ही चालान प्रति तथा धरोहर राशी का चालान सं0 0096 दिनांक 13/10/2000 पेश की गई तथा चालान 35% राशी रसीद सं0 0073 दिनांक 29/11/2000 पेश की गई जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम ही लिखा गया है तथा आंवटन आदेश में भी राजाराम ही दर्ज है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता का नाम राणाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूलनिवास में भी प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी कृष्णलाल के पिता का नाम राणाराम के स्थान पर राजाराम नियमानुसार दर्ज

किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–03/20

1. नथमल पुत्र श्री शिवकिशन जाति माहेश्वरी राठी निवासी सत्तासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के पिता शिवकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 31 में 41.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि सम्वत् 2012 से पुरानी बन्दाबस्ती काश्त की भूमि थी जो बाद में चकबन्दी एवं मुरब्बाबंदी होने के बाद चक 5 एसजेएम के मु0नं0 78/31 के किला नं0 13 ता 17, 24 व 25 की 07.00 बीघा व मु0नं0 78/32 के किला नं0 4 ता 6, 15 की 4.00 बीघा व मु0नं0 78/39 के किला नं0 8,9 सालम, 10 में 17 बिस्वा, 12, 13, 18, 19 सालम, 20 में 17 बिस्वा, 21 में 14 बिस्वा, 22 में 17 बिस्वा, 23 में 17 बिस्वा की 10.19 बीघा व मु0नं0 78/40 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 22 की 18.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 39.19 बीघा अनकमाण्ड भूमि की फिटिंग हुई। प्रार्थी के पिता शिवकिशन का सम्वत् 2014 में देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण प्रार्थी व प्रार्थी के हिस्सेदार भाई सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हो गई। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2015 में दर्ज है। उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2016 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम छोड़कर केवल प्रार्थी के हिस्सेदार सोहनलाल का ही नाम दर्ज किया। तत्पश्चात 05.12.1975 में सोहनलाल का भी देहान्त हो जाने पर उक्त रकबा के रिकार्ड में सोहनलाल के वारिसान बृजरतन व करणीदान के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा उससे आगामी जमाबंदी सम्वत् 2076 में प्रार्थी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम हटा दिया। इसप्रकार प्रार्थी अपने नाम से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी की ओर से उसकी पुत्री लता मोहता व बृजरतन पुत्र श्री सोहनलाल आयु 57 वर्ष साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ ने प्रार्थना पत्र के संबंध में सहमति हेतु शपथपत्र पेश किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड व

जमाबंदी चक 5 एसजेएम के खाता सं0 57 पुराना 51 पर बृजरतन, करणीदान पि0 सोहनलाल के साथ प्रार्थी का नाम नथमल पुत्र शिवकिशन, 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। प्रार्थी का बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 का अंकन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जावे।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–66/17

1. मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ जाति मुसलमान निवासी सुरासर हाल चक 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 02.03.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 21 केजेडी का मु0नं0 24/20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24/28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड रकबा दिनांक 27.05.1974 को पुख्ता आंवटन हुआ था तथा उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जो प्रार्थी अनपढ होने कारण और आंवटन के समय फोटो पहचानपत्र दस्तावेज नहीं होने के कारण तथा बोलचाल की भाषा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉ पुत्र बहादुरसिंह के बजाय मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ दर्ज है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 07.01.2006 को प्रार्थी के नाम उक्त रकबा की खातेदारी सनद मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ के नाम से जारी कर दी गई थी। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों में मजीत खॉ पुत्र बहादुरखॉ के नाम से बने हुवे है। प्रार्थी ने चक 21 केजेडी का मु0नं0 24/20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24/28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ की जगह मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ दुरूस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये गये जिसमें प्रार्थी के छोटे भाई ने शपथपत्र पेश किया एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा आंवटन आवेदन पत्र, खातेदारी सनद पेश किये गए। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचाचत का प्रमाणपत्रत्र, मूल निवास, आधारकार्ड, परिचयपत्र, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ दर्ज है । ग्राम पंचायत करणीसर भाटियान ने बताया गांव सूरासर तहसील पूगल में मीरमन्द और मजीतखॉ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और इनसे मिलते–जुलते नाम का गांव सूरासर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। साथ ही प्रार्थी के छोटे भाई कमाल खॉ पुत्र बहादुर खॉ जाति मुसलमान निवासी सुरासर तहसील पूगल ने भी शपथपत्र पेश कर बताया कि मंजीतखॉ और मीरमन्द दोनो एक ही व्यक्ति मेरे बड़े भाई के नाम है और राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द की मंजीतखॉ कर दिया जाता है तो मुझे व मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ की जगह मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ

नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– .....

1. नखताराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी– खीरवा तहसील– फलौदी जिला जोधपुर।
2. नैनूराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
3. सिदाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

.....

अपीलांट

बनाम

1. टेहलसिंह पुत्र बुगासिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

2. रेस्पोडेन्ट एकपक्षीय कार्यवही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक.....

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के सगे भाई केवलराम के नाम से रकबा चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। और रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया तथा खरीददार अवैध जिप्सम खनन कर रहा है।

उक्त वादगत भूमि का अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेट सं0 1 व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. खाजूवाला में आपराधिक मुकदमा दिनांक 16.08.2012 को धारा 420, 406, 120'बी', 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया है । उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पारित किया है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम रिकार्ड के विपरीत जाकर जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 25.02.2020 को रेस्पो0 1 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं

किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा कर दिया । वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट के भाई ने ग्रा.पं. जोड़ तह–फलौदी जिला जोधपुर से वारिसनामा पेश किया जिसमें केवलराम के तीन भाई नेनूराम पुत्र हरजीराम, सिदाराम पुत्र हरजीराम, नखताराम पुत्र हरजीराम का जायज वारीस बताया है। चूंकि प्रकरण पक्षकारों के वसीयतन एवं विरासतन को लेकर है तथा नामान्तरण एवं फिस्किल प्रोसेसिंग है।

जिसे दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय देना था। जहां ब्लड रिलेशन से बाहर वसीयत हो तो मृतक के वारीसों को सुनकर समुचित जांचकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है रही बात वसीयत सही या फर्जी उसके लिए न्यायालय हाजा किसी प्रकार से सक्षम नहीं जहां विवाद हो जाता है और सन्देहास्पद वसीयत हो जाती है तो वहां दोनों पक्षकारों को गुणवगुण पर सुन लेना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 11.04. 2012 इन्तकाल सं0 25 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–63/19

9. सरपंच ग्रा0पं0 17 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

7. सुगनाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर, हाल 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. हनुमानराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
11. भानीराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. पेमा पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
13. गिरधारी पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

14. सम्पतकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
15. कुम्भाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
16. मंगलूराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

17. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम

आदेश **दिनांक :– 03.03.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत के चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गांव बाण्डका तक जाता है जो कि उक्त रास्ता रियासतकाल से चल रहा है तथा चकबंदी के समय से ही सीएडी ने उक्त रास्ता के खाळो पर पूल वगैरह बनाकर चालू कर रखा है। उक्त रास्ता पूर्व ग्राम पंचायत दन्तौर के रिकार्ड में कटान है तथा मनरेगा योजना में ग्रेवल सड़क भी तैयार की गई थी। परन्तु उक्त रास्ता सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रह गया है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है जो ग्राम पंचायत का कई गांवों से सम्बंध विच्छेद हो जाएगा। ग्राम सभा ने भी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का प्रस्ताव पारित किया है और रास्ता रियासतकाल से चलने के सुखाधिकार का दावा कर रास्ता रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया तथा पटवारी हल्का दन्तौर से रिकार्ड व मौका की जांच रिपोर्ट व नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करवाए गए। अप्रार्थीगण कुम्भाराम, गिरधारी, सम्पत कंवर वगैरह ने उक्त रास्ता निःशुल्क अंकन बाबत् आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। शेष

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 14.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्ताव ग्रामपंचायत व तहसीलदार रिपोर्ट नजरी–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत दन्तौर से स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चलायमान भी है और चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल सड़क निर्माण में लगा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायाहित में उचित है। चूंकि वर्तमान में धारा 251ए आटीए अस्तित्व में आ गया है लेकिन सार्वजनिक उपक्रम में आने वाले रास्तो या जनहितार्थ जहां रास्ता कटान करना है। वहां राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) प्रभावी है और उक्त प्रकरण जनहितार्थ है इसलिए इसे राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) से निस्तारित किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला तदानुसार रिकार्ड में अंकन कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 14/20

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सायरी बेवा हापूराम
2. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
4. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. गलकी
7. मोरकी
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। जनवरी 2010 को अपीलांट उक्त भूमि रिकार्ड में अराजीराज और किश्तों के अभाव में खारिज की जानकारी हुई तो अपीलांट ने बहाली की कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम विरास्तन दर्ज करवा ली। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजि0ए0डी0 सम्मन से तलब किया गया दिनांक 17.02.2020 को रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई उपस्थित आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 दर्ज करते समय

अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है और रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ प्रार्थना पत्र मीमो न्यायालय जिला जज बीकानेर का पेश किया तथा फोटो प्रतिया पेश की है जो जैरअपील पक्षकारों के सम्बंध में नही है तथा इस अपील में उक्त दस्तावेजों का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की जरिये वसीयतनामा जायज वारीसान थे । चूंकि हापूराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील भूमि के वसीयत दिनांक 12.05.1989 को अपीलांट के पक्ष में कर दी थी तथा निरन्तर कब्जा रहा है और जबतक वसीयत अस्तित्व में है तब तक उसे सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर मजमेआम में निर्णय देना था तथा पक्षकारों को सम्पूर्ण सुनवाई कर विधिसम्मत वसीयतन प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में जैरअपील आदेश कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि जैरअपील भूमि को वसीयत दिनांक 12.05.1989 के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 15/11

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. जीतासिंह पुत्र बिरामसिंह जाति बाजीगर निवासी 20 केवाइडी तहसील खाजूवाला।
2. ग्राम पंचायत सियासर चौगान जरिये सरपंच पंचायत समिती खाजूवाला।
3. सायरी बेवा हापूराम
4. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
7. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

8. गलकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
9. मोरकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से ।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक.....

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को होना बताया है और आर.आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ग्रा.प. सियासर चौगान उपस्थित हुई और रेस्पोडेन्ट सं01 द्वारा प्राथमिक आपत्ति पेश की गई। । बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे ।
जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02. 2011 को होना बताया है और आर.आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ कुछ फोटो प्रतियां 145 सीआरपीसी से सम्बंधित पेश की है तथा बहाली आदेश एवं इंतकाल प्रति पेश की और बताया की उक्त भूमि रिसिवर हुई थी तथा निगरानी जैरकार है वकील अपीलांट ने बताया की वह अलग पक्षकार है तथा अपीलांट उसमें पक्षकार नहीं है तथा जैरअपील में जो विधिक त्रुटियां है उसके खिलाफ न्यायालय में आये है जिसे सक्षम न्यायालय ही दुरस्त/निरस्त कर सकता है दिवानी प्रकिया अलग है। इसलिये उक्त दस्तावेजो का जैर अपील से सम्बंध नहीं रह जाता है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01. 2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01. 2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति पेश कि है उसमें कहीं भी पैन त्रुटि या तारीखों बाबत् खण्डन नहीं किया है अपनी आपत्ति में पैरा 2 में साथ लिखते है कि बैयनामा 11.02.2011 को करवाया गया था उसकी पालना में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को दर्ज किया गया है जो अपीलांट के कथनों को स्वतः ही साबित करते है तथा जमाबंदी अंकन में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 07.03.

2011 अंकन इससे साफ जाहिर है कि इन्तकाल दर्ज करने में अनियमितता बरती गई है और यह बैकडेट में दर्ज करने का प्रयास भी हो सकता है। सन्देह उत्पन्न करता है तथा अपीलांट ने अपना कब्जा बताया है ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान सरकार के परिपत्र में पत्रांक/रा.म./भु.अ./जी–3/प–301/05/5659 दिनांक 09/05/2008 के अनुसार भले ही रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज हो लेकिन कब्जा सिद्ध नहीं करने पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल कायम रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाकर तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 के बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को एवं कब्जा की जांच करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–73/17

1. रोशनअली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी कलां हाल चक 10 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 05.03.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 7 केएलडी हाल चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 के किलानं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन व किला नं0 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन प्रार्थी के नाम से आवंटित की गई थी। जिसकी समस्त किश्तें प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है। उक्त आवंटन शुदा भूमि में से किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक किला में 3–3 बिस्वा कुल 15 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जिसपर वर्तमान में आवागमन हेतु पक्की सड़क है। परन्तु इस रास्ते के मौजूद होते हुए भी किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश के बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जबकि नियमानुसार एक मुरब्बे में एक रास्ता अथवा एक खाला कायम करने के प्रावधान है। उक्त रास्ता वर्तमान में ना तो मौके पर चालू है और ना ही कभी आवागमन के काम आया है। परन्तु रिकार्ड व मौके की स्थिति में अन्तर होने के कारण प्रार्थी की आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि का रिकार्ड में प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को रिकार्ड

में दुरूस्ती कर रास्ते के स्थान प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज की जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार 1,10,11,20 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा तथा 21 में 5 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा कुल 1.05 बीघा पगडंडियॉ तथा रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट के विशेष में बताया कि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 में रिकार्ड अनुसार स्थिति रखी जावे तो उचित होगा। प्रार्थी द्वारा नकल आवंटन पत्रावली, आवंटन पट्टा व भूमि के किश्तों की रसीदें व टीआरए सेल रजिस्टर की तस्दीक पेश की और ग्राम पचांयत कुण्डल का अनाप्ति प्रमाणपत्र पेश किया गया और अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 136 एल0आर0ए0 में पेशकर अनुतोष उक्त भूमि का पुनः खातेदार दर्ज करने का चाहा है। जबकि धारा 136 एल0आर0ए0 में केवल दुरस्त या शुद्धि करने का अधिकार है और वह जब रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद कोई लिपिकीय या पैन त्रुटि से स्थिति में बदलाव आ जाता है तो पहले की स्थिति पुनः लाने के लिए दुरस्त प्रार्थना–पत्र लाया जा सकता है। उक्त प्रकरण में आवंटन होना सही हो सकता है लेकिन अमलदरामद करते वक्त क्या पट्टे मुताबिक दर्ज हुआ और बाद में रास्ता कटान हुआ जो जनउपयोगी नहीं होने के कारण निरस्त किया जा सकता है। परन्तु प्रार्थी ने यह कही साबित नहीं किया की रिकार्ड में समस्त भूमि आवंटन आदेश मुताबिक दर्ज हुई और खातेदारी जारी की गई बाद में गलत अंकन हुआ। यह साबित करने का भार प्रार्थी पर था। जो पत्रावली पर कहीं उपलब्ध नहीं है केवल 136 एल0आर0ए0 के प्रार्थना पत्र पर किस्म परिवर्तन कर प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने के आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी को अनुतोष लेना है तो घोषणात्मक वाद ला सकता है तथा हित एवं टाईटल की घोषणा बगैर दुरस्ती कर खातेदार दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 की परिधि में नहीं होने के कारण खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–76/16

1. शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 में 24 बीघा भूमि अंकन है तथा उक्त

मुरब्बा कि खातेदारी 25.00 की जारी की गई है । उक्त भूमि में किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा व 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान है। परन्तु आजतक किला नं0 1,10,11,20,21 का रास्ता 30 वर्षों से चालू है और किला नं0 21 ता 25 में जो कटान है वह रास्ता कभी भी चालू नहीं था तथा ना ही वर्तमान में उक्त रास्ते की आवश्यकता है। चक प्लान के अनुसार उक्त रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त रास्ता को निरस्त कर उक्त 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार चक 1 पीएचएम के मु0नं0 177/30 के किला नं0 1,10,11,20,21,22,23,24,25 में कुल 1 बीघा कमाण्ड पगडंडियॉ तथा रास्ते पगडंडियॉ (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और इसी मुरब्बे के किला नं0 1,2 ता 9 10,11,20,21,22,23,24,25 कुल 24 बीघा कमाण्ड भूमि शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर दर्ज रिकार्ड है।

इस मुरब्बे के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा मौके पर सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चालू है। इसी मुरब्बे के किला नं0 21,22,23,24,25 में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि रास्ता काम नहीं आ रहा है तथा मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी सनद, विक्रय विलेख नकल व रकम जमा कराने का चालान की तस्दीक पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया तथा खातेदारी सनद एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में भी चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 की 1 ता 25 भूमि प्रार्थी की खातेदारी है और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के लिपिकीय त्रुटि से दर्ज उक्त रास्ते को खारिज किया जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना न्यायसंगत है। अतः चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–29/19

1. विनोद कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति विश्नोई निवासी चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजूराम पुत्र श्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ. तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक 7 बीएलडी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. उपपंजीयक खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला ।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश **दिनांक :– 13.03.2020**

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि वादी व वादी के भाई रामकुमार ने प्रतिवादी सं0 1 से उसका रकबा वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा कमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर–बराबर जरिये इकरारनामा दिनांक 07.05.2019 को एवज रूपये 19,00,000/– रूपये में सौदा बैय का कर सौदा की साई पेटे राशि 5,00,000/– रूपये प्रतिवादी सं0 1 ने नकदी प्राप्त कर लिये थे तथा बकाया राशि वर–वक्त बैयनामा पर देना तय हुआ था। उक्त भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में दिनांक 17.07.2019 को कराने का करार किया था तथा इकरारनामा की दिनांक को ही वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि कब्जा वादी को करवा दिया गया था। तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एवं हम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा प्रतिवादी सं0 1 ने जानबूझकर बईमानी से

टाल–मटोल करते रहे। अब प्रतिवादी सं0 1 कृषि भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील प्रतिवादी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 तथ्य स्पष्ट रूप से अस्वीकार है और कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। वादी द्वारा वाद पत्र के जरिये इकरारनामा की पालना बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है और धारा 92ए में अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार है और मौके पर कब्जा नहीं होना जो बताया है वह अस्वीकार है । क्योंकि प्रथमतः कब्जा होना या नहीं होना आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रीव्यू में नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 25.07.2019 को वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा कमाण्ड भूमि में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादी को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादी ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 17.07.2019 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा भूमि कमाण्ड/ अनकमाण्ड जरिये ईकरारनामा वादी एवं वादी के भाई ने प्रतिवादी सं0 1 से खरीद की है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद–पत्र क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक **13.03.2020** को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड
अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 04/18

1. रोहित पुत्र शुभकरण जाति ब्राहम्ण निवासी भटोली फकोरियान तह– देहरा जिला कांगड़ा हाल आबाद चक 8 केवाईडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 13.03.2020**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट के पिता स्व0 श्री शुभकरण पुत्र श्री मंगतूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि पौंग बॉध विस्थापित होने के एवज में प्राप्त है, की एक रजिस्ट्रर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष में करवाई गई थी। अपीलान्ट के पिता श्री शुभकरण की मृत्यु दिनांक 21.02.2017 को होने के बाद अपीलांट अपनी उक्त वसीयतशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट ने उक्त वसीयत का फैसला डिप्टी कमीशनर कांगड़ा से दिनांक 03.04.2017 को करवाकर उक्त वसीयतशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूरी वारिस प्रमाण पत्र का डीसी कॉगड़ा (हिमाचलप्रदेश) से पुष्टि करवाकर जरिये आदेश क्रमांक 1342 दिनांक 28.06.2017 के हल्का पटवारी को उक्त रकबा का रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जिससे हल्का पटवरी द्वारा उक्त भूमि जायज वारिस प्रमाण पत्र जो डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा जारी क्रमांक नं0 116/DCR/KGO/2017 दिनांक 03.04.2017 के आधार पर इन्तकाल सं0 180 दिनांक 05.07.2017 का अंकन कर दिया ।

जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा वारिसान से सम्बधित वाद विवाद सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कानूनी जायज प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है। अपील अपीलांट ने अस्वीकृत इन्तकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 दर्ज किया गया को निरस्त कर अपीलांट की वसीयतशुदा भूमि 8.03 बीघा का इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया है

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट को दी गई। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा वारिसान से सम्बधित वाद विवाद सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कानूनी जायज प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है ।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ता और राज पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा को अस्वीकृत कर दिया है ।

उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर पुनः नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/17

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 13 केजेडी (बी) कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थीया

1. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कौहरी जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 सालम, 23 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 07.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपने रकबे में काश्तकार्य हेतु आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं01 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है इसी का उपयोग करती है और इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज है प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 09.09.2019 को अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2019 जवाब पेश किया और दिनांक 14.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थीया अधिवक्ता ने जवाब में रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थीया

ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीया व अप्रार्थीया के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र अनुसार अपने खेत में आने–जाने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16, 25 में मौके पर चालू रास्ता उपलब्ध है का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिए जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–53/19

1. मुनसफ खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
2. शाखा प्रबन्धक, एमजीएम, खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थीगण व उनके अन्य हिस्सेदारान माता व भाई के नाम से तहसील खाजूवाला का चक 14 केवाईडी का मु0नं0 136/3 के किला नं0 1, 10 ता 20, 22 ता 25 में कुल तादादी 15. 06 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटित थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त रकबा विरासतन नामान्तरण से प्रार्थीगण व उनकी माता तथा बहन/भाईयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उस वक्त प्रार्थीगण का नाम वारिसनामा में गलत होने के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। प्रार्थी सं0 1 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मुनसफ है जो राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में मुन्सीबखां दर्ज हो गया तथा प्रार्थी सं0 2 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मोहम्मद युसुफ है जबकि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में जुसीबखां दर्ज हो गया। प्रार्थीगण का रिकार्डेड एवं वास्तविक नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ ही है और इसी नाम से अन्य समस्त दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड को छोड़कर) है। प्रार्थी सं0 1 एवं 2 ने राजस्व रिकार्ड में क्रमशः मुन्सीबखां के स्थान पर मुनसफ और जुसीबखां के स्थान पर मोहम्मद युसुफ दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। साक्ष्य प्रार्थीगण लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । शाखा

प्रबन्धक, एमजीबी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। जिसमें भाई व माता ने उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरस्ती की जाती है तो कोई एतराज नहीं जताया । अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के क्रमशः दर्ज नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ की जगह मुन्सीबखां व जुसीबखां सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड,पैनकार्ड में भी प्रार्थीगण का नाम क्रमशः मुनसफ व मोहम्मद युसुफ दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं0 1 का नाम मुन्सीबखां की जगह मुनसफ और प्रार्थी सं0 2 का नाम जुसीबखां की जगह मोहम्मद युसुफ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/19

1 हरखाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. जसोदा पुत्री हरखाराम जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1 गेनाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

2 सुगनी पत्नि गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

3 मनीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

4 अमानाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

5 संतोष पत्नि अमानाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

6 केसुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट वैष्णो धाम के पीछे तहसील व जिला बीकानेर।

7 चनणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

8 चगड़सिंह पुत्र बचनसिंह जाति मजबीसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

9 डूंगरमल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

10 श्यामसुन्दर पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

11 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

12 एस.बी.बी.जे. शाखा खाजूवाला जरिए शाखा प्रबंधक खाजूवाला।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 6की ओर से।

3 श्री भूपेन्द्रसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 7 ता 8 की ओर से।

4 अप्रार्थी सं0 9 ता 10 एकपक्षीय कार्यवाही।

5 श्री कृष्णकुमार विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 12 की ओर से।

6 पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– 13.03.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार कि वादगत भूमि वाके चक 18 बी.डी. (ए) के मुरब्बा नं0 95/64 के किला नं0 1 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 2 ता 9 तादादी 8 बीघा, किला नं0 10 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 11 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 12 ता 19 तादादी 8 बीघा, किला नं0 20 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 21 18 बिस्वा, किला नं0 22 ता 25 तादादी 4 बीघा कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा में स्थित है। जिसमें किला 1 ता 20 तादादी 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है तथा किला नं0 21 ता 25 तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी सं0 2 की खातेदारी भूमि है। दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने वादगत भूमि पर बने कच्चे मकान का ताला तोड़कर नाजायज कब्जा कर लिया जिसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं0 157 दिनांक 06.07.2018 को दर्ज करवाई और प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वादगत भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त वादगत भूमि को बहैसीयत रिसीवर अपने कब्जे में लेने की इस्तदुवा चाही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 एवं 7 ता 8 व 12 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और अप्रार्थी सं0 9 ता 10 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि है, जिसपर आवंटन से लेकर आजतक अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर कब्जा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्राथीगण की भूमि की को फर्जी दस्तावेजों व अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उक्त भूमि का बैयनामा अपने नाम से करवाया है, जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खिलाफ पी.एस. पूगल में एफ.आई.आर. 82 दिनांक 23.10.2018 व पी.एस. सदर बीकानेर में 339 दिनांक 17.09.2018 दर्ज करवाई, जिसकी जॉच विचाराधीन है, तथा विक्रय पत्र निरस्त करवाने हेतु डीजे कोर्ट बीकानेर के प्रार्थना सं0 90/18 तथा प्रार्थनाा सं0 19/18 पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2018 से उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 अपनी कृषि भूमि चक 18 बी.डी. में मु0नं0 95/64 के किला नं0 1 ता 25 सालम 25 बीघा में आवंटन से लेकर आज तक मकान बनाकर काबिज काश्त है तथा प्राथीगण ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम करवाया है, जिसकी तमाम जॉच सिविल न्यायालय बीकानेर और पी.एस. पूगल व सदर थाना बीकानेर में विचाराधीन है, प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना निराधार है। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब के साथ रूलिंग पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दौराने विचारण वाद उक्त भूमि को रिसिवर करने का निवेदन किया अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब के कथनों को दोहराते हुऐ बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैलाफाइड आश्य से पेश किया गया है चूंकि उक्त वादगत भूमि बाबत पहले से ही सिविल वाद विचाराधीन है तथा फौजदारी कार्यवाही जैरकार है । जहां सिविल अदालत में वाद जैरकार है तो यहां रिसिवर का कोई औचित्य नहीं है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थीगण को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो और बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि उक्त वादगत भूमि बाबत दोनों पक्षकारों में सिविल वाद जैरकार है तथा फौजदारी कार्यवाही चल रही है। रिसिवर के लिए सक्षम सिविल न्यायालयों में चाराजाही की जानी चाहिए। चूंकि हित व राइट्स संबंधी घोषणा सिविल दावा में ही होगी। प्रार्थी अन्य अदालतों के प्रकरण जैरकार रहते यहां किसी प्रकार का उपचार नहीं ले सकता। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असक्षम रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र रिसिवर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–05/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

मेघराज पुत्र चेतन राम जाति जाट साकिन बासी तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री मनीराम जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— **दिनांक :— 20.03.2020**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसकी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूधारक है तथा इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन कर रहा है तथा अपने दायित्वों के अधीन उक्त वाद पत्र के माध्यम से आसामी को बेदखल किये जाने की मांग करता है। प्रतिवादी मेघराज पुत्र चेतनराज जाति जाट सा0 बासी तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 1 बी.आर.डब्लू.एम. के मु0नं0 101/39 के किला नं0 15 ता 25 कुल 10.06 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज है और प्रतिवादी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से ईंट भट्टा लगाकर औधागिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। अतः उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है इसलिये खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर उक्त आराजी अराजीराज दर्ज करने व कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जावें और प्रतिवादी मेघराज पुत्र चेतनराम द्वारा भूधारक व अभिधारी के मध्य अनुदान की संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है क्योंक जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गयी थी उससे असंगत कार्य प्रतिवादी द्वारा किया गया है जिसके लिये वह बेदखली का भागी है।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन/नोटिस तलब करने पर प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 11.11.2019 जवाब पेश किया जो शा.मि. किया । दिनांक 11.02.2020 को तनकियात कायम कर शा.मि. की गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 1 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के

मु0नं0 101/39 के किला नं0 15 ता 25 की 10.06 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसके अन्दर प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी के उक्त मु0नं0 101/39 के किला नं0 24 ता 25 में 2 बीघा रकबे में लगा ईंट भट्टा आई.जी.एन.पी. नहर निर्माण के समय सी.ए.डी. विभाग द्वारा बनाया गया था और सी.ए.डी. विभाग द्वारा ईटों का निर्माण करवाकर नहर को पक्का किया गया था। वादगत भूमि प्रतिवादी ने खरीद की थी उसी समय ही सी.ए.डी. विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि में खादान खोदे हुए थे तथा किला नं0 24 ता 25 में ईंट भट्टा की चिमनी लगी हुई थी जो वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में पहुॅच गई है। प्रतिवादी ने वादगत भूमि में खादानों को काफी धन एवं श्रम व्यय करके समतल बनाने की कोशिश की है और समतल बनाया भी है और जिसमें कृषि कार्य करता है। इसलिए वादी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावें और वादी ने वाद पत्र में कही पर भी स्पष्ट रूप से कॉज ऑफ एक्शन सृजन होने का उल्लेख नहीं किया है न ही वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार का सबूत प्रस्तुत व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रतिवादी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर व बिना कॉज ऑफ एक्शन के कोई भी वाद चल नहीं सकता इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र निरस्त फरमाया जावें। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्र क्रमांक 63 दिनांक 23.01.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला तनकियात 1 ता 3 जिम्मे वादी के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्याकि प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 23.03.2018 व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23.01.2020 परस्पर विरोधाभासी है। रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23. 01.2020 अनुसार ''उपरोक्त रकबे में मौके पर 15,16 व 25 में 2.10 बीघा पुराना जर्जर हालात में लगभग 6–7 वर्ष पूर्व बन्द ईंट–भट्टा का ढ़ाचा खड़ा है'' कथन से वाद–हैतुक (कॉज ऑफ एक्शन) ही प्राप्त नहीं होता। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 4 जिम्मे प्रतिवादी के पक्ष में कोई मजबूत साक्ष्य तो प्रस्तुत नहीं किया परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23.01.2020 अनुसार पुराना जर्जर बन्द ईंट भट्टा प्रतिवादी का कथन पुष्ट करता है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 ता 3 जिम्मे वादी को सिद्ध नहीं करने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद

इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 250/2007

1. सरूपसिंह पुत्र श्री पंजाबसिंह जाति राजपूत निवासी चक 18 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1 हरिसिंह पुत्र श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।
2 सावित्री देवी पुत्री श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।
3 निर्मला देवी पुत्री श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2 अप्रार्थीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 (क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954

आदेश **दिनांक :– 20.03.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (क) में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 07.02.1995 को अप्रार्थीगण की माता से श्रीमती कुब्जादेवी बेवा कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत से वाके चक 18 बी.डी. का मु0 नं0 96/49 में 25 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा से खरीद की थी। उसी समय तमाम प्रतिफल की राशि स्व. श्रीमती कुब्जादेवी को अदा कर दी गई थी एवं उसी दिन अप्रार्थीगण की माता ने उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से प्रार्थी का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रेता के वारिसगण अप्रार्थीगण सं0 1 अब उक्त भूमि का बेचान क्रेता प्रार्थी के पक्ष में करवाने से आनाकानी कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आंवटित भूमि वाके चक 18 बी.डी. के मु0नं0 96/49 में 25 बीघा भूमि को निर्धारित शास्ती जमा करवाकर क्रेता प्रार्थी के हक में नियमन करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुवा की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थीगण बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.12.2011 को समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन के आदेश की पालना में दिनांक 24.01.2012 को समाचार पत्र पंजाब केशरी जो दैनिक रूप से पालमपुर से प्रकाशित होता है की प्रति दिनांक 06.01.2012 प्रस्तुत की गई। जिसमें इश्तहार प्रकाशित किया हुआ है एवं पृष्ठ शुक्रवार कांगड़ा केसरी दिनांक 06.01.2012 अतिरिक्त अंक ii पर मुद्रित है प्रस्तुत किया। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.10.2019 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली रिस्टोर की गई एवं दिनांक 22.11.2019 को अप्रार्थीगण बावजूद तलबी उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी की प्रार्थना पर तारीख पेशी 17.03.2020 को बहस एकतरफा सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत इकरारनामा, खातेदारी सनद आदि दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार एवं फर्द मौका पटवार हल्का का गम्भीरापूर्वक अध्ययन करने एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (क) के प्रावधान इस प्रकार हैः– 13A. Validation of certain transfers and declaration of consent to transfer.] - (1) Notwithstanding anything contained in Section 13, or in any other provisions of this Act or in the rules made or statement of conditions issued thereunder, but subject to Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), where any transfer or sub-lease has been made or any charge has been created by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act in contravention of sub-Section (1) of Section 13 at any time before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, such transfer, sub-lease or charge may, on an application being made to the Collector in this behalf in such form as may be prescribed and within[1425 days of such commencement i.e. upto 30.6.1987] by the transferor, lessor or as the case may be, the person creating the charge or by the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder or by any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder, be declared, after holding such enquiry as he deems proper, as valid by him subject to any of such persons as aforesaid making payment to the State Government [by way of compounding fee], in the case of irrigated land of an amount of Rs. 20,000/- per 25 bighas and in the case of barani or uncommand land of an amount of Rs. 4,000/- per 25 bighas or of an amount equal to the allotment price of the land prescribed by the State Government in the statement of conditions issued under sub-Section (2) of Section 7 or in any rule made under this Act and in force on such commencement, whichever is less [in four equal installments as follows:-

(a) in the case of an application made upto 31.12.1984: the first, second, third and fourth installments shall be payable respectively on 31.12.1984, 30.6.1985, 31.12.1985 and 30.6.1986;
(b) in the case of an application made after 31.12.1984 but before the date of publication in the Official Gazette of the Rajasthan Colonisation Ordinance, 1986 i.e. before 3.1.1987: the first installment shall be payable within fifteen days from the date of such publication and the second, third and fourth installments shall be payable respectively within fifteen days, six months and one year from the date of the order of the Collector; and

(c) in the case of an application made on or after the date of such publication: the first installment shall be payable alongwith the application and the second, third and fourth installments shall be payable within the periods specified for such installments in clause (b): Provided that the State Government may, on being satisfied that it is necessary or expedient to do so, extend by notification the period beyond 30th June 1987, not exceeding [five years and six months], upto the day as deemed fit]:
[Provided further that where] any of the aforesaid persons pays to the State Government the entire compounding fee in one lump sum along with his application and within the period specified in this sub-section, the amount of compounding fee payable by him shall be deemed to be 25% less than that provided therein.

[Provided also that the State Government may, on being satisfied that it is necessary or expedient to do so in the public interest, extend by notification the period beyond 31st December,1992 upto the day as deemed fit:
Provided also that on the applications received during the period extended under the preceding proviso the transfer, sub-lease or charge shall be declared valid only on the condition that the applicant shall, in addition to the compounding fee payable under this sub-section, be also liable to pay interest at the rate of eighteen per cent per annum on the amount of the compounding fee for the period from 1st January, 1993 to the date of application.]
[(1-A) Where an allottee, in whom khatedari rights have not been vested, even after seven years of allotment, under condition 9 of General Colony Conditions, has transferred the land allotted to him or any right therein, in contravention of sub-Section (1) of Section 13 of this Act, before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No.9 of 1988), the Collector, on receiving an application from the allottee and the purported transferee in this behalf, in the prescribed form, within 297 days of the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No.9 of 1988) or within such period, as may be extended by the Government from time to time, may, subject to the provisions of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No.3 of 1955), declare such transfer valid after holding such enquiry as he deems proper subject to payment of all dues of the State Government by the transferee

and also subject to the payment of a sum of Rs. 50,000/- per 25 bighas to the State Government in case of irrigated or command land and a sum of Rs. 10,000/- per 25 bighas in case of barani or uncommand land in four half yearly equal installments. Such transferee, shall thereafter be entitled to khatedari rights under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No.3 of 1955):
Provided that where any of the aforesaid person pays to the State Government the entire compounding fee in one lump-sum alongwith his application and within the period specified in this sub-section, the amount of compounding fee payable by him shall be deemed to be 25% less than provided therein.

Explanation. - For the purposes of this sub-section,-
(a) "allottee" means the person to whom land has been allotted on price under the rules made under this Act; and
(b) "dues" in relation to the land allotted, shall include unpaid price of such land and such other dues as are required under law to be paid by the allottee.]

(2) Where on account of transfer, sub-lease or charge having been made by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act in contravention of sub-Section (1) of Section 13, the Collector has passed an order for ejectment of the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder or of any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder under sub-Section (2) of said section or for resumption of the tenancy of such tenant under clause (ii) of Section 14, but any of such persons or such tenant as aforesaid has not actually been ejected from the land transferred, sub-let or, as the case may be, charged and the tenancy has not actually been resumed before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, such tenant or any of such persons as aforesaid may, at any time within [1425 days of such commencement i.e. upto 30.6.1987 or within the period extended by the State Government under the first proviso to sub-Section (1)],

apply to the Collector for declaring the transfer, sublease or, as the case may be, the charge by such tenant as valid under and in accordance with sub-Section (1) and upon such declaration having been made, any of such persons as aforesaid shall not be liable to be ejected and the tenancy of such tenant shall not liable to be resumed and the order of ejectment or resumption of tenancy as the case may be, passed by the Collector shall be deemed to have been withdrawn.

(3) Notwithstanding any judgment, decree, order, direction or permission of any court, officer or authority, all cases, in which previous consent in writing of the Collector was not obtained under sub-Section (1) of Section 13 by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act for transferring or subletting such rights or, as the case may be, charging the same but subsequent consent as aforesaid for such transfer, sub-letting or, as the case may be, charge had been obtained by him from the Collector or from any court, officer or authority or in which clause (i) of Section 14 was applied by any of them to such transaction before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983,

shall be re-opened by the Collector and shall be decided afresh by him in accordance with this section after giving notice to the transferor, lessor, as the case may be, the person creating the charge, the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder and to every subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder.
(4) Where compounding fee has been paid in accordance with this section, no action shall be taken or proceeded further against the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder and no penalty shall be imposed on, and no resumption of tenancy shall be made of, the tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act, either under sub-Section (2) of Section 13 or under Section 14, as the case may be, for the breach of the same condition of tenancy and arising due to the same contravention as aforesaid.
(5) Where a tenant mentioned in sub-Section (1) or his purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder or any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder has already obtained a declaration under that sub-section or under sub-Section (2) or sub-Section (3) after making payment to the State Government of the amount of compounding fee under this section as it stood prior to its substitution by the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1984, so much amount of the compounding fee paid as is in excess of the amount of such fee specified in the proviso to sub-Section (1) shall be refunded to such tenant or, as the case may be, to any of such persons who made the payment.

(6) Where,-
(a) any tenant in whom khatedari rights in land have vested by or under this Act has, before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, contracted to transfer for consideration such rights, or
(b) any tenant to whom khatedari rights in land have accrued before such commencement had, before accrual of such rights to him, contracted to transfer for consideration rights vested in him by or under this Act by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has, before such commencement, in part performance of the contract taken possession of the land or any part thereof, or the transferee, being already in possession, continued in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has

paid the whole or part of the consideration to the transferor, then the transferor or any person claiming under him and the transferee or either of them may make an application in such form as may be prescribed on or before the last day upto which an application can be made under sub-Section (1) to the Collector for declaration that the consent required of the Collector under sub-Section (1) of Section 13 to transfer such rights be deemed to have been granted and if Collector after making such enquiry as deemed fit, is satisfied that the conditions specified in this section and such other conditions as may be prescribed are fulfilled, he shall, subject to the transferor or the transferee making payment to the State Government of the amount calculated as the rate and in the manner specified in sub-Section (1) by way of compounding fee, by order in writing declare that such consent to transfer such rights shall be deemed to have been granted to the transferor or any person claiming under him and upon such declaration being granted, the transferor shall, notwithstanding the fact that consent of the Collector was not obtained by him as required by sub-Section (1) Section 13, be competent to transfer validly the land contracted to be transferred and in the event of the transferor refusing to do so or his whereabouts being not known, the transferee shall be competent to have the contract to transfer specifically enforced in accordance with the provisions of law relating to specific performance of contract for the time being in force.

उपरोक्त धारा 13 (क) कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण और अन्तरण के लिए सम्मति की घोषणा के अनुसार विचाराधीन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि चक 18 बी. डी. (बी) के मु0नं0 96/49 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का अन्तरण प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 24.06.1995 द्वारा हरिसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र श्री कैप्टन भीखमसिंह साकिन धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा द्वारा अपनी माता श्रीमती कुब्जा देवी बैवा कैप्टन भीखमसिंह के मुख्तयार मिन जानिव की हैसियत से सरूपसिंह पुत्र श्री पंजाबसिंह साकिन 18 बी.डी. तहसील खाजूवाला को अन्तरण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया।

अन्तरिती का कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा भी प्रमाणित है अतः आवंटिती काश्तकार द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 (क) का उल्लंघन कर सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना अन्तरण किया तथा बाद में इस तथ्य को छुपाकर दिनांक 03.07.2004 को खातेदारी सनद हासिल कर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज करवा ली जो कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 एवं राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 का सरासर उल्लंघन है।

अतः प्रार्थी राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 (क) की उपधारा 13 क (1), 13 क (1क), 13 क (6) के तहत अन्तरण के लिए संविदाकृत भूमि का विधिमान्यतः अन्तरण करवाने के लिए सक्षम है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तरिति द्वारा राज्य सरकार के समस्त देशों का संदाय किये जाने के अध्यधीन रहते हुए और राज्य सरकार को सिंचित या कमाण्ड भूमि के मामले में प्रति 25 बीघा 50,000/– रूपये की रकम एवं अन्तरण की तारीख से आज तक शमन फीस की रकम पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कुल शमन फीस का चार अर्द्धवार्षिक समान किश्तों में संदाय करने अथवा सम्पूर्ण शमन फीस ब्याज सहित का एकमुश्त राशि में संदाय करने पर उसके द्वारा संदेय शमन फीस की रकम को, उसके उपबंधित से 25% कम समझा जायेगा, का संदाय करने पर उक्त अन्तरण को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–क (6) के अध्यधीन रहते हुवे विधिमान्य समझा जावे। तदानुसार तहसीलदार खाजूवाला नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–54/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

मदनलाल पुत्र चेतन राम जाति नायक साकिन चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— **दिनांक :— 20.03.2020**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसकी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूधारक है तथा इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन कर रहा है तथा अपने दायित्वों के अधीन उक्त वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी प्रतिवादी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा वादी सरकार को दिलाया जावे। प्रतिवादी मदनलाल पुत्र चेतनराज जाति नायक सा0 चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (बी) के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19 व 22 कुल 19.11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज है और प्रतिवादी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से किला नं0 1 ता 3 व 9 ता 10 में अवैध जिप्सम खनन किया है। रकबा पीएनबी शाखा खाजूवाला रहन है। अतः उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। इसलिये खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर कब्जा बहक सरकार को दिलाया जावे ।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन/नोटिस तलब करने पर प्रतिवादी उपस्थित आये और दिनांक 03.03.2020 जवाब पेश किया जो शा.मि. किया । रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला मय शपथपत्र पटवारी ली गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 2 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19, 22 की 19.11 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसके अन्दर प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्य नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण रकबा में चना, तारामीरा की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादी के उक्त रकबा में जुलाई 2017 में कृषि सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण करवाया था। जिसमें खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार का कोई जिप्सम या जिप्सम का कण नहीं निकला था और ना ही प्रार्थी ने किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य किया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 तथा प्रस्तुत शपथपत्र दिः 03.03.2020 में वर्णित कथनों अनुसार वाद पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। इसपर प्रतिवादी ने बहस में जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं शपथपत्र से पूर्णतः विरोधाभासी होने के कारण व उक्त भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग नहीं करने के कारण उक्त दावा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.09.2017 व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 परस्पर विरोधाभासी है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का 26.02.2020 अनुसार ''उपरोक्त रकबे में मौके पर किला नं0 1 में ढ़ाणी बनी हुई है और किला नं0 9 में सिंचाई हेतु डिग्गी बनी हुई है। शेष रकबे पर तारामीरा,चना व गेंहूॅ की फस्ल बोई हुई हैं''। इस फर्द मौका रिपोर्ट की पुष्टि वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत साक्षी देवीलाल पुत्र श्री श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी खाजूवाला पदस्थ पटवारी प.म. कुण्डल की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा की गयी है।

अतः मौका फर्द रिपोर्ट एवं वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में अंकित कथनों से वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक (कॉज ऑफ एक्शन) प्राप्त होने में भी संशय उत्पन्न होता है। वहीं मौका फर्द रिपोर्ट व साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र प्रतिवादी के जवाबदावा के प्रमुख कथन अवैध खनन नहीं होने की पुष्टि करता है।

अतः वादी द्वारा वाद की पुष्टि हेतु मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है उभय पक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करे। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

5. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
6. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :— 20.03.2020

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है । प्रतिवादी ने खेत में डिग्गी निर्माण किया था और कच्चे दो मकान बनाये थे।

वादी राजपैरोकार ने नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, रिपोर्ट पटवारी मय फर्दमौका को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने प्रार्थना करते हुए बहस हेतु अनुमति चाही। वकील

प्रतिवादी ने किसी प्रकार का एतराज नहीं किया। राजपैरोकार ने बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर इस रिमाण्ड वादपत्र को पुर्वानुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार ने नवीन रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार, मौका अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1,10,11,20,21 तादादी 5 बीघा कमाण्ड में कब्जा काश्त जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश का उक्त सम्पूर्ण मुरब्बा 100/27 किला नं0 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भौतिक रूप से कब्जा काश्त है तथा ढाणी मकान तथा सिंचाई डिग्गी बनाकर कब्जा काश्त जयप्रकाश द्वारा की जाती है, के आधार पर व मौका फर्दअनुसार एवं रिपोर्ट तहसीलदार, साक्ष्य स्वरूप पेश नवीनतम पटवारी रिपोर्ट एवं फर्द मौका को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर वाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया था।

माननीय न्यायालय की विस्तृत विवेचना अनुसार वादी राजपैरोकार ने साक्ष्य स्वरूप पेश अपनी रिपोर्ट व फर्दमौका में भी किसी भी प्रकार का अवैध खनन होना नहीं पाया और ना ही साबित कर पाया। जिस खुदाई या खनन के पर प्रस्तुत वाद इस द्वारा स्वीकार किया गया था वस्तुतः रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वहां सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण किया गया है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पैरोकार को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक भी प्राप्त नहीं होता और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैस फोटोग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। नवीनतम रिपोर्ट एवं फर्दमौका में अवैध खनन का जिक्र किया गया है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

राजपैरोकार ने पुनः प्रतिउत्तर में कहा कि तत्समय पेश रिपोर्ट पटवारी व फदमौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही फोटो उपलब्ध है परन्तु तत्कालीन रिपोर्ट अनुसार अवैध खनन किया गया था जो फर्दमौका पर तहसीलदार गिरदावर पटवारी के हस्ताक्षर है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। पुनः बहस में प्रतिवादी के फर्दमौका साहक्लोस्टाईल रूप में पूर्व में मुद्रित कर मात्र परेशान करने के उद्देश्य से बिना किसी लिगल गवाह व साक्ष्य के प्रस्तुत कर प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखली का प्रयास किया गया। इसके जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने चक के स्वतंत्र गवाहो के स्टाम्प पर शपथपत्र पेश किये है जिन्होने खनन नहीं होना बताया है तथा साथ ही खड़ी फसल के फोटोमौका पेश किये है। अतः बिना किसी सबूत साक्ष्य तथा वाद हैतुक प्राप्त नहीं होने के कारण मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत

साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाकर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 20.03.2020**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज

रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर

विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 22/19

1. कामो खातून पुत्री बासक अली पत्नी बसू खां जाति मुसलमान निवासी हाल चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीया

बनाम

1. अल्ला दिता पुत्र बासक अली जाति मुसलमान निवासी राणेवाला हाल चक 8 केवाईडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. दामो खातून पुत्री बासक अली पत्नि सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी राणेवाला हाल चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अधिवक्ता वादीया की ओर से।
3. प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :– 08.07.2020

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 22.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादी ने लोकअदालत की भावना से इस प्रकरण में आपसी सहमति होने के कारण प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है एवं इसी स्टेज पर विड्रॉ करना चाहती है। कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– दिनांक :– 20.03.2020

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज

रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है । प्रतिवादी ने खेत में डिग्गी निर्माण किया था और कच्चे दो मकान बनाये थे।

वादी राजपैरोकार ने नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, रिपोर्ट पटवारी मय फर्दमौका को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने प्रार्थना करते हुए बहस हेतु अनुमति चाही। वकील प्रतिवादी ने किसी प्रकार का एतराज नहीं किया। राजपैरोकार ने बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर इस रिमाण्ड वादपत्र को पुर्वानुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार ने नवीन रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार,

मौका अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1,10,11,20,21 तादादी 5 बीघा कमाण्ड में कब्जा काश्त जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश का उक्त सम्पूर्ण मुरब्बा 100/27 किला नं0 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भौतिक रूप से कब्जा काश्त है तथा ढाणी मकान तथा सिंचाई डिग्गी बनाकर कब्जा काश्त जयप्रकाश द्वारा की जाती है, के आधार पर व मौका फर्दअनुसार एवं रिपोर्ट तहसीलदार, साक्ष्य स्वरूप पेश नवीनतम पटवारी रिपोर्ट एवं फर्द मौका को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर वाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया था।

माननीय न्यायालय की विस्तृत विवेचना अनुसार वादी राजपैरोकार ने साक्ष्य स्वरूप पेश अपनी रिपोर्ट व फर्दमौका में भी किसी भी प्रकार का अवैध खनन होना नहीं पाया और ना ही साबित कर पाया। जिस खुदाई या खनन के पर प्रस्तुत वाद इस द्वारा स्वीकार किया गया था वस्तुतः रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वहां सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण किया गया है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पैरोकार को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक भी प्राप्त नहीं होता और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैस फोटोग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। नवीनतम रिपोर्ट एवं फर्दमौका में अवैध खनन का जिक्र किया गया है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

राजपैरोकार ने पुनः प्रतिउत्तर में कहा कि तत्समय पेश रिपोर्ट पटवारी व फदमौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही फोटो उपलब्ध है परन्तु तत्कालीन रिपोर्ट अनुसार अवैध खनन किया गया था जो फर्दमौका पर तहसीलदार गिरदावर पटवारी के हस्ताक्षर है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। पुनः बहस में प्रतिवादी के फर्दमौका साहक्लोस्टाईल रूप में पूर्व में मुद्रित कर मात्र परेशान करने के उद्देश्य से बिना किसी लिगल गवाह व साक्ष्य के प्रस्तुत कर प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखली का प्रयास किया गया। इसके जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने चक के स्वतंत्र गवाहो के स्टाम्प पर शपथपत्र पेश किये है जिन्होने खनन नहीं होना बताया है तथा साथ ही खड़ी फसल के फोटोमौका पेश किये है। अतः बिना किसी सबूत साक्ष्य तथा वाद हैतुक प्राप्त नहीं होने के कारण मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम

जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाकर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 58/20

जगसीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति बाजीगर निवासी 34 RWD तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल 5 MTM तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट.

–:आदेश:– **दिनांक :– 21.08.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आ.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि प्रार्थी जगसीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर के चक 5 MTM खाजूवाला के मु0नं0 192/43 के किला नं0 11 ता 25 में 15 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जंगीर सिंह गलती से अंकित है और प्रार्थी उक्त रिकॉर्ड में अपने नाम को जंगीरसिंह की जगह जगसीर सिंह दुरस्त करवाना चाहता है। इस बाबत शपथ पत्र भी पेश करने के साथ साथ प्रार्थी ने दस्तावेज बैयनामा व जमाबंदी की छायाप्रति, इंतकाल प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, आधारकार्ड, परिचयपत्र पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वाके चक 5 MTM खाजूवाला के मु0नं0 192/43 के

किला नं0 11 ता 25 में 15 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जंगीरसिंह की जगह जगसीर सिंह नियमानुसार दुरस्त करने के आदेश किये जाते शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। आदेश आज दिनांक 21.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–55/20

1. दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 17.08.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला का मु0 नं0 173/36 व 44 की 7.07 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता देवेन्द्रसिंह द्वारा की गई वसीयत से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त वसीयत दिनांक 11.09.2006 लिखवाते समय प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन व लिपिकीय त्रुटि से दिनेश कुमार दत्तक पुत्र

धन्नाराम अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम की जगह देवेन्द्र सिंह दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य मय शपथपत्र प्रार्थी लिये गये एवं पत्रावली में पेश देवेन्द्र सिंह के जायज वारिस प्रमाण पत्र में जायज वारिसों के शपथ पत्र लिये गये। तहसीलदार खाजूवाला एवं ग्रा.प. 14 बी.डी. से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा साक्ष्य/सबूत के तौर पर मु0नं0 66 चक 2 केएनडी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर नकल बैयनामा एवं जमाबंदी पेश की गई साथ ही ग्रा.पं. 8 केवाईडी का देवेन्द्र सिंह का जायज वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्र सिंह ही लिखा गया है । ग्रा0वि0अ0 14 बी.डी. ने प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्रसिंह तस्दीक किया है। देवेन्द्र सिंह के जायज वारिसान प्रार्थी की मॉ,भाई, बहनों ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर कहा देवेन्द्रसिंह के द्वारा दिनेश कुमार के पक्ष में वसीयत की गई थी जिसमें दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन से पिता के नाम के आगे दत्तक पुत्र धन्नाराम गलत अंकित हो गया जबकि वास्तविक नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह ही है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देवेन्द्र सिंह का राशनकार्ड एवं प्रार्थी के स्वंय के पहचान आईडी आधारकार्ड, परिचय पत्र, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र, विधुत बिल, अन्य शैक्षणिक प्रमाण की फोटाप्रतियां पेश की गई में भी प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह दर्ज है। लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता के नाम देवेन्द्र सिंह की जगह दत्तक पुत्र धन्नाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी दिनेशकुमार के पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम के स्थान पर देवेन्द्रसिंह नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **17.08.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

हंसराज बनाम सुरजाराम वगै0 प्रा0 पत्र 212 आरटीए एक्ट

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा सुरजाराम के चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमिहीन आंवटन शुदा है। दादा वृद्ध है तथा प्रार्थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार का हिस्सा है तथा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी का संयुक्त परिवार की भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार बनता है। वाहमी व पारिवारिक बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 6 में अप्रार्थी सं0 1 रूबरू गवाहान 1/6 हिस्सा–पांति कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 6 को किला नं0 20 में 8 बिस्वा व किला नं0 21 ता 25 की 18–18 बिस्वा की कुल 4.18 बीघा भूमि देकर काफी अरसे पहले कब्जा दे दिया था जिसपर प्रार्थी कब्जा काश्त है। लेकिन अप्रार्थी सं0 2 ता 5 लालचवश वृद्ध दादा को बरगलाकर समस्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। दौराने वाद उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए। अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व स्वंय की अर्जित सम्पति है। जिसे वह उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि जैर रकबा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो काफी वृद्ध है तथा दादा की सम्पति पोतो का अधिकार सुनिश्चित है। दादा ने वाहमी बंटवारा कर कब्जा दे रखा है या नहीं यह वाद की विषयवस्तु है। दोनो पक्षकारों में भूमि बेचान को लेकर विवाद है। और पारिवारिक सम्पति जिसमें सबका हक निहित हो उसे बिना सहमति हस्तांतरण करने से विवाद बढ़ेगा। उक्त प्रार्थना पत्र में पारिवारिक विवाद है तथा न्यायालय के सामने यह साफ हो गया है कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 बेचान करना चाहता है। जो स्वंय अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में स्वीकार कर चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह आवश्यक हो जाता है कि विवाद बाहुल्यता कम करते हुए प्रार्थी के हको का दौराने वाद सुरक्षा की जाये। उक्त भूमि स्वअर्जित है या पैतृक सम्पति इसका विनिश्चय वाद में होना है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है

कि चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 की 1/6 हिस्सा भूमि का दौराने वाद रहन बैय हस्तांतरण नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न करें।

रामा देवी वगै0 बनाम नानूदेवी वगै0 प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी ने O7R11 एवं 151 सीपीसी का प्रा0 पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी प्रार्थीया की स्वअर्जित सम्पति है उसके जीवनकाल में अन्य वारिसान का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है साथ ही हिन्दू नारी पति के जीवनकाल में पति के हक व अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती एवं प्रा0पत्र O7R11 के पैरा सं0 4 में श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया है तथा विद्वान अधिकवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में भी मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दो को उठाया है।

विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र O7R11 सीपीसी पेशकर प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बताया कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में घोषणा व बंटवारा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में पेशकर सकते है तथा O7R11 सीपीसी में वादपत्र नामंजूर किये जाने बाबत वाद हेतुक प्रकट नहीं होना, दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना, अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, जहा वाद के कथनों से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, दावा दो प्रतियों में पेश नहीं किया गया है, नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहता है, स्पष्ट कारण है और उक्त प्रा0पत्र बताते हुए O7R11 सीपीसी की परिधि में नहीं है तथा वाद को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है तथा उठाए गए समस्त प्रश्न विधि व साक्ष्य के प्रश्न है। इसलिए प्रा0 पत्र काबिल खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने उक्त बिन्दूओं को ही बहस में उठाया व कुछ दृष्टांत भी पेश किये है।

उभयपक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध प्रा0 पत्र व जवाब प्रा0 पत्र व वाद के समस्त अभिवचनों का गहनता से अध्ययन किया। जिसमें पाया कि वाद पारिवारिक सम्पति के अधिकारों बाबत पेश किया गया है। जिसके लिए वादी को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है और ये समस्त तथ्य पत्रावली पर साक्ष्य व तनकी बनने पर ही तय किये जा सकते है। महज सरसरी तौर पर प्रा0 पत्र के आधार पर वाद का विनिश्चिय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने जो प्रा0 पत्र में प्रश्न उठाए है वो मेरिट पर तय किये जाने योग्य है। जिसकी साक्ष्य आने के बाद ही तय किया जा सकता है तथा प्रा0 पत्र O7R11 सीपीसी में उक्त वाद कही भी लागू नहीं हो रहा है । O7R11 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र किस चूक की वजह से खारिज किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी चूक बताने मे प्रार्थीया विफल रही है। इसलिए प्रा0 पत्र O7R11 सीपीसी सारहीन होने के

कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक .....को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2020/00036

1. रामा देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. कृतिका नाबालिग पुत्री रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. देशान्त नाबालिग पुत्र रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानूदेवी पत्नी इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी 16 बी.एल.डी. तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक 25 के.एन.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :– .....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ससूर इन्द्रराम राजकीय सेवा में सेवारत थे। दौराने सेवारत ससूर इन्द्रराम की मृत्यु हो गइ। इन्द्रराम की मृत्यु के उपरान्त जो राशि सरकार द्वारा इन्द्रराम के वारिसों के नाम जारी की थी। उस राशि के चक 25 के.एन.डी. के मु0नं0 152/40 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की

कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खरीद की थी। इन्द्रराम के वारिसों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई राशि में प्रार्थीगण के पति/पिता का भी हक व हिस्सा था। विरास्त में मिली हुई धनराशि से ही अप्रार्थीगण ने भूमि क्रय की थी। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का भी हक व हिस्सा जरिये विरासतन था। वादगत भूमि पर प्रार्थी सं0 2 व 3 का मुताबिक हिन्दू विधि जन्म से ही हिस्सा निहित है।

प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 व स्वंय का भरण पोषण उपरोक्त वर्णित भूमि से करती आ रही है और अप्रार्थीगण वादगत भूमि विक्रय पर उतारू है। वादगत भूमि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जो प्रार्थीगण सं0 2 व 3 के दादा द्वारा खरीद की थी। इसलिए वादगत भूमि में प्रार्थीगण का बाई बर्थ हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण ने चक 25 के.एन.डी. के मु0 नं0 152/40 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पैतृक भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण तलवी उपरान्त हाजिर आये और अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश किया गया । जवाब आने के बाद आदेश 6 नियम 17 की पालना में प्रार्थीगण ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें बताया कि प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 नाबालिग संतान है। जो अपने पिता के हक तक भूमि पाने के अधिकारी है। इसलिए उनके अधिकारों का भी संरक्षण आवश्यक है। संशोधित प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधे बहस का निवेदन किया साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पूर्व में पेश जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के तमाम कथन निराधार है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 की स्वार्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में उसके पुत्रों को वारिसो का अधिकार नहीं है तथा जीवन निर्वाह का साधन उक्त भूमि दी है। अप्रार्थीगण सं0 2 अप्रार्थीगण सं0 1 का सौतेला पुत्र है। अप्रार्थीगण सं0 1 उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए किसी भी प्रकार से सुविधा का संतुलन व अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण सं0 1 के हक में है। अप्रार्थीगण सं0 2 ने अपने जवाब में बताया कि पंजीकृत बैयनामा 31.07.1993 का है और इन्द्रराम की मृत्यु 10.05.1995 को हुई है। तो प्रार्थना पत्र के समस्त कथन स्वमैव ही झूठे साबित होते है। साथ ही मेरे जीवनकाल में मेरी पत्नी सम्पति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए लिखित बहस मय दृष्टांत पेश की । उक्त भूमि पर हमारा अधिकार है। यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन बैय मुतकिल कर दिया गया। तो हमें नुकसान होगा। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुवे बताया कि अप्रार्थीगण सं0 1 के जीविकोपार्जन का साधन उक्त खातेदारी भूमि है और वह उसके रिकार्डेड खातेदार है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में रिकार्डेड खातेदार के जीवनकाल में

उसके हक व हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पारिवारिक विवाद की वजह से पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण अपनी सास व दादी की स्वाअर्जित खातेदारी भूमि में उनके जीवनकाल में ही हिस्सा चाहते है। जबकि उनके पति व पिता भी जीवित है और पति व पिता अप्रार्थीगण सं0 2 ने भी आपत्ति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन , अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2016/00158

1. पूजा पुत्री लखविन्द्रसिंह पौत्री बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र लखविन्द्रसिंह पौत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. बलदेवसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिलीपसिंह़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– 03.09.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा के नाम चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला नं0 15 तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बिस्वा, 17 में 11 बिस्वा, 18 में 09 बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात रही है।

अप्रार्थी सं0 1 व 3 के अस्वस्था का फायदा उठाकर उक्त भूमि को येन–केन आगे बेचान करने पर आमादा है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है और समस्त परिवार का हितनिहित है और अप्रार्थी सं0 3 उम्रदराज है जो रहन, बैय नहीं करें। प्रार्थीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि के जन्म से अधिकारी है तथा अपने पिता के हको तक की भूमि अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण पारिवारिक समझौते एवं वाहमी बंटवारे अनुसार कब्जेकाश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला नं0 15 तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बिस्वा, 17 में 11 बिस्वा, 18 में 09 बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 3 तलवी उपरान्त मय अधिवक्ता हाजिर आये और अप्रार्थीगण 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने अपना जवाब प्रा0 पत्र पेशकर उक्त प्रा0पत्र के तमाम कथनों को निराधार झूठे व बनावटी बताया और साथ ही लिखा की उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। जिसपर स्वंय काबिज काश्त है तथा यही जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी । अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी है तथा दादा पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार 4 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिया था। जिसको प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया । तो अप्रार्थी सं0 1 के मन में लालच आ गया और वह अप्रार्थी सं0 3 को बरगलाकर समस्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है। जबकि दादा काफी वृद्ध है। स्वस्थचित नहीं है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक प्रार्थीगण पैतृक भूमि में जन्म से अपना अधिकार रखते है। इसलिए दौराने वाद उक्त भूमि रहन बैय न हो इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में पौत्र–पौत्रियों को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि भूमि है। उक्त स्थगन की आड़ में वृद्ध अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जा सकता है। जो एक रिकॉर्डेड खातेदार के हको पर कुठाराघात है। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । तो पाया कि प्रा0पत्र पारिवारिक समझौते व व्यवस्था अनुसार प्रार्थीगण दादा की भूमि में अपने हिस्से तक कुल 4 बीघा भूमि को रेहन बैय नहीं करने और उनके हको से मरहूम नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। वह अपने जीवनकाल में उपयोग–उपभोग ले सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन, अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 95/20

मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट.

—:आदेशः— **दिनांक :— 02.11.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आ.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर दर्ज कागजात है। जिसका 1/2 हिस्सा का मैने दानपत्र अपनी पुत्रवधू को कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में मेरे बैयनामा दिनांक 30.03.1994 मुताबिक इं0सं0 33 दिनांक 24.5.94 भरा गया। लेकिन पिता का नाम पालासिंह की बजाय पातासिंह सहवन या पैनत्रुटि वश कर दिया जबकि बैयनामा में पालासिंह था। अन्य दस्तावेज में भी पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है तथा चक 30 केवाईडी की भूमि भी मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह के नाम दर्ज है, आधारकार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि में पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का पिता नाम पातासिंह गलती से अंकित है और प्रार्थी उक्त रिकॉर्ड में अपने पिता के नाम को पातासिंह की जगह पालासिंह दुरस्त करवाना चाहता है। इस बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश करने के साथ साथ दस्तावेज बैयनामा, जमाबंदी, इंतकाल प्रविष्टि 33, दानपत्र, आधारकार्ड, परिचयपत्र की छायाप्रति व कार्यालय ग्रा0पं0 34 केवाईडी का प्रमाण पत्र पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वाके चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता नाम पातासिंह की जगह पालासिंह नियमानुसार दुरस्त करने के आदेश किये जाते है शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– स्‍ गीता शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2020

1. चोथूराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल साकिन खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

बनाम ....

प्रार्थीगण

1. मलुराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल साकिन खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री अरविन्द काजला विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 4.11.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम तहसील छतरगढ के चक 5 डीएल के मु.नं. 169/32 के कि.नं. 1 ता 24 की कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं इसी मुरब्बा के कि.नं. 11 ता 20 व 25 की कुल 11 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि मु.नं. 169/32 के कि.नं. 1 ता 24 की कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि में आने जाने के लिये मौका पर कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि इसी मु.नं. 169/32 कि.नं. 25 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवानें हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से आग्रह किया कि यदि आपकी भूमि के कि.नं. 25 में 1 बिस्वा रास्वा स्वीकृत किया जाता है तो वह अपने गांव से अपनी कृषि भूमि में पक्की सडक जो उक्त मुरब्बा के चिपते मु.नं. 169/40 के कि.नं. 1,10,11,20,21 में से निकलती है से होकर उक्त कि.नं. 25 में से होकर अपनी कृषि भूमि में आसानी से आ जा सकेगा तो अप्रार्थी सं. 1 अपनी भूमि के कि.नं. 25 में रास्ता स्वीकृत करवानें से स्पष्ट इन्कार कर दिया जबकि उक्त रास्त के अलावा प्रार्थी की भूमि के आने जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि तहसील छतरगढ के चक 5 डीएल के मु.नं. 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 की

कृल 4 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि में आने जाने हेतु इसी मु.नं. 169/32 के कि.नं. 25 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 16.09.2020 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 26.10.2020 को जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में गलत बयानी कर तथा मनगढंत तथ्यों से गुमराह करनें की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने सहीं कथनों को छुपाया है व क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि मु.नं. 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 के चिपता मु.नं. 170/17 के कि.नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसके कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है एवं मौके पर चालू है। प्रार्थी के मु.नं. 170/17 के कि.नं. 5 व मु.नं 169/32 का कि.नं. 21 आपस में चिपता है इसलिए प्रार्थी वांछित अनुतोष का कतई अधिकारी नहीं है तथा मु.नं. 169/32 के कि.नं. 25 के पत्थर लाईन पर अप्रार्थी संख्या 1 पक्का मकान बनाकर निवास कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

01. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
02. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने कृषि भूमि में सड़क पर आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 169/32 के कि.नं0 25 में खेत की सींव पर उत्तर से पश्चित 1 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्म हैं। रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खारबारा में भी बताया गया है चक 5 डीएल के मु0न0 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 कुल 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि चोथुराम पुत्र केशराराम कौम मेघवाल निवासी खारबारा एवं इसी मुरब्बा के किला नं0 11 ता 20, 25 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड भूमि मूलराम

पुत्र केशराराम कौम मेघवाल सा. खारबारा तहसील छतरगढ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वहां से रास्ता प्राप्त करे तो उचित है। इस प्रकार प्रार्थी का कथन है कि उसे मुरब्बा नं 169/32 के कि.नं. 25 से रास्ता मिलता है तो प्रार्थी अपने मु0न0 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 169/32 के किला नं0 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 5 डीएल के मु0न0 169/32 के कि.नं. 25 में उत्तर से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 1–1 बिस्वा कुल 1 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सीता शर्मा),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(छतरगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–29/20

1. रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई निवास अलाय हाल चक 10 केवाईडी 'बी' खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थीया एवं श्री जिसकाराम पति प्रार्थीया की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 19.11.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थीया के नाम से चक 10 केजेडी (बी) का मु0नं0 157/12 व मु0नं0 137/53 की 33 बीघा कृषि भूमि है, जो कि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम जिसकाराम है समस्त दस्तावेजों में भी जिसकाराम अंकित है लेकिन प्रार्थीया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में जिसकाराम के स्थान पर जसकाराम दर्ज हो गया जो संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थीया के उक्त राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर प्रार्थीया का नाम रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई सा अलाय तहसील व जिला नागौर दर्ज करने की इस्तदुवा चाही है।

उक्त प्रा0 पत्र तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पेश किया गया था जो रिपोर्ट पटवारी बाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थीया लिये। प्रार्थीया द्वारा अपने पति की एक अन्य जमाबंदी चक 20 बीडी मु0नं0 96/34 की प्रति पेश की गई साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड में प्रार्थीया के पति नाम का जिसकाराम ही लिखा गया है। इस संबंध में प्रार्थीया की ग्राम पंचायत अलाय नागौर द्वारा भी पति का नाम जिसकाराम प्रमाणित किया है तथा प्रार्थीया द्वारा भी इस बाबत शपथपत्र दिया गया है। बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पति की उक्त कृषि भूमि की अलावा अन्य जमाबंदी, ग्रामपंचायत प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, शपथपत्र व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम सहवन से हो गया है तथा दुरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम के स्थान पर जिसकाराम दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.11.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–126/20

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/20 दिनांक 24.12.2020

संशोधन आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण झुमरदेवी पत्नी गुमानाराम व हुकमाराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी दीपसर तह. रतनगढ़ चुरू हाल चक 28 बीडी 'सी' के चक 28 बीडी 'सी' के मु0नं0 16/1 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के स्थायी पते में गांव का नाम दीपसर के स्थान पर दीपासर दर्ज हो गया है जबकि सही नाम दीपसर है। जिसे प्रार्थीगण शुद्ध करवाना चाहते है। अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के गांव का नाम शुद्ध किया जाकर दीपासर की जगह दीपसर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–114/20

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/20/ दिनांक 24.12.2020

संशोधन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रमेशकुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 केजेडी खाजूवाला के चक 4 केजेडी के मु0नं0 61/60 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रमेशकुमार है जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहते है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में दस्तावेज स्वरूप ग्राम पंचायत 3 पीडब्ल्यूएम द्वारा रमेश कुमार नाम की तस्दीक व इसी नाम की जमाबंदी 4 केजेडी मु0नं0 61/61 भी पेश की है, अन्य पहचान दस्तावेज आधारकार्ड,राशनकार्ड,मूलनिवास, वोटरलिस्ट आदि पेश किये जिनमें प्रार्थी का नाम रमेशकुमार ही दर्ज है। अतः रिकार्ड दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी का नाम रमेशकुमार शुद्ध किया जाकर रमेशचन्द्र की जगह रमेशकुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–04/20
आदेश दिनांक 12.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में चक 19 पीकेडी 'ए' लगभग 18 मुरब्बों में अलग–अलग रास्ता कटान करने बाबत् लिखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में कहीं यह यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उनकी कृषि भूमि पत्रावली में वर्णित चक के कौनसे मु0नं0 पर स्थित है और वे अपनी कृषि भूमि हेतु कहा से कहां

तक रास्ता चाहते है। इसलिए उक्त प्रकरण धारा 251 ए RTA का नहीं बनता है। क्योंकि धारा 251ए RTA का प्रकरण जब बनता है जब काश्तकार को खुद की कृषि भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता ना हो और रास्ता कटान चाहता है। अतः प्रार्थीगण को अपने कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो नियमानुसार प्रा0पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्रावली धारा 151 CPC की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–61/20

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/रीडर/21/ दिनांक

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 KLD से ऋण लिया था। राजस्व रिकॉर्ड में रहन का अंकन करते वक्त गलती

से पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी काशीराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई सा0 रामपुरा के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के रहननामा का नामा0 सं0 125 दर्ज करते वक्त सहवन से रहन पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया इसी नामा0 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला दर्ज हो गया, जबकि संलग्न 6(1) के अनुसार रकबा पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के पक्ष में रहन होना था।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में दस्तावेज स्वरूप बैंकपास, अनुसूची 6, जमाबंदी व नामा0 की छायाप्रति पेश किये। अतः रिकॉर्ड दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी के पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD शुद्ध किया जाकर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला की जगह पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को किये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

प्रतिलिपीः– तहसीलदार खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–51/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

आज पत्रावली उभयपक्ष के उपस्थित आने व प्रार्थीगण पुनीतकुमार, आरती पुत्र सुधीरकुमार नाबालिक जरिये माता कान्तादेवी के विड्रो प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र पेशकर पारिवारिक सहमति एवं राजीनामा हो जाने के कारण बाद में कोई कार्यवाही आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। उक्त वाद इसी स्तर पर विड्रो करने का आदेश का निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रो के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–52/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। उक्त पत्रावली मूलवाद का अभिन्न अंग होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति ओड निवासी चक 22 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उर्मिला पत्नि शिवप्रकाश, जाति नाई निवासी चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 24 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) Colony Condition Act

व धारा 251, 251क RT Act

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी मनीराम पुत्र रामकरण द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था की चक 24 केजेडी के मुरब्बा नंबर 224/49 के किला नंबर 5,6,15,16,25 में

कदीमी रास्ता चल रहा है जो चक की आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ता है। उक्त किला नंबर राजस्व रिकॉर्ड में उर्मिला पत्नी शिव प्रकाश के नाम दर्ज हैं। वादी का कहना है उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और प्रतिवादी उर्मिला को पाबंद किया जाए कि वह रास्ते में दखलअंदाजी ना करें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) उस स्थिति में लागू होती है जब किसी काश्तकार को अपने खेत तक पहुंचने के लिए नया रास्ता चाहिए .यहां वादी द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि उसका खेत कहां पर स्थित है और उसके खेत को पहुंचने के लिए कहां से कहां तक रास्ता चाहिए। यह भी गौरतलब है की वादी द्वारा कहीं पर यह जिक्र भी नहीं किया गया है की आबादी कौन से मुरब्बे में स्थित है और सड़क कहां स्थित है और आबादी से सड़क तक पहुंचने के लिए किस–किस मुरब्बे से रास्ता गुजर रहा है।

दूसरा यदि कोई रास्ता सुखाधिकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो अनुतोष के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा. इस मामले में उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है..इसलिए यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. कलावती पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी मसानीवाला हाल आबाद चक 13 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीया

बनाम

1. वीरोकौर पत्नि लालसिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 12 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम
1955 की शर्तें संपठित धारा 151 सी.पी.सी.
–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी कलावती पत्नी ओमप्रकाश के नाम चक 13 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 138/33 में 23 बीघा भूमि दर्ज है। उसकी खातेदारी भूमि का किला नंबर 1,10,11,20 व 21 में 4–4 बिस्वा भूमि रास्ते के तौर पर

दर्ज है। वादी का कहना है कि यह रास्ता पिछले 40 सालों से बंद है इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए इसे रिकॉर्ड में से हटवाया जाए।

वादी और प्रतिवादी की दलीलों पर विचार किया गया। न्यायालय का यह निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत काश्तकार को अधिकार है कि वह अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर सकें लेकिन इस धारा के तहत पूर्व में दर्ज रास्ते को विलोपित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

दूसरा बिंदु यह है कि इस आधार पर कि कोई कटानी रास्ता कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस कटानी रास्ते को विलोपित तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए civil procedure code की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय यह निर्णय देता है कि इस प्रार्थना पत्र को ही स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी वीरो कौर पत्नी लाल सिंह को निर्देशित किया जाता है कि यदि आज की तारीख में यह रास्ता बंद है तो वह उसे खुद के स्तर पर खोलने की कोशिश नहीं करें बल्कि रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 44/2020

1 लिछमणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।

बनाम .... प्रार्थी

1 रतिराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अधिनियम

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी लिक्ष्मणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट के चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0

181/35 के किला नं0 1 ता 13 कुला तादादी 12.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों भाई है। अप्रार्थी के खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी चक व मु0न0 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा रास्ता देने के लिए सहमत है। दिनांक 03.02.2021 को दोनो पक्ष उपस्थित हुवे तथा अप्रार्थी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किया है । न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की सहमति होने की वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा भूमि पत्थर लाईन पर रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– /

महेन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द जाति रेगर निवासी चक 5 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
2. महेशप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. तिलोकचन्द पुत्र प्रभुदयाल
4. पुरूषोत्तमदास पुत्र प्रभुदयाल
5. मालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
6. चुनीलाल पुत्र प्रभुदयाल
7. जगपालसिंह पुत्र प्रभुदयाल
8. बजरंगलाल पुत्र प्रभुदयाल
9. लक्ष्मीदेवी पुत्री प्रभुदयाल
10. जसोदादेवी पुत्री प्रभुदयाल
11. उषा देवी पुत्री प्रभुदयाल

जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

12. हरिमोहन पुत्र नेमीचन्द
13. शकुन्तला पुत्री नेमीचन्द

जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

14. ग्रांम पंचायत 8 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
15. ग्रांम पंचायत 17 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।

16. राज. राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

—: निर्णय :— दिनांक :—

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 10 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/46 के किला नंबर 17 से 25 की 9 बीघा भूमि, मुरब्बा नंबर 137/49 के किला नंबर 16 से 25 की 10 बीघा भूमि और चक 11 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/18 के किला नंबर 6 ,7 ,14 से 17 और 25 की 6.18 बीघा भूमि इस प्रकार 3 चक्रों में कुल 25.18 बीघा भूमि अपीलेट महेंद्र के दादा प्रभु दयाल के नाम दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात यह जमीन सन 2001 मैं ग्राम पंचायत 8 केवाईडी के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 15 जनवरी 2001 और ग्राम पंचायत 17 केवाईडी के इंतकाल संख्या 90 दिनांक 22 फरवरी 2001 के जरिए उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है कि यह जमीन प्रभु दयाल ने 14 जून 2000 को उसके नाम वसीयत कर दी थी इसलिए इंतकाल संख्या 54 व 90 को निरस्त कर जमीन उसके नाम दर्ज की जाए।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है यह प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने लायक है क्योंकि इसमें cause of action reveal नहीं हो रहा है न्यायालय के फैसले के पीछे निम्न आधार है—

वादी द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत सन 2000 में लिखी गई है। वादी इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिछले 20 सालों में उन्होंने यह वसीयत एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवाई। वादी ने खुद दावे में लिखा है कि पिछले 20 वर्षों से वह इस जमीन को जोत रहा है ऐसे में यह संभव नहीं है कि उसे पता ही ना हो कि उस के पक्ष में ऐसी वसीयत लिखी गई है।

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। इसके अलावा वीरा सिंह पुत्र छैला सिंह, जिसने इस वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किया है उसकी गवाही को स्वतंत्र गवाही नहीं माना जा सकता क्योंकि वसीयत में ही लिखा है कि उसने वसीयत कर्ता यानि कि प्रभु दयाल ने वीरा सिंह से ₹300000 उधार लिए हैं जिसको चुकाने की जिम्मेदारी महेंद्र ,यानि कि जिस के पक्ष में वसीयत की गई है, की होगी. इसके मायने हैं कि गवाह वीरा सिंह का इस वसीयत में हित निहित है।

इसलिए न्यायालय द्वारा इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 10/2021

1. रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी
2. चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1. शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजाराम
3. रंजना पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर. जे.
4. विनोद एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. विजयपाल
6. जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. लिक्ष्मण } पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई
8. कृष्ण } तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।
9. केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10. ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11. उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी— चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि —प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 11/2021

1 रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी
2 चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1 शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2 राजाराम
3 रंजना } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर. जे.
4 विनोद } एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5 विजयपाल
6 जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7 लिक्ष्मण } पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई
8 कृष्ण } तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।
9 केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10 ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11 उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12 राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी– चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि –प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान

इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 02/2021

इसी आराजी के संबंध में सीआरपीसी 145/146 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। इसलिए धारा 212 के तहत कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण सं0 06/19 (75 आरएएक्ट), 01/20 अन्तर्गत धारा 145/146 सीआरपीसी, 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) और 02/20 (अन्तर्गत 212 आरटीएएक्ट) सभी एकही आराजी चक 14 बीडी'ए' के मु0नं0 134/15 से संबंधित है।

इसमें मुख्य फैसल किए जाने लायक बिंदू यह है कि क्या उक्त भूमि नत्थूराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए या नत्थूराम के पुत्र हनुमानराम के नाम जरिये वसीयत दर्ज होनी चाहिए।

इस बिंदू का फैसला केस नं0 06/19 में किया जाएगा।

वर्तमान वाद 02/20 (अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट) में आगामी आदेशों तक रिकॉर्ड पर स्टे दिया गया है। अदालत का मानना है कि इन केसेज को मर्ज कर सुनना आवश्यक है।

इसलिए अदालत यह आदेश करती है। इस प्रा0पत्र में 07.01.20 में जारी किया गया स्थगन आदेश प्रकरण सं0 06/19 का फैसला होने तक प्रभावी रहेगा।

कब्जे संबंधी विवाद का निपटारा वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी) में किया जायेगा। इसलिए इस प्रा0पत्र और वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Case u/s 145/146 Crpc disputed land is Pending in SDM Court No need to conduct paused proceeding same land u/s 188 RT Act 1955. Hence droped at this stage.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम जाति ब्राहम्ण साकिन 21 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीयाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि प्रार्थी तोलाराम के नाम चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 से 25 की 25 बीघा भूमि और चक 22 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 3,,4,8,,9 2.08 बीघा भूमि दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि मुरब्बा नंबर 98/45 मे स्थित जमीन तक पहुंचने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, प्रार्थी की मांग है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24,25 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाए ताकि वह किला नंबर 98/45 में स्थित अपनी जमीन तक पहुंच सके।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई व 3 फरवरी को मौका मुआयना किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और मौका मुआयना से यह तथ्य सामने आया है की मुरब्बा नंबर 98/53 की उत्तरी सीमा के साथ साथ मुरब्बा नंबर 98/52 के किला नंबर 21 से 25 में एक कटान शुद रास्ता चलायमान है जो मुरब्बा नंबर 98/44 की दक्षिणी पूर्वी और 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आकर समाप्त होता है। वर्तमान में प्रार्थी कटान शुदा रास्ते के जरिए मुरब्बा नंबर 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक पहुंच सकता है। उसके बाद मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खाले को पार करता हुआ मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 5 में प्रवेश करता है जो कि मीनाक्षी के नाम दर्ज है। वर्तमान में इस किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ रास्ता चल रहा है जिसका इस्तेमाल कर प्रार्थी इस मुरब्बा नंबर के किला नंबर 4 में पहुंचता है।

उक्त तथ्यों का विवेचन किया गया। दोनों पक्षों की बहस भी सुनी गई न्यायालय का मत है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24 और 25 में से रास्ता दिया जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है वही रास्ता उसके खेत तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसे इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए।

अप्रार्थी गण प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट का रास्ता देने के लिए तैयार है जिससे वह मुरब्बा नंबर 98/45 में प्रवेश कर सकें लेकिन प्रार्थी इस पर सहमत नहीं है। प्रार्थी किला नंबर 24,25 में रास्ता चाहता है।

यहां एक और बिंदु भी विचारणीय है कि मुरब्बा नंबर 98/53 ,जो कि प्रार्थी की खातिरदारी में दर्ज है, मुरब्बा नंबर 98/45 की पश्चिमी सीमा के साथ चिपका हुआ है। मुरब्बा नंबर 98/53 तक पहुंच के लिए कटान रास्ता उपलब्ध है। मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 और मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 4 के मध्य केवल मुरब्बा नंबर 98/45 का किला नंबर 5 पड़ता है। वर्तमान में प्रार्थी इसी किला नंबर 5 में से होकर किला नंबर 4 तक पहुंच रहा है। उचित तो यही है कि प्रार्थी इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करें।

मौका स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट जगह की भी जरूरत नहीं है।

इन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 06 / 2021

this cast to be heard along with remanded case related to this land case no- 26/18 u/s 53 RTA no need for seprate hearing

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. मदनलाल पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर हाल चक 27 बीडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

वादी

बनाम

1. जेठी देवी पत्नि श्री ईशरराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. खमा देवी पत्नि श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी शेखड़ा तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 आर.टी.एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6 एसजेएम (बी) के मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1 से 25 की 20.05 बीघा भूमि वादी मदनलाल और प्रतिवादी संख्या 1 जेठी देवी की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या दो खमा देवी के पक्ष में कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

वादी का कहना है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता विभाजन करवाए बिना कोई अजनबी खरीददार किन्ही विशिष्ट किला संख्या पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। 11 फरवरी 2021 को वादी और प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से सहमति बटवारा नामा प्रस्तुत किया गया जिसके तहत दोनों ने निम्न प्रकार से विभाजन किए जाने पर सहमति जताई है।

मदनलाल का हिस्सा

मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1/2 में .2150 किला नंबर 2, 3, 8 , 9 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 10/2 ,11/2 प्रत्येक में में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 12, 13, 19 प्रत्येक में .0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 20/1 में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2 में 0.1897 (उत्तर दिशा की तरफ), किला नंबर 22 में 0.2276 हेक्टेयर (उत्तर दिशा की तरफ), इस प्रकार कुल 13 किला में 3.0476 हेक्टेयर रकबा।

खमा देवी का हिस्सा

किला नंबर 4 से 7 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 14 से 18 प्रत्येक में 0. 2529 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2,22 प्रत्येक में 0.0253 हेक्टेयर (दक्षिण दिशा की तरफ) किला नंबर 23 से 25 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 14 किलो में 3.0854 हेक्टेयर।

क्योंकि दोनों पक्ष सहमति से खाता विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए न्यायालय का मानना है कि इस सहमति के आधार पर खाता विभाजन स्वीकार किया जाना जायज है।

लेकिन इसमें एक बिंदु है उक्त विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जो कि खमा देवी द्वारा जेठी देवी से खरीदा गया है, वह वर्तमान में जेठी देवी के नाम से ही दर्ज है। इसलिए इस खाता विभाजन को एग्जीक्यूट करने से पहले उस विक्रय पत्र का इंतकाल होना जरूरी है जिसके द्वारा खमा देवी ने यह जमीन विक्रय की है।

उस विक्रय पत्र का इंतकाल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि प्रार्थना पत्र संख्या 109/20 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया है इसलिए उस स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

इसलिए इस मामले में तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 13/10/20, जिसके द्वारा जेठी देवी द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा खमा देवी को बेचान किया गया था, के इंतकाल पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जब उक्त जमीन विधिक रुप से खमा देवी के नाम दर्ज हो जाएगी तब ऊपर लिखित सहमति के आधार पर मदनलाल और खमा देवी के मध्य जमीन का विभाजन करें। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2020 /00109

वाद सं0 08/20 में किए गए फैसले के मुताबिक स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 2017/00188

1. वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1. अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3. इन्द्राज } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के आदेश 1989 निरस्त हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इंतकाल को निरस्त कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा क्योंकि तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 2017/00189

1 वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

2 रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी

3 इन्द्राज तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 उपपंजीयक खाजूवाला।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के आदेश 1989 निरस्त हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इंतकाल को निरस्त कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा क्योंकि तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 13/2021

अपील का सार इसप्रकार है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी के मु0नं0 114/47 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा भूमि अपीलांट लालचंद की नानी किशनी/ईशरराम के नाम दर्ज थी। किशनी की मृत्यु के बाद इंतकाल सं0 234 दिनांक 05.11.19 (पंचायत 20 बीडी) के जरिये वारिसान के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट ने पेश किया है कि किशनी ने 30.01.2006 को वसीयत के जरिये उक्त मु0नं0 114/47 की 7 बीघा भूमि (किला नं0 1 ता 7) अपीलांट के नाम कर दी थी। इसलिए यह 7 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जाये।

पत्रावली का अध्ययन किया गया । जमाबंदी संवत् 2074–77 का अवलोकन किया गया। इसके मुताबिक उक्त रकबा गैरखातेदारी के तौर पर दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि गैर खातेदार द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसलिए किशनी द्वारा सन् 2006 में लिखी गई अपंजीकृत वसीयत शूरू से ही शून्य है।

इसलिए इंतकाल सं0 234 के खिलाफ अपील पेश करने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2016/00133

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2016/00132

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2013/00074

पत्रावली पेश हुई। अपीलांटा अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट से लम्बे अरसे से सम्पर्क नहीं है इसलिए पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2019/00082

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2019/00083

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. मांगीलाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति जाट निवासी 33 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....वादी

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तह. सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. काशीराम
3. महेन्द्र कुमार
4. विनोद कुमार

   पुत्रगण लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए),188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी भूमि चक 1 बीडब्ल्यूएसएम (ए) के मुरब्बा नंबर 188/59 के किला नंबर 4 से 7,14 से 16,17/2 में 7 बिस्वा, 25 कुल 8.07 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 का 4 से खरीद की गई थी। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसे बेदखल कर जमीन को दोबारा बेचान पर आमादा है। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है, अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. खूमाराम पुत्र खेता जाति जाट निवासी 12 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 शिवलाल पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 मोहनलाल पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 मंगतुराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 हजारीराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 मुनीराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6 लूणाराम पुत्र कोजुराम जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. स्टेट राज्य जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र शीर्षक संशोधन

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद मूल तौर पर मूला बनाम नत्थू के नाम से दर्ज हुआ था। वादी की मृत्यु के बाद उसकी जगह उसके विधिक प्रतिनिधि खुमाराम का नाम प्रतिस्थापित किया गया। 2015 में प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो खुमाराम द्वारा ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधिकगण की फेहरिस्त प्रस्तुत की गई। इन 6 वारिसों का नाम प्रतिवादी की जगह प्रतिस्थापित किया गया।

2020 में प्रतिवादी संख्या 5 मुनीराम द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है की मूल प्रतिवादी के कुल 10 वारिस थे। खूमाराम द्वारा केवल छह विधिक प्रतिनिधियों को ही रिकॉर्ड पर लिया गया है इसलिए बाकी 4 विधिक प्रतिनिधियों को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए।

खूमाराम ने अपने जवाब में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का पक्ष इस बात से प्रभावित हो रहा है तो वह सिविल प्रोसीजर कोड के सुसंगत रूल के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बन सकता है। इस प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति पक्षकार नहीं बन सकता है।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। न्यायालय का मानना है की प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जिम्मेवारी वादी की है यदि यह इत्तला मिलती है कि प्रतिवादी के कुछ वारिस वाद में पक्षकार बनने से रह गए हैं तो बचे हुए वारिसान को पक्षकार बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसलिए प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार बनाने की कार्रवाई करें यदि किन्ही वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाता है उनके खिलाफ दावा abate कर दिया जाएगा।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1 श्रीमती परमजीत कौर पत्नि श्री अजायब सिंह
2 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह
3 गुरप्रीत कौर पत्नि श्री अंग्रेज सिंह
} जातियान जटसिख निवासीगण 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

1. उप पंजीयक खाजूवाला।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/51 में 9.16 बीघा भूमि और मुरब्बा नंबर 133/59 में 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी अजायब सिंह के नाम दर्ज है। वादी ने दावा किया है यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और 3 नवंबर 2016 को वादी, वादी के माता –पिता और भाई व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक पारिवारिक समझौता किया गया था जिसके मुताबिक मुरब्बा नंबर 133/ 51 के किला नंबर 4, 7, 14, 17, व 24, में कुल 4.18 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आई थी। अब प्रतिवादी संख्या 1 इस जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जरिए दानपात्र हस्तांतरित करवा रहे हैं। वादी ने अनुतोष चाहा है कि उक्त दान पत्र को शून्य घोषित किया जा कर विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जाए।

प्रतिवादी गण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर कहा है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की अर्जित संपत्ति है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 के तहत हिंदू नारी की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। इसलिए यह वाद barred by law है। प्रतिवादी गण ने यह आपत्ति भी पेश की है कि उक्त परिवारिक समझौते के

आधार पर पूर्व में भी इसी न्यायालय में अजायब सिंह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे 6.11. 2017 को निरस्त कर दिया गया था।

वादी ने इसका जवाब देते हुए कहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 (2) के तहत स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के तहत इस संपत्ति पर धारा 14 लागू नहीं होती है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर भी गौर किया गया। हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 स्पष्ट तौर पर यह कहती है हिंदू नारी अपनी संपत्ति को पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करेगी ना कि मर्यादित स्वामी के रूप में। धारा 14 (2) के मुताबिक हिंदू नारी उन परिस्थितियों में संपत्ति को मर्यादित स्वामी के तौर पर धारण करेंगी जबकि उस दस्तावेज, जिसके द्वारा हिंदू नारी द्वारा वह संपत्ति अर्जित की गई है, के द्वारा ही हिंदू नारी के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अदालत का मानना है की प्रतिवादी द्वारा धारा 14 (2) की सही व्याख्या नहीं की गई है .

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है की वादी को अपनी माता के नाम दर्ज जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह दावा barred by law है। इसलिए इस दावे को इस स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मुरब्बा नंबर 133 /51 की 9.16 बीघा भूमि पर जारी किए गए स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2020 को भी निरस्त किया जाता है।

अदालत का मानना है कि इस बात की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है कि उक्त जमीन परमजीत कौर की स्व अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह उस जमीन की पूर्ण स्वामी है। हालांकि परमजीत कौर द्वारा विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिससे साबित होता है कि यह जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

अदालत द्वारा वाद पत्र, प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और परिवारिक समझौता 2016 का अध्ययन किया गया। इस समझौते में चक 10 बीडी (ए) के मुरब्बा नंबर 153/20 ,चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/ 51 और मुरब्बा नंबर 133/59 की जमीन का जिक्र है जो समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी।

अदालत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहती है। 2016 का पारिवारिक समझौता गैर पंजीकृत अनौपचारिक बंदोबस्त है कि किस तरह से परमजीत के नाम दर्ज जमीन का हस्तांतरण उसके पति और पुत्रों के पक्ष में किया जाएगा। लेकिन यदि आज की तारीख में पक्षकार इस समझौते के मुताबिक अपनी जमीन का हस्तांतरण नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि समझौते में लिखी गई जमीन समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी। परमजीत कौर के पति या पुत्र का उस जमीन में कोई कानूनी हक नहीं है (धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत)। इसलिए वादी द्वारा या अन्य किसी द्वारा भी उस समझौते के आधार पर परमजीत कौर के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता।

यहां यह बात भी गौरतलब है कि उक्त समझौता किसी संयुक्त संपत्ति के विभाजन से संबंधित नहीं है बल्कि परमजीत कौर के नाम दर्ज जमीन के हस्तांतरण से संबंधित है। इसलिए परमजीत कौर की सहमति के खिलाफ इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मोहम्मदखां बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् मु0नं0 एवं सन् /2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
25-07-2014	पत्रावली आज तहसीलदार के पत्रांक 1409 दिनांक 19.04.2014 पर पेशी में ली गई। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चक 12 केएलडी के मु.नं. 199/38 के किला नं0 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं. 199/46 के किला नं. 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट व फर्द सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील के किला नं. 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 कमाण्ड एवं मु.नं. 199/46 के किला नं. 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि की 15एएए–2बी के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जाती है। तदानुसार निःशुल्क खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने के आदेश जारी होकर पत्रावली दाखिलदफ्तर हो।	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः–एसडीओ / खाजू / आवंटन / 14 / दिनांक

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला।

विषयः– प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला को 15 एएए–2 बी के तहत निःशुल्क खातेदारी के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक भू.अ. / 14 / 1409 दिनांक 19.04.2014 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके फर्द सत्यापन के आधार पर प्रार्थी मोहम्मदखं पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला की कृषि भूमि चक 12 केएलडी के मु.नं. 199 / 38 के किला नं0 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं. 199 / 46 के किला नं0 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि की 15 एएए–2 बी के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जाती है। तदानुसार निःशुल्क खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करें।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांक / सम / 18 दिनांक
प्रतिलिपिः– प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/20

1. इन्द्रराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 हेतराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी इन्द्रराम के नाम चक 9 बीडी के मुरब्बा नंबर 154/44 के किला नंबर 1 से 10 व 15 और 16 कुल 12 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। इस मुरब्बे की बाकी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हेतराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि दोनों पक्षों के मध्य 1991 में पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रार्थी को किला नंबर 25 में रास्ते का इस्तेमाल करने की सहमति दी गई थी। प्रार्थी पिछले कई सालों से किला नंबर 25 से होकर सड़क तक पहुंच रहा है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा बार–बार रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसलिए वह उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अप्रार्थी ने जवाब दिया है कि उन दोनों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन उसने किला नंबर 25 में पूर्व दिशा में पक्के खाले के साथ–साथ एक बिस्वा रास्ता छोड़ रखा है। यदि प्रार्थी द्वारा इस एक बिस्वा रास्ते के बदले उसे साथ लगते हुए किले में एक बिस्वा भूमि दी जाती है तो वह रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के लिए राजी है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अप्रार्थी की यह मांग कि उसे भूमि के बदले भूमि दी जाए गैर वाजिब नहीं कही जा सकती क्योंकि किसान के लिए भूमि की सबसे अच्छी कीमत क्या है यह वही जानता है।

प्रार्थी इस मांग पर सहमत नहीं है। वह परिवारिक समझौते के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अदालत का मानना है कि प्रार्थी द्वारा यह मांग कि भूमि के बदले भूमि दी जाए मानने से इनकार करने की कोई वाजिब वजह नहीं है। प्रार्थी जिस पारिवारिक समझौते की बात कर रहा है वह एक अपंजीकृत दस्तावेज है। यदि मान भी लिया जाए कि उस समय दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता हुआ था तो भी इस दस्तावेज के आधार पर उस समझौते को बाध्यकारी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता।

इसलिए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यदि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रार्थी इस बात पर सहमत नहीं है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 36/18

अनवर पत्नि श्री अकबर खां जति मुसलमान निवासी पीरणवाली, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला
बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. विलायत पत्नि श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. इब्राहीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. बशीर पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. अजीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. अजीज पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. ताजा पत्नि श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
7. सुबी पुत्री श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
8. महमुदा पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
9. निदाम पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. महमुद पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
11. रहमान पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
12. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थीया अनवर पत्नी अकबर खान के नाम चक 8 केएचएम के मुरब्बा नंबर 77/64 के किला नंबर 21 से 25 की 5 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अपने खेत में पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 98/01

और 97/08 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 में से होकर रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण का जवाब है कि प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है।इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।
मौके का नक्शा इस प्रकार से है

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। अब प्रार्थीया मुरब्बा नंबर 97/08 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहती है। प्रार्थीया की दलील है इस रास्ते के कटान होने से नक्शे में दर्शाई गई सड़क नंबर एक और सड़क नंबर दो का आपस में मिलान हो जाएगा। इससे प्रार्थीया के साथ–साथ आम जनता को भी फायदा होगा।

अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की कि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब किसी काश्तकार के खेत तक पहुंचने का कोई रास्ता मौजूद ना हो। केवल आमजन की सुविधा को देखते हुए इस धारा के अंतर्गत रास्ता कटान नहीं किया जा सकता।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया अदालत का मानना है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति वाजिब है। प्रार्थीया ने खुद अपने प्रार्थना पत्र मैं लिखा है कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11, 20, 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। नक्शे के अवलोकन से यह जाहिर है कि इस रास्ते के द्वारा के जरिए प्रार्थीया सड़क नंबर दो तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरब्बा नंबर 98/01 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इसके साथ ही मुरब्बा नंबर 97/08 के किला नंबर 1 से 25 के सिलसिले में जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 06.07.18 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/19

लालचन्द पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। ...

..प्रार्थी

बनाम

1. बिरमा देवी पत्नि पतराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
सुखाधिकार अधिनियम एंव 151 सी.पी.सी.
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार से है कि चक 17 पीकेडी के मुरब्बा नंबर 223/18 प्रार्थी लालचंद पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटान रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 223/25 के किला 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। मुरब्बा नंबर 223/25 अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है और मुरब्बा नंबर 223/17 अप्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी गण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण अपने खेत में से रास्ता देने के लिए राजी हैं उनका कहना है कि उन्होंने रास्ते के बदले में प्रार्थी लालचंद से राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर रास्ता कटान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर अदालत यह फैसला करती है मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 21 से 25 में प्रत्येक किले की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ 16 फीट चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 8 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रखबे का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के तौर पर करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 113/20

किशनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी महादेववाली तह. छतरगढ हाल आबाद चक 3 पीडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर रा .....अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की अपीलांट किशनलाल पुत्र पन्नाराम को को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 41/23 व 41/31की 50 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट द्वारा जब उक्त आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए पेश किया तब तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 188 को इस आधार पर खारिज कर दिया उक्त आवंटन आदेश नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि क्योंकि उक्त जमीन अपीलेट को विधिवत तौर पर आवंटित हुई है। इसलिए इंतकाल संख्या 188 को निरस्त किया जाए और आवंटन आदेश के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 188 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 1999 में विशेष आवंटन के तहत चक 39 केजेडी के मुरब्बा नंबर 48/63 पर आवेदन किया था। उक्त भूमि पर कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए थे परंतु 99 में इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इन चारों आवेदनों की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि मदनलाल पुत्र मोटाराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 1975 के अनुसार सर्वोच्च श्रेणी की है इसलिए उक्त मुरब्बा नंबर 48/63 मदनलाल को आवंटन किया जाता है। यह निर्णय 19.04. 2017को किया गया। उसके बाद 07.07.2017 को अपीलांट को उक्त विवादित आराजी आवंटन की गई। यह आंवटन इस आधार पर किया गया कि क्योंकि अपीलांट को वह भूमि आंवटन नहीं हो पाई जो उसके द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई थी। इसलिए आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए)5 4 के तहत उसे अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया इस नियम के मुताबिक

सन 1999 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन दोनों निर्णय दिनांक 19.04.17 और 07.07.17 पर सरसरी नजर डालने से ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.07.17 को किया गया आवंटन नियम 13 (ए) 5 4 की दायरे में नहीं आता है क्योंकि उक्त नियम तभी लागू होगा जब दो समान प्राथमिकता वाले आवेदकों के बीच फैसला किया गया हो। जबकि यहां तो स्पष्ट है की प्रथम आवंटन के समय मदनलाल की प्राथमिकता सर्वोच्च थी। अपीलांट और मदनलाल की प्राथमिकता समान नहीं थी।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवंटन आदेश की विस्तृत जांच करें। यदि उक्त आवेदन विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें।यदि उक्त आवेदन आबंटन विधि मान्य पाया जाता है तो उसका नामांतरण दर्ज करें। इसके साथ ही इंतकाल संख्या 188 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 06/20

सुखराम पुत्र श्री भागीरथ राम जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस तरह से है कि अपीलांट सुखराम पुत्र भागीरथ राम को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 42/9 और 42/17 की 50 बीघा भूमि विशेष आवंटन के तौर पर आवंटित हुई थी। अपीलांट ने आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 191 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह आवंटन विनिमय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी किया गया है, इसलिए यह नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि तहसीलदार को उक्त विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए तहसीलदार द्वारा खारिज किए गए नामांतरण को ख़ारिज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 191 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 2000 में विशेष आवंटन के तहत चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नंबर 203/04 पर आवेदन किया था लेकिन उस समय अपीलांट को भूमि आवंटन नहीं हो पाई। सन 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए) 5 4 के तहत अपीलांट को विवादित आराजी आंवटन कर दी।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया। उक्त नियम के अनुसार यदि किसी भूमि पर समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस भूमि का आवंटन उन आवेदकों के मध्य मोहरबंद बोली के जरिए किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनको इस प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं हो सकी हो उन्हें दूसरी भूमि ,जिसे पूर्व में अधिसूचित किया गया था और जिस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवंटित की जा सकेगी बशर्ते की उस दूसरी भूमि पर कोई अन्य आवेदन लंबित ना हो।

नियम 13(ए) 5 4 के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न जानकारी का होना–

सन 2000 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन सब बिंदुओं पर जांच किए बगैर नियम 13(ए) 5 4 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन आवंटन आदेश 2017 में इन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इन तथ्यों की जानकारी के बिना इस बात पर फैसला नहीं लिया जा सकता है कि क्या अपीलांट वास्तव में अन्यत्र भूमि आवंटित करवाने का अधिकारी था? इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है होता है कि 2017 का आवंटन आदेश नियम संगत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंतकाल संख्या 191 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त एलॉटमेंट आदेश 2017 की विस्तृत जांच करें। यदि वह आदेश विधि संगत है तो उसका नामांतरण दर्ज करें यदि उस आदेश में कोई विधिक त्रुटि है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 39 /21

1. कालूराम पुत्र श्री टिकूराम जाति जाट निवासी भुवाला तहसील लूनकरणसर हाल मेघाना तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर हाल चक 2 बी.वाई.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

.....वादी

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री सिंधाराम जाति कुम्हार निवासी हमीरवास तहसील राजगढ जिला चुरू राज.।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188, 92(ए) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी चक 2 बीवाईएम (बी) के मुरब्बा नंबर 105/40 के किला नंबर 1 से 23 की कुल 22.14 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14.03.1995 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई थी। वादी उस इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही रेलीवेंट विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है। अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं। वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88 ,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए यह दवा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

3. विजय कुमार पुत्र श्री रूपलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भटोली फकोरियान तहसील हरिपुर जिला कांगड़ा हाल आबाद चक 6 केवाईडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1 कासम अली पुत्र गोसुखां जाति मुसलमान निवासी 5 एम.सी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. उप–पंजीयक खाजूवाला।
5. स्टेट राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है विवादित आराजी चक 6 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 196/12 की कुल 7.08 बीघा कमांड व मुरब्बा नंबर 196/20 की कुल 14.11 बीघा कमांड, इस तरह कुल 21.19 बीघा कमांड कृषि भूमि में से आधा हिस्सा (1/2) वादी के पिता रूपलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता का देहांत 2011 में हो चुका है और उक्त भूमि का विरासत नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है और वादी को उस जमीन से बेदखल करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी को पाबंद किया जाए कि वह उक्त जमीन में दखलअंदाजी ना करें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब ना दिए जाने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अदालत द्वारा फैसला किया जाता है कि तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित आराजी के संबंध में जांच करें। यदि रिकॉर्डर खातेदार रूपलाल पुत्र राजूराम की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसान की जांच करते हुए विधि अनुसार विरासत नामांतरण की प्रक्रिया संपन्न करें। इस दौरान किसी भी तरीके से जमीन का हस्तांतरण ना हो।

इस आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र 29/19 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. गजानन्द पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 55 वर्ष साकिन मुण्डा जिला हनुमानगढ हाल साधुवाली जिला श्रीगंगानगर। मो. 8219261027

.....

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. एंव 151 सीपीसी

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी गजानंद पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राह्मण साकिन मुंडा जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को चक 25 बीएलडी मुरब्बा नंबर 176/13 की 25 बीघा अनकमांड जमीन बतौर विशेष आवंटन दिनांक 18.03.99 को आवंटित हुई थी। 2013 में वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थे।

वादी का कहना है कि आवंटन आदेश में गलती से उसका नाम गजानंद सिंह दर्ज हो गया है जबकि उसका असल नाम गजानंद है। प्रार्थी द्वारा सबूत के तौर पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं–

1. आवंटन हेतु आवेदन पत्र संख्या 5216 दिनांक 31.12.96।
2. सहायक आयुक्त उपनिवेशन उपनिवेशन छतरगढ़ का फैसला दिनांक 18.03.99।
3. 35 प्रतिशत राशि भरवाने का चालान दिनांक 18.03.99।

उक्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा गजानंद के तौर पर ही आवेदन किया गया था और 18.03.99 का सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ का आदेश भी गजानंद के नाम से ही जारी हुआ है। लेकिन इस निर्णय की अनुपालन में जारी की गई गैर खातेदारी सनद दिनांक 30.07.99 में वादी का नाम गजानंद सिंह दर्ज कर दिया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह समाधान है कि विवादित आराजी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गजानंद सिंह की जगह गजानंद दर्ज किया जाए। बाकी सभी प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. पृथ्वीराम पुत्र श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 26 केवाईडी तह. खाजूवाला।

.....

वादी

बनाम

1 मोहनलाल चराया पुत्र श्री बनवारीलाल जाति अरोड़ा निवासी 29 एल. ब्लॉक श्रीगंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर।

2 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 427 गुरूनानक बस्ती वार्ड न. 45 श्रीगंगानगर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित जमीन चक 26 केवाईडी का मुरब्बा नंबर 59/44 की 25.00 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज है। इसी के साथ लगता हुआ मुरब्बा नंबर 59/53 प्रतिवादी के नाम दर्ज है। वादी ने वाद पेश किया है कि प्रतिवादी गण उसकी जमीन के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में से जबरदस्ती सिंचाई खाला बनाना चाहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादी गण को पाबंद किया जाए कि वह वादी की खातेदारी भूमि में कोई दखलअंदाजी ना करें।

प्रतिवादी गण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए उनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली का अध्ययन किया गया। 11 नवंबर 2013 का एक गैर पंजीकृत ईकरारनामा शामिल मिसल है जिसमें वादी द्वारा मुरब्बा नंबर 59/44 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में एक–एक बिसवा भूमि सिंचाई खाले के लिए प्रतिवादी मदनलाल के पक्ष में छोड़ी गई है। हालांकि वाद में वादी ने कहा है कि यह करारनामा उसे गुमराह करके लिखवाया गया था।

अदालत का मानना है उक्त इकरारनामा एक गैर पंजीकृत दस्तावेज है। इसे कानूनी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत द्वारा यह फैसला किया जाता है की प्रतिवादी गण वादी के नाम दर्ज भूमि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी ना करें। वादी को भी पाबंद किया जाता है कि यदि मुरब्बा नंबर 59/44 में कोई रास्ता या खाला मौके पर मौजूद है, चाहे वह रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं, वादी उस रास्ते/ खाले में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

इसी के साथ मुरब्बा नंबर 59/44 के संबंध में प्रार्थना पत्र संख्या 53/15 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 16.07.15 को जारी किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

कौशल्या देवी पुत्री युद्ववीर सिंह पत्नि जयचन्द जाति राजपूत निवासी नंदपुर भटोली हाल आबाद

गांव टिका तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

.....वादी

बनाम

1. शेर सिंह पुत्र श्री युद्ववीर सिंह जाति राजपूत निवासी नंदपुर भटोली हाल तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. शकुन्तला पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी नजदीक सिमरन हॉस्पीटल चयाना चुंगी मकान न. 804 गली न. 6 अमृतसर मोहल्ला पंजाब
3. दामोदरी देवी पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी नोसेरा तहसील देहरा जिला कांगड़ा।
4. जयदेवी पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि ईन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी स्पैल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा।
5. पुष्पा देवी बेवा
6. दिक्षा देवी पुत्री
7. राहुल पुत्र
8. करण पुत्र

   स्व. श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी नंदपुर तह. देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.
9. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामनिवास जाति बिश्नोई निवासी 25 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 एलआर एक्ट

—: निर्णय बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 :— दिनांक—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि विवादित आराजी चक 23 केवाईडी (बी) का मुरब्बा नंबर 79/43 की 25.00 बीघा कमांड भूमि, वादिया और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता और 5 से 8 के दादा युद्धवीर सिंह के नाम पोंग बांध विस्थापित के तौर पर आवंटित हुई थी। वादिया का आक्षेप है युद्धवीर सिंह की 6 संताने थी —2 पुत्र (1 पुत्र लाऔलाद मृत) और 4 पुत्रियां। लेकिन 1993 में युद्धवीर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शेर सिंह और गोरधन सिंह ने फर्जी वारिस नामा तैयार कर उक्त जमीन का इंतकाल दोनों भाइयों और माता के नाम करवा लिया और बहनों को उनके हिस्से से वंचित कर दिया। सन 2006 में माता की मृत्यु होने के पश्चात उक्त जमीन दोनों भाइयों गोरधन सिंह और शेर सिंह के नाम दर्ज हो गई। उस समय भी दोनों भाइयों ने माता का फर्जी वारिस नामा तैयार कर बहनों को उनके हिस्से से वंचित कर दिया।

उसके बाद गोरधन सिंह ने अपने हिस्से की जमीन को प्रतिवादी संख्या 9 वेद प्रकाश पुत्र रामनिवास को बेच दिया। इसलिए वादिया ने दावा पेश कर अर्ज किया है युद्धवीर सिंह के कुल 6 वारिश है (पत्नी और 1 पुत्र लाऔलाद मृत्यु) उक्त जमीन में दो भाइयों और चार बहनों का बराबर का हिस्सा है। इसलिए प्रत्येक वारिस को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए और दूसरा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में तस्दीक किया गया बैनामा विधि विरुद्ध है इसलिए उसे वादियां एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हकों की हद तक शून्य घोषित किया जाए कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए उनका जवाब बंद कर दिया गया है।

प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से जवाब दिया गया और साथ में ही ऑर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका सार इस तरह से है कि वादीया द्वारा इंतकाल संख्या 146 और 147 जो 2006 में तस्दीक किया गया था, के खिलाफ 2015 में एक अपील पेश की थी जो इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इंतकाल संख्या 146 के जरिए युद्धवीर सिंह की पत्नी के नाम दर्ज जमीन पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटों शेर सिंह और गोरधन सिंह के नाम दर्ज हुई थी। इंतकाल संख्या 147 के द्वारा गोरधन सिंह द्वारा बेचान की गई जमीन वेद प्रकाश के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान वाद भी उसी जमीन से संबंधित है और उन्हीं समान बिंदुओं पर आधारित है जो अपील में उठाए गए थे चूंकि अपील खारिज हो चुकी है इसलिए वाद के जरिए दोबारा उसी बिंदु को नहीं उठाया जा सकता। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए।

वादीया के द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अपील मियाद बाहर होने की वजह से खारिज हुई थी। इसलिए उस अपील का खारिज होना वादिया द्वारा घोषणा आत्मक वाद प्रस्तुत किए जाने को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अदालत का मानना है कि ईंतकाल संख्या 146 और 147 के खिलाफ प्रस्तुत की गई अपील मेरिट पर फैसल नहीं हुई थी। इसलिए उस अपील में दिया गया फैसला इस घोषणात्मक दावे के सिलसिले में res judicata के तौर पर लागू नहीं होता। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

राजेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी चक 19 बीडी तहसील खाजूवाला जिलाबीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद
2. रमेश चन्द्र

पुत्रगण सीताराम जाति नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।

3. ललिता देवी पत्नि गोपालराम पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।

4. संतोष देवी पत्नि मुरलीधर पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
.... अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 19 बीडी के मुरब्बा नंबर 94/30 के किला नंबर 1 से 25 में 24 बीघा भूमि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माता रानी देवी पत्नी सीताराम के नाम दर्ज थी। वादी का कहना है की रानी देवी ने दिनांक 20.02.2004 को उक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवा दी थी। रानी देवी की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण संख्या 156 दिनांक 31.08. 2005 को दर्ज किया गया। जिसके तहत विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज कर दी गई। इसी दौरान प्रतिवादी नंबर 1 से 4 ने उक्त विवादित आराजी का विरासतन इंतकाल नामांतरण संख्या 154 दिनांक 06.08. 2005 को दर्ज करवा लिया।

वादी ने इस आशय का अनुतोष चाहा है कि इंतकाल संख्या 154 को निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 156 को विधि सम्मत घोषित किया जाए। प्रतिवादी गण ने जवाब पेश किया है की इंतकाल संख्या 154 इंतकाल संख्या 156 से पहले दर्ज किया गया है। इसलिए इंतकाल संख्या 154 के कायम होते हुए इंतकाल संख्या 156 कानूनी तौर पर दर्ज ही नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी गण द्वारा उक्त इंतकाल को निरस्त करवाने बाबत इसी न्यायालय में अपील 16/2005 पेश की गई थी। उस अपील का निर्णय दिनांक 15.06. 2006 को हो चुका है व न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए वादी इस न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 156 को पुष्ट करने का वाद दायर नहीं कर सकता क्योंकि इस बिंदु पर अपील संख्या 16/2005 में फैसला हो चुका है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और निर्णय अपील संख्या 16/2005 का भी अध्ययन किया गया। वर्तमान वाद और अपील संख्या 16/2005 में मुख्य बिंदु एक ही है। मुख्य बिंदु यह है कि इंतकाल संख्या 156 और इंतकाल संख्या 154 में से किसे वैध माना जाए। क्योंकि अपील संख्या 16/2005 में इस मुद्दे पर फैसला हो चुका है जिसमें इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया गया है और अपील संख्या 16/2005 के निर्णय के खिलाफ वर्तमान में माननीय राजस्व मंडल में कार्यवाही जैरकार है। इसलिए वर्तमान वाद सस्टेनेबल नहीं हैं। इसलिए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :— /

पार्टी न. 1

1. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री श्री डुंगरराम पति श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.।
2. श्रीमती रेलकी देवी पुत्री श्री भागराम उर्फ भागसिंह पति श्री दुदाराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष

निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.।

बनाम

पार्टी न. 2

1. श्री नानकराम पुत्र श्री भागराम उर्फ भागराम उर्फ भागसिंह पति श्री दुदाराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.

अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी

—: निर्णय :— **दिनांक—**

प्रकरण का ब्यौरा इस प्रकार है कि थाना अधिकारी पुलिस थाना दंतोर की तरफ से एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी इस बाबत प्रस्तुत किया गया था कि चक 16 वीएलडी (बी) के मुरब्बा नंबर 71/16 की 23 बीघा कमांड भूमि को लेकर पार्टी नंबर 1 श्रीमती भंवरी देवी और रेलकी देवी और पार्टी संख्या 2 नानकराम पुत्र श्री भागराम के बीच विवाद है। इस विवाद की वजह से दोनों पक्षों के बीच में कभी भी खून खराबा हो सकता है। इसलिए विवाद ग्रस्त भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जाए।

अदालत द्वारा इस इस्तगासा के तथ्यों पर गौर किया गया .दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया। प्रथम पक्ष इस आधार पर इस जमीन पर हक जता रहा है कि उक्त जमीन जमाबंदी में उनके नाम दर्ज है। द्वितीय पक्ष 1996 में लिखे गए इकरारनामा के आधार पर जो कि प्रथम पक्ष के पिता द्वारा नानकराम के पक्ष में लिखा गया है इस जमीन पर कब्जा जता रहा है।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में जमीन पर द्वितीय पक्ष नानकराम का कब्जा है. प्रथम पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि नानकराम द्वारा प्रथम पक्ष को गैरकानूनी तरीके से बेदखल कर उक्त जमीन पर कब्जा किया गया है. इसलिए अदालत का मानना है कि इस प्रकरण में विवादित आराजी को कुर्क किए जाने का कोई आधार नहीं है।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष भंवरी और रेलकी देवी उक्त विवादित आराजी के संबंध में द्वितीय पक्ष नानकराम के कब्जा काश्ड में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे. यदि प्रथम पक्ष का मानना है नानकराम ने इस जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है तो वह सक्षम न्यायालय में बेदखली के लिए वाद दायर कर सकते हैं।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

तरसेम सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति मजहबी निवासी 14 डीओएल (ए) तहसील घड़साना जिला

श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 3 एसएसएम प्रथम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 23 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 बीजीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए,88,89,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक–**

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी तरसेम सिंह का कहना है कि उसने विवादित आराजी चक 3 एसएसएम प्रथम के मुरब्बा नंबर 197/06 के किला नंबर 1 ता 22 की कुल 5.4 हेक्टेयर भूमि को खरीदने बाबत 17 जनवरी 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के साथ मौखिक इकरार किया था और इकरार के आधार पर 12 लाख रुपए उसी दिन गुरदीप सिंह को दे दिए थे और जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया था। मसौदे के मुताबिक 18 मार्च 2021 को जमीन का बैयनामा पंजीयन करवाया जाना तय हुआ था। वादी ने उक्त भूमि के संबंध में स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी कर दिया था लेकिन दिनांक 18 मार्च 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 सौदे से मुकर गया और इसके बाद उसने जमीन का बेचान आगे प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम के पक्ष में कर दिया। इसलिए वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है उक्त भूमि पर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें और करार के आधार पर उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की जाए।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि वादी के पक्ष में कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जा सके या जमीन वादी के नाम दर्ज कर दी जाए। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि 17 जनवरी 2021 को दोनों पक्षों के बीच कोई इकरार हुआ था और वादी ने 12 लाख रुपए देकर उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त किया था। अगर यह मान भी लिया जाए कि गुरदीप सिंह मौखिक इकरारनामा के बाद जमीन का बेचान करने से मुकर गया है तो भी संभावित खरीददार के पक्ष में उक्त जमीन के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते। बैयनामा लिखे जाने मात्र से भी संभावित खरीददार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। जहां तक संभावित खरीददार द्वारा स्टांप ड्यूटी जमा करवाए जाने का प्रश्न है तो स्टांप ड्यूटी रिफंड हो सकती है इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही हो। इसलिए अदालत का फैसला है कि यह वाद सस्टेनेबल नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–103/15

वादी की तरफ से वाद विड्रॉ करने लिए प्रा0पत्र पेश किया गया। वादी का कहना है कि उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष 251ए आरटीए 1955 के तहत प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह वर्तमान वाद जो कि धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया

गया है। विड्रॉ करना चाहता है। अकॉर्डिगली विड्रॉ इज अलाउड एंड प्रमीशन इज ग्रांटेड टू फाइल केस अंडर अप्रोप्रीयेट लॉ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थी

बनाम

1. आमीन खां पुत्र मदन खां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मो. अमीन पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी 9 केजेडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी
संपठित धारा 145,146 सीआरपीसी

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

प्रार्थी सुखविंन्द्र सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 133 सीआरपीसी और धारा 145,146 सीआरपीसी के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 101/03 के किला नंबर 17 की 5 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इस भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है, प्रार्थी ने यह मकान अप्रार्थी संख्या 1 अमीन खान को किराए पर दिया था। अब प्रार्थी ने मकान वापस ले लिया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के घर के आगे टीन शेड का निर्माण कर नाजायज कब्जा कर लिया है। इससे प्रार्थी का अपने घर तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल कर नजायज निर्माण को कुर्क किया जाए।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। प्रार्थी के मौखिक बयानों और उसके द्वारा पेश की गई मौका की फोटो का भी पर भी गौर किया गया। न्यायालय का मानना है कि इस प्रकरण में धारा 145, 146 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई किया जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। जो कि धारा 145 के दायरे में नहीं आता है। धारा 145 उस समय प्रभावी होती है, जब किसी भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना हो। यहां मामला कब्जे का नहीं बल्कि बेदखली का है। धारा 146 के तहत जमीन कुर्क करने का आदेश उस हालात में दिया जाता है, जब मामला आपातिक हो या यह स्पष्ट ना हो कि विवादित भूमि पर किस पक्ष का कब्जा है। लेकिन यहां पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है।

इस मामले में धारा 133 सीआरपीसी के तहत भी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है क्योंकि धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है। इस प्रकरण में प्राइवेट रास्ते को अवरुद्ध किया जाना बताया गया है। जिसे धारा 133 सीआरपीसी के दायरे में पब्लिक न्यूसेंस नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस प्रकरण को इस स्तर पर खारिज किया जाता है.

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :— /

1. भगवानाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी 5 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 रामप्यारी पत्नि श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी 5 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 रमेशचन्द्र पुत्र श्री मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी 5 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4 रूपसिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह जाति राजपुत निवासी 5 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 सीपीसी

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

प्रकरण का ब्यौरा इस तरह है कि उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 60/ 2013 अंतर्गत नियम 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कंडीशन एक्ट 1955, अनुवान भगवानाराम बनाम रामप्यारी वगैरह के तहत चक 5 पीआरएम के मुरब्बा नंबर 57/26, 57/34, 57/42, 57/50 के किला नंबर 21 से 25 में 2—2 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का फैसला किया गया था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 11/2018 के तहत उपखंड अधिकारी खाजूवाला के फैसले को निरस्त करते हुए प्रकरण को दोबारा सुनवाई के लिए उपखंड अधिकारी खाजूवाला को रिमांड किया गया।

मूल प्रकरण में गैर सायल के तौर पर हाजिर हुए रामप्यारी वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 और 151 सीपीसी के तहत इस बाबत पेश किया गया है की न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा न्यायालय हाजा के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय हाजा के फैसले की पालना में दर्ज हुए रास्ते को निरस्त किया जाए।

अदालत द्वारा इस प्रार्थना पत्र को रिमांड प्रकरण 60/2013 के साथ सम्मिलित किया गया। मूल प्रकरण में सायल के तौर पर हाजिर हुए भगवानाराम द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर यह आपत्ति पेश की गई कि जब तक रिमांड प्रकरण में फैसला नहीं हो जाता तब तक रास्ते का इंतकाल निरस्त करना उचित नहीं है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। अदालत का मानना है कि भगवानाराम द्वारा पेश की गई आपत्ति सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा न्यायालय हाजा के फैसले को निरस्त कर दिया गया है और माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के फैसले पर आज की तारीख में कोई स्थगन नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के फैसले को लागू किए जाने पर कोई कानूनी बाधा नहीं है।

इसलिए न्यायालय द्वारा तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उपखंड अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 60/2013 में किए गए फैसले की पालना में दर्ज हुए इंतकाल संख्या 59 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उस इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. सुमित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जरिये आरओडब्ल्यू श्री देवीलाल एम्पलाई आईडी ppjo00063802

.....

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नोडल अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) खाजूवाला।

....

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत मोबाईल टावर इन्स्टालेशन अन्तर्गत department of urban development and housing के आदेश दिनांक 6 फरवरी 2017

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

Summit digitel infra. Pvt. Ltd. द्वारा चक 7 पी एच एम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नंबर 180/4 (खातेदार मेन कंवर) मैं मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए department of urban development and housing के order dated 6 फरवरी 2017 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
इस प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित खामियां है–

1. Structural stability certificate संलग्न नहीं है. आवेदन कर्ता के मुताबिक इस सर्टिफिकेट की जरूरत केवल उस हालात में होती है जब किसी इमारत पर टावर लगाना हो जबकि आवेदन कर्ता द्वारा टावर जमीन पर लगाया जा रहा है। मेरे मुताबिक यह जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ऑर्डर के नियम 5 के तहत टावर चाहे जमीन पर स्थापित किया जा रहा हो या किसी इमारत पर, दोनों ही मामलों में टावर के सिलसिले में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इस मामले में ऑर्डर के नियम 3 पर भी गौर किया गया।

2. Type test certificate issued by ARAI प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं है। आवेदन कर्ता के मुताबिक यह सर्टिफिकेट टावर स्थापित करने के 30 दिन बाद पेश करना होता है। मेरे मुताबिक यह जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ऑर्डर के नियम 5 में 30 दिन जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

3. Lease agreement पंजीकृत नहीं है। आवेदन कर्ता के मुताबिक पंजीकृत लीज एग्रीमेंट टावर स्थापित होने के 30 दिन में पेश कर दिया जाएगा। इस जवाब को आर्डर के नियम 5 के तहत के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इन सब बिंदुओं पर आवेदन कर्ता से जवाब मांगा गया था. आवेदन कर्ता द्वारा 14 जुलाई 2021 को जवाब पेश किया गया है .आवेदन कर्ता द्वारा कंपनी के लाइसेंस और टावर के टेक्निकल डिजाइन के संबंध में स्पष्टीकरण पेश कर दिया गया है. लेकिन ऊपर लिखी गई तीन खामियों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया .इसलिए ऑर्डर के नियम 8 (2) (इ) के तहत इस आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है.

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. रामकुमार पुत्र हरीराम निवासी 22 बीएलडी दन्तौर तहसील खाजूवाला।
2. चेतराम पुत्र चानणराम निवासी 22 बीएलडी दन्तौर तहसील खाजूवाला।
3. जयराम पुत्र गोपालराम निवासी 22 बीएलडी दन्तौर तहसील खाजूवाला।
4. रामचन्द्र पुत्र गोपालराम निवासी 22 बीएलडी दन्तौर तहसील खाजूवाला।
5. सुभाषचन्द्र पुत्र देवीलाल निवासी 22 बीएलडी दन्तौर तहसील खाजूवाला।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र भंवरलाल जाति लूणावत निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

....

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि अप्रार्थी विजय कुमार द्वारा 22 बीएलडी के मुरब्बा नंबर 217/44 में पीओपी फैक्ट्री का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश की गई है कि उक्त फैक्ट्री आबादी से चिपके हुए मुरब्बे पर निर्मित हो रही है। इसलिए इस फैक्ट्री के प्रदूषण का आम लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस फैक्ट्री को nuisance मानते हुए बंद करवाया जाए। प्रार्थीगण का यह भी कहना है कि उक्त भूमि का संपरिवर्तन आदेश विधि मान्य नहीं है।

यहां यह जिक्र करना भी उचित होगा इस मामले में मूल फैसला 28/10/2020 को उपखंड मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा पारित किया गया था। इस फैसले को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायालय संख्या 1 बीकानेर द्वारा 26/02/2021 को खारिज कर मामले को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया था कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर दोबारा फैसला सुनाया जाए।

इस मामले में तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त फैक्ट्री आबादी से 100 मीटर की दूरी पर है। जमाबंदी के मुताबिक यह जमीन अप्रार्थी के नाम औद्योगिक संपरिवर्तन दर्ज है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत का मानना है कि इस मामले में अहम बिंदु यह है कि क्या उक्त फैक्ट्री पर्यावरण और आम जनता के लिए हानिकारक नहीं है। इस बिंदु को साबित करने का दायित्व अप्रार्थी पर है।

अप्रार्थी द्वारा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी consent to operate पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने आपत्ति पेश की है की अप्रार्थी द्वारा पेश किए गए consent to establish सर्टिफिकेट दिनांक 30 अगस्त 2018 और consent to operate सर्टिफिकेट ऑर्डर न. 2021–22/बीकानेर/9344 दिनांक 23 जून 2021 में यूनिट आईडी और एड्रेस अलग–अलग है।

अदालत द्वारा दोनों सर्टिफिकेट पर गौर किया गया। सर्टिफिकेट को देखने से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता कि यह अपत्ति सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि दोनों ही सर्टिफिकेट्स में फैक्ट्री का एड्रेस 22 बीएलडी लिखा गया है।

सभी साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है उक्त फैक्ट्री को धारा 133 सीआरपीसी के दायरे में पब्लिक न्यूसेंस नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही धारा 133(1) बी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि consent to operate सर्टिफिकेट में लिखी गई सभी शर्तों की मुकम्मल पालना करना सुनिश्चित करें। जहां तक यह सवाल है कि संपरिवर्तन आदेश कानूनी है या नहीं, अदालत का मत है कि धारा 133 सीआरपीसी के दायरे में इस मसले की जांच करने का इख्तियार नहीं है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–09/18

अपीलांट गुरुदेवसिंह/काबिलसिंह ने खुद पेश होकर प्रा0पत्र पेश किया कि क्योंकि विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट और रेस्पोडेंट के बीच राजीनामा हो चुका है। इसलिए वह इस अपील को विड्रॉ करना चाहता है।

अदालत द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार कर वाद सं0 09/18 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही विवादित आराजी तहसील खाजूवाला के चक 27 केवाईडी'बी' के मु0नं0 19/57 के किला नं0 1 ता 25 की 24.05 बीघा भूमि पर दिनांक 18/9/18 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2020/00042

पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने प्रा0 पत्र पेशकर बताया कि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। वादी स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया कि इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वादी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर यह पत्रावली राजीनामे के आधार पर इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2020/00043

पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने प्रा0 पत्र पेशकर बताया कि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। वादी स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया िकइस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वादी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर यह पत्रावली राजीनामे के आधार पर इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 55/21

1. सुरजाराम पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जोधपुर हाल आबाद चक 3 एमडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला।

.....

अपीलांट

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
2. माडी पत्नि जंवरीलाल पुत्री सांवलराम जाति जटिया निवासी पीपाड़ सिटी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3. गोमती पत्नि किशनाराम पुत्र सांवलराम जाति रेगर निवासी 3 एमडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. धर्मी पुत्री सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल डिजल इंजन वर्कशाप रेलवे, आबुरोड़, जिला सिरोही।
5. भंवरलाल पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल आईमाता कॉलोनी रोड़ न. 27, ब्यावर।
6. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत आनन्दगढ पंचायत समिति खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है क विवादित भूमि चक 3 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 111/11 के किला नंबर 1,10,11 और 14 से 25 कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट और रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 के पिता सांवलराम के नाम दर्ज थी। सांवलराम की मृत्यु के बाद उक्त जमीन अपीलांट और रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 के नाम बतौर वारिस बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। रेस्पोंडेंट संख्या दो माडी द्वारा अपने हिस्से की जमीन की रिलीज डीड दिनांक 10.07.2018 उप–पंजीयक खाजूवाला के समक्ष तस्दीक करवा दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा इस रिलीज डीड का इंतकाल संख्या 177 दर्ज करते समय माडी का हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या एक के नाम दर्ज कर दिया जो कि नियम विरुद्ध है क्योंकि दस्तबरदारी के जरिए जब कोई खातेदार अपने हक का त्याग करता है तो उसके नाम दर्ज जमीन सभी सह–खातेदारों के पक्ष में बराबर अनुपात में ट्रांसफर होती है। दस्तबरदारी के जरिए कोई खातेदार अपने हक का ट्रांसफर किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा किए जाने से स्टांप ड्यूटी की की भी हानि होती है। यदि कोई खातेदार अपने हिस्से का ट्रांसफर किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में करना चाहता है तो यह ट्रांसफर दान या बैयनामा के जरिए ही हो सकता है।

अदालत द्वारा अपील में पेश किए गए तथ्यों और बहस पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस प्रकरण में दो मुख्य बिंदु हैं।

1. क्या पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण नियम विरुद्ध है। अदालत द्वारा रिलीज डीड का अवलोकन किया गया। इसमें माडी द्वारा स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि मैं अपना हिस्सा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में ट्रांसफर करना चाहती हूं। इसलिए अपील द्वारा पेश की गई आपत्ति को पंचायत द्वारा तस्दीक दिया गया इंतकाल नियम विरुद्ध है, सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही नामांतरण तस्दीक किया गया है।
2. दूसरा बिंदु यह है कि क्या माडी द्वारा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में तस्दीक कराया गया ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। अदालत का मानना है कि यह ट्रांसफर नियम विरुद्ध नहीं है क्योंकि माडी को यह अधिकार है कि वह अपने नाम दर्ज जमीन का ट्रांसफर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कर सकें।

यह मुद्दा जरूर जांच का बिंदु हो सकता है कि क्या माड़ी द्वारा खातेदार विशेष के पक्ष में दस्तबरदारी के जरिए अपना हिस्सा ट्रांसफर किए जाने से स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है। लेकिन इस बुनियाद पर अपीलाधीन इंतकाल को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि दस्तबरदारी, दान ,बैयनामा यह तो ट्रांसफर का जरिया मात्र हैं। प्रत्येक के लिए अलग–अलग स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। यह जांच करना कि क्या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति ने सही जरिए का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर किया है और सही स्टांप ड्यूटी चुकाई है या नहीं, यह एक टेक्निकल/प्रोसीजरल मुद्दा है। इसकी जांच करना उप पंजीयक की जिम्मेवारी है।

इस प्रकरण में substantive मुद्दा यह है कि ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है। रिलीज डीड में लिखे गए कथनों से स्पष्ट है कि माडी की मंशा अपने हिस्से का ट्रांसफर अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में करने की है। केवल इस आधार पर कि उसके द्वारा ट्रांसफर के सही जरिए का इस्तेमाल नहीं किया गया, यह फैसला नहीं किया जा सकता की माडी द्वारा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में ट्रांसफर की गई भूमि सभी खातेदारों के हिस्से में बराबर अनुपात में ट्रांसफर की जाए। ऐसा किया जाना माडी की मंशा के खिलाफ उसकी भूमि ट्रांसफर करने जैसा होगा जिसे किसी भी बुनियाद पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए अदालत का मानना है कि यह अपील सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस अपील को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लीज डीड की जांच की जाए। अगर इसमें स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है तो जिम्मेदार पक्षकारों से वसूली की जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 85/21

1. राजा पत्नि सुभान खां जाति मुसलमान निवासी 13 केएचएम, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादीया

बनाम

1 हसन खां पुत्र श्री फैजू खां
2 आशिक खां पुत्र श्री फैजू खां } जाति मुसलमान निवासी 13 केएचएम तहसील खाजवूाला
3 आयशा पुत्र श्री फैजू खां जिला बीकानेर।
4 तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

वाद का ब्यौरा इस प्रकार से है की चक 13 केएचएम के मुरब्बा नंबर 19/39 का किला नंबर 25, मुरब्बा नंबर 19/47 का किला नंबर 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 19/48 का किला नंबर 2 से 5 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नंबर 19/48 का किला नंबर 6 से 19 तथा 12 से 21 प्रतिवादी के नाम दर्ज है।

दोनों पक्षों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद है। प्रतिवादीगण सीमा ज्ञान करवाना चाहते हैं। वादी का कहना है उसने अपनी जमीन पर काश्त की हुई है। प्रतिवादीगण सीमा ज्ञान की आड़ में उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर फसल को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाए की फसल काश्त के दौरान सीमाज्ञान ना करवाया जाए।

अदालत द्वारा बाद में जिक्र किए गए तथ्यों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 और 128 के तहत सीमा विवाद का हल करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जांच अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया की पालना करते हुए, मुस्तकिल बिंदु से जमीन का नाप कर, पहले यह समाधान किया जाएगा कि किस खातेदार ने दूसरे खातेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। उसके बाद नाजायज कब्जा धारी को बेदखल करने के लिए भी कानून द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसलिए वादी का यह कहना की सीमा ज्ञान की आड़ में प्रतिवादीगण उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं या उसकी फसल को नष्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 56/21

1. सुरजाराम पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जोधपुर हाल आबाद चक 3 एमडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला।

.....

अपीलांट

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
2. माडी पत्नि जंवरीलाल पुत्री सांवलराम जाति जटिया निवासी पीपाड़ सिटी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3. गोमती पत्नि किशनाराम पुत्र सांवलराम जाति रेगर निवासी 3 एमडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. धर्मी पुत्री सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल डिजल इंजन वर्कशाप रेलवे, आबुरोड़, जिला सिरोही।
5. भंवरलाल पुत्र सांवलराम जाति जटिया निवासी हीरादेसर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल आईमाता कॉलोनी रोड़ न. 27, ब्यावर।
6. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत आनन्दगढ पंचायत समिति खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है क विवादित भूमि चक 3 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 111/11 के किला नंबर 1,10,11 और 14 से 25 कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट और रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 के पिता सांवलराम के नाम दर्ज थी। सांवलराम की मृत्यु के बाद उक्त जमीन अपीलांट और रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 के नाम बतौर वारिस बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। रेस्पोंडेंट संख्या तीन गोमती द्वारा अपने हिस्से की जमीन की रिलीज डीड दिनांक 26.07.2018 उप—पंजीयक खाजूवाला के समक्ष तस्दीक करवा दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा इस रिलीज डीड का इंतकाल संख्या 178 दर्ज करते समय गोमती का हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या एक के नाम दर्ज कर दिया जो कि नियम विरुद्ध है क्योंकि दस्तबरदारी के जरिए जब कोई खातेदार अपने हक का त्याग करता है तो उसके नाम दर्ज जमीन सभी सह—खातेदारों के पक्ष में बराबर अनुपात में ट्रांसफर होती है। दस्तबरदारी के जरिए कोई खातेदार अपने हक का ट्रांसफर किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा किए जाने से स्टांप ड्यूटी की की भी हानि होती है। यदि कोई खातेदार अपने हिस्से का ट्रांसफर किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में करना चाहता है तो यह ट्रांसफर दान या बैयनामा के जरिए ही हो सकता है।

अदालत द्वारा अपील में पेश किए गए तथ्यों और बहस पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस प्रकरण में दो मुख्य बिंदु हैं।

1. क्या पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण नियम विरुद्ध है। अदालत द्वारा रिलीज डीड का अवलोकन किया गया। इसमें गोमती द्वारा स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि मैं अपना हिस्सा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में ट्रांसफर करना चाहती हूं। इसलिए अपील द्वारा पेश की गई आपत्ति को पंचायत द्वारा तस्दीक दिया गया इंतकाल नियम विरुद्ध है, सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही नामांतरण तस्दीक किया गया है।
2. दूसरा बिंदु यह है कि क्या गोमती द्वारा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में तस्दीक कराया गया ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। अदालत का मानना है कि यह ट्रांसफर नियम विरुद्ध नहीं है क्योंकि गोमती को यह अधिकार है कि वह अपने नाम दर्ज जमीन का ट्रांसफर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कर सकें।

यह मुद्दा जरूर जांच का बिंदु हो सकता है कि क्या गोमती द्वारा खातेदार विशेष के पक्ष में दस्तबरदारी के जरिए अपना हिस्सा ट्रांसफर किए जाने से स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है। लेकिन इस बुनियाद पर अपीलाधीन इंतकाल को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि दस्तबरदारी, दान ,बैयनामा यह तो ट्रांसफर का जरिया मात्र हैं। प्रत्येक के लिए अलग—अलग स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। यह जांच करना कि क्या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति ने सही जरिए का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर किया है और सही स्टांप ड्यूटी चुकाई है या नहीं, यह एक टेक्निकल/प्रोसीजरल मुद्दा है। इसकी जांच करना उप पंजीयक की जिम्मेवारी है।

इस प्रकरण में substantive मुद्दा यह है कि ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है। रिलीज डीड में लिखे गए कथनों से स्पष्ट है कि गोमती की मंशा अपने हिस्से का ट्रांसफर अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में करने की है। केवल इस आधार पर कि उसके द्वारा ट्रांसफर के सही जरिए का इस्तेमाल नहीं किया गया, यह फैसला नहीं किया जा सकता की गोमती द्वारा अपने भाई चम्पालाल के पक्ष में ट्रांसफर की गई भूमि सभी खातेदारों के हिस्से में बराबर अनुपात में ट्रांसफर की जाए। ऐसा किया जाना गोमती की मंशा के खिलाफ उसकी भूमि ट्रांसफर करने जैसा होगा जिसे किसी भी बुनियाद पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए अदालत का मानना है कि यह अपील सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस अपील को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लीज डीड की जांच की जाए। अगर इसमें स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है तो जिम्मेदार पक्षकारों से वसूली की जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–86/21

मूलदावा 86/21 खारिज किया जा चुका हैं इसलिए यह प्रा0पत्र भी खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2020/00039

1. चरणजीत कौर पत्नि गुरचरण सिंह जाति जटसिक्ख निवासी चक 2 एएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

प्रार्थीया

बनाम

1. रवि कुमार पुत्र नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 बीडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट
सपठित धारा 151 सीपीसी

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 2 एएम का मुरब्बा नंबर 195/55 का किला नंबर 13 में 10 विस्वा, किला नंबर 14 ता 25 सालम कुल 12.10 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नंबर 195/ 54 के किला नंबर 21 से 25 में कटानी रास्ता दर्ज है। इस रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 195/55 के किला नंबर 5 और 6 में दो—दो बिस्वा रास्ते की मांग की गई है।

किला नंबर 5 और 6 के खातेदार रवि कुमार द्वारा जवाब पेश किया गया है कि यदि अप्रार्थी को रास्ते के बदले क्षतिपूर्ति के तौर पर भूमि दिलवाने के आदेश दिए जाते हैं तो वह रास्ता देने के लिए सहमत हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति जताई गई और रास्ते के बदले किला नंबर 13 में 4 बिस्वा भूमि प्रतिकर के तौर अप्रार्थी को प्रदान करने पर भी सहमति जाहिर की।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि मुरब्बा नंबर 195/55 के किला नंबर 5 और 6 की पूर्वी हद के साथ—साथ 2 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए और इसी मुरब्बे के किल्ला नंबर 13 मे रवि कुमार की जमीन के साथ चिपकी हुई चरणजीत कौर की जमीन में से 4 बिस्वा भूमि रवि कुमार के नाम दर्ज की जाए।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में उक्त फैसले के मुताबिक अमल बरामद करवाएं और नक्शे में तरमीम करवाएं।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00146

तहसीलदार रिपोर्ट पर Anna-1 पर गौर किया गया। रिपोर्ट के मुताकिबक दोनों पक्षों द्वारा मु0नं0 16/43 के किला नं0 1 ता 5 में कायम पक्के खाले के नक्के को आधार मानते हुए, मु0नं0 16/34 व 16/35 की सीमा का निर्धारण करने पर रजामंदी जाहिर की।

उस नक्के की उतरी दिशा की दिवार को सीमा मानकर उस दिवार की उतरी दिशा में 16.5 फीट रास्ता (मु0नं0 16/34 के किला नं0 21 ता 25) तथा दक्षिणी दिशा में कच्ची साख (मु0नं0 16/35 के किला नं0 1 से 5 की निशानदेही दी गई। दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि उक्त रजामंदी की पालना करें तथा उक्त रजामंदी की फैसले के तौर पर घोषित करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00147

आपसी रजामंदी की बुनियाद पर मूल दावा (44/17) फैसल हो चुका है। इसलिए यह प्रा0पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। स्थगन आदेश दिनांक 03.08.17 निरस्त किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

पत्रावली का अध्ययन किया गया। क्योंकि उक्त रास्ता 10 से भी अधिक वषे से कायम है, मौके पर डायर सड़क भी निर्मित है। इसलिए राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए। यह एहतियात बरती जाए कि रास्ता के तौर पर पर अंकित किया गया रकबा काश्तकार के खाते में दर्ज रहें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2021 / 91

1. अनिल आचार्य 23 वर्ष पुत्र राजाराम पौत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण।
2. मुकेश आचार्य 18 वर्ष पुत्र लूणाराम पौत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर हाल चक 41केवाईडी–बीतहसीलखाजूवालाजिलाबीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटुराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. दुर्गाराम पुत्र मालाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. लुणाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. रतनलाल पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

दावे का विवरण इस प्रकार है विवादित आराजी चक 41 केवाईडी–बी के मुरब्बा नंबर 122/2 के किला नंबर 1 ता 19 कुल 19 बीघा भूमि वादीगण के दादा दुर्गाराम पुत्र मालाराम को भूमिहीन आवंटन के तहत आंवटित हुई थी। वादीगण का कहना है कि दुर्गाराम काफी वृद्ध बुजुर्ग हो गए है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 उनको बहला–फुसलाकर जमीन को बेचान करने की फिराक में है।

दुर्गाराम को भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त जमीन भूमिहीन श्रेणी के तहत आंवटित की गई थी। इसलिए भूमि पर परिवार का भी अधिकार है। वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि दुर्गाराम को उक्त भूमि का बेचान करने से रोका जाए और उक्त भूमि में से उनके हक–हकूक तक की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज की जाए।

अदालत द्वारा वादीगण द्वारा पेश की गई दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है विवादित जमीन दुर्गाराम की स्व–अर्जित संपत्ति है क्योंकि यह जमीन दुर्गाराम को सरकार द्वारा grant के तौर पर आंवटित की गई है।

यह सही है कि आंवटन करते वक्त आवेदक के परिवार के नाम दर्ज भूमि का भी संज्ञान लिया जाता है और परिवार के नाम दर्ज भूमि की बुनियाद पर ही आवंटन की जाने वाली जमीन की गणना की जाती है।

लेकिन इस बुनियाद पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता की आंवटित जमीन आवेदक की स्व–अर्जित संपत्ति नहीं है। बल्कि यह कहना जायज होगा कि आंवटन की गई संपत्ति उन सब लोगों की संयुक्त स्व–अर्जित संपत्ति है जो अलॉटमेंट के वक्त आवेदक के परिवार का हिस्सा थे। क्योंकि वादी गण आंवटन के वक्त पैदा नहीं हुए थे इसलिए वादीगण इस आधार पर कि आंवटन के समय परिवार के नाम दर्ज जमीन को आधार माना गया था, विवादित जमीन में कोई हक प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए अदालत का मानना है यह दावा संस्टेनेबल नहीं है, धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व दावा संख्या :– 2021/80

1. विपुल बिश्नोई पुत्र श्री स्व. जयदेव जाति बिश्नोई निवासी 32 केवाईडी–बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 रामफल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.।
2 उप–पंजीयक खाजूवाला।
3 तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट
व 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

दावे का ब्यौरा इस प्रकार से है की विवादित कृषि भूमि चक 32 केवाईडी–बी के मुरब्बा नंबर 200/45 की 25 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लोगों के बहकावे में आकर इस भूमि का बेचान करना चाहते है। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या एक को भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी गई थी, इसलिए इस भूमि में वादी का हक भी निहित है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए बैयनामा हासिल की गई है। वादी ऐसा कोई दस्तावेज सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि को खरीदने में पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल किया गया हो। इसलिए वादी का दावा सस्टेनेबल नहीं है।

धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दावा इस स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/44

पत्रावली आज प्रार्थी के उपस्थित आकर दावा विड्रो बाबत प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादी/प्रार्थी ने निवेदन किया है कि हम प्रार्थी–अप्रार्थीगण के बीच इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अब प्रार्थी–अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण प्रार्थी आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रार्थी का दावा व प्रा0पत्र विड्रो के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/45

मूलदावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2016/00127

प्रार्थीया सरोज मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत ने दावा विड्रो करने बाबत प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि जैरकार प्रकरण में प्रतिवादी ससुर नेमचन्द का स्वर्गवास हो चुका है और सम्पति विरासतन आनी है। अब उक्त वाद में कोई अनुतोष लेना नहीं है। इसलिए दावा को आगे चलाना नहीं चाहते है। वाद व स्थगन पत्रावली विड्रो करने के आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थीगण के प्रा0पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया और प्रार्थीगण का विड्रो प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00150

मूलदावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2016/00141

1. हंसराज पुत्र साहबराम जाति सुनार निवासी 1 पीपी घमूड़वाली हाल चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर। .....वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र सरदाराराम जाति सुनार निवासी घमूड़वाली हाल चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. शिमला पुत्री सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. सरबती पुत्री सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. कालूराम पुत्र साहबराम जाति सुनार चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. राधा पत्नि साहबराम जाति सुनार निवासी गोलुवाला जिला हनुमानगढ़।
9. मैनादेवी पत्नी कलवन्त जाति सोनी जाति सुनार निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. भूरादेवी पत्नी भूपसोनी जाति सोनी निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. पलाराम पुत्र कालूराम जाति सोनी निवासी पण्डितावाली जिला हनुमानगढ़।
12. चुन्नीलाल पुत्र कालूराम जाति सोनी निः पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय :– दिनांक :– 2021

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6बीडी के मुरब्बा नंबर 174/6 की 25 बीघा भूमि वादी के दादा सुरजा राम पुत्र सरदारा राम के नाम दर्ज है। वादी का कहना है कि सुरजाराम का वारिस होने के नाते इस जमीन में उसका जन्म से ही हक है। वादी का दादा बुजुर्ग हो चुका है इसलिए वह लोगों के बहकावे में आकर इस जमीन का बेचान करना चाहता है।.वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है विवादित जमीन का 1/6 हिस्सा वादी और वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 5 कालूराम के नाम दर्ज किया जाए।

प्रतिवादी की तरफ से जवाब दिया गया है कि उक्त जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है, इसलिए इस जमीन पर वादी को कोई हक प्राप्त नहीं है।

वादी द्वारा इसके जवाब में यह दलील पेश की गई है कि विवादित जमीन सुरजाराम को आवंटन के जरिए प्राप्त हुई है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 और राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें 1955 के तहत अनुदान ग्रहिता की परिभाषा में अनुदान ग्रहिता के उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे गए है, इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 और राजस्थान कोर्ट ऑफ वर्ड्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 का भी हवाला दिया है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा पेश की गई दलीलों पर गौर किया गया। अदालत की राय है की वादी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो कि किसी शख्स को आवंटित की गई जमीन में उसके उत्तराधिकारीयों (पुत्र /पुत्री) का जन्म से ही हक निहित हो जाता है।

अदालत की राय है कि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1968 इस मामले में लागू नहीं होता है और कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट 1951 इस मामले में irrelevant है।

इस विवेचन की बुनियाद पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि विवादित जमीन सुरजाराम कि स्व अर्जित संपत्ति है। वादी का उस जमीन में कोई हक नहीं

है, इसलिए यह दावा खारिज किया जाता है। इसी के साथ दिनांक 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–71/20

वादी अधिवक्ता सुभाष धारणिया ने स्पष्टीकरण पेश किया है कि क्योंकि वादी और प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा कुछ समय पहले हो गया था। उसी समय वादी

द्वारा केस नॉट प्रेस प्रा0पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे जो अदालत मे 05.08.21 को पेश किया गया था।

आज 12.08.21 को वादी की तरफ से अधि0 ने केस विड्रॉ करने का प्रा0पत्र पेश किया है अधि0 के मुताबिक वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए केस समाप्त किया जाए अदालत द्वारा इस वाद की इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–72/20

मूलवाद 71/20 विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए स्थगन आदेश दिनांक 29.07.20 भी खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/111

भवानीसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....वादी

बनाम

1. शांति कंवर पत्नी पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी भोजवाला सोमासर तहसील सुरतगढ़ हाल आबाद चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. प्रेमसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी भोजवाला सोमासर तहसील सुरतगढ़ हाल आबाद चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3.विनोदसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी भोजवाला सोमासर तहसील सुरतगढ़ हाल आबाद चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. जगदीश सिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. उप पंजीयक खाजूवाला।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए आर.टी.एक्ट
:निर्णयः दिनांक 16.08.2021

वादी ने एक दावा अंतर्गत धारा 88ए 18892ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी चक 7एसएसएम के मुरब्बा नंबर 47/58 के किला नंबर 11 से 14, 19,20 प्रत्येक में .2529 हेक्टेयर कुल 1.5 हेक्टेयर कमांड भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वादी के पक्ष में इकरारनामा तस्दीक करवाया गया था। प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मुख्त्यार ए आम की हैसियत से उक्त इकरारनामा तस्दीक करवाया था। अब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादी के पक्ष में बैनामा तस्दीक करवाने से इनकार कर दिया है और जमीन का आगे बेचान करने की कोशिश कर रहे हैं। वादी द्वारा यह अनुतोष कहा गया है कि विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज किया जाए और प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाए कि वह वादी की कब्जा काश्त में कोई दखलअंदाजी ना करें।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही रेलीवेंट विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया।। अदालत का मानना है कि यह वाद सस्टेनेबल नहीं है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैंः—

वादी द्वारा गैर पंजीकृत इकरारनामा की बुनियाद पर विवादित जमीन पर अधिकार का दावा किया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जिस मुख्त्यार ए आम के आधार पर कथित इकरारनामा तस्दीक करवाया गया है, वह मुख्तारनामा भी पंजीकृत नहीं है।

रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससें किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तोः—

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह दवा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–38/21

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
:निर्णयः दिनांक 16.08.2021

अप्रार्थी सं01 सहीराम पुत्र भागीरथ बिश्नोई ने जवाब पेश किया है कि विवादित आराजी चक 17 केवाईडी के मु0नं0 54/1 और 54/9 की कुल 43.12 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा उसके द्वारा सन् 1998 में भीखाराम पुत्र गंगाराम से खरीदी थी। इसलिए उक्त जमीन अप्रार्थी की स्व अर्जित संपति है। इस जमीन में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता है।

अप्रार्थी का यह कथन है प्रार्थी 10 साल से अप्रार्थी से अलग रह रहा है। जमीन की सार संभाल भी अप्रार्थी सं0 1 ही करता है।

प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दलील/साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी सं0 1 के कथनों का खंडन हो सके।

इसलिए अदालत का फैसला है कि विवादित आराजी के सिलसिले में 06/04/21 की जारी किया गया स्टे ऑर्डर खारिज किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश की पालना करवाएं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 26/20

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली

अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 40/18

पत्रावली में अनेक अवसर देने के बावजूद दिः 02.02.2021 के फर्दअहकाम आदेश की पालना नहीं की गई। अतः पूर्वआदेश दिः 02.02.2021 की अवहेलना समझी जाकर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 99/15

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली में पूर्वफर्दअहकाम आदेश दिः 16.02.2021 की पालना अनेक अवसर देने के बावजूद नहीं की गई। आज सरे इजलास रूकरूककर आवाजे लगाने पर भी उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः पत्रावली पूर्वआदेश की

अवहेलना व अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 38/20

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 72/2021

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 5/2016

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में अनेक अवसर प्रार्थीगण को दिये जाने के बाद भी दिः 22.6.21 को प्रस्तुत प्रा0पत्र पर प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने रेस्टोरेशन प्रा0पत्र के पक्ष में कोई ठोस सबूत या कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 14/2016

मूलदावे में प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रा0पत्र खारिज हो चुका है। अतः यह पत्रावली भी खारिज की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 4/2014

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रा0पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलांट अधिवक्ता को अप्रार्थी/ रेस्पो0 की तलवी जरिये रजि.एडी. करवाने हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन आदेश की अवहेलना की गई। प्रार्थी के प्रा0पत्र में लिखे कथन सही नहीं माने जा सकते। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रा0पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 52/16

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह
गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 66/19

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 5/17

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 78/15

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली में पूर्वफर्दअहकाम आदेश की पालना अनेक अवसर देने के बावजूद नहीं की गई। आज सरे इजलास रूकरूककर आवाजे लगाने पर भी उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः पत्रावली पूर्वआदेश की अवहेलना व अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 45/17

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 56/17

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली में पूर्वफर्दअहकाम आदेश की पालना अनेक अवसर देने के बावजूद नहीं की गई। आज सरे इजलास रूकरूककर आवाजे लगाने पर भी उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः पत्रावली पूर्वआदेश की अवहेलना व अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 68/2021

1. भीयाराम पुत्र हिमताराम जाति ब्राह्मण निवासी 11 डीडब्लयुडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. जगसीरसिंह पुत्र जवाला सिंह जाति बावरी निवासी 14 डीडब्लयुडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 11 डी.डब्लयु.डी का मुरब्बा नंबर 69/7 का किला नंबर 17 ता 24 कुल तादादी 1.9337 है0 कमाण्ड व इसी चक के मु0नं0 69/15 के किला नं0 1 में 0.1897 है0, किला नं0 10 में 0.0506 है0 कुल तादादी 0.2403 है0 इसप्रकार दोनो मुरब्बों की कुल तादादी 2.1750 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक

के मुरब्बा नंबर 69/6 के किला नंबर 1,10,11,20,21 में 2–2 कटानी रास्ता दर्ज है। इस रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रार्थी द्वारा चक 11 डी.डब्लयु.डी मु0न0 69/7 के किला नंबर 1,10,11 अप्रार्थी सं0 1 के व इसी चक मुरब्बे में स्वंय के किला नं0 20,21 में दो–दो बिस्वा रास्ते की मांग की गई है।

किला नंबर 1,10,11 के खातेदार जगसीरसिंह द्वारा जवाब पेश किया गया है कि यदि अप्रार्थी के चक 11 डी.डब्लयु.डी के मु0नं0 69/7 के किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता कटान करने आदेश दिया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और रास्ता कटान करने की सहमती प्रदान करता हूं और अप्रार्थी ने अपने जवाब बहस में रास्ते के बदले प्रतिफल के तौर प्रार्थी से कोई मांग नहीं की।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और पक्षकारों की आपसी सहमती के आधार पर यह फैसला किया जाता है कि चक 11 डी.डब्लयु.डी मु0न0 69/7 के किला नंबर 1,10,11 20,21 में किले की पश्चिमी सीमा के साथ 16 फीट भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में उक्त फैसले के मुताबिक अमल बरामद करवाएं और नक्शे में तरमीम करवाएं।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
अपील संख्या :– /

1. सुलोचना देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जीनरासर तह. सुजानगढ जिला चुरू हाल आबाद चक 1 एमडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की विवादित आराजी चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 111/ 49 किला नंबर 18, 21 से 24 की 04.18 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि अपीलांट को जरिए दानपत्र प्राप्त हुई थी, लेकिन दान पत्र का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी द्वारा उक्त जमीन का इंतकाल अपीलांट के पति ओमप्रकाश के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिए इंतकाल संख्या 69 के खिलाफ अपील पेश कर अर्ज किया है कि उक्त जमीन को अपीलांट के नाम दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों दान पत्र संख्या 2014000032, 29.09. 2014 और इंतकाल संख्या 69 पर गौर किया गया। उक्त दान पत्र में सुलोचना देवी पत्नी लक्ष्मणराम द्वारा विवादित आराजी का दान अपनी पुत्री सुलोचना देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जिंदासर के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस दान पत्र की बुनियाद पर तस्दीक किए गए इंतकाल संख्या 69 में विवादित आराजी ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण राम के नाम से दर्ज कर दी गई है।

उक्त साक्ष्यों के आधार पर अदालत को यह निर्णय है कि विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना उचित है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है की विवादित आराजी को अपीलांट के नाम दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
अपील संख्या :– /

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
3. बिरमा देवी पत्नि श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
4. दर्शना पुत्री श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.
5. राजबाला पुत्री श्री सुल्तान जाति जाट निवासी चुम्बकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू राज.

.....

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 16 बीएलडी ओल्ड के मुरब्बा नंबर 52/14 की 25 बीघा जमीन अपीलांट के पिता/पति सुल्तान पुत्र सुरजा राम जाति जाट निवासी चुंबकियागढ़ चूरू को विशेष आवंटन के तहत आवंटन हुई थी। लेकिन उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा उस आवंटन आदेश का नामान्तरण तस्दीक करते वक्त सुल्तान के पिता का नाम सुखाराम दर्ज कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरण को निरस्त कर सुल्तान के पिता का नाम दुरुस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश किए गए साक्ष्य मूल आवंटन प्रक्रिया और नामान्तरण संख्या 24 की प्रमाणित प्रति पर गौर किया गया। मिसल संख्या 968/96 के तहत दर्ज हुई आंवटन प्रक्रिया और निर्णय दिनांक 22.02.97 और 16.10.97 के तहत जारी किए गए आवंटन आदेश क्रमांक 10946–50 में सुल्तान के पिता का नाम सुरजाराम दर्ज है। इस आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक किए गए नामांतरण संख्या 24 दिनांक 16.06.98 में सुल्तान के पिता का नाम सुखाराम दर्ज है।

सबूतों पर गौर करने से यह जाहिर होता है कि नामांतरण तस्दीक करते समय सहवन से सुरजाराम की जगह सुखाराम दर्ज कर दिया गया है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अदालत द्वारा यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी के सिलसिले में राजस्व रिकॉर्ड सुल्तान पुत्र सुखराम की जगह सुल्तान पुत्र सुरजाराम दर्ज किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 07/19

1. सुन्दरलाल 2. चन्दूराम 3. छोटूराम पिसरान जड़ाव देवी पुत्री अकूड़ाराम जाति सांसी साकिन चौखुंटी सांसीयान बीकानेर हाल चक 10 बी.डी.सी. तहसील खाजूवाला। .....अपीलांट

बनाम

1. शारदा देवी पत्नि भंवरलाल जाति सांसी साकिन दाउदसर वाया जामसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. सोमादेवी पत्नि जगदीश जाति सांसी साकिन चौखुंटी फाटक, सांसी मौहल्ला बीकानेर।
3. चन्दा देवी पत्नि मदनलाल जाति सांसी साकिन श्रीरामसर, तह. बीकानेर।
4. पुजा पुत्री स्व. मैना जाति सांसी नातिन जड़ाव पिता भंवरलाल साकिन कोलायत जिला बीकानेर।
5. मंजू देवी पत्नि रामूराम जाति सांसी साकिन श्री कोलायत जिला बीकानेर।
6. ग्रांम पंचायत 14 बीडी जरिये सरपंच तहसील खाजूवाला बीकानेर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 24.08.2021**

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 12 बीडी हाल चक 10 बीडी–सी के मुरब्बा नंबर 133/45 की 25 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलांट के नाना अकूड़ाराम के नाम दर्ज था। नाना की मृत्यु 2010 में हुई थी। इसके बाद इंतकाल संख्या 69 और 80 के जरिए उक्त भूमि का इंतकाल नाना के वारिसान जड़ाव और शारदा देवी के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट का कहना है कि नाना ने उक्त जमीन की वसीयत 1995 में अपीलांट की माता जड़ाव के पक्ष में लिख दी थी। इसलिए इंतकाल संख्या 69 और 80 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर उक्त जमीन जड़ाव के वारिसान के नाम दर्ज की जाए, क्योंकि जुड़ाव की मृत्यु 2014 में हो चुकी है।

अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश की गई दलीलों और साक्ष्यों पर गौर किया गया। सबूतों के मुताबिक विवादित जमीन अकूड़ाराम के पिता को आवंटित हुई थी। उक्त जमीन पिता की मृत्यु के बाद विरासतन इंतकाल के जरिए अकूड़ाराम के नाम दर्ज हुई। अदालत का मानना है अकूड़ाराम को उक्त जमीन की वसीयत करवाने का इख्तियार नहीं था क्योंकि उक्त जमीन अकूड़ाराम की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। इसलिए अदालत का मानना है कि उक्त वसीयत के आधार पर विवादित जमीन में अपीलांट के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होता है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह अपील खारिज की जाती है। इसी के साथ विवादित जमीन के संबंध में दिनांक 04.06.19 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व दावा संख्या :– 85 /13

1. जड़ाव पत्नि स्व. श्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी चक 1 बी.एम. तह. खाजूवाला।
2. रामस्वरूप
3. कानाराम
4. धन्नाराम
5. भंवरी
6. सीमा

पुत्र–पुत्रियां स्व. श्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी चक 1 बी.एम.

जरिये मुख्त्यारेआम बाबुलाल पुत्र स्व. श्री दुर्गाराम

7. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी चक 1 बी.एम. तह. खाजूवाला जिला बीकानेर। .....वादीगण

बनाम

1. चौथीदेवी पत्नि श्री सूरजाराम जाति नायक निवासी चक 23 बी.डी. तह. खाजूवाला।
2. खींयाराम पुत्र श्री नवलाराम जाति भांभी निवासी ढाकोरिया तह. नागौर जिला नागौर।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ....प्रतिवादीगण

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92(ए) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–24.08.2021**

वादी ने एक दावा अंतर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी चक 1 बी.एम. (ए) का मुरब्बा नंबर 93/17 का किला नंबर 6,13 से 19 और 21 ता 25 और चक 1 बी.एम. (बी) का मुरब्बा नंबर 94/62 का किला नंबर 6 और 13 से 25 कुल 19.13 बीघा भूमि वादीगण के पिता/पति दुर्गा राम ने 1985 में प्रतिवादी संख्या दो से खरीद की थी। वादीगण के पिता ने उस भूमि को कड़ी मेहनत से उपजाऊ बनाया और इकरारनामा की शर्तों के मुताबिक उक्त भूमि की किश्तें जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या दो के नाम से हासिल किए। खातेदारी मिलने के बाद वादी ने करारनामा के मुताबिक बैयनामा करवाने से इन्कार कर दिया और 2013 में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बैयनामा निष्पादित करा दिया। वादी का कहना है कि क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो इकरारनामा के आधार पर 1985 में ही उस जमीन को विक्रय कर चुका था, इसलिए उसे 2013 में भूमि को दोबारा विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है 2013 में तस्दीक किए गए बैयनामा को null and void घोषित किया जाए और इस विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज ना किया जाए।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का मानना है कि यह वाद सस्टेनेबल नहीं है।अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैः–

वादी द्वारा गैर पंजीकृत इकरारनामा की बुनियाद पर विवादित जमीन पर अधिकार का दावा किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1.वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2.ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता । इसलिए यह दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी आधार पर इस वाद के साथ अपील संख्या 2/14 और 3/14 को भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्या :– 15/19

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी खाजवूाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 ईकबाल कौर पुत्री श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 के.एल.डी.(खरूला) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 तेजा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल.पी.एम. तह. रायसिंहनगर जिला गंगानगर।
3 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 188, 92(ए) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 24.08.21**

वाद का विवरण इस प्रकार है की विवादित जमीन चक 4 केएलडी के मुरब्बा नंबर 171/50 के किला नंबर 4, 5, 6, 15, 16 कुल 5 बीघा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पिता से जरिए ईकरारनामा खरीद की थी। वादी द्वारा मेहनत से जमीन को उपजाऊ बनाया गया है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दावा पेश कर निवेदन किया गया है की प्रतिवादी गण को पाबंद किया जाए कि वह वादी के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलअंदाजी ना करें और इस जमीन को किसी तरीके से हस्तांतरित ना करें।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत पेशकर अर्ज किया है कि इस मामले में वादी के पक्ष में कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं होता है और यह दावा विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए इस मामले को खारिज फरमाया जाए।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद पत्र पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का मानना है कि यह दावा सस्टेनेबल नहीं है। अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं–

वादी द्वारा गैर पंजीकृत इकरारनामा की बुनियाद पर विवादित जमीन पर अधिकार का दावा किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो

1.वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2.ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह अपीलांट को विवादित जमीन पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह दावा खारिज किया जाता है। इसी के साथ विवादित जमीन के संबंध में 19.06.19 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 67/19

1. जुगल सिंह पुत्र श्री बचन सिह जाति राजपूत निवासी चक 7 एस.एस.एम. तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.। ....प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. राजुराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. आसी देवी पत्नि श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. गीता पुत्री श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. व 151 सीपीसी एवं जनरल कॉलोनी कंडीशन नियम 8(2)

–: निर्णय :– **दिनांक :– 24.08.2021**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है की चक 7 एसएसएम के मुरब्बा नंबर 67/29 का किला नंबर 2, 3, 8, 9, 12 कुल 5 बीघा कमांड भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। इस मुरब्बा नंबर कि बाकी जमीन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा इस मुरब्बे के किला नंबर 4 और 5 में 2 –2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है कि उक्त जमीन प्रार्थी को small patch के जरिए आंवटन हुई थी। यह आंवटन विधि विरुद्ध था। इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में प्रकरण जैरकार है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश जारी किए गए हैं। स्थगन आदेश के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत का मानना है कि यह दलील सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि जो प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर में जैरकार है उसमें अहम मसला यह है कि क्या विवादित जमीन को small patch के तौर पर आंवटन किया जाना विधि संगत था। जबकि इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। दोनों प्रकरणों में विचारणीय बिंदु अलग–अलग है। लेकिन इसके साथ ही इस मामले में एक अन्य पहलू भी है। जिस जमीन के लिए रास्ता चाहा गया है उसके मालिकाना हक/आंवटन की वैधता से संबंधित प्रकरण माननीय राजस्व मंडल में जैरकार है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी वर्तमान में मुरब्बा नंबर 67/28 के किला नंबर 24 और 25 में से होते हुए अपने खेत तक पहुंचता है।

अदालत के सामने हम प्रश्न यह है क्या ऐसी स्थिति में जब विवादित जमीन तक पहुंचने के लिए अस्थाई रास्ता मौजूद है और उस जमीन के मालिकाना हक से संबंधित प्रकरण राजस्व मंडल में जैरकार है क्या उस जमीन तक पहुंचने के लिए स्थाई रास्ता दर्ज किया जाना उचित होगा।

अदालत द्वारा सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत की यह राय है कि जब तक विवादित जमीन के मालिकाना हक के संबंध में अंतिम फैसला नहीं हो जाता है उस जमीन तक पहुंचने के लिए के लिए स्थाई रास्ता दर्ज किया जाना जायज नहीं होगा। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 06 /2017

दिनांक 17.08.2021

गैरहाजिर। पत्रावली अदमपैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार हाकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 83/14

दिनांक 24.08.2021

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 103/14

दिनांक 24.08.2021

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

—: निर्णय :— **दिनांक :— 24.08.21**

यह अपील इंतकाल सं0 211 के खिलाफ पेश की गई है जिसके द्वारा विवादित आराजी चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 197/28 के किला नं0 18 ता 23 की 6.00 बीघा को रकबा राज घोषित कर दिया गया। उससे पहले यह जमीन अपीलांट तुलछाराम/किशनाराम के नाम बतौर मिडियमपेच अलॉटी दर्ज थी।

अदालत द्वारा प्रकरण पर गौर किया गया एसडीएम खाजूवाला द्वारा निर्णय दिनांक 29.04.14 के जरिए विवादित आराजी की अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश किया गया था। इसकी पालना में इंतकाल सं0 208 दर्ज किया गया। रेस्पो0 सं0 2 धूड़ाराम/सुरजाराम द्वारा एसडीएम आदेश के खिलाफ माननीय आरएए कोर्ट द्वारा मे अपील की गई। आरएए कोर्ट द्वारा अपील सं0 11/11 और 51/14 में दिनांक 07.11.14 को किए गए फैसले के द्वारा एसडीएम कोर्ट के उपरोक्त फैसले को खारिज कर मामला एसडीएम को रिमांड कर दिया माननीय आएए कोर्ट के फैसले की अनुपालना मे इंतकाल सं0 211 तस्दीक किया गया।

इन तथ्यों के मद्देनजर अपीलांट का यह आक्षेप ससटेंनेबल नही है कि इंतकाल सं0 211 मनमाने तरीके से दर्ज किया गया है।

अदालत का यह भी मानना है कि इंतकाल सं0 211 को इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह इंतमाल राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के फैसले के तहत दर्ज हुआ है। यदि अपीलांट इस इंतकाल से व्यथित है तो उन्हें माननीय आरएए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपील खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला, बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ/खाजू/राजस्व/2021/ दिनांकः—

आदेश

राजस्थान उपनिवेशन सामान्य उपनिवेश शर्तें 1955 के नियम 9 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष गैर खातेदारी से खातेदारी हासिल करने के आवेदन पेश किए जाते हैं। इन आवेदनों की जांच के दौरान 2017 में किए गए विशेष आवंटन के उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार ऐसे 100 प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आए हैं । जिनमें उपनिवेशन नियम 1975 की धारा 13 ए (5)(4) के तहत मूल आवेदन (जोकि 1999/2007 में आमंत्रित किए गए थे) में चाहे गए रकबा की बजाय अन्यत्र रकबा आवंटित किया गया है।

इन प्रकरणों में अन्यत्र रकबा निम्न बुनियाद पर आवंटित किया गया हैः–

1. मूल आवेदन में चाहा गया रकबा किसी अन्य को आवंटित हो चुका है।
2. मूल आवेदन में चाहा गया रकबा किसी गजट पौंग/मोहर बंद वगैरह में प्रकाशित है
3. मूल आवंटन में चाहा गया रकबा विशेष गजट में प्रकाशित नहीं है।

धारा 13 ए (5)(4) को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है उक्त आधारों पर धारा 13 ए (5)(4) के अंतर्गत आवंटन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि धारा 13 ए (5)(4) के मुताबिक यदि किसी जमीन पर एक ही प्रवर्ग के एक से अधिक पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस जमीन का आवंटन उन आवेदकों के मध्य मोहर बंद बोली के जरिए किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनको इस प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं हो सकी हो उन्हें दूसरी भूमि ,जिसे पूर्व में अधिसूचित किया गया था और जिस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवंटित की जा सकेगी बशर्ते की उस दूसरी भूमि पर कोई अन्य आवेदन लंबित ना हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आधार संख्या 1 की बुनियाद पर आवंटन करना है तो सबसे पहले यह जांच करनी होगी कि :–

मूल आवेदन में चाहा गया रकबा किसी अन्य को कब अलॉट किया गया था और किस प्रक्रिया के तहत अलॉट किया गया था?
मूल आवंटन के समय कितने आवेदन आए थे?
उन आवेदकों की प्राथमिकता सूची क्या थी?
क्या सर्वोच्च प्राथमिकता वाले दो या ज्यादा आवेदक थे?
क्या सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इन आवेदकों के बीच मोहर बंद निविदा के आधार पर आवंटन हुआ था।
क्या मोहर बंद निविदा की वजह से आवंटन से वंचित रहे आवेदक को अन्यत्र रखवा अलॉट(2017 में) किया जा रहा है ?
अन्यत्र एलॉट किए गए रकबे पर पूर्व में आवेदन कब मांगे गए थे?

अन्यत्र आवंटन संबंधी पत्रावली पर उक्त बिंदुओं से संबंधित कोई जांच नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि मूल आवंटन के समय सर्वोच्च प्राथमिकता वाले दो या दो से अधिक आवेदक थे और मोहर बंद निविदा के जरिए फैसला किया गया था और मोहर बंद निविदा की वजह से आवंटन से वंचित रहे आवेदकों को ही 2017 में अन्यत्र रकबा अलॉट किया जा रहा है ।

आधार संख्या 2 और 3 की बुनियाद पर किए गए आवंटन भी विधि विरुद्ध है क्योंकि धारा 13 ए (5)(4) में इन आधारों पर अन्यत्र रकबा अलॉट करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए यह प्रथमदृष्ट्या जाहिर होता है कि उक्त 100 अलॉटमेंट धारा 13 ए (5)(4) के दायरे में नहीं आते हैं व गैर कानूनी तरीके से किए गए हैं। इसलिए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है की इन प्रकरणों में विस्तृत जांच कर अगर धारा 13 ए (5)(4) का उल्लघंन पाया जाता है तो राजस्थान उपनिवेशन इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 की धारा 22 (3) के तहत जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील पेश करें। इन 100 अलॉटीज द्वारा आवंटित रकबे का बेचान/हस्तांतरण/रहण करने की संभावना को रोकने के लिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त 100 अलॉटमेंट से प्रभावित रकबा पर इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है की आगामी

आदेशों तक इस रकबा के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति कायम रखी जाए। तहसीलदार खाजूवाला/उप पंजीयक खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है की स्थगन आदेश को जमाबंदी और उप पंजीयक कार्यालय में दर्ज करवा कर पालना करवाएं। उक्त 100 अलॉटी की सूची इस आदेश के साथ संलग्न है।

(प्रभजोत सिंह गिल)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 32/19

दिनांक 27.08.2021

मूलवाद विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जाता है। इसलिए स्थगन आदेश 19.08.19 भी खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 41/19

दिनांक 27.08.2021

वादी कालूराम ने अधिवक्ता के साथ पेश होकर वाद विड्रॉ करने पर प्रा0पत्र पेश किया प्रा0पत्र स्वीकार कर वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 54/2021

1. अमरकौर पत्नी गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 11 केएलडी तहसीलद खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जोनीसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 11 डीडब्लयुडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सोनूसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 11 डीडब्लयुडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र लाधुराम जाति सुथार निवासी 4 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 11 केएलडी के मु0नं0 198/5 के किला नं0 16, 22 ता 25 व मु0नं0 198/14 के किला नं0 5,6,7/1,14,15 व मु0नं0 198/21 किला नं0 12/1, 13 ता 25 व मु0नं0 198/22 के किला नं0 1 ता 12 व मु0नं0 198/30 के किला नं0 1/2,9,10/2 इसप्रकार पांचों मुरब्बा में कुल तादादी 9.5597 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम इसी चक के मुरब्बा नंबर 198/13 में किला नं0 6, 7, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25, व मु0नं0 198/14 के किला नं0 1/2, 2 ता 4, 7/2, 8, 9, 10/2, 11/2, 12 व 13, 20/1 व मु0नं0 198/21 के किला नं0 1 ता 11,12/2 इसप्रकार कुल तादादी 9.7114 हैक्टर कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के मु0नं0 198/14 के किला नं0 1 में रिहायश हेतु ढ़ाणी बनी हुई है। प्रार्थीगण को इस ढ़ाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 198/14 के किला नं0 1,2,3,4, के प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है।

किला नंबर 1,2,3,4 के खातेदार इन्द्राज द्वारा जवाब पेश किया गया है कि यदि अप्रार्थी सं0 1 के चक 11 केएलडी के मु0नं0 198/14 के किला नं0 1,2,3,4 में 2—2 बिस्वा भूमि रास्ता कटान करने आदेश दिया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और रास्ता कटान करने की सहमती प्रदान करता हूं और अप्रार्थी ने अपने जवाब बहस में रास्ते के बदले प्रतिफल के तौर प्रार्थी से कोई मांग नहीं की।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और पक्षकारों की आपसी सहमती के आधार पर यह फैसला किया जाता है कि चक 11 केएलडी के मु0नं0 198/14 के किला नं0 1,2,3,4 में 2—2 में किले की उतरी सीमा के साथ 16.5 फीट भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाए।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में उक्त फैसले के मुताबिक अमल दरामद करवाएं और नक्शे में तरमीम करवाएं।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 39 /12

1. गफूरखां पुत्र सम्मेखां मुसलमान निवासी 9 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मु.सरवर पत्नि सम्मेखां मुसलमान निवासी 9 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1. मुमताज पुत्र सम्मेखां मुसलमान निवासी 9 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सायरा खातून पुत्री सम्मे खां मुसलमान निवासी 10 डीएल तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

3. बंसा खातून पुत्री सायबा खातून मुसलमान निवासी 45 एलकेडी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
4. सहदा खातुन पुत्री सम्मे खां मुसलमान निवासी 18 आरजेडी तहसील छतरगढ।
5. हबीब खां पुत्र दीने खां मुसलमान निवासी 9 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद चिर निषेधाज्ञा एंव घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88,89,92क, 207 आरटी एक्ट एंव 136 एलआर एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 27.08.2021**

प्रकरण का ब्यौरा इस तरह से है कि विवादित जमीन चक 9 केएलडी (ए) के मुरब्बा नंबर 218/59 की 25 बीघा जमीन और चक 9 केएलडी (बी) मुरब्बा नंबर 218/51 का किला नंबर 23 से 25 वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पति/पिता/नाना के नाम दर्ज थी। वादी गण का कथन है कि सम्मे खान की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 मुमताज ने कूट रचित वसीयत के जरिए उस जमीन में से 15 बीघा जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली। अदालत संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा इस वसीयत इंतकाल को 2011 में खारिज कर दिया गया। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने कूट रचित कागजात के जरिए विवादित जमीन सम्मे खान के सभी सभी वारिसान— सरवर खातून पत्नी सम्मे खान ,गफूर खान, मुमताज खान, शायरा खातून, सईदा खातून पुत्र पुत्रियां सम्मे खान, वसा खातून पुत्री साहिबा खातून के नाम दर्ज करवा दी। सरवर खातून और गफूर खान के अलावा बाकी वारिसान ने अपनी जमीन अलग—अलग रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए प्रतिवादी संख्या 5 हबीब खान को विक्रय कर दी जिसके सिलसिले में इंतकाल संख्या 196 से 199, 202 और 216 तस्दीक किए गए। वादीगण का कहना है कि उक्त विरासतन इंतकाल और उसके बाद बैयनामा के आधार पर तस्दीक किए गए इंतकाल निरस्त करने लायक हैं क्योंकि सम्मे खान द्वारा अपने जीवनकाल में ही उस जमीन का मौखिक हिब्बा अपनी पत्नी सरवर के पक्ष में कर दिया गया था। उसके बाद 2012 में सरवर खातून ने उस जमीन में से आधा हिस्सा गफूर के पक्ष में जरिए हिब्बा लिख दिया था इसलिए वादी गण ने दावा पेश किया है कि विवादित जमीन वादी गण के नाम दर्ज की जाए।

प्रतिवादी संख्या 1ता 5 तलबी के बावजूद हाजिर नहीं आए। इसलिए उनका जवाब बंद कर बहस सुनी गई। वादी गण का कहना है कि मुस्लिम विधि में मौखिक हिब्बा का प्रावधान मौजूद है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के गिफ्ट से संबंधित प्रावधान मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए मौखिक हिब्बा के आधार पर जमीन का इंतकाल वादी गण के नाम दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा वाद पत्र और बहस में पेश किए गए तथ्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का मानना है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक हिब्बा का प्रावधान मौजूद है लेकिन हिब्बा को प्रमाणिक मानने के लिए तीन जरूरी शर्ते हैं—

1. दानदाता द्वारा हिब्बा की घोषणा।
2. दानग्राही द्वारा हिब्बा ग्रहण करना।
3. हिब्बा की विषय वस्तु के सिलसिले में कब्जे/स्वामित्व का हस्तांतरण।

वादी गण इन तीन शर्तों की पालना के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं। वादी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं कि सम्मे खान द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में मौखिक हिब्बा कब किया गया था और क्या इस कथित हिब्बा के कोई गवाह थे। इस जानकारी के बिना पहली दो शर्तों की पालना के सिलसिले में कोई जांच नहीं की जा सकती है। वादी द्वारा अपने जवाब में 2012 के गैर पंजीकृत दस्तावेज का जिक्र किया गया है।

अदालत का मानना है कि कथित दस्तावेज इस मामले में कोई सहायता नहीं करता है क्योंकि कथित दस्तावेज सम्मे खान की मृत्यु के बाद सरवर खातून और गफूर खान के मध्य लिखा गया है। उस दस्तावेज में सरवर खातून द्वारा कथित तौर पर लिखा गया है कि सम्मे खान द्वारा उसके पक्ष मे मौखिक हिब्बा किया गया था और उस जमीन को वह अपने पुत्र गफूर खान के पक्ष में हिब्बा कर रही है। अदालत का मानना है कि सरवर खातून के कहने मात्र से या लिखने मात्र से मौखिक हिब्बा की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। इसके लिए कोई स्वतंत्र सबूत चाहिए। अहम प्रश्न यह है कि क्या सम्मे खान द्वारा हिब्बा की घोषणा की गई थी। यदि हां तो कब और क्या उस हिब्बा के कोई गवाह थे। इस संबंध में इस दस्तावेज में कोई जिक्र नहीं है। एक बात और है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि सम्मे खान द्वारा सरवर खातून के पक्ष में हिब्बा किया गया था तब तक सरवर खातून को उसी जमीन को आगे हिब्बा करने का कोई अधिकार नहीं मिल सकता। एक अहम बात यह भी है कि सम्मे खान की मृत्यु तक विवादित जमीन

सम्मे खान के नाम ही दर्ज थी। ऐसे स्थिति में यह मानने का कोई आधार नहीं है की कथित तौर पर हिब्बा की गई जमीन के कब्जे/स्वामित्व का हस्तांतरण सम्मे खान के जीवन काल में सरवर खातून के पक्ष में हो गया था। अदालत की राय है कि कब्जे/स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना हिब्बा को मुकम्मल नहीं माना जा सकता है।

अदालत की राय में इस मामले में एक अहम तथ्य यह भी है की प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसीयत के आधार पर तस्दीक कराए गए इंतकाल के खिलाफ संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष की गई अपील में वादी गण द्वारा कथित मौखिक हिब्बा का कोई हवाला नहीं दिया गया है। अदालत के मुताबिक ऐसी कोई वजह नहीं थी की वादी गण द्वारा उस अपील में हिब्बा का कोई जिक्र ना किया जाता। इसके उलट मौखिक हिब्बा का जिक्र किए जाने से तो वादी गण का पक्ष मजबूत ही होता क्योंकि संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा इस आदेश के साथ मामला तहसीलदार को रिमांड किया गया है की विवादित भूमि से संबंधित सभी वारिसान को सुनवाई का मौका दिया जाकर दोबारा इंतकाल दर्ज किया जाए। जबकि वादी गण का कहना है कि उस जमीन पर सिर्फ सरवर खातून और गफूर खान का ही हक बनता है बाकी वारिसान का कोई हक नहीं बनता। ऐसी स्थिति में यह बात समझ से परे है कि उन्होंने यह मुद्दा उस अपील में क्यों नहीं उठाया।

इस विवेचन की बुनियाद पर अदालत का यह समाधान है कि कथित मौखिक हिब्बा की प्रमाणिकता संदिग्ध है। इसलिए उस हिब्बा के आधार पर जमीन का इंतकाल वादी गण के पक्ष में किया जाना उचित नहीं है। इसी बुनियाद पर अदालत का मानना है कि सम्मे खान की मृत्यु के बाद तस्दीक किए गए विरासतन इंतकाल और उसके बाद तस्दीक किए गए बैयनामा इंतकाल को निरस्त करने का भी कोई आधार नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही इसी बुनियाद पर अपील संख्या 6/12, 7/12 ,8/12, 9/12 ,24/12 और प्रार्थना पत्र संख्या 36/12 को भी खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2021/54

दिनांक 24.08.2021

अप्रार्थी सं01 इंद्राज/लाधुराम ने हाजिर होकर बयान किया है कि अगर उसके नाम दर्ज चक 11 केएलडी के मु0नं0 198/14 के किला नं0 1,2,3,4 प्रत्येक किला में 02 बिस्वा भूमि रास्ते के तौर पर दर्ज की जाती है तो उसे कोई प्रतिफल भी नहीं चाहिए।

अदालत द्वारा मामले पर गौर करने के बाद यह फैसला किया जाता है कि उक्त वर्णित किला नं0 1,2,3,4 की उतरी सीमा के साथ–2 16.5 फीट भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के तौर पर दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार खाजूवाला आदेश के मुताबिक जमाबंदी में अंकन करें और नक्शे में तरमीम करवाएं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2021/119

दिनांक 01.09.2021

दावे में लिखे गए तथ्यों पर गौर किया गया। अदालत के मुताबिक यह दावा ससटेंनेबल नहीं है क्योंकि हिंदू उतराधिकार अधिनियम के तहत महिला उसके नाम दर्ज जमीन की एब्सल्यूट ऑनर है पुत्र माता के जीवनकाल में उस जमीन में हक मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह दावा खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2021/120

दिनांक 01.09.2021

मूलदावा खारिज हो चुका है। इसलिए यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 73/2021

1. रामपाल पुत्र मदुराम जाति बिश्नोई निवासी रोटू तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णयः दिनांक

प्रार्थना पत्र का विवरण इसप्रकार से है कि विवादित भूमि चक 6 केजेडी वर्तमान चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु.नं. 122/41 के कि.न. 1 से 10 की 10.00 बीघा भूमि

प्रार्थी को भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन हुई थी। गिरदावरी संवत 2049–2052 में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से नंदूराम अंकित कर दिया गया। जबकि आवंटन आदेश, गिरदावरी संवत 2045–48 में प्रार्थी के पिता का सही नाम मधुराम दर्ज है।

अदालत द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। आवंटन पत्रावली 778/75 के तहत दर्ज हुई आवंटन प्रोसीडिंग्स और निर्णय दिनांक 13.01.77 की पालना में जारी किए गए आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम मधुराम दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक गिरदावरी संवत 2041–44 में विवादित भूमि के सिलसिले में रामलाल पुत्र मधुराम बिश्नोई तहसील जायल पुख्ता आवंटन का नोट अंकित है। गिरदावरी संवत 2045–48 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। गिरदावरी संवत 2049–52 में रामपाल पुत्र नंदूराम अंकित है जो कि गिरदावरी संवत 2049–52 तहरीर करते समय सहवन से लिखा गया है।

इन साक्ष्यों की विवेचना से यह साबित होता है कि विवादित आराजली के सिलसिले में खातेदार के नाम में शुद्धि किया जाना उचित है। इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट और 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी के सिलसिले में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार रामपाल पुत्र नंदूराम की जगह रामपाल पुत्र मधुराम दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार खाजूवाला इस आदेश के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 69/20

दिनांक 01.09.2021

जगसीरसिंह/मुकुंदसिंह ने प्रा0पत्र पेशकर वाद विड्रॉ करने का निवेदन किया है। अदालत द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार कर वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ प्रा0पत्र 70/20 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में 28.07.20 को जारी किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 70/20

दिनांक 01.09.2021

जगसीरसिंह/मुकुंदसिंह द्वारा वाद सं0 69/20 विड्रॉ कर लिया गया है। इसलिए यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है और विवादित आराजी चक 28 केवाईडी के मु0नं0 19/1,19/10,19/18,239/49,19/47,19/54 और चक 24 केवाईडी ए के मु0नं0 78/38 कुल 70.06 बीघा जमीन के सिलसिले में 28.07.20 की जारी किया गया स्टे ऑर्डर भी खारिज किया जात है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोतसिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–46/19

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

संशोधन आदेश

पत्रावली प्रार्थी के प्रा0पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया है की अनवानी प्रकरण सं0 46/19 के निर्णय दिनांक 16.03.2021 के पैरा सं0 3 की प्रथम पंक्ति में मु0नं0 223/25 की जगह मु0नं0 223/17 लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रा0पत्र में अनुतोष चक 17 पीकेडी के मु0नं0 223/25 के किला नं0 21 ता 25 और मु0नं0 223/17 के किला नं0 25 में चाहा गया है ।

अतः न्यायालय का समाधान है कि उक्त निर्णय के पैरा सं0 3 की प्रथम पंक्ति में लिखा गया मु0नं0 223/17 लिपिकीय त्रुटि है जो दुरस्त की जानी न्यायोचित है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे दिनांक 16.03.21 के निर्णय के पैरा सं0 3 की प्रथम पंक्ति में मु0नं0 223/17 की जगह मु0नं0 223/25 दुरस्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा। यह आदेश दिनांक 16.03.2021 के निर्णय का अंग पढ़ा व समझा जावें।

(प्रभजोतसिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 15/17

दिनांक 02.09.2021

उभयपक्ष गैरहाजिर । आज सरे इजलास वादी को रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। जिसपर वादी वकालत या असालतन हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी–अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 17/17

दिनांक 02.09.2021

पत्रावली पेश हुई । मूलदावा अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर अदमपैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 9/17

दिनांक 03.09.2021

वादी अधिवता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। लेकिन वादी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदम पैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 55/19

दिनांक 02.09.2021

वादी अधिवक्ता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई जिसपर वादी व वकील वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली पूर्वफर्दअहकाम आदेश दिनांक 30.01.20 की पालना वादी अधिवक्ता ने नहीं की। अतः पूर्वआदेश की अवहेलना समझी जाकर व अदमपैरवी अदमहाजिरी में पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 68/19

दिनांक 02.09.2021

मूलदावा पूर्वफर्दअहकाम आदेश 30.1.20 की अवहेलना व अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 93/2021

1. बृजमोहन पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी टिडियासर हाल रतनगढ़ जिला चुरु।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एल.आर.एक्ट

:निर्णयः दिनांक

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार से है कि विवादित भूमि चक 10 केएलडी ए के मु0नं0 239/60 के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 14.07.2015 को वादी व उसके सहिस्सेदारों को दर्ज रिकॉर्ड हो गई। उक्त भूमि की उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 81 क्र0सं0 21 दिनांक 07.12.2016 जारी करते समय वादी की सहिस्सेदार बहन का नाम सहवन भगवानी अंकित कर दिया गया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी आवेदन, नामातरण में सही नाम भगवती दर्ज है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। खातेदारी आवेदन व नामातरण संख्या 103 दिनांक 14.07.2015 में वादी की सहिस्सेदार बहन का नाम भगवती अंकित है। खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 81 क्र0सं0 21 दिनांक 07.12.2016 में नाम अंकित करते समय भगवानी सहवन से लिखा गया है।

इन साक्ष्यों की विवेचना से यह साबित होता है कि विवादित आराजी के सिलसिले में वादी की सहिस्सेदार बहन का नाम उक्त खातेदारी सनद में दुरस्त किया जाना उचित है। इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआर एक्ट और 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 81 क्र0सं0 21 दिनांक 07.12.2016 में वादी की बहन का नाम भगवानी की जगह भगवती पढ़ा व समझा जावे एवं शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजातसिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 84/20,85/20,86/20

1. रमनदीपकौर पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

....

अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 3 पीडब्ल्युएम खाजूवाला।
2. बलजीतकौर पत्नी हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. गुरविन्द्रसिंह पुत्र हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. भुपेन्द्रसिंह पुत्र हरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. जगसीरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 28 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.2021

अपील संख्या 84/2020, 85/2020, 86/2020 की सुनवाई एक साथ की गई है क्योंकि इन सभी अपीलों में विवाद का बिंदु समान ही है। अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है की विवादित आराजी चक 28 के वाई डी के मुरब्बा नंबर 239/49 के किला नंबर 4, 7,14 और 17 कुल 4 बीघा में से 1/2 हिस्सा इंतकाल संख्या 155 से संबंधित मुरब्बा नंबर 19/1 किला नंबर 4 से 7 और 14 से 17 , कुल 8 बीघा मुरब्बा नंबर 19/10 के किला नंबर 1 से 15 कुल 15 बीघा, मुरब्बा नंबर 19/18 के किला नंबर 1,2,10,11, 20 कुल 5 बीघा कुल रकबा 28 बीघा में से 1/3 हिस्सा इंतकाल संख्या 156 से संबंधित मुरब्बा नंबर 239/49 के किला नंबर 2,9,12,19,22 कुल 5 बीघा जमीन इंतकाल संख्या 162 से संबंधित अपीलांट के भाई अमनदीप सिंह के नाम दर्ज थी। अमनदीप सिंह की मृत्यु के बाद वह जमीन इंतकाल संख्या 155,156 और 162 के जरिए रमनदीप कौर और बलजीत कौर के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट का कहना है की बलजीत कौर का उस जमीन में कोई हक नहीं है। रेस्पोंडेंट संख्या 3 और 4 द्वारा फर्जी वारिसनामा बनवा कर अपनी माता बलजीत कौर के नाम जमीन दर्ज करवा दी गई है इसलिए अपीलांट ने अर्ज किया है कि विरासत इंतकाल को निरस्त किया जाकर जमीन अपीलांट के नाम दर्ज कीजिए।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। बहस के दौरान निम्न तथ्य सामने आए हैंः–

जगजीत सिंह, हरजीत सिंह और जगसीर सिंह तीन भाई थे । जगजीत सिंह की मृत्यु 1990 में हुई थी। जगजीत सिंह की दो संताने थी – रमनदीप कौर और अमनदीप सिंह। जगजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बलजीत कौर की शादी मृतक के छोटे भाई हरजीत सिंह के साथ हो गई। इस शादी से दो संतानें पैदा हुई – गुरविंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह। सन् 2015 में अमनदीप सिंह कुंवारा की मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज जमीन बलजीत कौर और रमनदीप कौर के नाम दर्ज हो गई।

इन तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रमनदीप कौर का यह आक्षेप की बलजीत कौर अमनदीप की जायज वारिस नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि अपने पहले पति की मृत्यु होने के बाद बलजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली ,बलजीत कौर का पहली शादी से उत्पन्न संतान की माता होने का दर्जा खत्म नहीं हो जाता है। बलजीत कौर आज भी अमनदीप की माता के तौर पर उसकी वारिस है।

अदालत का यह भी समाधान है कि रमनदीप कौर का इस जमीन में कोई हक नहीं बनता है क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता के जीवित रहते ,जो की प्रथम श्रेणी की वारिस है, बहन जो कि द्वितीय श्रेणी की वारिस है का कोई हक नहीं बनता है लेकिन यह irregularity खुद ब खुद cure हो गई है क्योंकि रमनदीप कौर द्वारा उसके नाम दर्ज हुई जमीन की दस्तबरदारी बलजीत कौर के नाम करवा दी गई है। हालांकि रमनदीप द्वारा उस दस्तबरदारी को भी चुनौती

दी गई है। रमनदीप का कहना है कि यह दस्तबरदारी धोखे से करवाई गई है। लेकिन अदालत का मानना है यह मसला irrelevant हो चुका है क्योंकि विवादित जमीन पर रमनदीप का कोई हक ही नहीं बनता था। इसमें दूसरी अहम बात यह भी है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता को इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसलिए इस विवेचन की बुनियाद पर अदालत द्वारा अपील संख्या 84/2020, 85/2020 , और 86/2020 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोतसिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 41/20

1 रमेशकुमार पुत्र मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. प्रदीपकुमार पुत्र मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. विद्यादेवी पत्नी मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....
प्रार्थीगण

बनाम

1 मेजरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. उपपंजीयक, खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला .....
अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.21

प्रार्थनापत्र का ब्योरा इसप्रकार से है कि विवादित जमीन चक 2 केवाईडी के मु0नं0 196/43 का किला नं0 1 ता 15 कुल 15.00 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 196/57 के

किला नं0 16 ता 18, 21 ता 25 कुल 08.00 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 216/1 के किला नं0 13 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 की 12.16 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 216/9 के किला नं0 19 ता 22 की 04.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 39.16 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रार्थी गण का कथन है की इस जमीन के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य मौखिक परिवारिक बटवारा हो चुका है जिसके आधार पर प्रार्थीगण विवादित जमीन पर काबिज है। अब प्रार्थी संख्या 1 उस जमीन का बेचान करना चाहता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा गया था। इस सिलसिले में 16 जून 2020 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है की विवादित जमीन में से मुरब्बा नंबर 196/43 की 15 बीघा जमीन उसने 1995 में धुड़ाराम से खरीदी थी। इसके अलावा बाकी जमीन प्रार्थी की माता हरनाम कौर के नाम दर्ज थी। वह जमीन हरनाम कौर की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई। इसलिए विवादित जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

इसके अलावा इस भूमि के संबंध में कभी भी कोई बंटवारा नहीं किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि प्रार्थीगण उसके साथ मारपीट करते हैं। इस संबंध में पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज है और उसके द्वारा अपने दोनों पुत्रों को समस्त संपत्ति से बेदखल करने का नोटिस भी जारी करवाया हुआ है। इसलिए विवादित जमीन पर प्रार्थीगण का कोई हक नहीं है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए जवाब में उठाए गए बिंदुओं पर कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई सबूत भी नहीं पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो की विवादित जमीन के संबंध में कोई घरेलू बंटवारा किया गया था।

सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए हुए अदालत का मानना है क्योंकि विवादित राज्य जमीन अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित संपत्ति है इसलिए प्रार्थीगण का संपत्ति में कोई हक निहित नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। दिनांक 16 जून 2020 को विवादित जमीन के संबंध में जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –123/2021

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या – 122/2021

1 कुम्भाराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 रेवन्तराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला .....अप्रार्थीगण

राजस्ववादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.2021

वादीगण का कथन है की विवादित जमीन चक 24 केवाईडी ए के मुरब्बा नंबर 78/35 के किला नंबर 22 से 25 में 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता के तौर पर दर्ज है। यह रास्ता सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना की रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह रास्ता आज दिनांक तक बंद है और वर्तमान में इस रास्ते की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तहसीलदार खाजूवाला द्वारा इस रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है। वादी गण ने मांग की है कि रास्ते की भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाए और तहसीलदार खाजूवाला को इस भूमि में दखलअंदाजी ना करने का आदेश दिया जाए।

अदालत द्वारा वाद पत्र पर गौर किया गया अदालत की राय है कि यह वाद स्टेनेबल नहीं है क्योंकि जब तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत सरकारी रास्तों से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जाती है तब सभी हितबंद पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर वादीगण तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही से व्यथित हैं तो वह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर

अपना पक्ष रख सकते हैं। इस मामले में इस अदालत में parallel कार्रवाई इनीशिएट करने का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करें।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या – 124/2021

1 रतनलाल पुत्र किरताराम जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 मुखराम पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 झीमा पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1 किरताराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 गोविन्दराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 बख्ताराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 जमनादेवी पुत्री बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 लेखराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6 सुरजाराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7 शांतिदेवी पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8 डुंगीरराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9 उपपंजीयक खाजूवाला।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....अप्रार्थीगण

राजस्ववादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीएक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.2021

वादी गण का कथन है की विवादित जमीन चक 14 बीडी का मुरब्बा नंबर 114/ 64 की 25.00 बीघा वादीगण के दादा को आवंटित हुई थी। दादा की मृत्यु के बाद उक्त जमीन वादीगण की दादी केकू के नाम दर्ज हो गई।

केकू की मृत्यु 2009 में हो गई थी। दादी की मृत्यु के बाद वादी और प्रतिवादीगण द्वारा जमीन का घरेलू बंटवारा कर लिया गया था लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 कूट रचित वसीयत के जरिए उक्त जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसलिए वादीगण द्वारा यह बाद पेश किया गया है कि घरेलू बंटवारे के मुताबिक जमीन का नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा वाद पत्र पर गौर किया गया अदालत का मानना है कि इस इस मामले में सुनवाई करने क अधिकार तहसीलदार में निहित है क्योंकि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है की खातेदार की मृत्यु के बाद विवादित जमीन किसके नाम दर्ज होने चाहिए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है केकू देवी के जायज वारिसान के सिलसिले में जांच कर ,उनको सुनवाई का मौका देकर इस बारे में फैसला करें। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिनों के अंदर तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखें।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –125/2021

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 104/20

1. वसूखां पुत्र बक्केखां जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 सबीरखां पुत्र बक्केखां जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामूखां पुत्र अल्लाबसाया
2 अल्लाजवाये खां
3 गड्डूखां पुत्रगण श्यामूखां जाति मुसलमान निवासी 6 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला .....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.2021

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि विवादित आराज जमीन चक 6 PRM के मुरब्बा नंबर 56/13, 56/4, 56/12, 56/ 21 व चक 7 KHM के मुरब्बा नंबर 97/48, 98/41 की कुल 6.9 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के दादा श्यामूखां के नाम दर्ज है प्रार्थीगण का कहना है कि दादा द्वारा उस जमीन का 1/5 हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हिबा कर दिया था और इस तरह से प्रार्थीगण उस भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विवादित जमीन में से निम्न जमीनः–

मुरब्बा नंबर 56/21 का किला नंबर 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 56/4 का किला नंबर 22 से 25 का दानपत्र प्रार्थी संख्या दो और तीन के पक्ष में तस्दीक कर दिया है। प्रार्थीगण के मुताबिक अप्रार्थी संख्या एक को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विवादित जमीन का हिबा प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया गया था।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है की विवादित जमीन का अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए आवंटन प्राप्त हुई है इसलिए उसे उस जमीन को गिफ्ट के जरिए हस्तांतरण करने का हक हासिल है, दूसरा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के पक्ष में किसी भी तरह का हिबा तस्दीक नहीं किया है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण कोई लिखित दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो की विवादित जमीन का हिबा उनके पक्ष में किया गया था। दूसरा वादीगण की दलीलों में स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो यह दलील पेश की गई है कि जिस जमीन का दान प्रार्थी संख्या दो और तीन के पक्ष में किया गया है उस जमीन का हिबा वादीगण के पक्ष में पहले ही किया जा चुका है वहीं दूसरी ओर यह दलील दी गई है कि क्योंकि विवादित जमीन अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई थी इसलिए उस जमीन के 1/5 हिस्से पर वादीगण का हिस्सा है हक है।

इसलिए अदालत का मानना है मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है। धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
अपील संख्या :– 13/20
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–06.09.2021**

गुड्डीदेवी और सुनयना के बयानों तथा उपरोक्त दस्तावेजों की बुनियाद पर अदालत को समाधान है कि सोनिया और सुनयना एक ही महिला है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी चक 1 एचडब्ल्युएम खाजूवाला के मुरब्बा नं0 5/30 के किला नं0 11 ता 19 और मु0नं0 5/38 (24.10 बीघा) के राजस्व रिकॉर्ड में सोनिया पुत्री मैनपाल की जगह सोनिया उर्फ सुनयना पुत्री मैनपाल दर्ज किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला फैसले के मुताबिक अमल दरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2019/00100

07.09.201

वादी गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाई गई। वादी स्वंय या अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–15/15

07.09.201

वादी गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूक – रूककर बार – बार आवाजें लगाई गई। वादी स्वंय या अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली अदम पैरवी – अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 45/19

पत्रावली में अनेक अवसर देने के बावजूद दिः 03.09.2021 के फर्दअहकाम आदेश की पालना नहीं की गई। अतः पूर्वआदेश दिः 03.09.2021 की अवहेलना समझी जाकर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 49/19

दिनांक 13.09.2021

मूलदावा खारिज हो चुका है। इसलिए यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 45/19

दिनांक 13.09.2021

उभयपक्ष गैरहाजिर । आज सरे इजलास वादी को रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। जिसपर वादी वकालत या असालतन हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी—अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 49/19

दिनांक 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई । मूलदावा अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर अदमपैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 28/19

दिनांक 13.09.2021

उभयपक्ष गैरहाजिर । आज सरे इजलास वादी को रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। जिसपर वादी वकालत या असालतन हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी–अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 39/19

दिनांक 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई । मूलदावा अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर अदमपैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 93/2021

दिनांक 13.09.2021

प्रकरण पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि धारा 88 आरटीएक्ट के तहत या धारा 136 एलआरएक्ट के तहत सनद में शुद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए यह वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 01/2013

दिनांक 13.09.2021

अपीलांट अधिवक्ता बृजलाल चाहर अनुपस्थित आज तक अपीलांट द्वारा प्राथमिक आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए जवाब का मौका खत्म किया जाकर प्राथमिक आपत्ति पर फैसला किया जाना जायज है।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि क्योकि इंतकाल सं0 15/31.8.12 तहसीलदार के निर्णय, वसीयत प्रकरण 09/12 का 11.7.12 की पालना में दर्ज किया गया था। इसलिए वसीयत प्रकरण के फैसले को निरस्त किए बिना इंतकाल खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपीलांट द्वारा उस निर्णय को सक्षम अदालत में चुनौती ही नहीं दी गई है। इसलिए वर्तमान अपील ससटेनेबल नहीं है।

अदालत की राय में उक्त आपत्ति जायज है । इस आधार पर अपील खारिज की जाती है। इसके साथ 15.01.2013 की विवादित जमीन के सिलसिले में जारी किया गया। स्टे ऑर्डर भी खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 22/2013

दिनांक 13.09.2021

पत्रावली अवकाश के कारण आज पेशी में ली गई है। अपीलांट गैरहाजिर। अपील अपीलांट अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 31/2021

दिनांक 13.09.2021

वादी अधिवक्ता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई जिसपर वादी व वकील वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली अदमपैरवी

अदमहाजिरी में पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 34/2017

दिनांक 13.09.2021

वादी अधिवक्ता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई जिसपर वादी व वकील वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली अदमपैरवी अदमहाजिरी में पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 37/2017

दिनांक 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई । मूलदावा अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर अदमपैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 118/2021

दिनांक 23.09.2021

अपीलांट साहिल बेनीवाल ने हाजिर आकर प्रा0पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण में राजीनामा हो चका है, इसलिए वह इस अपील को विड्रॉ करना चाहता है। अदालत द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार कर अपील खारिज की जाती है और विवादित आराजी के संबंध में 25.08.21 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2019/00032

दिनांक 24.09.2021

प्रतिवादी सं0 1 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रा0पत्र पेश किया है। कि वादगत जमीन चक 23 केएनडी 'बी' के मु0नं0 171/7 के संबंध में पक्षकारों के बीच माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बीकानेर में वसीयत प्रोबेट संबंधी मामला 58/2019 जैरकार है। इसलिए यह दावा सस्टेनेबल नहीं है।

वादीगण ने जवाब पेश किया है कि प्रकरण सं0 58/2019 मे खाता विभाजन पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए प्रा0पत्र खारिज लायक है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। अदालत की राय है कि ऐसी स्थिति में जहां विवादित भूमि की वसीयत के संबंध में हायर कोर्ट में मामला जैरकार है, तब उस भूमि के खाता विभाजन की प्रक्रिया में प्रोसीड करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जमीन के टाईटल संबंधी फैसला वसीयत संबंधी प्रकरण का फैसला होने पर ही होगा। आज की तारीख में खाता विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से लिटिगेशन को बढ़ावा मिलेगा । इसलिए यह प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है और विवादित जमीन के संबंध में 06/2019 को जारी किया गया स्टे ऑर्डर भी वेकेंट किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2018/00058

दिनांक 24.09.2021

वादी 30/5/2017 को लिखे गए अभिकथित अनरजिस्टर्ड बंटवारानामा की बुनियाद पर विवादित आराजी चक 14 पीबी 'बी' के मु0नं0 69/27 की 12.05 बीघ के 1/4 हिस्से पर हक जता रहा है।

लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 और 49 पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि अभिकथित बंटवारानामा के आधार पर वादी के क्लेम को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तिओं का इस्तेमाल करते हुए यह वाद और 24.09.2018 को जारी किया गया स्टे ऑर्डर खारिज किये जाते है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 139/2021

दिनांक 27.09.21

वादपत्र पर गौर किया गया। अदालत की राय में यह वाद सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि:–

1. रजिस्टर्ड सैल डीड की वेधता को इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. मौखिक पारिवारिक बंटवारे के आधार पर विभाजन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबतक सभी हितबद्ध पक्षकार मौखिक बंटवारे से सहमत न हो।

इसलिए विवादित जमीन चक 8 केएलडी 'ए' के मु0नं0 238/59 (17.12 बीघा) और मु0नं0 238/35 (9 बीघा) कुल 26.12 के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2011 को वॉइड घोषित करवाने संबंधी और मौखिक बंटवारे के आधार पर अमलदरामद करवाने संबंधी वाद को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 140/2021

दिनांक 27.09.21

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 2017/00190

दिनांक 28.09.21

वादी अधिवक्ता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। जिसपर वादी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 2017/00143

दिनांक 28.09.21

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 2016/00135

दिनांक 28.09.21

उभयपक्ष गैरहाजिर। वादीगण अधिवक्ता व वादीगण को आज सरे इजलास रूकरूककर बार बार आवाजे लगाई गई। जिसपर वादी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांक / एसडीओ / खाजू / आवंटन / 2021 / दिनांक

आदेश अन्तर्गत धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आज दिनांक 11.10.2021 को प्रषासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत 7 पीएचएम द्वारा ग्राम 4 पीएचएम की आबादी के लिए मुरब्बा 158 / 24 को आरक्षित करने का प्रस्ताव पेष किया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा 07 जुलाई 2021 ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम 4 पीएचएम राजस्व ग्राम 7 पीएचएम का हिस्सा है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के मुताबिक राजस्व ग्राम की जनसंख्या 1920 है (वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 2700 है) ग्राम पंचायत द्वारा चाहा गया रकबा मौके पर खाली है इस भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण जैरकार नहीं है। यह राजस्थान काष्तकारी अधिनियम धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों के तहत प्रतिबंधित नही है। वर्तमान में राजस्व ग्राम के नाम 100 बीघा आबादी भूमि दर्ज है। राजस्व विभाग परिपत्र दिनांक 1.6.1983 के मुताबिक अगर गांव की आबादी 1700 से 2200 के दरमियान है तो आवास के लिए 80 एकड़ भूमि आरक्षित की जा सकती है इसलिए इस परिपत्र के मापदण्डों के मुताबिक इस मामले में आबादी के लिए 24.10 बीघा भूमि आरक्षित किया जाना उचित है। इसलिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 (राजस्थान सरकार राजस्व ग्रप–6 विभाग अधिसूचना प.3(17) राज.6 / 2021 / 89 दि. 30.9.2021 तथा The Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale Of Government Land In The Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules. 1975 के नियम 6) के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल

करते हुवे चक 4 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 158/24 की 24.10 बीघा भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांक/एसडीओ/खाजू/आवंटन/2021/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकॉर्ड में अंकन करने बाबत्।
2. सरपंच ग्राम पंचायत .....को सूचनार्थ।

(प्रभजोत सिंह गिल)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/18

1. श्रीमति तुलसी पत्नि नेमीचन्द जाति औझा साकिन हाल बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा
–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपीलान्ट गैरहाजिर। आज सरे इजलास रूकरूककर बार–बार आवाजें लगाई गई ,जिसपर अपीलान्ट व अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी –अदमहाजिरी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 155/2021

1. अशोक कुमार पुत्र श्रीमति शान्ति पत्नी पोलाराम जाति जाट निवासी फतुई त. व जिला श्री गंगानगर हाल चक 17 के.वाई.डी. त. खाजूवाला।

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति शान्ति पत्नी पोलाराम जाति जाट निवासी फतुई त. व जिला श्री गंगानगर हाल चक 17 के.वाई.डी. त. खाजूवाला।

3. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रशासन गावों के संग अभियान के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार उपस्थित हुआ और उसने बयान किया कि उसका वादी अशोक कुमार के साथ राजीनामा हो गया है, इसलिए पत्रावली पेशी पर ली गई।

वादी और प्रतिवादी संख्या 1 ने बयान किया कि वह निम्न तरीके से जमीन का बँटवारा करना चाहते है–

1.राजेन्द्र कुमार पुत्र शांति (पत्नि पोलाराम) जाति जाट ,चक 16 के.वाई.डी. के मुरब्बा नम्बर 136/06 के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 कुल 2.78 हैक्टेयर कमाण्ड।

2.अशोक कुमार पुत्र शांति (पत्नि पोलाराम) जाति जाट चक 17 के.वाई.डी. (ए) के मुरब्बा नम्बर 136/07 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 15 सालम कुल 2.78 हैक्टेयर कमाण्ड।

अदालत द्वारा वर्तमान जमाबन्दी और पटवार हल्का 17 के.वाई.डी. के इंतकाल संख्या 327 360 का अवलोकन किया गया।
अदालत का मानना है कि उक्त राजीनामे के मुताबिक खाता तकसीम किया जाना जायज है क्योंकि इससे दोनों काश्तकारों की जमीन कोनसोलिडेट हो रही है, इसलिए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त खाता विभाजन मंजूर किया जाता हैं।
तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि अगर विवादित आराजी के सिलसिले में कोई स्थगन में कोई स्थगन /प्रकरण जैरकार न हो तो राजस्व रिकार्ड में उक्त राजीनामें के मुताबिक अमल दरामद करें।
निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2021

1. विनोदकंवर पत्नी भादरसिंह जाति राजपूत निवासी धान्धु तहसील व जिला चुरु हाल आबाद रावला रोड़ बस स्टेण्ड के पास अनूपगढ़

.....प्रार्थीय

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा
–: निर्णय :– **दिनांक :–**

21.9.21 को पेश किए सबूतों की बिनाह पर अदालत को यह समाधान है कि विनोद कंवर और प्रेमकंवर एक ही महिला के नाम है। इसलिए धारा 88 आरटीए 1955 और धारा 151 सीपीसी के तहत यह आदेश दिया जाता है कि चक 10 केएलडी के मु.नं. 113/45 के किला नं. 16 ता 21 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमकंवर पुत्री हनुमान दर्ज किया जाए और सभी काश्तकारों के पते में तहसील सरदारशहर की जगह चुरु दर्ज किया जाए बाकी एंट्री यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला मुताबिक हुक्म अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2021

1. बालकिशन पुत्र मांगीलाल जाति नायक निवासी जाखनिया तहसील व जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा
–: निर्णय :– **दिनांक :–**

आज प्रशासन गांवों के संग अभियान में सरपंच आंनदगढ़ हल्का पटवारी डेरीपोस्ट खमाराम पुत्र मांगीलाल (बालकिशन का भाई आधारकार्ड 235193169581) उपस्थित । इन्होने बयान किया कि चक 6 एमडब्ल्युएम मु.नं. 91/16 के राजस्व रिकॉर्ड में जिस काश्तकार का नाम बागाराम दर्ज है उसका असल नाम बालकिशन है उसकी पहचान आधारकार्ड सं. 498035501245 है। इन बयान/सबूतों के आधार पर अदालत को यह समाधान है कि बागाराम और बालकिशन एक ही आदमी के नाम है। इसलिए धारा 88 आरटीए 1995 व धारा 151 सीपीसी के तहत अदालत द्वारा यह फैसला किया जाता है कि चक 6 एमडब्ल्युएम के मु.नं. 91/16 के राजस्व रिकॉर्ड में बागाराम पि. मांगीलाल की जगह बागाराम उर्फ बालकिशन पि. मांगीलाल दर्ज किया जाना उचित है शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला मुताबिक हुक्म अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 72/16

1. माया पुत्री राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भजनलाल पुत्र राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

3. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अदालत का फैसला है कि पिता राजूराम के जीवित होते हुए , नानी काहनी देवी को राजूराम के बच्चों – माया व भजनलाल की प्राकृतिक / कुदरती संरक्षिका नहीं माना जा सकता , जब तक की सक्षम अदालत इस संबंध में आदेश जारी न करें।

इसलिए यह infurctuous हो चुका है , अतः वाद को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 69/16

1. माया पुत्री राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भजनलाल पुत्र राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

3. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

:निर्णय: दिनांक

मूल दावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 159 /2021

1. कुम्भाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. ईशरराम पुत्र श्री देवाराम
2. सुरेश उर्फ श्रवण कुमार पुत्र श्री ईशरराम
3. भानु प्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
5. जेठाराम पुत्र श्री ईशरराम
6. बस्तीराम पुत्र श्री ईशरराम
7. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम

जाति जाट निवासीगण चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

8. उप–पंजीयक खाजूवाला।
9. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। ....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी का कथन है कि विवादित जमीन उसके पिता अप्रार्थी संख्या एक ईशरराम के नाम दर्ज है प्रार्थी के मुताबिक यह जमीन पैतृक संपत्ति है और आज से कुछ 6 महीने पहले मौखिक बंटवारे के जरिए इस जमीन का 1/8 –1/8 हिस्सा प्रार्थीगण को दिया गया था। प्रार्थीगण के पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 2 और 3 उनकी उम्र का फायदा उठाकर इस जमीन का बेचान करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अर्ज किया गया है कि विवादित भूमि के रिकॉर्ड और मौका के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया जाए।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है कि विवादित जमीन ईशरराम को जरिए आवंटन प्राप्त हुई है। इसलिए यह जमीन स्वअर्जित संपत्ति है इसके अलावा इस जमीन के संबंध में इसी प्रकार का मौखिक बंटवारा नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के नाम से क्रमशः 18 और 15 बीघा जमीन दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित जमीन को प्रार्थी संख्या दो और तीन के नाम गिफ्ट करवाया गया है। उस गिफ्ट डीड का इंतकाल रोकने के लिए बदनियति से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। अदालत की राय है कि इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना जायज नहीं है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 9 तथा धारा 54 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है की मौखिक बंटवारे की बुनियाद पर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता।

इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपनी प्लीडिंग्स में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर हो कि विवादित जमीन पुश्तैनी जमीन है। इसलिए अदालत का मानना है कि रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 157/2021

1. महेन्द्र पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. रेनू गोदारा पुत्री श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकंवर पत्नि श्री ईशरराम
2. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
3. भानु प्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम
5. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम

जाति जाट निवासीगण चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

6. उप–पंजीयक खाजूवाला।
7. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित जमीन प्रार्थीगण की दादी रामकंवर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कहना है कि यह जमीन प्रार्थीगण के परदादा की नागौर स्थित जमीन की कमाई से खरीद की गई है। इसलिए यह जमीन पैतृक संपत्ति है। इस जमीन में उनका हक निहित है। आज से 6 महीने पहले इस जमीन का परिवारिक मौखिक बंटवारा किया गया था जिसके अंतर्गत प्रार्थी गण के पिता को 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ था। प्रार्थीगण का कहना है उनकी दादी द्वेष की वजह से इस जमीन का विक्रय अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पक्ष में करवाना चाहती है। इसलिए विवादित जमीन के सिलसिले में रिकॉर्ड और मौके का स्थगन आदेश जारी किया जाए।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है विवादित जमीन प्रार्थी संख्या 1 ने बैयनामा के जरिए खरीद की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने इस जमीन का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 2 और 3 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। इस दान पत्र के नामांतरण को रोकने के लिए प्रार्थीगणों द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के पिता के नाम खाजूवाला के विभिन्न क्षेत्रों में 18 बीघा भूमि दर्ज है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 और 54 के अध्ययन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि मौखिक बंटवारे के आधार पर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति में कोई दावा नहीं कर सकता। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के मुताबिक हिंदू महिला उसकी संपत्ति की प्रतिबंधित मालिक होगी। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी दादी की संपत्ति मैं अधिकार के तौर पर हिस्से का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अदालत का मानना है कि रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाना जायज नहीं है लिहाजा यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 06/19

1. सुमन उर्फ प्रमीला पुत्री ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी 12 के.वाई.डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र भादरराम कुम्हार निवासी 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. गिरधारीलाल पुत्र लेखराम कुम्हार चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का ब्योरा इस प्रकार है, वादिया का कथन है कि विवादित जमीन चक 11 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 135/61 की 24.10 बीघा और चक 11 kyd B के मुरब्बा नंबर 136/ 52 की 3 बीघा वादिया के दादा प्रतिवादी संख्या 1 लेख राम की पुश्तैनी जमीन है -5/6 साल पहले लेख राम द्वारा मुरब्बा नंबर 135/61 का आधा हिस्सा परिवारिक बंटवारे के जरिए वादियां के पिता को सुपुर्द कर दिया गया था. वादिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है . पिता की मृत्यु के बद् वादिया की माता ने पुनर्विवाह कर लिया. प्रतिवादी संख्या दो इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर विवादित जमीन अपने नाम करवाना चाहता है और वादिया को उसके हक से महरूम करना चाहते हैं. इसलिए वादिया अपने पिता की एकमात्र वारिस के तौर पर विवादित जमीन में अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा करवाना चाहती है

प्रतिवादी द्वारा इस वाद के खिलाफ ऑर्डर 7 रूल 11cpc के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया था कि यह जमीन लेख राम को जरिए आवंटन हासिल हुई है इसलिए यह जमीन लेख राम की स्वर्अरिजीत संपत्ति है इसलिए वादिया का इस जमीन में कोई हक नहीं है. अदालत द्वारा इस प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया था कि यह जमीन स्व अर्जित है या पैतृक यह मेरिट का विषय है.

इस मुद्दे पर वादिया द्वारा जवाब दिया गया है लेख राम के पिता बहादर राम द्वारा 22.5.71 को 30 पीटीपी सादुल शहर की 19 बीघा जमीन और 11.9.79 को 24 पीटीपी सादुलशहर की 7 बीघा जमीन

का बेचान किया गया था . प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पारिवारिक संपत्ति का विक्रय करके ही विवादित भूमि आवंटन करवाई .लेख राम द्वारा 14.6.89 को 24 पीटीपी की 8 बीघा जमीन का विक्रय किया गया था . उस विक्रय से प्राप्त रकम से ही विवादित जमीन को अर्जित किया गया है.

प्रतिवादी गण द्वारा इसका विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विवादित जमीन लेख राम को 1970 में आवंटित हुई थी और 1984 में समस्त किस्तें जमा करवा कर इसकी खातेदारी प्राप्त कर ली गई थी. इस जमीन को अर्जित करने में सादुलशहर की संपत्ति के विक्रय से प्राप्त रकम का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसलिए यह जमीन लेख राम की स अर्जित संपत्ति है .

अदालत द्वारा दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया. दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि मुरब्बा नंबर 135 /61 लेख राम को 1974 में आवंटित हुई थी ना कि 1970 में जैसा कि प्रतिवादी गण ने अपने जवाब में कहा है . इस तथ्य के मद्देनजर लेख राम के पिता द्वारा 1971 में किया गया विक्रय रेलीवेंट हो जाता है.. प्रतिवादी गण का कहना है कि 1984 तक विवादित जमीन के सिलसिले में समस्त किस्त जमा करवा दी गई थी .अदालत का मानना है कि इस संबंध में लेख राम के पिता द्वारा 1979 में सादुल शहर में स्थित जमीन का बेचान भी रेलीवेंट हो जाता है. इसके अलावा इन विक्रय पत्रों में लेख राम के पिता द्वारा यह कथन किया गया है क जमीन का विक्रय दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए और कर्ज अदायगी के लिए किया जा रहा है . इसके अलावा दस्तावेजों से यह भी जाहिर होता है कि लेख राम को 1990 में चक 1 पीएचएम खाजूवाला में जमीन अलॉट हुई थी और उसके द्वारा 1989 मैं सादुलशहर की जमीन का विक्रय किया गया था.

इन सब तथ्यों के मद्देनजर अदालत का मानना है यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि विवादित जमीन मुरब्बा नंबर 135/61 को अर्जित करने में सादुल शहर स्थित जमीन का विक्रय करने से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया गया होगा . क्योंकि सामान्य तौर पर कृषक समाज में जमीन का बेचान तभी किया जाता है जब उसके बदले में और जमीन अर्जित करने की गुंजाइश हो. इसके अलावा इन विक्रय पत्रों में लेख राम के पिता द्वारा भी इस आशय ध्मंशा का कथन किया गया है. इसलिए अदालत का मानना है कि विवादित जमीन मुरब्बा नंबर 135/ 61 लेख राम की पुश्तैनी संपत्ति है और इस बुनियाद पर लेख राम की पुत्री वादी सुमन का भी उस जमीन में हक निहित है.

बहस के दौरान यह सामने आया है कि लेख राम की कुल 4 संताने हैं, जिनमें से एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है . वादियां उस मृत पुत्र की पुत्री है. इसलिए अदालत का मानना है की वादियां का विवादित जमीन के 1 / 5 हिस्से पर अधिकार बनता है.

यहां यह भी गौरतलब है कि लेख राम द्वारा विवादित जमीन में से किला नंबर 6 से 9, 10 (18 बिस्वा) , 11 में 18 बिस्वा ,12 से 19, 20 में 18 बिस्वा ,21 में 18 बिस्वा, 22 से 25 सालम कुल 19 बीघा 12 बिस्वा

का दान पत्र अपने पुत्रों के पक्ष में तस्दीक किया हुआ है. हालांकि इस बाद में स्थगन आदेश जारी किए जाने की वजह से उस दान पत्र का इंतकाल दर्ज नहीं हो पाया है .वादिया द्वारा जिस जमीन पर हक जताया गया है उसे दान पत्र दान के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया है अदालत का मानना है कि दान पत्र में लिखी गई जमीन में हस्तक्षेप ना करते हुए भी वादिया को उसका हक दिलाया जा सकता है क्योंकि उस दान पत्र में वर्णित जमीन के अलावा मुरब्बा नंबर 135/ 61 में 4.18बीघा जमीन लेख राम के नाम दर्ज है .इसलिए उस जमीन में से 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन(विवादित जमीन 24 बीघा 10 बिस्वा है, वादिया का हक 1/ 5 हिस्सा) वादिया के नाम दर्ज की जा सकती है. इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह चक 11kyd के मुरब्बा नंबर 135 /61 के किला नंबर 1 से 4 सालम और किला नंबर 5 में 10 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में वादियां सुमन उर्फ प्रमिला पुत्री मदनलाल पत्नी ताराचंद जाति कुम्हार के नाम दर्ज करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 17/19

1. सुमन उर्फ प्रमीला पुत्री ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी 12 के.वाई.डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1 लेखराम पुत्र भादरराम कुम्हार निवासी 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. गिरधारीलाल पुत्र लेखराम कुम्हार चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मूलदावा में निर्णय किया जा चुका है अतः यह पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोतसिंह गिल आर.ए.एस.

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

संशोधन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज अनुसार प्रार्थी के चक 21 बीएलडी ए के मु0नं0 215/57 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी महासिंह पुत्र बलवीरसिंह निवासी मक्कासर तहः व जिला हनुमानगढ़ को विशेष आवंटन है और राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में यही दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 83 क्रम सं0 46 दिनांक 9.6.2017 में खातेदारी सनद में सहवन से प्रार्थी का नाम मघसिंह व निवासी हनुमानगढ़ कर दिया गया है और प्रार्थी आवंटन आदेश एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नाम महासिंह निवासी मक्कासर तहः व जिला हनुमानगढ़ दुरस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रा0 पत्र अनुसार उक्त खातेदारी प्रस्ताव व मूल खातेदारी सनद पुस्तक का अवलोकन किया गया। जिसमें खातेदारी प्रस्ताव में टीआरए रिपोर्ट में महासिंह निवासी मक्कासर तहः व जिला हनुमानगढ़ व तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट क्र0 19 दिनांक 25.5.2017 में नाम महासिंह के संबंध में अनुशंषा की गई है।

अतः खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 83 क्रम सं0 46 दिनांक 9.6.2017 में नाम मघसिंह निवासी हनुमानगढ़ की जगह नाम महासिंह निवासी मक्कासर तहः व जिला हनुमानगढ़ दुरस्त किया जाता है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। यह संशोधन आदेश खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 83 क्रम सं0 46 दिनांक 9.6.2017 का अभिन्न अंग व भाग पढ़ा व समझा जावें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

प्रतिलिपि तहसीलदार खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोतसिंह गिल आर.ए.एस.

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

संशोधन आदेश

प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी के चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/19 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी रूपाराम पुत्र मंगलाराम जाट निवासी खिलेरिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर को पुख्ता आवंटन है और राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में यही दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 43 क्रम सं0 1 दिनांक 14.02.2013 में खातेदारी सनद में सहवन से मु0 नं0 109/09 दर्ज कर दिया गया है और प्रार्थी आवंटन आदेश एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मु0नं0 109/19 दुरस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रा0 पत्र अनुसार उक्त खातेदारी प्रस्ताव व मूल खातेदारी सनद पुस्तक का अवलोकन किया गया। जिसमें खातेदारी प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट क्र0 2917 दिनांक 10.01.13 में मु0नं0 109/19 के संबंध में अनुशंषा की गई है और यह खातेदारी प्रशासन गांवो के संग 2013 में जारी की गई इसलिये ऐसा प्रतीत होता है की लिपिकीय त्रुटिवश 109/09 किया हुआ है। जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है।

अतः खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 43 क्र0सं0 01 दिनांक 14.02.2013 में मु0नं0 109/09 की जगह मु0नं0 109/19 दुरस्त किया जाता है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। यह संशोधन आदेश खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 43 क्र0सं0 01 दिनांक 14.02.2013 का अभिन्न अंग व भाग पढ़ा व समझा जावें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,खाजूवाला जिला बीकानेर

क्रमांकः– एसडीओ/खाजू/रीडर/2021/ दिनांकः–

उक्त प्रकरण 2014 का है। पत्रावली दिनांक 08.10.2014 की फर्दअहकाम में अंकन है कि दोनों के नाम अलग–अलग चालान जारी किये जावें व दोनों प्रार्थना पत्र को एक साथ रखा जावे। चालान की प्रति प्राप्त होने पर अलग–अलग आवंटन आदेश जारी किये जावे। मिरगीदेवी का आवंटन आदेश

सन् 2014 का ही जारी है। किन्तु नीलमकंवर का आवंटन आदेश आजदिनांक तक जारी नहीं हैं। इसके बाद अंतिम फर्दअहकाम दिनांक 23.3.17 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी है की प्रकरण में वाद/स्थगन के संबंध में रिपोर्ट तलब करें। इसके मायने ये है की आवंटन पत्रावली पूर्ण नहीं हुई है इसका अंतिम फैसला किया जाना बाकी है। अगर उक्त पत्रावली के आधार पर विवादित भूमि पर दावा कर रहे है तो प्रार्थी असालतन या वकालतन न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पैरवी करें ताकि आवंटन पत्रावली की नियमानुसार जांचकर अंतिम फैसला किया जा सके।

(प्रभजोत सिंह गिल)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 169/2021

1. अतुखां पुत्र जिंदनखां जाति मुसलमान निवासी 2 एएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर.एक्ट

अतुखां पुत्र जिंदन खां मुसलमान साकिन 2 एएलएम ने प्रा0पत्र पेश किया कि चक 2 एएलएम का मु0नं0 142/45,142/46, 142/54,142/55,142/61,142/62 कुल 20.2319 है0 में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज है।

प्रार्थी का कहना है कि रिकॉर्ड में उसका नाम अलामोहम्मद और उसके पिता का नाम जिनण खां दर्ज हो गया है जबकि सही नाम अतू खां पुत्र जिंदन खां है। 40 केवाईडी सरपंच, हल्का पटवारी मांगीलाल और सहखातेदारा हसन खां पुत्र दायम खां द्वारा उपरोक्त तथ्य की तस्दीक की गई इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विवादित आराजी के रिकॉर्ड में अलामोहम्मद की जगह अतूखां उर्फ अलामोहम्मद और जिनण खां की जगह जिनण खां उर्फ जिंदनखां दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 170/2021

1. रुपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआर.एक्ट

रुपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह ने प्रा.पत्र पेश किया कि चक 1 जीडब्ल्युएम के मु0नं0 225/17 में उसके नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। पर जमाबंदी में उसका नाम जगरुप सिंह दर्ज हो गया है, जिसे वह शुद्ध करवाना चाहता है।

इस संबंध में प्रार्थी के सहखातेदारान हंसासिंह, बसासिंह और हरबक्स सिंह, हल्का पटवारी मांगीलाल और सरपंच गुल्लुवाली के बयान करवाए गए। उन्होंने तस्दीक किया कि रुपसिंह 762880255069 और जगरुपसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है।

इस विवेचना के आधार पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में जगरुपसिंह की जगह रुपसिंह उर्फ जगरूपसिंह दर्ज किया जाना उचित है । बाकी प्रविष्टियां यथावत रहेगी, तहसीलदार आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 106/2021

1. विमलादेवी पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी चक 3 बीजीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआर.एक्ट

कार्यालय जिला कलेक्टर (रिकॉर्ड), बीकानेर के पत्र क्रमांक सीबी/रिकॉर्ड/बेग नं0 230/पेज नं0 1373/सीएन/21/793/ दिनांक 25.8.21 के जरिए विवादित जमीन चक 3 बीजीएम के मु0नं0 203/43 व 203/44 की 50.00 बीघा जमीन से संबंधित मूल पत्रावली मिसल सं0 1324 फैसल 5/3/89 प्राप्त हो चुकी है।

इसके अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थीया द्वारा पेश किए आवेदन पत्र और आवंटन प्रोसींडिग में प्रार्थीया/अलॉटी का नाम विमलादेवी पत्नी प्रेमकुमार जाट साकिन दौलतपुरा दर्ज है जबकि फैसला दिनांक 5.5.89 की पालना मे जारी किए गए आवंटन आदेश में अलॉटी का नाम विमलादेवी पत्नी प्रेमरतन दर्ज है इसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया है।

उपरोक्त फैक्ट्स के आधार पर अदालत का फैसला है कि विवादित जमीन के संबंध में विमलादेवी पत्नी प्रेमरतन की जगह विमलादेवी पत्नी प्रेमकुमार दर्ज किया जाना उचित है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 87/2020

1. बृजलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 67 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 63 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मोहनलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

प्रशासन गांवों के संग कैम्प के दौरान वादी बृजलाल और प्रतिवादी मदनलाल और मोहनलाल हाजिर आए। इन्होनें बयान किया कि वे सहमति के आधार पर निम्न तरीके से बंटवारा करना चाहते हैः–

1. बृजलाल पुत्र इशरराम मु0नं0 67/01 कि0नं0 14/.10, 15/.10, 13/.02, 16/1.00, 17/.14 इसप्रकार कुल 2.16 बीघा कमाण्ड
2. मदनलाल/इशरराम कि0नं0 6/1.00, 7/.13, 13/.03, 14/.10, 15/.10 इसप्रकार कुल 2.15 बीघा कमाण्ड
3. मदनलाल/इशरराम कि0नं0 11,12/2.00, 13/.15 इसप्रकार कुल 2.15 बीघा कमाण्ड

नजरीनक्शा संलग्न है (Annex–1) अदालत द्वारा सहमति के आधार पर किया गया बंटवारा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला उक्त सहमति के मुताबिक अमलदरामद करें और संलग्न नक्शे के मुताबिक तरमीम करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 88/2020

1. बृजलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 67 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 मदनलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 63 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मोहनलाल पुत्र इशरराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष साकिन पण्डितावाली हाल चक 6 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

वादी और प्रतिवादी सं0 1 व 2 हाजिर आए। पक्षकारों के मध्य सहमति से विभाजन हो चुका है। इसलिए यह स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 147/2021

1 चन्द्रमोहन पुत्र उदयकरण जाति भाट निवासी बीकानेर हाल चक 3 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 शिवशंकर पुत्र उदयकरण जाति भाट निवासी बीकानेर हाल चक 3 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1 सुशीला पुत्री उदयकरण जाति भाट निवासी सच्चा सौदा कुटिया के पास, सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2 तरविन्द्र कौर पुत्री बेअन्तसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 पीएचएम तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3 बालुदेवी पत्नी उदयकरण जाति भाट निवासी चक 3 पीएचएम तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4 मन्जू पुत्री उदयकरण जाति भाट निवासी बारहगुवाड़ बीकानेर।
5 ग्राम पंचायत 7 पीएचएम पंचायत समिति खाजूवाला जरिये सरपंच

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

अपीलाट्स मार्फत वकील पुरुषोतम सारस्वत प्रा0पत्र बाबत् पत्रावली आज की पेशी में ली जाकर विड्रॉ करने हेतु पेश किया। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट को नोटिस ईशू के आदेश किये थे लेकिन आगामी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए पत्रावली में प्रस्तुत विड्रॉ प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली विड्रॉ की अनुमति दी जाती है। पत्रावली विड्रॉ के आधार पर इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0पत्र संख्या :– 180/2021

1 श्यामसुन्दर पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 पृथ्वीराज पुत्र रामस्वरुप जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर इस पत्रावली को विड्रॉ बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि अप्रार्थी के साथ राजीनामा हो गया है इसलिए पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते और पत्रावली विड्रॉ का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रा0पत्र

विड्रॉ बाबत् स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रॉ खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रा0पत्र संख्या :– 138/2021

1 पोलासिंह

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित जमीन चक 25 बीएलडी ए के मु0नं0 177/29 से संबंधित आवंटन पत्रावली मिसल सं0 5185/96 (जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट ऑफिस बीकानेर नकल क्रमांक 1715, 27.8.21) का अध्ययन किया गया। आवंटन आवेदन तथा प्रोसीडिंग में आवेदक का नाम पोलासिंह/मुकुन्दसिंह नाईसिख 9 एफएफ बड़ोपल, करणपुर दर्ज है। 13.5.99 की जारी किए गए आवंटन पट्टा में भी यहीं नाम दर्ज है।

लेकिन इस आवंटन आदेश की पालना में दर्ज किए गए इंतकाल सं0 37 दिनांक 15.6.99 में करनपुर की जगह पदमपुर दर्ज किया गया है।

तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि करनपुर की जगह पदमपुर गलती से लिखा गया है।

वर्तमान जमाबंदी में खातेदार का नाम पोलसिंह पुत्र मुकुंदसिंह, पीलीबंगा दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक पोलासिंह की जगह पोलसिंह और पदमपुर की जगह पीलीबंगा इंतकाल सं0 37 के बाद यह तब्दीली सहवन से हुई है (एनेक्सर)

उपरोक्त फैक्ट्स की बुनियाद पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन चक 25 बीएलडी ए के मु0नं0 177/29 के खातेदार का सही नाम पोलासिंह/मुकुंदसिंह, नाईसिख 9 एफएफ बड़ोपल तहः करणपुर होना चाहिए। इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को उपरोक्त फैसले के मुताबिक खातेदार का नाम शुद्ध करने के आदेश दिए जाते है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2021

1. पुरखाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी तलवाडा झील, हनुमानगढ़ हाल चक 8 केजेडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. लिला देवी पत्नी बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. हरिकिशन पुत्र बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 8 केजेडी ए का मुरब्बा नंबर 82/40 की 16 बीघा भूमि (किला नंबर 1 से 16) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ह। प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के मुताबिक वर्तमान में वह इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए यह यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 के उत्तर दिशा में 16 फुट चौड़ा अस्थाई रास्ता वर्तमान में कायम है। अप्रार्थीगण द्वारा इस रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई है। मुख्य आपत्ती इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण को मौका मुआयना के समय सूचित नहीं किया गया। दूसरा हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत नहीं है। तीसरा उक्त रिपोर्ट में विवादित जमीन तक पहुंचने के लिए मौजूद वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

अप्रार्थीगण का कहना है कि मुरब्बा नंबर 82/40 के किला नंबर 21 से 25 में कटान रास्ता दर्ज है और प्रार्थी किला नंबर 16 और 25 से होकर इस रास्ते तक पहुंचता है। इस तरह से प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। केवल सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

अदालत द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई आपत्तियों पर गौर किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य तौर पर यह आपत्ती पेश की गई थी कि तहसीलदार रिपोर्ट में factual omission है लेकिन अदालत का मानना है कि क्योंकि अप्रार्थीगण को omission के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया गया है इसलिए दोबारा रिपोर्ट करवाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट और अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई आपत्तियों पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 में से नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 में से होकर गुजर रहा है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा जो आपत्ती की गई है उसमें भी इस तथ्य को refute नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की आपत्ति यह है की प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 82/40 के किला नंबर 25 से होकर भी रास्ता मौजूद है। अप्रार्थीगण की आपत्ति पर भी गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अगर किला नंबर 25 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो भी किला नंबर 5 में नया रास्ता स्वीकृत किया जाना गैरकानूनी नहीं होगा क्योंकि किला नंबर 25 में मौजूद अभिकथित रास्ता भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए किला नंबर 25 में मौजूद रास्ते को (जो किला नं0 21 से 25 में चल रहे कटान रास्ते को किला नं0 1 तक जोड़ता है) वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता और ना ही यह कहा जा सकता कि प्रार्थी केवल सुविधा के लिए किला नंबर 5 में रास्ता मांग रहा है इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा

नंबर 82/32 के किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ साथ (दंतोर खाजूवाला सड़क से लेकर किला नंबर पांच की पूर्वी सीमा तक) 16.5 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

बअदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या 5
बीकानेर

Civil misc- Connected 41/264/2021
Revant ram v/s Nitiesh kumar के संबंध में जवाब

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2A CPC के तहत पेश किया है। जिसके जवाब में निवेदन है किः—

1. पैरा संख्या 1 में प्रार्थी ने कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.21 को प्रार्थीगण के विरुद्ध यह आदेश पारित किया था कि चक 3 एसएसएम के मुरब्बा नंबर 197/12 (20 बीघा भूमि) का पानी नहीं काटे ना ही सुविधा रोके। प्रार्थी का यह कथन अस्वीकार है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 उपखंड अधिकारी खाजूवाला के खिलाफ ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

2. पैरा संख्या 2 में प्रार्थी ने यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि पानी में कोई भी

आदमी व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको रोके। प्रार्थी का यह कथन भी अस्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 उपखंड अधिकारी खाजूवाला के संबंध में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

3. पैरा संख्या 3 और 5 में प्रार्थीगण ने कहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा पानी नहीं दिया गया। यह कथन अस्वीकार है क्योंकि पानी की बारी तय करने के संबंध में उपखंड अधिकारी खाजूवाला के पास कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है ।

4. पैरा संख्या 4 में प्रार्थी ने कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा मुरब्बा नंबर 197/12 की 20 बीघा भूमि का पानी की बारी चालू करने का आदेश पारित किया गया था । इस आदेश की भी अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना की है और लिखित में आदेश भी पारित किया है। यह कथन भी पूरी तरह से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा पानी की बारी के संबंध में कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया गया है।

5. पैरों संख्या 6 अस्वीकार है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा उपखंड अधिकारी खाजूवाला के खिलाफ धारा 151 सीपीसी के तहत कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

इस मामले में असल स्थिति यह है की अधिशासी अभियंता खाजूवाला द्वारा 3 दिसंबर 2021 को उपखंड अधिकारी खाजूवाला को सूचित किया गया की चक 3 एसएसएम में पानी की बारी से संबंधित विवाद की वजह से दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए पुलिस जाब्ता की जरूरत है। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा अधिशासी अभियंता को यह निर्देश दिया गया कि पहले वह इस सिलसिले में स्पीकिंग आर्डर पारित करें कि अमुक पक्ष का पानी की बारी लगाने का अधिकार बनता है। उसके बाद ही पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाना संभव है क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम रखने की है। पानी की बारी लगाने का अधिकार किसका है यह फैसला करना पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। यह फैसला सिंचाई विभाग द्वारा ही किया जाना है। इस सिलसिले में अधिशासी अभियंता अभियंता द्वारा 3 दिसंबर 2021 की रात 9:45 बजे यह आदेश जारी किया गया की क्योंकि काश्तकारों द्वारा 1 दिसंबर 2021 से (जब नहर में पानी आया था) 6 अक्टूबर की बारी के मुताबिक ही पानी लगाया जा रहा है । बीच बारी में बारी के क्रम को बदलना संभव नहीं है । इसलिए 6 अक्टूबर की बारी के मुताबिक पानी लगाया जाए और इस आदेश की पालना के लिए उन्होंने पुलिस सहायता की मांग की।

अतः निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई है और ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा रही है। इसलिए अनुरोध है कि इस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाए।

अप्रार्थी संख्या 3
(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2019/00042

प्रार्थीगण जरिये कुदरतीवली संरक्षक माता अनुसुईया पत्नी राजेन्द्रकुमार बिश्नोईमय अधिवक्ता प्रा0पत्र पत्रावली विड्रॉ बाबत् पेश किया और पत्रावली में लोकअदालत की भावना से राजीनामा होने के कारण आज की तारीख पेशी में ली जाकर विड्रॉ के आधार खारिज करने का निवेदन किया। अतः उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रॉ इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा इस पत्रावली में दिनांक 10.7.19 को जारी निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 193/2021

प्रार्थी रायसाहब ने प्रा0पत्र पेश किया है चक 1 केवाईएम ए के मु0नं0 237/64 में 1/11 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम रायसाहब है लेकिन जमाबंदी में रायसाहिब दर्ज हो गया है। प्रार्थी यह शुद्धि करवाना चाहता है।

प्रार्थी के सहखातेदार सुभाषचंद्र पुत्र रामूराम और महावीर पुत्र हंसराज ने अदालत के समक्ष इस तथ्य की तस्दीक की कि प्रार्थी का सही नाम रायसाहब पुत्र रामूराम है। इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत तहसीलदार खाजूवाला को प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2021/141

आज प्रार्थीगण रोशनीदेवी, मैनादेवी मय अधिवक्ता हंसराज देहडू वगै0 ने उपस्थित आकर पत्रावली विड्रो करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि इस पत्रावली में लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते और पत्रावली इसी स्तर पर विड्रो के जरिये खारिज का निवेदन का किया है। अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर जरिये विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2021/142

मूलदावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी मूलदावे का अभिन्न अंग है इसलिए इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2020/00056

1. पेमादेवी पत्नी राजाराम जाति जाट साकिन मोटोलाई हाल चक 19 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट एवं 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

तहसीलदार रिपोर्ट पर गौर किया गया इसके मुताबिक चक 19 पीबी के मु0नं0 169/58 के कि.नं. 21 ता 25 से 2 बिस्वा भूमि गैर.मु. रास्ता के तौर पर दर्ज है। मौके पर 21 नं0 किला में रास्ता खुला है जबकि कि.नं. 22 ता 25 में रास्ता बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक मु.नं. 169/59 को मु. नं. 189/3 के किला नं. 1,10,11,20,21 में चल रहे कटानशुदा रास्ता के जरिए पहुंच प्राप्त है। इसलिए विवादित रास्ते की ज्यादा उपयोगिता नहीं है। अदालत तहसीलदार रिपोर्ट से इतेफाक नहीं रखती क्योंकि मु.नं. 169/50 और 169/58 में दर्ज रास्ता मु.नं. 189/2 व 189/3 में कायम रास्ते को डामर सड़ता से जोड़ता है। इसलिए यह कहना जायज नहीं है कि इस रास्ते का कोई कायदा नहीं है। दूसरी वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रास्ता अधिकारी के आदेशों के बिना जमाबंदी में दर्ज किया गया है। इसलिए अदालत का फैसला है कि यह वाद खारिज किया जाना जायज है। लिहाजा वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2020/00057

1. पेमादेवी पत्नी राजाराम जाति जाट साकिन मोटोलाई हाल चक 19 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– **दिनांक :–**

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2021/00001

1. मुन्शीसिंह पुत्र तेलुसिंह जाति बावरी निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआर एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 04.01.2022**

पत्रावली मिसप्लेस हो गई थी। इसलिए 11/11 को सुनवाई नहीं हुई। आज सुनवाई की जा रही है। अदालत द्वारा 27.10.21 को पेश किए साक्ष्यों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि विवादित जमीन के खातेदार का नाम मुंशीसिंह दर्ज किया जाना उचित है। इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार शुद्धि करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2021/134

1. रवि चौधरी पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी 2 एमडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 04.01.2022

पत्रावली मिसप्लेस होने की वजह से आज सुनवाई की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अदालत को यह समाधान है कि सुनिलकुमार और रवि चौधरी एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए धारा 136 व धारा 151 सीपीसी के तहत यह आदेश किए जाते है कि चक 2 एमडब्ल्युएम के मु0नं0 90/40 के राजस्व रिकॉर्ड में सुनिलकुमार पुत्र प्रभुदयाल की जगह रवि चौधरी उर्फ सुनिलकुमार दर्ज किया जाए बाकी सभी प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला आदेश के मुताबिक अमल दरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः–एसडीओ/खाजू/आवंटन/18/ दिनांक

आदेश

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अध्यधीन राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में आबादियों में आवासीय पट्टा) नियम 1971 के नियम 19–ए एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102–ए के अन्तर्गत तथा राजस्व विभाग (राज.) ग्रुप–6 की अधिसूचना प9(6) राज–6/2000/10 दिनांक 07.09.2017, प.3(26) राज (6)/2017/06 दिनांक 26.05.2017 व प.9(6) राज–6/2000/10 दिनाक 07.09.2017 के अनुसरण में ग्राम पंचायत बेरियांवाली/खाजूवाला के चक 6 केजेडी (बी) के मु0नं0 82/41, 82/42, 82/49, 82/50 की कुल 94.00 बीघा भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन आबादी के नाम खाता संख्या 01 में दर्ज है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। संबंधित ग्राम पंचायत, राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अध्याय 9 में विहित नियमों के अन्तर्गत आबादी भूखण्डों का विनियमतिकरण/आवंटन/अन्य विवादों का निपटारा नियमानुसार करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांक/सम/18 दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।
03. ग्राम पंचायत खाजूवाला को उनके पत्रांक 789 दिनांक 02.05.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
04. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2019/00056

1. गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार प्रबंधक लक्ष्मणसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी आनन्दगढ़ तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रबंधक गुरूसिंह सभा नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर।
2. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए, 188 आरटीएक्ट व 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 10.01.2022

लक्ष्मणसिंह गुरूद्वारा नानक दरबार प्रबन्धक जाति जटसिख निः आनन्दगढ़ तहः खाजूवाला आधारकार्ड नं0 315049394743 ने विड्रॉ के जरिये पत्रावली सं0 2019/00056 व 2019/00057 आज की पेशी में ली जाकर पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के कारण इसी स्तर खारिज करने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रॉ इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 2019/00057

1. गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार प्रबंधक लक्ष्मणसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी आनन्दगढ़ तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 प्रबंधक गुरूसिंह सभा नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर।
2. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 10.01.2022

मूलदावा विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जा चुका है और प्रार्थी का विड्रॉ बाबत् प्रा0पत्र मूलदावा में शा0मि0 है। यह पत्रावली भी इसी स्तर पर विड्रॉ के जरिये खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 20/2022

1. हरमेलसिंह

.....प्रार्थी

बनाम

1 अमरसिंह वगै0
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 24.01.2022

उपरोक्त तथ्यों की मद्देनजर रखते हुए अदालत द्वारा धारा 251ए आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 16 बीएलडी बी के मु0नं0 74/24 के किला नं0 1/2,10,11,20,21 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ 16.5 फीट रकबा को गैर–मुमकिन रास्ता के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि मुरब्बा नं0 75/17 का किला नं0 20 व 21 आराजीराज है इसलिए इन दो किलों में 04 भूमि को रास्ता दर्ज करने से पहले इस रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी जरुरी है।

तहसीलदार खाजूवाला राशि को जमा करवाने के बाद उक्त रास्ते का जमाबंदी में अंकन करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोतसिंह गिल आर.ए.एस.

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/22/ दिनांक

संशोधन आदेश

प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह ने प्रार्थनापत्र व वर्तमान जमाबंदी चक 1 एमजीडब्ल्युएम (ओल्ड) के मु0नं0 117/17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की जाति कुम्हार की जगह जटसिख ना.स. 1 दिनांक 17.7.2020 द्वारा दुरस्त की जा चुकी है। जबकि खातेदारी सनद में पुरानी जमाबंदी अनुसार जाति कुम्हार सहवन से दर्ज कर दी गई है। वर्तमान जमाबंदी जिसमें प्रार्थी की जाति दुरस्ती की जाकर जटसिख लिखी है। उक्त अनुसार खातेदारी सनद में जाति कुम्हार की जगह जटसिख करने का निवेदन किया है।

अतः कार्यालय हाजा द्वारा जारी खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 93 क्रम संख्या 031 दिनांक 24.12.21 से संबंधित दस्तावेज व उक्त प्रार्थनापत्र वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन किया गया। उक्त खातेदारी सनद में अंकित जाति कुम्हार की जगह जटसिख वर्तमान जमाबंदी के आधार पर दुरस्त की जाती है और शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

यह संशोधन आदेश खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 93 क्रम सं0 031 दिनांक 24.12.21 का अभिन्न अंग व भाग पढ़ा व समझा जावें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/22/ दिनांक

प्रतिलिपि तहसीलदार खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोतसिंह गिल आर.ए.एस.

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/22/ दिनांक

आय प्रमाणपत्र

प्रार्थी बग्गासिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 13 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरे चक 13 बीडी के मु0नं0 134/45 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है व 134/52 के किला नं0 11,16 ता 20, 22 ता 25 की 2.3268 है0 में प्रार्थी के हक–हिस्से तक की कृषि से आय 100000 हो जाती है। अतः श्रीमान 100000 की आयप्रमाण जारी करने की कृपा करें।

अतः प्रार्थी की उक्त जमीन की कृषि से प्राप्त आय 100000 रूपये मेरे द्वारा प्रमाणित की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 09/2022

1. परमिन्द्रकौर

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 27.01.2022

प्रार्थीया ने प्रा0पत्र पेश किया है कि चक 2 केडब्ल्युएम 'बी' के मु0नं0 77/13 व 77/14 की 14.16 बीघा कमाण्ड जमीन में उसके पति बूटासिंह का 3/10 हिस्सा बनता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से बूटासिंह का नाम डिलीट हो गया है। इसके अलावा प्रार्थीया की ननद का हिस्सा भी गलत दर्ज किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट तल्ब की गई। रिपोर्ट के मुताबिक विवादित जमीन चक 2 केडब्ल्युएम का मु0नं0 77/13 का किला नं0 1 ता 8, 14 ता 17 व 25/1 तथा मु0नं0 77/17 का किला नं0 5 व 6 हरबंश कौर पत्नी मोटाराम जाति जटसिख के नाम दर्ज थी। इंतकाल सं0 91 दिनांक 20.2.16 के जरिये यह जमीन हरबंश कौर के वारिसान के नाम निम्न तरीके से दर्ज हुईः

1 अनूपसिंह, कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह, गुरभागसिंह उर्फ इकबालसिंह पि. मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह बहिब 9/10 हि0

2 गुरविन्द्रकौर उर्फ चरणजीत कौर, गुरप्रीतकौर उर्फ वीरपालकौर पुत्रियां मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह 1/9 हि0

तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक इस इंतकाल में यह गलती हुई कि बहनों का हिस्सा (क्रम सं0 2) 1/9 दर्ज कर दिया गया जबकि वारिसान प्रमाणपत्र के आधार पर उनका हिस्सा 1/10 बनता था।

दूसरी गलती यह हुई कि ऑनलाईन रिकॉर्ड दर्ज करते समय कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह का नाम दर्ज नहीं किया गया और अनूपसिंह की जगह अनूपसिंह उर्फ बूटासिंह दर्ज हो गया।

अदालत द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट इंतकाल सं0 91 जमाबंदी संवत् 2075–78 व 71–74 का अवलोकन किया गया। उक्त साक्ष्यों की बुनियाद पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के नाम और हिस्से में निम्न तरीके से शुद्धि किया जाना उचित है।

अनूपसिंह, कलवंतसिंह उर्फ बूटासिंह, गुरभागसिंह उर्फ इकबालसिंह पि. मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह जटसिख 9/10 हि0 बहिब गुरविन्द्रकौर उर्फ चरणजीतकौर, गुरप्रीत कौर उर्फ वीरपालकौर पुत्रियां मोटाराम उर्फ सुखदेवसिंह जटसिख बहिब 1/10 हि0

अतः धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला की आदेशित किया जाता है कि उक्त शुद्धि आदेश के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2018/00015

1. बनासीदेवी पत्नी भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी जेसला खाजूवाला वगै0

.....वादीगण

बनाम

1. अनोपसिंह पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी 5 डीडब्ल्युडी खाजूवाला वगै0

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 31.01.2022

आज पत्रावली पेशी में लेने बाबत व जरिये विड्रॉ खारिज करने के वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम तेतरवाल के प्रा0पत्र पर पेशी में ली गई। उक्त प्रा0पत्र में अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मेरे मुवक्लिान अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है तथा मैं मेरे मुवक्लिान की तरफ से उक्त वादपत्र व साथ ही जैरकार प्रा0पत्र 00016/2018 को जरिये विड्रॉ इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहता हूं। अतः अधिवक्ता का प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रॉ इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 2018/00016

1 बनासीदेवी पत्नी भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी जेसला खाजूवाला वगै0
.....प्रार्थीगण

बनाम

1 अनोपसिंह पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी 5 डीडब्ल्युडी खाजूवाला वगै0
.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 31.01.2022

पत्रावली आज अधिवक्ता श्री सीताराम तेतरवाल के अर्जेंट हिंयरिग व विड्रॉ बाबत प्रा0पत्र पर पेशी में ली। मूलदावा विड्रॉ के जरिये खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी जरिये विड्रॉ इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2022/24

1. अमरजीत पुत्र जोगेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी चक 1 पीडब्ल्युएम खाजूवाला।

.....वादीगण

बनाम

1. चन्दाराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी मथानिया तहः औसिया जिला जोधपुर।
2. फूसाराम पुत्र चैनाराम जाति बावरी निवासी मथानिया निवासी मथानिया तहः औसिया जिला जोधपुर।
3. त्हसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 31.01.2022

पत्रावली पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस मामलें में कोई कॉज ऑफ अराइज नहीं हो रहा है क्योंकि रजि. एक्ट 1908 की धारा 17 व 49 के मद्देनजर अपंजीकृत दस्तावेज की बुनियाद पर किसी व्यक्ति के पक्ष में 100 रू से अधिक मूल्य की अचल संपति के संबंध में कोई अधिकार कायम नहीं हो सकता है।

इसलिए अभिकथित अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर वादी के पक्ष में विवादित जीमन के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। इसलिए O7R11 व धारा 151 सीपीसी के तहत यह दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :– 2022/25

1. अमरजीत पुत्र जोगेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी चक 1 पीडब्ल्युएम खाजूवाला।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 चन्दाराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी मथानिया तहः औसिया जिला जोधपुर।
2. फूसाराम पुत्र चैनाराम जाति बावरी निवासी मथानिया निवासी मथानिया तहः औसिया जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 31.01.2022

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रार्थनापत्र संख्या :— 166 / 2021

1 मंजू

.....प्रार्थी

बनाम

1 सरकार

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 31.01.2022

अदालत द्वारा प्रार्थीया द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। अदालत को समाधान है कि इंतकाल सं 122 में दुरस्ती करनी जायज है क्योंकि मंजू पुत्री भंवराराम नायक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 2013000553 दिः 12.3.2013 के जरिए उसके नाम दर्ज जमीन चक 5 एसजेएम के मु0नं0 58 / 53 के किला नं0 1 से 20 कुल 20 बीघा जमीन में 1 / 7 हिस्सा में से 1 / 2 हिस्सा मदनलाल / हुकमाराम नायक को बेचान कर दिया था पर इस दस्तावेज की अनुपालना में दर्ज किए गए इंतकाल सं 122 में मंजू की पूरी जमीन यानि कि 1 / 7 हिस्सा ही मदनलाल के नाम दर्ज हो गई जबकि मदनलाल के नाम 1 / 7 X1 / 2 = 1 / 14 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था बाकि 1 / 14 हिस्सा मंजू के नाम ही कायम रहना चाहिए था।

इसलिए धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत अदालत द्वारा विवादित जमीन की वर्तमान जमाबंदी में निम्न तरीके से तब्दीली करने के आदेश दिए जाते हैः—

1 मदनलाल पुत्र हुकमाराम का हिस्सा 4 / 7 की बजाय 1 / 2 दर्ज किया जाए।

2 मंजु पुत्री भंवरलाल नायक सा0 सीहरी तह0 लांडनू 1 / 14 हिस्सा दर्ज किया जाए।

तहसीलदार खाजूवाला उक्त आदेश के मुताबिक अमलदरामद करें बाकी प्रविष्ठिया यथावत रहेंगी।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र संख्या :— 19 / 2022

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज छायाप्रति राशनकार्ड, आधारकार्ड व प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित रकबे के राजस्व रिकॉर्ड में खेता पुत्र जिसुख दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि उक्त दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम खेताराम पुत्र जिसुखराम दर्ज है । अतः न्यायालय को समाधान है कि प्रार्थी का नाम राशनकार्ड, आधारकार्ड के आधार पर दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित रकबे चक 24 केजेडी के मु0नं0 224/53,54 में कुल तादादी 12.3920 है0 अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खेता पुत्र जिसुख की जगह खेताराम पुत्र जिसुखराम दर्ज के आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार खाजूवाला अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या :– 10/2022

1 रखण खां

.....वादी

बनाम

1 सरकार

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 15एएए,88 आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 10.2.2022

दिनांक 11/01, 17/01 व 19/01 को पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत को समाधान है कि रखण खां, राज काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के तहत प्रश्नगत आराजी चक 1—2 एमडीएम के मु0नं0 184/19 (किला नं0 15,16 व 25 की .75 है0),मु0नं0 184/20 (किला नं0 4 ता 7, 14 ता 19, 24,25 की 2.52 है0) मु0नं0 184/27 (किला नं0 11,20 व 21 की .75 है0) मु0नं0 184/28 (किला नं0 1,2,9ता12,19ता 23 की 2. 78 है0) मु0नं0 184/37 (किला नं0 1/2,2,8,9,10/2 की 1.21 है0) कुल 10.3183 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रखण खां पुत्र जन्नत मुसलमान को प्रश्नगत रकबे का खातेदारी घोषित किया जाता है । तहसीलदार खाजूवाला आदेश के मुताबिक अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2022/32

1 हरदेवसिंह पुत्र गुरमीतसिंह जाति जटसिख निः 1पीडब्ल्युएम खाजूवाला

.....वादी

बनाम

1. अशोककुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति लखोटिया निः नई धानमण्डी दूकान नं0 11 खाजूवाला।
2 त्हसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 22.2.2022

वदपत्र पर गौर किया गया अदालत का मानना है कि अदालत की इस मामले मे कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि विवादित जमीन चक 1 पीडब्ल्यूएम बी के मु0नं0 41/57 की 2.10 बीघा भूमि वादी द्वारा रजिस्ट्रर्ड सैल डीड के जरिए प्रतिवादी सं0 1 को ट्रांसफर की गई थी। वादी का कहना है कि उसने प्रतिवादी सं01 से पैसे उधार लिए थे उस उधार की सैक्युरिटी के तौर पर प्रश्नगत सैल डीड तस्दीक करवाई गई थी यह समझौता हुआ कि जब वादी पैसे लौटा देगा तब प्रतिवादी सं0 1 इस जमीन की रजिस्ट्री वादी के नाम करवा देगा लेकिन अब प्रतिवादी सं0 1 इस समझौते से मुकर रहा है जबकि वादी उधार लौटाने को तैयार है।
अदालत का मानना है कि उक्त उधार पर रजिस्ट्रर्ड सैल डीड को खारिज करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वाद को खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2022/33

1 हरदेवसिंह पुत्र गुरमीतसिंह जाति जटसिख निः 1पीडब्ल्युएम खाजूवाला

.....प्रार्थी

बनाम

1 अशोककुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति लखोटिया निः नई धानमण्डी दूकान नं0 11 खाजूवाला।
2 त्हसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 22.2.2022

मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2022/34

1 लखवीरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजूवाला

.....वादी

बनाम

1 सुखदेवसिंह पुत्र लखवीरसिह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजूवाला।
2. बलजीतकौर पत्नी लखवीरसिंह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजवूाला।
3 तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 22.2.2022

वाद में लिखे गए फैक्ट्स पर गौर किया गया । अदालत का मानना है कि इस वादपत्र पर कार्यवाही करना अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि विवादित जमीन चक 3 बीजीएम बी के मु0नं0 184/18 की 25 बीघा रजिस्टर्ड दानपत्र के जरिए ट्रांसफर की गई है।
वादी का कहना है कि जिस मुख्त्यार आम के आधार पर गिफ्टडीड तस्दीक की गई थी, वह पीओए उससे जबरदस्ती लिखवाया गया था इसलिए उस दानपत्र की इ पदपजपव अवपक घोषित कर विवादित जमीन वादी के नाम दर्ज की जाए।
अदालत का मानना है कि वादी द्वारा पेश किए आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की वॉइड घोषित करने का इख्तियार इस अदालत को नहीं है इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत वादपत्र खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2022/35

1 लखवीरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजूवाला

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुखदेवसिंह पुत्र लखवीरसिह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजूवाला।

2. बलजीतकौर पत्नी लखवीरसिंह जाति जटसिख निः 3 बीजीएम खाजवूाला।
3 तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 22.2.2022

प्रा0पत्र दर्ज किया गया। मूलदावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 117/2021

1 सन्तोषदेवी पुत्रील हीरालाल पत्नी लेखराज जाति कुम्हार निवासी डंगरखेडा तहः अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

.....प्रार्थीया

बनाम

1 हीरालाल पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड 35 चहल चौक श्रीगंगानगर वगै0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 02.3.2022**

प्रार्थीया द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह पेश किया गया कि उसके दादा भगवानाराम के नाम से चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में जमीन दर्ज थी। प्रार्थिया के पिता हीराराम द्वारा उस जमीन का बेचान कर ही विवादित जमीन चक 26 के.वाई.डी. के मुरब्बा नम्बर 225/8 की 3.03 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई इसलिए विवादित जमीन पैतृक संपति है और उसमें प्रार्थिया का जन्म से हिस्सा है।

अप्रार्थी सं.1 द्वारा जवाब पेश किया गया है कि चक 6 ई छोटी स्थित जमीन का बेचान 1979 में किया गया था। उस समय प्रार्थिया का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खुद की मेहनत से अर्जित कमाई से 2002 में विवादित जमीन खरीद की गईं।

इन तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत की यह राय है कि यह मानना उचित नही होगा कि 1979 में जमीन बेच कर प्राप्त की गई संपति के आधार पर ही 2002 में विवादित जमीन खरीद की गई it would not be reasonable and surt क्योकि दोनो वाक्यात के बीच में बहुत ज्यादा वक्त है (23साल) दोनों के बीच duoet cause effect संबंध स्थापित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । प्रार्थिया द्वारा 16/2 को पेश किये गये जवाब में भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे दोनों वाक्यात् के बीच duoet link जाहिर हो सके इस जवाब में स्थगन प्रार्थना पत्र में लिखे गए तथ्यों को ही दोहराया गया है जबकि अदालत द्वारा 18/08/21 को निर्देश भी दिए गए थे।

इसलिए अदालत का मानना है कि विवादित जमीन के सिलसिले में 18/08/21 को जारी किए स्थगन आदेश की कायम रखना जायज नहीं है इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला, बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ/खाजू/रीडर/2022/ दिनांक

—:कार्यालय आदेशः—

प्रार्थी रामूराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल 1 एसएसएम II बी खाजूवाला के पुत्र मगतीराम ने प्रा0पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी कार्यालय हाजा द्वारा जारी खातेदारी सनद संख्या 93/35 दिनांक 11.01.2022 में चक 1 एसएसएम II बी के स्थान पर चक 1 एसएसएम बी अंकित कर दिया है। इस कारण इंतकाल दर्ज करवाने में समस्या आ रही है। अतः प्रार्थी इसे दुरस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी के उक्त रकबे की जमाबंदी में चक 1 एसएसएम II बी अंकित है। अतः धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे उक्त खातेदारी सनद में अंकित चक 1 एसएसएम बी के स्थान पर जमाबंदी अनुसार चक 1 एसएसएम II बी दुरस्त

किया जाता है तथा शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी । उक्त आदेश को खातेदारी सनद संख्या 93/35 दिनांक 11.01.2022 का अभिन्न अंग पढ़ा व समझा जावे। तहसीलदार आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांक/सम/ दिनांक

प्रतिलिपिः प्रार्थी रामूराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 1 एसएसएम II बी को सूचनाथे प्रेषित है

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 179/2021

1 सन्तोष पुत्री देवीलाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कुलचंद्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ निवासी मलिकपुरा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
.....प्रार्थीया

बनाम

1 देवीलाल पुत्र सरवनराम जाति जाट निवासी कुलचंद्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 15.3.2022

प्रार्थीया के प्रा.पत्र का अहक बिन्दु यह है कि विवादित जमीन अप्रार्थी देवीलाल द्वारा टिब्बी के चक 7 एफटीपी और 8 सीडीआर में स्थित जमीन से हासिल आमदनी से खरीद की है इसलिए विवादित जमीन में प्रार्थीया का हक निहित है। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब में कहा है कि विवादित जमीन उसे विशेष आवंटन के जरिए हासिल हुई है इसलिए यह उसकी स्वअर्जित संपति है। इसलिए प्रार्थीया का इसमें कोई अधिकार नहीं है।

अदालत का मानना है कि इस मामले में जांच की जानी जरूरी है कि विवादित जमीन का अलॉटमेंट कब हुआ, टिब्बी स्थित जमीन की आमदनी का इसमें कोई योगदान है या नहीं इसलिए पूर्व में जारी किया गया स्थगन आदेश कायम रखा जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 105/2021

1 राजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राह्मण साकिन खीन्दासर हाल चक 41 केवाईडी बी खाजूवाला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 छोटुराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राह्मण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर वगै0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 15.3.2022**

अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश किया है कि उक्त जमीन उसे पुख्ता अलॉटमेंट के तौर पर हासिल हुई है इसलिए यह उसकी स्व अर्जित संपति है। उसके पुत्रों का इस पर कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थी का कहना है कि भूमिहीन आवंटन में पूरे परिवार का हक निहित है क्योंकि भूमिहीन अलॉटमेंट के लिए पात्रता तय करते समय पूरे परिवार की भूमि का आंकलन किया जाता है। यदि आवंटी इसका ट्रांसफर कर देता है तो वह परिवार की बेसहारा छोड़ देगा, जो कि अलॉटमेंट की मंशा नहीं है।

अदालत का मानना है कि इस मामले में कॉम्पलैक्स ईशू शामिल है जो कि 13.5.21 की प्रोसीडिंग में भी लिखे गए है। इन सब ईशू पर प्रोपर जांच जरूरी है।

इसलिए दौरान ए जांच स्थगन आदेश कायम रखा है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 39/2022

1 जोगेन्द्रसिंह बराड पुत्र बाजसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 11 नजदीक भगतसिंह चोक खाजूवाला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 15.3.2022

वकील प्रार्थी श्री दिलीपसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी खुद हाजिर आए। प्रार्थी का प्रा0पत्र इस प्रकार है कि चक 9 एसएसएम ए का मु0नं0 28/64 प्रार्थी जोगेन्द्रसिंह व चक 13 केवाईडी बी का मु0नं0 138/11 के किला नं0 15 से 24 प्रार्थी की पत्नी जसवीर कौर के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि दस्तावेजों में उसका नाम जोगेन्द्रसिंह बराड है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में इसके मुताबिक शुद्धि की जाए।

प्रार्थी द्वारा पेश किए दस्ताजवेजों आधारकार्ड, पासपोर्ट (U1933549) Pancard पर गौर किया गया। अदालत को समाधान है कि विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में जोगेन्द्रसिंह की जगह जोगेन्द्रसिंह बराड दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदारा आदेश मुताबिक दर्ज करें। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 1998/00002

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 लिखमाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निः सामरदा .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 1998/00003

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 पतराम पुत्र सरदाराराम जाट निः चींदासर हाल 19 डीडब्युडी .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 1998/00004

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 पदमसिंह पुत्र पूर्णसिंह राजपूत 10 केएचएम .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 1998/00006

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 रसूलबक्श पुत्र बली मोहम्मद निः पहलवान का बेरा .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 1998/00007

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 पूरा बेवा मोटाराम जाट चींदासर हाल 19 डीडब्ल्युडी वगैरह .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973
–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2006/00002

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 नूर मोहम्मद पुत्र अलाबक्श निः दन्तौर .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973
–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2006/00004

1 सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 गुलु पुत्र पुरखा निः 7 केएचएम ए वगैरह .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2021/00041

1 बिरमादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई उम्र 53 वर्ष निः सुरतगढ़ हाल 17 केएचएम बी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

1 अनवरी पुत्री अलाबक्स जाति मुसलमान निः 17 केएचएम बी तहः खाजूवाला बीकानेर वगै0 .... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.3.2022

प्रार्थी अधिवक्ता पुरूषोतम सारस्वत ने पेश होकर बयान किया कि इस मसले में राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रार्थी मामला विड्रॉ करना गलत है। अलाउड टू विड्रॉ सूट डिसमिस एट दीस स्टेज।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2021/91

1 खुशी पुत्री स्व अरविन्द बिश्नोई उम्र 11 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी 20 बीडी तहसील खाजवूाला जिला बीकानेर हाल जरिये कुदरती वली माता अंजूबाला पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मॉडल टाउन, गली नं0 2 सामने लूना नर्सिंग होम तहसील अबोहर जिला फाजिल्का .....प्रार्थीया

बनाम

1 जगदीश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 20 बीडी तसहील खाजूवाला।
2 उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक : 22.3.22**

उभयपक्ष गैरहाजिर प्रा0पत्र व जवाब पर गौर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब में कहा है कि विवादित जमीन खरीदशुदा संपति है कि विवादित जमीन खरीदशुदा संपति है इसलिए प्रार्थी का उसमें कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थी में प्रा0पत्र में कहा है कि अप्रार्थी सं0 1 पंजाब, सीतोगुणों में स्थित जमीन का बेचानकर विवादित जमीन का भी बेचान करना चाहता है, जबकि विवादित जमीन पैतृक संपति है इसलिए इस जमीन में उसका हक निहित है। अदालत की राय है कि यह ईशू कि विवादिउत जमीन पैतृक है या स्वअर्जित और उस जमीन में प्रार्थी का हक है या नहीं प्रोपर जांच के बाद ही फैसल हो सकता है, इसलिए वाद के फैसले तक स्टेट्स क्यू कायम रखना जायज है।

लेकिन अदालत की राय में 21.9.16 को जारी किए गए स्थगन आदेश में संशोधन किया जाना जरूरी है क्योकि विवादित जमीन में प्रार्थीया का नोशनल शेयर 1/5 हिस्सा ही है। इसलिए तमाम जमीन पर स्थगन कायम रखना उचित नहीं है। इसलिए 21.9.16 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर यह आदेश जारी किया जाता है कि विवादित आराजी चक 20 बीडी के मु0नं0 95/24 के किला नं. 6 ता 8 , 9 (10 बिस्वा), 11 से 13 कुल 6.10 बीघा तथा मु0नं0 96/33 के किला नं. 17 ता 25 की 15.10 बीघा जमीन के 1/5 हिस्से पर वाद के फैसले तक राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट्स क्यू कायम रखा जाए। तहसीलदार खाजूवाला आदेश की पालना करवाएं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

1. **दावा संख्या–87/2021**
   मंगलेश पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी घमुडवाली हाल चक 21 पीकेडी खाजवूाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज खाजूवाला।
   विवादित रकबा–पुराना चक 11 केजेडी हाल चक 21 पीकेडी मु.न. 163/57,58 की तादादी 50.00 बीघा कृषि भूमि।
2. **दावा संख्या–76/2021**
   सुभाषचन्द्र पुत्र श्री मामराज जाति बिश्नोई साकिन चमारखेड़ा हाल चक 23 पीकेडी खाजूवाला जिला बीकानेर **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज खाजूवाला।
   विवादित रकबा–पुराना चक 10 केजेडी हाल चक 23 पीकेडी मु.न. 162/16,24 की तादादी 50.00 बीघा कृषि भूमि।
3. **दावा संख्या–78/2021**
   विक्रम सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन चमारखेड़ा हाल चक 21 पीकेडी खाजूवाला जिला बीकानेर **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज खाजूवाला।
   विवादित रकबा–पुराना चक 11 केजेडी हाल चक 21 पीकेडी मु.न. 163/41,49 की तादादी 50.00 बीघा कृषि भूमि।
4. **दावा संख्या–89/2021**
   इन्द्रा पत्नि श्री जगदीश जाति जाट साकिन घमुड़वाली हाल चक 23 पीकेडी खाजूवाला जिला बीकानेर वगै. **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज खाजूवाला।
   विवादित रकबा–पुराना चक 11 केजेडी हाल चक 23 पीकेडी मु.न. 162/31,32 की तादादी 50.00 बीघा कृषि भूमि।
5. **दावा संख्या–82/2021**
   चन्दो देवी पत्नि श्री साहबराम जाति जाट साकिन घमुड़वाली हाल चक 23 पीकेडी खाजूवाला जिला बीकानेर वगै. **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज खाजूवाला।
   विवादित रकबा–पुराना चक 11 केजेडी हाल चक 23 पीकेडी मु.न. 162/40,48 की तादादी 50.00 बीघा कृषि भूमि।

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :–**

उपरोक्त समस्त प्रकरण की प्रकृति एक समान होने के कारण समस्त प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गई है। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित जमीन उन्हें 1990 में उसे विशेष आवंटन के तौर पर आंवटन हुई थी। जमीन की कीमत की 35 प्रतिशत राशि जमा की हुई है। मौके पर कब्जा भी प्रार्थी का है लेकिन उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज थी। इसलिए उक्त आवंटन आदेश का अमलदरामद नहीं हो पाया है। प्रार्थीगण का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रूपाराम तीजा देवी तथा हेमाराम मामलों में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामले जो दोहरे आवंटन से प्रभावित हैं, मौके पर काश्तकार काबिज है, वन विभाग द्वारा कभी भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में allottees के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रार्थी ने न्यायिक निर्णयों के आधार पर आवंटन आदेश का अमलदरामद करवाने के लिए दावा पेश किया है तथा दावे के दौरान यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष चाहा गया है।

अदालत का मानना है कि यह मामला दोहरे आवंटन से संबंधित है। इस प्रकरण में allottees ,वन विभाग तथा उपनिवेशन विभाग के Rights and Liabilities से संबंधित कई Complex Issues शामिल है।

क्या वन विभाग के नाम दर्ज जमीन को काश्तकारों को आवंटित किया जाना कानूनी तौर पर सही था? अगर हां ,तो आज तक इन आवंटन आदेशों का अमलदरामद क्यों नहीं हुआ है?

क्या 1983 वन विभाग और उपनिवेशन विभाग के बीच ऐसी सहमति हुई थी कि जो जमीन वन विभाग को आवंटित की गई है, अगर उस पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है ,वह जब कमांड होगी तो उसे वन विभाग द्वारा उपनिवेशन विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर हां ,तो उस सहमति को अमलीजामा पहनाने के संबंध में क्या फैसला किया गया?

क्या आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा 1991 में इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे कि वन विभाग को आंवटन की गई ऐसी भूमि जिस भूमि पर वन विभाग का कब्जा नहीं है, कोई वृक्षारोपण नहीं है, उसे रकबाराज घोषित किया जाए?

अगर उक्त आवंटन कानूनी तौर पर सही नहीं है, तो उन्हें आज तक खारिज क्यों नहीं किया गया है? अगर उक्त आवंटन विधि मान्य नहीं है तो काश्तकार किस हक से काबिज हैं और वन विभाग द्वारा आज तक उन्हें बेदखल क्यों नहीं किया गया है?

क्या उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रुपाराम 1993 तथा हेमाराम 2017मामले में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तीजा देवी 2001 मामले में दिए गए निर्णय से कवर होता है? क्या शासन स्तर से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं कि दोहरे आवंटन से संबंधित मामलों को उक्त निर्णय के मद्देनजर निस्तारित किया जाए?

क्या शासन के आदेश से वन विभाग, उपनिवेशन विभाग, राजस्व विभाग द्वारा दोहरे आवंटन से प्रभावित प्रकरणों का कोई सर्वे किया गया था? क्या इस सर्वे में यह अभीशंषा की गई थी कि जिस जमीन पर काश्तकार काबिज हैं, वन विभाग द्वारा कभी भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है उस जमीन को वन विभाग के नाम से डिनोटिफाई कर दिया जाए?

क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐंसा कोई फैसला दिया गया है कि दोहरे आंवटन से प्रभावित भूमि जो बंजर है या वृक्षारोपण नहीं है, उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधान लागू नहीं होगें।

अदालत का मानना है कि उपरोक्त सभी Issues के संबंध में मेरिट पर फैसला करना जरूरी है। इसलिए दोनों पक्ष उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में अपना जवाब पेश करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

1. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00002**
   लिखमाराम पुत्र लाधूराम जाट निः लाडेरा तहः लूनकरनसर हाल सामरदा, तहः खाजूवाला **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा–पुराना चक 14 केजेडी ए मु.न. 104/62,47,55 की कृषि भूमि।
2. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00003**
   पतराम पुत्र सरदाराराम जाट निः चींदासर हाल 19 डीडब्ल्युडी **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा–19 डीडब्ल्युडी मु.न. 11/56 व 12/34,35,42,43,50 की कृषि भूमि।
3. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00004**
   पदमसिंह पुत्र पूर्णसिंह राजपूत निः 10 केएचएम **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 10 केएचएम मु.न. 58/5,13 की कृषि भूमि।
4. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00006**
   रसूलबश पुत्र बली मोहम्मद निः पहलवान का बेरा **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 5 बीएलडी मु.न. 208/44,51,52,59,60 व चक 20 केजेडी मु0नं0 45/47 व 18 केजेडी मु0नं0 65/6 व 6 बीएलडी 209/35,42,43,44,50,51,52 व 16 केएम 105/49, 105/50 की बीघा कृषि भूमि।
5. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00007**
   पूरा बेवा मोटाराम, रेवन्तराम, करताराराम पि. मोटाराम जाट निः चींदासर **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 19 डीडब्ल्युडी मु.न. 12/18,19,20,21,28,29 की कृषि भूमि।
6. **प्रार्थनापत्र संख्या–2006/00002**
   नूर मोहम्मद पुत्र अलाबक्श मुसलमान निः दन्तौर **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 14 केएचएम मु.न. 19/24,32 व 20/17,25 की कृषि भूमि।
7. **प्रार्थनापत्र संख्या–2006/00004**
   गुलु पुत्र पुरखा वगैरह चमार निः 7 केएचएम **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 7 केएचएम ए मु.न. 97/62 व 117/5,6,7,13,14 की कृषि भूमि।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973
–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 128/2021

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01.04.2022**

अपीलांट शांतिदेवी, भंवरीदेवी, मंजूदेवी, कमलादेवी व ओमीदेवी, रेस्पो0 सं0 1 बाधुदेवी व प्रफॉर्मा रेस्पों सत्यनारायण हाजिर आए। अपीलांट्स तथा सत्यनारायण ने बयान किया कि उनके पति/पिता श्रीनिवास द्वारा विवादित जमीन चक 5 पीआरएम के मु0नं0 57/49 की 25.00 बीघा के संबंध में, रेस्पों0 बाधुदेवी के पक्ष पर तस्दीक की गई वसीयत सही है। इस वसीयत के आधारा पर तस्दीक किया गया इंतकाल सं0 126 दिनांक 30.4.2019 भी सही है। इनका कहना है कि हम इस जमीन के संबंध में अपने हक/अधिकार का परित्याग करते हैं और इस संबंध में भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे, अपीलांट्स व प्रफॉर्मा रेस्पों0 इस आधार पर इस अपील को खारिज करवाना चाहते है। अदालत द्वारा अपीलांट्स और सत्यनारायण को सुना गया। क्योंकि यह लोग अपनी मर्जी से उक्त राजीनामा कर रहे हैं इसलिए अदालत द्वारा राजीनामा मंजूर कर प्रश्नगत अपील को खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 11/2019

गणेशमल पुत्र झंवरमल जाति गहलोत निवासी बीकानेर हॉल चक 5 एडब्ल्युएम ए तह. छतरगढ जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

4. सांवरमल पुत्र झंवरमल जाति गहलोत निवासी बीकानेर हॉल चक 5 एडब्ल्युएम ए तह. छतरगढ जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

4. श्री योगेश चुघ अधिवक्ता वादी की ओर से
5. श्री शिवकुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 की ओर से
6. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता फोत होने के पश्चात चक 5 एडब्ल्युएम ए के मु.नं. 64/42 के कि. नं. 13 ता 25 की 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि शामिलार्थ खातें में भूमि दर्ज की गई जिसके पश्चात वादी के पक्ष में अन्य वारिसों द्वारा अपने अपने हिस्सें का हक त्याग कर दिया गया है एवं उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 5/6, प्रतिवादी का हिस्सा 1/6 दर्ज हो गया। वादी अपने हिस्सें की 5/6 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी 1/6 हिस्सें पर कब्जा काश्त है। वादी अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किस्मों में विभाजन कर अपना हिस्सा अपना लगान अलग से कायम करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा उक्त आदेश की डिक्री जारी करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी गण की ओर से श्री शिवकुमार श्रीमाली अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करनें पर जवाब पेश नहीं करनें पर दिनांक 11.11.2019 को जवाब बन्द किया गया। बहस सुनी गई।

न्यायालय द्वारा अधिवक्ता बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 5 एडब्ल्युएम ए के मु.नं. 64/42 के कि.नं. 13 ता 25 की 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सह खातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने जो जमाबन्दी पेश की है। उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 5/6, प्रतिवादी का हिस्सा 1/6 है। इस प्रकार वादी का वाद साबित है।

राजपेरोकार ने अपने जवाब में वादी प्रतिवादी के हिस्सें अनुसार खाता विभाजन किया जाना उचित है का अंकन किया है।

अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार छतरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ने चक 5 एडब्ल्युएम ए के मु.नं. 64/42 के कि.नं. 13 ता 25 की 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि का पक्षकारान के हिस्सें अनुसार मय रास्ता व खाला दर्शातें हुए अच्छी – मन्दी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....को सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(छतरग

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ / खाजू / आवंटन / 2015 / दिनांक

—:संशोधन आदेशः—

प्रार्थी दौलतराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी 1 बीवाईएम तहः खाजूवाला मार्फत रामदयाल (पुत्र) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 1 बीवाईएम के मु.नं. 106 / 24 के किला नं. 23 / 2 ता 25 / 2 भूमि 0.6828 है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मुझ प्रार्थी के खातेदारी सनद जारी होते वक्त खातेदारी सनद में किला 22 ता 25 अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना ने किला नं. 23 / 2 ता 25 / 2 में कुल 0.6828 है0 भूमि ही अंकित की। प्रार्थी उक्त खातेदारी सनद में किलों में शुद्धि करवाना चाहता है।

संलग्न खातेदारी सनद की प्रति अनुसार प्रार्थी दौलतराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी 1 बीवाईएम तहः खाजूवाला को चक 1 बीवाईएम के मु.नं. 106 / 24 के किला नं. 22 ता 25 की 0.6828 है. भूमि की खातेदारी सनद संख्या 93 / 37 दिनांक 25.1.22 को जारी की गई है। हल्का पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 1 बीवाईएम के मु0नं0 106 / 24 के किला नं0 23 / 2 ता 25 / 2 की 0.6828 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 1 बीवाईएम में खाता संख्या 61 पर मु0नं0 106 / 24 के किला नं0 23 ता 25 की 0.6828 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः खातेदारी सनद संख्या 93 / 37 दिनांक 25.1.22 में चक 1 बीवाईएम के मु0नं0 106 / 24 में किला नं0 22 ता 25 की 0.6828 है. भूमि के स्थान पर किला नं0 23 / 2 ता 25 / 2 की 0.6828 है. भूमि का संशोधन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। शेष खातेदारी सनद यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांकः—सम / 2022 / दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।
2. दौलतराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी 1 बीवाईएम तहः खाजूवाला

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांक/एसडीओ/खाजू/कैम्प/आवंटन/2022/ दिनांक

आदेश अन्तर्गत धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप के कैम्प आज दिनांक 18.05.2022 को ग्राम पंचायत दन्तौर द्वारा चक 7 केएचएम की आबादी के लिए मुरब्बा संख्या 117/41 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व मु0नं0 117/,49 के किला नं0 1,2,7 ता 11,19 ता 21 कुल 25.00 बीघा भूमि को आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दिनांक 22.10.21 पेश किया हुआ है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा 20 जुलाई 2021 ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम 7 केएचएम राजस्व ग्राम दन्तौर का हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा चाहा गया रकबा मौके पर काफी वर्शो से रिहायसी मकान, पानी डिग्गी, विद्यालय, धार्मिक स्थल बने हुवे है। इस भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण जैरकार नहीं है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों के तहत प्रतिबंधित नहीं है। इस मामले में आबादी के लिए 25.00 बीघा भूमि आरक्षित किया जाना उचित है। इसलिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 (राजस्थान सरकार राजस्व ग्रप–6 विभाग अधिसूचना प.3(17) राज.6/2021/89 दि. 30.9.2021 व प.3(17) राज.6/2021/78 दि. 11.04.2022 तथा जीम त्रेंजींद ब्वसवदपेंजपवद ;।ससवजउमदज ।दक ैसम व ळवअमतदउमदज स्ंदक प्द जीम प्दकपतं ळंदकीप ब्ंदंस ब्वसवदल ।तमंद्ध त्नसमेण 1975 के नियम 6) के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे चक 7 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 117/41 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व मु0नं0 117/,49 के किला नं0 1,2,7 ता 11,19 ता 21 कुल 25.00 बीघा भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जाता है।

(श्योराम)

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांक/सम/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकॉर्ड में अंकन करने बाबत्।

2. सरपंच ग्राम पंचायत .....को सूचनार्थ। (श्योराम)

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–41/2022

1. राजकुमार पुत्र रामानन्द जाति निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ जिला चुरू।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी के पिता रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ जिला चुरू के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 3 एमजीडब्ल्युएम सीएडी के मु0नं0 99/08 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.01960 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 24.03.1976 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. पुगल मुकाम बीकानेर द्वारा पुख्ता आवंटन की थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 28.09.1996 को उपनिवेशन तहसीलदार ई.गा.न.प. पुगल द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसमें सहवन से मेरे पिता का नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा रामगढ़ पुख्ता आवंटन दर्ज हो गया था जोकि गलत है मेरे पिता का सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ है तथा मुझ प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 15.04.2015 को हो चुका है तो मैं प्रार्थी शपथपत्र एवं मृत्यु प्रमाणपत्र व कुर्सीनामा के आधार पर मेरे पिता के जायज वारिसान के नाम विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाना चाहता हूँ परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिता व दादा का नाम गलत है इसलिए मैं प्रार्थी मेरे पिता का सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ की राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धी करवाना चाहता हूँ। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ के स्थान पर सही नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहसील राजगढ़ दुरस्त करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर मूल आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रति, प्रथम नामान्तकरण प्रमाणित प्रति, गिरदावरी वर्ष (सम्वत् 2054–57, 2058–2061, 2063–2066), विरासतन इंतकाल पुष्टि बाबत् तहसीलदार खाजूवाला का पत्र रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, ग्रा.प. गुलपुरा खुर्शीनामा, सहहिस्सेदारों का सहमति बाबत् शपथपत्र, वारिसनामा स्टाम्प पर, ग्रा.प. की नाम बाबत् तस्दीक, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट प्रस्तुत जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 16 तक शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थी द्वारा मूल आवंटन पत्रावली की फर्द अहकाम, आवेदन पत्र, शपथपत्र, तहसीलदार राजगढ़ का फोटो फॉर्म तस्दीक जो प्रदर्श 1 ता 4 अंकित है पर प्रार्थी के पिता व दादा का नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है जो कि सही दर्ज था । आवंटन आदेश जो कि पत्रावली में प्रदर्श 5 है उसमें प्रार्थी के पिता व दादा का नाम रामचंद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है तथा आवंटन का प्रथम इंतकाल नोट में रामचंद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुठीलुणा तहः राजगढ़ अंकित है और बाद की खसरा गिरदावरी में भी यही नाम अंकित है। जबकि प्रदर्श 9 से 15 में भी रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ अंकित है। उक्त रकबा में आवंटी के पिता,दादा व गांव का नाम रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी लुठीलुणा तहः राजगढ़ जो कि आज की जमाबंदी में अंकित है जो सहवन से दर्ज हुये है जिसको प्रदर्श 1 ता 4 व 9 से 15 साबित करते हैं। इसलिए सही नाम दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि मूल आवंटन पत्रावली की फर्द अहकाम आदेशिका के बाद आवंटन आदेश जारी होते वक्त उक्त आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता–दादा का नाम सहवन से गलत अंकित हो गया जिसके बाद लगातार आगे से आगे खसरा गिरदावरियों व अन्य राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजों में गलत नाम दर्ज होता रहा जो कि आज की जमाबंदी में है तथा गांव का नाम लुदीखुबा प्रदर्श 1 ता 5 अनुसार सही है लेकिन आवंटन का प्रथम नामान्तकरण दर्ज करते वक्त गलत नाम लुठीलुणा हो गया जो बाद में लगातार राजस्व रिकॉर्ड आगे से आगे गलत दर्ज होता रहा है जो आज की जमाबंदी में है।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–16) का गहनता से अवलोकन किया और प्रदर्श 1 ता 5 व 9 से 15 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं कि प्रार्थी के पिता, दादा व गांव के नाम रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा की जगह रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक गांव लुठीलुणा तहः राजगढ़ सहवन से गलत दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता, दादा व गांव का नाम

रामचन्द पुत्र मालाराम जाति नायक गांव लुठीलुणा तहः राजगढ़ की जगह रामानन्द पुत्र पालाराम जाति नायक निवासी लुदीखुबा तहः राजगढ़ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–33/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

धीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निः 21 DOBD 'A'

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री दिलीपसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 के किला नं0 11 में 0.2276 अनकमाण्ड किला नं0 12 में 0.2529 अनकमाण्ड किला नं0 19 में 0.0126 अनकमाण्ड तथा किला नं0 20 में 0.0126 अनकमाण्ड रकबा कुल तादादी 0.5057 अनकमाण्ड रकबा में खातेदार श्रीमती रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र कौम बिश्नोई साकिन माडिया तहः नोखा जिला बीकानेर ने मौके पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित कर रखी है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि काबिल काश्त हैं परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित है। इस रकबे का रूपांतरण का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसप्रकार अवैध पीओपी फैक्ट्री स्थापित करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध पीओपी फैक्ट्री स्थापित कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 28.9.21 को शामिल पत्रावली की गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी रामेश्वरी ने उक्त रकबा धीरेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निः 21 DOBD 'A' को विक्रय कर दी है, इसलिए रामेश्वरी की जगह धीरेन्द्रसिंह को पक्षकार बनाया जाकर धीरेन्द्रसिंह के नाम तलबी नोटिस जारी हुवे। उक्त पटवारी रिपोर्ट को प्रदर्श – 1 पढ़ा गया। प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह ने दिनांक 22.03.22 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि प्रतिवादी की कृषि भूमि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 में कुल 0.5057 है0 भूमि है। उक्त भूमि के किला नं0 11 में 0.10 बीघा अर्थात 0.1265 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तनशुदा है। जो कि दिनांक 11.09.2012 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश से संपरिवर्तन है। उक्त संपरिवर्तन आदेश को प्रदर्श–2 पढ़ा गया। जिसपर प्रतिवादी मौके पर बनी पी0ओ0पी0 फैक्ट्री को संचालित कर रहा है। उक्त भूमि औधोगिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन भूमि है। इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारो पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। किसी प्रकार का सर्वे किये बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। इसकारण वादी द्वारा मनगढत व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट द्वारा पटवारी हल्का दंतौर दिनांक 07.0422 (प्रतिहस्ताक्षर तहसीलदार खाजूवाला) पेश की गई जिसे प्रदर्श – 3 पढ़ा गया। उक्त रिपोर्ट का सार है कि चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/20 में किला नं0 11 में 10 बिस्वा भूमि पर पीओपी फैक्ट्री स्थापित है इसी मुरब्बे के किला नं0 11 में 8 बिस्वा, 12,19, 20 में 12 बिस्वा मौके पर खाली है। उक्त खाली भूमि पर वर्तमान में कोई गैरकृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त मु0नं0 के किलानं0 1,10,11,20,21 में 2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड अनुसार मौके पर चालू है। अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है तथा भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा सक्षम आदेश द्वारा ही पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है, शेष भूमि पर अकृषि कार्य उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई। बहस के पश्चात प्रतिवादी अधिवक्ता ने रजिस्ट्री दिनांक 14.7.14 एवं दिनांक 03.08.21 पेश की जिसको प्रदर्श–क्रमशः4 व 5 पढ़ा गया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 07.04.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है तथा भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा सक्षम आदेश द्वारा ही पीओपी फैक्ट्री स्थापित की गई है, शेष भूमि पर अकृषि कार्य उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में प्रदर्श 2–3 (संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.09.2012 की छायाप्रति, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.04.2022) साक्ष्य/सबूत के तौर पर प्रस्तुत किये जो जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित हो जाने तथा वादी को वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00113

पत्रावली आज वादी/प्रार्थी जरिये अधिवक्ता दावा विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र दिनांक 30.05.22 के आधार पर पेशी में ली गई। प्रा0पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में लोकअदालत की भावना से आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है एवं इसी स्टेज पर दावा विड्रॉ किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली विड्रॉ के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00114

मूलदावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। यह पत्रावली मूलदावा का अभिन्न हिस्सा है। अतः इसमें आगे कोई कार्यवाही प्रार्थी नहीं चाहता है। यह पत्रावली भी विड्रॉ के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/74

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया गैरहाजिर आज सरे इजलास रूक रूककर बार बार आवाज लगाई गई जिसके बाद प्रार्थीया असालतन या वकालतन उपस्थिति नहीं। प्रार्थिया को पूर्व में भी अनुपस्थित रहने पर अनेक अवसर दिये जा चुके है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/171

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गैरहाजिर आज सरे इजलास रूक रूककर बार बार आवाज लगाई गई जिसके बाद प्रार्थी असालतन या वकालतन उपस्थिति नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/178

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता पत्रावली विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। इसलिए पत्रावली विड्रॉ प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार कर पत्रावली विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2022/44

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता पत्रावली विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से पंचायत में राजीनामा हो गया है। वादीया/प्रार्थीया अब उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है विड्रॉ करवाना चाहती है। अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर जरिये विड्रॉ खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2022/45

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2020/105

वादी वकील दावा नोटप्रेस करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते है एवं प्रकरण को नोटप्रेस किया जाने के आदेश का निवेदन किया है। अतः प्रा0पत्र नोटप्रेस न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर नोटप्रेस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2020/106

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा जरिये नोटप्रेस खारिज किया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :–2012/00035

पत्रावली प्रार्थी रामसुख की ओरसे अधिवक्ता श्री सुमेरमल स्वामी के विड्रॉ प्रा0पत्र पेश करने व आज की पेशी में लेने के प्रा0पत्र पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की इस प्रकरण में हमारा राजीनामा लोकअदालत की भावना से हो गया है। इसलिए पत्रावली आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली विड्रॉ के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2022

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी 40 के.जे.डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

1. मालाराम पुत्र लिछमण सिंह जाति मेघवाल निः चक नौ डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 40 केजेडी ए का मुरब्बा नंबर 67/40 की 25 बीघा भूमि (किला नंबर 1 से 25) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ह। प्रार्थीया द्वारा अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नं0 68/45, 68/44, 68/43, 68/42, 68/41 होते हुवे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 67/48 के किला नंबर 21 में से 2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीया के मुताबिक वर्तमान में वह इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रही है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद दिनांक 21.02.2022 को अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी हाजिर अदालत वकालतन या असालतन नहीं आया । इसके उपरान्त तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा 68/41,42,42,44,45 में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर चालू है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी मु0नं0 68/45 से लेकर 68/41 तक कटानी रास्ता उपयुक्त हो रहा है। साथ ही प्रार्थीया अपने खेत में पहुँचने के लिए मु0नं0 67/48 के किला नं0 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में 0.0063 है0 भूमि का इस्तेमाल करती रही है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुँच हेतु उक्त सबसे नजदीकी व उपयुक्त रास्ता होता है। वर्णित मु0नं0 67/48 के किला नं0 21 वर्तमान में मालाराम पुत्र लिछमणसिंह मेघवाल निः 9 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जिसने अभी रास्ते को बंद कर रखा है।

अदालत द्वारा अप्रार्थी के हाजिर नहीं आने कारण व तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई । तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67/48 के किला नंबर 21 में से नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 21 में से होकर गुजर रही है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 67/48 के किला नंबर 21 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के साथ साथ 16.5 फिट चौड़ा व 41 फीट लम्बा (दक्षिणी–उतरी दिशा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2019/00006

पत्रावली आज जरिये वकील प्रा0पत्र बाबत् पत्रावली विड्रॉ के आधार पर निस्तारण पर पेशी में ली गई। प्रा0पत्र में प्रार्थीया गीतांजली व सुषमादेवी ने निवेदन किया कि वादी विजयकुमार फौत हो चुका है। इसलिए प्राथी के वारिस वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। लोक अदालत की भावना से विड्रॉ करन चाहते है। साथ ही इन दोनो प्रार्थीगण का वकालतनामा वकील श्री सीताराम तेतरवाल ने पेश किया जो शा0मि0। दोनो प्रार्थीगण ने शपथपत्र भी पेश किया कि वादी विजयकुमार फौत हो चुके है और इनके हम 3 ही जायज वारिज है जिसमें हम दो उपस्थित व तीसरा सहहिस्सेदार दिपांशु शर्मा की सहमति से ही वादपत्र विड्रॉ कर रहे है। भविष्य में दिपांशु कभी आपत्ति करें तो उसकी तमाम जिम्मेदारी हम मिकरान की होगी। अतः प्रार्थीगण (वादी के वारिस) व अधिवक्ता (वादी) के निवेदन पर पत्रावली व प्रस्तुत प्रा0पत्र शपथपत्र पर अवलोकन मनन किया जाकर यह पत्रावली प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार करते हुवे इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। साथ ही दिनांक 29.05.19 व 30.01.2020 का स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2021/37

पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं0 1 वकील गैरहाजिर। आज सरे इजलास बार बार रूक रूककर आवाज लगाई गई जिसपर उभयपक्ष अधिवक्ता या वादी प्रतिवादी स्वंय उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2022/40

प्रार्थी गैरहाजिर। आज पत्रावली में उपस्थित आने बाबत् प्रार्थी का बार बार रूकरूककर आवाज लगाई गई। जिसके बाद भी प्रार्थी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं । अतः पत्रावली इसी स्तर पर अमदपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2021/168

प्रार्थी गैरहाजिर। आज पत्रावली में उपस्थित आने बाबत् प्रार्थी का बार बार रूकरूककर आवाज लगाई गई। जिसके बाद भी प्रार्थी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं । अतः पत्रावली इसी स्तर पर अमदपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2021/165

प्रार्थी गैरहाजिर। आज पत्रावली में उपस्थित आने बाबत् प्रार्थी का बार बार रूकरूककर आवाज लगाई गई। जिसके बाद भी प्रार्थी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं । अतः पत्रावली इसी स्तर पर अमदपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–1998/00009

उभयपक्ष गैरहाजिर। आज पत्रावली में उपस्थित आने बाबत् उभयपक्ष को बार बार रूकरूककर आवाज लगाई गई। जिसके बाद भी उभयपक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं । अतः पत्रावली इसी स्तर पर अमदपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–66/2022

1. बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू।

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :– .....

यह वादी का वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 8 डीडब्ल्युडी के मु.नं. 89/24 के किला नं. 1 ता 17, 19 ता 22, 24 ता 25 में कुल 22.10 बीघा (5.6902 हैक्टर) अनकमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 25.03.1976 को पुख्ता आवंटन है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड की गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 में दिनांक 05.08.1978 को उपनिवेशन तहसीलदार ई.गा.न.प. पुगल द्वारा स्वीकृत है। मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के रिकॉर्ड की गिरदावरी सम्वत् 2032–2035, 2035–2038, 2040–2043, 2044–2047 में मेरा नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू सही दर्ज था तथा गिरदावरी सम्वत् 2048–2051 में सहवन से मेरा नाम बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरधरी दर्ज हो गया जो की गलत है। प्रार्थी ने बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरधरी तहः सरदारशहर जिला चुरू के स्थान पर बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी/प्रार्थी मय अधिवक्ता स्वयं दिनांक 16.06.22 को उपस्थित और वादपत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर गिरदावरी, आधार जमाबंदी, आवंटन राशि जमा

रसीद, आधारकार्ड, परिचय पत्र प्रस्तुत किये जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 6 तक शामिल किये गये।

तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि गिरदावरी 2032–2035 में प्रार्थी का नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू पुख्ता आवंटन का नोट अंकित है। गिरदावरी सम्वत् 2044–2047 तक उक्त भूमि में उक्त नाम सही दर्ज था लेकिन गिरदावरी सम्वत् 2048–2051 में उक्त रकबा में आवंटी का नाम बीरूराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साकिन फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू जो कि आज की जमाबंदी में अंकित है जो सहवन से दर्ज हुये है इसलिए सही नाम दर्ज किया जाना उचित है। उक्त रकबा में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थगन आदेश व वाद–विवाद नहीं है।

वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श) के आधार पर स्वीकार करने निवेदन का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वादपत्र/प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–6) का गहनता से अवलोकन किया और तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उक्त नाम सहवन से गलत दर्ज हुआ है जिसको दुरस्त किया जाना उचित है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 1 गिरदावरी सम्वत् 2032–2035 में अंकित नोट में भी आवंटी का नाम बीरूराम पुत्र जीताराम जाति मीणा साः फोगाबास भरथरी तहः सरदारशहर जिला चुरू अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज बीरुराम पुत्र जीताराम साः फोगाबास भरथरी की जगह बीरुराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साः फोगाबास भरधरी सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम बीरुराम पुत्र जीवणराम जाति मीणा साः फोगाबास भरधरी की जगह बीरुराम पुत्र जीताराम साः फोगाबास भरथरी नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/2020

1. श्रवण राम पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर
2. अन्नाराम पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. हड़मान पुत्र सुगनाराम जाति सांसी निवासी चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. सुशीलादेवी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 24 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

1. लाधूराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहः नोखा हाल चक 22 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मखनसिंह राठौड़ , श्री दिलीपसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी सं0 1 के नाम चक 22 केजेडी का मु0नं0 4/37 के किला 9 ता 16 में 08.00 बीघा कमाण्ड , प्रार्थी सं0 2 के नाम से मुरब्बा नं0 4/37 के किला नं0 1 ता 8 में कुल 08.00 बीघा कमाण्ड, प्रार्थी सं0 3 के नाम से मुरब्बा नं0 4/37 के किला नं0 17 ता 25 में कुल 7.19 बीघा कमाण्ड व प्रार्थी सं0 4 के नाम मुरब्बा 4/36 के किला नं0 16, 22 ता 25 में कुल 05.00 बीघा कमाण्ड भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी–अपनी उक्त कृषि भूमि में आने–जाने के लिए कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी के मुरब्बा सं0 4/44 में कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि तथा उक्त भूमि के किला नं0 21 ता 25 से वर्षो से चालू रास्ता है जो कि वर्तमान में चालू है, जो प्रार्थी सं0 2 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए किला नं0 5 के टच होता है और उसी रास्ते से प्रार्थी सं0 1 ता 3 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए रास्ता मिल जायेगा तथा प्रार्थी सं0 4 को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए उक्त चालू रास्ता किला नं0 25 को टच करता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 4/44 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2/2 बिस्वा इसप्रकार कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी हाजिर अदालत वकालतन या असालतन नहीं आया इसलिए अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला पत्नी भंवरसिंह के नाम चक 22 केजेडी में मु0नं0 4/36 के किला नं0 16, 22 ता 25 कुल 05.00 बीघा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी ने मुरब्बा 4/44 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ते बाबत् आवेदन किया है उसमें मौके पर मु0नं0 4/44 में किला नं0 21 ता 25 में 9/10 फीट का रास्ता मौके पर चल रहा है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उक्त रास्ता काफी समय से चालू स्थिति में है तथा आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त रकबे पर मौके पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं है तथा न ही राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 22 केजेडी के मु0नं0 4/44 के किला नं0 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी सं0 1 उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–80/2022

1. सरबजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासीः 30केवाईडी तहः खाजूवाला।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थीया स्वंय।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– .....**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थीया को ससुर मुख्तारसिंह ने अपनी खातेदारी चक 30 केवाईडी के मु0नं0 218/4 में 08.00 बीघा दिनांक 08.08.19 को उप–पंजीयक खाजूवाला द्वारा दान किया था। जिसको प्रार्थीया का नाम स्पष्ट सरबजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह दर्ज था और वही सही नाम है लेकिन इन्तकाल भरते समय सहवन से सरबजीतकौर पत्नी मलकीयत सिंह कर दिया जो दुरस्त कर दानपत्र अनुसार पति का नाम मलकीतसिंह किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीया के पति का नाम मलकीयत सिंह की जगह मलकीतसिंह करने के आदेश प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीया की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर इन्तकाल, दानपत्र, आधारकार्ड प्रस्तुत किये जिनको क्रमशः प्रदर्श 1,2,3 पढ़ा गया। जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 3 तक शामिल किये गये। तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि इन्तकाल संख्या 236 दर्ज करते समय प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से मलकीतसिंह के स्थान पर मलकीयत सिंह हो गया।

बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श 1–3) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–3) का गहनता से अवलोकन किया। दानपत्र में प्रार्थीया के पति का नाम मलकीतसिंह अंकित है तथा उक्त दानपत्र के इंतकाल संख्या 236 में मलकीयतसिंह अंकित है जो सहवन से दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–3 के आधार पर सही नाम मलकीतसिंह दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मलकीयतसिंह की जगह मलकीतसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–55/15

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

बाबूलाल पुत्र कैशू जाति भील निवासी भदवासिया जिला जोधपुर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री मोहरसिंह लेघा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.12.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 55/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 10/12 को 26.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि जिप्सम के अवैध खनन के रोकथाम बाबत अभियान के दौरान अभियान दल ने चक 15 केएचएम मु0नं0 240/10 किला नं0 1, 2, 23 में खातेदार कैशू पुत्र चौथा जाति भील निवास भदवासिया द्वारा अवैध खनन होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श–1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का पिरणवाली के चक 15 केएचएम के मु0नं0

240/10 के किला नं0 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 1 ता 5 में 5.00 बीघा तारामीरा, 6 ता 14 में 9.00 बीघा में जौ, 17 ता 20 में 4.00 बीघा गेहूँ, 21 ता 24 में 18–18 बिस्वा गेहूँ काश्त है तथा किला नं0 25 में ढ़ाणी में निवास करता है तथा जमाबन्दी में पैन्सिल से आर.ए.ए. बीकानेर का स्थगन का नोट अंकित है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 05.04.22 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि प्रार्थी (अपीलांट) व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 के पिता केशु पुत्र चोथा के नाम से वाके चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 की कुल 24.10 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी व प्रार्थी के सहिस्सेदारान के पिता केशु पुत्र चोथा का निधन 01.01.2003 को हो चुका है। उक्त रकबा के संबंध में हल्का पटवारी की तथ्य की भूल से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 175, 177 आरटीएक्ट के तहत अवैध खनन की कार्यवाही खोलते हुए प्रार्थी के पिता केशु पुत्र चोथा के नाम से एक नोटिस श्रीमान न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं नोटिस जारी होने से पूर्व ही मूल आवंटी केशु पुत्र चोथा का निधन हो चुका था। मृतक के विरूद्ध नोटिस जारी होने के कारण नोटिस विधि अनुसार तामिल नहीं हो सका और श्रीमान न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय द्वारा रकबा को रकबाराज घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.12.2014 को श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई बाबत् श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा तथ्य की भूलवंश ही पूर्व में मूल आवंटी के नाम से दर्ज रकबा में अवैध खनन दर्शाया गया था जबकि उक्त रकबा चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 में कभी अवैध खनन नहीं किया गया था। इसकी पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं फर्द मौका दिनांक 20.02.2020 को रकबा में फसल काश्त दर्शाते हुए अवैध खनन होना नहीं बताया है तथा मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही शुरू से ही शून्य थी इसलिए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2014 में पुनः सुनवाई कर रकबा मृतक केशु पुत्र चोथा के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी (अपीलांट व रेस्पो. सं0 2 ता 7) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय हाजा ने दिनांक 05.04.22 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित अपील सं0 22/2014 में पारित फैसले में सुनवाई करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट 1427 दिनांक 28.12.2011 पर गौर किया, इस रिपोर्ट में वर्णित मु0नं0 240/10 किला नं0 1,2,23 में अवैध खनन होना पाया गया है के आधार पर बाकी किलों में जांच का कोई औचित्य नहीं के कारण धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे विवादित आराजी चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 किला नं0 3 से 22 और 24,25 के राजस्व रिकॉर्ड में एसडीएम खाजूवाला के फैसले प्रकरण सं0 10/2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को कर दिये है तथा किला नं0 1,2,23 के संबंध में तहसीलदार खाजूवाला को पुनः लिखा गया।

तहसीलदार खाजूवाला से पुनः रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई तथा प्रदर्श–2 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 के किला नं0 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 25 में ढ़ाणी बना रखी है। उक्त रकबा मौके पर खाली है पूर्व में फसल कर रखी थी व फसल काट ली गई है। मौके पर मेघाराम व बाबूलाल पुत्र केशुराम भील साकिन 15 केएचएम का ढ़ाणी में निवास है तथा जमाबन्दी में पेंसिल से स्थगन आर.ए.ए./बीका/14/798 दिनांक 09.04.14 का नोट अंकन का अंकन है। इसके अलावा जमाबन्दी रिकॉर्ड में किसी न्यायालय का स्थगन का नोट अंकन नहीं है। किला नं0 1,2,23 में किसीप्रकार का अवैध खनन का मौके पर कोई साक्ष्य नहीं है। मौके पर उक्त किला नं0 1,2,23 खाली है। मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार है:–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   ..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .... जिम्मे प्रतिवादी

राज पैरोकार के साक्ष्य/सबूत रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया था। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने निम्नानुसार निवेदन किया कि:–

1 मूल आवंटी केशु पुत्र चोथा का निधन उक्त प्रकरण की कार्यवाही शुरु करने से पूर्व ही दिनांक 01.01.2003 को हो गया था। इसलिए मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही शुरु से ही शून्य थी और मृतक के वारिसान जिसमें प्रार्थी एवं सहिस्सेदारान रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 को बिना उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित फरमाया गया है।

2 दावे में बताया गया है कि अवैध खनन बाबत् अभियान के दौरान उक्त मुरब्बे में अवैध खनन होता पाया गया था, यदि अवैध खनन होता पाया गया था तो तत्समय अवैध खनन एवं खननकर्ता के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई। खनन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाई रिपोर्ट दावे के साथ संलग्न नहीं है और ना अवैध खनन के पुख्ता सबूत संबंधी कोई फोटोग्राफ लगाये गये है और ना ही मौका फर्द संलग्न किया है। इससे यह साबित होता है कि तत्समय पटवारी हल्का द्वारा भूलवश अथवा दुराग्रह ग्रसित होकर उक्त मुरब्बे में अवैध खनन की रिपोर्ट की गई थी जिसके

आधार पर तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अप्रार्थी विरूद्ध किया गया दावा खारिज योग्य है।

3 तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/269 दिनांक 12.04.2022 से भी स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि चक 15 केएचएम मु0नं0 240/10 के किला नं0 पर किलानं0 25 में ढ़ाणी बना रखी है। उक्त रकबा मौके पर खाली है पूर्व मे फसल काश्त कर रखी थी व फसल काट ली गई है। मौके पर मेघाराम व बाबूलाल पुत्र केशुराम जाति भील निवासी 15 केएचएम का ढाणी में निवास है तथा किला नं0 1 ,2,23 में किसी प्रकार अवैध खनन का मौके पर कोई साक्ष्य नहीं है और मौके पर उक्त किलानं0 1,2,23 खाली है।

4 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रामप्यारी व अन्य बनाम स्टेट में पारित निर्णय आरआरटी 2021(2) 1292 का हवाला देकर निवेदन किया कि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा बिना किसी जाँच के जो दावा पेश किया है जो तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 से साबित होता है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पैरोकार को वाद प्रस्तुत करने हेतु हैतुक भी प्राप्त नहीं था और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैसे फोटाग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा , मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 03.03.2020 व 12.04.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष

पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 03.03.2020 व 12.04.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 28.12.11 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1,2 साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 55/15 सरकार बनाम बाबूलाल खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली की फर्द अहकाम आदेशिका दिनांक 05.04.22 को चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 के किला नं0 3 ता 22, 24, 25 में फैसले प्रकरण सं0 10/2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश कर दिये गये है तथा इसके अलावा शेष किला नं0 1,2,23 के राजस्व रिकॉर्ड में एसडीएम खाजूवाला के फैसले प्रकरण सं0 10/2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–98/2021

मलकीतसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 15 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर हाल आबाद 14 ए.पी.डी. (ए) कमरानिया तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... वादी

बनाम

1. गोदावरी देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री सुमेरमल स्वामी विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

उक्त वादपत्र वादी की ओर अधिवक्ता सुमेरमल स्वामी ने अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट के तहत् प्रस्तुत किया है वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि वादी की खाजूवाला तहसील के चक 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नं0 36/26 के किला नं0 18/2 में 0.1012 हैक्टर, 19/2 में 0.0632 हैक्टर, 20/4 में 0.0126 हैक्टर, 21/2 में 0.2276 हैक्टर, 22 में 0.2529 हैक्टर कुल 0.6575 हैक्टर खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 की खाजूवाला के क 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नं0 36/27 के किला नं0 1, 4 ता 7, 10, 11, 15, 16, 21, 25 में कुल 2.9083 हैक्टर खातेदारी भूमि है। वादी के मुरब्बा नं0 36/26 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानशुदा सरकारी रास्ता है, जो भारतमाला सड़क को क्रॉस करते हुए आगे जाता है। प्रतिवादी सं0 1 ने मुरब्बा नं0 36/27 के किला नं0 1 जिप्सम की फैक्ट्री लगी रखी है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादी की गैर मौजूदगी में वादी की भूमि के किला नं0 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा अलग से किला नं0 21 में किला नं0 22 के चिपते, जिप्सम फैक्ट्री में आने जाने का रास्ता बना लिया व किला नं0 21 में फैक्ट्री का विद्युत ट्रांसफार्मर लगवा लिया है, और किला नं0 22 में जिप्सम फैक्ट्री में जलाने के लिए सरसों का पल्लर (कचरा) डाल रखा है।

वादी ने वादपत्र में निवेदन किया है कि मु0नं036/26 के किला नं0 21 मे किला नं0 22 के चिपता, नाजायज रास्ता का उपयोग नहीं करें एवं किला नं0 21 प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बनाये रास्ते को बन्द किया जावे, प्रतिवादी सं0 1 के मुरब्बा नं0 36/27 के किला नं0 1 मे लगाई जिप्सम फैक्ट्री के लिए वादी के मुरब्बा नं0 36/26 के किला नं0 21 में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाकर प्रतिवादी सं0 1 अपनी भूमि मु0नं0 36/27 के किला नं0 1 में अपने खर्चा से लगवाए, प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि मुरब्बा नु0 36/26 के किल नं0 22 में सरसों का पल्लर डाला हुआ है, उसको हटाया जावे की इस्तदुआ चाही है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 24.9.21 को प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तलवी उपस्थित नहीं आने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 1836 दिनांक 24.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो मूल ही तहसीलदार खाजूवाला को भेजकर पुनः विस्तृत रिपोर्ट नक्शा सहित चाही गई कि मु0नं0 36/26 के किला नं0 21/2, 22 की हद भारतमाला सड़क के केन्द्रबिन्दु से कितनी दूरी पर है, और गोदावरी देवी द्वारा कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 249 दिनांक 14.03.2022 को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई। नक्शा रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 व 14.3.22 के मुताबिक भारतमाला सड़क के दक्षिण तरफ, किला नं0 21/2 की पूर्वी सीमा सड़क के मध्य से 148 फीट तथा पश्चिमी सीमा सड़क के मध्य से 129 फीट की दूरी तक है। इसी तरह किला नं0 22, मध्य से 184 फीट तक है तथा मु0नं0 36/27 के काश्तकार गोदावरीदेवी पत्नी किशनलाल द्वारा किला नं0 21/2 में 7X8 फीट जगह में विद्युत ट्रांसफार्मर बनाकर कब्जा किया हुआ है। मु0नं0 36/27 के किला नं0 1 में पहुॅचने के लिए किला नं0 21/2 में से होकर रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अलावा किला नं0 21/2 व 22 खाली है।

अदालत द्वारा दिनांक 24.3.22 को उपरोक्त रिपोर्ट व वादपत्र के तथ्यों पर गौर करने के बाद समाधान हुआ कि गोदावरी देवी द्वारा चक 9 पीआरएम के मु0नं0 36/26 के किला नं0 21/2 में विद्युत ट्रांसफार्मर बनवाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। वादी का यह भी कथन है कि किला नं0 22 में भी सरसों का पल्लर डालकर अवैध कब्जा किया गया है, तो अदालत ने दिनांक 24.3.22 को धारा 183 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादी सं0 को आदेश दिये कि 15 दिवस में किला नं0 21/2 में बनाए गए अवैद्य ट्रांसफार्मर को हटा लें नहीं तो ट्रांसफार्मर बिजली विभाग के जरिये हटवा दिया जाएगा तथा प्रतिवादी सं0 1 को पाबंद किया कि किला नं0 21/2 व 22 में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें व हदें उपर स्पष्ट है। प्रतिवादी सं0 1 को जरिए पटवारी आदेश की प्रति Serve करवाई जाए।

अधिवक्ता वादी द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही यह भी निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश के बावजूद प्रतिवादी सं0 1 ने आदेश दिनांक 24.3.22 की भी पालना नहीं की है तथा जानबूझकर अदालत में हाजिर नहीं आ रहा है। अपने वादपत्र को साबित करने के पक्ष में तहसीलदार नक्शा रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 व 14.3.22 को साक्ष्य/सबूत के तौर मानते हुवे प्रदर्श के रूप पढ़ा जाकर वादपत्र स्वीकार का निवेदन किया। अतः तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 14.3.22, नक्शा दिनांक 14.3.22 व रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 को क्रमशः प्रदर्श 1–3 पढ़ा गया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार खाजूवाला दिनांक 24.01.2022 व 14.3.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी द्वारा चाहा गया निम्नलिखित बिन्दुवार अनुतोष है :–

1. प्रतिवादी सं0 1 वादी के मु0नं0 36/26 के किला नं0 21 स्वीकृत रास्ता से आना जाना करें और किला नं0 21 में किला नं0 22 के चिपता, नाजायज रास्ता का उपयोग नहीं करें एवं उक्त नाजायज रास्ता को बन्द करें।
2. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि मु0नं0 36/26 के किला नं0 21 में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर हटाया जावें।
3. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि मु0नं0 36/26 के किला नं0 22 में जा सरसों का पल्लर डाला हुआ है, उसको वादी के किला नं0 22 से हटाया जावे।

उपरोक्त तीनों बिन्दु में चाहे गये अनुतोष तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–3 के आधार पर वादपत्र स्वीकार करते हुवे अनुतोष दिलाया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं0 1 को आदेश दिया जाता है कि वह (प्रतिवादी सं0 1) वादी के किला नं0 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा नाजायज बनाए रास्ते का उपयोग नहीं करें साथ ही इस नाजायज रास्ते को बंद करें, वह (प्रतिवादी सं0 1) वादी के कृषि भूमि के किला नं0 21 में लगाए उपरोक्त वर्णित ट्रांसफार्मर को 15 दिवस में हटा लेवें, उसके(प्रतिवादी सं0 1) द्वारा यदि वादी के किला नं0 22 वर्तमान में उपरोक्त वर्णित सरसों का पल्लर डाला हुआ है तो उसे हटा लेवें। तहसीलदार उक्त आदेश की पालना करवावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–137/2021

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

:निर्णयः **दिनांक 28.6.2021**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 का मूलदावा में प्रस्तुत जवाब को ही इस पत्रावली का जवाब समझा जावे ऐसा निवेदन अधिवक्ता द्वारा किया गया। न्यायहित में उक्त जवाब को इस पत्रावली में स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 1 पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया मूलदावा के निर्णय तक इस पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे। अतः पत्रावली के अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.9.21 को मूलदावे की निर्णय तक ताःफैसला स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलदावे के साथ संलग्न हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
खाजूवाला ब इजलास.....श्योराम आरएएस.....
मुख्त्यारकौर बनाम सुरजीतकौर वगैरह

दावा.....वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट मु0नं0 110/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु.....हमारे.....ब हाजरी..... रामकुमार तेतरवाल.....मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के शेष पुश्त पर अंकित.....नीज..... मुबलिक.....बाबत् .....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याची तक..... .....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तरान व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2022

दस्तखत.....

...

मोहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
खाजूवाला

मुदई	रुपया	नं.पं.	मुदायला	रुपया	नं.पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहन	—	—
खर्चा गवाहन	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत इजराय हुक्म नामा	—	—
बाबत इजराय हुक्म नामा	—	—	मुत्फरिक	—	—
मिजान	—		मिजान	—	—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 32/2021

1. अजमत पुत्री श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी 2 बीआरडब्ल्यूएम हाल आबाद चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीया

बनाम

1. कालू खां पुत्र श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भुरे खां पुत्र श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मुन्नी पुत्री श्यारे खां पत्नी मुसे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह तंवर अधिवक्ता वादीया की ओर से।
2. श्री ईमीचन्द गोदारा, ईमाम खां दईया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 07.07.2022

यह वादपत्र वादीया की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता स्व0 श्री श्यारे खां के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/55 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18 कमाण्ड व किला नं0 22 ता 25 अनकमाण्ड कुल 14.00 बीघा क./अ.क. व चक 2 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/56 के किला नं0 2, 3 अनकमाण्ड 4, 5 कमाण्ड कुल 4.00 बीघा क./अ.क. व मु0 नं0 121/63 के किला नं0 1, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड व मु0 नं0 121/64 के किला नं0 1 कमाण्ड इस प्रकार कुल 30. 00 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड में खातेदार दर्ज थी। जिसमें से 24.00 बीघा कमाण्ड व 6.00 बीघा अनकमाण्ड है। वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता की मृत्यु दिनांक 19.12.2016 को होने एवं माता की मृत्यु होने के बाद विरास्तन इंतकाल संयुक्त रूप से चार भाई–बहन वादीया स्वयं व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुआ।

उपरोक्त भूमि सभी संयुक्त रूप से हिस्से ठेके पर देते आ रहे थे। 2020 में सभी ने उपरोक्त भूमि को भूरे खां को काश्त करने हेतु दे दी तो उसने मुझ वादिया को मेरे पिछले वर्ष के ठेके हिस्से के रूपये नहीं दिये व ना ही खरीफ व रबी की फसल के पैदावार का कोई हिस्सा दिया तथा वह वादिया को दिनांक 03.03.2021 को धमकाने लगा कि तुम इस जमीन में क्या मांगते हो अगर तुम्हे हक हिस्सा लेना है तो तुम अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा लो व लगान अलग–अलग से अदा करो वरना मैं इस भूमि को तुम्हारी जगह किसी अन्य औरत को खड़ी करके व फोटो चस्पा करके आगे मेरे नाम से रिलिज डिड व गिफ्ट डिड करवा लूंगा, बाद में तुमको जो करना है सो कर लेना। अतः वादिया द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की पुश्तेनी भूमि है। हम सभी संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर बाई बर्थ अधिकार रखते हैं तथा हमारा जन्म से ही (प्रत्येक व्यक्ति का) इस भूमि पर हक एवं हिस्सा निहित है। तथा राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि हम चारों भाई–बहनों के नाम से दर्ज है। इस कारण वादिया उक्त भूमि में अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा करवाने की अधीकारी है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का भी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीया ने अपने 1/4 हिस्सा यानि कि 7.10 बीघा भूमि को खाता विभाजन कर अलग से अपना नाम दर्ज करवाकर लगान अदा करने हेतु निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस जारी होने पर दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईमाम खां दईया व इमीचन्द गोदारा द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 30.06.2022 को पेश किया गया कि हमारे संयुक्त खाते की उपरोक्त कृषि भूमि तह0 खाजूवाला के चक 1 बीआरडब्ल्यूएम का मुरब्बा नं0 121/55 की 14.00 बीघा यानि 3. 5406 है0 , चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (ए) पटवार हल्का कुण्डल का मु0न0 121/56 की 4.00 बीघा यानि .5058 है0, मुरब्बा नं0 121/63 की 11.00 बीघा यानि की 2.7819 है0, मुरब्बा नं0 121/64 का किला नं0 1 में 1.00 बीघा यानि 0.2529 है0 कुल चारों मुरब्बों में 30.00 बीघा यानि 7.0587 है0 कृषि भूमि हम सभी सहिस्सेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है उसमें मुताबिक घरेलु समझोते व बंटवारे में वादीया के हिस्से में चक 1 बीआरडब्ल्यूएम मुरब्बा नं0 121/55 का किला नं0 4, 7, 13, 16 ता 18 कुल 6.00 बीघा यानि 1.5174 है0 कमाण्ड, किला 22 की 1.00 बीघा अनकमाण्ड यानि 0.2529 है0 अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 7.00 बीघा यानि 1.7703 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड अपने नाम से खाताविभाजन करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अलग से इन्द्राज करवाती है व अलग लगान अदा करती है तो हमकों कोई उज्र व ऐतराज नहीं । बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श) पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब अनुसार स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद वादपत्र के कथनों व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/55 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18 कमाण्ड व किला नं0 22 ता 25 अनकमाण्ड कुल 14.00 बीघा क./अ.क. व चक 2 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/56 के किला नं0 2, 3 अनकमाण्ड 4, 5 कमाण्ड कुल 4.00 बीघा क./अ. क. व मु0 नं0 121/63 के किला नं0 1, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड व मु0 नं0 121/64 के किला नं0 1 कमाण्ड इस प्रकार कुल 30.00 बीघा क. /अ.क. यानि 7.0587 है0 कृषि भूमि में से वादीया के हिस्सा की भूमि चक 1 बीआरडब्ल्यूएम मुरब्बा नं0 121/55 का किला नं0 4, 7, 13, 16 ता 18 कुल 6.00 बीघा यानि 1.5174 है0 कमाण्ड, किला 22 की 1.00 बीघा अनकमाण्ड यानि 0.2529 है0 अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 7.00 बीघा यानि 1.7703 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 164/2021

1. विक्रमसिंह पुत्र शीशपाल सिंह जाति जाट निवासी खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति नायक निः 13 एमडी तहः अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. खींयाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति नायक निः 13 एमडी तहः खाजूवाला जिला श्रीगंगानगर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 05.07.2022

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 26 केएनडी का मुरब्बा नंबर 132/42 के किला नं0 22 ता 25 की 4.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नं0 132/42 के किला नं0 21 में रास्ता चाहा गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद दिनांक 03.11.2021 व 02.03.2022 को अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस पक्ष रखने हेतु भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी हाजिर अदालत वकालतन या असालतन नहीं आये। इसके उपरान्त तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 26 केएनडी (बी) के मु0नं0 132/42 के किला नं0 1 ता 10, 11/2, 15/2, 20/2, 21/2 पर 2.6553 है0 कमाण्ड ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण जाति नायक निः चक 13 एमडी तहसील अनुपगढ़ जिला गंगानगर व इसी मुरब्बा के किला नं0 11/1, 12 ता 14, 15/1 16 ता 19, 20/1 21/1 पर 2.6556 कमाण्ड है0 भूमि खींयाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति नायक निः चक 13 एमडी तहसील अनुपगढ़ जिला गंगानगर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मु0नं0 132/42 किला नं0 22 ता 25 विक्रमसिंह पुत्र शीशपालसिंह जाति जाट निः खाजूवाला खातेदार रहन एसबीआई शाखा उदासर के नाम दर्ज है। मु0नं0 132/42 के हिस्से चक 27 केएनडी के मुरब्बा नं0 132/43, 44, 45, 46 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 पर रिकॉर्ड अनुसार रास्ता कटाण है। उक्त रकबा में जाने के लिए चालू रास्ता चल रहा है। मु0नं0 132/42 के किला नं0 22 ता 25 के लिए रास्ता मु0नं0 132/42 के किला नं0 21 से होकर जाना पड़ता है। उक्त रकबा किला नं0 21 में कटाण नहीं है तो प्रार्थी 2 बिस्वा रास्ता कटाण करवाना चाहता है और अन्य से कोई वैकल्पिक निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है।

अदालत द्वारा अप्रार्थी के हाजिर नहीं आने कारण व तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो (प्रदर्श) पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 132/42 के किला नंबर 21 में से नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी को वर्तमान में किला नंबर 21 में से होकर जाना पड़ता है व कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 26 केएनडी (बी) के मुरब्बा नंबर 132/42 के किला नंबर 21 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ 16.5 फिट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–131/2021

1. रिछपाल पुत्र साहबराम जाति जाट निः 4 जी छोटी, श्रीगंगानगर हाल 10 केएचएम खाजूवाला।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– 08.07.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाति जाट निवासी 4 जी छोटी श्रीगंगानगर के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78/7 के किला नं0 6, 11, 15 ता 19, 20, 25 की कुल 9.00 बीघा व मुरब्बा नं0 58/63 के किला नं0 12 ता 15 की 4.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 13.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खरीदशुदा है उक्त भूमि की खातेदारी व इन्तकाल सं0 44 में भी उक्त समस्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम है। हल्का पटवारी द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त करते समय प्रार्थी के मुरब्बा नं0 नं0 78/7 के किला नं0 11 को हांकमखां के नाम से त्रुटि से दर्ज कर दिया और तब से उसी के नाम से चला आ रहा है जबकि किला नं0 11 प्रार्थी का है तथा पहले प्रार्थी के नाम से ही था। रिकॉर्ड के संधारण करते समय किला नं0 11 को दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि चक 10 केएचएम के मु0नं0 78/7 के किला नं0 11 के नाम को दुरुस्त कर प्रार्थी के पिता साहबराम के नाम से दर्ज किया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु नोटिस जरिये रजि0ए0डी0 दिनांक 25.03.2022 भिजवाने पर अप्रार्थी ने सहमति बाबत्

प्रार्थनापत्र दिनांक 11.04.2022 पेश किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर खातेदारी सनद प्रति, इन्तकाल बैयनामा का, गिरदावरी सम्वत् 2056, गिरदावरी सम्वत् 2060, तहसीलदार रिपोर्ट, सहमति प्रार्थना पत्र हाकमखां प्रस्तुत किये जिनको क्रमशः प्रदर्श 1 ता 6 पढ़ा गया। जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 6 तक शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि बैयनामा इन्तकाल संख्या 44 से किला नं0 11 साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट दर्ज हुआ पटवारी रिपोर्ट अनुसार सम्वत् 2056–59 गिरदावरी में किला नं0 11 साहबराम के नाम दर्ज रहा संलग्न गिरदावरी सम्वत् 2060 में मु0नं0 78/7 के किला नं0 11 हाकमखां के नाम दर्ज हो गया व सम्वत् 2060 से वर्तमान में यह रकबा हाकम खां के नाम दर्ज है। उक्त त्रुटि उपनिवेशन विभाग के समय की है तथा आधार जमाबंदी बनने से पहले की है।

बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श 1–6) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–6) का गहनता से अवलोकन किया। चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78/7 के किला नं0 11 प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम की जगह अप्रार्थी हाकमखां का नाम सहवन से दर्ज किया प्रतीत होता है जो लिपिकीय त्रुटि है। इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–6 के आधार पर किला नं0 11 साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में चक 10 केएचएम के मुरब्बा नं0 78/7 के किला नं0 11 अप्रार्थी हाकमखां की जगह प्रार्थी के पिता साहबराम पुत्र गुरदयालराम जाट के नाम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

क्रमांक/एसडीओ/खाजू/राजस्व/22/ दिनांक

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प 40 केवाईडी तहः खाजूवाला सरपंच ग्राम पंचायत 40 केवाईडी के साथ उपस्थित होकर प्रार्थीगण सुशील कुमार वगैरह ने निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण 2, 3, 5, 6 बीजीएम व चक 1—2 एएलएम के काश्तकार गण है। जो हमारे चको में आने—जाने हेतु चक 2 बीजीएम के मु0नं0 183/23, 24, 32 ,40 में चालू रास्ता है व वर्तमान में उक्त रास्ता से काश्तकार आना—जाना करते है। उक्त रास्तों के खातेदार रास्ता कायम करवाने हेतु सहमति देने को तैयार है इसलिए हम काश्तकार उक्त रास्ते राजस्व रिकॉर्ड कटान करवाकर अंकन करवाना चाहते है।

पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई उक्त रिपोर्ट में रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन से जनउपयोगी है के संबंध में विस्तृत खुलासा रिपोर्ट नहीं की गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप शिवर में सरपंच ग्राम पंचायत 40 केवाईडी ने पुनः चक 2 बीजीएम के मु0नं0 183/23 के किला नं0 1, 10, 11, 20,21 व 183/24, के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/32 के किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/40 के किला नं0 21 ता 24 में चल रहे आम रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव सर्वसहमति ग्राम पंचायत पेश कर निवेदन किया कि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाये जावे।

तहसीलदार खाजूवाला से निम्न बिन्दुओं पर पुनः रिपोर्ट ली गई कि 1. क्या रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है? 2. न्यायालय स्थगन की अद्यतन रिपोर्ट के संबंध में। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/371 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त जिसके अनुसार चक 2 बीजीएम के मु0नं0 163/54 किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में 1.00 बीघा अलदीन से भागू रोड़ है व मु0नं0 163/62, 183/06, 183/14, 183/22 प्रत्येक में किला नं0 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा पगडंडिया तथा रास्ते कटान मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 2 बीजीएम मु0नं0 183/23 किला नं0 21 ता 25 सुशील पुत्र लाधूराम जाति जाट के नाम दर्ज है। चक 1 एएलएम मु0नं0 183/24 किला नं0 1 ता 25 व 183/22 किला नं0 21 ता 25 व 183/40 किला नं0 183/23 किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 व 183/24 किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 व 183/32 में किला नं0 21 ता 25 में 2—2 बिस्वा व मु0नं0 183/40 किला नं0 21 ता 23, 24 में 14 बिस्वा में आम रास्ता चल रहा है इसके आगे बीजीएम माईनर है।

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त मुरब्बों पर कोई स्थगन आदेश व मौके पर कोई विवाद नहीं है। नजरी नक्शा संलग्न है।

चक 2 बीजीएम के मुरब्बा नं0 183/23 के खातेदार सुशील कुमार पुत्र लाधूराम जाट निवासी 2 बीजीएम खाजूवाला की किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में वर्तमान उक्त रास्ता चालू है व कटान हेतु सहमति देता हूँ का सहमति पत्र दिनांक 01.11.21 शामिल मिसल है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट (पटवार हल्का रिपोर्ट) चक 1 एएलएम के मुरब्बा नं0 183/24 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 183/32 किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 183/40 के किला नं0 1 ता 23, 24/0.14 बिस्वा उक्त तीनों मुरब्बे मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अराजीराज दर्ज है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने व अप्रार्थी सुशीलकुमार पुत्र लाधूराम का सहमति पत्र आ जाने के बाद तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि चक 2 बीजीएम के मु0नं0 183/23 के किला नं0 1, 10, 11, 20,21 व 183/24, के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/32 के किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/40 के किला नं0 21 ता 24 स्थायी सार्वजनिक रास्ता रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 2 बीजीएम के मु0नं0 183/23 के किला नं0 1, 10, 11, 20,21 व 183/24, के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 व किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/32 के किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 183/40 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2022

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. इमानती देवी पुत्र पत्नि स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. सुमित्रा पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. शकिला पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. प्रियंका पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 4746, सितोगुन्नो ब्लॉक व तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब–152116 (आधार नं. 4561 2066 1058)
2. प्रमिला देवी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 29 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हंसराज देहडू वगैरह अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक 11.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी चक 54 एल..एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने तहसील खाजूवाला के चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं. 95/24 व 96/33 की कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा उक्त भूमि खरीद के बाद प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. का ही कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। उक्त भूमि खरीद सन् 1992 के बाद जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. कभी कभार आते व सार संभाल कर वापिस गांव चले जाते तथा जब भी आते तो एक मकान बनाया हुआ था। जिसमें भूमि से संबंधित कागजात रखे हुए थे। प्रार्थीगण के पति/पिता जगदीश का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2020 को हो गया तो प्रार्थी सं0 1 ने मुताबिक वैधानिक प्रक्रिया तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष उपस्थित होकर विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आवेदन पेश किया तो उक्त आवेदन जाँच हेतु पत्र क्रमांक त.खा./भू.अ./21/10714 दिनांक 01.10.2021 को तहसीलदार पदमपुर को भेजा गया जिन्होने 54 एल.एन.पी. पटवार हल्का पटवारी से वारिसान की जाँच पुष्टि करवाई व वापिस तहसीलदार खाजूवाला को आवेदन दिये थे। जो कि पटवारी हल्का के पास जैरकार है। प्रार्थना पत्र मय पुष्टि मय आदेश संलग्न वाद पत्र है।

प्रार्थीगण के नाम से विरासतन नामान्तरणकरण जैरकार रहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 जो बहुत शातिर व्यक्ति है तथा वह पंजाब आंतकवाद के समय फरारी काटने हेतु चक 20 बी. डी. में अस्थाई निवास करने आया हुआ था। जिसने प्रार्थीगण की उक्त वादगत भूमि कुछ समय हिस्सा पांति पर काश्त करने हेतु ले रखी थी व प्रार्थीगण के पति/पिता के यहां नही रहने के कारण पिछे से मिलते जुलते नाम होने के कारण भूमि अपनी बताने लगा तो प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने अप्रार्थी सं0 1 से अपनी भूमि काश्त करने से छुड़ा ली तथा फिर अप्रार्थी सं0 1 वापिस अपने मूल गांव पंजाब चला गया परन्तु कुछ समय बाद वापिस आया तथा यहां भूमि खरीद करने का प्रयास करने लगा परन्तु उक्त क्षेत्र आई.जी. एन.पी. का है तथा उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बनाए नियमों के तहत राजस्थान राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का मूल निवासी यहां इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि खरीद नहीं कर सकता है तथा उक्त नियमों के तहत इस क्षेत्र में भूमि खरीद के समय 20 वर्ष पूर्व से ही राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र देना होता है तथा राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 कानूनन कृषि भूमि खरीद के अयोग्य है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने सन् 2000 से ही अस्वस्थ होने व प्रार्थीगण नाबालिग व औरत जात होने के कारण अपनी उक्त वादगत भूमि पर सार संभाल करने में मजबूरी आने लगी तो प्रार्थीगण चक में ही अन्य काश्तकारों को अपनी उक्त भूमि हिस्सा पांती ठेका पर काश्त करवाने दे जाते तो पिछे अप्रार्थी सं0 1 भी कभी कभार आता व उसने मौका पाकर खेत वादगत में बने मकानों के रखे असल दस्तावेज यथा बैयनामा मूल किसी समय धोखे से अपने साथ ले गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हुई है। अब प्रार्थीगण के पति/पिता का स्वर्गवास होने पर किसी जानकार द्वारा बताने पर प्रार्थीगण को मालूम हुआ है। जिसकी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 को उक्त वादगत भूमि दिनांक 07.04.2022 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी है जबकि वह वादगत भूमि का मालिक नहीं है तथा उसने प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का प्रतिरूपण कर कूटरचित बैयनामा निष्पादित करवाया है अप्रार्थी सं0 2 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। प्रार्थीगण के हको के मुकाबले बातिल, बेअसर व शून्य दस्तावेज है। जिसे प्रार्थीगण अपने हको के मुकाबले शून्य, अकृत, बातिल, बेअसर घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। इस प्रकार मामला प्रथमदृष्ट्या बनता है। अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा के आधार पर बैयनामा में वर्णित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है। प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का शाश्वत व्यादेश पाने के अधिकारी व दावेदार है कि चुनौतिधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि को किसी भी कदर रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करें, ना ही प्रार्थीगण को अन्य दिगर तरीके से बेदखल करे या करावे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी जावे कि अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं0 95/24, 96/33 की कुल 15.00 बीघा कृषि भूमि का 4/5 हिस्सा से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक, हकूको व फसली लाभो पर विपरीत असर पड़े तथा दौराने वाद भूमि रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें या करावे तथा दौराने वाद यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त दावा में जो अनुतोष चाहा है उसका दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है जिसकी आगामी दिनांक 16.07.2022 है। उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा अप्रार्थी सं.1 खरीद दिनांक से लगातार कब्जा काश्त करता आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा उक्त कृषि भमि खरीद करने के बाद आज दिनांक तक अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 2 सदभावी क्रेता है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम व पता प्रार्थीगण के पिता/पति से मिलते–जुलते होने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ जाने की गरज से झुठे तथ्यों से दावा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध झुठा व बेबुनियाद लाछन लगाया है जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 अलग से प्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायेगा। प्रार्थीगण द्वारा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई ना ही कागजात की गुमशुदगी रपट दर्ज हुई है। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथ प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2019 में अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना खाजूवाला में एक एफ. आई. आर. नं. 142/2019 दर्ज करवाई गई थी उक्त मुकदमा दर्ज के समय प्रार्थीगण के पिता/ पति जीवित था तथा जिसके ब्यान उक्त मुकदमा में लिये गये थे अपने बयानों में प्रार्थीगण के पिता/ पति ने जमीन खरीदने से इन्कार किया है तथा जमीन उसकी होने से भी मना किया है। तथा प्रार्थी सुरेश द्वारा लालच वश उक्त कार्यवाही करने की बात बयानों में अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 ने सन् 1992/1999 में उक्त भूमि कृषि चक 20 बी.डी. का मु0नं0 95/24, 96/33 के कुल 15.10 बीघा खरीद की थी उस समय आधार कार्ड का कोई असतित्व ही नहीं था। तथा अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूमि का कब्जा भी अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त किया है व आज दिनांक तक कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 के पास है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकन दर्ज करवाने पर प्रार्थीगण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तथा झुठे व बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है तथा कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 का होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है व प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति भी नहीं हो रही है। वादगत कृषि भूमि का दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है इसलिए प्रार्थना पत्र रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं.1 के द्वारा चक 20 बीडी तह. खाजूवाला के मु0 न0 96/33 के किला नं0 17 ता 25 में 9.00 बीघा रामूदान पुत्र श्री करणीदान चारण से सन् 1992 में जरिये बैयनामा व मु0न0 95/24 के किला नं0 6 ता9, 11 ता 13 में कुल 6.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपने सगे भाई शंकरलाल पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई नि. रिडमलसर से सन् 1999 में जरिये बैयनामा खरीद की थी। खरीद के दिन से लगातार अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रही तथा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम बैयनामा करवाने की दिनांक से आज तक उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 2 का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है केवल अप्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जिसकी सच्चाई प्रार्थीगण द्वारा करवाई गई एफ.आई.आर नं0 142/2019 पुलिस थाना खाजूवाला की जांच से चल रही है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति ने स्वयं अपने ब्यान लेखबद्ध करवाये है तथा उक्त वादगत भूमि अपनी होने से इन्कार किया है। अप्रार्थी सं. 1

की पेाती खुशी द्वारा खुशी बनाम जगदीश वगै0 सन् 2016 में श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 09.04.2021 को प्रार्थी सं0 1 सुरेश के द्वारा अधिवक्ता सुभाष धारणिया के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् वारिसो को पक्षकार बनाये जाने का पेश किया तथा श्रीमान जी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा दिनांक 14.09.2021 को सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुवे प्रार्थी सं. 1 सुरेश के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थी के पिता/ पति को उक्त वादगत भूमि का वास्तविक मालिक नहीं मानते हुए अप्रार्थी सं01 के पक्ष में आदेश पारित किया। चूंकि यदि प्रार्थीगण उक्त वादगत भूमि के हकदार/ वारिस होते तो इनके द्वारा उक्त फैसला दिनांक 14.09.2021 के विरूद्ध अपील रिविजन की जाती जबकि प्रार्थीगण के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.05.2022 को न्यायालय सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमे श्रीमान सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तरिम स्टे को खारिज कर दिया तथा उस दावा में प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र के खारिज होने की कोई जानकारी अंकित नहीं की तथा सिविल न्यायालय में जब प्रार्थीगण को स्थगन आदेश नहीं मिला तो प्रार्थीगण ने पुनः तथ्य छुपाते हुवे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जो कि खारिज योग्य है प्रार्थी गण के द्वारा उक्त दावा व प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी सं0 1 के भूमि को येन–केन लालचवश हड़प करने की नियत से पेश किया गया है जबकि सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र जैरकार है जिसमें तारीख पेशी 16.07.2022 है। एक ही विषय वस्तु का दावा भिन्न–भिन्न न्यायालयों में एक ही पक्षकार के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता ना ही न्यायालय सुनवाई कर सकता है रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि पर के.सी.सी. ऋण एस.बी.आई. बैंक से लिया गया था। बैंक अधिकारी द्वारा समस्त दस्जावेजो व कब्जा–मौका की जांच पड़ताल करने के बाद ही के.सी.सी. ऋण स्वीकृत किया जाता है इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा नाही कोई लेना–देना है प्रार्थीगण के द्वारा पेश दावा व प्रार्थना पत्र पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगुठे भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी सं0 1 के अतिरिक्त अन्य पक्षकारो द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है प्रार्थी सं0 1 सुरेश द्वारा ही लालचवश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन आदि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है ना ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि इसके विपरित अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 को अपूर्णीय क्षति है तथा सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्ट्या मामला भी अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 28.6.2022 को लिखित बहस पेश की प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अभी तक वादपत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ना ही उक्त दावा के क्षेत्राधिकार या श्रवणाधिकार बाबत् कोई एतराज प्रस्तुत किया हुआ है केवल मात्र धारा 212 आरटीएक्ट का जवाब प्रस्तुत कर स्थगन आदेश वेकेन्ट करवाना चाहते है जो कि 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र वादपत्र

का एक अभिन्न भाग है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादगत भूमि खुर्द बुर्द, रहन, बैय, हस्तान्तरण का अंदेशा है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दू हैः– प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन। 1. प्रथमदृष्ट्याः– वादगत भूमि वादी के पिता जगदीश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तहः पदमपुर के नाम सन् 1992 में जरिये बैयनामा खरीद होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि जगदीशचन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी सितो गुन्नो तहः अबोहर पंजाब का मूल निवासी है। राज0 काश्तकारी अधिनियम अनुसार राजस्थान के अतिरिक्त किसी राज्य का मूल निवासी आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कृषि भूमि नहीं खरीद कर सकता है तो विक्रय भी नहीं कर सकता है। वादपत्र दिनांक 07.04.2022 को करवाये बैयनामा को नल एण्ड वॉइड घोषित करवाने का है जमाबंदी में नाम व प्रतिवादी नं0 1 का नाम भिन्न भिन्न है फिर भी बैयनामा करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है प्रतिवादी सं0 1 ने दो आधार कार्ड प्राप्त कर रखे है प्रार्थी ने दोनों प्रतियां पेश की है। पंजाब के सितो गुन्नो गांव में प्रतिवादी सं. 1 पत्नी व एक पुत्र सहित निवास करता है पत्नी भगवन्ती व दोनों के पास बुक्स की प्रतियां भी प्रार्थी ने पेश की है साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र अरविन्द का मृत्यु प्रमाणपत्र जो सितो गुन्नो पंजाब से बना है, उसकी पत्नी द्वारा वारिस तस्दीक करवाने का प्रार्थनापत्र जो सितो गुन्नो तहसील में पेश कर जारी करवाया कि प्रति भी पेश की है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने अपने दूसरे पुत्र को सितोगुन्नो गांव की भूमि हस्तान्तरित की जो 11.05.2015 को की है जिसपर प्रतिवादी सं0 1 के हस्ताक्षर है कि प्रति भी प्रार्थी ने पेशी की है उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट है कि कि जगदीश चन्द्र की सितो गुन्नो पंजाब में चल अचल सम्पति है व वहां का वह मूल निवासी है तो पंजाब का व्यक्ति राजस्थान के आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कानूनन भूमि खरीद ही नहीं सकता है तो विक्रय भी कैसे कर सकता है। प्रतिवादी सं01 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत हो की उक्त जगदीशचन्द्र राजस्थान के गांव 54 एल.एन.पी. पमदपुर का निवासी व प्रार्थी के पिता जगदीश के फौत हो जाने पर विरासतन इंतकाल वास्ते वारिसान की पुष्टि रिपोर्ट पेश की है जिससे स्पष्ट है कि जगदीश व जगदीशचन्द्र अलग–अलग व्यक्ति है तथा वादगत भूमि से जगदीश चन्द्र को कोई लेना–देना नहीं है। जगदीशचन्द्र ने प्रतिरुपण कर छल करने के लिए दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में औने–पौने प्रतिफल में बैयनामा करवाया है जो प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जिसका वाद सुनने का अधिकार श्रीमानजी को है जगदीशचन्द्र के खिलाफ प्रार्थी ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर. सं0 149 दिनांक 14.06.2022 को जुर्म धारा 417,419, 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत दर्ज करवाई है जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है अर्थात प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी का बनता है।

2. अपूर्णीय क्षतिः– प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । यदि न्यायालय द्वारा इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो भूमि रहन, बैय, हस्तान्तरित हो जाएगी तथा प्रार्थी अपने पिता की विरासतन भूमि से वंचित हो जाएगा। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रतिरुपण कर छलपूर्वक हस्तान्तरित की है जो कि शून्य दस्तावेज है। प्रतिवादीगण आज ही वादी को बेदखल कर देंगे या भूमि वादगत आगे बेचान कर देंगे या गिरवी रख देंगे, वाद बहुलता बढ़ेगी तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन

नहीं किया जा सकता है। 3. सुविधा का संतुलनः— वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी। वादपत्र के विचारण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यदि वादगत भूमि हस्तान्तरित होते रहे। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सुविधा का संतुलन सभी पक्षों का रहेगा। किसी भी पक्ष को असुविधा नहीं होगी। प्रतिवादी सं0 1 का 54 एल.एन.पी. गांव से कोई भी संबंध नहीं रहा है। सन् 1992 में भूमि खरीद के समय प्रतिवादी सं0 1 के पास राजस्थान का मूल निवास नहीं था ना ही यहां प्रस्तुत किया है। सिविल वाद अलग प्रकृति का है। कृषि भूमि होने व विरासतन इंतकाल पेंडिग होने से अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादगत भूमि की दौराने वाद रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अदालत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू अधिवक्ता उभयपक्ष को उक्त बिन्दू अवगत करवाकर पर पुनः बहस उचित प्रतीत होने पर दिनांक 06.07.2022 को पुनः दोनो पक्षों को उक्त बिन्दूओं बहस हेतु आदेशित किया गया। पुनः उभयपक्ष बहस दिनांक 06.07. 2022 को सुनी गई।

उपरोक्त बहस उभयपक्ष का अध्ययन मनन किया। इस पत्रावली का निस्तारण करने के लिए यह जानना उचित प्रतीत होता है कि उक्त विवादित रकबे की जमाबंदी में जिस खातेदार का नाम है वह प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं0 1 है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं बहस के बाद जो तथ्य उभर कर आये है उनका विवेचन/निष्कर्ष इसप्रकार से है किः—

1. इस पत्रावली से संबंधित न्यायालय हाजा में जैरकार पत्रावली सं0 70/16 खुशी बनाम जगदीश वगैरह की आदेशिका 14.9.21 में अदालत ने असल दस्तावेज पेश करने वाले को relevant पक्षकार माना इसप्रकार इस पत्रावली (मु0नं0 63/2022) के अप्रार्थी सं0 1 के जगदीश को पत्रावली सं0 70/16 में relevant पक्षकार माना गया तथा इस पत्रावली के प्रार्थीगण सुरेश वगैरह के पिता जगदीश या वारिसों का उस मामले में locus standi नहीं है आदेशित किया।

2. उक्त पत्रावली (70/16) में अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत् द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जगदीश(मु0नं0 63/2022 के अप्रार्थी सं0 1) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री सन् 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same है जबकि प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुभाष धारिणया में जगदीश (मु0नं0 63/2022 के

प्रार्थीगण के पिता) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same नहीं है ''।

3. सन् 1992 में खरीदी गई भूमि के रजिस्ट्री में खरीददार जगदीश का पता 54 एल.एन.पी पदमपुर लिखा है। प्रार्थीगण के पिता के वहां के निवासी दस्तावेज प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पेश किये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त अप्रार्थी सं0 1 जगदीश का रजिस्ट्री 1992 के पते 54 एल.एन.पी पदमपुर के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए उनके द्वारा कहा गया कि बहुत समय हो गया वह स्थान छोड़े हुवे इसलिए अब कोई दस्तावेज 54 एल.एन.पी पदमपुर का उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

4. जगदीश द्वारा सन् 1999 में जो भूमि 20 बी.डी. में खरीद की उसकी रजिस्ट्री में अप्रार्थी सं0 1 ने चक 20 बी.डी. खाजूवाला के परिचय पत्र व मूल निवास यहां के निवासी के लगाएं है। इसप्रकार अप्रार्थी सं0 1 के दस्तावेज व हस्ताक्षर ही सन् 1999 की खरीद की भूमि की रजिस्ट्री में है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विवेचन से जो निष्कर्ष निकाला है वह केवल इस पत्रावली निष्तारण के लिए आवश्यक प्रतीत था इसलिए किया गया है, बाकी इस विवेचन से असली जगदीश प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं0 1 है की पहचान इस न्यायालय द्वारा नहीं की गई है क्योंकि यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण के पक्ष में बहस के बिन्दू संख्या 1, 2, 4 है जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में सिर्फ बिन्दू सं0 3 आंशिक रुप से है। इसलिए उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः चक 20 बी.डी. के मु0नं0 95/24 के किला नं0 6 ता 9, 11 ता 13 व 96/33 के किला नं0 17 ता 25 की कुल तादादी 3.92 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण सुरेशकुमार वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 03.06. 2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 149/2021

2. जीवा खातुन पुत्री मुरादा पत्नी लालखां जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. रोशनी खातुन पुत्री मुरादा पत्नी ईलाही बक्शं जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. लखा खातुन पुत्री मुरादा पत्नी लालखां जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15 एएए आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. अधिवक्ता श्री नवीन कामरा प्रार्थीगण की ओर से।
4. राजपैरोकार उपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक :– 15.07.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के पूर्वज साहू खां वल्द पहलवान खां व करीमबक्श वल्द सावन खां जाति मुसलमान निवासी राणीसर ब.हि.ब. सम्वत् 2012 में ग्राम अलादीन का बेरा के ख.नं. 10, 11,15 में कुल 541 बीघा 4 बिस्वा अभिधारी के रुप में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जो सम्वत् 2012 से लेकर आज तक निर्विवाद रिकॉर्ड में चली आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वज करीमबक्श के फौत हो जान के बाद प्रार्थीगण की माता मुरादा के नाम व अन्य वारिसों के नाम से दर्ज हुई तत्पश्चात् प्रार्थीगण की माता मुरादां के फौत हो जाने के बाद जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। आराजी मुतनाजा सम्वत् 2012 से पहले जागीर के समय से रिकॉर्ड में खुदकाश्त के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारम्भ होने से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड थे। जो लगातार आज तक बंदोबस्ती काश्तकार रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए धारा 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

भूमि अल्लादीन का बेरा ख.नं. 10, 11, 15 में 541 बीघा 4 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही जो सम्वत् 2024–2025 से 2027 के मध्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आने के कारण चक बंदी में आ गई तथा चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नं0 185/54, 46, 38,

30, 47, 56, 48 व मुरब्बा नु0 163/64, 184/25, 33, 41, 49, 58, 50, 42, 24, 16, 18, 35, 43, 51, 19, 20, 27, 28, 29, 37, 59, 60, 52, 44, 36, 21, 45, 53, 61 व मुरब्बा नं. 204/1, 2, 3, 4 में फिट हुई। सम्वत् 2028 से 2052 तक प्रार्थीगण के पूर्वज साहूखं व करीम बक्श साकिन राणीसर बन्दोबश्त काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के पूर्वज के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के हिस्सा में चक 2 पीकेएम मुरब्बा 184/49 के किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 6.1330 हैक्टर यानि 24.05 बीघा व मुरब्बा नं0 154/58 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर यानि 25.00 बीघा कुल तादादी 49.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तो प्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज वगैरा सम्वत् 2012 स पूर्व के बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार व अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र/वादपत्र पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को उक्त रकबे का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 10.3.22 को दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गए व हल्का पटवारी द्वारा तैयार चैकलिस्ट दिनांक 13.01.2022 बाद तहसीलदार खाजूवाला प्रतिहस्ताक्षर की शामिल पत्रावली है जिसमें सम्वत् 2012 से 2074 तक की जमाबंदी/गिरदावरी पर रिपोर्ट की जाकर निवेदन किया गया है कि चक 2 पीकेएम मु0नं0 184/49 किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 6.1330 हैक्टर व मुरब्बा नं0 154/58 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर कुल तादादी 12.4555 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखां खातुन पुत्रीयान् मुरादा सा0 राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा पर जीवाखातुन वगैरह कब्जा काश्त है। उक्त रकबा वनविभाग अथवा गजट में नहीं है। उक्त रकबा पर कोई स्थगन या विवाद का अंकन नहीं है।

तहसीलदार खाजूवाला से कार्यालय हाजा के पत्रांक/241 दिनांक 10.03.2022 से मौका रिकॉर्ड के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट/तखा/कोर्ट /2022/250 दिनांक 15.03.22 अनुसार ''वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 2 पीकेएम अन्ति चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी (वर्ष 2020) से स्थाई खाता सं. 26 मु.नं. 184/49 किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.1330 है0 कमाण्ड एवं मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 9 व 11 ता 25 रकबा 6.0696 है0 कमाण्ड व किला नं0 10 रकबा 0.2529 है0 अनकमाण्ड कुल रकबा 12.4555 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान साकिन राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त रकबे की मुताबिक तहसीलदार खाजूवाला की बिन्दुवार वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. सम्वत् 2012 ख.न. 10, 11, 15 कुल रकबा 541 बीघा 4 बिस्वा भूमि साहुखां वल्द पहलवान खां व करीमबक्श वल्द सावन खां जाति मुसलमान सा. राणीसर ब.हि.ब. का नाम जमाबन्दी अभिलेख में अंकन थी। उक्त रकबा जमाबन्दी सम्वत् 2012, सम्वत्

2016 में यथावत नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत् 2027 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चकबंदी में आने के कारण उक्त रकबा खसरो से मुरब्बाबन्दी में आ गया।

2. रकबा सम्वत् 2053–56 चक 1–2 एमडीएम में नामान्तरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1998, द्वारा विरासतन, करीमबक्श के फौत हो जाने पर शामिल खाता रकबा मुरादा, पीरबक्श, मुराद वगैरह के ब.हि.ब. मे दर्ज रिकॉर्ड हुआ। नया चक 2 पीकेएम में नामान्तकरण संख्या 01 दिनांक 10.08.2001, द्वारा खाता विभाजन मु.नं. 184/49 रकबा 25.00 बीघा एवं मु0नं0 184/58 रकबा 25.00 बीघा कुल 50.00 बीघा रकबा मुरादा पुत्री करीमबक्श जाति मुसलमान सा. राणीसर बन्दोबस्ती खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 09 दिनांक 20.01.2004 द्वारा विरासतन उक्त रकबा जीवाखातुन, रोशनीखातुन, लखाखातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान सा. राणीसर हाल माधोडिग्गी तहः खाजूवाला ब.हि.ब. बन्दोबस्ती काश्तकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ।

3. सूची नं. 4 गांव अलादीन का बेरा, मु.नं0 184/49 रकबा 25.00 बीघा एवं मु0नं0 184/58 रकबा 25.00 बीघा भूमि खसरा सं0 11 गांव अलादीन का बैरा के रकबे में से चक 2 एमडीएम में सेट की गई है।

4. वादीगण को उक्त रकबा पूर्वजों से बन्दोबस्ती काश्तकार के रुप में विरासतन मिला हुआ है।

5. वादी द्वारा मौके पर सम्वत् खरीफ 2078 में मु0नं0 184/49 में किला नं0 1, 10, 11, 16 ता 18, 20 ता 21 में सरसों फसल काश्त है तथा मु0नं0 184/58 के मौके पर खाली है। वादीगण द्वारा ही बन्दोबस्ती काश्तकार के रूप में उक्त रकबे दोनों मुरब्बों पर कब्जा काश्त है।

6. रकबे पर वर्तमान रिकॉर्ड में कोई स्थगन आदेश/विवाद का अंकन नहीं है।

प्रार्थीगण की प्रश्तगत रकबे के अलावा भूमि जांच बाबत् तहसीलदार खाजूवाला को सीलिंग सीमा के संबंध में रिपोर्ट बाबत् पत्रांक 428 दिनांक 26.04.2022 को लिखा गया जिसमें तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/298 दिनांक 05.05.2022 रिपोर्ट अनुसार ''चक 2 पीकेएम मु0नं0 184/49 व 184/58 रकबा 50.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जीवा खातुन, रोशनी, लखा पुत्रीयां मुरादा कौम मुसलमान साकिन राणीसर हाल माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला बन्दोबस्ती काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है इसके अलावा उक्त सदस्यों के पति/बच्चों तथा माता के नाम पटवार मण्डल माधोडिग्गी, पटवार मण्डल कुण्डल, पटवार मण्डल सामरदा में कृषि भूमि नहीं है। हल्का पटवारी 7 एस.एस.एम., 22 के.वाई.डी., बल्लर, 8 केजेडी ए, 34 केवाईडी, 2 केडब्ल्यूएम, गुल्लुवाली, 17 केवाईडी, 3 पीडब्ल्युएम, दन्तौर, 14 बीडी, 8 केवाईडी, 2 केएलडी, साहूवाला, पीरणवाली, डेरीपोस्ट, आनन्दगढ़ संबंधित पटवार मण्डलों में प्रार्थी व उनके परिवार के नाम कोई कृषि भूमि नहीं है।'' प्रार्थीगण के संबंध में शपथपत्र शामिल मिसल है। उक्त शपथपत्र में वर्णित भूमि की जमाबंदी प्रति प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पेश की जो शामिल मिसल है।

प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला से प्रश्नगत रकबे में वर्णित मूल बंदोबस्ती काश्तकार का सम्वत् 2012 से लेकर आजदिनांक तक का कुर्सीनामा छायाचित्र बाबत् रिपोर्ट ली गई जो तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 325 दिनांक 01.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कुर्सीनामा अनुसार प्रार्थीयान् के नाम दर्ज नामान्तकरण विरासतन यथा ना0सं0 170 दिनांक 25.08.1998 द्वारा करीमबक्श के फौत होने पर पीरबक्श, मुरादा वगै0 के तथा मुरादा के फौत होने पर ना0सं0 09 दिनांक 20.01.2004 द्वारा जरिये विरासतन जीवाखातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन के नाम दर्ज हुई जो आदिनांक तक दर्ज है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 11.07.2022 सुनी गई। अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में साक्ष्य/सबूत के तौर पर प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए है तथा तहसीलदार खाजूवाला महोदय द्वारा भी रिपोर्ट/दस्तावेज आ चुके है। दौराने बहस अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे उपलब्ध दस्तावेजों (तहसीलदार खाजूवाला की चैकलिस्ट, प्रार्थीगण की माता का मृत्यु प्रमाणपत्र, वारिसप्रमाण ग्रा.पं., प्रश्नगत रकबे की जमाबंदी, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिः 15.3.22 व सीलिंग सीमा बाबत् रिपोर्ट दिः 05.05.22 व प्रार्थीगण के शपथपत्र, तहसीलदार रिपोर्ट दिः 01.07.2022 बाबत् कुर्सीनामा) के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया कि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्री मुरादा राज काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के तहत प्रश्नगत आराजी चक 2 पीकेएम के मु0नं0 184/49 (किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 22 ता 25 की तादादी 6.133 हैक्टर व मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.3225 हैक्टर इसप्रकार कुल तादादी 12.4555 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान को प्रश्नगत रकबे का तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे एवं 15एएए–2 ए के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जावे।

अदालत द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर अदालत को समाधान है कि जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्री मुरादा राज काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के तहत प्रश्नगत आराजी चक 2 पीकेएम के मु0नं0 184/49 (किला नं0 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 22 ता 25 की तादादी 6.133 हैक्टर व मु0नं0 184/58 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.3225 हैक्टर इसप्रकार कुल तादादी 12.4555 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए जीवा खातुन, रोशनी खातुन, लखा खातुन पुत्रीयान् मुरादा जाति मुसलमान को प्रश्नगत रकबे का खातेदारी घोषित किया जाता है एवं 15एएए–2ए के तहत खातेदारी प्रदान की जाती है। तहसीलदार खाजूवाला तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में आदेश के मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2022

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. इमानती देवी पुत्र पत्नि स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. सुमित्रा पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शकिला पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. प्रियंका पुत्री स्व0 जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 4746, सितोगुन्नो ब्लॉक व तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब–152116 (आधार नं. 4561 2066 1058)
2. प्रमिला देवी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 29 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 11.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी चक 54 एल..एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने तहसील खाजूवाला के चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं. 95/24 व 96/33 की कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा उक्त भूमि खरीद के बाद प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. का ही कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। उक्त भूमि खरीद सन् 1992 के बाद जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. कभी कभार आते व सार संभाल कर वापिस गांव चले जाते तथा जब भी आते तो एक मकान बनाया हुआ था। जिसमें भूमि से संबंधित कागजात रखे हुए थे। प्रार्थीगण के पति/पिता जगदीश का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2020 को हो गया तो प्रार्थी सं0 1 ने मुताबिक वैधानिक प्रक्रिया तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष उपस्थित होकर विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आवेदन पेश किया तो उक्त आवेदन जाँच हेतु पत्र क्रमांक त.खा./भू.अ./21/10714 दिनांक 01.10.2021 को तहसीलदार पदमपुर को भेजा गया जिन्होने 54 एल.एन.पी. पटवार हल्का पटवारी से वारिसान की जाँच पुष्टि करवाई व वापिस तहसीलदार खाजूवाला को आवेदन दिये थे। जो कि पटवारी हल्का के पास जैरकार है। प्रार्थना पत्र मय पुष्टि मय आदेश संलग्न वाद पत्र है।

प्रार्थीगण के नाम से विरासतन नामान्तरणकरण जैरकार रहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 जो बहुत शातिर व्यक्ति है तथा वह पंजाब आंतकवाद के समय फरारी काटने हेतु चक 20 बी.

डी. में अस्थाई निवास करने आया हुआ था। जिसने प्रार्थीगण की उक्त वादगत भूमि कुछ समय हिस्सा पांति पर काश्त करने हेतु ले रखी थी व प्रार्थीगण के पति/पिता के यहां नही रहने के कारण पिछे से मिलते जुलते नाम होने के कारण भूमि अपनी बताने लगा तो प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने अप्रार्थी सं0 1 से अपनी भूमि काश्त करने से छुड़ा ली तथा फिर अप्रार्थी सं0 1 वापिस अपने मूल गांव पंजाब चला गया परन्तु कुछ समय बाद वापिस आया तथा यहां भूमि खरीद करने का प्रयास करने लगा परन्तु उक्त क्षेत्र आई.जी. एन.पी. का है तथा उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बनाए नियमों के तहत राजस्थान राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का मूल निवासी यहां इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि खरीद नहीं कर सकता है तथा उक्त नियमों के तहत इस क्षेत्र में भूमि खरीद के समय 20 वर्ष पूर्व से ही राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र देना होता है तथा राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 कानूनन कृषि भूमि खरीद के अयोग्य है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने सन् 2000 से ही अस्वस्थ होने व प्रार्थीगण नाबालिग व औरत जात होने के कारण अपनी उक्त वादगत भूमि पर सार संभाल करने में मजबूरी आने लगी तो प्रार्थीगण चक में ही अन्य काश्तकारों को अपनी उक्त भूमि हिस्सा पांती ठेका पर काश्त करवाने दे जाते तो पिछे अप्रार्थी सं0 1 भी कभी कभार आता व उसने मौका पाकर खेत वादगत में बने मकानों के रखे असल दस्तावेज यथा बैयनामा मूल किसी समय धोखे से अपने साथ ले गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हुई है। अब प्रार्थीगण के पति/पिता का स्वर्गवास होने पर किसी जानकार द्वारा बताने पर प्रार्थीगण को मालूम हुआ है। जिसकी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 को उक्त वादगत भूमि दिनांक 07.04.2022 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी है जबकि वह वादगत भूमि का मालिक नहीं है तथा उसने प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का प्रतिरूपण कर कूटरचित बैयनामा निष्पादित करवाया है अप्रार्थी सं0 2 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। प्रार्थीगण के हको के मुकाबले बातिल, बेअसर व शून्य दस्तावेज है। जिसे प्रार्थीगण अपने हको के मुकाबले शून्य, अकृत, बातिल, बेअसर घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। इस प्रकार मामला प्रथमदृष्ट्या बनता है। अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा के आधार पर बैयनामा में वर्णित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है। प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का शाश्वत व्यादेश पाने के अधिकारी व दावेदार है कि चुनौतिधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि को किसी भी कदर रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करें, ना ही प्रार्थीगण को अन्य दिगर तरीके से बेदखल करे या करावे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी जावे कि अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं0 95/24, 96/33 की कुल 15.00 बीघा कृषि भूमि का 4/5 हिस्सा से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक, हकूको व फसली लाभो पर विपरीत असर पड़े तथा दौराने वाद भूमि रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें या करावे तथा दौराने वाद यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त दावा में जो अनुतोष चाहा है उसका दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है जिसकी आगामी दिनांक 16.07.2022 है। उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा अप्रार्थी सं.1 खरीद दिनांक

से लगातार कब्जा काश्त करता आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा उक्त कृषि भमि खरीद करने के बाद आज दिनांक तक अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 2 सदभावी क्रेता है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम व पता प्रार्थीगण के पिता/पति से मिलते–जुलते होने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ जाने की गरज से झुठे तथ्यों से दावा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध झुठा व बेबुनियाद लाछन लगाया है जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 अलग से प्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायेगा। प्रार्थीगण द्वारा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई ना ही कागजात की गुमशुदगी रपट दर्ज हुई है। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथ प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2019 में अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना खाजूवाला में एक एफ. आई. आर. नं. 142/2019 दर्ज करवाई गई थी उक्त मुकदमा दर्ज के समय प्रार्थीगण के पिता/ पति जीवित था तथा जिसके ब्यान उक्त मुकदमा में लिये गये थे अपने बयानों में प्रार्थीगण के पिता/ पति ने जमीन खरीदने से इन्कार किया है तथा जमीन उसकी होने से भी मना किया है। तथा प्रार्थी सुरेश द्वारा लालच वश उक्त कार्यवाही करने की बात बयानों में अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 ने सन् 1992/1999 में उक्त भूमि कृषि चक 20 बी.डी. का मु0नं0 95/24, 96/33 के कुल 15.10 बीघा खरीद की थी उस समय आधार कार्ड का कोई असतित्व ही नहीं था। तथा अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूमि का कब्जा भी अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त किया है व आज दिनांक तक कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 के पास है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकन दर्ज करवाने पर प्रार्थीगण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तथा झुठे व बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है तथा कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 का होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है व प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति भी नहीं हो रही है। वादगत कृषि भूमि का दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है इसलिए प्रार्थना पत्र रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं.1 के द्वारा चक 20 बीडी तह. खाजूवाला के मु0 न0 96/33 के किला नं0 17 ता 25 में 9.00 बीघा रामूदान पुत्र श्री करणीदान चारण से सन् 1992 में जरिये बैयनामा व मु0न0 95/24 के किला नं0 6 ता9, 11 ता 13 में कुल 6.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपने सगे भाई शंकरलाल पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई नि. रिडमलसर से सन् 1999 में जरिये बैयनामा खरीद की थी। खरीद के दिन से लगातार अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रही तथा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम बैयनामा करवाने की दिनांक से आज तक उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 2 का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है केवल अप्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जिसकी सच्चाई प्रार्थीगण द्वारा करवाई गई एफ.आई.आर नं0 142/2019 पुलिस थाना खाजूवाला की जांच से चल रही है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति ने स्वयं अपने ब्यान लेखबद्ध करवाये है तथा उक्त वादगत भूमि अपनी होने से इन्कार किया है। अप्रार्थी सं. 1 की पेाती खुशी द्वारा खुशी बनाम जगदीश वगै0 सन् 2016 में श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 09.04.2021 को प्रार्थी सं0 1 सुरेश के द्वारा अधिवक्ता सुभाष धारणिया के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् वारिसो को पक्षकार बनाये जाने का पेश किया तथा श्रीमान जी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा दिनांक 14.09.2021 को सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुवे

प्रार्थी सं. 1 सुरेश के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थी के पिता/ पति को उक्त वादगत भूमि का वास्तविक मालिक नहीं मानते हुए अप्रार्थी सं01 के पक्ष में आदेश पारित किया। चूंकि यदि प्रार्थीगण उक्त वादगत भूमि के हकदार/ वारिस होते तो इनके द्वारा उक्त फैसला दिनांक 14.09.2021 के विरूद्ध अपील रिविजन की जाती जबकि प्रार्थीगण के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.05.2022 को न्यायालय सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमे श्रीमान सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तरिम स्टे को खारिज कर दिया तथा उस दावा में प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र के खारिज होने की कोई जानकारी अंकित नहीं की तथा सिविल न्यायालय में जब प्रार्थीगण को स्थगन आदेश नहीं मिला तो प्रार्थीगण ने पुनः तथ्य छुपाते हुवे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जो कि खारिज योग्य है प्रार्थी गण के द्वारा उक्त दावा व प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी सं0 1 के भूमि को येन–केन लालचवश हड़प करने की नियत से पेश किया गया है जबकि सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र जैरकार है जिसमें तारीख पेशी 16.07.2022 है। एक ही विषय वस्तु का दावा भिन्न–भिन्न न्यायालयों में एक ही पक्षकार के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता ना ही न्यायालय सुनवाई कर सकता है रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि पर के.सी.सी. ऋण एस.बी.आई. बैंक से लिया गया था। बैंक अधिकारी द्वारा समस्त दस्जावेजो व कब्जा–मौका की जांच पड़ताल करने के बाद ही के.सी.सी. ऋण स्वीकृत किया जाता है इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा नाही कोई लेना–देना है प्रार्थीगण के द्वारा पेश दावा व प्रार्थना पत्र पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगुठे भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी सं0 1 के अतिरिक्त अन्य पक्षकारो द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है प्रार्थी सं0 1 सुरेश द्वारा ही लालचवश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन आदि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है ना ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि इसके विपरित अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 को अपूर्णीय क्षति है तथा सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्ट्या मामला भी अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 28.6.2022 को लिखित बहस पेश की प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अभी तक वादपत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ना ही उक्त दावा के क्षेत्राधिकार या श्रवणाधिकार बाबत् कोई एतराज प्रस्तुत किया हुआ है केवल मात्र धारा 212 आरटीएक्ट का जवाब प्रस्तुत कर स्थगन आदेश वेकेन्ट करवाना चाहते है जो कि 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र वादपत्र का एक अभिन्न भाग है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादगत भूमि खुर्द बुर्द, रहन, बैय, हस्तान्तरण का अंदेशा है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दू हैः– प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन। 1. <u>प्रथमदृष्ट्याः</u>– वादगत भूमि वादी के पिता जगदीश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तहः पदमपुर के नाम सन् 1992 में जरिये बैयनामा खरीद होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि

जगदीशचन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी सितो गुन्नो तहः अबोहर पंजाब का मूल निवासी है। राज0 काश्तकारी अधिनियम अनुसार राजस्थान के अतिरिक्त किसी राज्य का मूल निवासी आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कृषि भूमि नहीं खरीद कर सकता है तो विक्रय भी नहीं कर सकता है। वादपत्र दिनांक 07.04.2022 को करवाये बैयनामा को नल एण्ड वॉइड घोषित करवाने का है जमाबंदी में नाम व प्रतिवादी नं0 1 का नाम भिन्न भिन्न है फिर भी बैयनामा करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है प्रतिवादी सं0 1 ने दो आधार कार्ड प्राप्त कर रखे है प्रार्थी ने दोनों प्रतियां पेश की है। पंजाब के सितो गुन्नो गांव में प्रतिवादी सं. 1 पत्नी व एक पुत्र सहित निवास करता है पत्नी भगवन्ती व दोनों के पास बुक्स की प्रतियां भी प्रार्थी ने पेश की है साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र अरविन्द का मृत्यु प्रमाणपत्र जो सितो गुन्नो पंजाब से बना है, उसकी पत्नी द्वारा वारिस तस्दीक करवाने का प्रार्थनापत्र जो सितो गुन्नो तहसील में पेश कर जारी करवाया कि प्रति भी पेश की है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने अपने दूसरे पुत्र को सितोगुन्नो गांव की भूमि हस्तान्तरित की जो 11.05.2015 को की है जिसपर प्रतिवादी सं0 1 के हस्ताक्षर है कि प्रति भी प्रार्थी ने पेशी की है उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट है कि कि जगदीश चन्द्र की सितो गुन्नो पंजाब में चल अचल सम्पति है व वहां का वह मूल निवासी है तो पंजाब का व्यक्ति राजस्थान के आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कानूनन भूमि खरीद ही नहीं सकता है तो विक्रय भी कैसे कर सकता है। प्रतिवादी सं01 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत हो की उक्त जगदीशचन्द्र राजस्थान के गांव 54 एल.एन.पी. पमदपुर का निवासी व प्रार्थी के पिता जगदीश के फौत हो जाने पर विरासतन इंतकाल वास्ते वारिसान की पुष्टि रिपोर्ट पेश की है जिससे स्पष्ट है कि जगदीश व जगदीशचन्द्र अलग–अलग व्यक्ति है तथा वादगत भूमि से जगदीश चन्द्र को कोई लेना–देना नहीं है। जगदीशचन्द्र ने प्रतिरुपण कर छल करने के लिए दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में औने–पौने प्रतिफल में बैयनामा करवाया है जो प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जिसका वाद सुनने का अधिकार श्रीमानजी को है जगदीशचन्द्र के खिलाफ प्रार्थी ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर. सं0 149 दिनांक 14.06.2022 को जुर्म धारा 417,419, 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत दर्ज करवाई है जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है अर्थात प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी का बनता है।

2. अपूर्णीय क्षतिः– प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । यदि न्यायालय द्वारा इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो भूमि रहन, बैय, हस्तान्तरित हो जाएगी तथा प्रार्थी अपने पिता की विरासतन भूमि से वंचित हो जाएगा। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रतिरुपण कर छलपूर्वक हस्तान्तरित की है जो कि शून्य दस्तावेज है। प्रतिवादीगण आज ही वादी को बेदखल कर देंगे या भूमि वादगत आगे बेचान कर देंगे या गिरवी रख देंगे, वाद बहुलता बढ़ेगी तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। 3. सुविधा का संतुलनः– वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी। वादपत्र के विचारण का कोई औचित्य नहीं

रहेगा। यदि वादगत भूमि हस्तान्तरित होते रहे। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सुविधा का संतुलन सभी पक्षों का रहेगा। किसी भी पक्ष को असुविधा नहीं होगी। प्रतिवादी सं0 1 का 54 एल.एन.पी. गांव से कोई भी संबंध नहीं रहा है। सन् 1992 में भूमि खरीद के समय प्रतिवादी सं0 1 के पास राजस्थान का मूल निवास नहीं था ना ही यहां प्रस्तुत किया है। सिविल वाद अलग प्रकृति का है। कृषि भूमि होने व विरासतन इंतकाल पेंडिग होने से अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादगत भूमि की दौराने वाद रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अदालत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू अधिवक्ता उभयपक्ष को उक्त बिन्दू अवगत करवाकर पर पुनः बहस उचित प्रतीत होने पर दिनांक 06.07.2022 को पुनः दोनो पक्षों को उक्त बिन्दूओं बहस हेतु आदेशित किया गया। पुनः उभयपक्ष बहस दिनांक 06.07. 2022 को सुनी गई।

उपरोक्त बहस उभयपक्ष का अध्ययन मनन किया। इस पत्रावली का निस्तारण करने के लिए यह जानना उचित प्रतीत होता है कि उक्त विवादित रकबे की जमाबंदी में जिस खातेदार का नाम है वह प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं0 1 है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं बहस के बाद जो तथ्य उभर कर आये है उनका विवेचन/निष्कर्ष इसप्रकार से है किः—

1. इस पत्रावली से संबंधित न्यायालय हाजा में जैरकार पत्रावली सं0 70/16 खुशी बनाम जगदीश वगैरह की आदेशिका 14.9.21 में अदालत ने असल दस्तावेज पेश करने वाले को relevant पक्षकार माना इसप्रकार इस पत्रावली (मु0नं0 63/2022) के अप्रार्थी सं0 1 के जगदीश को पत्रावली सं0 70/16 में relevant पक्षकार माना गया तथा इस पत्रावली के प्रार्थीगण सुरेश वगैरह के पिता जगदीश या वारिसों का उस मामले में locus standi नहीं है आदेशित किया।

2. उक्त पत्रावली (70/16) में अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत् द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जगदीश(मु0नं0 63/2022 के अप्रार्थी सं0 1) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री सन् 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same है जबकि प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुभाष धारिणया में जगदीश (मु0नं0 63/2022 के प्रार्थीगण के पिता) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same नहीं है ''।

3. सन् 1992 में खरीदी गई भूमि के रजिस्ट्री में खरीददार जगदीश का पता 54 एल.एन.पी पदमपुर लिखा है। प्रार्थीगण के पिता के वहां के निवासी दस्तावेज प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पेश किये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त अप्रार्थी सं0 1

जगदीश का रजिस्ट्री 1992 के पते 54 एल.एन.पी पदमपुर के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए उनके द्वारा कहा गया कि बहुत समय हो गया वह स्थान छोड़े हुवे इसलिए अब कोई दस्तावेज 54 एल.एन.पी पदमपुर का उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

4. जगदीश द्वारा सन् 1999 में जो भूमि 20 बी.डी. में खरीद की उसकी रजिस्ट्री में अप्रार्थी सं0 1 ने चक 20 बी.डी. खाजूवाला के परिचय पत्र व मूल निवास यहां के निवासी के लगाएं है। इसप्रकार अप्रार्थी सं0 1 के दस्तावेज व हस्ताक्षर ही सन् 1999 की खरीद की भूमि की रजिस्ट्री में है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विवेचन से जो निष्कर्ष निकाला है वह केवल इस पत्रावली निष्तारण के लिए आवश्यक प्रतीत था इसलिए किया गया है, बाकी इस विवेचन से असली जगदीश प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं0 1 है की पहचान इस न्यायालय द्वारा नहीं की गई है क्योंकि यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण के पक्ष में बहस के बिन्दू संख्या 1, 2, 4 है जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में सिर्फ बिन्दू सं0 3 आंशिक रुप से है। इसलिए उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः चक 20 बी.डी. के मु0नं0 95/24 के किला नं0 6 ता 9, 11 ता 13 व 96/33 के किला नं0 17 ता 25 की कुल तादादी 3.92 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण सुरेशकुमार वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–67/2021

2. मुबारक, सावण खां, नूरा, मन्नत, जैना, मोजन खां (फौत), रहीमखां ,मकबूल खां, जन्नत पिसरान/पत्नी अलाबसाया जाति मुसलमान निवासी सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. गामा, रेशमा, रशीदा, मकसूद, रफीकखां, सबीरा, सदाम पिसरान मोजनखां, जाति मुसलमान निवासी सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीगण

बनाम

2. असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

5. श्री सलीम खान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
6. राजपैरोकार अनुपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :– .....

यह वादीगण का वादपत्र जरिये अधिवक्ता सलीम खान न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा श्री अलाबसाया पुत्र श्री मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फलावाली हाल आबाद सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से श्रीमान ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकाम बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 18.03.1988 के द्वारा राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं0 17 के.जे.डी.'ए' के मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9–9 बीस्वा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन के तहत आवंटन होकर दिनांक 18.03.1988 को आवंटन आदेश जारी होने के बाद प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा अलाबसाया के नाम से गिरदावरी सम्वत् 2043 से 2046 में रिकार्ड दर्ज कर दिया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2052 से 2055 बनाते समय अलाबसाया पुत्र मोहम्मद मुसलमान निवासी फलावाली हाल सामरदा तहसील खाजूवाला के स्थान पर किसी दूसरे काश्तकार असमील पुत्र नाजू खां मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया है जो कि गलत है और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा गिरदावरी में असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला दर्ज कर रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया है जो आजतक चला आ रहा है।

असमील के नाम से चक 17 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 में कुल 19.03 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन के तहत आवंटित है व इसकी खातेदारी सनद का नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 21.12.1999 दर्ज है और किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक 9–9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा भूमि कभी भी असमील पुत्र नाजूखां को आवंटन ही नहीं हुई है तथा ना ही कभी आवंटन की मांग की गई है इसलिए असमील पुत्र नाजूखां के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता/दादा अलाबसाया के वारिसान का नाम दुरस्त किया जावे ताकि प्रार्थीगण उक्त भूमि का विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाने व कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही करवाने में दिक्कतों व परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। अतः नामान्तकरण में दर्ज असमील पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी नौसेरा तहसील खाजूवाला के स्थान पर अलाबसाया के वारिसान के नाम की घोषणा कर दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट क्रमांक1297 दिनांक 29.06.2021 व पत्रांक 1318 दिनांक 06.07.2021 प्राप्त जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 17 केजेडी ए सम्वत् 2076 (से स्थाई) खाता संख्या 62 मु0नं0 105/28 किला नं0 21/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 22/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 23/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 24/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड, किला नं0 25/2 – 0.1138 है0 कमाण्ड कुल रकबा 0.5690 है0 कमाण्ड भूमि अस्मील पुत्र नाजु खां जाति मुसलमान सा0 नौसेरा तहः खाजूवाला स्मालपेच आवंटन दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक गिरदावरी सम्वत् 2043–2046 सम्वत् 2044 में श्रीमान् एसीसी छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आवंटन आदेश दिनांक 18.03.1988 द्वारा मु0नं0 105/28 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल रकबा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि अलाबसाया पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान स्मालपेच आवंटन के अमलदरामद का नोट अंकन है। उसके बाद मुताबिक प–13 सम्वत् 2047 से आदिनांक तक अप्रार्थी के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। गिरदावरी सम्वत् 2052–2055 में अस्मील पुत्र नाजुखां का नाम गिरदावरी सम्वत् 2047–2051 के आधार पर आया है। गिरदावरी सम्वत् 2047–2051 में उक्त रकबा अस्मील पुत्र नाजुखां जाति मुसलमान निः नौसेरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु उक्त अंकन के अमलदरामद संबंधी कोई आदेश अथवा नोट नहीं है तथा मु0नं0 105/28 में पूर्व से ही किला नं0 1 ता 20 रकबा 18. 04 बीघा पु.आ. एवं सम्वत् 2045 में अस्मील पुत्र नाजुखां के नाम किला नं0 16 ता 20 में 0.19 बिस्वा भूमि स्मालपेच आवंटन के अमलदरामद का अंकन था। अतः मुताबिक प–13 रिकॉर्ड अस्मील पुत्र नाजुखां के नाम उक्त रकबा संभवतः लिपिकीय त्रुटि से अंकन हो सकता है। टीआरए सैल रजिस्टर अनुसार अलाबसाया पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान को 17 केजेडी ए के मु0नं0 105/28 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल रकबा 2.05 बीघा कमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन दर्ज है।

दिनांक 17.8.21 न्यायालय हाजा में अप्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान किया कि विवादित आराजी चक 17 केजेडी ए के मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा वादीगण के पति/पिता/दादा अल्लाबसाया को 1988 में अलॉट हुई थी। उक्त भूमि असमील को कभी आवंटित नहीं

हुई थी। ना ही उक्त भूमि की मेरे द्वारा कभी मांग की गई है। आगे बयान किया कि आधारकार्ड सं0 982320124574 में उसका नाम गलती से ईस्माइलखां दर्ज हो गया है। इस संबंध में सरपंच नौसेरा सामरदा विजेता भादू की तरफ से जारी किया प्रमाणपत्र भी पेश किया जिसमें सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया है कि असमील पुत्र नाजुखां और ईस्माइल पुत्र नाजुखां एक ही व्यक्ति है। असमील व ईस्माइल एक ही व्यक्ति है की न्यायालय हाजा द्वारा की गई तहकीकात के संबंध में दिनांक 22.11.21 कैम्प के दौरान सरपंच नौसेरा ने इस तथ्य की तस्दीक की कि असमील और ईस्माइल एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार खाजूवाला खाजूवाला से भी इस संबंध में रिपोर्ट ली गई कि क्या असमील तथा ईस्माइलखां एक ही व्यक्ति है या अलग–अलग है इस संबंध में तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट क्रमांक 372 दिनांक 12.7.22 प्राप्त जिसके अनुसार असमील पुत्र नाजुखां व ईस्माइलखां पुत्र नाजुखां एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.12.21 को प्रस्तुत उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली (कार्यालय जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारी नकल क्रमांक 2552 दिनांक 28.12.21) प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जिसमें संलग्न आवंटन आदेश में चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 बीघा भूमि में अलाबसाया का नाम अंकित है। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.7.22 को गिरदावरी 2047–2050 व शपथपत्र पेश किया कि प्रार्थीगण अलाबसाया के जायज वारिसान है तथा उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के अलावा किसी भी न्यायालय में जैरकार नहीं है और ना ही किसी भी न्यायालय में फैसला किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वारिसान की दूसरे रकबे चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/29 की जमाबंदी पेश की।

वादी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार करने निवेदन का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वादपत्र/प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट तथा मूल आवंटन पत्रावली से साबित हो रहा है कि उक्त रकबा अलाबलाया को स्मालपेच आवंटित हुआ था और असमील का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज हुआ है जिसको दुरस्त किया जाकर अलाबसाया के वारिसान के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में चक 17 केजेडी ए के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 9 बिस्वा कुल 2.05 भूमि में अप्रार्थी असमील पुत्र नाजुखां की जगह अलाबसाया के जायज वारिसान वादीगण/प्रार्थीगण के नाम नियमानुसार दर्ज किया जावे शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2020

1. केवली पत्नी आदूराम जाति मेघवाल निवासी बोरूदा तहः बिलाडा जरिये मु0 आम महेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह जाति बावरी निवासी 1 केजेडी तहः खाजूवाला

...प्रार्थी

बनाम

1. वन संरक्षक, रेन्ज 61 हैड खाजूवाला।
2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
–: आदेश :– दिनांक 25.07.22

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी की प्रिंसीपल को सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ.गा.न.प. छतरगढ़ द्वारा चक 1 केजेडी बी का मुरब्बा नं0 80/52 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा भूमि दिनांक 07.08.1987 को भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन की गई थी। उपनिवेशन विभाग की गिरदावरी सम्वत् 2043–2050 में उक्त भूमि प्रार्थी की प्रिंसिपल के नाम दर्ज हो गई लेकिन सम्वत् 2050 के बाद उक्त भूमि प्रार्थी की प्रिंसिपल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना होकर सहवन से वनविभाग के नाम से दर्ज हो गई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रा0पत्र स्वीकार कर ताः फैसला दावा प्रार्थी की प्रिंसिपल के कब्जा व काश्त की आवंटनशुदा भूमि से अप्रार्थीगण प्रार्थी की प्रिंसिपल को बेदखल ना करें, ना ही दखल अन्दाजी करें, ना ही ऐसा कोई तर्क या फैल करें जिससे प्रार्थी की प्रिंसिपल के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 04.09.2020 को जवाब जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं0 1 का कथन है कि उक्त रकबा चक 1 केजेडी बी मुरब्बा नं0 80/52 की किला नं0 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि सन् 1978 को वनविभाग आवंटित है तथा आवंटन बाद से वनविभाग का कब्जा है तथा न ही वनविभाग का आवंटन रद्द किया गया है। पेड़–पौधे लगे हुवे है तथा इनकी सिंचाई के लिए डिग्गी बनी हुई है व तारबन्दी की हुई है। वनविभाग द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वादगत भूमि रक्षित वन घोषित है। उक्त भूमि पर केन्द्रीय कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होगें जिसकी धारा 2 के अनुसार वन भूमि पर केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वानिकी कार्य निषिद्ध एवं विधि विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी रिट पिटिशन (सिविल) 202 ऑफ 1995 टी.एल. गोधावर्मन बनाम भारत सरकार आदि में दिये गये निर्णय दिनांक 12.12.96 में निर्देश दिये गये थे कि राजस्व रिकॉर्ड मे वनभूमि के रूप में दर्ज भूमि पर केन्द्रीय कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980 के समस्त प्रावधान लागू होते है चाहे भूमि का स्वामित्व व अधिकरण किसी भी प्रकार का हो। राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 16 (एक्स) के अनुसार वन विभाग की भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटन हेतु प्रतिबंधित है।
उक्त भूमि 1978 से लेकर आजदिनांक तक वनविभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। किसी भी विभाग द्वारा किसी न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का वनविभाग का आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट क्रमांक/428 दिनांक 22.07.2022 प्राप्त हुई जो मूलदावा में संलग्न है। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड चक 11

केजेडी बी सम्वत् 2074–2077 के मु0नं0 80/52 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा क0/अ0क0 रकबा वनविभाग दर्ज है। मौकानुसार उक्त रकबे पर वनविभाग की तारबन्दी, पिलर रोप रखे है। रकबे में पक्की डिग्गी वनविभाग का प्रवेश गेट बना हुआ है। रकबे में वनविभाग का मकान बना हुआ है। नरसरी पौधे पुराने 2,3 वर्ष पूर्व के लगे हुवे है। मौके पर वनविभाग का कब्जा है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे खुद आवंटित व कब्जा काश्त बताते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि धारा 2(iii), 2A वन (संरक्षक) अधिनियम 1980, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत वनविभाग की भूमि का प्रत्यावर्तन संभव नहीं तथा वनविभाग के नाम दर्ज भूमि के संबंध में घोषणा व दुरुस्ती का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है साथ ही धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी वनविभाग की भूमि अन्य को आवंटन प्रतिबंधित है व इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी रिट पिटिशन (सिविल) 202 ऑफ 1995 टी.एल. गोधावर्मन बनाम भारत सरकार आदि में दिये गये निर्णय दिनांक 12.12.96 में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये है कि राजस्व रिकॉर्ड मे वनभूमि के रूप में दर्ज भूमि पर केन्द्रीय कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980 के समस्त प्रावधान लागू होते है चाहे भूमि का स्वामित्व व अधिकरण किसी भी प्रकार का हो और मुझ प्रार्थी के जवाब प्रार्थनापत्र व बहस की तस्दीक तहसीलदार खाजूवाला पटवारी रिपोर्ट व विधि द्वारा सुसंगत प्रावधानों से हो रही है। प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है और तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट में भी मौका रिकॉर्ड वनविभाग का बताया है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। धारा 2(iii), 2A वन (संरक्षक) अधिनियम 1980, केन्द्रीय अधिनियम व धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य साबित करने में असफल रहने के कारण चक 1 केजेडी बी का मुरब्बा नं0 80/52 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2020 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 109/2022

1. भवानीशंकर पुत्र श्री ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 05 खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. आरती पुत्री किरणदेवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा।
2. नानीदेवी पत्नि पुनमचन्द जाति ब्राह्मण सा. बीकासर हाल खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मोहित पुत्र किरणदेवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
4. राधेश्याम पति किरण देवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
5. विष्णु पुत्र किरण देवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
6. पुरखाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी तलवाडा झील तह. टिब्बी हाल खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता श्री विजयकुमार, सलीमखान प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री कैलाश टाक अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की ओर से।
3. राजपैरोकार।

–: आदेश :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 23 कुल 0.2529 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी साधिकार काबिज काश्त है।

चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 17, 18, 22, 24/1 की कुल 0.8852 हैक्टेर कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की व चक 8 केजेडी ए का मु.नं.

82/40 के किला नं. 1 ता 16 की कुल 4.0464 हैक्टेर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 23 कुल 0.2529 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, में आने–जाने के लिए प्रार्थी खाजूवाला से दन्तौर पक्की सड़क मु0नं0 82/32 के किला नं0 5 की सींव से चिपते मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की उत्तर दिशा की 20 फिट भूमि से होकर मु.नं. 82/39 का कि. नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 02 बिस्वा भूमि में से होकर, जो कि प्रार्थी की भूमि से चिपता हुआ है, अपनी भूमि में प्रार्थी प्रवेश कर रहा है तथा आने–जाने के लिए उक्त रास्ता चालू है और इसके अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को कई मरतबा जाकर समझाया कि रास्ता चालू है महज रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जाना शेष है इसलिये आप चालू दो बिस्वा रास्ता का रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा ऐसा करने से दिनांक 05.07.2022 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतूक प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 7 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को राजीनामा से रास्ता का इन्द्राज करवाने का कहे जाने पर अप्रार्थीगण राजीनामा से ऐसा करवाने से इन्कार है। प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर चक 8 केजेडी ए तह. खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की उत्तर दिशा की 20 फिट कृषि भूमि व मु.नं. 82/39 का कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 02 बिस्वा में रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र उनके विधिक मुख्त्यारआम पूनमचन्द ने मय अधिवक्ता श्री कैलाश टाक दिनांक 29.07. 2022 को उपस्थित होकर पेश किया तथा दिनांक 29.07.2022 को अप्रार्थी सं0 6 जरिये अधिवक्ता श्री कैलाश टाक जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी सं0 1 ता 5 का जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर से जरिये मुख्त्यारेआम पूनमचन्द आयु 63 वर्श पुत्र बद्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0 द्वारा प्रस्तुत है जो

इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की चक 8 केजेडी ए के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है और इस रास्ता देने के बदले हमने प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है प्रार्थी भी लोकअदालत की भावना से सहमत हुआ है कि उसकी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता कटान कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः इसप्रकार चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उससे हमें कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं0 6 का जवाब प्रार्थनापत्र इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 6 की चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि. नं. 02 की की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है और इस रास्ता देने के बदले हमने प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है प्रार्थी भी लोकअदालत की भावना से सहमत हुआ है कि उसकी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता कटान कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः इसप्रकार चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उससे हमें कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है एवं उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार है।

तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट क्रमांक/तखा/कोर्ट/2022/ .....दिनांक..... प्राप्त हुई जिसके अनुसार भवानीशंकर के नाम चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 के किला नं0 23 में 0.2529 हैक्टर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज है तथा मु0नं0 82/39 किला नं0 22 खातेदार आरती, नानीदेवी, मोहित, राधेश्याम, विष्णु के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व मु0नं0 82/40 के किला नं0 1, 2 खातेदार पुरखाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर चक 8 केजेडी 'ए' के मु0नं0 82/32 के

किला नं0 5 में 2 बिस्वा रास्ता कटानी व मौके पर चालू है तथा चक 8 केजेडी 'ए' के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा रास्ता , इसी चक के मु0नं0 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा रास्ता ,मु0नं0 82/40 कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट रास्ता मौके पर चालू है तथा किला नं0 23 में जाने के काम आता है।

प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजयकुमार जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया जो इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की चक 8 केजेडी ए के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है तथा अप्रार्थी सं0 6 की चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दि ाा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है जिनका प्रतिफल उन्होनें प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 द्वारा मुझ मिकर के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा रास्ता चाहा है। मैं भी उक्त रास्ता 2 बिस्वा देने को सहमत हूँ। जिसका प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमानजी मुझ मिकर के प्रार्थनापत्र में वांछित व उपयोग में लिया जा रहा मौके पर चालू रास्ता उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी नहीं होने के कारण सरकारी योजना से रोड़/खड़वंजा/ पक्का मार्ग नहीं बन पा रहा है जिसकी वहज से मुझे मेरी ढ़ाणी में जाने के लिए व ढ़ाणी में निर्मित जलकुण्ड में स्वंय व पशुओं के पीने के लिये पानी का टैंकर डलवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रकरण में शीघ्र निस्तारण कराने की कृपा करवाकर चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिए मु0नं0 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा , मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बे–16.5 फीट चौड़े में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति भी हो चुकी है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने

जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर अपनी खातेदारी मु0नं0 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा , मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता देने की सहमति दी है और अपने–अपने जवाब प्रार्थनापत्र के पैरा सं0 7 में साफ जाहिर किया कि हमने प्रतिफल राजीनामे में प्राप्त कर लिया है व उक्त रास्ता कटान किया जावे तो कोई आपत्ति , उज्र, एतजार नहीं है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में भी कथन किया है कि रास्ता हम लोकअदालत की भावना से सहमति से दे रहे है जिसका प्रतिफल हमनें प्राप्त कर लिया है और इसको लेकर कोई दावा क्लेम भविष्य में नहीं करेंगे। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी बहस में कथन किया है कि किला नं0 23 के दक्षिण कॉर्नर में 2 बिस्वा रास्ता कटान हेतु सहमति दी है और प्रतिफल राजीनामा में प्राप्त कर लिया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है तथा पक्षकारों में भी न्याय की मंशा है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष, अप्रार्थीगण संव 1 ता 6 के जवाब , प्रार्थी के जवाब उल जवाब प्रा0पत्र व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण सीमा के साथ–साथ 2–2 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर सीमा के साथ साथ 02 बिस्वा व मु0नं0 82/40 कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर सीमा के साथ–साथ 20 फिट लम्बा (पश्चिम से पूर्व की ओर)–16.5 फीट चौड़ा रास्ता पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :–06/2022

1. भूपराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 8 बीडी खाजूवाला जिला बीकानेर। ... प्रार्थी

बनाम

1 कन्हीराम पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी 8 बीडी खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144

–: निर्णय :– **दिनांक :– 29.07.2022**

प्रकरण का ब्यौरा इस तरह है कि उपखंड अधिकारी खाजूवाला आदेश दिनांक 24.09.2013 से चक 8 बीडी ए मु0नं0 153/57 किला नं0 21 ता 25 में अंकन रास्ता निरस्त कर भूमि पुनः खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई जिसका इंतकाल सं0 57 दिनांक 09.10.03 की अपील हुई व द्वितीय अपील माननीय मण्डल में की गई तो मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.11 को उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का निर्णय रद्द कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया है इसप्रकार उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का निर्णय दिनांक 24.09.2003 प्रभावी नहीं रहा इसलिए इं.सं. 57 रिकॉल कर रास्ता भूमि पुनः जो हनुमान के कायम मुकाम कन्हीराम के नाम दर्ज है रास्ता अंकित किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि माननीय मण्डल के निर्णय की पालना में रास्ता पुनः दर्ज करने के आदेश फरवावें।

अदालत द्वारा इस प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलवी हेतु दिनांक 25.03.22 को जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 29.0722 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.09.2003 के निर्णय से यह रास्ता का इंतकाल सं0 57 दर्ज हुआ था, अब उपखण्ड अधिकारी का निर्णय ही माननीय मण्डल ने निरस्त कर दिया है और इस प्रकरण का मूल रिमाण्ड वाद भी अप्रार्थी कन्हीराम के जानबुझकर बावजूद तलवी लगातार हाजिर नहीं आने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.0722 को अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज कर दिया है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि अब उपखण्ड अधिकारी का निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज हो जाने के कारण जो निर्णय दिनांक 24.09.2003 से पूर्व की स्थिति थी उसके अनुसार पुनः स्थिति बहाल की जावे तथा रास्ता का पुनः अंकन करवाया जावे।

अदालत द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र, उपलब्ध दस्तावेज व बहस पर अध्ययन, मनन किया गया। अदालत का मानना है कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय बीकानेर के निर्णय दिनांक 19.12.2008 व न्यायालय हाजा के फैसले दिनांक 24.09.2003 को निरस्त कर दिया गया है तथा न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया था जो न्यायालय में अदमपैरवी–अदमहाजिरी में खारिज हो चुका है इसलिए न्यायालय हाजा स्तर पर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। इसलिए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के फैसले को लागू किए जाने पर कोई कानूनी बाधा नहीं है।

इसलिए न्यायालय द्वारा धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों अनुसरण में 151 सीपीसी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो उपखंड अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 19/2003 में किए गए फैसले दिनांक 24.09.2003 की पालना से पूर्व की स्थिति बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 95/2022

1. साक्षी, सेनू बाला, विशिष्ट पुत्र/पुत्रियां विनोदकुमार पुत्र कृष्णलाल पुत्र रिंगूराम जाति बिश्नोई जरिये कुदरतवली माता सीमा पत्नी विनोदकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 12 बीडी खाजूवला जिला बीकानेर

...प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र रिंगुराम जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहसील खाजूवाला जिः बीकानेर
2. कमला पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
3. सुनीलकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
4. राधा पुत्री कृष्णलाल पत्नी विष्णु गोदारा जाति बिश्नोई निः साधुवाली हाल चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
5. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक 29.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल के पिता रिंगुराम को विरास्त में तहसील रायसिंगनगर के चक 2 टी.के. का खसरा नं0 28, मुरब्बा नं0 165/301, 166/293, 165/301 की भूमि मिली थी जो रिंगुराम के फौत हो जाने पर विरास्तन प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल व अन्य सहवारिसान के नाम दर्ज हो गई तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल ने ब ऐवज प्रतिफल जरिये बैयनामा, दस्तरबरदारी के 24.05.1994 व दिनांक 09.02.1998 को विक्रय हस्तान्तरित कर दी तथा उक्त कीमत रूपयो से चक 12 केवाईडी में मुरब्बर नं0 136/34 की भूमि खरीद कर ली तथा चक 12 बी.डी. में आकर रहवास करने लगे। प्रार्थीगण के दादा ने उक्त 12 केवाईडी की भूमि विक्रय करने का करार कर उक्त रूपयों से चक 12 बी.डी. मुरब्बा 133/4 के किला नं0 1 ता 16 की 16.00 बीघा, मुरब्बा 133/30 के किला नं0 1 ता 12 की कुल 12.00 बीघा, मुरब्बा नं0 134/9 के किला नं0 5, 6, 15 की कुल 3.00 बीघा व मुरब्बा नं0 133/12 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 0.05 बीघा इसप्रकार कुल 31.05 बीघा कमाण्ड भूमि खरीद की तथा स्टाम्प ड्यूटी में 1 प्रतिशत छूट के कारण दादी श्रीमती कमला व शेष भूमि दादा कृष्णलाल के नाम जरिये बैयनामा दर्ज रिकॉर्ड करवाई जो कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के परिवार की पैतृक सम्पति विक्रय कर खरीद की गई है। लिहाजा उक्त वादगत भूमि भी प्रार्थीगण के परिवार की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा उक्त भूमि वादगत को परिवार का कोई एक सदस्य मनमर्जी से हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।

प्रार्थीगण के परिवार के मुखिया दादा दादी (अप्रार्थी सं0 1, 2) ने परिवार की सम्पति का बंटवारा कर दिया तथा उक्त लिखित बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण के पिता का विरासतन हिस्सा प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दिया तथा मुताबिक समझौता पारिवारिक बंटवारा 8.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दिया तथा परिवार की देनदारियो (कर्जा/ऋण) चुकाने के लिये अप्रार्थी संख्या 3 को 3.00 बीघा अतिरिक्त भूमि प्रदान कर दी है। मुताबिक समझौता पारिवारिक बंटवारा 8.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दी जो कि मुरब्बा नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 10 में 8.00 बीघा थी जो काश्त हेतु 1 वर्ष के लिये सन् 2016 में प्रार्थीगण खुद ही काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के बूढ़े दादा दादी अप्रार्थी संख्या 1, 2 को बरगलाते है कि रिकॉर्ड में तुम्हारे नाम है। तुम हस्तान्तरित कर सकते हो। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लालचवंश रिकॉर्ड में अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर भूमि रहन, बैय या मुंतकिल कर दी तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त कृत्य से रोकने का एकमात्र उपाय चिरस्थाई निषेधाज्ञा ही है। प्रार्थीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाहमी को ही अंतिम मानकर अपने पिता के हिस्सा तक 1/4 हिस्सा पांति की मुरब्बा नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 5 सालम, 6 ता 10 की कुल 3.00 बीघा कुल 8.00 बीघा भूमि अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार बंटवारा दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा उक्त बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड होने से किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा नहीं होगी तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रथम दृष्ट्या मामला व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए रिकॉर्ड व मौका की स्थिति कायम रखने के आदेश के का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस करवाई गई। जिसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गौड़ ने जवाब प्रार्थनापत्र व दस्तावेज दिनांक 29.07.2022 पेश किये। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 का जवाब इसप्रकार है कि रिगूंराम के स्वर्गवास के पश्चात गांव 2 टी.के. रायसिंहनगर में दर्ज विरास्तान भूमि को अप्रार्थी सख्या 1 ने कुछ भुमि शेष सहहिस्सेदारो के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के रीलीज कर दी तथा 4.00 बीघा साढे 10 बिस्वा नहरी व पोने दो बिस्वा बारानी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केवल मात्र एक लाख चालीस हजार रूपये प्रतिफल राशि के पारिवारिक आवश्यकता के लिए विक्रय की गई थी। उक्त प्रतिफल राशि से चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भुमि खरीद करना सरासर गलत, झुठ व रिकार्ड के विपरीत है क्योंकी ना तो चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने खरीद की तथा ना ही उक्त भूमि वर्ष 1998 में खरीद की गई बल्कि उक्त भूमि तो अप्रार्थी सख्या 01 के नाम से बतौर भूमिहीन काश्तकार वर्ष 1971 में टी.सी. (आरजी काश्तकार के रूप में) आवंटन के रूप में आवंटित हुई थी जो बाद में दिनांक 18.04.1974 को पुख्ता आंवटित हुई थी। ऐसी स्थिति में चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भूमि को चक 2 टी.के. की भूमि को विक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से खरीद किया जाना अंकित करना सरासर गलत, रिकॉर्ड के विपरित एवं वादपत्र व प्रार्थना पत्र का सर्वोपरि झुठा एवं मनगंढत आधार बनाना है। उक्त रिर्कोडेड एकमात्र तथ्य से ही वादपत्र व प्रार्थना पत्र के आधार की सच्चाई को समझा जा सकता है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 12 के वाई डी की भूमि विक्रय करने का करार कर उक्त रूपयों से चक 12 बी.डी. की 31.05 बीघा भूमि खरीद की तथा ना ही अप्रार्थी सख्या 2 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने स्टाम्प ड्युटी में छुट के कारण उसके नाम दर्ज करवाई तथा ना ही उक्त 31.05 बीघा भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक भूमि है तथा ना ही उक्त

भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हित निहित है क्योंकि उक्त 31.05 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है जिसमें उनके जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति का कोई हक–हिस्सा नही है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी सख्या 01 व 02 को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग व हस्तान्तरण के समस्त अधिकार हासिल है। अप्रार्थी सख्या 01 के पुत्र–पुत्री का विवरण स्वीकार योग्य है परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का परिवार संयुक्त अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब नहीं है तथा ना ही अप्रार्थी सख्या 01 हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में थे तथा ना ही परिवार की कोई सम्पति थी क्योंकि उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सख्या 01 व 02 की स्वअर्जित सम्पति है जिसके अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खुद पर्दा कर्ता है जिसमें उनके जीवन काल में कानूनन किसी का कोई हक–हिस्सा अथवा अधिकार नही है। एवं जब उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जीवित है तो प्रार्थीगण के पिता का विरासतन हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तथा अप्रार्थी सख्या 1 व 2 ने अपनी उक्त भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं किया जिसे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में बंटवारा अंकित करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे है वह केवल 1 शपथ पत्र मात्र है तथा उक्त शपथ पत्र में भी वही भूमि दिये जाने का एक शब्द भी अंकित नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के बालिग होने तक 8.00 बीघा की ठेका राशी दिये जाने का उल्लेख है परन्तु उसके बावजूद भी समस्त तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर बुजुर्ग दम्पति की स्वअर्जित भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द की तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की उक्त भूमि पर कभी प्रार्थीगण की माता का कभी कब्जा काश्त रहा तथा ना ही प्रार्थीगण की कोई फसल काश्त की हुई है एवं ना ही प्रार्थीगण किसी भी सूरत में उक्त भूमि के खातेदार घोषित हो सकते है क्योंकि जब उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त ही नही रहा तथा ना ही उनका उक्त भूमि पर कोई हक हिस्सा है तो उनके पक्ष में निषेधाज्ञा का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता क्योंकि कभी कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ ही नहीं और कानून हो भी नहीं सकता तो मुरब्बा नं0 133/30 की 8.00 बीघा अथवा अन्य किसी भूमि को प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज करवाने के किसी प्रकार के अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं है क्योंकि 15.06.2022 अथवा उसके पहले या पश्चात् प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम की किसी भी भूमि पर कब्जा काश्त ही नही था तो उन्हे धमकी दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। तमाम तथ्य प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए झूठे अंकित किये गये है।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को अपनी स्वअर्जित उक्त भूमि पर शांतिप्रिय कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में ना तो प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा ना ही उन्हे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का कोई अंदेशा है तथा जब किसी भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व हक हिस्सा ही नही है तो किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है एवं उपरोक्त आधारहीन व झूठा प्रार्थना पत्र हैवी कोस्ट पर खारीज किया जाना आवश्यक है जिससे कि झूठे मुकदमेबाजी पर अंकुश लग सके।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना के कथनों को दोहराते हुवे व प्रस्तुत दस्तावेज एवं नजीर माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील सं0 3264 /2011, डी/20.08.2018 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः चक 12 बी. डी. के मु0नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 10 की कुल 3.0348 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण साक्षी वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 33/2020

1 मंगतुराम पुत्र फरसाराम जाति मेघवाल साकिन चक 23 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 विनोद पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन चक 23 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1 विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सारस्वत वादी की ओर से
2 पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01.08.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4.9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसपर लम्बे अरसे से वादी काबिज काश्त है एवं ढ़ाणी व मकान बनाकर रहवास कर रहा है। प्रतिवादी सं0 1 निहायजी झगड़ालू व भूमाफिया व्यक्ति है तो गरीब व असहाय लोगो की भूमि येन–केन हड़प लेता है। वो जबरन किला नं0 1 ता 5 से रास्ता निकालकर अपने खेत में जाना चाहता है जबकि प्रतिवादी के मु0नं0 74/15 के किला नं0 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता चालू है जिसकी नजर वादी की भूमि पर है और उसे येन–केन बहाने बनाकर हड़पने पर आमादा है। वादी के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटान रास्ता है तथा खाला भी वादी के खेत में है। राजनीतिक पहुँच से जबरन वादी की खातेदारी में रास्ता निकालकर उसपर ग्रेवल डालकर अपना रास्ता बंद करना चाहता है। अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है कि चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादी की कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4.9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड में प्रतिवादी दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी सं0 1 को तलवी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 समन/नोटिस भिजवाने पर उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 01.08.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रकबे की जमाबंदी अनुसार उक्त रकबा वादी के नाम खातेदार दर्ज है इसलिए वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद धारा 188 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित

शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादी की कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4.9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/2022

2. अशोक कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण वेदप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 5 के.डी. ए तहः रावला हाल आबाद चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

...प्रार्थीगण

बनाम

7. बालीदेवी पत्नी हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
8. जगदीश पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चक 17 बी.एल.डी. तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
9. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री जयवीरसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
4. श्री दिलीपसिंह अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक .....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के पडदादा रामजस पुत्र मामराज के नाम से तहसील अबोहर के ग्राम गुमजाल की खेवट संख्या 30, खतूनी नं. 491 से 498 का खसरा नं. 160, 161, 165, 317, 318 मे करीब 6 किला महंगी कीमत की पुश्तैनी कृषि भूमि थी। प्रार्थीगण के पडदादा ने उपरोक्त पुश्तैनी भूमि को हमारे दादा हंसराज की सहमति से उसको आगे हंसराज व उसके सगे भाई मोहनलाल पुत्रगण ताराचंद को वर्ष 1983 में विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि के विक्रय करने उपरान्त उससे प्राप्त प्रतिफल राशि प्रार्थीगण के दादा हंसराज को सुपुर्द कर दिये ताकि वे इस रकम से आगे अपनी अन्यत्र भूमि क्रय कर सके। उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्राप्त प्रतिफल राशि से प्रार्थीगण के दादा हंसराज ने तत्कालिन तहसील पीलीबंगा हाल तहसील गोलूवाला का चक 4 एच.डी. पी. का मुरब्बा नं. 55/29 में 3.795 हैक्टेयर भूमि क्रय की। उपरोक्त भूमि में से वर्ष 1989 में अपने हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्सा मनोहरलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई को बेच दिया तथा शेष 1/2 हिस्सा रामजस पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 25 एम.ओ.डी. को दिनांक 24.07.1989 को विक्रय कर दिया । उसी पुश्तैनी भूमि रकम से प्रार्थीगण के दादा ने पहले जरिये ईकरारनामा तहसील खजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मु0नं0 34/56 की कुल 2.5292 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि क्रय की थी तथा उसके बाद उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्राप्त रकम से ही खरीदशुदा कृषि भूमि का बैयनामा प्रर्थीगण के दादा ने प्रार्थीगण की दादी बालीदेवी पत्नी हंसराज जाति बिश्नोई के नाम से दिनांक 17.09.2013 को तस्दीक करवा लिया तथा प्राप्त रकम में से कुछ रूपयों से रहने के लिये उपरोक्त मुरब्बा नं0 34/56 में मकान बना लिया।

इसप्रकार उपरोक्त धारित कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की दादी के नाम से दर्ज है, वह प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। चूंकि उपरोक्त भूमि

पहले पंजाब में थी उसकी प्रतिफल राशि से ही आगे चक 25 एमओडी में खरीद की थी और उपरोक्त 25 एमओडी की भूमि को विक्रय कर उसी रकम से प्रर्थीगण के दादा ने वर्तमान भूमि चक 17 बीएलडी बी में खरीद की थी। जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की दादी के नाम से चली आ रही है इसप्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण का बाई बर्थ हक एवं हिस्सा मुताबिक हिन्दू विधि एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित एवं निश्चित हो गया है। प्रार्थीगण के दादा हंसराज के दो लड़के है। जिनका नाम वेदप्रकाश व अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश है इसप्रकार दोनों प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में 1/3 हिस्सा यानि 0.8430 हैक्टर भूमि बनती है जिसपर जन्म से ही प्रार्थीगण का हक एवं हिस्सा निश्चित है और प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा 34/56 के किला नं0 7 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण के हक एवं 1/3 हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थीगण अन्य किसी को विक्रय नहीं करे एवं उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक एवं हकूको पर कुठाराघात हो तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तलवी अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह ने उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी कड़ी मेहनत व अपने जीवन की जमा पूंजी से चक 17 बीएलडी बी का मु0नं0 34/56 की कुल 2.5292 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा विक्रेता परमेशवरीदेवी को दिनांक 11.09.2013 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि रूबरू गवाहन के अदा कर विधिवत रूप से खरीद कर पंजीबद्ध हुई है जो कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की समस्त जीवन की जमापूंजी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर खरीद के दिन से मौका पर कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी सं0 1 अपने उक्त भूमि मकान बनाकर अकेली निवास कर रही है। अप्रार्थी सं0 1 वर्तमान में काफी वृद्ध है तथा वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी की महिला है और उक्त भूमि ही अप्रार्थी सं0 1 के बुढापे व जीवन के अन्तिम पड़ाव का एकमात्र सहारा व स्त्रोत है इसलिए वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की निजी व व्यक्तिगत सम्पति है। जिसमें किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। ''भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के तहत हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यनियकत अपनी सम्पति होगी। हिन्दू नारी के कब्जे में कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न की परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी''। माता–पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 22 व 23 में वरिष्ठ नागरिको के अधिकारो को संरक्षित करने का प्रावधान दिये गये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित पैतृक सम्पतियां ग्राम गुमजाल व 4 एचपीडी की सम्पति का अप्रार्थी सं0 1 की सम्पति के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में कोई हित निहित नहीं है।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मनगढत तथ्यो के आधार पर पेश किये गये प्रार्थनापत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त दावा पुश्तैनी के संबंध में अपने हको के लिए उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है जिसके साथ यह टीआई प्रार्थनापत्र पेश किया है। श्रीमानजी हम प्रार्थीगण के पड़दादा रामजस के पुश्तैनी कृषि भूमि अबोहर तहसील का ग्राम गुमजाल के विभिन्न खसरों में थी पड़दादा ने उपरोक्त भूमि हमारे दादा की सहमति से आगे वर्ष 1983 में विक्रय कर दिया और उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से तहसील पीलीबंगा का चक 4 एचडीपी में मुरब्बा नं0 55/19 की 3.795 है0 कृषि भूमि क्रय की थी। फिर उस भूमि को भी आगे विक्रय कर दिया फिर उसी पुश्तैनी से मिलि प्रतिफल राशि से हमारे दादा ने खाजूवाला तहसील का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा नम्बर 34/56 में कृषि भूमि दिनांक 17.09.2013 को क्रय की जिसका बैयनामा एक प्रतिशत की बचत करने के लिए हमारी दादी बालीदेवी के नाम से बैयनामा तस्दीक करवा दिया। इसप्रकार उपरोक्त भूमि मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम हमारी पुश्तैनी भूमि बखुबी साबित है जिसपर जन्म से ही हमारा हक एवं हिस्सा निश्चित है यह सम्पति अप्रतिबधितदाता की श्रेणी में आती है तो हमारे पूर्वजो से हमारे पड़दादा, दादा को विरासत में मिला है। वर्तमान में हमारे चाचा जगदीश के बेईमानी आ गई वह हमारी दादी से मिलकर उक्त भूमि को विक्रय करवाना चाहता है अगर वह अपने मकसद से कामयाब हो गया तो हमारे हिस्से की कृषि भूमि भी स्वतः आगे विक्रय हो जायेगी जिससे हम हमारे विधिक अधिकारों से वंचित हो जाएगें और दावे का मकसद की समाप्त हो जायेगा इसप्रकार प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या प्रकरण साबित है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 जानबुझकर हमें हमारे अधिकारों से वंचित करना चाहते है इसलिए हमने यह दावा पेश किया है वर्ना 2013 से आजतक हमने कभी भी अप्रार्थी के विरुद्ध वाद पेश नहीं किया है अप्रार्थी ने अपने जवाब में कहा की प्रार्थीगण अपने दादा एवं दादी का बहुत सम्मान करते है उनका पूरा ख्याल रखते है उन्होने कभी भी अपने दादा दादी के साथ मारपीट नहीं की है व अप्रार्थी ने जवाब के साथ भी ऐसा कोई दस्तावेज, एफ.आई. आर., किसी पुलिस कार्यवाही की कोई प्रतिलिपि कोई अदालत में पेश नहीं की है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी ने मारपीट की है। अप्रार्थी ने विशेष कथन में यह अंकित किया है कि उसने अपनी कड़ी मेहनत व जमापूंजी से यह भूमि क्रय की है चूंकि अप्रार्थी ना तो कोई नौकरी करती है और नाही कोई व्यापार करती है नाही उसके पास इतना रुपया था कि वह स्वंय के रुपयों से यह भूमि खरीद कर सकती है। पुश्तैनी भूमि को विक्रय कर खरीद की थी जैसा की जवाब के पैरा संख्या 3 में अप्रार्थी स्वंय इस बात को स्वीकार करता है। इसप्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप साबित है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब सीनीयर सिटीजन का हवाला दिया है तो सही तथ्य यह है कि अगर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के साथ मारपीट करते उनको तंग परेशान करते तो वइ इस एक्ट में अदालत हाजा के समक्ष कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र है लेकिन वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण उनकी दादी एवं दादा का प्रार्थीगण भरणपोषण सदैव तत्पर एवं तैयार रहे है फिर भी अगर वह भरणपोषण की मांग करते है तो ग्राम की सामाजिक एवं रिस्तेदारों के बीच में पंचायत जो तय करेगी वो मासिक रूपये के हिसाब से देने को तैयार है अगर अदालत हाजा में भी सीनियर

सिटिजन के तहत प्रार्थनापत्र पेश करते है तो प्रार्थी उनका भरणपोषण देने को तैयार है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 अपने छोटे पुत्र जगदीश के प्रभाव में है तथा उसी के कहने में आकर यह भूमि विक्रय करना चाहती है तथा उससे प्राप्त राशि को वह जगदीश को देना चाहती है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में धारा 14 ए हिन्दू नारी की सम्पति के संबंध में लिखा है कि यह सम्पति उसकी आत्यनियकत सम्पति है यह सिद्धान्त इस सम्पति के संबंध में लागू नहीं होता चूंकि उपरोक्त कृषि वर्ष 2013 बालीदेवी के नाम से हस्तान्तरण हुई जिसको 9 वर्ष हुआ है जबकि प्रार्थी की उर्म करीब 26 से 30 उनका जन्म 2000 से पूर्व का है इसप्रकार जब उनका जन्म हुआ उसी समय बाई बर्थ उनका उपरोक्त भूमि जो उनके पूर्वजों की थी में हक हिस्सा 1/3 निश्चित हो गया था और उनके जन्मसिद्ध हक एवं हिस्से कृषि भूमि को बेचकर ही उसी राशि से ही वर्ष 2013 में वादग्रस्त हमारे दादा ने खरीद की थी इसप्रकार यह पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसका सिर्फ स्टाफ ड्यूटी बचाने के लिए हमारी दादी के नाम से दर्ज करवा दी थी इसलिए उपरोक्त धारा 14 ए के तहत इस भूमि के संबंध में कोई भी धारणा नहीं की जा सकती है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैंड से आया है तथा प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण पूर्ण रूप से साबित है यदि अप्रार्थी सं0 1 व 2 आपस में मिलकर वादग्रस्त भूमि विक्रय कर देंगें तो प्रार्थी के हक एवं हिस्से की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 34/56 की कुल 2.5292 है0 का 1/3 हिस्सा भी साथ में विक्रय हो जायेगा प्रार्थीगण को अपूर्णतीय क्षति होगी और इस भूमि के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई भूमि नहीं है वह भूमिहीन हो जाएगे अतः तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला वाद स्वीकार करने की कृपा करें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थीगण का मनगढत बातों के आधार पर पेश प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित भूमि है और प्रार्थीगण ने अपनों कथनों को साबित करने के पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में मामला बनता हो और भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम है इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में है और प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज करते हुवे दिनांक 25.03.22 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 ता 2 अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस का अध्ययन मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 34/56 के किला नं0 7,8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 2.5292 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण अशोककुमार वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 25.03.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 136/2021

3. पतराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी हाल आबाद चक 6 डी. डब्ल्युडी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

5. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चुरु ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।
7. बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री सुभाषचन्द्र जालप अधिवक्ता वादी की ओर से
4. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 04.08.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के परिवार का आय का एकमात्र साधन उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ही है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम की भूमि चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 का किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी के सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी. एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर व किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि को वादी स्वंय ने जरिये बैयनामा दिनांक 21.12.1998 को खरीद की थी। जिसका बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक खाजूवाला में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 1386 पर अंकित किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या/जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 28 पर चस्पा किया गया है। उक्त रकबे का बैयनामा का नामान्तरण दिनांक 05. 03.1999 को नामान्तरण संख्या 39 पर वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के नाम से दर्ज हो गया व उक्त रकबा का कब्जा वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई का बैयनामा से लेकर आजदिनांक तक चलता आ रहा है। उक्त भूमि के बैयनामा का नामान्तरण संख्या 39 वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के नाम से दर्ज होने के बाद वादी व वादी का सहिस्सेदार भाई अधिक पढ़े लिखे नहीं होने के कारण नामान्तरण की प्रति प्राप्त कर भूमि अपने नाम से होना समझकर उक्त भूमि को सुधारने व कृषि कार्यो में व्यस्त हो गये थे। वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई अपने उक्त रकबा के के.सी.सी. फाईल लेने हेतु दिनांक 10.09.2021 को हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने कहा की आप कहां घूम रहे हो।

उक्त भूमि आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। वादी को पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि

उक्त भूमि की गिरदावरी में पटवारी हल्का द्वारा सहवन से वादी व वादी के भाई का नाम अंकन होने से छूट गया। जिससे वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो सका तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 का ही नाम अंकित रह गया है। वादी अपने व अपने सहिस्सेदार भाई के नाम उपरोक्त रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में अपना व अपने सहिस्सेदार भाई का नाम अंकित करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा का पेशकर निवेदन किया है कि चक 6 डी. डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 का किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी के सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम से व किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस/समन भिजवाने उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 20.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3 को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया एवं प्रतिवादी सं0 3 ने वादपत्र में इकबाली जवाबदावा पेश किया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई । उक्त रिपोर्ट अनुसार ''वर्तमान जमाबन्दी में चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा भूमि भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज है। सन् 1998 से आजदिनांक तक जमाबन्दी में मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 कुल 23.00 बीघा का कोई अंकन परिवर्तन नहीं हुआ। ना0सं0 38/05.03.1999 के द्वारा मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा रकबा भारदराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदार स्वीकृत हुआ। ना0सं0 39/05.03.1999 जरिये बैयनामा द्वारा मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 कुल 23.00 बीघा 2 अलग–अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज हुईः– 1. **बुधराम** पुत्र धन्नाराम बावरी साकिन 2 पीएसडी(ए) तहसील घड़साना जिला गंगानगर मु0नं0 109/60 किला नं0 5 ता 7/3.00 बीघा, 1 ता 4/4.00 बीघा, 8 ता 11/4.00 बीघा, 12/0.10 बीघा कुल 11.10 बीघा खातेदार व 2. **पतराम** पुत्र धनाराम जाति बावरी साकिन 2 पीएसडी(ए) तहसील घड़साना जिला गंगानगर मु0नं0 109/60 किला नं0 13 ता 19/7.00 बीघा, 21 ता 23/3.00 बीघा, 20/1.0, 12/0.10 कुल 11.10 बीघा खातेदार स्वीकृत हुई। मौके पर मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 मे जमाबन्दी के रकबे अनुसार व ना0सं0 39/05.03.199 अनुसार बुधराम व पतराम पि0 धनाराम जाति बावरी का कब्जाकाश्त है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का स्थगन आदेश अंकित है''।

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि श्रीमान वादी व प्रतिवादी सं0 3 अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण जानकारी के अभाव में आजदिनांक तक रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने का ध्यान नहीं दिया गया और अब वादी व प्रतिवादी सं0 3 जरिये बैयनामा से क्रय रकबे अधिकार

घोषणा के जरिये अपने नाम को उपरोक्त वर्णित रकबे में खातेदार के रूप घोषणा करवाकर रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहते है। जिसके पक्ष में प्रमाणित प्रति बैयनामा, ना0सं0 38 खातेदारी व ना0सं0 39 बैयनामा व खातेदारी की छायाप्रति व वर्तमान जमाबन्दी पेश की है तथा तहसीलदार रिपोर्ट से भी वादी व प्रतिवादी सं0 3 के कथन की पुष्टि होती है तथा वादी के वादपत्र के पक्ष में बल मिलता है। इसलिए भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज भूमि चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा में से किला नं0 1 ता 23 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम की जगह चक 6 डी.डब्ल्यु. डी. का मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 3 सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम तथा किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज भूमि चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा में से किला नं0 1 ता 23 की 23.00 बीघा भादरराम का नाम हटाकर उसकी जगह वादी पतराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. हाल आबाद चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. तहसील खाजूवाला जिला के नाम किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं0 3 बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जाते है तथा दिनांक 2109.21 व 28.6.22 को जारी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–97/2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
..... वादी

बनाम

तेजासिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी 4 केएलडी खाजूवाला।
.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री इमीचंद गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 30.11.2015 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 97/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 282/2007 को 26.12.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26. 12.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/44, 171/43, 171/36 में अवैध जिप्सम निकाला जा रहा है। मु0नं0 171/44 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड रकबा लखविन्द्रसिंह पुत्र भागसिंह जटसिख के नाम खातेदारी है जिसके किला नं0 9, 10 में जिप्सम खुदाई का कार्य हो रहा है। मु0नं0 171/36 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड रकबा तेजासिंह पुत्र लालसिंह जटसिख के नाम खातेदारी है जिसके किला नं0 7, 8, 13, 14 में जिप्सम निकाल रहा है। मु0नं0 171/43 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड हुकमाराम पुत्र भीखाराम कौम मेघवाल सा0 इन्द्रोका तहः जोधपुर पुख्ता आवंटन है जिसके किला नं0 11, 12 में अवैध जिप्सम निकाला जा रहा है। जिसका मौके पर कब्जा भागीरथ पुत्र सत्यनारायण कुम्हार

का है। अवैध जिप्सम भागीरथ कुम्हार निकाल रहा है। जिप्सम की खुदाई मशीन के द्वारा की जा रही है। मशीन मलूराम बिश्नोई की है। जिप्सम एक प्रमुख खनिज है तथा बिना राज्य सरकार की अनुमति के उसका खनन करना गैरकानूनी है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22.01.2021 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श–1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि भू.अ. निरीक्षक जीरो आर.डी. व पटवार हल्का 2 केएलडी के चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 18 में लगभग 90X90 फीट की साईज में एक बड़ी डिग्गी बनी हुई है जो वर्तमान में जर्जर व खंड्डर है। उक्त रकबा ना.सं. 79 दिनांक 19.03.2015 से अराजीराज दर्ज हुआ था जो आदिनांक तक अराजीराज दर्ज है। वर्तमान में मौके पर मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की कुल 9.04 बीघा भूमि साफ व समतल है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 05.07.2022 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी के नाम से चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज कागजात माल थी जो कि वर्तमान मे अराजीराज है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा जरिये बैयनामा से काबिज होने से व आज दिन तक किसी प्रकार का कोई अहित कार्य नहीं किया है, तथा ना ही कृषि भूमि के जोत के अधिकारो का उल्लघंन किया है। उक्त रकबा में कृषि प्रयोजनार्थ के लिये व भूमि विकास सुधार के लिये कुछ वृक्ष लगाये है। वृक्षारोपण करने के लिये भूमि में गढ्ढा खोदना आवश्यक होता है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा में भूमि सुधार नियमो के तहत अपने व अपने परिवार के निवास व रहने के लिये निवास गृह का निर्माण किया है। निवास निर्माण के लिये मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिसके लिये प्रतिवादी ने कुछ जगह पर मिट्टी की खुदाई की है तथा प्रतिवादी काश्तकारी वर्ग का होने के से पशुपालन करता है। पशुओ के पेयजल के लिये पानी इकट्ठा करने के लिये गढ्ढा खोदा हैं जिसमें पशुओं के पेयजल व मानव जीवन के पेयजल के लिये पानी का कई दिनों तक संग्रह किया जाता है। प्रतिवादी का उक्त रकबा पक्की मिट्टी/जिप्सम का होने से वर्षा काल में वर्षा का पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। जिसमें खड़ी फसल को पानी की कमी मे सिंचाई करने के लिये पानी इकट्ठा करने के लिये छोटे से बांध, पानी की डिग्गी निर्माण के लिये खुदाई की गई है। वर्तमान में राज्य सरकार हर काश्तकार को 100X100X100 फीट डिग्गी निर्माण पर अनुदान की योजना चल रही है।

जिसके तहत डिग्गी का निर्माण किया गया था जो कि वर्तमान में जर्जर हालात में है। प्रतिवादी ने काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त रकबा में सुधार कार्यो के लिये निवास गृह, पशुशाला, पशुओं के लिये जलाश्य व कच्चा बांध सिंचाई के लिये ही खुदाई का कार्य किया है तथा उक्त खुदाई की मिट्टी का उपरोक्त सुधार कार्यो में ही उपयोग लिया गया है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा की जिप्सम मिट्टी का किसी प्रकार के

व्यवसायिक रूप में ना तो दोहन किया है तथा ना ही उसका व्यवसाय किया है। उपरोक्त कार्यो के लिये की गई खुदाई के बाबत् धारा 177 आर.टी.एक्ट. के परन्तुक (2) में लिखा गया है कि कृषि कार्यों के लिये बांध, तालाब, कुंए, जल सारणी निर्माण अहितकर कार्य नहीं माने गये है। वादी ने उक्त वादपत्र मनगढ़त व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए वादी को किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक साईक्लों स्टाईल वाद बना रखा है जिसमें नाम पता भरकर अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वाद के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है इसलिए वादी का वादपत्र खारिज योग्य है।

मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः—

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   ..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .... जिम्मे प्रतिवादी

न्यायालय हाजा के पत्रांक/249 दिनांक 10.03.2022 द्वारा पुनः तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिकॉर्ड रिपोर्ट ली गई उक्त की पालना मे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इसप्रकार है कि चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबा अराजीराज दर्ज है। मौका अनुसार उक्त रकबा पाकसाफ व समतल कृषि योग्य है। मौके पर किला नं0 18 मे लगभग 90X90 वर्गफीट की साईज में एक बड़ी सिंचाई डिग्गी बनी है जो कि वर्तमान में जर्जर व खण्डर हालात में हे। उक्त रकबा ना0 सं0 79 दिः 19.03.15 से राजस्व रिकॉर्ड मे अराजीराज दर्ज हुआ जो आजदिनांक तक अराजीराज दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबे से संबंधित प्रकरण अन्य कोई न्यायालय में जैरकार नहीं है और नाही वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन वाद विवाद है। वर्तमान में मौके पर मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15,18 कुल 9.04 बीघा भूमि पाकसाफ व समतल कृषि योग्य है।

राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरा जवाबदावा

स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2014 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 22.01.2021 व 20.09.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 22.01.2021 व 20.09.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 16.09.2007 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1,2 साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 97/2020 सरकार बनाम तेजासिंह खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 282/2007 दिनांक 26.12.2014 की पालना में चक 4 केएलडी मु0नं0 171/36 किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय

की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–126/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन अमरपुरा तहः पूगल जिः बीकानेर
2 सुमनकुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक 9 केवाईडी खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री इमीचंद गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :–**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेष किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 40 केजेडी ए के मु0नं0 68/42 के किला नं0 20/2, 21/2 प्रत्येक में 0.2276 है0 व किला नं0 22 में 0.2529 है0 कमाण्ड कुल 0.7081 रकबा है0 कमाण्ड भूमि खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन अमरपुरा तहः पूगल जिला बीकानेर खातेदार की भूमि पर जगह–जगह जिप्सम के अवैध खनन के खड्डे मौजूद है। यह अवैध खनन खातेदार द्वारा करवाया जा रहा है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को आवंटन कृषि कार्य हेतु किया गया था जिप्सम खनन के लिए नहीं किया गया था। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 05.07.2021 को शामिल पत्रावली की गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी खुमाराम ने उक्त रकबा सुमन पुत्र

ओमप्रकाश को विक्रय कर दी है, इसलिए दिनांक 05.07.2022 को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सुमन का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार कर सुमन को पक्षकार बनाया गया। उक्त पटवारी रिपोर्ट को प्रदर्श – 1 पढ़ा गया। प्रतिवादी सुमन ने दिनांक 19.07.2022 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 40 केजेडी ए का मु0नं0 68/42 के किला नं0 13 ता 19 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 20/2 में 0.2276 है, 21/2 में 0.2276 है, 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 3.2371 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी अमरपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर के विरूद्ध अवैध खनन पेश किया है। जो झूठा पेश किया गया है। उक्त अनवानी प्रकरण मं अप्रार्थी सं0 2 सुमनकुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी 9 केवाईडी खाजूवाला जिला बीकानेर उक्त भूमि की रजिस्ट्रर्ड जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.2022 की मालिक व मालिकाना हक रखती है तथा उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खरीद समय से ही भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि में वर्तमान में ग्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा वादगत भूमि का उपयोग पहले भी कृषि कार्य में किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भी भूमि का उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपरोक्त वर्णित रजिस्ट्री पेश की जिसको प्रदर्श– 2 पढ़ा गया। अप्रार्थी सं0 2 का जवाब स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जाखर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/341 दिनांक 05.07.2022 अनुसार चक 40 केजेडी ए के मु0नं0 68/42 के किला नं0 20/2, 21/2, 22 रकबा 0.7081 है0 पर ग्वार छींटकर हैरा लगाया हुआ है। मौके पर काबिज काष्तकार सुमन पुत्री ओमप्रकाष जाति मेघवाल ने बताया कि उक्त भूमि का बैयनामा उसके पक्ष में पंजीबद्ध है व यह रकबा इसी स्थिति में उसने खातेदार खुमाराम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। मौके पर मौतबिरान ने बताया कि उक्त रकबा के चिपते पश्चिम मु0नं0 68/34 के किला नं0 16,25 में जरिये एसटीपी खनन कर रहे लीजधारक आदि ने सीमा टेढी–मेढी होने से व मु0नं0 68/42 के वर्णित रकबा का खातेदार यहां निवासी नहीं होने से किला नं0 20/2, 21/2, 22 में भी खनन कर खड्डे कर दिये थे। खातेदार खुमाराम के यहां आने पर पता लगा तो उसने उक्त रकबा को पुनः सही करवाकर काबिल काश्त किया था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी सुमनकुमारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है

अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 15.06.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 28.07.2021 व न्यायालय हाजा में दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट भी विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में प्रदर्श 1–2 साक्ष्य/सबूत के तौर पर मजबूती प्रदान करते है जो जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित हो जाने तथा वादी को वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–58/2022

1. श्रंगारासिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 बी.डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :– 20.09.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थी के पिता कृपालसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख साकिन संगरिया के नाम से चक 13 बी.डी. के मुरब्बा नं0 134/46 के किला नं0 1 ता 25 में 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदार भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि की अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रो गुरूनेकसिंह के पक्ष में किला नं0 16 ता 18, 21 में 16 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा, कुल 7.08 बीघा कमाण्ड रकबा व करतारसिंह के किला नं0 6 सालम, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 15 सालम, 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, कुल 7.16 बीघा कमाण्ड रकबा व श्रंगारासिंह के किला नं0 1 में 18 बिस्वा, 2 ता 5, 7 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा कुल 8.16 बीघा कमाण्ड रकबा को पृथक–पृथक तीनों पुत्रो के पक्ष में उप पंजीयक बीकानेर के समक्ष दिनांक 01.05.1992 को पृष्ठ संख्या 3 जि.सं. 64 पु.सं. 138 क्रम सं0 138 पर पंजीबद्ध करवा दी गयी थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वसीयत के आधार पर वसीयत नामान्तरण दर्ज करने बाबत् तहसीलदार महोदय खाजूवाला के पेशकर नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया जिसपर तहसीलदार खाजूवाला ने नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया जिसपर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 122 भरकर पेश किया जिसे ग्राम पंचायत 14 बी.डी. ने दिनांक 05.08.2004 को स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश नामान्तरण संख्या 122 दिनांक 05.08.2004 को भरते समय व वसीयत लिखते समय शब्द उच्चारण की गलती से प्रार्थी का नाम श्रंगारासिंह के स्थान पर छीगारासिंह कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेज श्रंगारासिंह के नाम से थे।

उसी अनुसार वसीयत लिखी जानी थी और नामान्तरण भी श्रंगारासिंह के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था इसलिए वसीयत एवं वसीयत नामान्तरण में सहवन से

दर्ज प्रार्थी का नाम छीगारासिंह के स्थान पर श्रंगारासिंह दुरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचय पत्र, मूलनिवास व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन नहीं किया इसलिए वसीयत एवं वसीयत नामान्तरण में दर्ज सहवन से प्रार्थी का नाम छींगारा सिंह के स्थान पर श्रंगारासिंह अधीनस्थ न्यायालय दुरुस्त जाने दुरस्त करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर पहचान दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचयपत्र, भामाशाह कार्ड, पेनकार्ड एवं ग्राम पंचायत 14 बी.डी की तस्दीक प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला का पत्रांक 459 दिनांक 29.07.2022 रिपोर्ट अनुसार मु0नं0 134/46 चक 13 बी.डी. में किला नं0 1/2 में 0.2276 है0, किला नं0 2 ता 5 सालम, 7/2 में 0.1012 है0, किला नं0 8,9 सालम, 10/2 में 0.2276 कुल तादादी 2.0738 है0 कमाण्ड भूमि छोगारसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख सा0 13 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि जरिये वसीयत ना0स0 122 दिनांक 05.08.2004 द्वारा आदेश अनुसार छोगारसिंह पुत्र कृपालसिंह के नाम से रिकार्ड में दर्ज है। जो लगातार 05.08.2004 से नाम छोगारसिंह ही चल रहा है। प्रार्थी अपना नाम दुरुस्ती छोगार के स्थान पर अपने पहचान के दस्तावेजों के आधार पर श्रंगारासिंह दुरुस्ती करवाना चाहता है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार छोगारसिंह व श्रंगारासिंह एक ही व्यक्ति से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार कोई वाद–विवाद नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया । तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम श्रंगारासिंह की जगह छोगारसिंह सहवन से गलत दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोगारसिंह की जगह छोगारसिंह उर्फ श्रंगारासिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–137/2022

1. रायसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निः 5 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थी के नाम से वाके चक 2 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 129/21, 26 में कुल 6.3731 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि प्रार्थी को विशेष आवंटन में आवंटित हुआ था। प्रार्थी का सही नाम रायसिंह पुत्र हंसराज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में रामसिंह पुत्र हंसराज अंकित है तो कि गलत है। प्रार्थी की मूल पत्रावली में प्रार्थी का सही नाम रायसिंह अंकित किया गया था जबकि बाद में आवंटन आदेश के समय प्रार्थी का गलत नाम रामसिंह ही अंकित कर दिया गया जिसके कारण आजतक राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामसिंह ही अंकित है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करवाकर अपना सही नाम रायसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर पहचान दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचयपत्र, ग्राम पंचायत किशनपुरा उतराधा तस्दीक, स्वंय का शपथपत्र व इस रकबे की मूल आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रतिलिपि जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर के नकल क्रमांक 2757 दिनांक 20.09.22 प्रस्तुत किये। तहसीलदार खाजूवाला का पत्रांक/तखा/भू0अ0/2022/2095 दिः 04.10.22 ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 2 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 129/21, 26 में कुल 6.3731 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रामसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निः 5 केवाईडी तहः खाजूवाला खातेदार दर्ज है। उक्त रकबा इसी नाम से आवंटन हुआ जो कि आजदिनांक तक रामसिंह नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में

उपलब्ध दस्तावेजो व उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया । मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी के आवेदन में रायसिंह नाम अंकित है व हस्ताक्षर भी अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन आदेश में नाम हस्तलिखित होने तथा रायसिंह व रामसिंह देखने में मिलते–जुलते शब्दों के कारण लिपिकीय त्रुटि से रायसिंह की जगह रामसिंह नाम आवंटन आदेश में अंकित हो गया होगा, जिससे आवंटन आदेश के आधार पर आगे से आगे प्रविष्टि में रायसिंह की जगह रामसिंह की अंकित होता रहा इसलिए वर्तमान रिकॉर्ड में भी वहीं नाम अंकित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम रायसिंह की जगह रामसिंह सहवन से गलत दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह की जगह रायसिंह उर्फ रामसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 115/2021

4. मरिया देवी पत्नी भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 17,भैरू मोहल्ला खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. सुल्तानराम पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. कालूराम पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. दलीप कुमार पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. देवीलाल पुत्र हरफुलराम जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. महेश कुमार पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

5. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
6. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 7.10.22**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया के नाम से वाके चक 8 के.जे.डी.(ए) तहसील खाजूवाला के मु.नं. 102/18 के कि. नं. 20 में 18 बिस्वा कुल 0.18 बीघा का 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज कागजात माल है। जिस पर वादिया लम्बे अरसे से काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि में मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास करती है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 निहायती झगड़ालू व भूमाफिया व्यक्ति है, जो गरीब व असहाय लोगों की भूमि येन–केन हड़प लेते है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 कई बार अनाधिकृत रूप से वादीया की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास किया है।

लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने नापाक इरादों में कामयाब होने से नाकाम रहे। वादिया दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने साथ दस–बारह आदमियों सहित हथियारों से लैस वादिया के कब्जा काश्त रकबा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर

वादीया के साथ मार–पीट लड़ाई–झगड़ा करके व डरा धमका कर उक्त रकबा व मकान से जबरन बाहर निकालकर बेदखल कर दिया। वादीया ने विरोध किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 वादीया को जान सहित मारने पर उतारू हो गये और साफ धमकी दी कि हमनें तो तुम्हें तुम्हारे रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया है। अब तुम चुप–चाप यहां से चली जाओ अन्यथा तुम्हें जान से मार देगें। इस पर वादीया वहां से बेबस होकर चली आई और उन्होंने वादीया का कब्जा काश्त उक्त भूमि व मकान पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 6 उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा किया है, जो कि वादीया अपना कब्जा वापस पाने की विधिक अधिकारी है। अतः वादीया वाके चक 8 के. जे.डी.(ए) तहसील खाजूवाला के मु.नं. 102/18 के कि. नं. 20 में 18 बिस्वा कुल 0.18 बीघा का 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने जबरन अतिक्रमण कर लिया । जिस पर प्रतिवादी सं. 7 को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि कुर्क कर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को खेत व मकान से बेदखल कर वादीया को कब्जा देने के आदेश फरमावें एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 पर बेजा अतिक्रमण व कब्जा करने पर

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को समन जरिये रजि0ए0डी0 भिजवाया गई किन्तु उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के विरूद्ध दिनांक 17.06.22 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने की सूचना प्रार्थीया अधिवक्ता ने दी कि उनके कोई वारिस नहीं है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 का नाम दिनांक 17.06.22 को वादपत्र से हटाया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी का वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि वर्तमान में उक्त रकबे में बने वादिया के मकान पर किसी का कब्जा नहीं है तथा मकान खाली है। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है इसलिए प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को रकबे व इसपर बने मकान पर दुबारा से कब्जा नहीं करें इस बाबत् पाबन्द करें ताकि वादिया को अपनी भूमि पर बने मकान में प्रवेश कर जीवनयापन कर सके।

अतः वादीया का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को आदेश दिया जाता है कि वह (प्रतिवादी सं0 2 ता 6) वादीया के चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/18 के किला नं0 20 में 18 बिस्वा का 1/5 हिस्सा भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करें तहसीलदार खाजूवाला उक्त आदेश की पालना करवावें एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 दुबारा वादिया के रकबे में जबरदस्ती प्रवेश कर दुबारा अवैध अतिक्रमण का प्रयास करें तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–69/2021

2. मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहः व जिला चुरू।
..... प्रार्थी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थी के नाम से वाके चक 36 केवाईडी के मु0नं0 161/46 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 सालम कुल तादादी 14.00 बीघा (3.5406 है0)मयखाला कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु0नं0 161/56 के किला नं0 2 ता 7 सालम कुल तादादी 6.00 बीघा (1.5174 है0) कमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 20. 00 बीघा (5.0580 है0) कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि बतौर भूमिहीन दिनांक 30.3.76 को पुख्ता आवंटन हुई थी। प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम नेपालसिंह है जो प्रार्थी के आवंटन आदेश में अंकित है लेकिन प्रार्थी को पता नहीं चला कि कब और कैसे उसकी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम नेपालसिंह के स्थान पर भोपालसिंह अंकित हो गया। प्रार्थी ने उक्त भूमि के रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम भोपालसिंह की जगह वास्तविक एवं रिकॉर्डेड नाम नेपालसिंह करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 256 दिनांक 16.3.22 प्राप्त हुई जिसके अनुसार सम्वत् 2064 से आदिनांक तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत ही दर्ज है एवं टीआरए सैल रजिस्टर में मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में चुनाव परिचयपत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, शपथपत्र एवं तहसीलदार प्रमाण पत्र चुरू, अपनी दूसरी जमीन दूधवाखारा ख.नं. 57 की जमाबंदी की छायाप्रति पेश की साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित रकबे की जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, बीकानेर के क्रमांक 2214 दिनांक 15.07.22 से प्राप्त मूल आवंटन की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसके प्रार्थनापत्र पत्र, फर्दअहकाम, आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह निः दुधवाखारा तहः व जिः चुरू अंकित है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी नाम मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपूत निः दूधवाखारा तहः व जिला चुरू अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन

आदेश में सही नाम अंकित था किन्तु बाद में राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी के पिता का नाम भोपालसिंह गलत दर्ज हो गया। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निः दूधवाखारा की जगह मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह जाति राजपूत निः दूधवाखारा तहः व जिला चुरू नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–184/2021

1. मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम जाति बिशनोई निवासी 8 बी.डी. खाजूवाला।
2. कनीराम पुत्र हनुमानराम जाति बिशनोई निवासी 8 बी.डी. खाजूवाला।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम तेतरवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–11.10.2022**

यह प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 8 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला के मु0नं0 153/43 के किला नं0 1 ता 17 सालम, 23 ता 25 की कुल 4.9821 है0 कमाण्ड व मु0नं0 153/44 के किला नं0 4 ता 6, 8, 13, 15 व 16, 18, 23 में तादादी 2.2761 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु0नं0 153/45 के किला नं0 1, 2 व 16 ता 25 की 2.9083 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व 153/60 के किला नं0 22 ता 25 की 1.0116 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 11.1781 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा है, जिसका खाता विभाजन प्रार्थीगण ने करवा लिया है। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी प्रविष्टि के समय सहवन व लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल, कनीराम पिसरान हनुमानराम के बजाय मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम दर्ज हो गया, जो गलत है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर सहवन से लिखा गया प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानाराम के बजाय मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम दर्ज किये जाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 1802 दिनांक 7.1.22 प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार खाजूवाला ने लिखा है कि शुरू से वर्तमान तक रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि खातेदारान का सही नाम मनोहरलाल व कनीराम पुत्रगण हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी चक 9 बी.डी. सही है और वर्तमान रिकॉर्ड में शुद्धि की जानी अपेक्षित है। उक्त भूमि पर किसीप्रकार का विवाद नहीं।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, चुनाव परिचयपत्र, राशनकार्ड, मूलनिवास, बैयनामा आदि की छायाप्रति पेश की जिनमें प्रार्थीगण का सही नाम मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम अंकित है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थीगण का उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम के बजाय मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम गलत दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थीगण का नाम व पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम की जगह मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–73/2022

1. सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टिब्बी।
.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि चक 21 बीएलडी बी के मु.नं0 175/28 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा अ0क0 भूमि प्रार्थी को दिनांक 14.09.99 को आवंटन कर आवंटन आदेश जारी कर दिया गया जिसका ना0सं0 247 के द्वारा उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला के नाम से दर्ज कर दी गई। परन्तु उक्त रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम तनसुखराम की मनसुखराम कर दिया गया जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में मनसुखराम की जगह तनसुखराम करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसील खाजूवाला पटवारी पटवार हल्का दन्तौर रिपोर्ट अनुसार आवंटन पट्टा में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम अंकन है जिसका ना0सं0 247 दिनांक 21.09.99 में सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टीबी जिः हनुमानगढ़ विशेष आवंटी दर्ज हुआ जो आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी मुताबिक प्रार्थनापत्र संलग्न दस्तावेज अनुसार सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम की जगह सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम करवाना चाहता है। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस छायाप्रति, ग्रामपंचायत तस्दीक पेश की साथ ही जिला अभिलेखागार बीकानेर के क्रमांक 2099 दिनांक 18.07.22 द्वारा उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली पेश की । जिसमें वादी/प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से वादी/प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम के बजाय सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम गलत दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट एवं मूल आवंटन पत्रावली वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए वादी/प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार बीकानेर के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि

वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र मनसुखराम की जगह सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–72/2022

1. सुरेन्द्रकुमार पुत्र तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला कला टिब्बी जरिये सुरेन्द्रकुमार (पुत्र)।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र सुरेन्द्रकुमार द्वारा न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि चक 21 बीएलडी बी के मु.नं0 175/42 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा अ0क0 भूमि दिनांक 31.799

को तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला के नाम से आवंटन कर आवंटन आदेश जारी किया गया था। आवंटन के पश्चात ना0सं0 256 के द्वारा उपरोक्त आवंटन भूमि तनसुखराम पुत्र मोमनराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया परन्तु उक्त रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय सहवन से आवंटी तनसुखराम के पिता का नाम मोमनराम के स्थान पर मामराज दर्ज कर दिया गया। जिसे वादी/प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार (पुत्र तनसुखराम) शुद्ध करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टिब्बी दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसील खाजूवाला पटवारी पटवार हल्का दन्तौर रिपोर्ट अनुसार आवंटन पट्टा में आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम अंकन है जिसका ना0सं0 256 दिनांक 22.12.99 में तनसुखराम पुत्र मोमनराम वि0आ0 दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2058–2061 व गिरदावरी सम्वत् 2062–2065 में तनसुखराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निः सिलवाला कला तहः टिब्बी वि0आ0 दर्ज है। आधार जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 में तनसुखराम पुत्र मामराज दर्ज हो गया व सम्वत् 2065–68 में तनसुखराम पुत्र मामराज दर्ज है। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में चुनाव परिचय पत्र, आधारकार्ड, संबंधित गिरदावरी, शपथपत्र, वारिस प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र छायाप्रति पेश की साथ ही जिला अभिलेखागार बीकानेर के क्रमांक 2098 दिनांक 18.07.22 द्वारा उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली पेश की। जिसमें आवंटी नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मोमनराम के बजाय तनसुखराम पुत्र मामराज गलत दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट एवं मूल आवंटन पत्रावली वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए आवंटी तनसुखराम पुत्र मामराज की जगह तनसुखराम पुत्र मोमनराम का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार बीकानेर के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि आवंटी तनसुखराम पुत्र मोमनराम की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवंटी का नाम तनसुखराम पुत्र मामराज की जगह तनसुखराम पुत्र मोमनराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–177/2021

1. सत्यपालसिंह पुत्र धुड़सिंह जाति राजपूत साकिन तिहरवाली जिला सीकर हाल आबाद चक 13 के.एच.एम. तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री राकेश झींझा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–11.10.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी ने दिनांक 27.9.94 को चक 13 केएचएम के मु0नं0 40/19, 27 की 12.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा चन्द्रकंवर पत्नी भगवानदान, भगवानदान पुत्र काजदान व ओमप्रकाश पुत्र भरत शर्मा से खरीद की थी। खदीद के दिन से वादगत भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है जिसे वादी हरप्रकार से उपयोग व उपभोग का अधिकारी है। वादी ने वादगत भूमि क्रय की उस

समय डिडराईट ने वादी का नाम बैयनामा में सतुसिंह अंकित कर दिया जबकि वादी का नाम सत्यपालसिंह है। वादी का नाम सतुसिंह के स्थान पर सत्यपालसिंह घोषणात्मक दुरूस्ती की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 13 केएचएम सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी खाता सं0 64 पर मु0नं0 40/19 के किला नं0 18 ता 25 की 8.00 बीघा कमाण्ड भूमि व मु0नं0 40/27 के किला नं0 21 ता 24 की 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि कुल योग 12.00 बीघा कमाण्ड भूमि सतुसिंह पुत्र धूड़सिंह जाति राजपूत निः तिहरवाली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड अंकन है। मौके पर गवार की बिजाई है व कब्जा काश्त है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.10.21 में हल्का पटवारी दंतौर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उपरोक्त रकबे पर सत्यपाल का ही कब्जा काश्त है। पूर्व में इनका नाम अधूरा ही बोला जाता था इसलिए इनको सतूसिंह से पुकारा जाने लगा तथा प्रार्थी अनमढ़ है। साथ आये गवाह व अन्य व्यक्तियों ने पंजीयन के समय सतूसिंह अंकन करवा दिया। प्रार्थी का सही नाम सत्यपाल किया जाना ठीक है।

वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, जन्मप्रमाणपत्र, राशनकार्ड, अन्य जमीन का बैयनामा की छायाप्रति जिसमें सही नाम सत्यपालसिंह अंकित है व ग्रामपंचायत दंतौर तस्दीक पेश की। ग्राम पंचायत दंतौर ने लिखा है सतूसिह व सत्यपालसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सत्यपालसिंह अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे दिनांक 22.10.21 पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला व तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 511 दिनांक 10.08.22 वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का दन्तौर तहसील खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पटवार हल्का दन्तौर की रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का बैयनामा में प्रार्थी का नाम अनपढ़ होने व बोलचाल की भाषा के हिसाब से गलत अंकित हो गया है । जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भी सत्यपालसिंह की बजाय सतूसिंह दर्ज हो गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सतूसिंह की जगह सत्यपालसिंह उर्फ सतूसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–01/2022

1. आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश जाति जाट निवासी पक्का सारणा हाल चक 16 केएलडी खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–14.10.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी की माता कैलाश पत्नी रामप्रताप के नाम चक 16 केएलडी के मु0नं0 54/18 के किला नं0 4 ता 8, 12 ता 19, 21 ता 25 तादादी 3.6912 है0 व मु0नं0 54/19 के किला नं0 1 ता 11 तादादी 2.7693 है0 बीघा कुल तादादी 6.3605 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटन शुदा थी और माता के देहान्त बाद उक्त भूमि विरासतन वादी और उसकी बहन सुचित्रा के नाम दर्ज हो गई और बहन सुचित्रा ने इन्तकाल सं0 80 दिनांक 14.10.21 से वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया तथा मु0नं0 54/18 के किला नं0 8 व 23 माता को स्मालपेच आवंटन था जिसकी खातेदारी इन्तकाल सं0 81 दिनांक 10.11.21 से दर्ज हुआ है। माता के फौत होने के बाद विरासतन वादी का नाम आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश दर्ज होना था चूंकि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम पिता का है। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरुस्ती अपने नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह राजस्व रिकॉर्ड में आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश जाति जाट निवासी पक्का सारणा दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः वादी का नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश घोषणात्मक दुरुस्ती की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, परिचयपत्र, माता के कैलाश का मृत्यु प्रमाणपत्र, वारिसनामा, उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज जमाबंदी, खातेदारी, आवंटन पट्टा, बहन सुचित्रा द्वारा की दस्तबरदारी आदि की छायाप्रति प्रस्तुत किये।

पहचान दस्तावेज, निवास प्रमाणपत्र व वारिसनामा में वादी का नाम आलोक पुत्र रामप्रताप तथा माता कैलाश अंकित है। जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है। वादी/प्रार्थी के पिता रामप्रताप ने भी इस बाबत् शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा दस्तावेज व पिता रामप्रताप के शपथपत्र के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का नाम आलोक पुत्र कैलाश उक्त भूमि माता के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने की वजह से दर्ज हो गया जो वादी दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथपत्र पर विश्वास करते हुवे वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम आलोक पुत्र कैलाश की जगह आलोक पुत्र रामप्रताप माता कैलाश नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–70/2022

1. अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी 25 केएनडी तहः खाजूवाला। .....
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 10.10.22

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 में 21.00 बीघा कृषि भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी के पड़ौस में ही मु0नं0 152/32 सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह की कृषि भूमि है जिसमें सीमाज्ञान हेतु उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर प्रार्थी को बिना प्रोपर तरीके से सूचना दिये बिना व प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पड़ौस का मुरब्बा 152/32 का सीमाज्ञान किया गया जिसमें प्रार्थी खाजूवाला से बाहर होने के कारण हाजिर नहीं हो पाया था अब प्रार्थी न्यायहित में अपनी उक्त कृषि भूमि व 152/32 का पुनः सीमानज्ञान करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के साथ न्याय हो सके। चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 व 152/32 का सीमाज्ञान न्यायहित में पुनः करवाये जाने का आदेश फरमावें। सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह निः 25 केएनडी द्वारा भी उपस्थित न्यायालय होकर प्रा0पत्र इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के खेत की पैमाईस दिः 8.6.22 को की गई थी तथा निशानदेही के खुंटे उखाड़–कर फैंक दिये है तथा अपनी तारबन्दी को मुताबिक पैमाईस हटाने से इन्कार हो गये है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि मय पुलिस जाप्ता से अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी की भूमि मुक्त करवाने की कृपा करें।

सुल्तानसिंह का प्रार्थनापत्र इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 के किला नं0 1 ता 11, 13 ताा 18, 24, 25 कुल 4.6281 है0 कृषि भूमि अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी खाजूवाला के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अनिलकुमार पुत्र मदनलाल का ही कब्जा काश्त है।

पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा मु0नं0 152/32 के करवाया गए सीमाज्ञान पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दिनांक 08.06.22 को उक्त मुरब्बे का सीमाज्ञान में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा टीम बनाकर किया गया किन्तु प्रार्थी अनुसार उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के मुरब्बे चिपते है।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुना जाना था क्योंकि प्रार्थी का मुरब्बा अप्रार्थी के चिपते है। तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 146/2022 (23/18 old)

1. शिवकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुारा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. विनोदकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुारा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुारा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला
5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 21.10.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 तीनों का निरन्तर सामूहिक रूप से पारिवारिक संयुक्त रहवास रहा और समस्त खरीदफरोख्त जमीन भूखण्ड आदि सांझे खाते में ही करते रहे और एक भाई के खाते में जमीन जायदाद रिकॉर्ड में दर्ज करवाते रहे। जब बच्चे बड़े हुये जो दिनांक 22.12.2006 को तीनो भाईयों में घरेलु बंटवारा व समझौता लिखित में हो गया और उसी अनुसार काफी मकान, जमीन जायदाद तीनों भाईयों में बराबर बांट ली गयी। जिसमें लिखित ईकरारनामा की चार नम्बर शर्त अनुसार राजस्थान की भूमि भी तीनों भाईयों में बराबर बांट लेने का निर्णय हुआ। चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 के किला नं0 15 में 8 बिस्वा, 16 में 18 बिस्वा, 17 में 6 बिस्वा, 23 में 5 बिस्वा, 24 में 8 बिस्वा, किला नं0 25 सालम तादादी 3.05 बीघा व मु0नं0 102/10 के किला नं0 1 में 15 बिस्वा, 2 में 16 बिस्वा, 3 में 12 बिस्वा, 4 ता 10 सालम, 11 में 17 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 18 बिस्वा, 14 ता 17 सालम, 18 में 18 बिस्वा, 19 में 16 बिस्वा, 20 में 16 बिस्वा, 21 में 7 बिस्वा, 22 में 15 बिस्वा, 23 ता 25 में 18–18 बिस्वा तादादी 22.04 बीघा कुल तादादी 25.09 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 3 के नाम 1/2 दर्ज कागजात है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 12 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है और उसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानि 4 बीघा 5 बिस्वा घरेलु बंटवारे मुताबिक बनता है। जिसपर लम्बे अरसे से प्रार्थी काबिज काश्त है जिसपर प्रार्थी 25–26 वर्षो से भौतिक रूप से काबिज रहा है। इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के द्वार सांझे खाते में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार खरीद कर केवल अप्रार्थी सं0 1 के नाम बैयनामा करवाया गया था जबकि अधिकार समान रूप से तीनों भाईयों का था जो बाद में घरेलु बंटवारे अनुसार तय कर दिया गया। प्रार्थी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से का एकमात्र मालिक है और प्रार्थी ने इसको खेती लायक करने में लाखो रूपये खर्च कर दिये और जीवन का अमूल्य समय सही व्यतित कर दिया। प्रार्थी सं0 1 आज–कल करते करते काफी समय गुजार दिया और प्रार्थी के हिस्से को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया अब जमीन की कीमते बढ़ने के कारण उसके मन में लालच आ गया है और वह अप्रार्थी सं0 3 के साथ मिलकर बिना हिस्सा खुलवाये समस्त भूमि को हस्तान्तरण करने की फिराक में है। बंटवारा दिनांक 22.12.2006 कें मुताबिक जरिये घोषणात्मक अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 12 बीघा 15 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा यानि 4 बीघा 5 बिस्वा अपने नाम दर्ज करवा कर खातेदार होने का विधिक अधिकारी है।

उक्त भूमि पर प्रार्थी 25–26 वर्षो से काबिज काश्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व प्रार्थी अदा करता है और ना ही इतने लम्बे अरसे तक कोई विवाद हुआ है। बाई एडवर्स पजेशन उक्त भूमि का एकमात्र मालिक काबिज काश्तकार प्रार्थी है। प्रार्थी की कब्जा काश्त उक्त भूमि को दौराने वाद अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन और अधिकारों की घोषणा के बिना रहन, बैय व हस्तांतरण नहीं करे, और अप्रार्थी दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे प्रार्थी के हक–हकूकों, कब्जाकास्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

अप्रार्थी सं0 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 भाई है परन्तु प्रार्थी शादी के बाद से ही अलग रहता है व हमेशा ही अलग–अलग अपनी अपनी मेहनत से जमीन व सम्पति खरीद करते रहे है। प्रार्थी अपने व अपनी पत्नी पुत्रों के नाम से जमीन व अन्य सम्पति खरीद करता रहा है। पैतृक गांव में भी इस के हिस्से की भूमि प्रार्थी स्वंय काश्त करता है जो बहुत पहले विभाजन कर प्रार्थी ले चुका है दिनांक 22.12.2006 को कोई विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य नहीं हुआ है ना ही ऐसे विभाजन का कही कोई निष्पादन आजतक हुआ है केवल मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से व प्रार्थी (अप्रार्थी नं0 1 व 3) को तंग परेशान की नियत से विभाजन का कथन ब्यान किया है व विभाजन कुट रचित है। चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 व 102/10 की 25.09 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने अपनी जमापूंजी से स्वंय खरीद की है जिसमें प्रार्थी का कोई हिस्सा पांती नहीं है ना ही प्रार्थी का कोई हक अधिकार है उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 3 हि.ब.हिस्सा बराबर काबिज काश्त है किसी अन्य की कोई शरारत नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण बहुत पहले से ही अलग–अलग रहते रहे है तो साझे खाते की खरीद का कथन निराधार है केवल प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) को तंग परेशान करने के आश्य से झूठा दावा पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) की भूमि से कोई लेना देना नहीं है जबकि प्रार्थी ने चक 15 केवाईडी का मु0नं0 118/53 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड स्वंय के नाम तथा पत्नी कमला के नाम से चक 15 केवाईडी का मु0नं0 117/55 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 21 की 17.10 बीघा कमाण्ड तथा चक 8 केजेडी ए का मु0नं0 102/18 के किला नं0 1 ता 15 की 14.14 बीघा अनकमाण्ड में 1/2 हिस्सा तथा अपने दोनो पुत्रों सुधीरकुमार एवं सत्यदीप के नाम चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 118/23 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि चक 3 केजेडी के मु0नं0140/21 किला 16, 17 की 1.18 बीघा कमाण्ड भूमि शिवकुमार के नाम व पत्नी कमला के नाम चक 3 केजेडी के मु0नं0 120/21 किला नं0 1,10,11 की 2.09 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 140/21 किला नं0 18 ता 25 की 5.10 बीघा कमाण्ड व 1.18 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार शिवकुमार प्रार्थी व उसकी पत्नी तथा पुत्रों के पास तहसील हाजा क्षेत्र में कुल 77.07 बीघा कमाण्ड तथा 9.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा है जो कि प्रार्थी ने खरीद कर रखी है तथा प्रार्थी अब प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) की खरीदशुदा चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 व 102/10 की 25.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि जिसमें प्रार्थीगण(अप्रार्थी सं0 1 व 3) का आधा आधा हिस्सा से नाजायज हिस्सापांति काल्पनिक बंटवारा से प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी ने पूर्णतः काल्पनिक मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जबकि वास्तविक रूप प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 3 की खातदोरी भूमि है व प्रार्थी ही काबिज है प्रार्थी ने उक्त भूमि प्रार्थनागत के किला नं0 10 मे से कुछ हिस्सा जबरदस्ती कुटरचना कर विक्रय कर दिया था जिसका प्रार्थीगण(अप्रार्थी सं0 1 व 3) ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर नं0 125/15 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.सं. में दर्ज करवाई थी। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी के खिलाफ चार्ज शीट पेश न्यायालय की गई थी। जो न्यायालय में जैरकार है उक्त मुकदमा में दबाव बनाकर राजीनामा करने की नियत से यह झूठा मुकदमा किया है तो बॉर्ड बाई लॉ है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना प्रार्थी मय हजाखर्चा खारिज फरमावें।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं मूलदावा के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी उक्त भूमि का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्थान की उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा पांति बंटवारा अनुसार है। अप्रार्थी ने यदि उक्त भूमि बेच दी प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी की हिस्सा पांति है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है। उक्त भूमि हमारी (अप्रार्थी सं0 1 व 3) मेरी खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है और हम रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी कूटरचित पंजाबी में लिखे हुवे बंटवारे प्रस्ताव के आधार पर बंटवारा का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त रकबा हमारे (अप्रार्थी सं0 1 व 3) रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला ही नहीं बनता और हम उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने व हमारा कब्जा काश्त होने के कारण सुविधा का संतुलन भी हमारे (अप्रार्थी सं0 1 व 3) पक्ष में है तथा प्रार्थी को स्थगन हटने से कोई क्षति नहीं है क्योंकि उक्त भूमि वर्षो से हमारे नाम व कब्जा काश्त में है किन्तु स्थगन की वजह से हमें (अप्रार्थी सं0 1 व 3) अपूर्णनीय क्षति हो रही है। प्रार्थी द्वारा लिखी हुई मनगढ़त बातों पर तथ्य या वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किये गए है और नाही प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये है तो निषेधाज्ञा के अहम बिन्दू/तथ्य प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति का साबित करते हो। प्रार्थी ने जो कूटरचित बंटवारा पेश किया है उसमें लिखा है खाजूवाला राजस्थान की जमीन में तीनों बराबर बांटेंगे तो प्रार्थी के नाम खाजूवाला राजस्थान में काफी जमीन है लेकिन प्रार्थी ने कहीं उसकी पालना के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है सिर्फ किला नं0 10 मे से कुछ हिस्सा जबरदस्ती कुटरचना कर विक्रय प्रार्थी ने कर दिया था जिसका अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर नं0 125/15 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.सं. में दर्ज करवाई थी। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी के खिलाफ चार्ज शीट पेश न्यायालय की गई थी। जो न्यायालय में जैरकार है उक्त मुकदमा में दबाव बनाकर राजीनामा करने की नियत से यह झूठा मुकदमा किया है जो बॉर्ड बाई लॉ है। अतः हमारा (अप्रार्थी सं0 1 व 3) जवाब प्रार्थनापत्र व बहस के तथ्य स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 के किला नं0 15 में 8 बिस्वा, 16 में 18 बिस्वा, 17 में 6 बिस्वा, 23 में 5 बिस्वा, 24 में 8 बिस्वा, किला नं0 25 सालम तादादी 3.05 बीघा व मु0नं0 102/10 के किला नं0 1 में 15 बिस्वा, 2 में 16 बिस्वा, 3 में 12 बिस्वा, 4 ता 10 सालम, 11 में 17 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 18 बिस्वा, 14 ता 17 सालम, 18 में 18 बिस्वा, 19 में 16 बिस्वा, 20 में 16 बिस्वा, 21 में 7 बिस्वा, 22 में 15 बिस्वा, 23 ता 25 में 18–18 बिस्वा तादादी 22.04 बीघा कुल तादादी 25.09 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थी शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–82/20

1. सादुखां पुत्र खण्डू खां जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील छतरगढ़ जिः बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–21.10.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7 केएलडी वर्तमान चक 10 केएलडी (ए) के मु0नं0 239/44 के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और उक्त भूमि वर्ष 1975 में पुख्ता आवंटन हुई थी। कम्प्यूटराईज्ड जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सादुखां के स्थान पर साधुखां दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। यह एक लिपिकीय भूल रही है जिसे दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अतः उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम साधूखां के स्थान पर सादूखां दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 242 दिनांक 8.3.22 प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त भूमि साधूखां पुत्र खण्डूखां कौम मुसलमान साकिन 7 केएलडी खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि पूर्व चक 7 केएलडी में गिरदावरी सम्वत् 2036–2039 में नोट अंकित एसीसी के आदेश दिनांक 30.12.1975 के अनुसार सादूखां पुत्र खण्डूखां जाति मुसलमान व गिरदावरी सम्वत् 2041–2044 में भी सादूखां पुत्र खण्डूखां मुसलमान साकिन केला तहसील लूनकरनसर पुख्ता आवंटन दर्ज है व पूर्व चक 7 केएलडी में नामान्तरण संख्या 43 में रहननामा सादूखां पुत्र खण्डूखां मुसलमान के नाम से राजस्थान भूमि विकास निगम बीकानेर के पक्ष में रहन दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम सादू खां दर्ज है। इसके उपरान्त चक 10 केएलडी (ए) के नाम रजि. में ना.सं. 141 पर सादूखां पुत्र खण्डूखां कौम मुसलमान के खातेदारी नामान्तरणकरण करते समय सहवन से साधूखां पुत्र खण्डू का दर्ज कर दिया गया। तब से निरन्तर उक्त रकबा साधुखां के नाम चला आ रहा है जबकि वास्तव में खातेदार का नाम सादूखां पुत्र खण्डूखां है जो शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में चुनाव परिचयपत्र, आधारकार्ड एवं उक्त आवंटन की मूल आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट

बीकानेर के क्रमांक 2257 दिनांक 23.11.2021 द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि व संबंधित गिरदावरी प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सादूखां अंकित है।

प्रार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया । बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी नाम सादूखां अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन आदेश में सही नाम सादूखां अंकित था किन्तु बाद में राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम साधूखां दर्ज हो गया है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी का नाम नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम साधूखां की जगह सादूखां नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–13/2022

1. चन्द्रशेखर रंगा पुत्र हीरामलाल रंगा जाति ब्राह्मण निवासी बीकानेर ... प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खाजवूाल खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144

–: निर्णय :– **दिनांक :– 04.11.22**

प्रकरण का ब्यौरा इस तरह है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के साथ उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी/टीए/3984/2021/बीकानेर चन्द्रशेखर रंगा बनाम वीरो कौर के निर्णय दिनांक 24.06.2022 की प्रमाणित प्रति निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर के क्रमांक/10849 दिनांक 11.07.22 पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 23.07.2019 तथा इसके विरुद्ध की गई अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 3.2.2021 को खारिज कर दिया है इसप्रकार दोनों न्यायालय के निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.06.2022 पालना में उक्त विवादित रकबे चक 13 केवाईडी बी के मु0नं0 137/04 के राजस्व रिकॉर्ड में अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 23.07.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अदालत द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया । तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2022/636 दिनांक 30.09.22 द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी के अनुसार चक 13 केवाईडी बी के मु0नं0 137/4 के किला नं0 1 ता 20 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल 6.1960 है0 रकबा चन्द्रशेखर रंगा, दिलीपकुमार रंगा, दिलीपकुमार रंगा, धनराज रंगा पुत्रगण हीरालाल ब0हि0ब0 खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त मु0नं0 137/4 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.0253 है0 भूमि गै.मु.रास्ता के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ना.सं. 158 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त रकबे पर वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में किसी न्यायालय का स्थगन का नोट अंकित नहीं है। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.06.2022 की पालना में तथा तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र, उपलब्ध दस्तावेज व बहस पर अध्ययन, मनन किया गया। अदालत का मानना है कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.07.2019 तथा इसके विरुद्ध की गई अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 3.2.2021 को खारिज कर दिया है इसलिए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के फैसले को लागू किए जाने पर कोई कानूनी बाधा नहीं है।

इसलिए न्यायालय द्वारा धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों अनुसरण में 151 सीपीसी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 42/18 में किए गए फैसले दिनांक 23.07.2019 की पालना से पूर्व की स्थिति बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 21/2021

1. लाभसिंह पुत्र सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।

.... अपीलांट

बनाम

1. अजमेर कौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
2. जालकौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
3. तेजकौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
4. मुख्त्यारो पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
5. सीरो पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
6. सरपंच ग्राम पंचायत 17 केएचएम तहसील खाजूवाला।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री दिलीपसिंह विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री दिलीप शर्मा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 की ओर से ।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 07.11.2022**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि इन्तकाल प्रविष्टि संख्या 212 दिनांक 05.01.2021 खिलाफ कानून सहेदाद मिसल, प्राकृतिक नियमो के विरूद्ध तथा एक पक्षीय होने के कारण काबिले निरस्ती के है। लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्डस) नियम 1975 के नियम 121 (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि इन्तकाल की कार्यवाही के समय संबंधित पक्षकार को सुनवाई का एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा अन्यथा भी यह विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसको बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित नहीं किया जावेगा।

लेकिन ग्राम पंचायत 17 के.एच.एम. द्वारा कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट अनदेखी करके अपीलांट की गैर हाजिरी में एवं अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, तो काबिले निरस्त के है। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के

प्रावधानों के अन्तर्गत केवल माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्याय दृष्ट्रान्त के मध्यनजर इन्तकाल दर्ज करने के पूर्व कब्जा काश्त के संबंध में जाँच करना अति आवश्यक है। लेकिन अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका पर कब्जा काश्त के संबंध में कोई भी जाँच नहीं की गई। श्रीमती सन्तो ने अपने जीवनकाल में ही स्वेच्छा से उक्त कृषि भूमि का कब्जा अपीलांट को सौंप दिया था इसलिए इस कृषि भूमि पर अन्य रूप से निरन्तर कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। इन तथ्यों की जाँच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत 17 केएचएम द्वारा भारी भूल की गई है। अतः आदेश दिनांक 05.01.2021 काबिल निरस्ती के है। अपीलांट की माता श्रीमती सन्तो ने वसीयत दिनांक 15.2.2016 को करवाई है। अपीलांट की माता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की शादी अपने जीवन काल में ही कर दी थी तथा उन्हे जितना हक बनता था उतना उनकी शादी में दान दहेज के रूप में दे दिया था तथा वो अपने अपने ससुराल में अपना जीवन राजीखुशी व्यतीत कर रही है। मेरा पुत्र लाभसिंह मेरी काफी सेवा करता है। अतः मैं यह वसीयत करती हूँ कि मेरे मरने के बाद कृषि भूमि का लाभसिंह मालिक होगा। इसप्रकार माता श्रीमती सन्तो की मृत्यु के रोज से ही उक्त कृषि भूमि में वसीयत दिनांक 15.2.16 के आधार पर तमाम अधिकार व हित मुझ अपीलांट में निहित हो चुके है इसलिए वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का केवल मात्र अपीलांट ही अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई पत्रावली मुर्तिब नहीं की गई है बल्कि नामान्तरणकरण संख्या 212 दिनांक 24.12.2020 को भरकर दर्ज कर दिया। तदोपरान्त दिनांक 28.12.2020 को हल्का गिरदावर द्वारा मिलान किया गया है और दिनांक 05.01. 2021 को ग्राम पंचायत 17 केएचएम द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। इस तमाम कार्यवाही से स्पष्ट है कि विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की माता के नाम की खातेदारी भूमि चक 22 बीएलडी के मु0नं0 217/3 के किला नं0 1, 2, 4, 7 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए अपीलांट अपनी उपरोक्त आराजी को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकारी है तथा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलांट ने दिनांक 28.01.2021 को नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया जो बाद तैयारी दिनांक 28.01.2021 को वापिस प्राप्त हुई, वकील सलाह मशविरा में अपील करने के लिये कहा। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वो उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी ना होने के कारण हुई है। अपील इल्म से अन्दरमियाद पेश है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल प्रविष्टि 212 दिनांक 05.01.2021 को निरस्त फरमाया जाकर चक 22 बीएलडी के मुरब्बा नं0 217/3 के किला नं0 1, 2, 4, 7 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान करने इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप शर्मा हाजिर आये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद तलवी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.10.22 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद

अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 212 दिनांक 05.01.2021 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार एकमात्र उक्त कृषि भूमि के हकदार थे । उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। रेस्पोडेट्स सं0 2 ता 5 अधिवक्ता ने दौराने बहस **श्रीमती पर्वती बनाम दयाराम एवं अन्य 2014 आरबीजे पैरा 19 और 20** न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुवे निवेदन किया कि मृतक के प्राकृतिक वारिसों के नाम से दर्ज इन्तकाल को वसीयत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती जबतक की वसीयत का लाभार्थी वसीयत को सन्देह से परे साबित नहीं कर देता। क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत हमेशा संदेह के घेरे से घिरी रहती है। इस प्रकरण में अपीलांट की वसीयत के खिलाफ रेस्पोडेन्ट द्वारा पुलिस थाना खाजूवाला में एफआईआर सं. 215/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467 , 468, 471 व 120 बी अपीलांट व वसीयत के अनुप्रमाणित साक्ष्यों के खिलाफ विवादित वसीयत की कुटरचना के आरोप में दर्ज है। उक्त एफआईआर की प्रति रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने प्रस्तुत की, इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एफआईआर में उल्लेखित किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की माता सन्तोदेवी को सन्तोदेवी की मृत्यु से पूर्व करीब 15–16 वर्ष पहले ही अपीलांट ने सन्तोदेवी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था जो अपीलांट से अलग ही रहती थी। मृत्यु के दिन भी अपीलांट की माता सन्तोदेवी ने रेस्पोडेन्ट्स व अपीलांट के मध्य उक्त भूमि को बराबर विभाजित करने का मृत्युकालिक कथन किया था इसलिए अपीलांट की वसीयत संदेह से घिरी हुई है। वसीयत ना ही रजिस्टर्ड और ना ही प्राप्त स्टाम्प पर है तथा ना ही किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है तथा ना ही वसीयत में किसी स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर है क्योंकि जिनके हस्ताक्षर गवाह में करवाए है वे अपीलांट के निजी रिश्तेदार है इसकारण वसीयत के सही होने की अवधारणा नहीं की जा सकती है तथा **न्यायिक दृष्ट्रात किशोरसिंह एवं अन्य बनाम नेतराम एवं अन्य 2013 आरआरडी 502 (आरबी)** में भी ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया अपील में एसडीओ द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड की गई द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा एसडीओ के आदेश को प्रत्यावर्तित किया इसे रेवेन्यु बोर्ड द्वारा सही ठहराया गया। निर्णय में कहा गया कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण को प्रमाणित करना उचित नहीं है क्योंकि वसीयत या दत्तक का प्रश्न नामान्तरण जैसी सरसरी कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता ना ही अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण जैसी सरसरी कार्यवाही से हको का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। अपीलांट अनुसार वसीयत दिनांक 15.2.16 को की गई और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की माता की मृत्यु दिनांक 07.09.2020 में हुई तो इतने वर्ष तक अपीलांट ने उसने पंजीयन कार्यालय या नोटेरी किसी भी सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं करवाई यह विश्वास योग्य नहीं है और इससे साफ हाजिर होता है कि इसकी विश्वनीयता संदिग्ध है। क्योकि अपीलांट ने माता की मृत्यु बाद कूटरचित वसीयत तैयार की है। अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया है जो कि सादे कागत पर लिखी हुई है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 212 दिनांक 05.01. 2021 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन अध्ययन से प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि वसीयत की विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत सादे कागज पर लिखी हुई है जिसकी प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण काबिले ए खारिज है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट धारा 75 एलआरएक्ट प्रदत्त प्रावधानों एवं धारा 151 सीपीसी का में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे अस्वीकार की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–154/2022

1. लिलासिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी 26 केवाईडी खाजूवाला।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–31.10.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 26 केवाईडी के मु0नं0 59/49 के किला नं0 1 ता 25 में 22.15 बीघा कमाण्ड भूमि भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी के नाम से पुख्ता आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रार्थी भागसिंह के नाम से दर्ज कर दी गई। उक्त रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम भागसिंह पुत्र भारासिंह जाति मजहबी दर्ज कर दिया। जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाकर भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 1874 दिनांक 16.8.22 बाद उक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी भागसिंह पुत्र भारासिंह जाति मजहबी सा0 11 एच तहः करनपुर पुख्ता आवंटन चक 26 केवाईडी मु0नं0 59/49 किला नं0 1 ता 25 में कुल 5.5640 है0 कमाण्ड मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा नाम शुद्धि के लिये आवेदन किया है। संलग्न आवंटन खारिज बहाली आदेश क्रमांक 8930–32 दिनांक 16.09.80 की छायाप्रति में प्रार्थी का नाम भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी सा0 26 केवाईडी दर्ज है। तत्पश्चात, गिरदावरी सम्वत् 2027–30 में सम्वत् 2028 में उक्त मु0नं0 59/49 अराजीराज से भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन के नाम से दर्ज हुआ जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। तत्पश्चात उक्त गिरदावरी सम्वत् 2029 में नोट अंकित करते समय प्रार्थी का नाम भागसिंह पुत्र माणासिंह जाति हरिजन दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित किया जाना उचित है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कोई स्थगन आदेश नहीं है और मौके पर कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में गिरदावरी नकल सम्वत् 2027–30, 2036–2039 तथा उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली प्रस्तुत की जिसके आवेदन पत्र, शपथपत्र नोटिस में भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन (मजहबी) अंकित है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में आवेदन पत्र, शपथपत्र नोटिस में भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति हरिजन (मजहबी) अंकित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी के दादा का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम भारासिंह की जगह माणकसिंह उर्फ भारासिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–31/2022

1. कृष्णलाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–31.10.2022**

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जरिये बैयनामा के खरीदशुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 4 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 71/42 के किला नं0 1 ता 2, किला नं0 9 ता 12, किला नं0 19 ता 22 व मुरब्बा नं0 71/50 के किला नं0 9, 12, 19, 22 कुल 13.14 किता में 3.4647 है0 कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने उपरोक्त खरीदशुदा कृषि का नामान्तरण दर्ज करते वक्त पटवार हल्का द्वारा कृष्णलाल की जगह कृष्ण सहवन से दर्ज कर दिया गया। जिसे प्रार्थी अपने पहचान दस्तावेज व अन्य सभी दस्तावेज अनुसार कृष्णलाल दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 515 दिनांक 10.8.22 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 4 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 71/42, 50 का कुल रकबा 13.14 बीघा कमाण्ड भूमि बैयनामा पंजीबद्ध दिनांक 6.3.12 पु0सं0 1 जि0सं0 104 पृ0सं0 180 क्र0सं0 2012000580 द्वारा नामान्तरण सं0 33 स्वीकृत दिनांक 20.04.2012 को हुआ है। बेचान उक्त रकबे का कृष्ण पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट सा0 कनवानी तहः रावतसर जिला हनुमानगढ़ खातेदार के नाम से नामांतरण दर्ज है। प्रार्थी उक्त रकबे में नाम दुरस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में बैयनामा, नामन्तरकरण , आधारकार्ड प्रस्तुत किये। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पहचान दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम कृष्ण की जगह कृष्णलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का नाम कृष्ण की जगह दुरस्त कर कृष्णलाल उर्फ कृष्ण दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी का उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम कृष्ण की जगह कृष्णलाल उर्फ कृष्ण नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–71/2022

1.वकिला पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निः 3 पीआरएम खाजूवाला।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

–: आदेशः– **दिनांक :– 10.10.22**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से 3 पीआरएम में मु0नं0 76/07 में 25.00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थीया के अपने खेत का सीमाज्ञान करवाना चाहती है तथा खेत का सीमाज्ञान करवाना चाहती है तथा किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 की तरफ से सीमा सही नहीं है जिससे अपने खेत के रकबे के अनुसार सही स्थान पर अपनी सीमा करवाना चाहती है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर चक 3 पीआरएम के मु0नं0 76/07 का सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया।तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट क्रमांक / तखा / कोर्ट /2022/402 दिनांक 20.07.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 3 पीआरएम जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता सं0 1 पर मु0नं0 76/7 रकबा 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि वकिला पत्नी अलादिता कौम मुसलमान सा0 पीरणवाली तहसील खाजूवाला वि0आ0 खातेदार स्वीकृत दर्ज रिकॉर्ड अंकन है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त मुरब्बे के किला नं0 2 ता 7, 16, 16 रकबा 8.00 बीघा भूमि में ग्वार का बिजान हो रखा है तथा शेष रकबा मौके पर खाली है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वकीला पत्नी अलादिता जाति मुसलमान का है।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट का अवलोकन अध्ययन किया गया । प्रार्थी के चक 3 पीआरएम में मु0नं0 76/07 में 25.00 बीघा भूमि के चिपते मुरब्बों के काश्तकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मुरब्बा नं0 76/07 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–08/20

1. हंसराज पुत्र रामरख जाति नाई साकिन सांवतसर हाल चक 15 बीडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 21.10.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 13 ता 24 तादादी 12 बीघा व किला नं0 25 तादादी 6 बिस्वा कुल 12 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नं0 134/2 किला नं0 2 ता 4, 8, 9 तादादी 2 बीघा 17 बिस्वा कुल तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी भूमि स्थित है, जिसपर वादी का काबिज हाकर काश्त करता आ रहा है। चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 21 ता 24 में 2–2 बिस्वा कुल 8.00 बिस्वा जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन दर्ज हुई है, वह सहवन से दर्ज हुई और वादी के खातेदारी भूमि में से बिना वजह कम करके गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है तथा इसी गैर अनुसार घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः वादी के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमकान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 15 बीडी ए के मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 13 ता 25 तादादी 11.18 बीघा हंसराज पुत्र रामरख जाति नाई सा0 सांवतसर खातेदार रहन पीएनबी शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। उक्त मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता

24 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मौके पर उक्त भूमि पर कोई रास्ता चालू नहीं है व ना ही मौके पर काश्तकारों को उक्त रास्ते की आवश्यकता है।

अतः मौके पर बिना उपयोग के रास्ते को रिकॉर्ड में अराजीराज किया जाना उचित होगा। उक्त मुरब्बे के नजदीक मु0नं0 134/2 के किला नं0 2, 9, 12 में डामर सड़क गुजरती है। आसपास के काश्तकारों को रास्ते की सुविधा होने के कारण मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 के 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में अराजीराज किया जाना उचित है। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वादपत्र तहसीलदार खाजूवाा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वादपत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया और बहस पर मनन किया। मुरब्बा नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा उक्त रास्ता खारिज किया जाकर अराजीराज किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 15 बीडी ए मु0नं0 134/1 के किला नं0 22 ता 24 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर अराजीराज नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–131/2022

1 धर्मपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 मोहनीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिंह पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी 3 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 बंशीदेवी पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 सुनिता पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 अनिता पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1 विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल वादीगण की ओर से
2 पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 03.11.2022

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम से चक 5 केएलडी 'सीएडी' के मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक में 0.2529 है0, किला नं0 6/1 में 0.1265 है0, 6/2 में 0.1265 है0 7, 14 ता 17, 24 व 25 प्रत्येक में 0.2529 है0, व मु0नं0 236/32 के किला नं0 236/32 के किला नं0 1/2 में 0.2276 है0, 2 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है, 10/1 में 0.2276 है0 इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की कुल तादादी 3.7430 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं0 1 का रकबा मु0नं0 236/23 वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के रकबे के चिपता हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 , वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने के फिराक में है। अतः वाद वादीगण पेश कर अर्ज है कि चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की कब्जाकाश्त उक्त खातेदारी शुदा भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य

करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी सं0 1 को तलवी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 समन/नोटिस भिजवाने पर उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 5 केएलडी के मु0नं0 236/24 व 236/32 की कुल 3.7430 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े और वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रकबे की जमाबंदी अनुसार उक्त रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की के नाम खातेदारी एवं संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद धारा 188 आरटीएक्ट में प्रदत्त प्रावधानों व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 5 केएलडी के मु0नं0 236/24 व 236/32 की कुल 3.7430 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 59/2022

1. विमलादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी चक 8 एसएसएम खाजूवाला।

.....प्रार्थीया

1. तेजपालसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 07.11.2022

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके चक 8 एसएसएम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 सालम कुल 8.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारीशुदा है जिसमें प्रार्थीया काबिज काश्त है। प्रार्थीया को अपने उक्त रकबा में काश्त व अन्यकार्य हेतु आने–जाने के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं है जबकि मौके पर मुरब्बा नं0 27/50 के किलानं0 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा का रास्ता कटान शुदा है तथा मुरब्बानं0 27/42 के किला नं0 5 में से प्रार्थीया की भूमि के आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। जो मौके पर चालू है। प्रार्थीया इसका उपयोग कर रही है प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश करने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश हेतु मु0नं0 27/42 के किला नं0 5 में उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्यिम में रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 8 एसएसएम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 5 में उतरदिशा की तरफ पूर्व से पश्चित में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजि0ए0डी0 के उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/679 दिनांक 17.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 8 एसएसएम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.0232 है0 कृषि भूमि विमलादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज है। मु0नं0 27/42 के किला नं0 5, 6, 13 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.5290 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि तेजपालसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत बरजागसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर विमलादेवी को अपने खेत में आवागमन के लिए रास्ता नहीं लगता है व मु0नं0 27/42 के किला नं0 5 में 2 बिस्वा उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। बहस सुनी गई।

तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 27/42 के किला नंबर 5 में से 2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 में से होकर गुजर रही है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है कि वर्तमान प्रार्थीया को अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए नहीं लगता है तथा किला नं0 5 के उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 47/42 के किला नंबर 5 की उतरी तरफ सीमा के साथ साथ 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 120/20

1 साधूसिंह पुत्र गुरदितासिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 केवाईएम ए तहसील खाजूवाला।

.....प्रार्थी

1 वजीरशाह पुत्र अन्तरशाह जाति मुसलमान निवासी जलालसर तहः बीकानेर।
2 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 07.11.2022

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 1 केवाईएम ए के मु0नं0 18/49 किला नं0 1 में 1 बीघा, किला नं0 13 ता 25 में 13 बीघा कुल 14.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/58 के किलानं0 किलानं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज कागजात है जो चालू है परन्तु प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/49 के किला नं0 5 में उतरी पूर्वी कॉर्नर पर 1 बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है इसके अलावा अन्य कोई आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 29 केवाईडी ए के मु0नं0 18/49 के किला नं0 5 के उतर पूर्व में सींव पर 1 बिस्वा भूमि रास्ता खेत स्वीकार कर गैरमुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजि0ए0डी0 दिनांक 18.2.2021 के उपस्थित नहीं और अप्रार्थी सं0 1 की ओर से दिनांक 04.08.22 को अधिवक्ता ने उपस्थित आकर वकालतनामा मय जवाब पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु अनेक अवसर देने के बाद भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 21.10.22 को अप्रार्थी सं0 1 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/745 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 29 केवाईडी ए के मुरब्बा नं0 18/58, 18/59 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में 2 बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता जो कि मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कटानशुद्धा है मौका पर उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 18/58 के किला नं0 1 में स्थित कटानशुद्धा रास्ते से मु0नं0 18/50 के किला नं0 5 में से 1 बिस्वा रास्ता कटान करवाना चाहते है। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दोराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी ने जहा से रास्ता चाहा है।

उसका मुरब्बा नं0 प्रार्थनापत्र में सहवन से 18/49 के किला नं0 5 लिख दिया जबकि प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नं0 18/50 के किलानं0 5 में रास्ता चाहता है पटवारी रिपोर्ट भी मुरब्बा नं0 18/50 के किला नं0 5 की उतरी सीमा में रास्ता की रिपोर्ट की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुवे मुरब्बा नं0 18/50 के किला नं0 5 की उतरी सीमा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत के आदेश फरमावे।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन अध्ययन व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 18/50 के किला नंबर 5 में से 1 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता नहीं है । हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी मार्ग से निकटतम है। किला नं0 5 के उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 18/50 के किला नंबर 5 की उतरी तरफ सीमा के साथ साथ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2021

1 विधादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 8 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

1 जेठुसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति निवासी ईशरबड़ा तहसील नागौर ।
2 2/1 कुन्दनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ईशरबड़ा तहसील नागौर 2/2 धन्नूकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ईशरबड़ा तहसील नागौर ।
3 हंसराज पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी 8 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला।
4 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 07.11.2022

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके चक 8 केवाईडी ए मु0नं0 175/34 के किला नं0 11, 16 ता 18, 21 ता 25 सालम कुल 2.2761 है0 कमाण्ड कृषि भूमि है अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाते की चक 8 केवाईडी ए का मु0नं0 175/34 किला नं0 1 ता 10, 12 ता 15 सालम कुल 3.5406 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चक 8 केवाईडी ए का मु0नं0 175/34 के किला नं0 19 व 20 सालम कुल .5058 है0 कमाण्ड कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि का चक 8 केवाईडी ए का मु0नं0 175/34 के किला नं0 1, 10, 20 प्रत्येक में 0.0253 है कुल तादादी 0.0759 है0 भूमि पश्चित दिशा में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर अंकन दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी सं0 4 को दिये जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 बावजूद तलवी जरिये रजि0ए0डी0 के उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/748 दिनांक 07.11.22 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार मुताबिक वर्तमान मौका स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी को कोई कटान शुदा मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 175/34 के किला नं0 1, 10, 11, 20 में रास्ता कटान करवाना चाहती है। मुताबिक मौका स्थिति चाहा गया मार्ग निकटतम है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र में रास्ता किला नं0 1, 10, 20 में काटने हेतु लिखा है किन्तु किला नं0 1, 10, 11, 20 में प्रार्थीया रास्ता कटाना चाहती है। तहसीलदार रिपोर्ट भी किला नं0 1, 10, 11, 20 के संबंध में की गई है। अतः प्रार्थनापत्र व बहस को स्वीकार करते हुवे नये रास्ते के अंकन के आदेश फरमावें।

तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 175/34 के किला नंबर 1, 10, 11, 20 में से 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 1, 10, 11, 20 में से होकर गुजर रही है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है कि मौका अनुसार चाहा गया रास्ता निकटतम है और प्रार्थीया को वर्तमान में कोई कटानी रास्ता मौजूद नहीं है इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 175/34 के किला नंबर 1, 10, 11, 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–36/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
..... वादी

बनाम

जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी 40 केजेडी तहसील खाजूवाला।
.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2 श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 31.10.2022**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.9.2018 में पारित आदेश'' पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 36/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 6/2013 को 14.2.14 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.2.14 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 40 केजेडी मु0नं0 68/33 किला नं0 1 ता 13 में खातेदार जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति नायक निवासी 40 केजेडी अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श–1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि पटवार हल्का डेरीपोस्ट के चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/33 के किला नं0 1 ता 13 कुल रकबा 13.00 बीघा भूमि रकबा पर जोगाराम पुत्र भोजाराम जाति भील का कब्जा

होकर मौके पर करीब 8–9 बीघा में ग्वार की बुवाई की हुई है। मौके पर मौतबिरान ने बताया की उक्त रकबा काश्तकार जोगाराम के ही कब्जा काश्त में निर्विवादित रूप से है। उक्त रकबा पर मेड़बन्दी की हुई है व किला नं0 2 में मकान भी काश्तकार जोगाराम ने बनाया हुआ है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज है व मुतबिक जमाबंदी किसी भी स्थगन या विवाद का नोट अंकित नहीं है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 02.08.2022 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि वादीगत रकबा प्रतिवादीगण का चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/33 के किला नं0 1 ता 13 तादादी 13.00 बीघा क0/अ0क0 खातेदारी रकबा जिसपर निरन्तर 30–35 वर्षो से काबिज काश्त है मौके पर ढ़ाणी बनाकर रहवास है। न्यायालय हाजा द्वारा एकपक्षीय दिनांक 14.2.14 को खारिज कर दिया तो प्रार्थी/प्रतिवादी ने माननीय न्याायलय आर0ए0ए0 बीकानेर में चाराजोही की तो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 14.2.14 निरस्त कर अपील स्वीकार कर दिनांक 24.9.18 को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। जिसकी पालना में रिकॉर्ड में पुनः प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जाना था। वादी का वाद विधि से बाधित है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.9.18 के खिलाफ कोई निगरानी नहीं की गई है। स्वतः ही प्रतिवादी खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है। दावा सारहीन है तथा प्रतिवादी द्वारा कोई खननकार्य नहीं किया गया है। केवल खेती ही करता है मौके पर ग्वार की काश्त खड़ी है। अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार कर वादी वादी खारिज कर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय की पालना में प्रतिवादी का रिकॉर्ड पर पुनः खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

..... जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.... जिम्मे प्रतिवादी

राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरा जवाबदावा

स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.14 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है नाही कोई स्वतंत्र गवाहों के बयान करवावे गए जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख, स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 10.8.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य–सबूत, गवाह दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 10.8.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 12.9. 2012 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत, स्वतंत्र गवाह दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 36/2022 सरकार बनाम जोगाराम खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 6/2013 दिनांक 14.2.14 की पालना में चक 40 केजेडी मु0नं0 68/33 किला नं0 1 ता 13 की 13.00 बीघा भूमि

के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 173/2021

1. दीवानचन्द पुत्र ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी 13 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 31.10.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल. आर.एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता ढालूराम पुत्र लालचन्द के नाम की खातेदारीशुदा भूमि में अपने हिस्सा की भूमि पर लम्बे अरसे से काबिज काश्त है। वादी के पिता ढालूराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 20 बी. डी. हाल चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/09 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टर कमाण्ड भूमि दिनांक 14.05.1974 को आवंटन हुई थी तथा जिसकी खातेदारी दिनांक 08.08.1988 को जारी की हुई है तथा उक्त भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता आवंटी दर्ज शुदा है। वादी के पिता ने जीवनकाल में उक्त खातेदारी भूमि में से मु0नं0 96/09 के किला नं0 7 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड भूमि वादी को जरिये मुख्त्यारेआम के विक्रय कर दी थी। तदुपरान्त तहसीलदार महोदय को उक्त बैयनामा के नामान्तरण करना चाहिए था परन्तु नहीं किया गया। वादी के पिता ढालुराम का देहान्त दिनांक 12.5.2019 को हो गया, तत्पश्चात वादी अपने पिता के नाम की शेष भूमि के विरासतन नामान्तरण हेतु दिनांक 17.2.2021 को तहसीलदार महोदय को प्रार्थनापत्र दिया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 16.3.2021 को पुष्टि तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 2241 दिनांक 10.8.2021 को तहसीलदार प्राप्त हुई परन्तु तहसीलदार खाजूवाला द्वारा उक्त भूमि रिपोर्ट में गैरखातेदार दर्ज होने के कारण खातेदार दर्ज करने हेतु खातेदारी सनद पेश करने को कहा तब वादी ने सनद पेश की तब तहसीलदार ने कहा कि खातेदारी सनद एवं राजस्व रिकॉर्ड में निवास स्थान की भिन्नता के कारण आपका इन्तकाल नहीं हो सकता है। अतः खातेदारी सनद एवं राजस्व रिकॉर्ड में निवास स्थान की भिन्नता के कारण नामान्तरण स्वीकृत करने से इन्कार करते हुवे आदेश क्रमांक 10864 दिनांक 08.11.2021 सहित दस्तावेज लौटा दिये और कहा कि शुद्धि उपखण्ड अधिकारी महोदय से करवाकर लाओ बाद में खातेदारी बैयनामा तथा वारिसान नामान्तरण दर्ज होगा। वादी पिता के नाम से जारी खातेदारी सनद में वादी के पिता का निवास स्थान जोधेवाला की जगह सहवन से 21 बी.डी. ए लिख दिया। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी हल्का द्वारा जोधेवाला की जगह सहवन

से गोधेवाला दर्ज कर दिया, जबकि मूल आवंटन पत्रावली में तथा आवंटन आदेश तथा सैल रजिस्टर में वादी के पिता का निवास स्थान जोधेवाला अंकित है। वादी घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती इस आश्य की जारी कि जावे कि वादी के पिता ढालुराम पुत्र लालचन्द को आवंटित भूमि वाके चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में निवास स्थान 21 बी. डी. ए के स्थान पर जोधेवाला एवं राजस्व रिकॉर्ड में गोधेवाला के स्थान पर जोधेवाला की रिकॉर्ड दुरुस्ति करने एवं वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 13.12.2017 को खरीदशुदा रकबा वाके चक 21 बी.डी. ए के मु0नं00 96/9 के किला नं0 7 ता 9, सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड रकबा का खातेदार घोषित करने एवं शेष भूमि का वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर वादी एवं वादीगण के अन्य सहिस्सेदार के नाम खातेदार की घोषणा की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/भू.अ./राजस्व/180 दिनांक 07.01.2022 रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 21 बी.डी. ए का मुरब्बा नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में कुल 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि ढालुराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन गोधेवाला पुख्ता आवंटित के नाम से दर्ज है। यह है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उपनिवेशन विभाग से प्राप्त नामान्तरणकरण की पड़त वर्ष 1985 से प्राप्त हुई है चुकि आवंटन दिनांक 14/05/1974 का है तत्कालीन समय में उपनिवेशन विभाग द्वारा नामान्तरणकरण नहीं खोला जाता था सीधे खसरा गिरदावरी में सक्षम अधिकारी के आदेशों अनुसार आवंटन भूमि का अंकन किया जाता था। उक्त भूमि आवंटन के समय चक नम्बर 20 बी डी में आवंटन हुई तत्पश्चात उपरोक्त सीएडी सर्वे अनुसार उपरोक्त भूमि चक 20 बी डी से चक नम्बर 21 बी डी ए में परिवर्तन कर दी गयी जो आज दिनांक तक ब दस्तुर है। खसरा गिरदावरी चक 20 बी डी सम्वत् 2036 से 2039 के कॉलम संख्या 6 में ढालूराम पुत्र लालचन्द साकिन गोधेवाला मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 15 = 15.00 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन का अंकन है तथा नामान्तरणकरण संख्या 4 दिनांक 23/01/1985 के अनुसार चक नम्बर 20 बी डी का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 16, 17 = 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि ढालूराम पुत्र लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन 20 बी डी के नाम से स्माल पेच आवंटन स्वीकृत नामान्तरणकरण दर्ज है। टी. आर.ए. शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चक नम्बर 20 बी डी खाता संख्या 19 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 15 = 15.00 बीघा पुख्ता आवंटन व किला नम्बर 16 ,17 = 2.00 बीघा कमाण्ड भूमि ढालूराम पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा साकिन जोधेवाला के नाम से दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि की कीमत पेटे समस्त राशि जमा का अंकन है व उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी खातेदारी सनद का अंकन है। दिनांक 13/12/2017 को श्री ढालूराम के मु.आम श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा चक नम्बर 21 बी डी ए का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 7 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा = 6.06 बीघा भूमि को श्री दीवानचन्द पुत्र श्री ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी चक 13 केवाईडी तहसील खाजूवाला को जरिये बैयनामा विक्रय की गयी उक्त बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक खाजूवाला की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ठ संख्या 198 क्रम संख्या 201703235102398 पर पंजीबद्ध है। आवंटी श्री ढालूराम पुत्र श्री लालचन्द का देहान्त दिनांक 12/05/2019 को हो चुका है इस बाबत श्री ढालूराम के वारिस श्री दीवानचन्द द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति व ग्राम पंचायत जोधेवाला प.सं. श्रीगंगानगर द्वारा जारी वारिस तस्दीक

प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त भूमि में से विक्रय की गयी भूमि के अलावा शेष रही भूमि का विरासतन नामान्तरणकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त कार्यवाही बाबत हाजा कार्यालय के पत्रांक/त.खा./भू.अ./6024 दिनांक 16/3/2021 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को वारिसान की पुष्टि बाबत पत्र प्रेषित किया गया उक्त पत्र के प्रत्युतर में श्रीमान तहसीलदार राजस्व भू.अ. शाखा श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक/भू.अ./2241 दिनांक 10/8/2021 के द्वारा वारिसान की तस्दीक की जाकर हाजा कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार चक नम्बर 21 बी डी ए का मुरब्बा नम्बर 96/9 के किला नम्बर 1 ता 17 में कुल 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में से किला नम्बर 7 ता 13, में 1.5933 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि पर बैयनामा अनुसार क्रेता श्री दीवानचन्द कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर श्री ढालूराम के वारिसान काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है ना ही उक्त भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित है।

तहसीलदार खाजूवाला द्वारा आवंटी के वारिसों की पुष्टि तहसीलदार श्रीगंगानगर पटवार मण्डल जोधेवाला तहः व जिला श्रीगंगानगर से प्राप्त हुई जो इस पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। उक्त पत्रावली में पटवार मण्डल जोधेवाला तहः व जिः श्रीगंगानगर हल्का पटवारी ने वारिसान की जांच कर शंकरलाल, हरिचन्द, दीवानचन्द, ईश्वरीदेवी उर्फ देवीबाई, द्रोपतीदेवी उर्फ गुंबदी, नानकीदेवी, लाजवन्ती को ढालुराम के जायज वारिस बताया है एवं कुल 7 वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया है।

वादी अधिवक्ता ने उक्त रकबे से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर के क्रमांक 2251 दिनांक 21.10.2021 प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली में आवंटी का नाम ढालुराम पुत्र लालचन्द अरोड़ा निवासी जोधेवाला अंकित है। पत्रावली में वारिसों (शंकरलाल, हरिचन्द, दीवानचन्द, ईश्वरीदेवी उर्फ देवीबाई, द्रोपतीदेवी, नानकीदेवी, लाजवन्ती) का प्रस्तुत शपथपत्र में लिखा है कि हम मिकरान के पिता ढालुराम पुत्र लालचन्द के नाम चक 21 बीडी ए तहः खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नं0 96/9 में किला नं0 1 ता 17 की 16.14 बीघा भूमि दर्ज है जिसमें हमारे गांव का नाम जोधेवाला की जगह गोधेवाला अंकित हो गया है जिसे दुरुस्त करवाना चाहते है। उक्त सम्पति का घरू बंटवारा आपसी सहमति से करते हुवे चक 21 बीडी ए के मु0न0 96/9 के किला नं0 1 ता 3 हरिचंद पुत्र ढालुराम व 4 ता 6 शंकरलाल पुत्र ढालुराम के हिस्से में दे दी थी और उसी अनुसार आज तक काबिज है उक्त मुरब्बा 96/9 के किला नं0 7 ता 17 में 6.06 बीघा का बैयनामा जरिये मुख्त्यारआम राजेन्द्रकुमार दीवानचंद के नाम करवाया जा चुका है शेष कृषि भूमि भी घरू बंटवारा में दीवानचंद पुत्र ढालुराम के हिस्से में आई हुयी है। स्वर्गीय ढालुराम द्वारा जीवनकाल में होश हवास में रूबरू गवाहान अलग–2 वसीयत करवायी हुई है जिसमें उक्त मुरब्बा 96/9 व किलानं0 1 ता 3 हरिचंद पुत्र ढालुराम के नाम हुई व इसीप्रकार किला नं0 4 ता 6 शंकरलाल के नाम वसीयत की हुई है बाकी कृषि भूमि दीवानचंद के परिवार की है।

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुवे। चक 21 बीडी ए के मु0नं0

96/09 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में निवास स्थान में 21 बीडी ए के स्थान पर जोधेवाला तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में निवास स्थान में गोधेवाला की जगह जोधेवाला दर्ज किया जावे तथा उक्त 4.2234 हैक्टर भूमि में से किला नं0 7 ता 9, सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा की कुल तादादी 6.06 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा विक्रय प्रार्थी दीवानचन्द पुत्र श्री ढालूराम जाति अरोड़ा निवासी चक 13 केवाईडी तहसील खाजूवाला को किया गया है उक्त भूमि खरीदशुदा भूमि का प्रार्थी दीवानचन्द को खातेदार घोषित किया जावे। उक्त बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक खाजूवाला की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179 में पृष्ठ संख्या 198 क्रम संख्या 201703235102398 पर पंजीबद्ध है तथा शेष रकबा का वारिस प्रमाणपत्र के आधार पत्र वादी एवं वादीगण के अन्य सहिस्सेदार को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी आंशिक स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वादपत्र उपलब्ध दस्तावेज, मूल आवंटन पत्रावली, व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता हैः—

1. चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की खातेदारी सनद में अंकित निवास स्थान 21 बी.डी. ए के स्थान पर जोधेवाला के आदेश किये जाते है। उक्तानुसार निवास स्थान 21 बी.डी. ए की जगह जोधेवाला पढ़ा—समझा जावे।
2. चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गोधेवाला के स्थान पर जोधेवाला की रिकॉर्ड दुरुस्ति के आदेश किये जाते है। उक्तानुसार गोधेवाला की जगह जोधेवाला पढ़ा—समझा जावे।
3. पत्रावली में प्रस्तुत आवंटी के वारिसों के शपथपत्र अनुसार चक 21 बी.डी. ए के मु0नं0 96/9 के किला नं0 1 ता 17 में 4.2234 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में से हरिचंद पुत्र ढालूराम को किला नं0 1 ता 3 रकबा 0.7334 है0 व शंकरलाल पुत्र ढालूराम को किला नं0 4 ता 6 रकबा 0.7587 है0 के खातेदार घोषित किये जाते है।

   शेष रकबा किला नं0 7 ता 17 का तादादी 2.7313 है0 में से 6.06 बीघा दीवानचंद पुत्र ढालूराम जरिये बैयनामा खरीद शुदा है, इससे शेष रकबा का मूल आवंटी के वारिसों ने दीवानचंद को देने के पक्ष में शपथपत्र में सहमति दी है। अतः उक्तानुसार दीवानचंद पुत्र ढालूराम को किला नं0 7 ता 17 रकबा 2.7313 है0 की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार खाजूवाला आदेश दिया जाता है कि इसमें कोई स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है या अन्य कोई राजस्व बकाया है तो जिम्मेदार पक्षकारों से वसूली कर नियमानुसार जमा करवाई जाकर आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 97/2022

1. लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला हाल चक12 केवाईडी तहसील खाजूवाला।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–10.11.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने तीन अलग–अलग रकबों के प्रार्थनापत्र/वादपत्र प्रस्तुत किये जिसके अनुसार मुझ प्रार्थी/वादी के नाम से चक 13 केवाईडी ए के मु0नं0 137/36 के मु0नं0 1.9474 है0 रकबा व 14 केवाईडी का मु0नं0 136/20 में कुल 1.8335 है0 कमाण्ड रकबा व 11 केवाईडी बी का मु0नं0 135/48 में कुल 1.5301 है0 कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार अंकित। प्रार्थी के आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र आदि में नाम लालचन्द मार पुत्र किशनाराम अंकित है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति अंकित करवाना चाहता है जोकि प्रार्थी के उक्त दस्तावेजो में अंकित है। प्रार्थी के समस्त रिकॉर्ड में नाम की एकरूपता करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की के.सी.सी. बनाने में परेशानी आ रही है। इसके लिये नाम की एकरूपता होना आवश्यक है। प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द जाति कुम्हार की जगह लालचन्द मार पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार अंकित कर शुद्धि की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1979 प्रमाणपत्र, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र आदि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। जिनमें प्रार्थी/वादी का नाम लालचन्द मार अंकित है जो कि वादी/प्रार्थी अनुसार सही नाम है। वादी/प्रार्थी ने भी इस बाबत् शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त वर्णित भूमि मुझ मिकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार अंकित है । प्रार्थी के आधारकार्ड, पेनकार्ड, शेक्षणिक दस्तावेज, सेवा प्रमाणपत्र, में मिकर का नाम लालचन्द मार पुत्र किशनाराम अंकित है। मिकर के दस्तावेजो व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम दोनो एक ही व्यक्ति है। मिकर के नाम से लालचन्द पुत्र किशनाराम के स्थान पर लालचन्द मार पुत्र किशनाराम दज करने पर किसी प्रकार का

कोई भी वाद विवाद होता है तो मिकर स्वंय जिम्मेवाद रहूंगा। उक्त रकबा का कोई भी न्यायालय का वाद विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है। प्रार्थी/वादी ने ग्राम पंचायत 17 केवाईडी व 22 केवाईडी खाजूवाला की लालचन्द व लालचन्द मार एक ही व्यक्ति है बाबत् तस्दीक प्रस्तुत की तथा ही आस पड़ौस के काश्तकारों गवाह स्वरूप हस्ताक्षर शुदा प्रार्थनापत्र पेश किया।

तहसीलदार खाजूवाला हल्का पटवरी रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 13 केवाईडी ए के मु0नं0 137/36 के मु0नं0 1.9474 है0 रकबा व 14 केवाईडी का मु0नं0 136/20 में कुल 1.8335 है0 कमाण्ड रकबा व 11 केवाईडी बी का मु0नं0 135/48 में कुल 1.5301 है0 कमाण्ड रकबा लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम आधारकार्ड, पेनकार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज के अनुसार अपना नाम लालचन्द के स्थान पर लालचन्द मार करवाना चाहता है। उक्त भूमि बैयनामा के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है जिसमें नाम लालचन्द ही है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द मार करवाना चाहता है जबकि रिकॉर्ड में लालचन्द है। रिकॉर्ड में यह अशुद्धि न होकर अतिरिक्त शब्द 'मार' जुड़वाना चाहता है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज, शपथपत्र व ग्राम पंचायत तस्दीक के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है वादी/प्रार्थी का नाम लालचन्द व लालचन्द मार दोनो एक नाम है जो वादी दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथपत्र पर विश्वास करते हुवे वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालचन्द की जगह लालचन्द मार उर्फ लालचन्द दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वादपत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालचन्द की जगह लालचन्द मार उर्फ लालचन्द नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00056

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

पतराम पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी 24 एसडी सुरतगढ़

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2 श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 31.10.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 1 पीकेएम के मु0नं0 204/25 के किला नं0 18, 23 में कुल तादादी 2.00 बीघा रकबा में खातेदार पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट निवासी 24 एसडी सुरतगढ़ द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी के नाम चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/25 में किला नं0 1, 10, 11, 16, 17, 19 ता 22, 24, 25 की तादादी 11.00 बीघा रकबा रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कागजात है तथा मौके पर प्रतिवादी ढाणी बनाकर काबिज काश्त है। ग्वार की फसल खड़ी है एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन खेती है। प्रतिवादी खेतीहर किसान है। वादपत्र निराधार है व मनगढ़त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किला नं0 18, 23 में जिप्सम खनन बताकर दावा पेश किया है जबकि मौके पर कोई खनन कभी हुआही नहीं। ना ही आरआई

गिरदावर मय तहसीलदार महोदय ने स्वंय मौका देखा सरसरी तौर पर बैजा कार्यवाही की गई है जो अस्वीकार है। खातेदारी अधिकारों से कृषक को वंचित करना एक कठिन उपचार है केवल धारा 177 आरटीएक्ट में खातदेारी अधिकारों का अवसान नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम एवं शर्ते उपनिवेशन विभाग के अलग से प्रावधान है। दावा सारहीन एवं निरस्त योग्य है। काश्तकार कृषि सुधार के लिए डिग्गी, खाला, बनाता है। बायो कम्पोस्ट खाद के लिए खड़ा बनाया तो कुछ जिप्सम बाहर आया और किसी ने रंजीशवश पटवारी से मिलकर रिपोर्ट करवा दावा पेश करवा दिया जबकि प्रतिवादी ने कोई खनन नहीं किया है। ना ही बेचान किया और नाही बैचान के लायक जिप्सम खेत में है। बेवजह गरीब काश्तकार को परेशान किया जा रहा है जो कतई सही नहीं है। न्यायहित में वाद खारिज करने योग्य है। वादपत्र विधि से बाधित है। द्वितीय प्रति नहीं है नाही वाद–हैतुक है और ना ही कोई फीस संदय की गई है नियम विरुद्ध दावा चलने योग्य नहीं है इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी का जवाब स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/100 दिनांक 25.02.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक 6 पी.एच.एम व पटवार हल्का माधोडिग्गी से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार पटवार मण्डल माधोडिग्गी के चक 1 पीकेएम के मु0नं0 204/25 के किला नं0 1, 10, 11, 16 ता 25 की 13.00 बीघा कमाण्ड भूमि मौके पर पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट निवासी माधोडिग्गी काश्त करता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के मुताबिक चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/25 उक्त रकबा पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   .....जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 10.12.2014 व तहसीलदार रिपोर्ट 25.2.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 25.2.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी ने जवाब में स्वीकार किया है कि 'खड्डा बनाया तो कुछ जिप्सम बाहर निकला' इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 18, 23 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 10.12.2014 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत

वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/25 के किला नं0 18, 23 की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहः पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2 श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 31.10.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 में कुल तादादी 14.00 बीघा रकबा में खातेदार प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहः पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी की जरिये बैयनामा खरीदशुदा है एवं खातेदार है। प्रतिवादी ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादिया अनपढ़ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीद की थी, तब से अब तक उसी स्वरूप में है। प्रतिवादिया ने कोई खनन कार्य नहीं करवाया है। पूर्व के खातेदार ने सिंचाई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो गई थी जिसका समतलीकरण प्रतिवादिया ने करवाया तो कहीं—कहीं लैसमात्र जिप्सम का बिखराव नजर आने लगा जबकि प्रतिवादिया ने कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया है जिससे की उसकी भूमि के खातेदारी अधिकारों का हनन हो।

प्रतिवादिया निरन्तर काबिज काश्त है। आज भी उक्त भूमि पर ग्वार की खेती व सरसों की बिजाई की हुई है। आस पड़ौसी ने जरिये शपथपत्र ताहिद की है तथा फोटो मौका भी संलग्न जवाब है। पटवारी हल्का ने फॉरीतौर पर अपने आंकड़े पूरे के उद्देश्य से खनन की रिपोर्ट कर दी जो कदोचित नहीं है। वादपत्र खारिज योग्य है, वादपत्र के समस्त अभिवचनों से साफ हो रहा है कि वाद नियमानुसार पेश नहीं किया गया है, जिसमें नहीं कोई सत्यापन है, न ही द्वितीय प्रति संलग्न है और न ही 80 सीपीसी का कोई ही दिया गया है। वादपत्र के नियमों का पूर्णरूप से अनदेखी

की गई है। ऐसी सूरत में दावा डिक्री नहीं किया जा सकता तथा इस स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाबदावा खारिज स्वीकार के बाद हजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/120 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 बीघा कमाण्ड रकबा प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल 2 एमजीडब्ल्यु तहसील खाजूवाला खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी में आरएए बीकानेर अपील सं0 40/14 का स्थगन का नोट अंकित है। मु0नं0 100/20 में मौके पर किला नं0 1 खाली, 2 ता 4 में सरसों, 5 में ढ़ाणी, 6 ता 9 में सरसों, 10 खाली व 11 ता 14 में सरसों काश्त है। पटवारी ने रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्व में उक्त रकबे अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि) होता था। तात्कालिक पटवारी हल्का द्वारा उक्त रकबे की रिपोर्ट की गई थी।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः—

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादीया

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादिया द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 5.1.15 व तहसीलदार रिपोर्ट 3.3.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 3.3.

2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी ने जवाब में स्वीकार किया है कि डिग्गी का निर्माण किया तो 'जिप्सम का बिखराव नजर आने लगा' इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है उक्त रकबे की गिरदावरी तक साथ संलग्न नहीं की। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 14 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 5.1.15 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में उक्त भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00044

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

सुरेन्द्रकुमार पुत्र रामदेव जाति जीनगर निवासी बीकानेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

2 श्री इदरीश अहमद कुरैशी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 14.10.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/22 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 23 की 18.00 बीघा भूमि सुरेन्द्रकुमार पुत्र रामदेव जाति जीनगर निवासी बीकानेर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबे के किला नं0 2, 3, 7, 6, 13, 14, 17, 22, 23 के रकबा 9.00 बीघा में खातेदार द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता इदरीश अहमद कुरैशी ने प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/22 के किला नं0 2, 3, 7, 6, 13, 14, 17, 22, 23 में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया है। मौका पर प्रतिवादी की उक्त भूमि समतल व काश्त योग्य है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है। उक्त वादपत्र मनगढ़त व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए वादी को किसीप्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक साईक्लों स्टाईल वाद बना रखा है, जिसमें नाम पता भरकर श्रीमानजी की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में किसीप्रकार का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वाद के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है प्रतिवादी का जवाब स्वीकार कर वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने आसपड़ौस के शपथपत्र भी प्रस्तुत किये कि अवैध खनन होते नहीं देखा है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/117 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/22 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 23 की 18.00 बीघा भूमि सुरेन्द्रकुमार पुत्र रामदेव जाति जीनगर निवासी बीकानेर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार मु0नं0 100/22 के किला नं0 2, 3, 7, 6, 13, 14, 17, 22, 23 में मौके पर खाली है पूर्व में अवैध जिप्सम खनन के खड्डे मौजुद है। खातेदार मौके पर निवासी नहीं करता है। तहसीलदार खाजूवाला ने दिनांक 12.

4.2022 को दुबारा रिपोर्ट में भी उपरोक्त बिन्दुओं को ही रिपोर्ट में दोहराया है इसके अतिरिक्त लिखा है हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.2.2020 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अवैध खनन कब किया गया व किसके द्वारा किया गया इसका कोई जिक्र नहीं है एवं रिपोर्ट में स्वतंत्र गवाह नहीं है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः—

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादीया

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादिया द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 5.1.15 व तहसीलदार रिपोर्ट 3.3.2020 व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.4.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.4.2022 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। तहसीलदार पटवरी प्रत्येक रिपोर्ट में लिखा है अवैध खनन के खड्डे मौजुद है, इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन

अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है उक्त रकबे की गिरदावरी तक साथ संलग्न नहीं की। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 2, 3, 7, 6, 13, 14, 17, 22, 23 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 5.1.15, 3.3.2020, 12.4.2022 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में उक्त भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/22 के किला नं0 2, 3, 7, 6, 13, 14, 17, 22, 23 की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–110/2022

1. जयपाल पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी चक 17 बीएलडी तहः खाजूवाला।
..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 17.11.22

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा सं0 35/26 में कुल 20.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है जिसके आधार पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया गया लेकिन प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी उक्त रकबा मुरब्बा सं0 35/26 में कोई भी कटानशुदा रास्ता स्वीकृत नहीं है लेकिन पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी मदनलाल ने मेरी उपरोक्त भूमि के किला नं0 1 ता 5 में अपनी मनमर्जी के मुताबिक रास्ता निकाल रखा है तथा मेरी उपरोक्त भूमि के किला नं0 1 ता 5 में पक्की सड़क निर्माण करवाने पर आमादा है जबकि मेरे उक्त रकबा में अवैध रूप से रास्ता बनाकर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को काफी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों में नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं प्रार्थी अपने उक्त रकबा का सीमाज्ञान करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे रकबा में अनाधिकृत रूप से बनाये गये रास्ता पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य को बन्द करवाया जा सके। अतः प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के रकबा का सीमाज्ञान कर निशानदेही दिलवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 35/26 रकबा 5.0580 है0 क0/अ0क0 भूमि जयपाल पुत्र हेतराम हि. पूर्ण जाति स्वामी सा0 निरवाल तहः रावतसर जिः हनुमानगढ़ खातेदार रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दन्तौर दर्ज है।

मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी स्थगन का अंकन नहीं है। उक्त रकबे पर संलग्न मु0नं0 35/25 में 21 ता 25 में 0.0–0.02 बिस्वा पगडंड़िया तथा रास्ता कटानी रास्ता है जो कि मौके पर काश्तकार द्वारा मु0नं0 35/26 के किला नं0 1 ता 5 में चालू होना बताया। जिसकी पूर्व में कई बार सीमाज्ञान होना बताया। मौके पर विवाद होना संभव है है। अतः उक्त रकबे की सीमाज्ञान टीम गठित कर पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया जाना संभव है। मु0नं0 35/26 किला नं0 1 ता 5 तादादी 1.2645 है0 अंकित स्वामी हि0 1/3, कलावती पति जयसिंह हि0 1/3, प्रवीन पुत्र जयसिंह हि0 1/3 जाति स्वामी निः निरवान तहः रावतसर जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी कलावती, प्रवीन वगैरह ने दिनांक 20.07.2022 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 मु0नं0 35/26 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मु0नं0 35/26 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 76/15

1 बीकरसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख साकिन चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1 जुगलकिशोर पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
2 बाबुलाल पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
3 ताराचन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
4 गजानन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
5 विद्यादेवी पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
6 प्रेमसिंह पिसरान ईन्द्रसिंह पुत्र रायसिंह जाति बावरी निवासी चक 29 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
7 प्रितु पिसरान ईन्द्रसिंह पुत्र रायसिंह जाति बावरी निवासी चक 29 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 29 केवाईडी के मु0नं0 38/07 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 में तादादी 06.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात है। चक 29 केवाईडी के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जिसपर पुलिया बनी हुई है तथा प्रार्थी नहर के किनारे पश्चिम से पूर्व उक्त रास्ता से होकर मु0नं0 38/08 के कि0नं0 5 मे 0.02 बिस्वा, 6 मे 0.02 बिस्वा व मु0नं0 38/07 के कि0नं0 16 में 0.02 बिस्वा, 25 में 0.02 बिस्वा, रास्ता से होकर अपने खेत के कि0नं0 15 में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षो से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 02–02 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। उक्त वांछित रास्ता भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा में रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद दिनांक 05.02.2020 को अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थीगण हाजिर अदालत

वकालतन या असालतन नहीं आने पर दिनांक 17.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.01.2021 सुनवाई कर निरस्त की गई एवं जवाब हेतु अवसर देने पर दिनांक 16.02.2021 को जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके अनुसार प्रार्थी अपने उक्त धारित कृषि भूमि मु0नं0 38/7 में आने जाने के लिए मु0नं0 18/62, 63, 64 व मु0नं0 38/7 का किला नं0 17, 24 में से होकर रास्ता गुजरता है जो मौके पर चालू है और उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करने से प्रार्थी को कम से कम प्रतिफल राशि भू स्वामी को अदा करनी पड़ेगी। उक्त रास्ता ही आवागमन हेतु प्रार्थी उपयोग में ले रहा है। प्रार्थी झुठा एवं मनगढ़त प्रार्थनापत्र पेष कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि से शॉर्टकट जाने के चक्कर में रास्ता लेने में आमादा है इसलिए उसका प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता से कभी भी आवागमन नहीं किया बल्कि वह इसी चक के मुरब्बा नं0 38/30, 31 से होकर आज से करीब 25 वर्षो से गुजरता रहा है और उसी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता रहा है। प्रार्थी को चाहिए था कि वह उक्त दोनों मुरब्बा में ही अपना रास्ता स्वीकृत करवाता इसलिए प्रार्थी मुरब्बा नं0 38/8 का किला नं0 5, 6 में 2 बिस्वा व 38/7 का किला नं0 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इससे हम अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा और प्रार्थी द्वारा एक–एक बिस्वा भूमि चाही गई है जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि किलों में कोई मार्ग नहीं है व कोई रास्ता चालू नहीं है इसलिए इन मुरब्बों के किलों में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तह.खाजू/राजस्व/2015/1026 दिनांक 21.7.2015, पत्रांक/कोर्ट/2021/82 दिनांक 10.02.2021, पत्रांक/तखा/रीडर/2022/747 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को मौके पर कोई कटानशुद्धा मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मु0नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में रास्ता कटान करवाना चाहता है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान उपयोग मे लिये जा रहे रास्ते से मु0नं0 38/8 के किला नं0 7 में बनी पुलिया से उक्त रास्ता निकटतम है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में सींव के किनारे किनारे 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में से होकर गुजर रहा है। भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में से सींव के किनारे किनारे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के

30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 70/15

1. कुम्भाराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निः चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. जुगलकिशोर पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
1 बाबुलाल पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
2 ताराचन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
3 गजानन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
4 विद्यादेवी पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
5 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला जिला बीकानेर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 29 केवाईडी के मु0नं0 38/24 के किला नं0 1, 2, 8 ता 10 मे तादादी 5.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात है, जिसपर प्रार्थी लम्बे अरसे से लेकर आज तक काबिज काष्त है। मौके पर ढ़ाणी एवं मकान बनाकर मयपशुधन रहवास कर रहा है तथा हरे चारे एवं ग्वार की फसल काश्त कर रखी है और इसी मुरब्बे के किला नं0 3 ता 7 तादादी 5.00 बीघा भाई चन्दुराम के नाम दर्ज है। चक 29 केवाईडी के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जिसपर पुलिया बनी हुई है तथा चक 29 केवाईडी ए का खाला व मोघा मु0नं0 38/8 के किला नं0 6 मे लगा हुआ है और उक्त खाले पर प्रार्थी ने 20–22 वर्षो से अस्थाई पूली बनाकर प्रार्थी नहर के किनारे पष्चिम से पूर्व उक्त रास्ता से होकर मु0नं0 38/8 के किला नं0 6 मे 01 बिस्वा व मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 के प्रत्येक में 0.01–0.01 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 10 मे प्रवेष करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षो से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी व उसके भाई के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 01–01 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। उक्त रास्ता हेतु वांछित भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अतः उक्त वांछित रास्ता भूमि को रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेष फरमाने निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 व 5 हाजिर अदालत वकालतन या

असालतन नहीं आने पर दिनांक 17.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व 2 ता 4 बावजूद उपस्थित जवाब पेष नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.01.2021 सुनवाई कर निरस्त की गई एवं जवाब हेतु अवसर देने पर दिनांक 16.02.2021 को अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर जवाब प्रार्थनापत्र पेष किया, जिसके अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है चूंकि धारा 251 ए आरटीएक्ट मे रास्ता उसी काश्तकार को स्वीकृत किया जाता है जिसको अपनी कृषि में जाने के लिए अन्यत्र दूसरा कोई मार्ग ना हो। जबकि प्रार्थी के पास अपने मुरब्बे में जाने के लिए मुरब्बा नं0 30, 31 में रास्ता कायम है जिसको वह कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का स्वतंत्र है तथा प्रार्थी के पास एक अन्यत्र रास्ता चक 29 केवाईडी ए का मुरब्बा नं0 18/62, 63, 64 से होकर अपने मुरब्बा नं0 38/24 के किला नं0 10 में प्रवेष करता है, उपलब्ध है। जिससे वह वर्तमान में आवागमन कर रहा है। इसकी ताईद हल्का पटवारी रिपोर्ट में भी की गई है। इसलिए प्रार्थी मुरब्बा नं0 38/8 का किला नं0 6 में 1 बिस्वा व मु0नं0 38/16 का किला नं0 10 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इससे हम अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा और प्रार्थी द्वारा एक–एक बिस्वा भूमि चाही गई है जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि किलों में कोई मार्ग नहीं है व कोई रास्ता चालू नहीं है इसलिए इन मुरब्बों के किलों में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2021/81 दिनांक 10.02.2021, पत्रांक/ तखा/रीडर/2022/746 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को मौके पर कोई कटानषुद्धा मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में रास्ता कटान करवाना चाहता है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान उपयोग मे लिये जा रहे रास्ते से मु0नं0 38/8 के किला नं0 7 में बनी पुलिया से उक्त रास्ता निकटतम है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में नहर/माईनर के किनारे किनारे 1–1 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में से होकर गुजर रहा है। भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में से नहर के किनारे किनारे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–201/2021

1. राजेश्वरीदेवी पत्नी रतिराम जाति जाट निः 33 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

1. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. मूलाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निः मूण्डसर हाल 33 केवाईडी खाजूवाला।
3. केशरनाथ, जगराम नाथ, बन्नानाथ, मोहननाथ, किशन वगैरह।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया की चक 33 केवाईडी ए के मुनं0 201/13 में भूमि है। मेरी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीया को काफी परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया अपने खेत में प्रवेश करने के लिए चक 33 केवाईडी ए के मु0नं0 201/4 किला नं0 21 ता 25 मे रास्ता मंजूर करने का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी केशरनाथ, जगराम नाथ, बन्नानाथ, मोहननाथ, किशन वगैरह के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.6.22 को अमल में लाई गई। अप्रार्थी मूलाराम के अधिवक्ता को अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 18.11.22 को जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2022/281 दिनांक 26.4.22 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 33 केवाईडी ए के मु0नं0 201/4 मौके पर खाली है तथा किला नं0 21 ता 25 में कोई निर्माण नहीं है। प्रार्थी ने मु0नं0 201/13 मे जाने के लिए मु0नं0 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में चाहा गया है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शे के अनुसार मु0नं0 201/13 में पहुंचने के लिए मु0नं0 201/4 के अलावा मु0नं0 201/12 के किला नं0 21 या मु0नं0 201/5 के किला नं0 5 में भी कटाणी रास्ते की आवश्यकता पड़ेगी जिसका उल्लेख प्रार्थी ने आवेदन पत्र में नहीं किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–76 में मु0नं0 201/4 मे कच्ची पेंसिल से 35 प्रतिशत राशि जमा का अंकन मनोहरी पत्नी मूलाराम जाति के नाम से कर रखा है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा में से होकर गुजर रहा है।

भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2017/00097

1. हसन उर्फ गुलाम हसन पुत्र जागण जाति मुसलमान निवासी दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 21.11.22**

पत्रावली पेश हुई । बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया व बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उक्त प्रार्थनापत्र के मूलभूत बिन्दू प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति को साबित करने में असफल रहे है इसलिए यह पत्रावली धारा 212 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2022/178

1. रामेश्वर पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहः व जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–12.12.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी को तहसील खाजूवाला के चक 35 केवाईडी का मु0नं0 182/26 के किला नं0 10 में 3 बिस्वा, 11 सालम, 12 में 16 बिस्वा, 13 में 9 बिस्वा, 14 में 2 बिस्वा, 16 में 14 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा, 18 ता 25 सालम कुल 12.03 बीघा रकबा लाईटलूम में आवंटन हुआ था। उक्त रकबा के किला नं0 16 व 17 को छोड़कर बाकी रकबा की खातेदारी जारी हो गयी थी क्योंकि किला नं0 16 में 19 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में है लेकिन आंवटन आदेश में किला नं0 16 में 14 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा का आंवटन अंकित होने के कारण किला नं0 16 व 17 की खातेदारी नहीं हुयी है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा के स्थान पर 14 बिस्वा व 17 में 19 बिस्वा आवंटन अनुसार संशोधन करवाकर खातेदारी जारी करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2022/3397 दिनांक 06.12.2022 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 35 केवाईडी के मु0नं0 182/26 के किला नं0 16/1 एवं 17/2 के आवंटन आदेश में संशोधन करके खातेदारी हेतु निवेदन है। इसके सैल रजिस्टर में रामेश्वरलाल पुत्र खुमाराम को किलानं0 16 में 14 बिस्वा एवं किला नं0 17 में 19 बिस्वा भूमि पुख्ता आवंटन है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा व 17/1 में 19 बिस्वा गैरखातेदार दर्ज है किंतु किला नं0 16/1 में 6 बिस्वा नहर भी दर्ज है और मौका पर भी नहर है। मौका पर काश्तकार का कब्जा भी रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार कलक्ट्रैट बीकानेर के क्रमांक/ 2771 दिनांक 24.12.2021 पेश की गई जिसमें संलग्न आवंटन आदेश में किला नं0 16 में 14 बिस्वा व 17 में 19 बिस्वा अंकित है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे आवंटन पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर किला नं0 16 में 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों आवंटन पत्रावली का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की उक्त वादगत भूमि चक 35 केवाईडी के मु0नं0 182/26 के किलानं0 16 में रकबा 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा दुरस्त कर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 76/2017

1. मेजरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 7 केएलडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

...प्रार्थी

बनाम

1. सतनामसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 17 पीएस तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरदयालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 17 पी.एस. तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. उपपंजीयक खाजूवाला
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 13.12.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी के पिता के नाम चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारीशुदा है। पिता के फौत बाद इ.स. 255 से विरासतन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई और माता के फौत के पश्चात दिनांक 17.8.16 को तीनो भाईओ में परिवार की सहमति से रूबरू गवाहान पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे में गांव की भूमि व वादगत भूमि का बंटवारा लिखित में हो गया जिसमें प्रार्थी को वादगत रकबा देकर कब्जा दे दिया था। जिसपर प्रार्थी तब से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है एवं समस्त भूमि प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में है। समय–समय पर समस्त लगान खजानाराज में जमा करवाता रहा हैं। इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ने कहा कि हम साथ चलकर हक त्यागकर देगें या आप चाहो तो बैयनामा करवा लेना। दिनांक 2.10.2017 को अप्रार्थी सं0 2 व 5–7 अन्य व्यक्ति मौके पर आये और प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम है और उसे मैं आगे बेचान कर रहा हूँ। तुम तुरन्त रकबा खाली कर देना अन्यथा हम जबरन बेदखल कर देंगे। यदि वे कामयाब हो जाते है प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसे रोकने का एकमात्र उपाय अस्थाई निषेधाज्ञा ही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की प्रार्थी की कब्जेकाश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा कमाण्ड भूमि में दौराने वाद दखलअन्दाजी नहीं करें और नाही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करें या करावें जिससे प्रार्थी के हक–हकूकों, कब्जा काश्त पर बेजा असर पड़े।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी होने पर अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 15.11.17 जरिये अधिवक्ता श्री गणपत बिश्नोई जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के कथनों को स्वीकार करते हुवे प्रार्थी के पक्ष में सहमति प्रदान की। अप्रार्थी सं0 2 दिनांक 04.11.22 जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके अनुसार चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 की कुल तादादी 10.19 बीघा भूमि खातेदारी है व पिता की मृत्युपरान्त इं0नं0 255 से हकारे विरासतन दर्ज हो गई स्वीकार है शेष कथन गलत बयानी व मनगढ़त होने से अस्वीकार है तथा विरासतन आई भूमि पर हम तीनों वारिसान अपनी–अपनी मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है जिसमें अप्रार्थी सं0 2 के कब्जा काश्त में किला नं0 11 सालम, किला नं0 12 में 0.1904 है, किला नं0 19 में 0.1088 है, किलानं0 20 में 0.2403 है0, किला नं0 21 में 0.0885 व किला नं0 22 में 0.0423 इसप्रकार कुल 0.9232 है0 बीघा भूमि पर 21.8.2017 से काबिज है। हमाारी पुश्तैनी भूमि गांव 17 पीएस के मु0नं0 42, 51, 69 में दर्ज भूमि पर सभी तीनों भाईयों का अपने अपने नाम की भूमि पर कब्जा काश्त है। मेरे नाम के अतिरिक्त किसी भी भूमि पर मेरा कब्जा काश्त नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है की अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि चक 7 केएलडी की 10.19 बीघा के मेरे कब्जा की 1/3 हिस्सा की भूमि पर चल रहा स्थगन आदेश निरस्त कर प्रार्थनापत्र खारिज करने का आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं मूलदावा के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्सा पांति में घरेलु बंटवारा अनुसार है। अप्रार्थी ने यदि उक्त भूमि बेच दी प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्सा में है। अप्रार्थी सं0 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है। उक्त भूमि हमारी पुश्तैनी विरासतन आई है और हम उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सहिस्सेदार खातेदार है और प्रार्थी ने पुराना घरेलु बंटवारा पेश किया है जबकि इसके बाद 27.7.2017 नोटेरी स्टाम्प पर घरू बंटवारा हुआ है जिससे प्रार्थी मुकर गया व उक्त बंटवारा को प्रार्थी ने पेश नहीं किया है और झूठे मनगढ़त तथ्यों व पुराना बंटवारा दिखाकर जिसका कोई वजूद नहीं है, के आधार पर एक रिकॉर्डेड खातेदार को परेशान करने की नीयत से बहुत लम्बे समय तक स्थगन लेकर बैठा है तो कतई उचित नहीं है और प्रार्थी ने इतने लम्बे समय स्थगन लेकर आज तक यह साबित करने में असफल है कि उसको स्थगन नहीं होने पर क्या नुकसान है जबकि मुझ काश्तकार को स्थगन से सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिये बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः चक 7 केएलडी के मु0नं0 38/41 के किला नं0 11 ता 25 खातेदारी भूमि में प्रार्थी मेजरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 15.11.2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 134/2022

1. नवजोतकौर पत्नी तरसेमसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 1 एचडब्ल्यूएम तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. गुरपालसिंह आयु 8 वर्ष पुत्र तरसेमसिंह जरिये कुदरतनवाली माता नवजोतकौर।
3. हरमनदीप कौर आयु 5 वर्ष पुत्र तरसेमसिंह जरिये कुदरतनवाली माता नवजोतकौर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तरसेमसिंह पुत्र मघरसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 1 एचडब्ल्युएम तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. सुखदेवसिंह पुत्र मिठुसिंह जाति रामदासिया निवासी चक 29 केजेडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
3. उपपंजीयक खाजूवाला
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 16.12.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीया के पति के नाम से चक 1 एचडब्ल्युएम का मु0नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें लम्बे समय से प्रार्थीया काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि ही प्रार्थीया व उसके मासुम बच्चों के भरणपोषण व लालन पालन करने का एकमात्र जरिया है। उक्त भूमि खरीद से पहले प्रार्थीया के ससुर मघरसिंह पुत्र गुरदयालसिंह के नाम से पुश्तैनी भूमि राजस्व तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एसएसडब्ल्यु ए गुरूसर में 7.00 बीघा खातेदारी कृषि भूमि थी। जिसको प्रार्थीया के ससुर ने आज से 10 वर्ष पूर्व बेचकर उक्त रूपयों से चक 1 एचडब्ल्युएम में मु0नं0 5/23 की उक्त भूमि को अपने बेटे तरसेमसिंह के नाम बैयनामा तस्दीक करवाया था। तब से प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया का पति अप्रार्थी सं0 1 तरसेमसिंह शराब का आदि है। अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन वादिया व उसके पुत्र के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता रहता है तथा लड़ाई झगड़ा करके कई दिनो तक घर से बाहर रहता है। प्रार्थीया ही उक्त भूमि में खेती कार्य कर अपने परिवार व बच्चों का लालन–पालन करती है व अपना पेट पालती है। अप्रार्थी सं0 1 जब घर से बाहर रहता है तब कुछ दलाल टाईप के लोग अप्रार्थी सं0 1 के पीछे लग जाते है तथा उन दलालों की निगाहे हमेशा अप्रार्थी सं0 1 की उपरोक्त भूमि को हड़पने के प्रयास में रहते है। दिनांक 21.9.22 को अप्रार्थी सं0 1 व 4–5 लोग साथ आये और अप्रार्थी सं0 1 ने कहा मैने उक्त जमीन का सौदा कर लिया है तुम खेत व ढाणी खाली कर दो अन्यथा हम तुम्हे जबरन खेत से बेदखल कर देंगें। अगर अप्रार्थी सं0 1 इसमें कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। जिसे रोकने का एकमात्र उपाय अस्थाई निषेधाज्ञा है जो अति आवश्यक है। दिनांक 21.9.22 की घटना के बाद प्रार्थीया अपने ससुर के साथ तहसील मुख्यालय में आई और पटवारी से सम्पर्क किया तब हल्का पटवारी ने प्रार्थीया को बताया की अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा तस्दीक करवा दिया है जिसका नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त की पुश्तैनी भूमि चक 1 एचडब्ल्युएम का मुरब्बा नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय या मुन्तिकिल ना करें, ना ही दखलअन्दाजी करें, ना ही ऐसा कोई तर्क या फैल करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी होने पर अप्रार्थी सं0 2 के दिनांक 21.10.22 अर्जेट हियरिंग प्रार्थनापत्र पर पत्रावली में सुनवाई की गई और अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 1 एचडब्ल्युएम के मु0नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा दर्ज कागजात थी जिसको उसने समस्त प्रतिफल लेकर विधि अनुसार दिनांक 08.9.22 को अप्रार्थी सं0 2 सुखदेवसिंह पुत्र मीठसिंह को बेचान कर दी जिसका बैयनामा दिनांक 08.09.22 को उप–पंजीयक खाजूवाला के पु0सं0 जिल्द सं0 230, क्र.सं. 202203235101414 पर पंजीबद्ध कर तस्दीक व तकमील किया गया और उसी रोज भूमि का कब्जा खरीददार अप्रार्थी सं0 2 को सौंप दिया। तब से लेकर आजतक अप्रार्थी सं0 2 काबिज काश्त है तथा मौके पर उसके काश्तकार बैठे है। अप्रार्थी सं01 ने स्वअर्जित सम्पति का प्रतिफल लेकर विधिवत बेचान किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उसने अपने हको का हस्तान्तरण अप्रार्थी सं0 2 को कर दिया है तथा दिनांक 08.09.2022 से जैर वाद रकबा का अप्रार्थी सं0 2 खातेदार है और एक खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है चूंकि उक्त भूमि का अप्रार्थी सं0 1 खातेदार था और उसकी स्वअर्जित सम्पति थी जिसमें उसके जीवनकाल में किसी के अधिकार उत्पन्न नहीं होते साथ ही क्रेता से बेहतर अधिकार विक्रेता को नहीं है। समस्त प्रतिफल लेकर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार उप–पंजीयक खाजूवाला में बैयनामा तस्दीक हुआ है तथा अप्रार्थी सं0 2 उक्त भूमि का खातेदार काबिज मालिक है। प्रार्थीगण ने निराधार भौतिक कहानी बनाकर प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं है। प्रथमदृष्ट्या प्रकरण दुर्भिसंधि से प्रेरित लगता है। इसप्रकार नियम एवं प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न लगाता है। प्रार्थीगण का कहना की उक्त भूमि ही जीविकोपार्जन का साधन है। साथ ही पति तरसेमसिंह शराब का आदी है वगेरह बाते लिखी गई है जो तथ्य व विधि से बाहर है। चूंकि वादगत भूमि के अलावा भी चक 2 जीडब्ल्युएम के मु0नं0 204/30 में 19.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कागजात है जिसमें ढ़ाणी बनाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। यदि अप्रार्थी सं0 1 शराबी व गैर जिम्मेदार होता तो उक्त भूमि भी बेचान करता। वादगत भूमि पारिवारिक सहमति से अपनी घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 25.07.22 को 200000/– व 28000/– रू. 02.08.22 को तथा शेष 200000/– रू. वरवक्त बैयनामा दिनांक 08.09.22 को प्राप्त किए। उक्त अवधि में प्रार्थीगण ने कोई उजर एवं ऐतराज नहीं किया। जब इं0सं0 155 दिनांक 19.09.22 को भरा गया तो उसे रुकवाने के लिए उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर अंतरिम स्थगन एकपक्षीय ले लिया ताकि विधिक खरीददार को परेशान किया जा सके। प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन, अपूर्तिनीय क्षति साबित करने में विफल रहे हैं तथा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को पुश्तैनी साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। जिसे खारिज किया जाना आवश्यक है। जवाब प्रार्थनापत्र पेशकर अर्ज है कि जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें। न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने पर दिनांक 07.11.22 को पत्रावली में दिनांक 23.9.22 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त के आदेश किये जाकर पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1 की तलवी करवाई गई।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं मूलदावा के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादीगण को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है व पुश्तैनी भूमि बेचकर खरीद की हुई है। उक्त भूमि के बैयनामा का इंतकाल हो जाता है तो वाद विवाद और ज्यादा बढेगें प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । अप्रार्थी सं0 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है और विधिवत हुवे बैयनामा का स्थगन की आड़ में एक खातेदार का नामान्तरण रोके रखना विधिसम्मत नहीं है। उक्त भूमि मेरी विधिवत जरिये बैयनामा खरीदशुदा है और उक्त भूमि के रिकॉर्डेड एक रिकॉर्डेड खातेदार को परेशान करने की नीयत से स्थगन किया जाना कतई उचित नहीं है और प्रार्थीगणने इतने लम्बे समय स्थगन लेकर आज तक यह साबित करने में असफल है कि उसको स्थगन नहीं होने पर क्या नुकसान है जबकि मुझ काश्तकार को स्थगन से सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिये बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–2019/00052

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की पत्रावली न्यायालय में दिनांक 19.8.19 से जैरकार है। काफी समय बीतने के बावजूद प्रार्थी ने यह साबित नहीं किया कि उसको अस्थाई निषेधाज्ञा ना मिलने से क्या अपूर्तिनीय क्षति हो रही है या क्या असुविधा होगी। इससे यह प्रतीत होता है की प्रार्थी को स्थगन ना मिलने से कोई नुकसान नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली में आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :–09/2022

1. गिरधारी, लिच्छू पुत्रगण मामचन्द जाति चमार जरिये मु0आम0 सोहनसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति बाजीगर निवासी 14 पीबी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिः बीकानेर

... प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खाजवूाल खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144

–: निर्णय :– **दिनांक :– 22.12.2022**

प्रकरण का ब्यौरा इस तरह है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर की अपील सं0 106/21 अनवान गिरधारी वगैरह बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्रार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एसीसी छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 27.03.2000 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ तहसीलदार खाजूवाला को प्रतिप्रेषित किया गया कि उक्त भूमि अन्य को आवंटित नहीं हो और यदि इस भूमि की कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में नियमानुसार कार्यवाही की जावें। अपीलाधीन आदेश एसीसी छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 27.3.2000 के द्वारा प्रार्थीगण की पुख्ता आवंटित भूमि चक 14 पीबी बी के मुरब्बा नं0 69/28 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 18, 23 ता 25 की 19.00 बीघा भूमि किश्तों के अभाव में खारिज की गई थी तथा उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2000 के द्वारा उक्त भूमि रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज कर दी गई थी। उक्त भूमि वरवक्त अपीलाधीन आदेश एसीसी छतरगढ़ के क्षेत्राधिकार में थी जो वर्तमान में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। अपीलाधीन आदेश एसीसी छतरगढ़ दिनांक 27.3.2000 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2021 के द्वारा निरस्त कर दिया जाने के कारण कानूनन उक्त निर्णय की पालना में पूर्व स्थिति प्रतिस्थापित की जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर अर्ज है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.12.2021 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय एसीसी छतरगढ़ दिनांक 27.3.2000 को निरस्त कर दिये जाने के कारण एसीसी छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 27.3.2000 के पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में प्रति–स्थापित करने के निर्देश प्रदान करें।

अदालत द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट /2022/774 दिनांक 18.11.2022 व पत्रांक/रीडर/2022/2461 दिनांक 8.12.22 द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी के अनुसार चक 14 पीबी बी के मु0नं0 69/28 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 क0/अ0क0 भूमि अराजीराज दर्ज है। उक्त भूमि ना0सं0 6 दिनांक 18.4.2000 के द्वारा किस्तो के अभाव में खारिज होने के कारण अराजीराज दर्ज हुई थी। उक्त भूमि संबंधी अन्य कोई नामा0 राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। स्थगन आदि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। अपील सं0 106/21 दिनांक 16.12.2021 के संबंध में रिमाण्ड प्रकरण के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत पेश किये। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.12.2021 की पालना में तथा तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र, उपलब्ध दस्तावेज व बहस पर अध्ययन, मनन किया गया। अदालत का मानना है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.12.2021 द्वारा माननीय एसीसी छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 27.3.2000 को खारिज कर दिया है किन्तु प्रकरण तहसीलदार खाजूवाला को सशर्त रिमाण्ड किया है कि अपीलांट्स को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट्स की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसके मायने ये है कि प्रकरण में अंतिम निर्णय होना बाकी है। वर्तमान में किश्तों के अभाव में बहाली के स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के इस प्रार्थनापत्र के आधार पर पूर्व स्थिति बहाल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्रकरण में अंतिम निर्णय तहसीलदार खाजूवाला के स्तर से होना है।

इसलिए न्यायालय द्वारा धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों अनुसरण में 151 सीपीसी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 117/2022

1. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक प्रदीप तिवाडी

.....वादी

बनाम

1. मूमलदेवी
2. प्रेम
3. राधादेवी
4. रामचन्द्र

पत्नी/पिसरान धूडाराम जाति राईका निवासीगण अमरपुरा तहः व जिला बीकानेर हाल आबाद चक 3 केवाईडी ए तहः खाजूवाला

5. सुवटी
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.12.2022

यह वादी का वादपत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला का शाखा प्रबन्धक है तथा शाखा प्रबन्धक की हैसियत से वादी उक्त वादपत्र पेश कर रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता धूड़ाराम पुत्र कानाराम जाति राईका निवासी अमरपुरा तहसील व जिला बीकानेर के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पति/पिता के नाम से एक ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 आर.जे. 07–आर.ए.–1986 था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पति/पिता द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि पर वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला से के.सी.सी. ऋण व अपने उक्त ट्रैक्टर पर ऋण दिनांक 03.11.2006 को लिया था। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने अपने वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका नो ड्यूज दिनांक 04.06.2013 को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त कर लिया था।

उक्त नो ड्यूज वादी के बैंक ने दिनांक 19.08.2013 को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त कर लिया था। उक्त नो ड्यूज वादी के बैंक ने दिनांक 19.08.2013 को जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर के नाम से एच.पी.एन. हटवाने के लिये दिया गया था। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि पर लिया गया के.सी.सी. ऋण बैंक को अदा नहीं किया गया था तथा आज दिनांक तक भी उक्त के.सी.सी ऋण बकाया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने अपने वाहन ट्रैक्टर के नो ड्यूज के आधार पर प्रतिवादी सं0 6 के समक्ष दिनांक 16.12.2013 को प्रार्थनापत्र पेशकर अपनी भूमि को रहनमुक्त करवाकर दिनांक 22.12.2013 को उक्त भूमि का रहन मुक्त का नामान्तरण सं0 178 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता ने केवल मात्र अपने वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका ही नो ड्यूज प्राप्त किया था ना कि अपनी वाहन ट्रैक्टर का ऋण चुकाकर उसका ही नो ड्यूज प्राप्त किया था ना की अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का के.सी.सी. ऋण चुकाकर। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता की उपरोक्त भूमि का के.सी.सी. ऋण आजदिनांक तक भी बकाया है तथा उक्त भूमि आजदिनांक तक भी वादी के बैंक के पक्ष में रहन है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का के.सी.सी. ऋण बैंक को नहीं चुकाया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति/पिता धूडाराम का देहान्त हो गया। धूडाराम के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपने पति/पिता के नाम की उपरोक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दिनांक 20.07.2018 को इन्तकाल सं0 218 के द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। वादी के बैंक द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को उक्त भूमि पर लिये गए के.सी.सी. ऋण जमा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वादी को बताया की हमारी भूमि पर कोई के.सी.सी. ऋण बाकी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी हमारी उपरोक्त भूमि रहनमुक्त है। रहन का राजस्व रिकॉर्ड में कही भी अंकन नहीं है तथा उक्त भूमि अब हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम जरिये विरासतन प्राप्त भूमि तहसील खाजूवाला का चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में सहवन से हटाया गया रहन मुक्त का अंकन की घोषणा कर दुरस्त कर वापिस उक्त भूमि को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तामिल होने प्रतिवादी सं0 1 ता 5 अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सारस्वत उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसका जवाब वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम इस प्रार्थनापत्र पर सुना गया और दिनांक 17.11.22 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन होने के कारण खारिज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार चक 3 केवाईडी ए के मु0नं0 217/52, 59

मु0नं0 237/2,3 में कुल रकबा 5.7788 हैद्ध भूमि मूमलदेवी वगैरह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, तो बिना रहनमुक्त प्रमाणपत्र के सहवन से रहनमुक्त नामान्तरण दर्ज हो गया। राजस्व रिकॉर्ड में किसीप्रकार का रहनमुक्त प्रमाणपत्र चस्पा नहीं है। जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में पुनः एसबीबीजे खाजूवाला परिवर्तित नाम एसबीआई खाजूवाला के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 3 केवाईडी ए का मु0नं0 217/52 का किला नं0 1 ता 5, 7 ता 13, 18 में 2.4911 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0नं0 217/59 के किला नं0 1 ता 9 में कुल 2.2761 हैक्टेयर कमाण्ड, मु0नं0 237/2 के किला नं0 21 में 0.2529 है0 कमाण्ड व मु0नं0 237/3 के किला नं0 1,10,11 में कुल 0.7587 है0 क0/अ0क0 इसप्रकार कुल 5.7788 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड विरासतन खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात है। जिसपर आजदिनांक कोई रहन मुन्तकिल नहीं है अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादगत भूमि इन्तकाल सं0 138 रहननामा दिनांक 03.11.2006 की पालना में दिनांक 24.11.2006 के दर्ज हुआ तथा उक्त रहन प्रतिवादीगण के पिता धूड़ाराम पुत्र कानाराम के नाम से रहा तथा धूड़ाराम ने अपने जीवनकाल में बैंक का बकाया जमा करवा दिया तो बैंक ने दिनांक 09.09.2013 को नो ड्यूज दे दिया और उसकी पालना में इन्तकाल सं0 178 दिनांक 22.12.2013 में रहन मुक्त दर्ज कर दिया। इसप्रकार आदेश दिनांक 24.11.2006 इन्तकाल 138 के विरुद्ध इन्तकाल सं0 178 प्रभावी हुआ और तदपुरान्त पति/पिता धूड़ाराम के फौत पश्चात इन्तकाल सं0 218 दिनांक 20.07.2018 से विरासतन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ और प्रतिवादीगण आजदिनांक खातेदार दर्ज कागजात है। वादी ने लम्बे अरसे बाद मियाद बाहर उक्त वादपत्र पेश किया है। कभी भी प्रतिवादीगण को बकाया वसूली के संबंध सूचना या नोटिस नहीं दिया और सीधे ही धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट का वाद पेशकर दिया गया जबकि प्रभावित इन्तकाल सं0 178 से थे तो कानूनन इन्तकाल सं0 178 की अपील माननीय जिला कलक्टर बीकानेर के पेश करनी थी। उक्त वादपत्र सारहीन विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। दावा मियाद बाहर बिना वाद हैतुक पेश किया गया है तथा शाखा प्रबन्धक वाद लाने के लिये सक्षम नहीं है तथा बिना पूर्व सूचना व नोटिस दिये बिना अचानक से के.सी.सी. ऋण बाकी है का हवाला देकर उक्त वाद पेश किया है जो कतई सुसंगत नहीं है तथा वाद विधि से वर्जित है चूंकि आदेश दिनांक 2.12.2013 इन्तकाल सं0 178 अपने आप में एक आदेश है जिसे सहवन से हटाया गया नहीं मान सकते है और यदि कोई व्यक्ति या संस्था जिसआदेश से प्रभावित है उक्त आदेश के खिलाफ चाराजोही करे। यही काश्तकारी अधिनियम व लैण्ड रेवेन्यु अधिनियम का प्रावधान है। धारा 136 एलआरएक्ट का प्रकरण नहीं है। वादसारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी ने सरसरी दृष्टिकोण से अनुतोष चाहा है और अपने अनुतोष की अन्तिम तीन लाईनों में लिख कि ''सहवन से हटाया गया रहन मुक्त का अंकन कि घोषणा कर दुरुस्त कर वापिस उक्त भूमि को वादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।'' इसप्रकार मूल अनुतोष क्या चाहा है स्पष्ट नहीं है और ना ही प्रभावित आदेशों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का आलेख किया है। ऐसी स्थिति में वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

अतः जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी सारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। बहस सुनी गई। वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे व प्रस्तुत नजीर का हवाला देकर वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेज व बहस पर अध्ययन, मनन किया गया। अदालत का निष्कर्ष है कि वादी का कथन की नो ड्यूज वाहन ट्रैक्टर बाबत् दिया था ना की के.सी.सी. ऋण के सबंध में यह तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट से भी साबित होता है एवं प्रतिवादीगण ने भी के.सी.सी. ऋण नो ड्यूज के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं जिससे साबित होता हो कि के.सी.सी. ऋण भर दिया गया था किन्तु प्रतिवादीगण का कथन भी नियमों के दृष्टिकोण सही है कि धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट में वादी को अनुतोष नहीं दिया सकता है। अतः इस प्रकरण में धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों में अनुतोष प्रदान करना क्षेत्राधिकार के बिन्दू के लिहाज से उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः यदि तहसीलदार खाजूवाला के अनुसार उक्त प्रविष्टि सहवन से हुई है तो वह धारा 166 एलआरएक्ट में नियमानुसार दुरस्त कर सकते है अथवा वादी सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वादी को धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है इसलिए वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

नूरमोहम्मद वगै0 बनाम शेरूखां वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 60/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-12-2022	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 19.12.22 को की गई बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में इस प्रकरण से संबंधित एक और प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी का भी जैरकार है जो कि प्रार्थीया स्वंय सकीना ने पुलिस थाना में प्रार्थनापत्र देकर प्रस्तुत करवाया है जिससे उक्त भूमि के विवादित होने की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है और वादगत भूमि भी हमारी बंदोबस्ती पुश्तैनी भूमि है व कब्जा काश्त में है इसलिए यदि मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन नहीं होता है तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ेगी और अपूर्तिनीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ताःफैसला स्थगन आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/4 व 5 अधिवक्ता ने प्रस्तुत दस्तावेज व नजीरों का हवाला देकर गिफ्ट में प्राप्त उक्त भूमि पर एक खातेदार के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश को जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे जवाबप्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त स्थगन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थनापत्र अवलोकन, अध्ययन व दिनांक 19.12.22 को की गई बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित इसका फैसला मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि को लेकर पूर्व में भी लड़ाई झगड़े हुवे है और यह बात पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बहस में स्वीकार की है। इसलिए वादगत भूमि को लेकर लड़ाई–झगड़े ना हो एवं वादविवाद ना बढ़े ताकि पक्षकारों का कानूनी	

	पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 6 के.एच.एम. के मु0नं0 96/40 के किला नं0 15 ता 19, 22 ता 25 तादादी 9.00 बीघा मु0नं0 96/63 के किला नं0 1,2,4,7,14,16,17,24,25 तादादी 9.00 बीघा मु0नं0 97/33 के किला नं0 2 ता 5,7,9 तादादी 6.00 बीघा मु0नं0 97/17 के किला नं0 1 ता 7 तादादी 7.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 30.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर दिनांक 21.07. 2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

चम्पालाल बनाम सुरजाराम वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 47 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने में दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली में प्रतिवादीगण का एकबार जवाब बंद के बाद पुनः माननीय न्यायालय द्वारा अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब पत्रावली में पुनः बंद हो चुका है। प्रतिवादीगण का स्थगन से कोई नुकसान नहीं है किन्तु यदि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक स्थगन नहीं रहता है तो प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार वादी के हिस्से में आई कब्जा काश्त भूमि का विक्रय कर देगें जिससे नये पक्षकार आ जाने से विवाद की स्थिति बनकर ओर ज्यादा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादगत भूमि पुश्तैनी भूमि है व पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में है इसलिए यदि मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन नहीं होता है तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ेगी और अपूर्तिनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ताःफैसला स्थगन आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित इसका फैसला मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों का कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 3	

	एमडब्ल्युएम के मु0नं0 111/11 के किला नं0 14 ता 15 सालम अ0क0, 16, 17 सालम, 18 में 10 बिस्वा, 23 ता 25 सालम कमाण्ड कुल तादादी 07.10 बीघा मयखाला क0/अ0क0 भूमि पर दिनांक 26.09.2019 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–27/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

सुलेमान पुत्र हयात कौम मुसलमान साकिन बल्लर तहः खाजूवाला जिला बीकानेर हाल चक 3 एमजीडब्ल्युएम(सीएडी)

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :—23.12.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) मू0नं0 100/3 के किला नं0 1 ता 25 में कुल तादादी 25.00 बीघा रकबा में खातेदार श्री सुलेमान पुत्र हयात कौम मुसलमान साकिन बल्लर तहः खाजूवाला जिला बीकाने हाल चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) ने अपने धारित भूमि के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 के कुल 19.00 बीघा में प्रतिवादी द्वारा जगह जगह अवैध जिप्सम खनन के टीले व गड्डे किये हुए है इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को पक्ष रखने हेतु समन जारी किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने उक्त रकबे के फोटो मौका व पड़ोसियों के शपथपत्र पेश किये तथा जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/3 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर ग्वार/मुंगफली की फसल खड़ी है व केवल कृषि कार्य ही किया जा रहा है। पशुधन के साथ ढ़ाणी बनाकर सपरिवार प्रतिवादी रहवास कर रहा है। किसी प्रकार का खनन कार्य या अकृषि कार्य मौके पर नहीं है और ना ही जिप्सम है। प्रतिवादी ने कोई अवैध जिप्सम का खनन या बेचान

नहीं किया है। प्रतिवादी खेत सुधार में उबड़–खाबड़ भूमि को समतल करने, झाड़ झंकार को हटाने के लिए हेरा, पाती आदि लगाता है कोई खनन या परिवहन नहीं किया है। वादी का वाद नियम विरुद्ध है। धारा 177 में खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं है तथा खातेदारी अधिकारों का निरस्त करना काश्तकार पर कुठाराघात है। एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन खेती ही है अन्य हुनर प्रतिवादी नहीं जानता है। वादी का दावा इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश फरमावें।

तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी सुलेमान द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.....जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2022/35 दिनांक 11.11.22 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/3 के किला नं0 1 ता 25 बीघा भूमि सुलेमान पुत्र हयात कौम मुसलमान सा0 बल्लर के नाम खातेदारी सुलेमान सपरिवार काबिज है। उक्त रकबा में मूंग व ग्वार की फसल बोई गई थी व आजदिनांक को भी ग्वार व सरसों की फसल की फसल खड़ी है। उक्त पर खातेदार व मौजिज लोगों द्वारा बताया गया अनुसार व मौके अनुसार जिप्सम खनन कार्य नहीं हो रहा है व भूमि समतल हैं काश्त की जा रही हैं व जिप्सम के खनन होने के कोई निशान मौके पर मौजूद नहीं है व सम्पूर्ण रकबा काबिल काश्त होकर अधिकतर रकबा पर ग्वार व सरसों की फसल खड़ी है। वर्तमान में खनन के कोई निशान नहीं मिले और भूमि पर खातेदार का कब्जा काश्त है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी की रिपोर्ट ही साबित करती है कि प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है एवं वादी ने अवैध खनन के कोई स्वतंत्र ग्वाह या साक्ष्य पेश नहीं किये है साथ ही वादी ने रिपोर्ट में भी लिखा है कि जिप्सम खनन होने के मौके पर कोई निशान नहीं मिले

इससे साबित होता है कि प्रतिवादी द्वारा कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। वादी के वाद हैतुक में संशय उत्पन्न होता है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 11.11.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है। वही प्रतिवादी तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को तहसीलदार रिपोर्ट ही साबित कर रही है और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने शपथपत्र व मौका छायाचित्र भी पेश किये है जिसमें फसल खड़ी दिख रही है और राजपैरोकार ने इसका कोई खण्डन नहीं किया है बल्कि रिपोर्ट में इसको स्वीकार किया है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित हो जाने के कारण तथा वादी के वाद–हैतुक में संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 135/2022

1. रोशनअली उर्फ रास्त अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी गावं केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—22.12.2022

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी/वादी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कमाण्ड भूमि रोशन अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी केला तहसील छतरगढ़ के नाम से खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रकबा का कब्जा आवंटन से लेकर आजतक वादी का चला आ रहा है। वादी को चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 20 में कुल 20.00 बीघा भूमि का आवंटन रोशनअली पुत्र जगीरखां के नाम से हुआ था व इसी मुरब्बा नं0 239/3 के किला नं0 21 ता 25 का स्मालपेच आवंटन वर्ष 1980 में वादी को रियासतअली पुत्र जगीरखां के नाम से आवंटन हुआ है। वादी को स्मालपेच आवंटन करते समय रास्तअली पुत्र जगीरखां की जगह सहवन से रियासतअली पुत्र जंगीरखां दर्ज हो गया। वादी को उक्त भूमि के किला नं0 1 ता 20 में कुल 20. 00 बीघा भूमि का आवंटन रोशनअली के नाम से व किला नं0 21 ता 25 की कुल 05.00 बीघा भूमि का आवंटन आदेश रियासत अली के नाम से मिला। वादी पढा लिखा नहीं होने के कारण आवंटन आदेश को पढ़ पाने में असमर्थ रहा। उसी अनुसार वादी को मूल आवंटन रोशनअली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया व स्मालपेच आवंटन रास्तअली की बजाय रियासतअली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 09.05.1980 को दर्ज हो गया था। वादी रोशनअली व रास्तअली दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता रहा है। दोनो नाम वादी के ही है किसी अन्य व्यक्ति के नहीं है। वादी को उक्त भूमि अपने पुत्रों को दान (गिफ्ट) करने के लिये कागजात तैयार किये तो वादी को पता चला की वादी के पुत्र तो 10 केएलडी में निवासी करते है, उनके दस्तावेजों में नाम के आगे पिता का नाम रोशनअली है व जो पुत्र केला में निवास कर रहा है, उसके दस्तावेजों में नाम के आगे पिता का नाम रास्तअली दर्ज है। जमाबन्दी पटवारी से रिकॉर्ड में देखा तो वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली पुत्र जगीरखां दर्ज है। तब वादी को ज्ञात हुआ व पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि की दुरुस्ती करवा लो कि राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली उर्फ रास्तअली दर्ज होने पर ही गिफ्ट हो सकती है। वादी के केलां के सभी दस्तावेज रास्तअली पुत्र जगीरखां के नाम से दर्ज जबकि 10 केएलडी के कुछ दस्तावेज रोशनअली पुत्र जगीरखां के नाम से है जिसे वादी घोषणात्मक दुरुस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी के अन्य वाद में श्रीमान उपखण्ड खाजूवाला द्वारा दिनांक 18.06.2004 को निर्णय व डिक्री बमुकदमे इब्तदाई प्राप्त हुई है जो कि रोशनअली उर्फ रास्तअली पुत्र जंगीर जाति मुसलमान निवासी केला तहसील छतरगढ़ के नाम हुआ है।

वादी उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली पुत्र जगीरखां के स्थान पर रोशनअली उर्फ रास्तअली पुत्र जगीरखां दर्ज करवाना चाहता है। वादी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/3 में किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कमाण्ड भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम रोशन अली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान के बजाय रोशनअली

उर्फ रास्तअली पुत्र जंगीरखां जाति मुसलमान की घोषणा कर दुरुस्त कर अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज आधारकार्ड, परिचयपत्र, गिरदावरी, वादपत्र में वर्णित न्यायालय हाजा निर्णय छायाप्रति व मूल आवंटन पत्रावली नकल व जमाबंदी पेश की है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/त.खा./रीडर/22/873 दिनांक 15.12.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 10 केएलडी ए के मु0नं0 239/3 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0065 है0 कृषि भूमि रोशनअली पुत्र जगीरखां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. केलां खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 केएलडी 365 हैड के नाम दर्ज है। वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रोशनअली के स्थान पर संलग्न अन्य दस्तावेजों के आधार पर रोशनअली उर्फ रास्तअली करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादी/प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोशनअली के स्थान पर रोशनअली उर्फ रास्तअली दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रोशनअली की जगह रोशनअली उर्फ रास्तअली नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–86/2022

1. मोहनी पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी लाडेरा तसहील लूनकरनसर हाल चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकनेर
2. नानूराम पुत्र चोथूराम जाति चमार निवासी आसलखेडी तहसील व जिला चुरु हाल चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

1. शमा बेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार जाति मुसलमान निवासी व्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर प्रार्थीगण की ओर से।
2 विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सारस्वत अप्रार्थी सं0 की ओर से।
3 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :13.12.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम का मुरब्बा सं0 47/55 के किला नं0 14 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 2.5290 है0 व प्रार्थी सं0 2 के नाम से मुरब्बा सं0 47/56 के किला नं0 1 ता 13 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 14/1 में 0.2276 है0, 15/1 में 0.2276 है0 कुल 3.7429 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी सं0 1 के उक्त रकबा के चिपता अप्रार्थी सं0 1 का मुरब्बा सं0 47/47 के किला नं0 1/2 में 0.2023 है0, 2, 3 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 4/2 में 0.1265 है0, 5, 6 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 7/2 में 0.1265 है0, 8 में 0.2529 है0, 9 में 0.2529 है0, 10/2 में 0.2023 है0, 11/2 में 0.2023 है0, 12 में 0.2529 है0, 13/2 में 0.1644 है0, 14/2 में 0.2150 है0, 15 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 में 0.2529 है0, 20/2 में 0.2023 है0, 21/2 में 0.2023 है0, 22/2 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.1518 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0.2529 है0 कल 5.4375 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के स्वंय के नाम के रकबा में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने–जाने व कृषि भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि साधन लाने के लिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से मु0नं0 47/47 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 5.4375 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि के किला नं0 24, 25 प्रार्थी सं0 1 के रकबा के किला सं0 21 व प्रार्थी सं0 2 के रकबा के किला नं0 1 के चिपता है। प्रार्थी सं0 1 की भूमि मुरब्बा 47/55 के किला नं0 21 में प्रवेश व प्रार्थी सं0 2 की भूमि मुरब्बा नं0 47/56 के किला नं0 1 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी सं0 1 की भूमि मुरब्बा सं0 47/47 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 4.00 बिस्वा भूमि रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/रीडर/2022/2417 दिनांक 12.10.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार 7 एसएसएम का मुरब्बा सं0 47/55 के किला नं0 14 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 2.5290 है0 कृषि भूमि मोहनी पत्नी सुल्तान जाति जाट खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त मुरब्बे के पश्चिमी मु0नं0 47/47 के किला नं0 4 में 10 बिस्वा, 7 में 10 बिस्वा, 13 में 7 बिस्वा, 14 में 3 बिस्वा, 18 में 10 बिस्वा, 22 में 2 बिस्वा, 23 में 8 बिस्वा कुल 2.10 बीघा में मौका पर रिकॉर्ड अनुसार सड़क (दन्तौर खाजूवाला) गुजरती है। प्रार्थीया मोहनी पत्नी सुल्तान को अपने खेत में आवागमन के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में आवागमन के लिए मु0नं0 47/47 के किला नं0 24, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो प्रार्थीया किला नं0 23 में स्थित सड़क से किला नं0 24, 25 में दक्षिण की ओर 2–2 बिस्वा रास्ते के रूप में उपयोग कर अपने खेत में आवागमन कर सकेगी।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 47/47 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीगण का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम मुरब्बा नंबर 47/55 व 47/56 में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 मुरब्बा नं0 47/47 के किला नं0 24, 25 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 47/47 के किला नं0 24 व 25 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–127/2021

1. शमाबेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार जाति मुसलमान साकिन बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. रहीमखां, करीमखां, यासीनखां, सादिकखां, लाला खातुन, अनवर खातुन पि0 अकबर निवासी सियासर चौगान तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— **दिनांक :13.12.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम ए का मुरब्बा सं0 67/31 के किला नं0 18 ता 23 में 06.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया के उक्त रकबा के चिपता अप्रार्थी सं0 1 के नाम इसी मुरब्बा के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य के लिए आने जाने के किला मुरब्बा 67/31 के किला नं0 24, 25 में से होकर सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता कटान दर्ज नहीं है। प्रार्थीया चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रार्थीया उक्त 4 बिस्वा भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 के फौत होने के कारण इसके वारिसों पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्री रफीकशाह ने जवाबप्रा0पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थीया के चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 18 ता 20, 21 ता 23 की 06.00 बीघा के लिए मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में 2—2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत कर रास्ता की 2—2 बिस्वा के बदले अन्यत्र चिपती भूमि दिला दी जाये जो प्रार्थीगण सहमत है। अतः जवाब प्रा0पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया के प्रा0पत्र में वर्णित अनुतोष के बदले 2—2 बिस्वा भूमि या डीएलसी की दुगनी राशि दिलाये जाने के आदेश फरमावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/507 दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 18 ता 23 की 1.5174 है0 कृषि भूमि शमा बेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार के नाम दर्ज है। इस मुरब्बे के पूर्वी मु0नं0 67/39 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2—2 बिस्वा रास्ता मौके पर चालू है। उक्त मु0नं0 67/31 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.5290 है0 भूमि अनवर, करीमबक्स, यासीनखां, रहीमखां, लाला, सादकखां पुत्र अकबरखां ब.हि.ब. खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए उक्त मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में 2—2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। बहस

सुनी प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने 2–2 बिस्वा रास्ता के बदले अन्यत्र चिपती भूमि या डीएलसी की दुगुनी राशि दिलाई जावे।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम ए मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 18 ता 20, 21 ता 23 की 06.00 बीघा में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 (अप्रार्थीगण) मुरब्बा नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 7 एसएसएम ए के मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 24 व 25 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 (अप्रार्थीगण) फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–119/2020

1. हरविन्द्रकौर पत्नी साधू सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 के.वाई.एम. तह0खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. मोहनराम पुत्र लिछमणराम जाति ब्राह्मण निवासी भादासर तहः सरदारशहर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ प्रार्थीया की ओर से।
2 विद्वान अधिवक्ता श्री रफीकशाह वगैरह अप्रार्थीगण की ओर से।
3 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :19.12.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया की खातेदारी वाके चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 12 में 1 बीघा, 18 में 10 बिस्वा, 24 में 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 2.15 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। जिस पर प्रार्थिया सपरिवार लम्बे अर्से से लेकर आज तक काबिज काश्त है तथा सरसों व चना की फसल काश्त कर रखी है। चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/40 के किला नं. 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता दर्ज कागजात है परन्तु प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश करने के लिये कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश हेतु मु0 न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 के सींव पर 0.2–0.2 बिश्वा प्रत्येक बीघा में पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता की आवश्यकता है, इसके अलावा अन्य कोई आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीया के पास नहीं है। मु0न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जो अक्सर राजनीति वश रास्ते को लेकर झगड़ा करते है जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि रास्ता मंजूर शुदा नहीं है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यही सुविधाजनक और सबसे नजदीक है। प्रार्थीया किला नं. 21 ता 23 से अपने किला नं. 24 में प्रवेश कर सकती है तथा आवश्यकता आत्यंतिक है फसल काश्त का समय है यदि अप्रार्थी ने रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थीया अपने खेत में आने–जाने से वंचित हो जायेगी और प्रार्थीया की कृषि भूमि बिना काश्त के बंजड़ हो जायेगी। प्रार्थीया धारा 251'ए' के तहत वर्तमान डी.एल.सी. दर से 0.6 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 1 के.वाई. एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 के सींव पर 0.2–0.2 बिश्वा कुल 0.6 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को तामिल होने के बाद अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 11,19 ता 23 तादादी 6 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज कागजात है तथा अप्रार्थी की मौके पर सरसों की फसल खडी है और एक काश्तकार के भूमि से बढ़कर दूसरा कोई साधन जीविकोपार्जन के लिए नहीं है। प्रार्थीया ने धारा 251 ए आरटीएक्ट का पेश किया है जबकि विकल्प में प्रार्थीया को मु0नं0 18/49 जो कि प्रार्थीया के पति के नाम है तथा मौके पर रास्ता है इसके अलावा केवाईएम माइनर के पास पास पटड़े पर रास्ता उपलब्ध है जिससे वर्षो से प्रार्थीया आवाजाही कर रही है, आवश्यकता आत्यंतिक नहीं है। इसके इलावा किला नं0 1,2,9 से भी आवाजाही कर रही है। महज अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीया व उसका पति साधूसिंह दबंग व्यक्ति है। प्रार्थनापत्र की आड़ में भूमि हड़पना चाहते है जिसे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी काश्तकार है और एक किसान के लिए भूमि के बदले भूमि के विकल्प से बढ़कर कोई कीमत नहीं है।

प्रार्थीया केवल कीमत देने की बात प्रार्थनापत्र पर कर रही है जा कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र स्वच्छ हाथो से नहीं पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण एवं प्रार्थीया को वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होने के कारण एवं भूमि के बदले भूमि नहीं देने के कारण खारिज करने के आदेश फरमावें।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/744 दिनांक 07.11.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा नहर के पटड़े से होकर अपने खेत में पहुँचने के लिए रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में 2 बिस्वा कटान मार्ग चाहा गया है। मुताबिक मौका स्थिति मु0नं0 17/40 के किला नं0 21 ता 25 में 2 बिस्वा प्रत्येक में कटानशुदा मार्ग जो वर्तमान में चालू है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त कटानशुदा मार्ग से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है चूंकि प्रार्थी को कोई कटानशुदा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अतः मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा निकटतम होगा। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे भूमि के बदले भूमि नहीं देने के कारण खारिज करने के आदेश फरमावें।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में की गई रिपोर्ट और प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थनापत्र का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और पत्रावली पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 प्रत्येक में 2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 12 में 1 बीघा, 18 में 10 बिस्वा, 24 में 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 2.15 बीघा में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 के चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता निकटतम, आवश्यक आत्यंतिक है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2020/00078

1. गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां जाति मुसलमान निवासी बल्लर तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह प्रार्थी की ओर से।

2 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–22.12.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मुरब्बा नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा दिनांक 25.02.1984 को सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर द्वारा बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन आवंटन हुई थी। उक्त रकबा आवंटन के पश्चात् राजस्व भूमिहीन पुख्ता आवंटन आदेश के दर्ज हो गया, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां के बजाय रसूला पुत्र मुबारक दर्ज है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा आवंटन के समय से लेकर आजदिन तक चला आ रहा है। जब उक्त रकबा के आवंटन के लिये आवेदन किया गया था उस वक्त प्रार्थी को उसके गांव में आम बोलचाल में गुलाम रसूल के बजाय रसूला नाम से पुकारते थे तथा उक्त रकबा के आवंटन के समय आम आदमी का कोई फोटो पहचान व अन्य दस्तावेज जिसमें पूर्णतया पहचान के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। इसप्रकार प्रार्थी के पास भी फोटो पहचान व स्थाई पहचान का कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण उक्त रकबा के आवंटन के आवेदन के समय प्रार्थी के आम बोलचाल के नाम रसूला पुत्र मुबारक के नाम से आवेदन किया गया तथा मुताबिक आवेदन ही प्रार्थी को उक्त रकबा रसूला पुत्र मुबारक के नाम से आवंटन हो गया।

इसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 दर्ज हो गया था। प्रार्थी ने उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी करवाने के लिये राजस्व शिविर बल्लर में शिविर प्रभारी के समक्ष आवेदन किया तो शिविर प्रभारी ने भी उक्त रकबा की खातेदारी प्रार्थी के आम बोलचाल के नाम रसूला पुत्र मुबारक के नाम से प्र.

सं. 86 क्रम संख्या 031 दिनांक 11.05.2018 को उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी कर दी थी जबकि प्रार्थी ने उक्त खातेदारी सनद के आवेदन के समय अपने फोटो पहचान का दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां का पेश किया था। दिनांक 07.07. 2020 को प्रार्थी अपने उक्त रकबा पर के.सी.सी. ऋण लेने के लिये हल्का पटवारी के पास फर्द खाता लेने आया तो हल्का पटवारी ने कहा कि उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में तो आपका नाम रसूला पुत्र मुबारक दर्ज है जबकि आपकी फोटो पहचान का दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां है इसप्रकार आपके राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेजों में नाम भिन्न–भिन्न है इसलिए आप अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन करवाओ। रसूला पुत्र मुबारक व गुलाम रसूल प्रार्थी के ही दो नाम है तथा प्रार्थी उक्त दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है तथा प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम रसूला पुत्र मुबारक है तथा प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेज गुलाम रसूल पुत्र मुबारकखां के नाम से बने हुवे है। राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रसूला पुत्र मुबारक को दुरस्त करवाकर गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां करवाना चाहता है। प्रार्थी के नाम से चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा अनकमाण्ड का राजस्व रिकॉर्ड में रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां दुरस्त करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक/त.खा./कोर्ट/2022/514 दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा अ0क0 भूमि रसूला पुत्र मुबारक जाति मुसलमान निवासी बल्लर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनानुसार गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में मूल आवंटन पत्रावली, खातेदारी, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, भामाशाहकार्ड वगैरह की छायाप्रतियां व मूलप्रमाणपत्र ग्राम पंचायत बल्लर पेश किये गए। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां दुरस्त करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत तस्दीक का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की उक्त वादगत भूमि चक 1 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) का मु0नं0 77/36 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का

नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां उर्फ रसूला पुत्र मुबारक दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसूला पुत्र मुबारक के बजाय गुलाम रसूल पुत्र मुबारक खां उर्फ रसूला पुत्र मुबारक नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–46/19

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

नजीरा खातुन पत्नी मंजूरखां जाति मुसलमान चक 5 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री मनीराम जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :—

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 06.04.15 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 46/19 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 33/2011, 02/2012 3/2012 तीनों वादपत्र एक ही प्रतिवादी व एक ही चक मुरब्बा के होने के कारण तीनों का निर्णय एकसाथ ही दिनांक 28.05.14 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.14 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 5 एसएसएम मु0नं0 48/62 किला नं0 5, 6, 13, 14 ता 25 में खातेदार नजीरा खातून पत्नी मंजूर अहमद जाति मुसलमान निवासी 5 एसएसएम द्वारा अवैध खनन करते होना पाया गया है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 05.11.12 को प्रतिवादी की ओर से आदेश 07 नियम 11 प्रार्थनापत्र पेश किया गया एवं जवाबदावा पेश किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी ढ़ाणी बनाकर अपनी उक्त कृषि भूमि में निवास कर रही है एवं ग्वार की फसल काश्त कर

रखी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी प्रकार के सर्वे किये, साइक्लो–स्टाईल पेपर में नाम पता भरकर व नक्शा बनाकर वाद प्रस्तुत किया है इसलिए वादी का वाद निराधार व तथ्यहीन है जो खारिज योग्य है। अगर वादी अपनू मनसुबों में सफल हो जाता है तो प्रतिवादी को अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका आंकलन रुपयों में नहीं किया जा सकता है व उक्त भूमि में कृषि कार्य करके अपने व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी भी प्रकार का सत्यापन नहीं किया गया है इसलिए प्रथमदृष्ट्या ही वादी का वाद खारिज योग्य है व वादी द्वारा वाद के समर्थन में किसीप्रकार का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वाद के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 5 एसएसएम के मु0नं0 48/62 के किला नं0 1 ता 25 में तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि चालू जमाबन्दी संवत् 2072–075 में नजीराखातून पत्नी मंजूर अहमद पुत्र सुल्तानखां जाति मुसलमान निवासी 5 एसएसएम तहसील खाजूवाला के नाम खातेदार दर्ज है मौके पर मु0नं0 48/62 के किला नं0 1 में खातेदार द्वारा ढ़ाणी बना रखी है व सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त कर रखी है।

मूलवाद में वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   ..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .... जिम्मे प्रतिवादी

वादी/राजपैरोकार द्वारा वाद के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । प्रतिवादी अधिवक्ता ने रकबे की गिरदावरियां प्रस्तुत की साथ ही आस पड़ौस के स्वतन्त्र गवाहों के शपथपत्र प्रस्तुत किये। राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व साक्ष्य प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते

हुए निवेदन किया है कि मेरी कृषि भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है व सिर्फ कृषि कार्य होता है और भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया है जो कि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट से भी साबित होता है कि मौके पर कब्जा काश्त है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। राजपैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2014 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 06.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 06.03.2020 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में

तहसीलदार रिपोर्ट 06.03.2020 व पड़ौसियों के शपथपत्र जो कि स्वतंत्र गवाह है, साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करने में मजबूती प्रदान करते है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 46/19 सरकार बनाम नजीराखातुन खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 33/2011, 02/2012, 03/2012 दिनांक 28.05.2014 की पालना में चक 5 एसएसएम मु0नं0 48/62 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–172/2021

1. मंजूर पुत्र सदुखां जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान चक 7 एसएसएम ए खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. अकबर पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री रफीकशाह, श्री इमीचंद गोदारा प्रार्थी की ओर से।
2 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :10.01.23**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/38 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टर व मु0नं0 67/39 किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टर कमाण्ड कुल 5.0580 है0 खातेदारीशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए मु0नं0 67/39 के किला नं0 21, 22, 23 में 2–2 बिस्वा से आना–जाना करता है लेकिन उक्त रकबा अप्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.5290 है0 व मु0नं0 67/39 के किला नं0 1/2, 2 ता 3, 8 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 13, 18 ता 19, 20/2, 21/2, 22, 23 की 15 किता में 3.6670 हैद्ध दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 67/39 के किला नं0 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 में 2–2 बिस्वा कटान दर्ज रिकॉर्ड रास्ता है। प्रार्थी इस कटानशुदा रास्ता के किला नं0 21/2 से होकर किला नं0 22, 23 से अपने किला नं0 24 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। यही एकमात्र रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः चक 7 एसएसएम ए मु0नं0 67/39 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में प्रवेश के लिए इसी मुरब्बा नु0 67/39 के किला नं0 21/2, 22, 23 में 2–2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता स्वीकृत कर कायम कर रास्ता रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/रीडर/2022/774 दिनांक 28.12.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 7 एसएसएम ए के मुरब्बा सं0 67/39 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व मु0नं0 67/38 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 5.0580 है0 कमाण्ड कृषि भूमि मंजूर पुत्र सदूखां जाति मुसलमान खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी को रिकॉर्ड अनुसार अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है इसी मुरब्बा नं0 67/39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.6670 है0 कृषि भूमि अनवर, करीमबक्स, यासीनखां, रहीमखां, लाला, सादकखां पि0 अकबर जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। मौके पर मु0नं0

67/39 के किला नं0 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है जिससे मंजूर पुत्र सदूखां अपने खेत के किला नं0 25 में बनी ढ़ाणी में आवागमन करते है। अतः मौके अनुसार किला नं0 21 ता 23 में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर पुत्र सदूखां को खेत में जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67/39 के किला नं0 21 ता 23 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम ए मुरब्बा नंबर 67/39 की अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 के इसी मुरब्बा नं0 67/39 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 67/39 के किला नं0 21 ता 23 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–58/19

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र जैसाराम जाति रेगर निवासी वार्ड 22 साहवा तहः तारानगर जिला चुरू

रामचन्द्र पुत्र डुंगरराम जाति नायक निवासी गीवनदेसर तहः सरदारशहर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नवीन कामरा. अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175,177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :— 18.01.2023

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 02.07.2018 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 58/19 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 05/13 दिनांक 30.09.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 2 बी.वाई.एम. बी के मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 23 की 22.14 बीघा में खातेदार रामचन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति नायक निवासी गीवनदेसर द्वारा अवैध खनन करते होना पाया गया है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी जगदीशप्रसाद जरिये अधिवक्ता श्री नवीन कामरा द्वारा जवाब दिनांक 05.0422 को पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी चक 2 बीवाईएम बी का मु0नं0 105/30 में 22.14 बीघा कमाण्ड भूमि का बोनोफाईड परचेजर है। प्रार्थी ने उक्त रकबा जरिये बैयनामा खरीद किया था। प्रार्थी ने जब भूमि खरीद की थी उस समय कुछ गड्डे भूमि पर थे लेकिन प्रार्थी ने भूमि को कृषि उपयोग के

अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट मुख्यालय पर बैठकर बनाई गयी तथा पटवारी द्वारा न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया ना ही मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये। मौका रिपोर्ट पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान व हस्ताक्षर रिपोर्ट में अंकित नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में ही बिना मौका जांच किये रिपोर्ट पेश की गयी थी। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 26.05.14 से दिनांक 05.09.14 तक पीठासीन अधिकारी ने नियमित रूप से कोर्ट नहीं लिया उसके बाद आनन–फानन में अचानक से दिनांक 30.09.2014 को निर्णय पारित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि बिना जांच किये खरीदशुदा भूमि को बिना वाद प्रक्रिया अपनाए आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। पीठासीन अधिकारी को आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों की भलीभांति जांच की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया केवल पटवारी की कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जो कि स्वंम में ही विरोधाभाषी है।

प्रतिवादी के उक्त जवाब उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2022 को फर्दअहकाम में लिखा गया कि तहसीलदार रिपोर्ट 425/01.11.12, पटवारी रिपोर्ट 12.9.12 पर गौर किया गया। इन रिपोर्ट्स में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अवैध खनन कब किया गया। किस तरह से किया गया(क्या मौके पर कोई मशीनरी वगैरह थी) कितने एरिया और कितनी गहराई तक खनन किया गया था। क्या इस संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह है। क्या इस संबंध में खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी। तहसीलदार खाजूवाला से इस संबंध में जवाब/साक्ष्य पेश हेतु निर्देशित किया गया किन्तु तहसीलदार ने कोई स्वतंत्र गवाह/साक्ष्य पेश नहीं किये व तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 व साथ संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गए। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 2 बीवाईएम बी के मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 25 कुल रकबा 24.10 बीघा अराजीराज दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी न्यायालय के स्थगन संबंधि नोट का अंकन नहीं है। मौके पर मु0नं0 105/30 के किला नं0 1 ता 23 खाली है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का अवैध खनन उक्त किलों में नहीं हो रहा है।

मूलवाद में वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है।

खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.... जिम्मे प्रतिवादी

वादी/राजपैरोकार द्वारा वाद के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व साक्ष्य प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरी कृषि भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है व सिर्फ कृषि कार्य होता है और भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया है जो कि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट से भी साबित होता है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। राजपैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2014 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 12.01.2023 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व

बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 12.01.2023 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट 12.01.2023 जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करने में मजबूती प्रदान करती है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 58/19 सरकार बनाम जगदीशप्रसाद खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 05/13 दिनांक 30.09.2014 की पालना में चक 2 बीवाईएम बी मु0नं0 105/30 किला नं0 1 ता 23 की 22.14 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00098

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

नेतराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार सा0 2 एमजीडब्ल्युएम
संशोधित टाईटलः—
राजेन्द्र पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 05.12.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/21 के किला नं0 18 ता 23 में खातेदार नेतराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसलिए अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे में संलग्न अभियान दल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न है।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी राजेन्द्र की ओर अधिवक्ता विनोद भोभरिया हाजिर आये। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/119 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/21 के किला नं0 18 ता 23 में 06.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा राजेन्द्रकुमार पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 100/21 के किला नं0 18 ता 23 के 06.00 बीघा अवैध रकबे पर पूर्व में खनन होता था व खनन के पुराने खड्डे मौजुद है। अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब व साक्ष्य पेश नहीं करने पर जवाब व साक्ष्य बंद किये गए। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे

खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 18 ता 23 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/21 के किला नं0 18 ता 23 की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00081

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

श्रीराम, नगाराम, कसुम्बा, रमा, गोरखाराम, मदनलाल पि0 मगनाराम जाति कुम्हार निवासी 3 एमजीडब्ल्युएम, खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 05.12.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 3 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/18 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि के खातेदार श्रीराम, नगाराम, कसुम्बा, रमा, गोरखाराम, मदनलाल पि0 मगनाराम जाति कुम्हार निवासी 3 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया इसलिए अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे में संलग्न अभियान दल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न है।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/125 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) मु0नं0 100/18 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा श्रीराम, गोरखाराम, मदनलाल जाति कुम्हार निवासी 3 एमजीडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 100/18 के किला नं0 5,6 खाली, किला नं0 8,23 में ढ़ाणी व शेष रकबा के किला नं0 1 ता 4, 7, 9 ता 22, 24, 25 में रकबी फसल की काश्त की है जिसमें चना, सरसों, गेहूं व चरी है। चक 3 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/18 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि पर पूर्व में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी

की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) मु0नं0 100/18 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2019/00059

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

गोमाराम पुत्र पोलाराम जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहः फलौदी हाल 19 बीएलडी खाजूवाला, खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः **दिनांकः— 05.12.2022**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 19 बीएलडी के मु0नं0 35/15 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि के खातेदार गोमाराम पुत्र पोलाराम जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहः फलौदी जिला जोधपुर द्वारा अपने धारित भूमि के किला नं0 1, 2, 9, 10, 14 की 03.16 बीघा भूमि में अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/130 दिनांक 06.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/15 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा गोमाराम पुत्र पोलाराम जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 35/15 के किला नं0 3 ता 8 में चना, 12 में गेहूं, 13 में चना, 17 में चना, 18 ता 19 में गेंहूं, 22 ता 23 में गेंहूं की काश्त है व किला नं0 1, 2, 9, 10, 14 में कोई काश्त नहीं है व खनन के गड्डे मौजूद है। मु0नं0 35/15 का शेष रकबा किला नं0 11 में ढ़ाणी को छोड़ते हुवे मौके पर खाली है। चक 19 बीएलडी के मु0नं0 35/15 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि पर पूर्व में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 06.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी

की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/15 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00076

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

कलावती पत्नी हीराराम जाति कुम्हार
संशोधित शीर्षकः—
चन्दगीराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला।
.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 01.12.2022

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में 3.12 बीघा में खातेदार कलावती पत्नी हीराराम जाति कुम्हार निवासी साजनवास द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे में संलग्न अभियानद ल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न कर प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी चन्दगीराम को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया एवं प्रतिवादी चन्दगीराम की ओर अधिवक्ता विनोद भोभरिया प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 का कुल 3.12 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें पूर्व मालिक कलावती के नाम से अवैध खनन को लेकर न्यायालय हाजा से नोटिस जारी हुआ है। उक्त कृषि भूमि का जरिये बैयनामा प्रार्थी एकमात्र मालिक दिनांक 07.08.2018 से बरकरार है। कलावती ने उक्त भूमि राजूराम को बैयकर दी थी और बाद में राजूराम से प्रार्थी ने क्रय की, इस दौरान उक्त भूमि में से किसी तरह का अवैध खनन नहीं किया गया है। कलावती के मालिक होते समय का यह प्रकरण विचाराधीन है, जिसका हल्का पटवारी व राजस्व तहसीलदार को संज्ञान था फिर भी क्रेता को कोई जानकारी नहीं दी गई और नाही बैयनामा व इंतकाल दर्ज करते समय ही क्रेता को बताया।

क्रेता ने पाकसाफ जानकर ही उक्त भूमि क्रय की थी और बाद में कभी भी अवैध खनन नहीं होने दिया और इस बाबत् हल्का पटवारी की रिपोर्ट मंगवाकर मौके की तस्दीक करवाई जा सकती है। उक्त रकबा प्रार्थी के कब्जा में पूरी तरह पाक साफ होने की वजह से कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/118 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके

अनुसार चक 1 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में 3. 12 बीघा कमाण्ड चन्दगीराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी करणपुरा चुरू हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में सरसों काश्त है। पूर्व में चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/54 किला नं0 22 ता 25 अवैध खनन (कृषि से अकृषि कार्य) हुआ था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   .....जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्य हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद किये जाकर बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 27.05.2015 व तहसीलदार रिपोर्ट 03.03. 2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी के जवाब से प्रतीत होता है कि अवैध खनन हुआ है एवं पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है।

पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी/खातेदार ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है

हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 22 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 27.05.2015 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 की 3.12 बीघा उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00038, 2015/00096

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

विद्यादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम, खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 05.12.2022

उक्त दोनों वादपत्र एक ही प्रतिवादी के है एवं वादपत्र 2015/00038 का चक, मुरब्बा नम्बर ही पत्रावली सं0 2015/00096 में शामिल होने के कारण दोनों का निर्णय एक साथ ही लिखा जा रहा है। उक्त निर्णय की प्रति दोनों पत्रावली में संलग्न रहे। राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्यु के मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 एवं इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 में खातेदार विद्यादेवी पत्नी दुलीचंद जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावें में संलग्न अभियान दल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न कर प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/121,113 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड विद्यादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम खातेदार रहन एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा दन्तौर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौका अनुसार रकबे में मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 में सरसों व मु0नं0 100/26 के किला नं0 1,2 खाली व किला नं0 3 ता 5 में गेंहूं की काश्त है। चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड रकबे में पूर्व में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट

की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड पर अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–203/2022

1. सरपंच ग्राम पंचायत 14 बीडी, खाजूवाला वगैरह

.....प्रार्थी

1. चीमादेवी, प्रताप उर्फ रामप्रताप, सन्तोषदेवी, सुभाष जाति धानक निवासी 11 बीडी, खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :10.01.2023**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप कैम्प में सरपंच, ग्राम पंचायत 14 बीडी , सरपंच, ग्राम पंचायत 8 केवाईडी ने चक 11 बीडी के मु0नं0 134/54 में रास्ता चालू है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कटान स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता चको की आबादी को जोड़ता है जिससे दोनों चको के निवासियों को ये चालू होने से फायदा होगी। उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कटान स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/506 दिनांक 10.08.2022 अनुसार चक 11 बीडी बी के मु0नं0 134/62 के किला नं0 1 ता 25 तक काश्तकार प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र भगवानाराम वगैरह के नाम से दर्ज है। मु0नं0 134/62 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता कटान नहीं है। चक 11 बीडी बी के चिपते चक 13 बीडी है जिसमें मु0नं0 134/54 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता कटान व 134/46 के किला नं0 21 ता 25 में कटान रास्ता है जो मौके पर चालू है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 पर पक्की डामर रोड़ बनी हुई है। मु0नं0 134/44, 134/52, व 11 बीडी बी के मु0नं0 134/60 पर पक्की रोड़ बनी हुई है। यह रोड़ ग्राम पंचायत 14 बीडी होते हुवे खानूवाली के रास्ते रावला मण्डी (श्रीगंगापुर से सम्पर्क करती है) चक 13 बीडी के मु0नं0 134/45,46 से होती हुई 17 केवाईडी वाया खाजूवाला से जुड़ती है। 13 बीडी व 11 बीडी बी से रोड़ पक्की 365 हैड उपतहसील रावला से जुड़ती है। अगर मु0नं0 134/62 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो इसी रास्ता से चक 13 बीडी के काश्तकार ग्राम 6 बीडी आबादी से सीधे जुड़ते है।

पत्रावली में रामप्रताप पुत्र भगवानाराम का उक्त रास्ता स्वीकृत बाबत् दानपत्र/सहमतिपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। रकबे से संबंधित काश्तकारों (चीमादेवी, प्रताप उर्फ रामप्रताप, सन्तोषदेवी, सुभाष) को जरिये डाक नोटिस भिजवाने पर अप्रार्थी सुभाषचंद्र की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह हाजिर आये। शेष अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सुभाषचंन्द्र को अनेक अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाबबंद कर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र में मु0नं0 134/54 लिख दिया जबकि मु0नं0 134/54 में रास्ता कटान है एवं मु0नं0 134/62 में कटान नहीं है अतः मु0नं0 134/62 के किला नं0 21 ता 25 में कटान के आदेश फरमावें।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि चक 11 बीडी के मु0नं0 134/62 के किला नं0 21 ता 25 स्थायी सार्वजनिक रास्ता रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 11 बीडी के मु0नं0 134/62 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व किला नं0 25 में 01 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक.....को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2021/84

सुखमिन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी खाजूवाला

..... वादी

बनाम

आमीनखां पुत्र मदनखां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला

.....प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 16.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन, अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वर्णित रकबा प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं अप्रार्थी के नाम रकबे से संबंधित दस्तावेज नहीं और नाही अप्रार्थी ने मौका पर काबिज को लेकर कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिससे अप्रार्थी का अधिकार साबित होता हो। इसलिए प्रकरण में समुचित सुनवाई कर मूलवाद/प्रार्थनापत्र में निर्णय होना है। अतः तब तक विवादित रकबे पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद/प्रार्थनापत्र के फैसले तक स्थाई किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि प्रकरण में वर्णित रकबे को लेकर और अधिक मुकदमेंबाजी व कानूनी पेचिदगिया ना बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 26.07.21 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/23 किला नं0 17/4 को मूल प्रकरण सं0 75/2021 के फैसले तक स्थाई किया जाता है। उक्त विवादित रकबे पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद/प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2022/176

पत्रावली आज प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र जरिये अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह पेशी में ली गई। प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि गलती से कोई त्रुटि रह गई है इसलिए प्रार्थनापत्र विड्रॉ करना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत् विड्रॉ न्यायहित में स्वीकार किया जाता है पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

चम्पालाल बनाम सुरजाराम वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 47/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली में प्रतिवादीगण का एकबार जवाब बंद के बाद पुनः माननीय न्यायालय द्वारा अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब पत्रावली में पुनः बंद हो चुका है। प्रतिवादीगण का स्थगन से कोई नुकसान नहीं है इसका अनुमान प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में की गई चाराजोही/पैरवी से लगाया जा सकता है किन्तु यदि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक स्थगन नहीं रहता है तो प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार वादी के हिस्से में आई कब्जा काश्त भूमि का विक्रय कर देगें जिससे नये पक्षकार आ जाने से विवाद की स्थिति बनकर ओर ज्यादा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादगत भूमि पुश्तैनी भूमि है व पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में है इसलिए यदि मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन नहीं होता है तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ेगी और अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ताःफैसला स्थगन आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन	

	किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 3 एमडब्ल्युएम के मु0नं0 111/11 के किला नं0 14 ता 15 सालम अ0क0, 16, 17 सालम, 18 में 10 बिस्वा, 23 ता 25 सालम कमाण्ड कुल तादादी 07.10 बीघा मयखाला क0/अ0क0 भूमि पर दिनांक 26.09.2019 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

तनिषा वगैरह बनाम भागीरथ वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 108/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 43 केवाईडी बी के मु0नं0 101/16 की 6.1960 है0 क0/अ0क0 भूमि के 1/3 हिस्से पर दिनांक 13.08.2021 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल	

	वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

लियाकतअली बनाम कादरखां

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 2020/00032

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1 पीकेएम के मु0नं0 203/40 के किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीघा भूमि पर दिनांक 26.05.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सुखडी बनाम छमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 43/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 21 बीएलडी बी के मु0नं0 216/17 के किला नं0 3 ता 6 , 15, 16 की 06.00 बीघा व मु0नं0 216/25 के किला नं0 1 ता 4, 6 ता 14, 17, 18, 23 ता 25 कुल 18.00 बीघा कुल 24.00 बीघा भूमि पर दिनांक 29.03.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

विरेन्द्र वगैरह बनाम सुभाष वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 57 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 को वास्ते जवाब अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 11 बी.डी. बी के मु0नं0 134 / 62 के किला नं0 1 ता 25 कुल तादादी 6.3225 है0 भूमि के 3 / 16 हिस्से पर दिनांक 23.05.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कुजरत वगैरह बनाम जैनब वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 93/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 18 केएचएम के मु0नं0 199/54 के किला नं0 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से पर दिनांक 14.07.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00097

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रामीवाला

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः **दिनांकः– 18.01.23**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 24 बीएलडी के मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि के खातेदार तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रामीवाला द्वारा अपने धारित भूमि के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि में अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया है। अतः अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी स्वंय न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित जवाब दिया कि प्रार्थी की चक 24 बीएलडी क मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। मैं प्रार्थी महाराष्ट्र में ड्राइवरी करता हूँ। मेरे परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। मुझ प्रार्थी ने कभी कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया है ना ही कभी अवैध जिप्सम खनन किया है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/128 दिनांक 06.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 24 बीएलडी के मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा कमाण्ड भूमि का तेजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी रासीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज है। मौकानुसार उक्त रकबा खाली है व अवैध खनन के पुराने खड्डे आज भी मौजूद है। खातेदार तेजसिंह मौके पर निवास नहीं करता है। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 06.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट

की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 19 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 24 बीएलडी मु0नं0 198/13 के किला नं0 19 ता 25 की 06.00 बीघा भूमि की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2021/00028

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

बलवन्त राम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हंसेरा तहः लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी)

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 18.0123

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/4 के किला नं0 1 ता 21 में कुल तादादी 20.18 बीघा कमाण्ड रकबा में खातेदार बलवन्तराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हंसेरा तहः लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) ने अपने धारित भूमि के किला नं0 1 ता 21 के बीघा 20.18 में प्रतिवादी द्वारा जगह जगह अवैध जिप्सम खनन के गड्डे किये हुवे है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम खनन कार्यकर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) मु0नं0 100/4 के किला नं0 1 ता 21 की 20.18 बीघा भूमि में जगह—जगह अवैध जिप्सम खनन के गड्डे किये हुवे है। खातेदार मौके पर नहीं मिला। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 17.02.2021 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष

का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 21 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि 3 एमजीडब्ल्युएम (सीएडी) के मु0नं0 100/4 के किला नं0 1 ता 21 में कुल तादादी 20.18 बीघा की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00039

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

सादुराम पुत्र गुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
3 श्री इदरीश अहमद कुरैशी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 18.01.2023

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 में कुल 03.00 बीघा भूमि सादुराम पुत्र गुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबे के किला नं0 7,9,10 के रकबा 03.00 बीघा में खातेदार द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता इदरीश अहमद कुरैशी ने प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया है। मौका पर प्रतिवादी की उक्त भूमि समतल व काश्त योग्य है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है। उक्त वादपत्र मनगढ़त व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए वादी को किसीप्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारो पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य हैं।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/122 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 की 03.00 बीघा भूमि साधुराम पुत्र बुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार मु0नं0 100/17 के किला नं0 7 में सरसों की काश्त व किला नं0 9,10 में अवैध खनन के खड्डे मौजुद है। उक्त खनन पूर्व में किया गया था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।
.....जिम्मे वादी
2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।
.....जिम्मे प्रतिवादीया

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादिया द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 5.1.15 व तहसीलदार रिपोर्ट 3.3.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 3.3. 2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। तहसीलदार पटवरी प्रत्येक रिपोर्ट में लिखा है अवैध खनन के खड्डे मौजुद है, इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में

प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है उक्त रकबे की गिरदावरी तक साथ संलग्न नहीं की। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 7,9,10 भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 5.1.15, 3.3.2020 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में उक्त भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कुजरत वगैरह बनाम जैनब वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 93/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 18 केएचएम के मु0नं0 199/54 के किला नं0 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से पर दिनांक 14.07.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

चन्दूराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 92/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर दिनांक 31.08.2020 से आजतक ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य/सबूत या तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे प्रथमदृष्ट्या मामला बनता हो या प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति होती प्रतीत हो इसलिए प्रार्थनापत्र पर गौर फरमाने के बाद वादगत भूमि पर स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं प्रार्थी स्थगन के मूल बिंदू/आधार प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्तिनीय क्षति, सुविधा का संतुलन आदि को साबित करने में असफल रहा है। अतः यह पत्रावली सारहीन होने कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

खान मोहम्मद बनाम नजीरखांवगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 90/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/33 के किला नं0 24 ता 25 की 0.5058 है0, मु0नं0 240/34 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 15, 17, 18, 25/2 में कुल 2.7586 है0 व मु0नं0 240/42 के किला नं0 1,2, 8 ता 12, 21/2 में कुल 1.9979 है0 इसप्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 5.2603 है0 खातेदारी भूमि के 1/5 हिस्सा कृषि भूमि पर दिनांक 28.06.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सुखबाला वगै0 बनाम मनोहरलाल वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 102/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 11 केवाईडी (ए) के मु0नं0 155/4 के किला नं0 1,2,9,10,11,12 19 ता 22 में कुल 2.1118 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर दिनांक 16.10.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

अमीनखां बनाम देशराज वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 21/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 10 केएलडी ए का मु0नं0 239/17 के किला नं0 11,19,20 की 01.02 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 25.04.2018 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद कृे साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मघी वगैरह बनाम लालूराम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 53/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1–2 पीआरएम मु0नं0 77/06 के किला नं0 1 ता 25 व चक 5 पीआरएम मु0नं0 57/57 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 50.00 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 03.06.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद कृे साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम पुन्नुखां

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 184 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101 / 30 के किला नं0 2 ता 5 की कुल तादादी 04.00 बीघा क0 / अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम कृष्णलाल

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 185/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/61 के किला नं0 1 ता 25 की कुल तादादी 24.10 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम रफीक आलम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 186/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 8 केजेडी बी मु0नं0 123/01 के किला नं0 1, 2, 6 ता 25 व मु0नं0 123/09 के किला नं0 11, 12, 16 ता 21 कुल तादादी 19.16 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम अनवर

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 188/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/30 के किला नं0 7 ता 10 की कुल तादादी 03.00 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम परवीन बानो

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 187/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 13 ता 17, 23 ता 25 कुल 07.14 बीघा व चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/30 के किला नं0 3 ता 8 कुल 06.00 बीघा कुल 13.14 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम बलदेवसिंह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 190/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/43 के किला नं0 11 ता 20 की कुल तादादी 07.09 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम धनराज वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 185/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 18 केजेडी मु0नं0 65/30 के किला नं0 23 ता 25 की कुल तादादी 02.14 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

स्टेट बनाम अरूणकुमार वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 183/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है अथवा नहीं एवं यदि उक्त भूमि का अकृषि कार्य उपयोग हुआ है तो किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथवा नहीं आदि बिन्दू मूल वादपत्र में मैरिट पर सुनकर तय किए जाने है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि वादविवाद और अधिक ना बढ़े एवं पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 5 एसजेएम मु0नं0 78/39 के किला नं0 6,15,16,25 व 7,14,17,24 कुल 07.14 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि पर दिनांक 13.12.2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00168

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी 14 पीबी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री दिलीपसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 24.01.2023**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी के नाम चक 14 पीबी ए के मु0नं0 68/40 में किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 68/39 में किला नं0 5,6,15,16, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 13.06 बीघा भूमि है तथा चक 14 पीबी ए मु0नं0 68/40 के किला नं0 21 ता 24 में 03.10 बीघा रकबा भूमि प्रतिवादी अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी 14 पीबी तहसील खाजूवाला द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया, इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार की कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है आवंटी को आवंटन कृषि कार्य हेतु किया गया था जिप्सम खनन के लिए नहीं किया गया था। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह उपस्थित आये। प्रतिवादी को जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/त.खा./रीडर/22/89 दिनांक 12.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 14 पीबी ए के मु0नं0 68/40 के किला नं0 21 ता 25 कुल 1.1127 है0 का रकबा अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में अनोपकंवर का ही कब्जा काश्त है व मौके पर रबी की फसल बोई हुई है। बहस सुनी गई।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। राज्य पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद विचारण अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं प्रतिवादी से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई मशीनरी ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि कभी कोई जब्त हुई अथवा नहीं। कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से प्रतिवादी ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 12.01.2023 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों के पक्ष में मजबूत साक्ष्य/सबूत, स्वतंत्र गवाह वगैरह पेश नहीं किये गए है और नाही वादपत्र को साबित करने के पक्ष में ऐसा तथ्य/दस्तावेज पेश किया जिससे वादपत्र साबित होता हो। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि उक्त भूमि का कृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है व कब्जा काश्त है तथा भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया गया है एवं इस बात की तस्दीक तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 से भी हो रही है। वादी वादपत्र को साबित करने में असफल रहने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

ओमप्रकाश वगैरह बनाम धर्मपाल वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 163/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
30-01-23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.7935 है0 कृषि भूमि पर दिनांक 27.10.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–144/2022

1. रोहितासकुमार एवं करणीदान पि0 बृजलाल जाति कुम्हार निवासी 6 केवाईडी
..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला वगैरह
.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 23.01.23

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 6 केवाईडी ए मु0नं0 196/20,27,28 में 15.10 बीघा भूमि है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.22 को हल्का पटवारी द्वारा पेमाईस भी करवा ली गई है। मगर अप्रार्थी खेत पड़ौसी सुनीलकुमार व मोहनलाल रेगर पटवारी द्वारा दी गई निशानदेही पर सिंवट नहीं निकालने दे रहे है इसलिए प्रार्थी चाहता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने अथवा पुनः पटवार हल्का को आदेशित कर मेरी सींवट निकलवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी निर्मलाकुमारी, सुनिल, अमीत की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम तेतरवाल हाजिर आये और अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण (राकेशकुमार, शिवचन्द, छगनलाल, सुमति, स्वेता, रुपलाल) हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट अनुसार चक 6 केवाईडी ए मु0नं0 196/20,27,28 का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 14–15 दिनांक 06.05.2022 द्वारा किया गया जिसमें हल्का पटवारी ने बताया की उक्त रकबे की सीमाज्ञान किया गया व मौके पर सभी लोग की गयी कार्यवाही से संतुष्ट पाये गये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थी को अप्रार्थी सींवट नहीं निकालने दे रहे है। सीमाज्ञान से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/भू0अ0/2022/1905 दिनांक 22.08.22 द्वारा प्राप्त हुई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 मु0नं0 196/20,27,28 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मु0नं0 196/20,27,28 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2021

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 14 केएचएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. शायर कंवर पत्नी रुघसिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 केएचएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. विक्रमसिंह पुत्र रुघसिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 केएचएम खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 14 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. हसणखां पुत्र फैजूखां जाति मुसलमान निवासी चक 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जयवीरसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1,2 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदार कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला का चक 13 केएचएम का मु0नं0 19/64 के किला नं0 2,3,8,9 की 04.00 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के इसी मु0 नं0 19/64 के किला नं0 14 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 11.10 बीघा कमाण्ड अप्रार्थी सं0 01 व 02 के नाम से खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किला नं0 10 अप्रार्थी सं0 4 हसणखां पुत्र फैजूखां के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। किला नं0 1,11 अप्रार्थी सं0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुख्य रास्ता अप्रार्थी सं0 1, 2 के मु0नं0 19/64 के किला नं0 21 ता 25 में कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसीतरह यह रास्ता आगे के मुरब्बों में से भी होकर गुजरता है लेकिन प्रार्थी के मु0नं0 19/64 के किला नं0 20 में बनी ढ़ाणी व भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं लगता है। इस मुरब्बा की प्रार्थी के हिस्से आयी कृषि भूमि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पीछे स्थित है। जिसपर आने जाने के लिए व मुख्य रास्ता तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी सं0 1 व 4 के हिस्से की भूमि वादगत मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 में से होकर गुजरना पड़ता है। इसपर 2–2 बिस्वा चौड़ा अस्थाई रास्ता बना हुआ है एवं उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड अंकन बतौर कटानी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 3 ने किला नं0 11 में 2 बिस्वा रास्ता कटान करने में सहमति प्रदान की। अप्रार्थी सं0 4 बावजूद तलवी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 1, 2 के नाम धारिज कृषि भूमि पहले प्रार्थी व उसके भाई इन्द्राज तथा एक अन्य तीसरे भाई के नाम से खातेदारी थी। इन्होंने ही अप्रार्थी सं0 1, 2 को मुरब्बा नं0 19/64 का किला नं0 4 ता 7, 14 ता 25 की 16.00 बीघा जरिये बैयनामा विक्रय की थी। अगर इनको उक्त भूमि में मार्ग रखना था तो यह अप्रार्थी से पहले उन्ही के नाम थी। उस वक्त ही अपना रास्ता रखकर शेष भूमि अप्रार्थी सं0 1, 2 को विक्रय करते है। प्रार्थी की कृषि भूमि किला नं0 21 ता 25 में पूर्व से ही एक रास्ता स्वीकृत है तथा किला नं0 21 व 21 में पानी का खाला जाता है जिसमें उसकी करीब 14 बिस्वा भूमि कम हो गई तथा प्रार्थी की स्वंय की ढ़ाणी किला नं0 17 में बनी हुई है। जिसको आने–जाने के लिए किला नं0 17, 25 में रास्ता छोड़ रखा है। इसप्रकार प्रार्थी की खाला एवं रास्तों में काफी भूमि कम हो चुकी है इसके अलावा अगर प्रार्थी को अगर किला नं0 20, 21 में ओर रास्ता कटान कर दिया जाता है तो उसकी भूमि के टुकड़े–टुकड़े हो जाएगें जो कि उपनिवेशन के नियमों के विपरीत है। अप्रार्थी सं0 4 हसणखां के नाम इसी चक का मुरब्बा नं0 19/56 के किला नं0 12 ता 25 में 3.2244 है0 तथा प्रार्थी के भाई इन्द्राज के नाम से इसी मुरब्बा नं0 19/56 में किला नं0 1 ता 5 कृषि भूमि है जिससे होकर वह अपने भाई इन्द्राज के किला नं0 5 में से होकर मुरब्बा नं0 19/64 के किला नं0 1 में प्रवेश करता है तथा उसकी किला नं0 2,3,8,9 उसकी खातेदारी भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 दोनों सगे भाई है उनके आने–जाने का मार्ग मुरब्बा नं0 19/56 से चालू है फिर भी उन्होनें झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। फिर भी अगर वह मेरे किला नं0 17, 25 से मेरा स्वंय की ढ़ाणी का रास्ता आता है और किला नं0 14 के चिपता ही किला नं0 13 है जो कि उसके सगे भाई इन्द्राज का है अगर उक्त किलों से वह प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटवाता है और बदले में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को किला नं0 3 व 8 में 2–2 बिस्वा भूमि तबादले में देता है तो वह उसको रास्ता देने को तैयार है। वास्तविक रूप से रास्ता मुरब्बा नं0 19/56 में स्वीकृत करवाना चाहिए ताकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 तीनों के वह रास्ता काम आता है व सहुलियत व सुविधा रहेगी।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 13 केएचएम मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 में प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है। किला नं0 1 व 11 सालम इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 14 केएचएम खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। किला नं0 10 सालम हसण खां पुत्र फेजुखां जाति मुसलमान निवासी दन्तौर खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला दर्ज रिकॉर्ड है। किला नं0 20 सालम व 21/2 भूमि विक्रमसिंह पुत्र रूपसिंह हिस्सा 1/2, सायरकंवर पत्नी रूपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी 13 केएचएम खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में मौके पर उक्त किला में फसल काश्त की हुई है। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 13 केएचएम के मु0नं0 19/64 के किला नं0 1,10,11,20,21 दक्षिण से उतर की ओर सींव के चिपते चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थीगण उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 81/2020

1. श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल निवास 17 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. शिवकुमार पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी 15 केवाईडी खाजूवाला
2. सीमा पत्नी कृष्णनाथ जाति नाथ निवासी पक्का भादवा, हनुमानगढ़
3. सिलोचना पत्नी विनोदनाथ पुत्री बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी खारिया, तहः रानिया, सिरसा, हरियाणा
4. इन्द्रा पत्नी रामसिंहनाथ जाति नाथ निवासी खारिया, तहः रानिया, सिरसा, हरियाणा
5. कृष्णनाथ पुत्र बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी 17 केवाईडी खाजूवाला
6. वेदनाथ पुत्र बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी 17 केवाईडी खाजूवाला
7. कैलाश पत्नी राजूनाथ जाति नाथ निवासी सोमासर, तहः सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. रीना पुत्री महावीरप्रसाद जाति नाथ निवासी पक्का भादवा तहः/जिला हनुमानगढ़
9. नत्थूनाथ पुत्र महावीरप्रसाद जाति नाथ निवासी पक्का भादवा तहः/जिः हनुमानगढ़

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुभाष बिश्नोई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 18 केवाईडी के मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 की 3.0348 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में आने–जाने के लिए प्रार्थी के पास स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। चक 18 केवाईडी के मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 21 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो कि लम्बा खेत रास्ता है। उक्त खेत रास्ता मुरब्बा नं0 97/23 के प्रार्थी के किला नं0 6 से सिर्फ तीन बीघा दूर पड़ता है। मु0नं0 97/23 के किला नं0 13 ता 18 सालम व 19 में 0.0632 है0 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 की व इसी मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 19 में 0.1897 है0, 20 में 0.2529 है0, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल 1.5806 है0 का 6/7 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 के हिस्सा में व 1/7 हिस्सा अप्रार्थी सं0 3 के हिस्सा में है जिसके वे खातेदार काबिज काश्तकार है,

अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपनी कृषि भूमि किला नं0 19,20, 21 ता 25 के किला नं0 25 में से अप्रार्थी सं0 1 को उसके खेत में आने जाने के लिए खेत रास्ता दे रखा है जिसका वे वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 15,16 में से रास्ता यदि दिया जाता है तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी को अपने अपने खेत में आने जाने के लिए खेत रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित चक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 की 3.0348 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 15,16,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा भूमि प्रार्थी को खेत रास्ता के लिए स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता भूमि अंकन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद तामिल हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता ने सूचना दी कि अप्रार्थी सं0 2, 3 फौत हो चुके है इसलिए उनके जायज वारिसों को अप्रार्थी सं0 2 ता 9 पर पक्षकार बनाया गया एवं पक्ष रखने हेतु नोटिस भिजवाने पर अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई ने अण्डरटेकिंग दी किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिए अप्रार्थी सं0 2 ता 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार मु0नं0 97/23 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता अंकित नहीं है इस मुरब्बा हेतु चकबंदी रूल्स मुताबिक रास्ता 97/31 के किला नं0 21 ता 25 में से तथा 97/30 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा पक्के खाले के समान्तर अंकित है जिससे प्रार्थी किला नं0 1 में आ सकता है इसलिए प्रार्थनापत्र बोगस होने के कारण काबिल खारजी है। सीएडी स्कीम व चकबंदी रूल्स अनुसार दर्शाये रास्तो का कटान करवाकर उन्हे चालू करवाकर मुझे प्रार्थी को रास्ता दिलवाकर न्याय दिलावे।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 कुल 3.0348 है0 कमाण्ड श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम जाति सा0 ठाकरी के रहन आईसीआईसीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। इसी मु0नं0 97/23 के किला नं0 13 ता 19 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि शिवकुमार पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी 18 केवाईडी खातेदार रहन एसबीआई खाजूवाला के नाम दर्ज है। 97/23 के किला नं0 19 ता 25 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि लिछमा पत्नी बीरबलनाथ हि0 6/7 व विमला पुत्री बीरबलनाथ हि0 1/7 के नाम दर्ज है। उक्त मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 0.02 बिस्वा रिकॉर्ड अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। किला नं0 1 ता 12 के काश्तकार श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम को अपने खेत में जाने के लिए रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त आसामी नजदीकी मु0नं0 97/15 के किला नं0 15, 25 होते हुवे अपने खेत में (अस्थाई रास्ता) प्रवेश करता है। उक्त वाद काश्तकार श्रवणकुमार 97/23 के किला नं0 15,16,25 में 0.02 बिस्वा रास्ता लेना चाहता है ताकि उक्त रास्ते स्वंय व चिपते काश्तकार शिवकुमार पुत्र गोपालराम अपने खेत में प्रवेश कर सके। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 15,16,25 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थीगण उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–15/2023

1. तेजपाल पुत्र प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी बींझबायला निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–30.01.23

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 29 केजेडी

तहसील खाजूवाला का मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि आवंटन शुदा जो प्रार्थी व सभागीदारों के कब्जा उक्त वर्णित रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमचंद दर्ज है जबकि तमाम आई डी प्रूफ में प्रेमकुमार है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी के पिता के चार जायज वारिस 1 माया पत्नी 2 मुकेश पुत्र 3 पवन पुत्र 4 तेजपाल पुत्र है। जिसका प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान इंतकाल दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही कर वारिसान इंतकाल दर्ज करने के प्रदान करें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के पक्ष में दस्तावेज शपथपत्र व नोटेरी स्टाम्प का वारिसनामा प्रेमकुमार पुत्र पूर्णराम का ,वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्र.श्रे. पशु चिकित्सालय बींझबायला (श्रीगंगानगर) व ग्रामपंचायत बींझबायला तस्दीक प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, मृत्युप्रमाणपत्र, परिचयपत्र, राशनकार्ड, उपतहसील बींझबायला वारिसान तस्दीक पेश किये। उक्त दस्तावेजों में प्रेमकुमार व प्रेमचन्द एक ही व्यक्ति अंकित किये है तथा आई डी प्रूफ में प्रेमकुमार अंकित है। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट में भी पटवारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि प्रेमकुमार व प्रेमचन्द एक ही व्यक्ति है। बहस सुनी गई।

वादी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष है कि चक 29 केजेडी मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघाा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमकुमार उर्फ प्रेमचंद किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायहित धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 29 केजेडी मु0नं0 186/26 में कुल 25.00 बीघाा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रेमचंद के स्थान पर प्रेमकुमार उर्फ प्रेमचंद किया नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कृष्णलाल बनाम गिरधारीलाल वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 175/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
02-02-2023	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 को रजि0 नोटिस RR218603483IN दिनांक 22.12.2022 भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं। आज सरे इजलास बार बार रूक रूककर आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी सं0 वकालतन या असालतन हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 14 केजेडी ए के मु0नं0 124/45 के किला नं0 11, 13/2, 17, 20, 23, 24 की 1.3910 हैक्टर व मु0नं0 124/53 के किला नं0 16, 17 की 0.3287 है0 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 1.7197 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 29.11.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद	

	के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

हरदीपकौर वगै0 बनाम सोनीराम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 125/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
02-02-2023	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 बावजूद तामिल हाजिर नहीं। आज सरे इजलास बार बार रूक रूककर आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी सं0 1,2,4 वकालतन या असालतन हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 1,2,4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 22 बीडी के मु0नं0 74/48 के किला नं0 2,3,7,8,12, 14 ता 17, 25 की 2. 0107 है0 (7.19 बीघा) कृषि भूमि पर दिनांक 24.12.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

पवनकुमार बनाम बद्रीप्रसाद वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 2012/00063

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
02-02-2023	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में हक हिस्सों का निर्धारण मैरिट पर सुना तय होना है। अतः मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 16 बीडी के मु0नं0 115/45 की 24.10 बीघा कृषि भूमि पर दिनांक 28.12.12 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
अपील सं0 116/2022

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
2. सुबध कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
3. रिशाल कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
4. नत्थूसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांक :– 06.02.2023**

यह अपील अपीलांट न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुई। अपील से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि अपीलांट्स के पिता नारायणसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल तहसील चुरु को दिनांक 29.03.1976 को तहसील खाजूवाला का चक नं0 8 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 89/21 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी। जिसका कब्जा दिनांक 29.05.1976 को प्राप्त कर लिया था । उक्त भूमि आवंटन के बाद अपीलांट के पिता चक 8 डीडब्ल्युडी में आकर रहने लगे तथा भूमि सुधार कर कड़ी मेहनत व खर्चा कर भूमि काबिल काश्त बनाई तथा फिर 4. 2.2001 को अपीलांट्स के पिता का स्वर्गवास हो गया। जिसकारण उक्त भूमि विरासतन नामान्तरण मुताबिक वारिसनामा ग्राम पंचायत 2 केएलडी (0) दिनांक 20.04.2001 इंतकाल संख्या 72 दर्ज किया गया था। उक्त इंतकाल अपीलांट्स व अपीलांट्स की माता गुलाब कंवर के नाम से दर्ज किया जाना था जो कि गलत व खिलाफ रिकॉर्ड भरा गया जो कि काबिल खारजी है। जिसे अपीलांट्स निरस्त करवाने के विद्यिक अधिकारी है। उक्त अपीलाधीन इंतकाल सं0 72 भरते समय हल्का पटवारी ने वारिसान सुबध कंवर व रिशाल कंवर के नाम ही दर्ज किये तथा अपीलांट्स की माता का नाम गुलाब कंवर की गुलाब कौर दर्ज किया जो कि सरासर गलत, मनमर्जी से, खिलाफ सबूत व रिकॉर्ड होने से काबिल खारजी है। अपीलांट्स की माता गुलाबकंवर का स्वर्गवास दिनांक 12.06.2013 को गया है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरणकरण सं0 72 दिनांक 04.04.2005 जिससे अपीलांट की भूमि चक 8 डीडब्ल्युडी मु0नं0 89/21 कुल 24.10 बीघा भूमि निरस्त कर मृतक नारायणसिंह व गुलाबकंवर के वारिसान अपीलांट के नाम नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्व प्रथम अपील अपीलांट्स दर्ज रजि0 की गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 8 डीडब्ल्युडी ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता सं0 9 प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह हिस्सा 1/3 , नत्थूसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/3, राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/3 खातेदारी निवासी 8 डीडब्ल्युडी खाजूवाला खातेदार मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 कमाण्ड दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 खाता सं0 9 प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह, नत्थूसिंह, राजेन्द्रसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी 8 डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला ब0हि0ब0 खातेदार मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 कुल 24.10 बीघा कमाण्ड अंकन दर्ज है। उपनिवेशन ना0सं0 72 दिनांक 04.04.05 के द्वारा विरासतन प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी 8 डीडब्ल्युडी खाजूवाला ब0हि0ब0 खातदेारी मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 कुल 24.10 कमाण्ड दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत 2 केएलडी क्रमांक प्रःअ0आर/वारिस/10 दिनांक 26.04/14 जारी वारिसप्रमाण में गुलाबकौर पत्नी नत्थूसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह पुत्र के नाम से जारी है। बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात (इंतकाल सं0 72, मृत्यु प्रमाणपत्र नारायणसिंह व गुलाबकंवर, वारिस प्रमाणपत्र ग्रा0पं0 2 केएलडी , वारिस प्रमाणपत्र गुलाब कंवर सरपंच कोटवादताल, वारिस तस्दीकपत्र क्र0 5529 तहसीलदार खाजूवाला मय जांच पटवारी हल्का कोटवादताल चुरु मय पृष्ठांकन तहसीलदार चुरु क्र0 2980 दिनांक 18. 12.2020 की छायाप्रतियां) अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि चक 8 डीडब्ल्युडी मु0नं0 89/21 कुल 24.10 बीघा भूमि के अपीलाधीन नामान्तरणकरण 72 दिनांक 04.04.2005 निरस्त कर, उक्त इंतकाल में दर्ज नाम गुलाबकौर की जगह गुलाबकंवर उर्फ गुलाबकौर दर्ज करना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है व इन्तकाल सं0 72 दिनांक 04.04.2005 निरस्त कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि जांचकर पुनः इन्तकाल दर्ज करें जिसमें इंतकाल सं0 72 में दर्ज नाम गुलाबकौर की जगह गुलाबकंवर उर्फ गुलाबकौर दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक .....2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सरवनसिंह बनाम मलकीतसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 120/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06-02-2023	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में हक हिस्सों का निर्धारण मैरिट पर सुना तय होना है। अतः मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 149/23 की 6.1960 है0 कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा तक दिनांक 05.12.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/18

1. रणजीतकौर पत्नी कुलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. गोपालदास, संध्यादेवी, ओमीदेवी, निर्मलादेवी, कमलादेवी पि0 मंगतू जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
2. सिकन्दरसिंह, पवनकुमार, विजयकुमार, सीमादेवी पि0 शिवदेवी पुत्री मंगतू जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
3. राकेशकुमार, सुशीलकुमार, सुरेशकुमार, मीनूरानी पि0 कृष्णादेवी जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत 17 केवाईडी
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 06.02.23**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट ने चक 12 केवाईडी के मु0नं0 115/56 किला नं0 1 ता 12 की 12.00 बीघा भूमि इसके मूल खातेदार के मु0आम गुरदेवसिंह से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 18.02.2008 से 600000/– रुपये अखरे छः लाख रुपये में खरीद की हुई है। मूल खातेदार की तरफ से उसके मु0आम ने अपीलांट के पक्ष में भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया और सौदे की पूरी राशि लेकर मौके अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट अपील खरीदशुदा खातदेारी भूमि पर काबिज होकर काश्त रही है। चूंकि मूल खातेदार ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा बैचान कर दी थी जो कि उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान दिनांक 18.02.2008 को ही हो गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा टप्प के मुताबिक रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के पात्र नहीं रहे है। इस सब के बावजूद अपीलांट ने अमलाराज से मिलकर इकतरफातौर अपीलांट को बिना सुनावाई का मौका दिये बिना मौका निरीक्षण, बिना मजमेआम के पढ़कर सुनाये इन्तकाल सं0 242 दिनांक 21.08.2017 दर्ज किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि बाबत् विभिन्न न्यायालयों के प्रकरण जैरकार रहे तथा अपीलांट ने

भी एक अपील माननीय न्यायालय में कर रखी थी, वाद सं0 49/2008 गोपालदास वगै0 बनाम गुरदेवसिंह भी जैरकार रहा तथा एक फौजदारी मुकदमा सं0 58/2008 भी आज दिनांक जैरकार है। इस वजह से अपीलांट के बैयनामें का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया तथा प्रार्थना पत्र 55/2008 दिनांक 13.05.2008 से दिनांक 25.04.2018 तक यथास्थिति का स्थगन प्रभावी था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कतई मेन्टेन योग्य नहीं है, काबिल निरस्तनीय है। इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड्स रूल्स के तहत मौके की जांच किया जाना आवश्यक है। वास्तव में जिसके पक्ष में इन्तकाल की कार्यवाही की जा रही है। वास्तव में उसका कब्जा काश्त है या नहीं है। जबकि अपीलांट के भूमि खरीद से पहले मूल खातेदार के मु0आम का कब्जा काश्त था और बैयनामें के समय कब्जा अपीलांट को दे दिया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब तथ्यों की अनदेखी कर मनमाने तौर पर इन्तकाल दर्ज किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी है और खरीद के दिन से आज रोज तक अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट सं0 14 को इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेंट सं0 1 ता 13 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए भी इन तथ्यों को छिपाकर जो फर्जी तरीके से विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया है वो कानूनी रुप से गलत है। बिना अपीलांट को सूचना दिये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये एवं बिना पूर्ण तथ्यों का अन्वेषण किये इन्तकाल सं0 242 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 21.08.2017 इ0सं0 242 इकतरफातौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये इकतरफा तौर पर पारित किया गया था। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय पक्षकार नहीं थी इसलिए अपीलांट आवश्यक पक्षकार के रुप में न्यायालय से अपील पेश करने की अनुमति चाहती है। अतः अपीलांट प्रस्तुत

अपीलांट के सगे भाई केवलराम के नाम से रकबा चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। और रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया तथा खरीददार अवैध जिप्सम खनन कर रहा है।

उक्त वादगत भूमि का अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेट सं0 1 व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. खाजूवाला में आपराधिक मुकदमा दिनांक 16.08.2012 को धारा 420, 406, 120'बी', 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया है । उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पारित किया है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012

भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम रिकार्ड के विपरीत जाकर जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 25.02.2020 को रेस्पो0 1 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा कर दिया । वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट के भाई ने ग्रा.पं. जोड़ तह–फलौदी जिला जोधपुर से वारिसनामा पेश किया जिसमें केवलराम के तीन भाई नेनूराम पुत्र हरजीराम, सिदाराम पुत्र हरजीराम, नखताराम पुत्र हरजीराम का जायज वारीस बताया है। चूंकि प्रकरण पक्षकारों के वसीयतन एवं विरासतन को लेकर है तथा नामान्तरण एवं फिस्किल प्रोसेसिंग है।

जिसे दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय देना था। जहां ब्लड रिलेशन से बाहर वसीयत हो तो मृतक के वारीसों को सुनकर समुचित जांचकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है रही बात वसीयत सही या फर्जी उसके लिए न्यायालय हाजा किसी प्रकार से सक्षम नहीं जहां विवाद हो जाता है और सन्देहास्पद वसीयत हो जाती है तो वहां दोनों पक्षकारों को गुणवगुण पर सुन लेना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 11.04. 2012 इन्तकाल सं0 25 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)